भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआइ/2013-2014/72
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.9/21.06.001/2013-14 **1 जुलाई 2013**
10 आषाढ़ 1935 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)

कृपया 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी.16/21.06.001/2012-13 देखें, जिसमें उस तारीख तक बैंकों को जारी दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था ।

2. उपर्युक्त मास्टर परिपत्र को अनुबंध 16 में सूचीबद्ध किए गए 30 जून 2013 तक जारी किये गये संबंधित अनुदेशों को शामिल करते हुए समुचित रीति से अद्यतन किया गया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर प्रदर्शित किया गया है ।

3. यह मास्टर परिपत्र 2 मई 2012 को जारी किए गए और 1 अप्रैल 2013 से क्रमिक रूप से प्रभावी होनेवाले बासेल III पूंजी विनियमों से संबंधित दिशानिर्देशों को कवर नहीं करता है। तथापि "बासेल III पूंजी विनियमन" पर 1 जुलाई 2013 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं बीपी. बीसी 2/ 21.06.201/ 2013-14 में बताए गए अनुसार बासेल III संक्रमण अवधि के दौरान, 31 मार्च 2017 तक विनियामक समायोजन/ कटौती के लिए इन दिशानिर्देशों को देखें।

भवदीय

(चंदन सिन्हा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

अनु : यथोक्त

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001
Department of Banking Operations and Development, Central Office, 12th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai-400001
टेलीफोन /Tel No:-22-22705699 फैक्स/Fax No:91-22-22705691 Email ID: cgmicdbodco@rbi.org.in
हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

विषय-वस्तु

भाग - ए :

1.	प्रस्तावना			
2.	कार्यान्वयन के प्रति दृष्टिकोण और प्रभावी तारीख			
3.	मानदंड लागू करने का दायरा			
4.	पूंजी निधि			
	4.1	सामान्य		
	4.2	टीयर 1 पूंजी के तत्व		
	4.3	टीयर II पूंजी के तत्व		
	4.4	पूंजी से कटौतियां		
5.	**ऋण जोखिम के लिए पूंजी भार**			
	5.1	सामान्य		
	5.2	देशी सम्प्रभु (सोवरेन) संबंधी दावे		
	5.3	विदेशी सम्प्रभु संबंधी दावे		
	5.4	सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं (पीएसई)संबंधी दावे		
	5.5	बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी), अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) संबंधी दावे		
	5.6	बैंकों पर दावे		
	5.7	प्राथमिक व्यापारियों संबंधी दावे		
	5.8	कंपनियों संबंधी दावे		
	5.9	विनियामक फुटकर संविभागों में शामिल दावे		
	5.10	आवासीय संपत्ति से प्रतिभूत दावे		
	5.11	वाणिज्यिक स्थावर संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे		
	5.12	अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए)		
	5.13	विनिर्दिष्ट श्रेणियां		
	5.14	अन्य परिसंपत्तियां		
	5.15	तुलनपत्रेतर मदें		
		5.15.1	सामान्य	
		5.15.2	गैर-बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदें	
		5.15.3	बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदें	
		5.15.4	वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति	
		5.15.5	असफल लेनदेन	
	5.16	प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र		

		5.16.1	सामान्य	
		5.16.2	पूंजीगत निधियों में से प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र की कटौती	
		5.16.3	अव्यक्त समर्थन	
		5.16.4	बाह्य रेटिंग लागू करना	
		5.16.5	जोखिम भारित प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र	
		5.16.6	तुलनपत्रेतर प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र	
		5.16.7	ऋण जोखिम कम करने के तत्व की पहचान	
		5.16.8	चलनिधि सुविधाएं	
		5.16.9	पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र/ कृत्रिम प्रतिभूतिकरण / परिक्रामी संरचना के साथ प्रतिभूतिकरण(समय-पूर्व परिशोधन के तत्वों सहित अथवा उनके बिना)	
	5.17		बैंकिंग बही में क्रेडिट डिफ़ाल्ट स्वैप (सीडीएस) स्थिति के लिए पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाएँ	
		5.17.1	बाह्य/तृतीय पक्षकार सीडीएस हेजेस को मान्यता प्रदान करना	
		5.17.2	आंतरिक हेजेस	
6.	**बाह्य ऋण मूल्यांकन**			
	6.1	पात्र ऋण रेटिंग एजेंसियां		
	6.2	बाह्य रेटिंग लागू करने की व्याप्ति		
	6.3	मैपिंग प्रक्रिया		
	6.4	दीर्घावधि रेटिंग		
	6.5	अल्पावधि रेटिंग		
	6.6	मांगी न गयी रेटिंग का इस्तेमाल		
	6.7	बहुविध रेटिंग मूल्यांकनों का इस्तेमाल		
	6.8	निर्गमकर्ता/अन्य दावों पर निर्गम रेटिंग लागू होना		
7.	**ऋण जोखिम कम करना**			
	7.1	सामान्य सिद्धांत		
	7.2	कानूनी निश्चितता		
	7.3	ऋण जोखिम कम करने की तकनीकें - संपाश्दिवकीकृत लेनदेन		
		7.3.2	समग्र ढांचा और न्यूनतम शर्तें	
		7.3.4	समग्र दृष्टिकोण	
		7.3.5	पात्र वित्तीय संपार्श्विक	

		7.3.6	पूंजी अपेक्षा की गणना	
		7.3.7	हेयरकट	
		7.3.8	रिपो/रिवर्स रिपो प्रकार के लेनदेनों के लिए पूंजी पर्याप्तता ढांचा	
	7.4	ऋण जोखिम कम करने की तकनीकें - तुलन पत्र के अंतर्गत तकनीकें		
	7.5	ऋण जोखिम को कम करने की तकनीकें - गारंटियां		
		7.5.4	गारंटियों के लिए परिचालन अपेक्षाएं	
		7.5.5	गारंटियों के लिए अतिरिक्त परिचालन अपेक्षाएं	
		7.5.6	पात्र गारंटीदाताओं (काउंटर-गारंटीदाता) का वर्ग	
		7.5.7	जोखिम भार	
		7.5.8	आनुपातिक कवर	
		7.5.9	मुद्रा विसंगति	
		7.5.10	सम्प्रभु गारंटियां तथा काउंटर गारंटियां	
	7.6	परिपक्वता विसंगति		
		7.6.2	परिपक्वता की परिभाषा	
		7.6.3	परिपक्वता विसंगति के लिए जोखिम भार	
	7.7	सीआरएम तकनीक ◌टं के समूह के संबंध में व्यवहार		
8.	बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भार			
	8.1	प्रस्तावना		
	8.2	बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भार का दायरा		
	8.3	ब्याज दर जोखिम के लिए पूंजी भार की माप		
	8.4	ईक्विटी जोखिम के लिए पूंजी भार की गणना		
	8.5	विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए पूंजी भार की गणना		
	8.6	व्यापार बही में सीडीएस के लिए पूंजी प्रभार की गणना		
		8.6.1	सामान्य बाजार जोखिम	
		8.6.2	संदर्भ हस्ती में एक्सपोजर के लिए विशिष्ट जोखिम	
		8.6.3	काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार	
		8.6.4	सीडीएस में भुगतान की महत्वपूर्ण सीमा के नीचे एक्सपोज़र पर कार्रवाई	
	8.7	बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी भार का योग		
	8.8	गैर-तरल स्थितियों के लिए कार्रवाई		
9.	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार			

	9.1	परिचालन जोखिम की परिभाषा	
	9.2	गणन पद्धतियां	
	9.3	मूल निर्देशक दृष्टिकोण	
भाग - ख : पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (स्तम्भ 2)			
10	पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) की भूमिका		
11	उन्नत जोखिम प्रबंध की आवश्यकता		
12	भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) तथा बैंकों की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) के लिए दिशानिर्देश		
	12.1	पृष्ठभूमि	
	12.2	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एसआरईपी का संचालन	
	12.3	आइसीएएपी का संरचनात्मक पहलू	
	12.4	आइसीएएपी परिणामों की समीक्षा	
	12.5	आइसीएएपी प्रबंधन और निर्णय लेने की संस्कृति का अभिन्न अंग होगा	
	12.6	समानुपातिकता का सिद्धांत	
	12.7	नियमित स्वतंत्र समीक्षा और वैधीकरण	
	12.8	आइसीएएपी एक भविष्यमुखी प्रक्रिया होगी	
	12.9	आइसीएएपी एक जोखिम धारित प्रक्रिया होगी	
	12.10	आइसीएएपी के अंतर्गत दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण शामिल होगा	
	12.11	आइसीएएपी के लिए पूंजी मॉडलों का प्रयोग	
13	आइसीएएपी के चुनिंदा परिचालनात्मक पहलू		
भाग -ग : बाज़ार अनुशासन			
14.	**बाज़ार अनुशासन के लिए दिशानिर्देश**		
	14.1	सामान्य	
	14.2	उपयुक्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करना	
	14.3	लेखांकन प्रकटीकरण के साथ संबंध	
	14.4	प्रकटीकरणों की व्याप्ति तथा बारंबारता	
	14.5	वैधीकरण	
	14.6	महत्ता	
	14.7	स्वामित्व संबंधी (प्रोप्राइटरी) तथा गोपनीयता संबंधी सूचना	
	14.8	सामान्य प्रकटीकरण सिद्धांत	

	14.9	मानदंड लागू करने का दायरा	
	14.10	प्रकटीकरण की प्रभावी तारीख	
	14.11	पिलर III में संशोधन	
	14.12	प्रकटीकरण अपेक्षाएं	
	सारणी डीएफ -1	लागू किये जाने का दायरा	
	सारणी डीएफ -2	पूंजी ढांचा	
	सारणी डीएफ - 3	पूंजी पर्याप्तता	
	सारणी डीएफ - 4	ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण	
	सारणी डीएफ - 5	ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए प्रकटीकरण	
	सारणी डीएफ - 6	ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोणों के लिए प्रकटीकरण	
	सारणी डीएफ - 7	प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र : मानकीकृत विधि के लिए प्रकटीकरण	
	सारणी डीएफ - 8	ट्रेडिंग बही में बाज़ार जोखिम	
	सारणी डीएफ - 9	परिचालन जोखिम	
	सारणी डीएफ -10	बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)	
	अनुबंध		
अनुबंध 1	टीयर 1 पूंजी के रूप में शामिल किए जाने हेतु नवोन्मेषी ऋण लिखतों पर लागू शर्तें		
अनुबंध 2	बेमीयादी असंचयी अधिमान शेयरों के संबंध में लागू शर्तें		
अनुबंध 3	अपर टीयर II पूंजी के रूप में शामिल किये जाने के लिए ऋण लिखतों के संबंध में लागू शर्तें		
अनुबंध 4	उच्चतर टीयर II पूंजी के भाग के रूप में पात्रता के लिए बेमीयादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय असंचयी अधिमान शेयर(आरएनसीपीएस)/ प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस) पर लागू शर्तें		
अनुबंध 5	लोअर टीयर II पूंजी जुटाने के लिए अधीनस्थ ऋण का निर्गम		
अनुबंध 6	मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में दिशानिर्देश से उद्धरण		
अनुबंध 6क	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में दिशानिर्देश से उद्धरण		
अनुबंध 7	ऋण जोखिम कम करने के संबंध में उदाहरण		

अनुबंध 8	ब्याज दर डेरिवेटिव और ऑप्शन के संबंध में बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार की माप	
अनुबंध 9	स्तंभ II के अंतेर्गत बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी) की माप की विधि का एक उदाहरण	
अनुबंध 10	मानकीकृत ब्याज दर आघात	
अनुबंध 11	मानकीकृत ढाँचे का एक उदाहरण	
अनुबंध 12	ब्याज दर जोखिम माप की तकनीकें	
अनुबंध 13	पर्यवेक्षीय प्राधिकारियों द्वारा ब्याज दर जोखिम पर निगरानी	
अनुबंध 14	आइसीएएपी दस्तावेज की निदर्शी रूपरेखा	
अनुबंध 15	शब्दावली	
अनुबंध 16	समेकित परिपत्रों की सूची	

पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश से संबंधित मास्टर परिपत्र
<u>नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ़)</u>

भाग ए : न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताओं पर दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 पूंजी पर्याप्तता के संबंध में बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति (बीसीबीएस) के ढांचे में तुलन पत्र और गैर-तुलनपत्र कारोबार में विभिन्न प्रकार की आस्तियों में ऋण जोखिम को ध्यान में रखा गया है। इस ढांचे को अपनाने के लिए तथा बैंकों के पूंजी आधार को भी सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 1992 में यह निर्णय लिया कि भारत में पूंजी पर्याप्तता उपाय के रूप में बैंकों (विदेशी बैंकों सहित) के लिए एक जोखिम आस्ति अनुपात प्रणाली लागू की जाए। मुख्यतः उक्त प्रणाली के अंतर्गत तुलन पत्र आस्तियों, गैर-निधि आधारित मदों और अन्य गैर-तुलन पत्र एक्सपोज़र को निर्धारित जोखिम भार दिये जाते हैं तथा बैंकों को जोखिम भारित आस्तियों और अन्य एक्सपोज़र के योग के निर्धारित अनुपात के बराबर निरंतर अक्षत न्यूनतम पूंजी निधि रखनी पड़ती है। बीसीबीएस द्वारा 1996 में जारी "बाज़ार जोखिमों को शामिल करने के लिए पूंजी समझौते में संशोधन" के अनुसार बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी भार रखने के संबंध में रिज़र्व बैंक ने जून 2004 में दिशानिर्देश जारी किये हैं।

1.2 बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को "पूंजी की माप और पूंजी मानक के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति : एक संशोधित ढांचा" जारी किया। नवंबर 2005 में संशोधित ढांचे को अद्यतन करते हुए उसमें व्यापार गतिविधियों तथा `दोहरे चूक' प्रभाव के ट्रीटमेंट को शामिल किया गया तथा जून 2006 में ढांचे का एक परिपूर्ण रूप जारी किया गया जिसमें पूंजी के घटकों को तथा बाज़ार जोखिम को शामिल करने हेतु पूंजी समझौते में 1996 में किये गये संशोधन को शामिल किया गया। संशोधित ढांचे में पूंजी अपेक्षा के प्रति उल्लेखनीय रूप से अधिक संवेदनशील रवैया अपनाया गया है। संशोधित ढांचे में ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं निर्धारित करने के लिए कई विकल्प दिये गये हैं ताकि बैंक और पर्यवेक्षक अपने परिचालनों और वित्तीय बाजारों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण अपना सकें।

2. कार्यान्वयन के प्रति दृष्टिकोण, प्रभावी तारीख और समांतर प्रयोग

2.1 संशोधित ढांचे में तीन स्तंभ हैं जो एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। ये तीन स्तंभ हैं: न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं, पूंजी पर्याप्तता की पर्यवेक्षीय समीक्षा और बाज़ार अनुशासन। ढांचे में स्तंभ 1 के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षा की गणना के

लिए तीन स्पष्ट विकल्प तथा परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षा की गणना के लिए तीन अन्य विकल्प दिये गये हैं। ऋण और परिचालन जोखिमों के लिए ये विकल्प अधिकाधिक जोखिम संवेदनशीलता पर आधारित हैं ताकि बैंक उस दृष्टिकोण को अपना सकें जो बैंक के परिचालनों के विकास की अवस्था के सर्वाधिक उपयुक्त हो। ऋण जोखिम के लिए पूंजी की गणना करने के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, मूल आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण और उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण नामक विकल्प उपलब्ध हैं। परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की गणना के लिए उपलब्ध विकल्प हैं - मूल निर्देशक दृष्टिकोण (बीआईए), मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) और उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए)।

2.2 रिज़र्व बैंक का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संगति और समरूपता बनाये रखना है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत में सभी वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण तथा परिचालन जोखिम के लिए मूल निर्देशक दृष्टिकोण अपनाएंगे। बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी अपेक्षा की गणना के लिए बैंक मानकीकृत कालावधि दृष्टिकोण (एसडीए) का प्रयोग करते रहेंगे।

2.3 **प्रभावी तारीख :** भारत में परिचालन करनेवाले विदेशी बैंकों तथा भारत के बाहर परिचालनात्मक मौजूदगी वाले भारतीय बैंकों ने 31 मार्च 2008 से संशोधित ढांचे के अंतर्गत उपर्युक्त चयनित दृष्टिकोणों को अपनाया है । अन्य सभी वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) 31 मार्च 2009 तक संशोधित ढांचे के अंतर्गत उपर्युक्त दृष्टिकोण अपना चुके हैं ।

2.4 **समांतर प्रयोग :** संशोधित ढांचे में संक्रमण को आसान बनाने के लिए तथा बैंकों को अपनी प्रणाली और रणनीति को तदनुरूप बनाने का एक मौका देने के लिए बैंकों को सूचित किया गया था कि वे संशोधित ढांचे का समांतर प्रयोग करें । दिसंबर 2010 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे समानांतर प्रयोग को तीन वर्ष की अवधि तक अर्थात 31 मार्च 2013 तक जारी रखें जिसकी बाद में समीक्षा हो सकती है। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि उनकी बासल II न्यूनतम पूंजी अपेक्षा ऋण और बाजार जोखिम से संबंधित बासल I ढांचे के अंतर्गत अपेक्षित न्यूनतम पूंजी अपेक्षा के 80% की विवेकपूर्ण सीमा से अधिक बनी रहेगी। मामले की समीक्षा की गयी तथा बासल I की तुलना में बासल II के कार्यान्वयन के लिए समानांतर प्रयोग और विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा को समाप्त किया गया[1]। परिणामस्वरूप बैंकों को निर्धारित रिपोर्टिंग फॉर्मेट में समानांतर प्रयोग रिपोर्ट की प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

---

[1] कृपया पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- पूंजी पर्याप्तता का नया ढांचा (एनसीएएफ) - समानांतर प्रयोग तथा विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा पर 27 मई 2013 का परिपत्र बैंपविवि.सं .बीसी .बीपी .95/21.06.001/2012-13 देखें।

2.5 **संशोधित ढांचे के अंतर्गत अन्य दृष्टिकोण अपनानाः** बैंकों द्वारा बासल II ढाँचे के अंतर्गत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोण अपनाये जाने से होने वाली संभावित पूंजीगत दक्षता, जोखिम प्रबंध ढाँचे के आवश्यक उन्नयन तथा इस संबंध में उभरती अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2009 में यह वांछनीय समझा गया कि भारत में उन्नत दृष्टिकोणों को लागू करने के लिए एक समय अनुसूची निर्धारित की जाए। इससे बैंक ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए) अपनाने के लिए योजना बना सकेंगे और इस हेतु तैयारी कर सकेंगे।

2.5.1 अपेक्षित आधारभूत आँकड़े, एमआइएस और कौशल उन्नयन आदि सहित आवश्यक प्रौद्योगिकीय और जोखिम प्रबंध संरचना निर्मित करने में बैंकों को लगने वाले सम्भावित समय को ध्यान में रखते हुए विनियामक पूंजी मापन के लिए उन्नत दृष्टिकोण लागू करने हेतु निम्नलिखित समय अनुसूची निर्धारित की गयी है :

सारणी-1

क्र. सं.	**दृष्टिकोण**	**बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे जाने वाले आवेदन की आरंभिक तारीख**	**भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन दिये जाने की संभावित तारीख**
क.	बाजार जोखिम के लिए आंतरिक माडल दृष्टिकोण (आइएमए)	1 अप्रैल 2010	31 मार्च 2011
ख.	परिचालन जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण	1 अप्रैल 2010	30 सितंबर 2010
ग.	परिचालन जोखिम के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोण	1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2014
घ.	ऋण जोखिम के लिए आंतरिक श्रेणी निर्धारण आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण (बुनियादी और उन्नत आइआरबी)	1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2014

2.5.2 तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया कि वे बासल II दस्तावेज में परिकल्पित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त समय अनुसूची के अनुसार उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपनी तैयारी का आंतरिक आकलन करें और अपने बोर्ड के अनुमोदन से निर्णय लें कि क्या वे कोई उन्नत दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। उन्नत दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लेने वाले बैंक निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार आवश्यक अनुमोदन हेतु यथासमय हमसे संपर्क करें। बैंक अपने आंतरिक आकलन तथा तैयारी के आधार पर उन्नत

दृष्टिकोण लागू करने के लिए आवेदन करने के लिए उपयुक्त तारीख का चयन कर सकते हैं।

2.5.3 यह नोट किया जाए कि बैंकों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपने विवेक से एक या अधिक जोखिम संवर्गों के लिए अपनी तैयारी के अनुसार उन्नत दृष्टिकोण अपनाएँ तथा अन्य जोखिम संवर्गों के लिए सरलतर दृष्टिकोण जारी रखें और यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी जोखिम संवर्गों के लिए एक ही साथ उन्नत दृष्टिकोण अपनाया जाए। तथापि, बैंकों को कोई भी उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए अनिवार्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

3. <u>मानदंड लागू करने का दायरा</u>

संशोधित पूंजी पर्याप्तता मानदंड समान रूप से सभी वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे, एकल स्तर (वैश्विक स्थिति) और समेकित स्तर - दोनों रूपों मे। समेकित बैंक की परिभाषा उन संस्थाओं के समूह के रूप में की गयी है जहां एक लाइसेन्स प्राप्त बैंक नियंत्रक संस्था है । समेकित बैंक के अंतर्गत छूट प्राप्त संस्थाओं को छोड़कर, उसके नियंत्रणाधीन समूह की सभी संस्थाएं शामिल होंगी। 25 फरवरी 2003 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 72/21.04.018/2001-02 द्वारा समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्टें तैयार करने के संबंध में दिशानिर्देश दिये गये हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित बैंक, समूह की ऐसी कंपनियों को छोड़ सकता है जो बीमा कारोबार में और वित्तीय सेवाओं से असंबद्ध कारोबार में लगी हों। समेकित बैंक को बैंक पर लागू न्यूनतम जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) निरंतरता के आधार पर रखना चाहिए।

4. <u>पूंजी निधि</u>

4.1 सामान्य

4.1.1 बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे निरंतरता के आधार पर 9 प्रतिशत न्यूनतम जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) रखेंगे। रिज़र्व बैंक प्रत्येक बैंक के संबंधित जोखिम घटकों और आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन को ध्यान में रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक द्वारा रखी गयी पूंजी बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, संकेंद्रण जोखिम और अवशिष्ट जोखिम सहित विभिन्न जोखिमों की पहचान करने, उनका मूल्यांकन करने/माप करने, उनकी निगरानी और नियंत्रण करने के संबंध में बैंक की जोखिम प्रबंध प्रणाली की प्रभावशीलता शामिल है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक प्रत्येक बैंक की संबंधित जोखिम प्रोफाइल और उसकी जोखिम प्रबंध प्रणालियों के आधार पर ढांचे के स्तंभ

2 के अंतर्गत न्यूनतम पूंजी अनुपात का उच्चतर स्तर निर्धारित करने पर विचार करेगा । इसके अलावा, नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे के स्तंभ 2 की अपेक्षाओं के अनुसार बैंकों से न्यूनतम अपेक्षा से कहीं अधिक उच्चतर स्तर पर परिचालन की अपेक्षा है।

4.1.2 भारत स्थित सभी बैंक 31 मार्च 2013 तक समानांतर प्रयोग जारी रखेंगे जो समीक्षाधीन होगा और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी बासल II न्यूनतम पूंजी अपेक्षा ऋण और बाजार जोखिम से संबंधित बासल - I ढांचे के अंतर्गत अपेक्षित न्यूनतम पूंजी अपेक्षा के 80% की विवेकपूर्ण सीमा से अधिक बनी हुई है ।

4.1.3 बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे एकल और समेकित स्तर पर कम-से-कम 6% का टीयर I सीआरएआर रखें । जो बैंक इस स्तर से कम रख रहे हैं, उन्हें यह अनुपात 31 मार्च 2010 तक अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए ।

4.1.4 बैंक को टीयर 1 सीआरएआर और कुल सीआरएआर की गणना निम्नलिखित रूप में करनी चाहिए:

पात्र टीयर I पूंजी निधि[2]

टीयर I सीआरएआर =---

ऋण जोखिम जो.भा.आ. + बाज़ार जोखिम जो.भा.आ. + परिचालनगत जोखिम जो.भा.आ

*जो. भा. आ. = जोखिम भारित आस्तियां

पात्र कुल पूंजी निधियाँ[3]

कुल सीआरएआर =---

ऋण जोखिम जो.भा.आ. + बाज़ार जोखिम जो.भा.आ. + परिचालनगत जोखिम जो.भा.आ

4.1.5 पूंजी निधि मोटे तौर पर टीयर I और टीयर II पूंजी के रूप में वर्गीकृत की जाती है। टीयर II पूंजी के तत्वों को पैराग्राफ 4.4 में उल्लिखित कटौती/समायोजन के बाद अधिकतम टीयर I पूंजी के 100 प्रतिशत तक पूंजी निधि माना जाएगा ।

---

[2] कुल टीयर 1 पूंजी निधि, जो नवोन्मेषी निरंतर ऋण लिखतों की विवेकपूर्ण सीमा के अधीन होगी । इसमें से टीयर 1 पूंजी से कटौती को घटाया जाएगा ।

[3] पात्र टीयर I पूंजी निधि और पात्र टीयर 2 पूंजी निधि का योग, जो नवोन्मेषी टीयर I लिखतों, अपर टीयर 2 लिखतों तथा अधीनस्थ ऋण लिखतों की विवेकपूर्ण सीमा के अधीन होगा। इसमें टीयर I और टीयर 2 पूंजी की कटौतियों को घटाया जाएगा ।

4.2 टीयर I पूंजी के तत्व

4.2.1 भारतीय बैंकों के टीयर I पूंजी में निम्नलिखित तत्व होंगे :

i) प्रदत्त इक्विटी पूंजी, सांविधिक आरक्षित निधियां और अन्य प्रकट मुक्त आरक्षित निधियां, यदि कोई हों;

ii) आस्तियों की बिक्री से उत्पन्न अधिशेष से बनी पूंजी आरक्षित निधियां;

iii) टीयर I पूंजी में शामिल होने की पात्र नवोन्मेषी निरंतर ऋण लिखतें जो **अनुबंध 1** में विनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करती हैं;

iv) **अनुबंध-2** में निर्दिष्ट विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाले बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस); और

v) टीयर I पूंजी में शामिल करने के लिए समय-समय पर सामान्यतः रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्रकार के लिखत ।

4.2.2 लेखांकन मानक 11 (संशोधित 2003) : `विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' को लागू करने से उत्पन्न विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि पूंजी निधियों की पात्र मद नहीं होगी ।

4.2.3 भारत स्थित विदेशी बैंकों के लिए टीयर I पूंजी में निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे

(i) प्रधान कार्यालय से प्राप्त ब्याज मुक्त निधि, जिसे भारतीय बहियों में अलग खाते में पूंजी पर्याप्तता मानदंड की पूर्ति के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए रखा गया है ।

(ii) भारतीय बहियों में रखी गयी सांविधिक आरक्षित निधियां

(iii) भारतीय बहियों में रखा गया विप्रेषणीय अधिशेष जो जब तक बैंक भारत में कारोबार करता है, तब तक प्रत्यावर्तनीय नहीं है।

(iv) भारत में आस्तियों की बिक्री से उत्पन्न अधिशेष से बनी पूंजी आरक्षित निधि जिसे अलग खाते में रखा जाता है और जो जब तक बैंक भारत में कारोबार करता है, तब तक प्रत्यावर्तनीय नहीं है ।

(v) संपत्ति के अधिग्रहण के प्रयोजन से विदेश से प्रेषित ब्याज-मुक्त निधि, जिसे भारतीय बहियों में अलग खाते में रखा गया है ।

(vi) भारत में परिचालन करनेवाले विदेशी बैंकों द्वारा टीयर I पूंजी में शामिल करने हेतु विदेशी मुद्रा में प्रधान कार्यालय उधार, जिनमें

अनुबंध 1 में विनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया हो और

(vii) टीयर I में शामिल करने के लिए समय-समय पर रिज़र्व बैंक की विनिर्दिष्ट अनुमति से कोई अन्य मद

टिप्पणी :

(i) विदेशी बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे रिज़र्व बैंक को इस आशय का वचन दें कि भारत में जब तक कारोबार करते हैं तब तक `पूंजी आरक्षित निधि' और `भारत में रखा विप्रेषणीय अधिशेष' विदेश नहीं भेजेंगे। इसके बाद ही यह मद टीयर 1 पूंजी के अंतर्गत शामिल होने की पात्र होगी।

(ii) इन निधियों को `पूंजी निधि' के अंतर्गत `जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात अपेक्षा की पूर्ति के लिए भारत में रखी गयी राशि' नामक एक अलग खाते में रखा जाना चाहिए ।

(iii) एक लेखा परीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र भी रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ये निधियां, कर मूल्यांकन के बाद या कर अपील पर निर्णय के बाद प्रधान कार्यालय को विप्रेषण करने योग्य अधिशेष हैं तथा कर या अन्य किसी आकस्मिक निधि के प्रावधान की प्रकृति की निधियां इनमें शामिल नहीं हैं ।

(iv) प्रधान कार्यालय/विदेशी शाखाओं के पास अंतर-कार्यालय खाते में यदि कोई निवल जमा शेष राशि, हो तो उसे पूंजी निधि नहीं माना जाएगा। हालांकि, यदि प्रधान कार्यालय/अन्य विदेशी शाखाओं/अन्य समूह संस्थाओं की निवल विदेशी प्लेसमेंट (प्लेसमेंट में से उधारों को घटाकर, इन उधारों में टियर I तथा II पूंजी के प्रयोजन से प्रधान कार्यालय के उधारों को शामिल नहीं किया गया है) बैंक की न्यूनतम सीआरएआर अपेक्षा के 10 प्रतिशत से अधिक है तो, इस सीमा से अधिक राशि को टियर I पूंजी में से घटाया जाएगा । उपर्युक्त विवेकपूर्ण उच्चतम सीमा के प्रयोजन के लिए निवल विदेशी प्लेसमेंट उस तारीख को विदेशी प्लेसमेंट तथा उस तारीख तक वर्ष के दौरान औसत दैनंदिन शेष में से जो उच्चतर है वह होगी । ऐसी प्लेसमेंट/निवेशों के संबंध में समग्र उच्चतम सीमा वर्तमान विनियामक तथा सांविधिक प्रतिबंधों अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित निवल जोखिम की स्थिति (ओपन पोजीशन) की उच्चतम सीमा तथा गॅप सीमा, एवं बैंककारी विनियमन

अधिनियम, 1949 की धारा 25 के अनुसार होना जारी रहेगी । ऐसे सभी लेनदेन अन्य फेमा दिशानिर्देशों के भी अनुरूप होने चाहिए [4]।

(v) बैंक टियर I पूंजी की गणना के लिए तिमाही/छःमाही लाभों को भी शामिल कर सकते है लेकिन वे ऐसा केवल तब कर सकते हैं जब तिमाही/छःमाही परिणामों की सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गयी हो। जब परिणामों की सीमित समीक्षा की जाती है तब तिमाही/छःमाही लाभों को शामिल **नहीं** किया जा सकता है।

4.2.4 पात्र टीयर I पूंजी की सीमा

(i) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत, जो टीयर I पूंजी में शामिल होने के पात्र हैं, पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार कुल टीयर I पूंजी के 15 प्रतिशत तक सीमित होंगे। उपर्युक्त सीमा पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार टीयर I पूंजी की राशि में से गुडविल, डीटीए और अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाकर लेकिन निवेश को घटाने के पहले प्राप्त की जाएगी, जैसा कि पैराग्राफ 4.4 में अपेक्षित है।

(ii) किसी भी समय टीयर 1 अधिमान शेयर अर्थात् नवोन्मेषी टीयर 1 लिखतों सहित बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान शेयरों की बकाया राशि कुल टीयर 1 पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । उपर्युक्त सीमा टीयर 1 पूंजी की राशि में से गुडविल और अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाकर परंतु नीचे पैरा 4.4.6 के अनुसार निवेश को घटाने के पहले प्राप्त राशि पर आधारित होगी । 40 प्रतिशत की समग्र सीमा से अधिक जारी किये गये टीयर 1 अधिमान शेयर टीयर II पूंजी के लिए निर्धारित सीमा के अधीन उच्चतर टीयर II पूंजी में शामिल किये जाने के पात्र होंगे । तथापि, निवेशकों के अधिकार और दायित्व अपरिवर्तित रहेंगे ।

(iii) सीमा से अधिक नवोन्मेषी लिखत/पीएनसीपीएस टीयर II पूंजी के लिए निर्धारित सीमा के अधीन टीयर II के अंतर्गत शामिल किये जाने के पात्र होंगे ।

---

[4] कृपया पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - प्रधान कार्यालय नामे शेष पर की जाने वाली कार्रवाई - विदेशी बैंक पर 9 जुलाई 2012 का परिपत्र बैंपविवि .सं .बीसी .बीपी .28 /21.06.001 /2012-13 देखें।

4.3 **टीयर II पूंजी के तत्व**

4.3.1 <u>पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां</u>

ये आरक्षित निधियां अप्रत्याशित हानि की स्थिति में सहायक सिद्ध होती हैं, लेकिन इनकी प्रकृति उतनी स्थायी नहीं होती और इन्हें `मुख्य (कोर) पूंजी' नहीं माना जा सकता । बैंक की आस्तियों में जिन आस्तियों का कम मूल्यांकन रहता है, यथा बैंक परिसर, उनके पुनर्मूल्यांकन से पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां बनती हैं। अप्रत्याशित हानि की स्थिति में किस हद तक पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों पर भरोसा किया जा सकता है, यह मुख्यतया संबंधित आस्तियों के बाज़ार मूल्य के संबंध में लगाये गये अनुमान की विश्वसनीयता, कठिन बाजार परिस्थितियों में अथवा विवश होकर उसे बेचने की स्थिति में मूल्य में होनेवाली गिरावट, उपर्युक्त मूल्यों पर वस्तुतः बेचने की संभावना, पुनर्मूल्यांकन के कर परिणाम आदि पर निर्भर करता है। अतः यह विवेकपूर्ण होगा कि पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को टीयर II पूंजी में शामिल करने के लिए उनके मूल्य में 55 प्रतिशत की कटौती की जाए। ऐसी आरक्षित निधियों को तुलनपत्र में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों के रूप में दर्शाना होगा।

4.3.2 <u>सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधियां</u>

ऐसी आरक्षित निधियों को टीयर II पूंजी में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते उन्हें किसी विनिर्दिष्ट आस्ति के मूल्य में वास्तविक क्षरण या संभावित हानि के लिए न रखा गया हो तथा वे अप्रत्याशित हानि के लिए उपलब्ध हों। सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधियों को टीयर II पूंजी का भाग बनाने पर विचार करने के पहले इस बात का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी ज्ञात हानियों और अनुमानित संभावित हानियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे `मानक आस्तियों पर सामान्य प्रावधान' `अस्थायी प्रावधान'[5] `कंट्री एक्सपोज़र के संबंध में प्रावधान', `निवेश आरक्षित निधि लेखा' तथा अनर्जक आस्तियों की बिक्री से होनेवाले अधिक प्रावधान को टीयर II पूंजी में शामिल कर सकते हैं, परंतु कुल जोखिम भारित आस्तियों की अधिकतम 1.25 प्रतिशत की सीमा तक ही इन पांच मदों को टीयर II पूंजी में शामिल किया जाएगा ।

4.3.3 <u>मिश्र ऋण पूंजी लिखत</u>

इस संवर्ग के अंतर्गत अनेक ऋण पूंजी लिखत आते हैं जिनमें कुछ इक्विटी की और कुछ ऋण की विशेषताएँ रहती हैं। हर एक की खास विशेषता रहती है जो पूंजी के रूप में उसकी

---

[5] 27 अगस्त 2009 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 33/21.04.048/2009-10 के अनुसार बैंकों के पास निवल अनर्जक आस्ति प्राप्त करने के लिए सकल अनर्जक आस्तियों में से ऐसे प्रावधानों को घटाने का अथवा उन्हें अपने टियर II पूंजी के एक भाग के रूप में गिनने का विकल्प रहना जारी रहेगा।

गुणवत्ता को प्रभावित करती है। जहाँ ये लिखत इक्विटी जैसे होते हैं, खासकर तब जब वे निरंतरता के आधार पर हानि की स्थिति में बिना परिसमापन आरंभ किये समर्थन प्रदान कर सकें, वहाँ उन्हें टीयर II पूंजी में शामिल किया जा सकता है। भारत में बैंकों को ईक्विटी और ऋण दोनों की मिश्रित विशेषताओं वाले ऋण पूंजी लिखतों के माध्यम से जुटायी गयी निधियों को उच्चतर टीयर II पूंजी में शामिल करने की अनुमति है बशर्ते लिखत **अनुबंध 3** में विनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षा को पूरा करता हो। भारतीय बैंकों को **अनुबंध 4** में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यमान कानूनी प्रावधानों के अधीन बेमीयादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस), प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस) और प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस) उच्चतर टीयर II पूंजी के रूप में जारी करने की अनुमति है।

4.3.4 <u>अधीनस्थ ऋण</u>

टीयर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र होने हेतु उक्त लिखत पूर्णतः प्रदत्त, बेजमानती, अन्य ऋणदाताओं के दावों के अधीन, प्रतिबंधात्मक शर्तों से मुक्त होने चाहिए तथा धारक की पहल से अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होने चाहिए। अधिकांशतः उनकी परिपक्वता नियत होती है और जैसे ही वे परिपक्वता की ओर आगे बढ़ते हैं, टीयर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए उन पर प्रगामी बट्टा लागू किया जाना चाहिए। 5 वर्ष से कम अवधि की प्रारंभिक परिपक्वता वाले लिखत अथवा जिनकी 1 वर्ष की परिपक्वता शेष है ऐसे लिखत टीयर II पूंजी के भाग के रूप में शामिल नहीं किए जाने चाहिए। टीयर II पूंजी के रूप में माने जाने हेतु पात्र अधीनस्थ ऋण लिखत **अनुबंध 5** में विनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा ।

4.3.5 <u>नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आइपीडीआइ) और बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)</u>

टीयर 1 पूंजी के 15 प्रतिशत से अधिक आइपीडीआइ [देखें **अनुबंध 1**, पैरा 1(ii)] को टीयर II पूंजी के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है तथा पैरा 4.2.5 [देखें **अनुबंध 2**, पैरा 1.1] में निर्धारित 40 प्रतिशत की समग्र सीमा से अधिक जारी पीएनसीपीएस को टीयर II पूंजी के लिए निर्धारित सीमा के अधीन उच्चतर टीयर II पूंजी के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है ।

4.3.6 अन्य किसी प्रकार का लिखत जो सामान्यतः रिज़र्व बैंक समय-समय पर टीयर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए अधिसूचित करता है।

4.3.7 <u>टीयर II पूंजी पर सीमाएं</u>

टीयर II पूंजी के अन्य घटकों के साथ उच्चतर टीयर II लिखत, टीयर I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उक्त सीमा साख, डीटीए और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को घटाने के बाद परंतु निवेशों को घटाने के पहले की टीयर I राशि पर आधारित होगी।

4.3.8 निम्नतर टीयर II पूंजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र अधीनस्थ ऋण लिखत सभी कटौतियों के बाद वाली टीयर I पूंजी के 50 प्रतिशत तक सीमित होगा ।

4.4 पूंजी से कटौतियां

4.4.1 चालू अवधि की अमूर्त परिसंपत्तियां और हानियां तथा पिछली अवधियों से आगे लाई गई अमूर्त परिसंपत्तियां और हानियां टीयर I पूंजी से घटाई जानी चाहिए।

4.4.2 निम्नानुसार गणना की गयी आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) टीयर I पूंजी में से घटायी जानी चाहिए:

i) संचित हानियों से संबद्ध डीटीए; **और**

ii) आस्थगित कर देयताओं (डीटीएल) को घटाकर डीटीए (संचित हानियों से संबद्ध डीटीए को छोड़कर)। जहां डीटीएल डीटीए (संचित हानियों से संबद्ध डीटीए को छोड़कर) से अधिक हैं वहां उक्त आधिक्य न तो मद (i) के साथ समायोजित किया जाएगा और न ही टीयर 1 पूंजी में जोड़ा जाएगा।

4.4.3 पैरा 5.16.1 में यथा परिभाषित, मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतीकरण के समय **बिक्री पर होनेवाले लाभ** को **<u>यदि लाभ माना जाता है</u>** तो उसे पूर्णतया टीयर I पूंजी में से घटाया जाना चाहिए। मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को विशेष प्रयोजन हेतु बनी कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों की अवधि के दौरान संबंधित लाभ का परिशोधन करने की अनुमति है। परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से लाभ-हानि लेखे में इस प्रकार निर्धारित लाभ की राशि को घटाने की आवश्यकता नहीं है।

4.4.4 बैंकों को चाहिए कि वे नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक समेकित पूंजी में पूर्णतः स्वाधिकृत से कम बैंकों, प्रतिभूति अथवा अन्य वित्तीय कंपनियों के समेकन से उत्पन्न अल्पसंख्यकों के हितों को मान्यता न दें :

(i) पूर्णतः स्वाधिकृत से कम स्वाधिकृत सहायक संस्था की पूंजी, जो उस संस्था के लिए विनियामक न्यूनतम से अधिक है, में अल्पसंख्यक के हित की सीमा

(ii) यदि संबंधित सहायक संस्था के लिए कोई विनियामक पूंजी अपेक्षा नहीं है तो उस संस्था के लिए मानी गई न्यूनतम पूंजी अपेक्षा उक्त संस्था की जोखिम भारित परिसंपत्तियों का 9 प्रतिशत ली जाए।

4.4.5 पैरा 5.16.2 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र को विनियामक पूंजी से घटाया जाएगा और जहां स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान हो उसे छोड़कर, उक्त कटौती टीयर 1 से 50 प्रतिशत और टीयर II से 50 प्रतिशत करनी होगी। पूंजी में से कटौतियों की गणना, संबद्ध प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के लिए रखे गए किसी निर्दिष्ट प्रावधान को घटाकर की जाए।

4.4.6 वित्तीय सहायक संस्थाओं और संबद्ध संस्थाओं में निवेश के मामले में पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन हेतु निम्नानुसार कार्रवाई होगी :

(i) पूंजी प्रयोजन के लिए बैंक के साथ समेकित न की गई वित्तीय कंपनियों (बीमा कंपनियों सहित) की चुकता इक्विटी, अर्थात् इक्विटी शेयरों, में 30 प्रतिशत से अधिक किए गए निवेश और उन कंपनियों में विनियामक पूंजी स्तर के लिए पात्र अन्य लिखतों में किए गए निवेश टीयर 1 पूंजी में से 50 प्रतिशत और टीयर II पूंजी में से 50 प्रतिशत पर **पूर्णतः** घटाए जाएं। (30 प्रतिशत से कम के निवेशों के लिए कृपया पैरा 5.13.7 देखें।)

(ii) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बहुमत अधिकृत वित्तीय कंपनियां, जो पूंजी प्रयोजनों के लिए समेकित नहीं हैं और जिनके लिए विनियामक पूंजी स्तर के लिए पात्र इक्विटी और अन्य लिखतों में किए गए निवेश घटाए गए हैं, अपनी विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की पूर्ति करती हैं। समेकन न की गई कंपनी की विनियामक पूंजी अपेक्षा में किसी कमी की स्थिति में, उक्त कमी को टीयर I पूंजी में से 50 प्रतिशत और टीयर II पूंजी में से 50 प्रतिशत पूर्णतः घटाया जाए।

4.4.7 पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए वित्तीय संस्थाओं के रूप में मानी जाने वाली संस्थाओं की एक निर्देशक सूची निम्नानुसार हैं :

- बैंक
- म्यूचुअल फंड
- बीमा कंपनियां

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
- आवास वित्त कंपनियां
- मर्चेंट बैकिंग कंपनियां
- प्राथमिक व्यापारी

4.4.8 पैरा 4.4.6 के अनुसार घटाए गए निवेशों को छोड़कर निम्न पैरा 4.4.9 में सूचीबद्ध सभी प्रकार के लिखतों, जो अन्य बैंकों/वित्तीय कंपनियों/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं/ प्राथमिक व्यापारियों द्वारा जारी किए गए हैं और निवेशिती कंपनी के लिए पूंजी स्तर हेतु पात्र हैं, में किए गए किसी बैंक/वित्तीय संस्था के सकल निवेश निवेशकर्ता बैंक की पूंजी निधियों (समायोजनों के बाद टीयर I तथा टीयर II पूंजी का जोड़) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। इस सीमा से अधिक किया गया निवेश टीयर I पूंजी में से 50 प्रतिशत और टीयर II पूंजी में से 50 प्रतिशत घटाया जाएगा। **वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/प्राथमिक व्यापारियों** द्वारा जारी, पूंजी स्तर के लिए पात्र ईक्विटी अथवा लिखतों में किए गए निवेश, जो 10 प्रतिशत की उपर्युक्त सीमा के भीतर हैं और इसलिए पूंजी निधियों से नहीं घटाए गए हैं, पर 100% जोखिम भार अथवा संबद्ध लिखतों के लिए दिए गए श्रेणी निर्धारण को जितना जोखिम भार लागू है उतना जोखिम भार, इनमें से जो भी अधिक हो वह लागू होगा। जहां तक **अनुसूचित बैंकों** की ईक्विटी और अन्य पूंजी स्तर हेतु पात्र लिखतों में 10 प्रतिशत की उपर्युक्त सीमा के भीतर निवेश का संबंध है, उनपर पैरा 5.6.1 के अनुसार जोखिम भार लगाया जाएगा । इसके अलावा, **गैर-अनुसूचित बैंकों** के मामले में,ं जहां सीआरएआर नकारात्मक हो गया है, उपर्युक्त 10 प्रतिशत सीमा के भीतर पूंजी हेतु पात्र लिखतों में किया गया निवेश भी पैरा 5.6.1 के अनुसार टीयर 1 पूंजी से 50 प्रतिशत और टीयर II पूंजी से 50 प्रतिशत पर पूर्णतया घटाया जाएगा ।

4.4.9 निम्नलिखित लिखतों में किए बैंकों के निवेश उपर्युक्त पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत की विवेकपूर्ण सीमा में शामिल होंगे :

क) ईक्विटी शेयर;
ख) बेमीयादी असंचयी अधिमान शेयर;
ग) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत;
घ) उच्चतर टीयर II बांड
ङ)उच्चतर टीयर II अधिमान शेयर (पीसीपीएस, आरएनसीपी, आरसीपीएस)
च) गौण ऋण लिखत
छ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूंजी के रूप में अनुमोदित अन्य कोई लिखत

4.4.10: पैरा 4.4.8. में दिये गए ब्योरों के अनुसार अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए पूंजी लिखतों में बैंकों के कुल निवेश की उच्चतम सीमाओं के अधीन बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसी बैंक के ईक्विटी शेयरों में नयी साझेदारी अर्जित करने से यदि निवेशकर्ता बैंक /वित्तीय संस्था की धारिता निवेशिती बैंक की ईक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो उन्हें ऐसा अर्जन नहीं करना चाहिए । वर्तमान में जिन बैंकों के कुल निवेश निर्धारित सीमा से अधिक हैं वे एक्सपोजर को कम करके उसे विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर लाने के लिए एक सुनिश्चित योजना के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करें।

4.4.11. किसी बैंकिंग सहायक/सहयोगी कंपनी द्वारा अपने मूल बैंक द्वारा जारी ईक्विटी अथवा गैर-ईक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों में किये गये निवेश को, ऐसी कंपनी सहायक कंपनी के एकल आधार पर पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए सहायक कंपनी की विनियामक पूंजी में से टीयर 1 और टीयर II दोनों पूंजी में से 50 प्रतिशत घटाया जाना चाहिए। तथापि गैर-बैंकिंग वित्तीय सहायक/सहयोगी कंपनी द्वारा अपने मूल बैंक की विनियामक पूंजी में निवेश पर ऐसी सहायक/सहयोगी कंपनी पर लागू संबंधित विनियामकों के विनियामक पूंजी मानदंड के अनुसार विनियामक कार्रवाई लागू होगी ।

4.14.12. हमने यह पाया है कि कर्मचारी पेंशन निधियों जैसे कुछ निवेशकों ने संबंधित वाणिज्यिक बैंकों के विनियामक पूंजी निर्गमों में निवेश किया है। इन निधियों को प्रतिफल के मामले में संबंधित बैंक की प्रति गारंटी का लाभ मिलता है। जब बैंक द्वारा पूंजी निर्गमों के निवेशकों के प्रतिफल की प्रति गारंटी दी जाती है तब ऐसे निवेशों को पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से टियर II पूंजी नहीं माना जाएगा।

4.4.13. सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों जो भारतीय बैंक संघ के साथ हुए 9 वे द्विपक्षीय समझौते में सहभागी थे, को पेंशन विकल्प पुन: खोलने तथा उपदान सीमाओं में वृद्धि के कारण हुए व्यय का परिशोधन करने की विशेष छूट दी गई । इस मामले की अपवादात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन मदों से संबंधित अपरिशोधित व्यय को टीयर 1 पूंजी से नहीं घटाया जाएगा।

5. ऋण जोखिम के लिए पूंजी भार

5.1 सामान्य

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पात्र बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दिया गया रेटिंग अधिकांशतः ऋण जोखिम के मापन को आधार देगा। रिज़र्व बैंक ने ऐसी बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों को अभिनिर्धारित किया है जो संशोधित ढांचे के अधीन विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों की पूर्ति करती हैं। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, इन दिशा-निर्देशों में दी गई रूपरेखा के अनुसार पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भार निर्धारित करने हेतु चुनी गईं बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों पर निर्भर कर सकते हैं।

5.2 देशी सम्प्रभु (सोवरेन) संबंधी दावे

5.2.1 केंद्र सरकार संबंधी निधि आधारित तथा निधीतर आधारित, दोनों दावों पर शून्य जोखिम भार लागू होगा। केंद्र सरकार से गारंटीप्राप्त दावों पर शून्य जोखिम भार लागू होगा।
5.2.2 राज्य सरकारों को बैंकों द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष ऋण/ओवरड्राफ्ट एक्सपोज़र, यदि कोई हो तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश पर शून्य जोखिम भार लगेगा । राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावों पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा ।

5.2.3 केंद्र सरकार के एक्सपोज़र संबंधी दावों पर लागू जोखिम भार, भारतीय रिज़र्व बैंक, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम तथा माइक्रो तथा लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) तथा निम्न आय आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच)[6] संबंधी दावों पर भी लागू होगा। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) संबंधी दावों पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा।

5.2.4 सीधे दावों तथा गारंटी दावों दोनों के लिए उपर्युक्त जोखिम भार तब तक लागू होगा जब तक वे `मानक'/अर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत हैं। जहां ये सम्प्रभु एक्सपाज़र अनर्जक के रूप में वर्गीकृत होते हैं, वहां अनर्जक परिसंपत्तियों पर लागू जोखिम भार उन्हें लागू होगा, जिनके बारे में पैरा 5.12 में विस्तृत जानकारी दी गयी है।

5.2.5 "कृषि ऋण माफी योजना, 2008 के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्य राशि" नामक खाते में बकाया राशि भारत सरकार पर दावा मानी जाएगी और पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के लिए उस पर शून्य जोखिम भार लगेगा । तथापि, ऋण राहत योजना के अंतर्गत आनेवाले खातों की बकाया राशि उधारकर्ता पर दावा मानी जाएगी और मौजूदा मानदंडों के अनुसार उस पर जोखिम भार लगाया जाएगा ।

---

[6] कृपया निम्न आय आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) द्वारा गारंटीक अग्रिम- जोखिम भारिता और प्रावधान पर 16 अप्रैल 2013 का परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 90/ 21.04.048/2012-13 देखें।

5.3 विदेशी सम्प्रभु संबंधी दावे

5.3.1 विदेशी सम्प्रभु संबंधी दावों पर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों द्वारा उन सम्प्रभुओं/ सम्प्रभुओं के दावों को दिये गये रेटिंग[7] के अनुसार निम्नानुसार जोखिम भार लागू होगा :

सारणी 2 : विदेशी सम्प्रभु संबंधी दावे - जोखिम भार

एस एंड पी*/ फिच रेटिंग	AAA से AA	A	BBB	BB से B	B से नीचे	रेटिंग नहीं किया गया
मूडी का रेटिंग	Aaa से Aa	A	Baa	Ba से B	B से नीचे	रेटिंग नहीं किया गया
जोखिम भार (%)	0	20	50	100	150	100

* स्टैंडर्ड एंड पुअर

5.3.2 विदेशी सम्प्रभु की देशी मुद्रा में मूल्यवर्गित दावे, जिनकी पूर्ति उस सम्प्रभु के अधिकार क्षेत्र[8] में जुटाए गए उसी मुद्रा के संसाधनों से की गयी है, पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा ।

5.3.3 तथापि, यदि भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की बहियों के ऐसे दावों के संबंध में कोई मेज़बान (होस्ट) पर्यवेक्षक अधिक सतर्क व्यवहार चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए मेज़बान देश के पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को अपनाएं ।

5.4 सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं (पीएसई) संबंधी दावे

5.4.1 देशी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं संबंधी दावों पर उसी प्रकार जोखिम भार लगेगा जो कंपनियों संबंधी दावों पर लागू है।

[7] पेरिस स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा द्वारा यूएस ट्रेज़री बिल में निवेश पर दिया जानेवाला जेखिम भार, निधियन की मुद्रा चाहे कोई भी हो, ट्रेज़री बिल को दी गयी रेटिंग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि सारणी 2 में दर्शाया गया है ।

[8] उदाहरणार्थ : यदि भारतीय स्टेट बैंक, न्यूयॉर्क के अमरीकी डॉलर में मूल्यवर्गित संसाधनों में से निवेश का निधीयन हुआ हो तो न्यूयॉर्क स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा द्वारा अमरीकन खज़ाना बिलों में किए निवेश पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार लगेगा, चाहे दावे का रेटिंग कुछ भी क्यों न हो । यदि भारतीय स्टेट बैंक, न्यूयॉर्क के पास कोई अमरीकन डॉलर मूल्यवर्ग के संसाधन नहीं हैं तो उक्त जोखिम भार उक्त सारणी 2 में दर्शाए गए अनुसार खज़ाना बिलों को दिए गए रेटिंग से निश्चित किया जाएगा ।

5.4.2 विदेशी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं संबंधी दावों पर जोखिम भार अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दिए गए निर्धारण के अनुसार निम्नानुसार होगा :

सारणी 3 : विदेशी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं संबंधी दावे - जोखिम भार

एस एंड पी/ फिच रेटिंग	AAA से AA	A	BBB से BB	BB से नीचे	रेटिंग नहीं किया गया
मूडी का रेटिंग	Aaa से Aa	A	Baa से Ba	Ba से नीचे	रेटिंग नहीं किया गया
जोखिम भार (%)	20	50	100	150	100

5.5 बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी), अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) संबंधी दावे

बीआइएस, आइएमएफ संबंधी दावों तथा बीसीबीएस द्वारा मूल्यांकित निम्नलिखित पात्र बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) संबंधी दावों को न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं की पूर्ति करनेवाले अनुसूचित बैंकों संबंधी दावों जैसा ही समझा जाएगा और उनपर समान रूप से बीस प्रतिशत जोखिम भार लगेगा :

क) विश्व बैंक समूह : आइबीआरडी और आइएफसी

ख) एशियाई विकास बैंक

ग) आफ्रिकी विकास बैंक

घ) यूरोपीय बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट

ङ) इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक

च) यूरोपीय निवेश बैंक

छ) यूरोपीय निवेश निधि

ज) नॉर्डिक निवेश बैंक

झ) कैरिबियन विकास बैंक

ञ) इस्लामिक विकास बैंक और

त) काउन्सिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक

इसी प्रकार, रोग-प्रतिरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधा (आइएफएफआइएम) संबंधी दावों पर भी 20 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा।

5.6 बैंकों पर दावे

5.6.1 भारत में निगमित बैंकों तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं पर *उपर्युक्त पैरा 4.4.6 , पैरा 4.4.8 और पैरा 4.4.10 में उल्लिखित दावों, जिन्हें पूंजी से घटाया जाता है, को छोड़कर* अन्य दावों पर निम्नानुसार जोखिम भार लगाया जाएगा :

सारणी 4 : भारत में निगमित बैंकों तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं पर दावे

निवेशिती बैंक के सीआरएआर का स्तर (प्रतिशत में) (जहां उपलब्ध हो)	जोखिम प्रभार			
	सभी अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक तथा सहकारी बैंक)		सभी गैर-अनुसूचित बैंक (वाणिज्य,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक तथा सहकारी बैंक)	
	उपर्युक्त पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत सीमा के भीतर निवेश (प्रतिशत में)	सभी अन्य दावे (प्रतिशत में)	उपर्युक्त पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत सीमा के भीतर निवेश (प्रतिशत में)	सभी अन्य दावे (प्रतिशत में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
9 तथा उससे अधिक	100 प्रतिशत अथवा लिखत या काउंटर पार्टी की रेटिंग के अनुसार लगाया गया जोखिम भार , इनमें जो भी उच्चतर हो	20	100 प्रतिशत अथवा लिखत या काउंटर पार्टी की रेटिंग के अनुसार लगाया गया जोखिम भार , इनमें जो भी उच्चतर हो	100
6 से < 9	150	50	250	150
3 से < 6	250	100	350	250
0 से < 3	350	150	625	350
ऋणात्मक	625	625	पूरी कटौती*	625

* टीयर 1 और टीयर II पूंजी में से प्रत्येक में से 50% की दर से कटौती की जाए।

टिप्पणियां

i) उन बैंकों के मामले में जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोई पूंजी पर्याप्तता मानदंड निर्धारित नहीं किया है, उधारदाता /निवेशक बैंक निवेशिती बैंक से अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर वाणिज्य बैंकों को यथा लागू पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का उपयोग करके आनुमानिक आधार पर संबंधित सहकारी बैंक के सीआरएआर की गणना कर सकता है। यदि ऐसे आनुमानिक आधार पर सीआरएआर की गणना करना संभव नहीं हो तो निवेशक बैंक के संपूर्ण एक्सपोज़र पर निवेशक बैंक के जोखिम बोध के अनुसार, 350 अथवा 625 प्रतिशत का जोखिम भार एक समान रूप से लगाया जाए।

ii) उन बैंकों के मामले में जहां पूंजी पर्याप्तता मानदंड वर्तमान में लागू नहीं होते हैं वहां उनके पूंजी-पात्रता वाले लिखतों में निवेश का अभी प्रश्न नहीं उठेगा। तथापि, यदि वे भविष्य में ऐसे कोई पूंजी लिखत जारी करते हैं जिनमें निवेश करने के लिए अन्य बैंक पात्र है तो उपर्युक्त सारणी के स्तंभ 2 तथा 4 उन पर लागू होंगे।

5.6.2 विदेशी बैंकों संबंधी दावों पर जोखिम भार अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दिए गए रेटिंग के अनुसार निम्नानुसार होगा।

सारणी 5 : विदेशी बैंकों संबंधी दावे - जोखिम भार

एस एंड पी/ फिच रेटिंग	**AAA से AA**	**A**	**BBB**	**BB से B**	**B से नीचे**	**रेटिंग नहीं किया गया**
मूडी का रेटिंग	**Aaa से Aa**	**A**	**Baa**	**Ba से B**	**B से नीचे**	**रेटिंग नहीं किया गया**
जोखिम भार	20%	50%	50%	100%	150%	50%

विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं के एक्सपोज़र, जिसे विदेश स्थित प्रधान कार्यालय अथवा किसी अन्य देश में बैंक की शाखा द्वारा गारंटी/काउंटर-गारंटी दी गयी हो, मूल विदेशी बैंक पर दावे माने जाएंग्टं और उपर्युक्त सारणी 5 के अनुसार उनपर जोखिम भार लगेगा ।

5.6.3 तथापि, किसी बैंक के ऐसे दावे जो `देशी'[9] विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं और उसी अधिकार क्षेत्र में जुटाए गए उसी मुद्रा के संसाधनों से पूरे किए गए हैं, पर 20 प्रतिशत

---

[9] उदाहरणार्थ : भा. स्टे. बैंक की पैरिस स्थित शाखा का बीएनपी पारिबास पैरिस पर यूरो में मूल्यवर्गित किसी दावे पर, जिसका निधीयन भा. स्टे. बैंक, पैरिस की यूरो मूल्यवर्गित जमाराशि में से किया गया है, 20 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा, चाहे संबंधित दावे का रेटिंग कुछ भी क्यों न हो; बशर्ते बीएनपी पारिबास फ्रान्स के अपने विनियामक/पर्यवेक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीआरएआर का अनुपालन करता हो। यदि बीएनपी पारिबास न्यूनतम सीआरएआर का उल्लंघन करता है, तो उपर्युक्त सारणी 4 में दर्शाए गए अनुसार जोखिम भार होगा ।

जोखिम भार लगेगा बशर्ते संबंधित बैंक के विनियामक (कों) द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीआरएआर का वह बैंक पालन करता हो।

5.6.4 तथापि, यदि कोई मेज़बान पर्यवेक्षक भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की बहियों में ऐसे दावों के लिए अधिक सतर्क व्यवहार चाहता है तो बैंकों को चाहिए कि वे पूंजी पर्याप्तता के लिए मेज़बान पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को अपनाएं।

5.7 **प्राथमिक व्यापारियों संबंधी दावे**

प्राथमिक व्यापारियों संबंधी दावों पर उसी प्रकार जोखिम भार लगेगा जैसा कंपनियों संबंधी दावों पर लगता है।

5.8 **कंपनियों , आस्ति वित्त कंपनियों और गैर-बैंकिग वित्त कंपनियाँ- इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों संबंधी दावे**

5.8.1 कंपनियों[10] संबंधी दावों, जिनमें आस्ति वित्त कंपनियों और गैर-बैंकिग वित्त कंपनियाँ- इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियो[11] पर एक्सपोज़र पर जोखिम भार सेबी के पास पंजीकृत तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेन्सियों की ओर से दिए गए निर्धारण के अनुसार हागा। निम्नलिखित सारणी कंपनियों, आस्ति वित्त कंपनियों और गैर-बैंकिग वित्त कंपनियाँ- इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों संबंधी दावों पर लागू जोखिम भार दर्शाती है।

सारणी 6 : भाग क - कंपनियों संबंधी दीर्घावधि दावे - जोखिम भार

देशी रेटिंग एजेन्सियां	**AAA**	**AA**	**A**	**BBB**	**BB और उससे नीचे**	**रेटिंग न किए हुए**
जोखिम भार	20%	30%	50%	100%	150%	100%

[10] कंपनियों संबंधी दावों में सम्प्रभु', 'बैंक', 'विनियामक फुटकर', 'आवासीय बंधक, 'अनर्जक परिसंपत्तियां' जैसी इन दिशानिर्देशों में अलग से वर्णित विनिर्दिष्ट श्रेणियों के अधीन शामिल करने हेतु पात्र एक्स्पोज़र को छोड़कर सभी निधि आधारित और निधीतर आधारित एक्स्पोज़र शामिल हैं।

[11] 12 फरवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.74/21.06.001/2009-2010

सारणी 6 : भाग ख - कंपनियों संबंधी अल्पावधि दावे - जोखिम भार

केअर	**क्रिसिल**	**इंडिया रेटिंग एण्ड रिसर्च प्राइवेट लि.(इंडिया रेटिंग)**	**इकरा**	**ब्रिकवर्क**	**एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि(स्मेरा)**[12]	(%)
केयर ए1+	क्रिसिल ए1+	फिच ए1+	इकरा ए1+	ब्रिकवर्क ए1+	स्मेरा ए1+	20%
केयर ए1	ए1	फिच ए1	इकरा ए1	ब्रिकवर्क ए1	स्मेरा ए1	30%
केयर ए2	ए2	फिच ए2	इकरा ए2	ब्रिकवर्क ए2	स्मेरा ए2	50%
केयर ए3	ए3	फिच ए3	इकरा ए3	ब्रिकवर्क ए3	स्मेरा ए3	100%
केयर ए4 और डी	क्रिसिल ए4 और डी	फिच ए4 तथा डी	इकरा ए4 तथा डी	ब्रिकवर्क ए4 तथा डी	स्मेरा ए4 तथा डी	150%
रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग हीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	100%

टिप्पणियाँ : आस्ति वित्त कंपनियों पर किए गए दावों के संबंध में जोखिम भार आस्ति वित्त कंपनियों की ऋण रेटिंग के अनुसार जारी रहेगा, परंतु जिन दावों पर नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अंतर्गत 150 प्रतिशत का जोखिम भार लगता है, उसे घटाकर 100 प्रतिशत के स्तर पर लाया जाएगा ।

रेटिंग न की गई कंपनी संबंधी किसी दावे को ऐसा जोखिम भार न लगाया जाए जो उसके निगमन के देश को लगाये गए जोखिम भार से कम हो।

5.8.2 समग्र चूक के अनुभव के कारण जहां उच्चतर जोखिम भार अपेक्षित है वहां रेटिंग न किए गए दावों के लिए मानक जोखिम भार रिज़र्व बैंक बढ़ा सकता है। पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक इस पर भी विचार करेगा कि विभिन्न बैंकों द्वारा

---

[12] कृपया पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश– नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एनसीएएफ) – पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – एसएमई रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया लिमिटेड (एसएमईआरएए) पर 13 सितंबर 2012 का परिपत्र बैंपविवि.सं .बीसी .बीपी .41/21.06.009/2012-13 देखें।

रखे गए कंपनियों के रेटिंग न किए दावों की ऋण की गुणवत्ता के कारण मानक जोखिम भार 100 प्रतिशत से उच्चतर लगाया जाना चाहिए या नहीं।

5.8.3 ऐसी कंपनियों में, जिनका दायित्व या तो संबंधित बैंक द्वारा अकेले या अन्य बैंकरों/ऋणदाताओं के साथ मिलकर पुनर्रचित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है, छुपे अंतर्निहित जोखिम के उच्चतर घटक को दर्शाने की दृष्टि से इन कंपनियों के संबंध में रेटिंग न किए गए मानक /अर्जक दावों पर उच्चतर जोखिम भार लगाया जाना चाहिए। ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक कि संशोधित अनुसूची के अधीन ब्याज की पहली अदायगी/मूलधन देय हो जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए संशोधित भुगतान अनुसूची के अधीन संतोषजनक कार्यनिष्पादन नहीं होता । लागू जोखिम भार 125 प्रतिशत होगा।

5.8.4 अनिवासी कंपनियों संबंधी दावों पर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दिए गए रेटिंग के अनुसार निम्नानुसार जोखिम भार लगाया जाएगा।

सारणी 7 : अनिवासी कंपनियों संबंधी दावे - जोखिम भार

एस एंड पी/ फिच रेटिंग	AAA से AA	A	BBB से BB	BB से नीचे	रेटिंग नहीं किया गया
मूडी का रेटिंग	Aaa से Aa	A	Baa से Ba	Ba से नीचे	रेटिंग नहीं किया गया
जोखिम भार	20%	50%	100%	150%	100%

5.9 विनियामक फुटकर संविभागों में शामिल दावे

5.9.1 निम्न पैरा 5.9.3 में सूचीबद्ध सभी चार मानदंडों की पूर्ति करनेवाले दावों (निधि आधारित और निधीतर आधारित दोनों सहित) को विनियामक पूंजी प्रयोजनों के लिए फुटकर दावों के रूप में माना जाए और किसी विनियामक फुटकर संविभाग में शामिल किया जाए । इस संविभाग में शामिल दावों पर 75% जोखिम भार लगाया जाए । इसमें अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए, निम्न पैरा 5.12 में दिये गये दावों को शामिल न किया जाए ।

5.9.2 निम्नलिखित निधि आधारित और निधीतर आधारित दोनों दावों को विनियामक फुटकर संविभाग से बाहर रखा जाएगा :

(क) प्रतिभूतियों में (जैसे बांडों और ईक्विटी में) निवेशों के ज़रिए एक्सपोज़र, चाहे सूचीबद्ध हो या न हो;

(ख) उस सीमा तक बंधक ऋण, जिस सीमा तक वे आवासीय संपत्ति[13] से प्रतिभूत दावों अथवा वाणिज्य स्थावर संपदा[14] द्वारा प्रतिभूत दावों के रूप में समझे जाने के लिए पात्र हैं;

(ग) बैंक के अपने स्टाफ के लिए दिए गए ऋण और अग्रिम जो सेवानिवृत्ति के लाभों और/या फ्लैट/मकान के बंधक द्वारा पूरी तरह सुरक्षित हैं ।

(घ) वैयक्तिक ऋणों और क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियों सहित उपभोक्ता ऋण

(ङ.) पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र

(च) उद्यम पूंजी निधि

5.9.3 पात्रता मानदंड

(i) *अभिमुखता मानदंड* - एक्सपोज़र एकल व्यक्ति या व्यक्तियों को अथवा किसी छोटे कारोबार को एक्सपोज़र (निधि आधारित और निधीतर आधारित)है : इस वाक्यांश के अंतर्गत उल्लिखित व्यक्ति ऐसा विधिक व्यक्ति होगा जो संविदा करने के लिए सक्षम होगा और इसमें एकल व्यक्ति, हिंदू अविभक्त परिवार, भागीदारी फर्म, न्यास, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, सहकारी समितियां आदि शामिल होंगी, परंतु वह केवल इन तक ही सीमित नहीं होगा। छोटा कारोबार वह है जिसका कुल औसत वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से कम है। टर्नओवर मानदंड मौजूदा कंपनियों के मामले में पिछले तीन वर्ष के औसत के साथ, नई कंपनियों के मामले में अनुमानित टर्नओवर के साथ और जिन्होंने अब तक तीन वर्ष पूरे नहीं किए हैं, ऐसी कंपनियों के लिए वास्तविक और अनुमानित दोनों टर्नओवर के साथ संबद्ध होगा ।

(ii) *उत्पाद मानदंड* - एक्सपोज़र (निधि आधारित और निधीतर आधारित दोनों) निम्नलिखित में से किसी एक रूप का होता है : परिक्रामी ऋण और स्वीकृत अधिकतम ऋण सहायता (ओवरड्राफ्ट सहित), मीयादी ऋण और पट्टा (अर्थात् किस्त ऋण और पट्टा, छात्र ऋण तथा शैक्षिक ऋण) और छोटे कारोबार की सुविधाएं और प्रतिबद्धताएं ।

---

[13] आवासीय संपत्ति से प्रतिभूत दावों के रूप में समझे जाने हेतु पात्र बंधक ऋण को पैरा 5.10 में परिभाषित किया गया है।

[14] पैरा 5.11.1 में यथा परिभाषित ।

(iii) *विविधीकरण मानदंड* - बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विनियामक फुटकर संविभाग का पर्याप्त रूप से इस स्तर तक विविधीकरण किया गया है कि संविभाग का जोखिम कम हो गया है और 75% का जोखिम भार उपयुक्त है। इसे हासिल करने का एक मार्ग यह है कि एक प्रतिपक्ष को सकल एक्सपोज़र समग्र विनियामक फुटकर संविभाग के 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। `**सकल एक्सपोज़र**' से तात्पर्य है तीन अन्य मानदंडों को अलग-अलग रूप से पूरा करनेवाले सभी प्रकार के ऋण एक्सपोज़रों (अर्थात् ऋण और प्रतिबद्धताएं) की कुल राशि (अर्थात् ऋण जोखिम कम करने के किसी परिणाम को हिसाब में न लेते हुए)। इसके अतिरिक्त `एक प्रतिपक्ष' का अर्थ है एक अथवा अनेक कंपनियां जो एकल लाभार्थी (उदाहरण के लिए, किसी छोटे कारोबार के मामले में जो अन्य छोटे कारोबार से संबद्ध है, बैंक के दोनों कारोबारों के सकल एक्सपोज़र पर संबंधित सीमा लागू होगी) के रूप में समझी जाती हैं। बैंक सकल एक्सपोज़र की गणना के लिए समूह एक्सपोज़र की संकल्पना का समुचित उपयोग कर सकते हैं। उन्हें इस मानदंड का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां विकसित करनी चाहिए। जोखिम भार लगाने के प्रयोजन के लिए विविधीकरण मानदंड का मूल्यांकन करते समय समग्र विनियामक फुटकर संविभाग से फुटकर ऋणों के अंतर्गत आनेवाली अनर्जक परिसंपत्तियों को बाहर रखा जाना चाहिए ।

(iv) *अलग-अलग एक्सपोज़रों का निम्न मूल्य* - एक प्रतिपक्ष को दिया गया अधिकतम सकल फुटकर एक्सपोज़र 5 करोड़ रुपये की कुल प्रारंभिक सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए ।

5.9.4 कुल प्रारंभिक सीमा के अनुपालन का पता लगाने के प्रयोजन के लिए सभी प्रकार के तुलन पत्रेतर एक्सपोज़रों सहित, निधि आधारित और निधीतर आधारित सभी सुविधाओं के लिए एक्सपोज़र का अर्थ होगा मंजूर सीमा या वास्तविक बकाया राशि, इनमें से जो भी अधिक हो । मीयादी ऋणों और ईएमआइ आधारित सुविधाओं के मामले में, जहां मंजूर राशियों के किसी हिस्से के पुनः आहरण की गुंजाइश नहीं है वहां एक्सपोज़र से तात्पर्य होगा वास्तविक बकाया।

5.9.5 इन एक्सपोज़रों के लिए चूक के अनुभव के संदर्भ में रिज़र्व बैंक फुटकर संविभाग को दिए जोखिम भार का आवधिक अंतराल पर मूल्यांकन करेगा। पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक इसपर भी विचार करेगा कि अलग-अलग बैंकों द्वारा रखे गए विनियामक फुटकर दावों की ऋण गुणवत्ता को 75% से उच्चतर मानक जोखिम भार की आवश्यकता होनी चाहिए या नहीं ।

5.10 **आवासीय संपत्ति से प्रतिभूत दावे**

5.10.1 ऐसी आवासीय संपत्ति जो उधारकर्ता के कब्जे में है या होगी या जो किराये पर दी है, के बंधक द्‌वारा पूर्णतः प्रतिभूत, आवासीय संपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से अलग-अलग व्यक्तियों को दिए गए ऋण पर बोर्ड द्‌वारा अनुमोदित मूल्यांकन नीति के आधार पर नीचे दी गयी सारणी 7ए के अनुसार जोखिम भार लगाया जाएगा। एलटीवी अनुपात की गणना भाज्य में खाते की कुल बकाया राशि (अर्थात् मूल धन + उपचित ब्याज + ऋण संबंधी अन्य प्रभार जिसमें से कुछ भी घटाया न हो) और भाजक में संबंधित बैंक को बंधक दी हुई आवासीय संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य को रखकर प्रतिशत के रूप में की जानी चाहिए ।

सारणी 7 क - आवासीय संपत्ति द्‌वारा प्रतिभूत दावे - जोखिम भार

ऋण की श्रेणी	**एलटीवी अनुपात[15] (%)**	**जोखिम भार (%)**
(क) वैयक्तिक आवास ऋण		
(i)20 लाख रुपये तक	90	50
(ii)20 लाख रुपये से अधिक और 75 लाख रुपये तक	80	50
(iii)75 लाख रुपये से अधिक	75	75
(ख) सीआरईआरएच-	लागू नहीं	75
(ग) सीआरई	लागू नहीं	75

टिप्पणी:

1 - ऋण मंजूरी के सभी नये मामलों में एलटीवी अनुपात निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से वर्तमान में एलटीवी अनुपात निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक है तो इसे सीमा के भीतर लाने के प्रयास किये जाने चाहिए।

2 - 'एक्सपोजर का वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर के रूप में वर्गीकरण पर दिशानिर्देश' पर 9 सितंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 42/08.12.015/2009-10 के परिशिष्ट 2 के पैरा 2 में इंगित किये गये के अनुसार किसी व्यक्ति को तीसरी रिहाइशी इकाई से बैंकों के एक्सपोजर को भी सीआरई एक्सपोजर माना जाएगा।

[15] कृपया आवास क्षेत्र : सीआरई के अंतर्गत नया उप-क्षेत्र सीआरई (रिहाइशी आवास) और प्रावधान, जोखिम भार तथा एलटीवी अनुपातों को युक्तिसंगत बनाना 21 जून 2013 का परिपत्र बैंपविवि .सं .बीसी .बीपी .104/08.12.015/2012-13 देखें।

5.10.2 आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत अन्य सभी दावों पर प्रतिपक्षी को अथवा जिस प्रयोजन के लिए बैंक ने वित्त प्रदान किया है उसे लागू जोखिम भार में से उच्चतर जोखिम भार लगेगा।

5.10.3 पुनर्रचित आवास ऋण पर ऊपर निर्धारित जोखिम भार पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त जोखिम भार लगाया जाना चाहिए ।

5.10.4 आगे ऋण देने हेतु मध्यस्थ कंपनियों को दिये गये ऋण/एक्सपोज़र आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावों के अंतर्गत शामिल किये जाने के लिए पात्र नहीं होंगे परंतु वे कंपनियों संबंधी दावों के रूप में या विनियामक फुटकर संविभाग में शामिल दावों के रूप में, जो भी लागू हो, माने जाएंगे ।

5.10.5 उपर्युक्त पैरा 5.10.1 में दर्शाए गए एक्सपोज़रों द्वारा समर्थित बंधक आधारित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में किये गये निवेश प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र संबंधी दिशानिर्देशों से नियंत्रित होंगे (देखें निम्न पैरा 5.16)।

5.11 **वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर के रूप में वर्गीकृत दावे**

5.11.1 वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर को 9 सितंबर 2009 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 42/08.12.015/2009-10 द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित किया गया है।

5.11.2 सारणी 7 क में दर्शाए गए अनुसार ऊपर उल्लिखित दावों पर 100 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा ।

5.11.3 चूंकि समग्र सीआरई क्षेत्र की तुलना में वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र (सीआरई) के अंतर्गत रिहाइशी आवास परियोजनाओं को दिये गये ऋणों में कम जोखिम और उतारचढ़ाव- देखा जाता है, यह निर्णय लिया गया है कि सीआरई क्षेत्र से वाणिज्यिक स्थावर संपदा ॐ रिहाइशी आवास (सीआरईआरएच -क्षेत्र बनाया जाए। सीआरई-नामक एक पृथक उप (आरएच- में सीआरई सेगमेंट के अंतर्गत रिहाइशी आवास परियोजनाओं के लिए भवन निर्माताओंडेवलपर्स/ को दिये गये ऋण (को छोड़कर आंतरिक उपभोग के लिए दिए गए ऋण) शामिल रहेंगे। ऐसी परियोजनाओं में आम तौर पर गैररिहाइशी वाणि-ज्यिक स्थावर संपदा नहीं होगी। तथापि, ऐसी एकीकृत आवासीय परियोजनाएं जिनमें कुछ वाणिज्यिक स्थान जैसे) शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, विद्यालय, इत्यादिआरएच के अंतर्गत- भी सीआरईशामिल हों उन्हें (वर्गीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि रिहाइशी आवासीय परियोजना में वाणिज्यिक स्थान परियोजना के कुल फ्लोर स्पेस इंडेक्स के (एफएसआई)10 प्रतिशत से अधिक न हो। यदि मुख्यतया रिहाइशी आवास संकुल में वाणिज्यिक क्षेत्र का एफएसआई 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक है, तो परियोजना ऋणों को सीआरई के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए न कि सीआरईआ-रएच के रूप में।

5.11.4 सारणी 7 क में दर्शाए गए अनुसार सीआरई आरएच दावों पर 100 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा ।

5.11.5 उपर्युक्त पैरा 5.11.1 में दिये गये अनुसार एक्सपोज़रों द्वारा समर्थित बंधक आधारित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में किये गये निवेश प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़रों संबंधी दिशानिर्देशों से नियंत्रित होंगे । देखें निम्न पैरा 5.16 ।

5.12 **अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए)**

5.12.1 अनर्जक परिसंपत्ति (पैरा 5.12.6 में उल्लिखित पात्र आवासीय बंधक ऋण को छोड़कर) के <u>बेज़मानती हिस्से</u> पर, <u>विनिर्दिष्ट प्रावधानों</u> (आंशिक राइट-ऑफ सहित)<u>को घटाकर</u>, निम्नानुसार जोखिम भार लगेगा :

(i) जब विनिर्दिष्ट प्रावधान एनपीए की बकाया राशि के 20% से कम है तब 150% जोखिम भार;

(ii) जब विनिर्दिष्ट प्रावधान एनपीए की बकाया राशि के कम-से-कम 20% है तब 100% जोखिम भार;

(iii) जब विनिर्दिष्ट प्रावधान एनपीए की बकाया राशि के कम-से-कम 50% है तब 50% जोखिम भार;

5.12.2 जोखिम भार निर्धारित करने हेतु अनर्जक परिसंपत्तियों में विनिर्दिष्ट प्रावधान के स्तर की गणना के लिए किसी एकल प्रतिपक्षी का सारा निधीकृत एनपीए एक्सपोज़र (पात्र सम्पाश्दिवक का मूल्य घटाए बिना) भाजक में लिया जाए ।

5.12.3 अनर्जक परिसंपत्ति के प्रतिभूति समर्थित भाग को परिभाषित करने के प्रयोजन के लिए पात्र संपार्श्विक वही होगा जिसे ऋण जोखिम को कम करने के प्रयोजन के लिए मान्यता दी गयी है (पैराग्राफ 7.3.5)। अतः पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए अनर्जक परिसंपत्ति के प्रतिभूति समर्थित भाग की गणना करते समय संपार्श्विक के अन्य प्रकार जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीन, वर्तमान परिसंपत्तियां आदि को ध्यान में नहीं लिया जाएगा ।

5.12.4 उपर्युक्त के अलावा, जहां कोई अनर्जक परिसंपत्ति निम्नलिखित प्रकार के सम्पाश्दिवक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है, जिन्हें ऋण जोखिम को कम करने के प्रयोजनों के लिए स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य पात्र संपार्श्विक के साथ मान्यता नहीं दी गयी है, वहां बकाया राशि के 15 प्रतिशत प्रावधान होने पर विशिष्ट प्रावधानों को घटाकर 100 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा :

(i) भूमि तथा भवन जिनका विशेषज्ञ मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन किया गया है तथा मूल्यांकन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं है, तथा

(ii) अच्छी स्थिति में संयंत्र तथा मशीन जिनका मूल्य उधारकर्ता के लेखा-परीक्षित तुलनपत्र जो अठारह महीनों से अधिक पुरानी नहीं है, में दिखाए गए मूल्यहासित मूल्य से अधिक नहीं है।

5.12.5 उपर्युक्त संपाश्दिवकों को (पैराग्राफ 5.12.4 में उल्लिखित) केवल वहां मान्यता होगी जहां उसकी बिक्री से प्राप्त राशि लेने के लिए बैंक के पास स्पष्ट हक है तथा उस राशि का वे बैंक को देय राशियों की वसूली के लिए विनियोग कर सकते हैं। संपार्श्विक के प्रति बैंक के हक का यथोचित प्रलेखन होना चाहिए । मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत और कहीं भी संपाश्दिवकों के इन प्रकारों को मान्यता नहीं दी गई है ।

5.12.6 पैराग्राफ 5.10.1 में यथापरिभाषित आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूति समर्थित दावे, जो अनर्जक परिसंपत्ति है, को विशिष्ट प्रावधानों को घटाकर 100% पर जोखिम भारित किया जाएगा । यदि ऐसे ऋणों में विशिष्ट प्रावधान बकाया राशि के कम-से -कम 20 प्रतिशत है लेकिन 50% से कम हैं, तो विशिष्ट प्रावधानों को घटाकर ऋण पर लागू जोखिम भार 75 प्रतिशत होगा । यदि विशिष्ट प्रावधान 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है तो लागू जोखिम भार 50 प्रतिशत होगा ।

5.13 <u>विनिर्दिष्ट श्रेणियां</u>

5.13.1 उद्यम पूंजी निधियां, जिन्हें उच्च जोखिम एक्स्पोज़र समझा जाता है, पर निधि आधारित तथा निधीतर आधारित दावों पर 150 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार लागू होगा ।

5.13.2 रिज़र्व बैंक यथासमय उच्च जोखिम एक्सपोज़र के रूप में निर्धारित किसी अन्य दावे में उच्चतर जोखिम को देखते हुए 150 प्रतिशत अथवा उच्चतर जोखिम भार लागू करने का निर्णय ले सकता है ।

5.13.3 व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियों सहित लेकिन शैक्षिक ऋण रहित उपभोक्ता ऋण पर 125 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार अथवा काउंटर पार्टी के बाहरी रेटिंग (अथवा उसका अभाव) के कारण अपेक्षित उच्चतर जोखिम भार (125 प्रतिशत से अधिक) लागू होगा। चूंकि सोना और स्वर्ण आभूषण पात्र वित्तीय संपार्श्विक हैं, सोना और स्वर्ण आभूषण द्वारा सुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के मामले में काउंटर पार्टी एक्सपोज़र की गणना पैरा 7.3.4 के अनुसार परिपूर्ण दृष्टिकोण के अंतर्गत की जाएगी । `जोखिम कम करने के बाद एक्सपोज़र मूल्य' पर 125 प्रतिशत का जोखिम भार लगेगा ।

5.13.4 `पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र' पर 125 प्रतिशत का जोखिम भार अथवा काउंटर पार्टी के बाहरी रेटिंग (अथवा उसका अभाव) के कारण अपेक्षित जोखिम भार इनमें **जो भी उच्चतर हो** लागू होगा ।

5.13.5 आस्ति वित्त कंपनियों और एनबीएफसी-आइएफसी को छोड़कर "जमा स्वीकार नहीं करनेवाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ)" पर दावे पर 100 प्रतिशत का समरूप जोखिम भार लगेगा, चाहे दावे की राशि कुछ भी हो तथा कंपनी की रेटिंग की गयी हो अथवा नहीं की गयी हो ।(आवास वित्त कंपनियों और एनबीएफसी-आइएफसी[16] पर दावे के जोखिम भार के लिए पैरा 5.8.1 देखें) ।

5.13.6 गैर-वित्तीय संस्थाओं की प्रदत्त इक्विटी में सभी निवेश जिन्हें बैंक के साथ पूंजी प्रयोजन के लिए समेकित नहीं किया गया है को 125 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा।

5.13.7 वित्तीय संस्थाओं (बैंकों को छोड़कर, जिनके संबंध में पैरा 5.6 में चर्चा की गयी है)जिन्हें बैंक के साथ पूंजी प्रयोजनों के लिए समेकित नहीं किया गया है की प्रदत्त इक्विटी में सभी निवेशों पर, यदि निवेश निवेशिती संस्था की ईक्विटी के 30 प्रतिशत तक है तो उस पर 125 प्रतिशत जोखिम भार अथवा काउंटर पार्टी की बाहरी रेटिंग (अथवा उसका अभाव) के कारण अपेक्षित जोखिम भार, इनमें से जो भी अधिक है, लागू होगा। ऐसी वित्तीय संस्थाओं की प्रदत्त इक्विटी में निवेश पर ,जिन्हें `पूंजी बाजार एक्सपोज़र' मानदंडों से विनिर्दिष्ट रूप से छूट दी गयी है, पर भी 125 प्रतिशत जोखिम भार (अर्थात सकल ईक्विटी स्थिति पर लागू पूंजी प्रभार का 11.25 प्रतिशत) अथवा काउंटर पार्टी की बाहरी रेटिंग (अथवा उसके अभाव) पर यथालागू जोखिम भार, इनमें से जो भी अधिक हो, लागू होगा।

5.13.8 अन्य बैंकों के ईक्विटी से इतर पूंजी हेतु पात्र लिखतों में बैंकों के निवेश पर पैरा 5.6.1 के अनुसार जोखिम भार लगाया जाना चाहिए।

5.14 <u>अन्य परिसंपत्तियां</u>

5.14.1 बैंक के अपने स्टाफ को ऋण तथा अग्रिम जो अधिवर्षिता लाभों तथा/अथवा फ्लैट/ मकान के बंधक द्वारा पूर्णतः समर्थित हैं पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा। चूंकि फ्लैट/मकान पात्र संपार्श्विक नहीं है और चूंकि बैंक सामान्यतः केवल सेवा की समाप्ति के समय अधिवर्षिता लाभों का समायोजन करके देयताओं की वसूली करते हैं, इसलिए बकाया राशि का कोई भी समायोजन किए बिना रियायती जोखिम भार लागू किया जाएगा । यदि

[16] 12 फरवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.74/21.06.001/2009-2010

स्टाफ सदस्य से देय राशियों के संबंध में बैंक के पास कोई पात्र संपार्श्विक है तो उस स्टाफ सदस्य की बकाया राशि को, नीचे पैराग्राफ 7 में दर्शाए गए अनुसार अनुमत सीमा तक समायोजित किया जाए।

5.14.2 बैंक के अपने स्टाफ को दिए गए अन्य ऋण तथा अग्रिम विनियामक खुदरा संविभाग के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र होंगे और इसलिए उन पर 75 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा ।

5.14.3 बैंकों द्वारा केंद्रीय काउंटर पार्टियों के पास रखी गयी जमाराशियों पर केंद्रीय काउंटर पार्टियों के स्वरूप के अनुसार उपयुक्त जोखिम भार लगेगा । भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआइएल) के मामले में जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा और अन्य केंद्रीय काउंटरपार्टियों के मामले में उन संस्थाओं को दी गयी रेटिंग के अनुसार होगा ।

5.14.4 अन्य सभी परिसंपत्तियों पर एक समान 100% जोखिम भार लागू होगा ।

5.15 तुलनपत्रेतर मदें

5.15.1 <u>सामान्य</u>

i) कुल जोखिम भारित तुलनपत्रेतर ऋण एक्सपोजर की गणना बाज़ार संबद्ध तथा गैर-बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदों के जोड़ के रूप में की जाती है। किसी तुलनपत्रेतर मद जिससे ऋण एक्सपोज़र होता है की जोखिम भारित राशि की गणना सामान्यतः द्वि-स्तरीय प्रक्रिया द्वारा की जाती है :

(क) लेनदेन की परिकल्पित (नोशनल) राशि को विशिष्ट ऋण परिवर्तन गुणक द्वारा गुणा करके अथवा वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति को लागू करके ऋण समतुल्य राशि में परिवर्तित किया जाता है, तथा

(ख) प्राप्त ऋण समतुल्य राशि को काउंटर पार्टी पर लागू अथवा जिस प्रयोजन से बैंक ने वित्त दिया है, उस पर लागू अथवा परिसंपत्ति के प्रकार पर लागू, इनमें से जो भी अधिक हो, जोखिम भार द्वारा गुणा किया जाता है।

ii) जहां तुलनपत्रेतर मद, पात्र संपार्श्विक अथवा गारंटी द्वारा समर्थित है वहां पैराग्राफ 7 में वर्णित ऋण जोखिम को कम करने संबंधी दिशानिर्देश लागू किए जाए ।

5.15.2 <u>गैर-बाजार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदें</u>

i) गैर-बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मद, जैसे प्रत्यक्ष ऋण स्थानापन्न व्यापार तथा कार्य निष्पादन से संबंधित आकस्मिक मदें तथा कुछ ड्रॉडाऊन के साथ प्रतिबद्धताएं, अन्य प्रतिबद्धताएं आदि के संबंध में ऋण समतुल्य राशि, उस विशिष्ट लेनदेन की संविदाकृत राशि का संबंधित ऋण परिवर्तन गुणक (सीसीएफ) के साथ गुणा करके निर्धारित की जाएगी ।

ii) जहां गैर-बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मद एक अनाहरित अथवा आंशिक रूप से अनाहरित निधि आधारित सुविधा[17] है, वहां तुलनपत्रेतर गैर-बाज़ार संबद्ध ऋण एक्सपोज़र की गणना करने में शामिल की जानेवाली अनाहरित प्रतिबद्धता की राशि उक्त प्रतिबद्धता का ऐसा अधिकतम अप्रयुक्त हिस्सा है जो परिपक्वता की शेष अवधि के दौरान आहरित किया जा सकता है। किसी प्रतिबद्धता का कोई भी आहरित हिस्सा बैंक के तुलन पत्र के ऋण एक्सपोज़र का भाग होता है।

iii) तुलनपत्रेतर सुविधाएं प्रदान करने की अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धताओं के मामले में मूल परिपक्वता की गणना प्रतिबद्धता के प्रारंभ से संबद्ध सुविधा समाप्त होने के समय तक की जाएगी। उदाहरण के लिए, 6 माह के प्रलेखी साख पत्र जारी करने हेतु 12 महीने की मूल परिपक्वतावाली अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता को 18 महीने की मूल परिपक्वता वाली प्रतिबद्धता समझा जाता है। तुलनपत्रेतर सुविधाएं प्रदान करने की अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धताओं पर लागू होनेवाले दो ऋण परिवर्तन गुणकों (सीसीएफ) में से निम्नतर सीसीएफ लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 15 महीनों की मूल परिपक्वता वाली अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता (50 प्रतिशत-सीसीएफ) पर छः महीने के प्रलेखी साख पत्र (20 प्रतिशत-सीसीएफ) जारी करने के लिए निम्नतर सीसीएफ अर्थात् प्रलेखी साख पत्र पर लागू सीसीएफ अर्थात् 20 प्रतिशत लागू होगा ।

iv) गैर-बाज़ार से संबद्ध तुलनपत्रेतर लेनदेन के लिए ऋण परिवर्तन गुणक निम्नानुसार हैः

---

[17] उदाहरण के लिए (क) 100 लाख रु.की नकद ऋण सुविधा (जो बिना शर्त निरस्त नहीं की जा सकती है) के मामले में जहा आहरित हिस्सा 60 लाख रुपए है, 40 लाख रुपए के अनाहरित हिस्से पर 20 प्रतिशत का सीसीएफ लागू होगा (चूंकि ऋण सुविधा सामान्यतः वर्ष में एक बार समीक्षा/नवीकरण के अधीन होती है) 8 लाख रुपयों (40 लाख रु.का 20 प्रतिशत) की ऋण समतुल्य राशि पर अनाहरित हिस्से के लिए जोखिम भारित परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए काउंटरपार्टी/रेटिंग को लागू उचित जोखिम भार लगाया जाएगा । अनाहरित हिस्से (60 लाख रु) पर काउंटरपार्टी/रेटिंग को लागू जोखिम भार लगेगा ।

(ख) एक बड़ी परियोजना के लिए 700 करोड़ रु.का मीयादी ऋण मंजूर किया गया है जिसे तीन वर्ष की अवधि के दौरान क्रमिक रूप से उपयोग में लाया जा सकता है । मंजूरी की शर्तें तीन स्तरों में आहरण करने की अनुमति देती हैं - पहले स्तर में 150 करोड रुपए, दूसरे में 200 करोड़ रुपए तथा तीसरे में 350 करोड़ रुपए। उधारकर्ता को स्तर II तथा III के अंतर्गत आहरण के लिए कुछ औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद, बैंक का स्पष्ट अनुमोदन आवश्यक है । यदि उधारकर्ता ने स्तर I के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए आहरित किए हैं, तो केवल स्तर I के संदर्भ में अनाहरित हिस्से की गणना की जाएगी । अर्थात् वह होगी 100 करोड़ रुपए। यदि स्तर I एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना निर्धारित है तो सीसीएफ 20 प्रतिशत होगा तथा यदि वह एक वर्ष से अधिक है तो लागू सीसीएफ 50 प्रतिशत होगा ।

सारणी 8 : ऋण परिवर्तन गुणक - गैर-बाजार आधारित तुलनपत्रेतर मदें

क्र. सं.	लिखत	ऋण परिवर्तन गुणक (प्रतिशत में)
1.	प्रत्यक्ष ऋण स्थानापन्न, उदाहरण के लिए ऋणग्रस्तता की सामान्य गारंटियां (जिनमें ऋण तथा प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय गारंटियों के रूप में कार्य करनेवाले उद्यत (स्टैंड बाय) साख पत्र, ऋण प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए नकदी सुविधाएं शामिल हैं) तथा स्वीकृतियां (जिनमें स्वीकृति के स्वरूप के बेचान शामिल हैं)। (अर्थात् हानि का जोखिम, काउंटर पार्टी अथवा जिस पार्टी के विरुद्ध संभाव्य दावा प्राप्त किया है, उस की ऋण पात्रता पर निर्भर है।)	100
2.	कुछ लेनदेन से संबंधित आकस्मिक मदें (उदाहरणार्थ, निष्पादन बाण्ड, बिड बाण्ड, वारंटी, इंडेम्निटी तथा किसी खास लेनदेन से संबंधित उद्यत साख पत्र)	50
3.	जारीकर्ता बैंक तथा पुष्टि करने वाला बैंक दोनों के लिए वस्तुओं की आवाजाही (उदाहरणार्थ, अंडरलाइंग शिपमेंट द्वारा संपार्श्विकृत प्रलेखी साख/ऋण) से पैदा होनेवाले अल्पावधि स्व-परिसमापक व्यापार पत्र	20
4.	विक्रय तथा पुनः क्रय करार तथा आश्रय (रिकोर्स) सहित परिसंपत्ति बिक्री जहां ऋण जोखिम बैंक के पास रहता है । (इन मदों को परिसंपत्ति के प्रकार के अनुसार जोखिम भारित किया जाना है न कि जिस प्रकार की काउंटर पार्टी के साथ यह लेनदेन किया गया है उसके अनुसार)	100
5.	वायदा परिसंपत्ति खरीद, वायदा जमाराशियां तथा अंशतः प्रदत्त शेयर तथा प्रतिभूतियां जो कुछ ड्रॉडाउन सहित प्रतिबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं । *(इन मदों को परिसंपत्ति के प्रकार के अनुसार जोखिम भारित किया जाना है न कि जिस प्रकार की काउंटर पार्टी के साथ यह लेनदेन किया गया है उसके अनुसार)	100
6.	बैंकों द्वारा बैंक की प्रतिभूतियां उधार देना अथवा प्रतिभूतियों	100

	को संपार्श्विक के रूप में दर्ज करना जिनमें ऐसे उदाहरण भी शामिल हैं जहां ये रिपो स्वरूप के लेनदेनों (अर्थात् पुनर्खरीद/प्रति पुनर्खरीद तथा प्रतिभूति उधार देने/प्रतिभूति उधार लेने के लेनदेन) के कारण होते हैं ।	
7.	नोट निर्गमन सुविधा तथा परिक्रामी / **गैर-परिक्रामी** हामीदारी सुविधाएं	50
8.	कुछ ड्रॉडाउन सहित प्रतिबद्धताएं	100
9.	निम्नलिखित अवधि की मूल परिपक्वता वाली अन्य प्रतिबद्धताएं (उदाहरणार्थ, औपचारिक उद्यत सुविधाएं तथा ऋण व्यवस्था) क) एक वर्ष तक ख) एक वर्ष से अधिक इसी तरह की प्रतिबद्धताएं जो बैंक द्वारा किसी भी समय बिना कोई पूर्व सूचना के बिना शर्त निरस्त की जा सकती हैं अथवा जिनके संबंध में उधारकर्ता की ऋण पात्रता में कमी आ जाने के कारण स्वतः निरस्त होने का प्रावधान है ।	20 50 0
10.	अधिग्रहण करनेवाली संस्था की बहियों में अंतरण (टेक-आउट) वित्तपोषण	
	i) बिना शर्त अंतरण वित्तपोषण	100
	ii) सशर्त अंतरण वित्तपोषण	50

v) बाज़ार से संबंध न रखनेवाले तुलनपत्रेतर मदों के संबंध में, बैंकेतर काउंटरपार्टियों के साथ किए गए निम्नलिखित लेनदेन को बैंकों पर दावा माना जाएगा :

- अन्य बैंकों की काउंटर गारंटियों की जमानत पर बैंकों द्वारा जारी गारंटियां।
- अन्य बैंकों द्वारा भुनाए गये प्रलेखी बिलों की पुनर्भुनाई तथा बैंकों द्वारा भुनाए गए बिल, जिन्हें किसी अन्य बैंक ने स्वीकार किया है, को बैंक पर निधिक दावा समझा जाएगा।

उपर्युक्त सभी मामलों में बैंक को इस बात से पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए कि जोखिम एक्सपोज़र वास्तव में दूसरे बैंक पर है। यदि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि जोखिम एक्सपोज़र दूसरे बैंक पर है तो वे इन एक्सपोज़रों पर पैराग्राफ 5.6 में वर्णित किए गए अनुसार बैंकों पर लागू जोखिम भार निर्धारित कर सकते हैं।

vi) बैंकों द्वारा म्यूचुअल फंडों तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से विभिन्न स्टॉक एक्स्चेंज को जारी की गई अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धता ऐसी वित्तीय गारंटी है जिसका ऋण

परिवर्तन गुणक 100 है। तथापि केवल पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में गिने जानेवाले एक्सपोजर अर्थात राशि के 50 प्रतिशत पर पूंजी बनाई रखनी होगी क्योंकि ऐसा माना जाता कि शेष एक्सपोजर नकद राशि / प्रतिभूतियों द्वारा रक्षित है और इन्हें बासेल II के अनुसार जोखिम कम करने वाले तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः पूंजी बाजार एक्सपोजर के लिए ली गयी राशि पर पूंजी बनाए रखनी है और उसपर 125 प्रतिशत जोखिम भार होगा

vii) बैंक गारंटी के वर्गीकरण [18]के लिए जैसे डायरेक्ट क्रेडिट सबस्टीट्यूटस् तथा लेने देन से संबंधित आकस्मिक मदें आदि (सारणी 8 की क्रम सं 1 और 2) सीसीएफ के आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित त्तवों को ध्यान में रखा जाना चाहिए;

(क) बैंकों द्वारा जारी की गई गारंटी पर सीसीएफ लागू करने में व्यापक अनियमितताएं देखी गई हैं । चूंकि गलत सीसीएफ लागू करने का सीधा असर पूंजी पर्याप्तता पर पड़ सकता है, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सीसीएफ लागू करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखें:

(ख) वित्तीय गारंटियां ऐसे प्रत्यक्ष ऋण स्थानापन्न (क्रेडिट सब्स्टीट्यूट) हैं जिनमें कोई बैंक किसी संविदात्मक वित्तीय दायित्व की चुकौती की अपरिवर्तनीय जिम्मेदारी लेता है । वित्तीय गारंटी में वस्तुतः वही ऋण जोखिम होता है जो प्रत्यक्ष रूप में ऋण देने में होता है अर्थात्, हानि का जोखिम उस काउंटरपार्टी की साख से सीधा जुड़ा है जिसके विरुद्ध संभाव्य दावा अर्जित किया गया है । वित्तीय गारंटी की एक सांकेतिक सूची नीचे दी जा रही है जिस पर 100 प्रतिशत का सीसीएफ लागू होगा;

(i) ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी ।

(ii) वित्तीय प्रतिभूतियों की चुकौती के बदले में गारंटी ।

(iii) एक्सचेंजों की मार्जिन अपेक्षाओं के बदले में गारंटी ।

(iv) मोबिलाइजेशन अग्रिम, परियोजना का आरंभ होने से पहले लिया गया अग्रिम धन तथा परियोजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में प्राप्त होने वाली राशि के लिए गारंटी ।

(v) कर/सीमा शुल्क/पत्तन/आबकारी प्राधिकारियों के पक्ष में बकाया राजस्वों, करों, शुल्कों, लेवी इत्यादि के लिए तथा अदालतों में लंबित मुकदमों के लिए विवादित देयताओं हेतु गारंटी ।

(vi) ऋण संवर्धन

---

[18]कृपया नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा - गैर-बाजार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदें - बैंक गारंटी पर 2 अप्रैल 2013 का परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 89/21.04.009/2012-13 देखें।

(vii) प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए चलनिधि सुविधा ।

(viii) स्वीकृतियां (स्वीकृति के गुणों वाले परांकन सहित) ।

(ix) आस्थगित भुगतान गारंटी ।

(ग) निष्पादन गारंटियां मूलतः लेनदेनों से संबंधित आकस्मिकताएं हैं जिनमें किसी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) को किसी काउंटरपार्टी द्वारा किसी संविदात्मक गैर-वित्तीय दायित्व को पूरा करने या निष्पादित करने में असफल होने पर भुगतान करने का अविकल्पी दायित्व निहित रहता है । ऐसे लेनदेनों में, हानि का जोखिम उस घटना पर आधारित रहता है जो जरूरी नहीं कि संबंधित काउंटर पार्टी की साख से संबंधित हो । निष्पादन गारंटी की एक सांकेतिक सूची नीचे दी जा रही है, जिन पर 50 प्रतिशत सीसीएफ लागू होगा:

(i) बोली (बिड) बांड;

(ii) निष्पादन बांड तथा निर्यात निष्पादन गारंटी;

(iii) प्रतिभूति जमाराशियों/निविदाओं में हिस्सा लेने के लिए अग्रिम धन जमा (ईएमडी);

(iv) प्रतिधारण धन गारंटी;

(v) लेनदेन विशेष से संबंधित वारंटी, क्षतिपूर्ति तथा आपाती साख पत्र ।

5.15.3 <u>बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदें</u>

i) पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदों से होनेवाले जोखिम भारित तुलनपत्रेतर ऋण एक्सपोज़र की गणना करते समय बैंकों को अपनी बैंकिंग तथा ट्रेडिंग बही में धारित सभी बाज़ार संबंधित लेनदेन जिनके कारण तुलनपत्रेतर ऋण जोखिम पैदा होते हैं, को शामिल करना होगा ।

ii) बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदों पर ऋण जोखिम काउंटर पार्टी की चूक की स्थिति में संविदा द्वारा विनिर्दिष्ट नकदी प्रवाह को प्रतिस्थापित करने में बैंक की लागत है। यह अन्य बातों के साथ-साथ संविदा की परिपक्वता तथा आधारभूत लिखत की दरों की अस्थिरता पर निर्भर होगा ।

iii) बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

क) ब्याज की संविदाएं - जिनमें एकल मुद्रा ब्याज दर स्वैप्स, बेसिस स्वैप्स, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं;

ख) विदेशी मुद्रा संविदाएं जिनमें स्वर्ण से संबंधित संविदाएं शामिल हैं - इनमें क्रॉस करेन्सी स्वैप्स (क्रॉस करेन्सी ब्याज दर स्वैप्स सहित), वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं, करेंसी फ्यूचर्स, करेन्सी ऑप्शन्स शामिल हैं;

ग) रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुमत कोई अन्य बाज़ार संबद्ध संविदाएं जिनसे बाज़ार जोखिम होता है।

iv) निम्नलिखित के लिए पूंजी अपेक्षाओं से छूट अनुमत है :

क) विदेशी मुद्रा (स्वर्ण को छोड़कर) संविदाएं जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिन अथवा उससे कम है; तथा

ख) फ्यूचर तथा ऑप्शन एक्स्चेंजों पर खरीद-बिक्री किए गए लिखत जो बाज़ार दर पर दैनंदिन मूल्यांकन तथा मार्जिन भुगतानों के अधीन हैं।

v) डेरिवेटिव सैदों और प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (उदाहरण के लिए, सांपार्श्विकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता, रिपो) के कारण केंद्रीय काउंटर पार्टियों के प्रति एक्सपोज़र को काउंटर पार्टी ऋण जोखिम के लिए शून्य एक्सपोज़र मूल्य दिया जाएगा, क्योंकि यह माना गया है कि केंद्रीय काउंटर पार्टियों का अपनी काउंटर पार्टियों के प्रति एक्सपोज़र दैनिक आधार पर पूर्णतया सांपार्श्विकृत है और इस तरह से केंद्रीय काउंटर पार्टी के ऋण जोखिम एक्सपोज़र को सुरक्षा मिली हुई है ।

vi) केंद्रीय काउंटरपार्टियों के पास संपार्श्विक के रूप में रखी गयी बैंक प्रतिभूतियों पर 100 प्रतिशत का ऋण परिवर्तन गुणक (सीसीएफ) लगाया जाएगा तथा इससे प्राप्त तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र पर केंद्रीय काउंटर पार्टी के स्वरूप के अनुसार उपयुक्त जोखिम भार लगाया जाएगा । भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआइएल) के मामले में जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा और अन्य काउंटर पार्टियों के मामले में उनको दी गयी रेटिंग के अनुसार होगा ।

vii) बैंकिंग बही अथवा ट्रेडिंग बही में से किसी में भी धारित बाज़ार संबंधित तुलनपत्रेतर मद की ऋण समतुल्य राशि को वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति द्वारा निर्धारित किया जाए।

5.15.4 <u>वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति</u>

i) वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति का प्रयोग करके अभिकलित किये गये बाजार संबद्ध तुलनपत्रेतर लेनदेन की ऋण समतुल्य राशि इन संविदाओं के वर्तमान ऋण एक्सपोज़र तथा संभाव्य भावी ऋण एक्सपोज़र का जोड़ है। ऋण एक्सपोज़र की

गणना करते समय बैंक `बिक्री किये गये ऑप्शन' को गणना से बाहर रख सकते हैं, बशर्ते संपूर्ण प्रीमियम/शुल्क या किसी अन्य प्रकार की आय प्राप्त हुई हो/वसूल हुई हो ।

ii) वर्तमान ऋण एक्सपोजर को इन संविदाओं के बाज़ार दर पर अंकित धनात्मक मूल्य के जोड़ के रूप में परिभाषित किया जाता है । वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति के अंतर्गत इन संविदाओं का बाज़ार दर पर अंकन करके वर्तमान ऋण एक्सपोज़र की आवधिक गणना की जाती है और इस प्रकार वर्तमान ऋण एक्सपाज़र निश्चित किया जाता है।

iii) संभाव्य भावी ऋण एक्सपोज़र का निर्धारण, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि संविदा का बाज़ार दर पर अंकित मूल्य शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक है, इन संविदाओं में से प्रत्येक संविदा की परिकल्पित (नोशनल) मूल राशि का, लिखत के स्वरूप तथा अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार नीचे दर्शाए गए संबंधित अतिरिक्त गुणक द्वारा गुणा करके, किया जाएगा।

सारणी 9 : बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदों के लिए सीसीएफ

अवशिष्ट परिपक्वता	**ऋण परिवर्तन गुणक**	
	ब्याज दर संविदा	**स्वर्ण तथा विनिमय दर संविदा**
एक वर्ष या कम	0.50 प्रतिशत	2.00 प्रतिशत
एक वर्ष सेअधिक से पांच वर्ष तक	1.00 प्रतिशत	10.00 प्रतिशत
पांच वर्ष से अधिक	3.00 प्रतिशत	15.00 प्रतिशत

iv) मूल राशि के बहुविध विनिमय वाली संविदाओं के लिए अतिरिक्त गुणकों को संविदा में शेष भुगतानों की संख्या द्वारा गुणा किया जाना चाहिए ।

v) ऐसी संविदाओं के लिए, जिनकी रचना इस प्रकार की गयी है कि विनिर्दिष्ट भुगतान की तारीखों के बाद बकाया एक्सपोज़र का निपटान किया जाता है तथा शर्तों को इस प्रकार पुनर्निर्धारित किया जाता है कि इन विनिर्दिष्ट तारीखों को संविदा का बाज़ार मूल्य शून्य होता है, तो ऐसी संविदाओं की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि अगली पुनर्निर्धारित तारीख की अवधि तक निर्धारित की जाएगी।तथापि, ऐसी ब्याज दर संविदाओं के मामले में जिनकी शेष परिपक्वता अवधियाँ एक वर्ष से अधिक हैं और जो उपर्युक्त मानदंड पूर्ण करती हैं, ऋण परिवर्तन गुणक अथवा अतिरिक्त गुणक 1.0 प्रतिशत के न्यूनतम के अधीन होगा ।

vi) एकल मुद्रा अस्थिर/अस्थिर ब्याज दर स्वैप्स के लिए किसी भी संभाव्य भावी ऋण एक्सपोज़र की गणना नहीं की जाएगी; इन संविदाओं पर ऋण एक्सपोज़र का मूल्यांकन केवल उनके बाज़ार दर पर अंकित मूल्य के आधार पर किया जाएगा ।

vii) संभाव्य भावी एक्सपोज़र, प्रत्यक्ष परिकल्पित राशियों के बजाय प्रभावी परिकल्पित राशियों पर आधारित होने चाहिए। कथित परिकल्पित राशि को लेनदेन की रचना द्वारा लिवरेज अथवा वर्धित किए जाने की स्थिति में संभाव्य भावी एक्सपोज़र निर्धारित करते समय बैंकों को प्रभावी परिकल्पित राशि का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, 1 मिलियन अमरीकी डालर की कथित परिकल्पित राशि बीपीएलआर की दो गुनी आंतरिक दर के आधार पर भुगतान के साथ 2 मिलियिन अमरीकी डालर की प्रभावी परिकल्पित राशि मानी जाएगी ।

viii) द्विपक्षीय नेटिंग से संबंधित विधिक स्थिति असंदिग्ध रूप से स्पष्ट न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी डेरिवेटिव संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाले बाज़ार दर पर अंकित (एमटीएम) मूल्यों को द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है । तदनुसार, बैंकों को पूंजी पर्याप्तता तथा एक्सपोज़र मानदंडों के प्रयोजन के लिए ऐसी संविदाओं के सकल धनात्मक बाज़ार दर पर अंकित मूल्य की गणना करनी चाहिए ।

5.15.5 <u>असफल लेनदेन</u>

i) निपटान न की गयी प्रतिभूतियों तथा विदेशी मुद्रा लेनदेन का जहाँ तक संबंध है, लेनदेन की बुकिंग अथवा लेखांकन किसी भी प्रकार का हो, ट्रेड की तारीख से बैंक को काउंटर पार्टी ऋण जोखिम रहता है। इस प्रयोजन से कि समय पर कार्रवाई की जा सके प्रबंधन सूचना प्रस्तुत करने के लिए निपटान न किए गए लेनदेन से होनेवाले ऋण जोखिम एक्सपोज़र को खोजने तथा उसपर निगरानी रखने के लिए उचित प्रणालियों को विकसित, कार्यान्वित करने तथा सुधारने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है ।

ii) इस प्रयोजन से कि समय पर कार्रवाई की जा सके प्रबंधन सूचना प्रस्तुत करने के लिए बैंकों को लेनदेन असफल होने की तारीख से असफल प्रतिभूतियों तथा विदेशी मुद्रा लेनदेन की कड़ी निगरानी करनी चाहिए। असफल लेनदेन से विलंबित निपटान अथवा सुपुर्दगी के जोखिम उत्पन्न होते हैं।

iii) अदायगी बनाम सुपुर्दगी (डीवीपी) के माध्यम से निपटाए गए लेनदेन जिसमें प्रतिभूतियों का नकदी के बदले साथ-साथ विनिमय होता है, की असफलता बैंकों को

सहमत निपटान कीमत पर मूल्यांकित लेनदेन तथा वर्तमान बाज़ार कीमत (अर्थात् धनात्मक वर्तमान एक्सपोज़र) पर मूल्यांकित लेनदेन के बीच के अंतर की हानि का जोखिम उठाना पड़ता है। असफल लेनदेन जहां तदनुरूप प्राप्य वस्तु (प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्राएं अथवा स्वर्ण) की प्राप्ति के बिना नकदी दी जाती है अथवा इसके विपरीत सुपुर्द की जानेवाली वस्तुएं तदनुरूप नकद भुगतान (डीवीपी से इतर अथवा बिना मूल्य सुपुर्दगी) की प्राप्ति के बिना सुपुर्द की गयी हो, के मामले में बैंकों को भुगतान की गयी राशि अथवा सुपुर्द की जानेवाली वस्तुओं की संपूर्ण राशि की हानि का जोखिम उठाना पड़ता है। अतः असफल लेनदेन के लिए पूंजी भार आवश्यक है और उसकी निम्नानुसार गणना की जाए। निम्नलिखित पूंजी व्यवहार सभी असफल लेनदेनों पर लागू होंगे, जिनमें मान्यताप्राप्त समाशोधन गृहों के माध्यम से किए गए लेनदेन भी शामिल हैं। पुनर्खरीद तथा प्रति पुनर्खरीद करार तथा प्रतिभूति उधार देना अथवा लेना जिनका निपटान न हो सका है, को इस पूंजी व्यवहार से छोड़ दिया गया है।

iv) <u>डीवीपी लेनदेन के लिए</u> - यदि निपटान की तारीख से पांच कारोबार के दिनों के बाद भी भुगतान नहीं किए गए है तो बैंकों को लेनदेन के धनात्मक वर्तमान एक्सपोज़र का नीचे दिए गए अनुसार उचित गुणक से गुणन करके **पूंजी भार** की गणना करनी चाहिए। सूचना प्राप्त करने के लिए बैंकों को अपनी सूचना प्रणालियों का उन्नयन करना होगा ताकि आपसी सहमति से निर्धारित निपटान की तारीख के बाद दिनों की संख्या का पता चल सके और तदनुरूप पूंजी भार की गणना हो सके।

आपसी सहमति से निर्धारित निपटान की तारीख के बाद कार्य दिवसों की संख्या	**तदनुरूप जोखिम गुणक**
5 से 15	9 प्रतिशत
16 से 30	50 प्रतिशत
31 से 45	75 प्रतिशत
46 से अधिक	100 प्रतिशत

v) <u>डीवीपी से इतर लेनदेन (स्वतंत्र सुपुर्दगियां)</u> के लिए पहले संविदात्मक भुगतान/सुपुर्दगी चरण के बाद कारोबार का दिन समाप्त होने तक यदि दूसरा चरण प्राप्त नहीं हुआ है तो जिस बैंक ने भुगतान किया है वह अपने एक्सपोज़र को ऋण के रूप में समझेगा। जिन तारीखों को भुगतान के दो चरण किए जाते हैं यदि उक्त तारीखें भुगतान के समय क्षेत्र के अनुसार एक ही हैं तो यह समझा जाता है कि उनका एक ही दिन निपटान किया गया है। उदाहरण के लिए यदि टोकियो में स्थित कोई बैंक `क्ष' तारीख (जापान स्टैंडर्ड टाईम) को येन अंतरित करता है और `क्ष' तारीख को (यूएस

ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाईम) तदनुरूप अमरीकी डालर चिप्स के माध्यम से प्राप्त करता है, तो ऐसा समझा जाएगा कि वह निपटान उसी एक तारीख को हुआ है। बैंक इन दिशानिर्देशों में निर्धारित काउंटर पार्टी जोखिम भारों का प्रयोग करते हुए पूंजी अपेक्षाओं की गणना करेंगे। तथापि, यदि द्वितीय संविदात्मक भुगतान/सुपुर्दगी की तारीख के पांच कारोबार दिनों के बाद भी दूसरा चरण प्रभावी रूप से पूर्ण नहीं हुआ है तो जिस बैंक ने पहला भुगतान चरण पूर्ण किया है वह पूंजी में से अंतरित मूल्य की पूर्ण राशि तथा प्रतिस्थापन लागत यदि कोई हो, घटाएगा । यह कार्रवाई भुगतान/सुपुर्दगी का दूसरा चरण वास्तव में पूर्ण होने तक लागू होगी ।

5.16 **प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र**

5.16.1 सामान्य

i) कोई प्रतिभूतीकरण लेनदेन जो **अनुबंध 6** (1 फरवरी 2006 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 60/21.04.048/2005-06 द्वारा जारी मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतीकरण संबंधी दिशानिर्देश का उद्धरण) तथा अनुबंध **6 ए** (7 मई 2012 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.103/21.04.177/2011-12 द्वारा जारी "प्रतिभूतीकरण लेनदेन से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन "का उद्धरण) में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूर्ण करता है पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के निम्नलिखित विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए पात्र होगा। प्रतिभूतीकरण लेनदेन के प्रति बैंकों का एक्सपोज़र, जिसे प्रतिभूतीकरण एक्सपाज़र कहा गया है, में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं लेकिन यह केवल इन तक ही सीमित नहीं है : निवेशक के रूप में, ऋण संवर्धक के रूप में, चलनिधि दाता, हामीदार, ऋण जोखिम कम करने के तत्व प्रदान करनेवाले के रूप में। ऋण संवर्धन के रूप में दिए गए नकद संपार्श्विकों को भी प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र माना जाएगा। इस भाग में प्रतिभूतीकरण के संबंध में प्रयोग में लाए गए शब्द उपर्युक्त दिशानिर्देशों में दी गई परिभाषा के अनुरूप होंगे । साथ ही निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी :

क) केवल ऋण संवर्धक ब्याज मात्र स्ट्रिप (आइ/ओएस) - तुलन पत्र का एक्सपोज़र जिसे प्रवर्तक द्वारा रिकार्ड किया जाता है, जो (i) आधारभूत एक्सपोज़र से प्राप्त की जानेवाली भावी मार्जिन आय से संबंधित नकदी प्रवाह के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है और (*ii*) जो चुकौती की प्राथमिकता के अनुसार लेनदेन की अन्य पार्टियों के दावों के अधीनस्थ हैं ।

ख)`अव्यक्त समर्थन' - बैंक द्वारा प्रतिभूतीकरण को उसकी पूर्व निर्धारित संविदात्मक बाध्यता से अधिक दिया गया समर्थन

ग) `बिक्री पर लाभ' - प्रतिभूतीकृत परिसंपत्तियों की एसपीवी को बिक्री करते समय प्राप्त लाभ ।

ii) बैंकों को अपने सभी प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के लिए विनियामक पूंजी रखना आवश्यक है, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित है। इनमें प्रतिभूतीकरण लेनदेन को ऋण जोखिम कम करने वाले कारक प्रदान करने, परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश, अधीनस्थ शृंखला रखने तथा चलनिधि सुविधा अथवा ऋण संवर्धन सुविधा देने से उत्पन्न एक्सपोज़र शामिल हैं। पुनः खरीदे गए प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र्स को प्रतिधारित प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र समझा जाए।

iii) 1 फरवरी 2006 तथा 7 मई 2012 के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूर्ण न करनेवाले और इसलिए अनिर्धारण के पात्र न होनेवाले प्रतिभूतीकरण लेनदेन का प्रवर्तक प्रतिभूतीकरण लेनदेन से संबद्ध सभी एक्सपोज़र्स के लिए इस प्रकार पूंजी धारित करेगा जैसे कि उनका प्रतिभूतीकरण[19] न हुआ हो। इसके साथ ही इस तरह के लेनदेन पर कोई भी `बिक्री पर लाभ' होने पर प्रवर्तक उसे टीयर 1 पूंजी से कम करेगा। यह पूंजी बैंक को प्रतिभूतीकरण लेनदेन में उसके अन्य मौजूदा एक्सपोजरों के लिए जो पूंजी बनाए रखनी अपेक्षित है उसके अतिरिक्त होगी।

iv) ऋण विश्लेषण के लिए परिचालनात्मक मानदंड[20]

मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर 1 फरवरी 2006 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश में निर्दिष्ट शर्तों के अलावा प्रतिभूतिकृत आस्तियों को अमान्य करने के लिए बैंक के पास निम्नलिखित (क) से (ग) तक के अनुच्छेदों में निर्दिष्ट सूचना होनी चाहिए ।

(क) एक सामान्य नियम के रूप में बैंक को अपने प्रत्येक प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र की जोखिम विशेषता की परिपूर्ण समझ होनी चाहिए, चाहे वे एक्सपोज़र तुलनपत्र में हों या तुलनपत्रेतर हों तथा बैंक को अपने प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के आधारभूत प्रतिभूति समूह की जोखिम विशेषताओं की भी समझ होनी चाहिए ।

---

[19] उदाहरण के लिए - यदि 100 रु. के प्रतिभूतीकरण लेनदेन में समूह में 80 प्रतिशत एएए प्रतिभूतियां, 10 प्रतिशत बीबी प्रतिभूतियां और 10 प्रतिशत रेटिंग न की गई प्रतिभूतियां हैं और लेनदेन वास्तविक बिक्री मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि उस लेनदेन में सभी एक्सपोज़र प्रवर्तक ने धारण किए हैं । इसके परिणामस्वरूप एएए रेटिंग वाली प्रतिभूतियों पर 20 प्रतिशत का जोखिम भार लागू होगा तथा बीबी रेटिंग वाली प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य तथा अनरेटेड प्रतिभूतियों को घटाया जाएगा। अतः पूंजी पर परिणामी प्रभाव होगा रु. 21.44 (16*9%+20)

[20] 8 फरवरी 2010 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010

(ख) बैंकों को आधारभूत प्रतिभूति समूह के कार्यनिष्पादन संबंधी सूचना तक निरंतर आधार पर सामयिक रूप से पहुंच होनी चाहिए । यह सूचना यथोचित रूप से निम्नानुसार हो सकती है : एक्सपोज़र का प्रकार; देय होने के 30, 60, 90 दिन वाले ऋणों का प्रतिशत; चूक दर; नियत तिथि से पूर्व अदायगी की दरें; फोरक्लोज़र वाले ऋण; संपत्ति का प्रकार; कब्जा; औसत ऋण अंक अथवा ऋण पात्रता की अन्य माप; औसत मूल्य के प्रति ऋण का अनुपात; तथा औद्योगिक और भौगोलिक विविधता ।

(ग) बैंक को किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन की उन सभी संरचनात्मक विशेषताओं की पूरी समझ होनी चाहिए, जो संबंधित लेनदेन के प्रति बैंक के एक्सपोज़र के कार्यनिष्पादन को महत्वपूर्ण रीति से प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए संविदागत वाटरफॉल तथा वॉटरफॉल से जुड़े उत्प्रेरक, ऋण संवर्धन, चलनिधि संवर्धन, बाज़ार मूल्य उत्प्रेरक और चूक की कारोबार विशिष्ट परिभाषाएं ।

5.16.2 <u>पूंजीगत निधियों में से प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की कटौती</u>

(i) जब किसी बैंक को विनियामक पूंजी में से प्रतिभूतीकरण एक्सपाज़र को घटाना अपेक्षित है तो उसे टीयर 1 से 50 प्रतिशत तथा टीयर II से 50 प्रतिशत घटाया जाए जब तक कि स्पष्टतः अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। पूंजी में से की गई कटौती की गणना संबंधित प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के लिए रखे गए विशिष्ट प्रावधानों को घटाकर की जाए।

(ii) ऋण संवर्धन जिनमें ऋण संवर्धक आइ/ओएस (नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार `बिक्री पर लाभ' को टीयर 1 से घटाकर) तथा नकद संपार्श्विक शामिल हैं, जिन्हें घटाया जाना आवयक है, 50 प्रतिशत टीयर 1 से तथा 50 प्रतिशत टीयर II से घटाया जाए।

(iii) बैंक `बिक्री पर लाभ' को यदि उसे लाभ मानने की अनुमति दी जाती है, टीयर 1 पूंजी से घटायेगा। तथापि, मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों की अवधि तक लाभ को अमोर्टाइज करने की अनुमति दी जाती है। लाभ और हानि खाते में अमोर्टाइजेशन के माध्यम से इस प्रकार निर्धारित लाभ की राशि को घटाने की आवश्यकता नहीं है ।

(iv) `बी+ तथा उससे कम' का दीर्घावधि रेटिंग वाला कोई भी प्रतिभूतीकरण एक्सपाज़र जब किसी प्रवर्तक द्वारा धारित न किया गया हो और `बीबी+ तथा उससे कम' का दीर्घावधि रेटिंगवाला कोई प्रतिभूतीकरण एक्सपाज़र जब प्रवर्तक द्वारा धारित हो, तो उसे 50 प्रतिशत टीयर 1 तथा 50 प्रतिशत टीयर II पूंजी से घटाया जाएगा ।

(v) पैराग्राफ <u>5.16.8</u> में निर्दिष्ट किए गए अनुसार पात्र चलनिधि सुविधा को छोड़कर, कोई भी रेटिंग न किए गए प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र को 50 प्रतिशत टीयर 1 पूंजी

से और 50 प्रतिशत टीयर II पूंजी से घटाया जाएगा। रेटिंग न की गई तथा अपात्र चलनिधि सुविधा में आहरित तथा अनाहरित, दोनों भागों को 50 प्रतिशत टीयर 1 तथा 50 प्रतिशत टीयर II पूंजी से घटाया जाएगा।

5.16.3 <u>अव्यक्त समर्थन</u>

i) प्रवर्तक प्रतिभूतीकरण लेनदेन में निवेशकों को कोई भी अव्यक्त समर्थन प्रदान नहीं करेगा।

ii) जब ऐसा समझा जाता है कि बैंक ने प्रतिभूतीकरण के लिए अव्यक्त समर्थन दिया है तो;

क) उसे कम-से-कम प्रतिभूतीकरण लेनदेन से संबद्ध सभी एक्सपोज़र के लिए इस तरह पूंजी रखनी होगी जैसे उनका प्रतिभूतीकरण न किया गया हो

ख) अतिरिक्त रूप से, बैंक को ऊपर दी गयी परिभाषा के अनुसार बिक्री पर लाभ को टीयर 1 पूंजी में से घटाना होगा।

ग) इसके अतिरिक्त प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के संदर्भ में जहां यह समझा गया है कि बैंक ने अव्यक्त समर्थन प्रदान किया है, यह अपेक्षित है कि वह सार्वजनिक रूप से प्रकट करे कि (क) उसने गैर-संविदागत समर्थन प्रदान किया है (ख) अव्यक्त समर्थन के ब्यौरे तथा (ग) बैंक की विनियामक पूंजी पर अव्यक्त समर्थन का प्रभाव

iii) जहां प्रतिभूतीकरण लेनदेन में क्लीन अप कॉल निहित होता है और प्रवर्तक (ओरिजनेटर) द्वारा क्लीन अप कॉल का उन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां क्लीन अप कॉल के इस्तेमाल से कारगर रूप से ऋण संवर्धन होता है, वहां क्लीन अप कॉल को अव्यक्त सहायता माना जाएगा तथा संबंधित प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर उपर्युक्त निर्धारण लागू होंगे।

5.16.4 <u>बाह्य रेटिंग लागू करना</u>

बाह्य ऋण मूल्यांकनों के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित परिचालन मानदंड लागू हैं :

i) बैंक को प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के किसी विशिष्ट प्रकार के लिए सुसंगत रूप से पात्र बाह्य ऋण रेटिंग ऐजेन्सियों के बाह्य ऋण मूल्यांकन सुसंगत रूप से लागू करने चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंक एक या अधिक शृंखलाओं के लिए एक बाह्य ऋण

रेटिंग एजेन्सी द्वारा जारी ऋण मूल्यांकन का तथा उसी प्रतिभूतीकरण ढाँचे के भीतर अन्य पोज़िशनों (चाहे धारित हो या क्रय की गयी हो) के लिए किसी दूसरी बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सी द्वारा जारी ऋण मूल्यांकनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता (जिनकी पहली बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सी द्वारा रेटिंग की जा सकती हो या न की जा सकती हो)। जहां दो या अधिक पात्र बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों का इस्तेमाल किया जा सकता है तथा वे एक ही प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के ऋण जोखिम का अलग-अलग रूप में मूल्यांकन करती हैं, तो वहां पैरा 6.7 लागू होगा।

ii) यदि सीआरएम प्रदाता पैरा 7.5.5 में परिभाषित पात्र गारंटीदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है तो शामिल प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़रों को रेटिंग न किये गये के रूप में माना जाना चाहिए ।

iii) उस स्थिति में जहां एसपीवी द्वारा ऋण जोखिम कम करने के तत्व प्राप्त नहीं किये गये हैं बल्कि एक खास ढांचे के भीतर विशिष्ट प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र पर लागू किये गये है (जैसे एबीएस श्रृंखला), बैंक को एक्सपोज़र को रेटिंग न किये गये के रूप में मानना चाहिए तथा तब पैरा 7 में बताये गये सीआरएम व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए।

iv) बाह्य ऋण मूल्यांकनों को लागू करने के अन्य पहलू पैरा 6 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे ।

v) किसी बैंक को जोखिम भार निर्धारण के प्रयोजन से बाह्य ऋण मूल्यांकन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उक्त मूल्यांकन कम-से-कम अंशतः बैंक के गैर-निधि आधारित समर्थन पर आधारित हो । उदाहरण के लिए, यदि कोई बैंक एबीएस/एमबीएस खरीदता है, जहां वह प्रतिभूतिकरण कार्यक्रम को गैर-निधि आधारित प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र प्रदान करता है (उदाहरण के लिए चलनिधि सुविधा अथवा ऋण संवर्धन) और प्रतिभूतिकृत आस्तियों/एबीएस/एमबीएस की विभिन्न श्रेणियों के ऋण मूल्यांकन को निर्धारित करने में उक्त एक्सपोज़र की एक भूमिका है तो बैंक को उक्त प्रतिभूतिकृत आस्तियां/एबीएस/एमबीएस की विभिन्न श्रेणियों पर ऐसे कार्रवाई करनी चाहिए जैसे वे रेटेड न हो । बैंक को अन्य प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के लिए (उदाहरण के लिए चलनिधि सुविधा और/या ऋण संवर्धन) पूंजी रखना जारी रखना चाहिए ।[21]

[21] 8 फरवरी 2010 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010

5.16.5 जोखिम भारित प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र

i) बैंक तुलनपत्र के प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की जोखिम भारित राशि की गणना के लिए एक्सपोजरों की मूलधन की राशि (विशिष्ट प्रावधानों को घटाने के बाद) को लागू जोखिम भार से गुणा करना होगा।

ii) प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र की जोखिम भारित परिसंपत्ति की राशि की गणना एक्सपोज़र की राशि को उचित जोखिम भार से गुणा कर की जाती है ; ये जोखिम भार चुनी गयी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा उन एक्सपोज़रों को दी गयी मद संदर्भित रेटिंग के अनुसार निश्चित किये जाते हैं जैसा कि नीचे की सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी 10 : प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र - दीर्घावधि रेटिंग के लिए जोखिम भार रूपरेखा

देशी रेटिंग एजेन्सियां	**एएए**	**एए**	**ए**	**बीबीबी**	**बीबी**	**बी और उससे कम या रेटिंग न किये गये**
प्रवर्तकों को छोड़कर बेंकों के लिए जोखिम भार	20 %	30 %	50 %	100 %	350 %	कटौती*
प्रवर्तक के लिए जोखिम भार	20 %	30 %	50 %	100 %	कटौती*	

* पैरा 5.16.2 के प्रावधानों से नियंत्रित

iii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोज़र द्वारा समर्थित बंधक आधारित प्रतिभूति जैसे कि ऊपर पैरा 5.11 में परिभाषित है, के संदर्भ में प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र की जोखिम भारित आस्ति की राशि की गणना एक्सपोज़र की राशि को उचित जोखिम भार से गुणा कर की जाती है; ये जोखिम भार चुनी गयी बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा उन एक्सपोजरों को दी गयी मद संदर्भित रेटिंग के अनुसार निश्चित किये जाते हैं जैसा कि नीचे की सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी 10ए : वाणिज्यिक स्थावर संपदा प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर - दीर्घावधि रेटिंग के लिए जोखिम भार रूपरेखा

देशी रेटिंग एजेन्सियां	**एएए**	**एए**	**ए**	**बीबीबी**	**बीबी**	**बी और उससे कम या रेटिंग न किये गये**
प्रवर्तकों को छोड़कर बेंकों के लिए जोखिम भार	**50%**	**75%**	**100%**	**150%**	**400%**	कटौती*
प्रवर्तक के लिए जोखिम भार	**50%**	**75%**	**100%**	**150%**	कटौती*	

- पैरा 5.16.2 के प्रावधानों से नियंत्रित

iv) प्रतिभूतीकरण लेनदेन के भाग के रूप में एसपीवी द्वारा जारी रेटिंग न की गयी प्रतिभूतियों में निवेश करने की बैंकों को अनुमति नहीं है । किंतु बैंकों द्वारा गृहीत ऐसे प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र, जो रेटिंग न किये गये बन सकते हैं या जिन्हें रेटिंग न किये गये माना जाएगा, को पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए पैरा 5.16.2 के प्रावधानों के अनुसार घटाया जाएगा ।

(v) बासेल II अपेक्षाओं के अंतर्गत जोखिम अंतरण को मान्यता देने के लिए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों से संबद्ध ऋण जोखिम का उल्लेखनीय हिस्सा तृतीय पक्षकारों को अंतरित होना चाहिए । इसके परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रकारों में प्रतिभूतिकृत ऋणों में बैंकों का कुल एक्सपोजर जारी किए गए कुल प्रतिभूतिकृत लिखतों के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए :

- एसपीवी द्वारा जारी ईक्विटी/प्रतिभूति की अधीनस्थ/वरिष्ठ श्रृंखला में निवेश जिसमें हामीदारी प्रतिबद्धताओं के माध्यम से किए गए निवेश शामिल हैं ।

- ऋण संवर्धन जिसमें नकद तथा अति-संपार्श्वीकरण सहित सांपार्श्विक के अन्य स्वरूप शामिल हैं लेकिन ऋण संवर्धन करने वाली केवल ब्याज स्ट्रिप शामिल नहीं होगी ।

- चल निधि समर्थन

यदि कोई बैंक इस सीमा को पार करता है तो, अतिरिक्त राशि पर 1111 प्रतिशत[22] जोखिम भार लागू होगा । एसपीवी के साथ किए गए ब्याज दर स्वैप/मुद्रा स्वैप के कारण हुए ऋण एक्सपोजर को 20 प्रतिशत की सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि यह बैंक के नियंत्रण के भीतर नहीं होगा ।

(vi) यदि कोई प्रवर्तक बैंक 7 मई 2012 के परिपत्र के अनुभाग 'क' के पैराग्राफ 1.1 से 1.7/अनुभाग 'ख' के पैराग्राफ 1.1 से 1.6 **(अनुबंध 6ए)** में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो बैंक को प्रतिभूतिकृत आस्तियों/बेची गई आस्तियों के लिए इस प्रकार पूंजी बनाए रखनी होगी जैसे कि उनका प्रतिभूतीकरण न किया/उन्हें बेचा न गया हो। यह पूंजी बैंक को प्रतिभूतीकरण लेनदेन में उसके अन्य मौजूदा एक्सपोजरों के लिए जो पूंजी बनाए रखनी अपेक्षित है उसके अतिरिक्त होगी।

(vii) जहां 7 मई 2012 के परिपत्र (**अनुबंध 6ए**) के क्रमशः अनुभाग 'क' के पैराग्राफ 2.1 से 2.3/अथवा अनुभाग 'ख' के पैराग्राफ 2.1 से 2.8 में निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं किया गया है वहां निवेशकर्ता बैंक प्रतिभूतीकरण/अथवा निर्धारण से संबंधित एक्सपोजरों पर 1111 प्रतिशत का जोखिम भार लागू करेंगे । 1111 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार 1 अक्तूबर 2012 से लागू होगा ।

(viii) नकदी प्रवाहों तथा अंडरलाइंग प्रतिभूति के प्रत्यक्ष आबंटन के माध्यम से आस्तियों के अंतरण वाले लेनदेन के अंतर्गत कार्पोरेट ऋणों की प्रत्यक्ष खरीद के लिए पूंजी पर्याप्तता व्यवहार बैंकों द्वारा सीधे दिए गए कार्पोरेट ऋणों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार होगा । उसी प्रकार, खुदरा ऋणों की प्रत्यक्ष खरीद के लिए पूंजी पर्याप्तता व्यवहार बैंकों के अपने खुदरा संविभागों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार होगा । ऐसा केवल उन मामलों को छोड़कर होगा जहां व्यक्तिगत खातों का अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकरण किया गया है, और ऐसे मामले में खुदरा अनर्जक आस्तियों पर यथालागू सामान्य पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू होंगे । रेटिंग के आधार पर खरीदे गए खुदरा ऋणों के लिए घटाए गए जोखिम भार के रूप में कोई लाभ उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि ऋण जोखिम

[22] बासेल III के अनुसार 8 प्रतिशत की न्यूनतम पूंजी अपेक्षा के अनुरूप प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों के लिए अधिकतम जोखिम भार 1250 प्रतिशत होगा । चूंकि भारत में न्यूनतम पूंजी अपेक्षा 9 प्रतिशत है इसलिए जोखिम भार की अधिकतम सीमा 1111 प्रतिशत (100/9) रखी गई है ताकि यह सुनिश्चित हो कि पूंजी प्रभार एक्सपोजर मूल्य से अधिक नहीं है ।

के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत इसे परिकल्पित नहीं किया गया है ।

5.16.6 <u>तुलनपत्रेतर प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर</u>

i) बैंक रेटिंग किये गये तुलनपत्रेतर प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र की जोखिम भारित राशि की गणना एक्सपोज़र की ऋण समतुल्य राशि को लागू जोखिम भार से गुणा कर करेंगे। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो ऋण समतुल्य राशि एक्सपोज़र की मूल राशि (विशिष्ट प्रावधानों को घटाने के बाद) को 100% सीसीएफ से गुणा कर निकाली जा सकती है।

ii) यदि तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र रेटिंग किया हुआ न हो तो उसे पूंजी में से घटा दिया जाना चाहिए। रेटिंग न की गयी वह पात्र चलनिधि सुविधा इसका अपवाद है जिसके लिए पैरा 5.16.8 में अलग से उपाय निर्दिष्ट किया गया है ।

5.16.7 <u>ऋण जोखिम कम करने के तत्व की पहचान</u>

i) नीचे दी गयी कार्रवाई ऐसे बैंक के संबंध में लागू है जिसने प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के संबंध में ऋण जोखिम कम करने का तत्व प्राप्त कर लिया है। ऋण जोखिम कम करने के तत्व में गारंटियां और पात्र संपार्श्विक शामिल है, जैसा कि इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में संपार्श्विक का अर्थ उस संपार्श्विक से है जिसका प्रयोग प्रतिभूतीकरण लेनदेन के आधारभूत एक्सपोज़रों के ऋण जोखिम की हेजिंग के बजाय प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के ऋण जोखिम की हेजिंग के लिए किया गया है ।

ii) प्रवर्तक से भिन्न जब कोई बैंक प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र को ऋण संरक्षण प्रदान करता है तो उसे उक्त एक्सपोज़र संबंधी पूंजी अपेक्षा की ऐसे गणना करनी चाहिए जैसे कि वह उक्त प्रतिभूतीकरण में निवेशक हो। यदि कोई बैंक रेटिंग न किये गये ऋण संवर्धन को संरक्षण प्रदान करता है तो उसे चाहिए कि वह दिये गये ऋण संरक्षण को इस रूप में माने जैसे कि वह सीधे ही रेटिंग न किये गये ऋण संवर्धन को धारित कर रहा हो ।

iii) गारंटीकृत/संरक्षित भाग के लिए पूंजी अपेक्षाओं की गणना मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए अपनायी जानेवाली सीआरएम पद्धति के अनुसार की जायेगी जो नीचे पैरा 7 में दी गयी है । पात्र संपार्श्विक को इन दिशानिर्देशों के अधीन पैरा 7.3.5 में स्वीकृत संपार्श्विक तक सीमित किया गया है । सीआरएम तथा एक्सपोज़र के बीच परिपक्वता

असंतुलन के संदर्भ में विनियामक पूंजी निश्चित करने के प्रयोजन के लिए पूंजी अपेक्षा पैरा 7.6 के अनुसार निश्चित की जाएगी । जब हेजिंग किये जानेवाले एक्सपोज़र भिन्न-भिन्न परिपक्वता के हों तब पैरा 7.6.4 तथा 7.6.5 में निर्दिष्ट पद्धति लागू करते हुए सबसे लंबी परिपक्वता का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

5.16.8 <u>चलनिधि सुविधाएं</u>

i) किसी चलनिधि सुविधा को तभी `पात्र' सुविधा समझा जायेगा जब वह 1 फरवरी 2006 को जारी दिशानिर्देशों में दी गयी सभी न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करती हो। रेटिंग की गयी चलनिधि सुविधाओं को ऊपर दी गयी सारणियों में उल्लेख किये गये अनुसार चुने गये बाहरी ऋण मूल्यांकन संस्थों (ईसीएआई) द्वारा उन एक्सपोज़रों को दी गयी विशिष्ट रेटिंग के अनुरूप निर्धारित समुचित जोखिम भार के अनुसार जोखिम भारित या घटाया जाएगा।

ii) रेटिंग न की गयी पात्र चलनिधि सुविधाओं को कटौतियों से छूट हागी और उनके संबंध में निम्नप्रकार कार्रवाई की जायेगी।

क) रेटिंग न की गयी पात्र चलनिधि सुविधा के आहरित और अनाहरित अंशों पर इस सुविधा के अंतर्गत आनेवाले किसी आधारभूत अलग-अलग एक्सपोज़र को दिये जानेवाले उच्चतम जोखिम भार के बराबर जोखिम भार लागू होगा।

ख) रेट न की गयी पात्र चलनिधि सुविधा के अनाहरित अंश पर 50% का ऋण परिवर्तन गुणक लागू होगा ।[23]

5.16.9 पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र/कृत्रिम प्रतिभूतीकरण/परिक्रामी संरचना वाले प्रतिभूतीकरण (समय-पूर्व परिशोधन के तत्वों सहित अथवा उनके बिना)

वर्तमान में भारत में कार्यरत बैंक जिनमें उनकी विदेश स्थित शाखाएं शामिल हैं, को **अनुबंध 6ए** में परिभाषित किए गए अनुसार पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र/कृत्रिम प्रतिभूतीकरण/परिक्रामी संरचना वाले प्रतिभूतीकरण (समय-पूर्व परिशोधन के तत्वों सहित अथवा उनके बिना) के संबंधित एक्सपोजर ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। तथापि, 1 दिसंबर 2008 का परिपत्र आरबीआइ/2008-09/302 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 89/ 21.04.141/2008-09 जारी होने के पहले कुछ भारतीय बैंकों ने अपनी विदेश स्थित शाखाओं के माध्यम से सीडीओ तथा अन्य ऐसे ही प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र में निवेश किया है ।

[23] 8 फरवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010

इनमें से कुछ एक्सपोज़र पुनर्प्रतिभूतिकरण के स्वरूप के हो सकते हैं । ऐसे एक्सपोज़र के लिए जोखिम भार निम्नानुसार होगा :

सारणी 11 ए : पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र - दीर्घावधि रेटिंग के अनुसार जोखिम भार

देशी रेटिंग एजेन्सियां	**एएए**	**एए**	**ए**	**बीबीबी**	**बीबी**	**बी और उससे म या रेटिंग न किये गये**
प्रवर्तक बैंक के अलावा अन्य बैंकों के लिए जोखिम भार	40%	60%	100%	200%	650%	कटौती*
प्रवर्तक के लिए जोखिम भार	40%	60%	100%	200%	कटौती*	

*पैरा 5.16.2 के प्रावधानों से नियंत्रित

सारणी 11 क : वाणिज्यिक स्थावर संपदा पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र - दीर्घावधि रेटिंग के अनुसार जोखिम भार

देशी रेटिंग एजेन्सियां	**एएए**	**एए**	**ए**	**बीबीबी**	**बी और उससे म या रेटिंग न किये गये**
प्रवर्तक बैंक के अलावा अन्य बैंकों के लिए जोखिम भार	200%	200%	200%	400%	कटौती*
प्रवर्तक के लिए जोखिम भार	200%	200%	200%	400%	कटौती*

*पैरा 5.16.2 के प्रावधानों से नियंत्रित

अन्य सभी विनियामक मानदंड उसी प्रकार लागू होंगे जैसे इस पैरा (पैरा 5.16) में ऊपर निर्धारित किये गये हैं ।

5.17 बैंकिंग बही में क्रेडिट डिफ़ाल्ट स्वैप (सीडीएस) स्थिति के लिए पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाएँ

5.17.1 बाह्य/तृतीय पक्षकार सीडीएस हेजेस को मान्यता प्रदान करना

5.17.1.1 खरीदी गई सीडीएस स्थितियों द्वारा प्रतिरक्षित बैंकिंग बही स्थितियों के मामले में प्रतिरक्षित एक्सपोज़र के सवंबंध में संदर्भ हस्ती /अंतर्निहित आस्ति के लिए किसी एक्सपोज़र को हिसाब में नहीं लिया जाएगा एवं एक्सपोज़र को माना जाएगा कि उसे सुरक्षा विक्रेता के द्वारा हिसाब में ले लिया गया है बशर्ते :

(क) 30 नवंबर 2011 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं 61/21.06.203/2011-12 के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित परिचालनात्मक अपेक्षाओं को पूरा किया जाता हो;

(ख) क्रेडिट जोखिम के लिए बासल II के मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत सुरक्षा विक्रेता पर लागू जोखिम भार अंतर्निहित आस्ति के जोखिम भार से कम हो; तथा

(ग) अंतर्निहित आस्ति तथा संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य दायित्व के बीच कोई असंतुलन न हो। यदि यह शर्त पूरी नहीं की जाती है तो निर्धारित की जाने वाली क्रेडिट सुरक्षा की राशि की गणना नीचे दिये गए पैराग्राफ 5.17.1.3(ii) के अनुसार की जानी चाहिए ।

5.17.1.2 यदि उपर्युक्त शर्तों (क) तथा (ग) को पूरा नहीं किया जाता हो या बैंक इनमें से किसी भी शर्त का बाद में उल्लंघन करता हो तो बैंक अंतर्निहित आस्ति पर एक्सपोज़र की गणना करेगा तथा सीडीएस स्थिति को व्यापार बही में अंतरित कर दिया जाएगा जहां वह विशिष्ट जोखिम, प्रतिपक्षकार जोखिम तथा व्यापार बही पर यथा लागू सामान्य बाजार जोखिम (जहां लागू हो) के अधीन होगा।

5.17.1.3 अंतर्निहित एक्सपोज़र के असुरक्षित हिस्से को बासल II ढांचे के अंतर्गत यथालागू जोखिम-भारित किया जाए। यदि अंतर्निहित आस्ति/दायित्व तथा संदर्भ/सुपुर्दगीयोग्य आस्ति/दायित्व के बीच कोई असंतुलन हो तो क्रेडिट सुरक्षा की राशि को आस्ति अथवा परिपक्वता के संबंध में समायोजित किया जाएगा । इनका ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है ।

(i) **आस्ति असंतुलन :** यदि अंतर्निहित आस्ति संदर्भ आस्ति अथवा सुपुर्दगी योग्य दायित्व से भिन्न है तो आस्ति असंतुलन उत्पन्न होगा। सुरक्षा क्रेता द्वारा सुरक्षा को केवल तभी उपलब्ध माना जाएगा जब असंतुलित आस्तियां इन अपेक्षाओं को पूरा करती हैं कि (1) संदर्भ दायित्व अथवा सुपुर्दगी योग्य दायित्व का स्तर अंतर्निहित दायित्व के समान अथवा उससे छोटा हो तथा (2) अंतर्निहित दायित्व तथा संदर्भ दायित्व अथवा सुपुर्दगी योग्य दायित्व का हिस्सा एक ही

बाध्यताधारी (अर्थात् एक ही विधिक हस्ती) के पास हो तथा कानूनी रूप से लागू किए जाने वाले परस्पर-चूक या परस्पर तीव्रता संबंधी खंड मौजूद हों ।

(ii) **परिपक्वता असंतुलन:** यदि क्रेडिट डेरिवेटिव संविदा की परिपक्वता अंतर्निहित आस्ति की परिपक्वता के समतुल्य अथवा उससे अधिक हो तो सुरक्षा क्रेता सुरक्षा की राशि की गणना करने का पात्र होगा । तथापि, यदि सीडीएस संविदा की परिपक्वता अंतर्निहित आस्ति की परिपक्वता से कम हो तो उसे परिपक्वता असंतुलन माना जाएगा । परिपक्वता अंसतुलन के मामले में, सुरक्षा की राशि का निर्धारण निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा :

क. यदि क्रेडिट डेरिवेटिव उत्पाद की अवशिष्ट परिपक्वता **तीन महीने** से कम हो तो सुरक्षा का निर्धारण नहीं किया जाएगा ।

ख. यदि क्रेडिट डेरवेटिव संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता **तीन महीने** या उससे अधिक हो तो जिस अवधि के लिए सुरक्षा उपलब्ध है उसके अनुपात में सुरक्षा का निर्धारण किया जाएगा । जब परिपक्वता असंतुलन हो तो निम्नलिखित समायोजन लागू किया जाएगा ।

$$Pa = P \times (t - 0.25) \div (T - 0.25)$$

जहां

Pa = परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजित किए गए क्रेडिट सुरक्षा का मूल्य

P = क्रेडिट सुरक्षा

t = Min (T, क्रेडिट सुरक्षा व्यवस्था की अवशिष्ट परिपक्वता) वर्ष में प्रदर्शित

T = Min (5, वर्ष में प्रदर्शित अंतर्निहित एक्सपोज़र की अवशिष्ट परिपक्वता)

उदाहरण *: मान लीजिए अंतर्निहित आस्ति कोई कार्पोरेट बांड है जिसका अंकित मूल्य ₹ 100/- है और उसकी अवशिष्ट परिपक्वता 5 वर्ष तथा सीडीएस की अवशिष्ट परिपक्वता 4 वर्ष है। क्रेडिट सुरक्षा राशि की गणना निम्नलिखित विधि से की जाएगा :*

100∗ { (4 - 0.25) ÷ (5 - 0.25) } ö= 100∗ (3.75 ÷ 4.75) =78.95

ग. सीडीएस संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के **तीन महीने** होते ही सुरक्षा का निर्धारण करना बंद कर दिया जाएगा ।

5.17.2 आंतरिक बचाव (हेजेज)

बैंक अपने मौजूदा कर्पोरिट बांड संविभागों में क्रेडिट जोखिम के बचाव के लिए सीडीएस संविदाओं का प्रयोग कर सकते हैं। कोई बैंक किसी बैंकिंग बही क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र का बचाव आंतरिक बचाव (बैंक के व्यापार डेस्क से खरीदी गई तथा व्यापार बही में धारित सुरक्षा) या बाह्य बचाव(किसी पात्र तृतीय पक्षकार सुरक्षा प्रदाता से खरीदी गई सुरक्षा) के द्वारा कर सकता है। जब कोई बैंक अपनी व्यापार बही में दर्ज किसी सीडीएस का प्रयोग करते हुए किसी बैंकिंग क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र (कार्पोरिट बांड) का बचाव(अर्थात् किसी आंतरिक बचाव का प्रयोग करते हुए) करता है तो बैंकिंग बही एक्सपोज़र का बचाव पूंजी प्रयोजनों के लिए तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि बैंक किसी सीडीएस के माध्यम से क्रेडिट जोखिम को व्यापार बही से किसी पात्र तृतीय पक्षकार सुरक्षा प्रदाता को स्थानांतरित न कर दे। इस सीडीएस को बैंकिंग बही एक्सपोज़र के परिप्रेक्ष्य में पैराग्राफ 5.17 की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। जहां इस प्रकार की तृतीय पक्षकार सुरक्षा की खरीद की जाती है और उसका निर्धारण विनियामक पूंजी प्रयोजनों के लिए किसी बैंकिंग बही एक्सपोज़र के बचाव के रूप में किया जाता है तो आंतरिक एवं बाह्य सीडीएस बचाव के लिए कोई पूंजी बनाए रखना अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार के मामलों में बाह्य सीडीएस बैंकिंग बही एक्सपोज़र के लिए परोक्ष बचाव के रूप में कार्य करेगा तथा बाह्य/तृतीय पक्षकार बचाव के मामले में लागू पैराग्राफ 5.17 के अनुसार पूंजी पर्याप्तता लागू होगी ।

6. <u>बाह्य ऋण मूल्यांकन</u>

6.1 <u>पात्र ऋण रेटिंग एजेंसियां</u>

6.1.1 रिज़र्व बैंक ने उन पात्र ऋण रेटिंग एजेन्सियों की पहचान करने की विस्तृत प्रक्रिया अपनायी है जिनकी रेटिंग का इस्तेमाल बैंक जोखिम भार देने के लिए करेंगे। संशोधित ढांचे के प्रावधानों के अनुरूप जहां बैंक द्वारा दी जा जानेवाली सुविधा के संदर्भ में उसके पास किसी पात्र ऋण रेटिंग एजेन्सी द्वारा दी गयी रेटिंग विद्यमान है, वहां दावे का जोखिम भार इस रेटिंग पर आधारित होगा।

6.1.2 संशोधित ढांचे में दिये गये सिद्धांतों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि बैंक पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए अपने दावों को जोखिम भार देने के उद्देश्य से निम्नलिखित देशी ऋण रेटिंग एजेन्सियों (अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार दी गयी) की रेटिंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं :

क) क्रेडिट एनालिसेस एंड रिसर्च लिमिटेड;
ख) क्रिसिल लिमिटेड;
ग) फिच इंडिया;
घ) इकरा लिमिटेड; तथा
ङ) ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)

6.1.2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निश्चय किया है कि बैंक जहां कहीं निर्दिष्ट किया गया हो पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए अपने दावों को जोखिम भार देने के उद्देश्य से निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेन्सियों (अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार दी गयी) की रेटिंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं :

क) फिच;
ख) मूडीज़; तथा
ग) स्टैंडर्ड एंड पुअर्स

6.2 बाह्य रेटिंग लागू करने की व्याप्ति

6.2.1 बैंकों को चाहिए कि वे चुनी गयी ऋण रेटिंग एजेन्सियों तथा उनकी रेटिंग का हर प्रकार के दावे के लिए जोखिम भार देने तथा जोखिम प्रबंधन प्रयोजन दोनों, के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भिन्न-भिन्न ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दिये गये मूल्याकनों को अपने स्वार्थ के अनुसार अपनाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई बैंक दावे के किसी प्रकार के लिए चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों की रेटिंग का इस्तेमाल करना चाहता है तो वह केवल उन ऋण रेटिंग एजेन्सियों की रेटिंग का इस्तेमाल कर सकता है, भले ही इनमें से कुछ दावों की रेटिंग ऐसी अन्य चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा की गयी हो जिनकी रेटिंग का इस्तेमाल न करने का बैंक ने निश्चय किया है। बैंक एक कंपनी बांड के लिए एक एजेन्सी की रेटिंग तथा उसी काउंटर पार्टी के प्रति दूसरे एक्सपोज़र के लिए दूसरी एजेन्सी की रेटिंग का इस्तेमाल तब तक नहीं करेंगे जब तक कि संबंधित एक्सपाज़र की रेटिंग चुनी गयी ऋण रेटिंग एजेन्सियों में से केवल उस एक एजेन्सी द्वारा की गयी हो जिसकी रेटिंग का इस्तेमाल करने का बैंक ने निश्चय किया है। किसी कंपनी समूह के भीतर किसी एक

संस्था के लिए किये गये बाहय मूल्यांकनों का उसी समूह की अन्य संस्थाओं को जोखिम भार देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

6.2.2 बैंकों को अपनी परिसंपत्तियों को जोखिम भार देने के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल की जानेवाली ऋण रेटिंग एजेन्सियों के नाम, प्रत्येक पात्र ऋण एजेन्सी के लिए मैपिंग प्रक्रिया के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित किये अनुसार विशेष रेटिंग ग्रेडों से संबद्ध जोखिम भार तथा सारणी डीएफ-5 द्वारा अपेक्षित कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां प्रकट करनी चाहिए।

6.2.3 जोखिम भार देने के प्रयोजनों के लिए पात्र होने हेतु बाहय मूल्यांकन में बैंक को देय सभी भुगतानों के संबंध में ऋण जोखिम एक्सपोज़र की संपूर्ण राशि को ध्यान में लिया जाना चाहिए और उसमें वह परिलक्षित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक को मूलधन और ब्याज दोनों देय है तो मूल्यांकन में इसे पूरी तरह ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा मूलधन और ब्याज की समय पर चुकौती से संबद्ध ऋण जोखिम उसमें परिलक्षित होना चाहिए।

6.2.4 जोखिम भार देने के प्रयोजनों के लिए पात्र होने हेतु रेटिंग लागू रहनी चाहिए तथा संबंधित रेटिंग एजेन्सी के मासिक बुलेटिन से उसकी पुष्टि की जानी चाहिए। रेटिंग एजेन्सी द्वारा पिछले 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार रेटिंग की समीक्षा की गयी हो।

6.2.5 पात्र ऋण मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, रेटिंग इस रूप में प्रकाशित की जानी चाहिए कि उस तक पहुंच हो तथा वह बाहरी ऋण रेटिंग एजेन्सी के परिवर्तन मैट्रिक्स में शामिल होनी चाहिए। अतः, ऐसी रेटिंग जो केवल लेनदेन करनेवाली पार्टियों को उपलब्ध करायी जाए, इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं करती।

6.2.6 बैंक के संविभाग की उन परिसंपत्तियों के लिए जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष के बराबर या उससे कम है, चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी अल्पावधि रेटिंग प्रासंगिक होगी। एक वर्ष से अधिक संविदागत परिपक्वता अवधि वाली अन्य आस्तियों के लिए चयनित ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधिक रेटिंग प्रासंगिक होगी।

6.2.7 नकदी ऋण एक्सपोज़र आमतौर पर रोल ओवर करते हैं तथा मंजूर सीमाओं का बड़ा भाग औसतन आहरित रहता है। इसलिए, नकदी ऋण एक्सपोज़र भले ही एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए मंजूर किया गया हो, इन एक्सपोज़रों को दीर्घावधि एक्सपोज़रों के रूप में माना जाना चाहिए और तदनुसार चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी दीर्घावधि रेटिंग संगत होगी। इसी प्रकार, बैंक किसी काउंटर पार्टी की दीर्घावधि रेटिंग का प्रॉक्सी के रूप में उसी काउंटर पार्टी के रेटिंग न किये गये अल्पावधि एक्सपोज़र के लिए प्रयोग कर

सकते हैं; बशर्ते नीचे पैरा 6.4, 6.5, 6.7 और 6.8 में उल्लेख किये अनुसार बहुविध रेटिंग मूल्यांकनों के प्रयोग तथा निर्गमकर्ता /अन्य दावों पर निर्गम रेटिंग लागू होने संबंधी अपेक्षाओं का कड़ाई से पालन किया जाए।

6.3 मैपिंग प्रक्रिया

संशोधित ढांचे में यह सिफारिश की गयी है कि पात्र ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा जारी रेटिंग को मानकीकृत जाखिम भारांकन ढांचे के अधीन उपलब्ध जोखिम भार पर लागू करने के लिए मैपिंग प्रक्रिया विकसित की जाए। इस मैपिंग प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ऐसा जोखिम भार दिया जाना चाहिए जो ऋण जोखिम के स्तर के अनुरूप हो। चुनी हुई देशी ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी ऋण रेटिंगों की मैपिंग नीचे पैरा 6.4.1 तथा 6.5.4 में दी गयी है जिसका बैंकों द्वारा विभिन्न एक्सपाजरों को जोखिम भार देने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

केयर	क्रिसिल	इंडिया रेटिंग एण्ड रिसर्च प्रा. लि(इंडिया रेटिंग)	इकरा	ब्रिकवर्क	एसएमई रेटिंग एजंसी ऑफ इंडिया लि.(स्मेरा)	मानकीकृत दृष्टिकोण जोखिम भार (प्रतिशत में)
केयर एएए	क्रिसिल एएए	इंडिया एएए	इकरा एएए	ब्रिकवर्क एएए	स्मेरा एएए	20
केयर एए	क्रिसिल एए	इंडिया एएए	इकरा एएए	ब्रिकवर्क एए	स्मेरा एए	30
केयर ए	क्रिसिल ए	इंडिया एएए	इकरा एएए	ब्रिकवर्क ए	स्मेरा ए	50
केयर बीबीबी	क्रिसिल बीबीबी	इंडिया बीबीबी	इकरा बीबीबी	ब्रिकवर्क बीबीबी,	स्मेरा बीबीबी	100
केयर बीबी, केयर बी. केयर सी तथा केयर डी	क्रिसिल बीबी, क्रिसिल बी, क्रिसिल सी, तथा क्रिसिल डी	इंडिया बीबी, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी	इकरा बीबी, इकरा बी, इकरा सी तथा इकरा डी	ब्रिकवर्क बीबी, ब्रिकवर्क बी, ब्रिकवर्क सी, तथा ब्रिकवर्क डी	स्मेरा बीबी स्मेरा बी स्मेरा सी एण्ड स्मेरा डी	150
रेटिंग न की गयी	रेटिंग न की गयी	रेटिंग न की गयी	रेटिंग न की गयी	रेटिंग न की गयी	रेटिंग न की गयी	100

6.4 दीर्घावधि रेटिंग

6.4.1 उपर्युक्त तत्वों तथा रेटिंग एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर चुनी हुई देशी ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा जारी रेटिंग का निरूपण संशोधित ढांचे के अंतर्गत

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लागू उचित जोखिम भार के संदर्भ में किया गया है। नीचे सारणी में दी गयी रेटिंग जोखिम भार मैपिंग भारत में सभी बैंकों द्वारा अपनायी जायेगी :

सारणी 12 : चुनी हुई देशी रेटिंग एजेन्सियों की दीर्घावधि रेटिंग की जोखिम भार मैपिंग

6.4.2 जहां रेटिंग के साथ "+" या "-" चिह्न जोड़ा गया है वहां तदनुरूपी मुख्य रेटिंग श्रेणी के जोखिम भार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ए + या ए- को ए रेटिंग श्रेणी में समझा जायेगा तथा 50 प्रतिशत जोखिम भार दिया जायेगा ।

6.4.3 यदि किसी निर्गमकर्ता का बाह्य दीर्घावधि रेटिंग के साथ दीर्घावधि एक्सपोज़र है जिस पर 150 प्रतिशत का जोखिम भार का आवश्यक है तो उसी काउंटर पार्टी के संबंध में सभी रेटिंग न किये गये दावों को भी, चाहे अल्पावधि हो या दीर्घावधि, 150 प्रतिशत का जोखिम भार तब तक दिया जाना चाहिए जब तक कि बैंक ऐसे दावों के लिए ऋण जोखिम कम करने की स्वीकृत तकनीकें इस्तेमाल नहीं करता हो।

6.5 अल्पावधि रेटिंग

6.5.1 जोखिम भार देने के प्रयोजनों के लिए अल्पावधि रेटिंग निर्गम विशेष से जुड़ी समझी जाती हैं। उनका प्रयोग केवल रेटिंग की गयी सुविधा से उत्पन्न दावों के लिए जोखिम भार निकालने के लिए किया जा सकता है। उन्हें अन्य अल्पावधि दावों के साथ सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। किसी भी हालत में किसी अल्पावधि रेटिंग का उपयोग रेटिंग न किये गये दीर्घावधि दावे के जोखिम भार के लिए नहीं किया जा सकता। अल्पावधि मूल्यांकनों का उपयोग केवल बैंकों और कंपनियों के विरुद्ध अल्पावधि दावों के लिए किया जाए।

6.5.2 किसी निर्गम विशेष की अल्पावधि रेटिंग का अन्य अल्पावधि एक्सपाज़रों के लिए उपयोग करने पर उपर्युक्त प्रतिबंध के होते हुए भी निम्नलिखित व्यापक सिद्धांत लागू होंगे। किसी काउंटर पार्टी के रेटिंग न किये गये अल्पावधि दावे पर लगनेवाला जोखिम भार उस काउंटर पार्टी के रेटिंग किये गये अल्पावधि दावे पर लागू जोखिम भार से कम-से-कम एक स्तर उच्चतर होगा। यदि काउंटर पार्टी को प्रदत्त रेटिंग की गयी अल्पावधि सुविधा पर 20 प्रतिशत या 50 प्रतिशत जोखिम भार लगता है तो उसी काउंटर पार्टी के प्रति रेटिंग न किये गये अल्पावधि दावों पर क्रमशः 30 प्रतिशत या 100 प्रतिशत से कम जोखिम भार नहीं लग सकता।

6.5.3 इसी प्रकार, यदि किसी निर्गमकर्ता का बाह्य अल्पावधि रेटिंग के साथ अल्पावधि एक्सपोज़र है जिस पर 150 प्रतिशत का जोखिम भार आवश्यक है, तो उसी काउंटर पार्टी के संबंध में सभी रेटिंग न किये गये दावों पर भी, चाहे दीर्घावधि हो या अल्पावधि, 150

प्रतिशत का जोखिम भार तब तक दिया जाना चाहिए जब तक कि बैंक ऐसे दावों के लिए ऋण जोखिम कम करने की स्वीकृत तकनीकें इस्तेमाल नहीं करता है।

6.5.4 निर्गम विशेष की अल्पावधि रेटिंगों के संदर्भ में बैंकों द्वारा निम्नलिखित जोखिम भार मैपिंग अपनायी जायेगी :

सारणी 13 : देशी रेटिंग एजेन्सियों की अल्पावधि रेटिंग की जोखिम भार मैपिंग

केयर	**क्रिसिल**	**फिच**	**इकरा**	**ब्रिकवर्क**	**एसएमई रेटिंग एजंसी ऑफ इंडिया लि.(स्मेरा)**	**मानकीकृत दृष्टिकोण जोखिम भार (प्रतिशत में)**
केयर ए1+	क्रिसिल ए1+	फिच ए1+	इकरा ए1+	ब्रिकवर्क ए1+	स्मेरा ए1+	20
केयर ए1	क्रिसिल ए1	फिच ए1	इकरा ए1	ब्रिकवर्क ए1	स्मेरा ए1	30
केयर ए2	क्रिसिल ए2	फिच ए2	इकरा ए2	ब्रिकवर्क ए2	स्मेरा ए2	50
केयर ए3	क्रिसिल ए3	फिच ए3	इकरा ए3	ब्रिकवर्क ए3	स्मेरा ए3	100
केयर ए4 एवं डी	क्रिसिल ए4 एवं डी	फिच ए4 एवं डी	इकरा ए4 एवं डी	ब्रिकवर्क ए4 एवं डी	स्मेरा ए4 एण्ड स्मेरा डी	150
रेटिंग न की गयी	रेटिंग न की गयी	रेटिंग न की गयी	रेटिंग न की गयी	रेटिंग न की गयी	रेटिंग न की गयी	100

6.5.5. ***जहां** रेटिंग के साथ "+" या "-" चिह्न जोड़ा गया है वहां ए2 और उससे नीचे के लिए* तदनुरूपी मुख्य रेटिंग श्रेणी के जोखिम भार का तब तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए। उदाहरण के लिए, ए2 + या ए2 - को ए2 रेटिंग श्रेणी में समझा जायेगा तथा 50 प्रतिशत जोखिम भार दिया जायेगा।

6.5.6. चुनी हुई देशी रेटिंग एजेन्सियों की दीर्घावधि और अल्पावधि दोनों रेटिंगों की उपर्युक्त जोखिम भार मैपिंग की रिज़र्व बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा की जायेगी।

6.6 मांगी न गयी रेटिंग का इस्तेमाल

किसी रेटिंग को मांगी गयी रेटिंग तभी माना जायेगा यदि लिखत के निर्गमकर्ता ने ऋण रेटिंग एजेन्सी से रेटिंग के लिए अनुरोध किया हो तथा एजेन्सी द्वारा दी गयी रेटिंग को स्वीकार किया हो। सामान्य नियम के रूप में, बैंकों को केवल **चुनी हुई रेटिंग एजेन्सियों से मांगी गयी रेटिंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए।** मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार ऋण

रेटिंग एजेन्सियों द्वारा बिना मांगे जारी किये गये किसी रेटिंग के आधार पर जोखिम भार की गणना नहीं की जानी चाहिए।

6.7 बहुविध रेटिंग मूल्यांकनों का इस्तेमाल

बैंक द्वारा जोखिम भार की गणना के प्रयोजन के लिए चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों से बहुविध रेटिंग वाले एक्सपाज़रों /बाध्यताधारियों (ऑब्लीगर्स) के संदर्भ में बैंक निम्नलिखित से मार्गदर्शन लेंगे :

(i) यदि किसी चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सी द्वारा किसी दावे के लिए केवल एक रेटिंग दी गयी है तो उस रेटिंग का इस्तेमाल दावे का जोखिम भार निश्चित करने के लिए किया जायेगा।

(ii) यदि चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दो रेटिंग दी गयी हैं जो अलग-अलग जोखिम भार में रूपांतरित होती हैं तो उच्चतर जाखिम भार लागू किया जाना चाहिए।

(iii) यदि चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा तीन या अधिक रेटिंग दी गयी हैं और उनमें अलग-अलग जोखिम भार हैं तो दो न्यूनतम जोखिम भार की तदनुरूपी रेटिंग का संदर्भ लिया जाना चाहिए तथा उन दोनों में से उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाना चाहिए, अर्थात् दूसरा निम्नतम जोखिम भार।

6.8 निर्गमकर्ता /अन्य दावों पर निर्गम रेटिंग लागू होना

6.8.1 जहां कोई बैंक ऐसे किसी खास निर्गम में निवेश करता है जिसे चुनी हुई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा निर्गम विशेष की रेटिंग प्राप्त है तो दावे का जोखिम भार इस मूल्यांकन पर आधारित होगा। जहां बैंक का दावा किसी विशिष्ट मूल्यांकित निर्गम में निवेश के रूप में नहीं है, वहां निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत लागू होंगे :

i) उन परिस्थितियों में जहां ऋणकर्ता के पास जारी ऋण के लिए विनिर्दिष्ट मूल्यांकन है - परंतु बैंक का दावा इस विशेष ऋण में निवेश के रूप में नहीं है - वहां विनिर्दिष्ट ऋण पर लागू रेटिंग (जहां रेटिंग ऐसे जोखिम भार में रूपांतरित होती है जो रेटिंग न किये दावे पर लागू भार से कम है) बैंक के अमूल्यांकित दावे पर केवल तभी लागू की जाए यदि वह दावा सभी दृष्टियों से विनिर्दिष्ट रेटिंग किये गये

ऋण के समरूप या वरिष्ठ हो तथा अमूल्यांकित दावे की परिपक्वता रेटिंग किये गये दावे[24] की परिपक्वता के बाद न हो। इसका अपवाद वहां हो सकता है जहां रेटिंग किया गया दावा पैरा 6.5.2 में निर्दिष्ट किये अनुसार अल्पावधि दायित्व है। यदि ऐसा नहीं है तो विनिर्दिष्ट ऋण पर लागू रेटिंग का उपयोग नहीं किया जा सकता है और अमूल्यांकित दावे पर रेटिंग न किये गये दावों का जोखिम भार लागू होगा।

ii) यदि निर्गमकर्ता या एकल निर्गम को ऐसी रेटिंग दी गयी है जो ऐसे जोखिम भार में रूपांतरित होती है जो रेटिंग न किये गये दावों पर लागू जोखिम भार के बराबर है या उससे ऊपर है, तो उसी काउंटर पार्टी पर किसी दावे पर, जिसकी किसी चुनी हुई रेटिंग एजेन्सी द्वारा रेटिंग नहीं की गयी है, वही जोखिम भार दिया जायेगा जो रेटिंग किये गये एक्सपोज़र पर लागू है, बशर्ते वह दावा सभी दृष्टियों से रेटिंग किये गये एक्सपोज़र के समकक्ष या कनिष्ठ है ।

6.8.2 यदि पैरा 6.8.1 में इंगित की गई शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो विनिर्दिष्ट ऋण पर लागू रेटिंग का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा और प्राथमिकता क्षेत्र को ऋणप्राप्त- प्रदान करने संबंधी लक्ष्योंलक्ष्यो-उप/ं को पूरा करने में हुई कमी के बदले नाबार्डएनएचबी/सिडबी/[25] में रखी गयी जमाराशियों पर दावे पर अनरेटेड दावों की भांति, अर्थात् 100% पर, जोखिम भार लगाया जाएगा।

(iii) जहां कोई बैंक चुनी हुई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा दी गयी निर्गमकर्ता या निर्गम विशेष की रेटिंग ऐसे किसी दूसरे एक्सपोज़र पर लागू करना चाहता है जो उसी काउंटर पार्टी के संबंध में बैंक का एक्सपोज़र है और जो उपर्युक्त

[24] यदि जहां किसी काउंटर पार्टी पर अल्पावधि दावे की रेटिंग ए1+ हो और उसी काउंटर पार्टी पर दीर्घावधि दावे की रेटिंग एएए हो, वहां बैंक उस स्थिति में उस काउंटर पार्टी पर रेटिंग न किये गये अल्पावधि दावे को 30 प्रतिशत जोखिम भार तथा रेटिंग न किये गये दीर्घावधि दावे को 20 प्रतिशत जोखिम भार दे सकता है जहां दावे की वरिष्ठता का दर्जा रेटिंग किये गये दावे के समरूप हो तथा रेटिंग न किये गये दावे की परिपक्वता रेटिंग किये गये दावे के बाद न हो। इसी प्रकार के मामले में जहां अल्पावधि दावे की रेटिंग ए1+ है तथा दीर्घावधि दावे की रेटिंग ए है वहां बैंक रेटिंग न किये गये अल्पावधि या दीर्घावधि दावे को 50 प्रतिशत जोखिम भार दे सकता है।

[25] कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों को पूरा करने में हुई कमी के बदले में नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गयी जमाराशियों पर जोखिम भार पर 20 जून 2013 का परिपत्र बैंपविवि . .सं .बीसी .बीपी103/21.06.001/2012-13 देखें।

मानदंड पूरा करता है तो उक्त रेटिंग उस एक्सपोज़र से संबंधित बैंक के ऋण जोखिम एक्सपोज़र की पूरी राशि (अर्थात् मूलधन और ब्याज दोनों) पर लागू की जानी चाहिए।

(iv) ऋण संवर्धन तत्वों की दोहरी गिनती से बचने के लिए बैंक जिस चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सी पर निर्भर कर रहा है यदि उसके द्वारा निर्गम विशेष के संदर्भ में दी गयी रेटिंग में ऋण संवर्धन पहले ही परिलक्षित हो रहा हो तो ऋण जोखिम कम करने की तकनीकों के प्रभाव को गणना में नहीं लेना चाहिए।

(v) जहां रेटिंग न किये गये एक्सपोज़र को उस ऋणकर्ता के संबंध में बराबर के एक्सपोज़र की रेटिंग पर आधारित जोखिम भार दिया गया है, वहां सामान्य नियम यह है कि विदेशी मुद्रा रेटिंग का इस्तेमाल केवल विदेशी मुद्रा में एक्सपोज़रों के लिए किया जायेगा ।

7. ऋण जोखिम कम करना

7.1 सामान्य सिद्धांत

7.1.1 बैंक अपनी ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए नकदी अथवा प्रतिभूतियों द्वारा, एक ही काउंटर पार्टी की जमाराशियों द्वारा, किसी थर्ड पार्टी की गारंटी, आदि द्वारा एक्सपोज़र को पूण्ददातः या अंशतः प्रतिभूतिबद्ध किया जा सकता है। ऋण जोखिम कम करने के नये दृष्टिकोण में 1988 ढांचे की तुलना में ऋण जोखिम कम करनेवाले तत्वों की एक व्यापक श्रेणी को स्वीकृति दी गयी है, बशर्ते ये तकनीकें नीचे पैराग्राफ 7.2 में वर्णित कानूनी निश्चितता की अपेक्षा पूरी करती हों। इस खंड में ऋण जोखिम कम करने के जिस दृष्टिकोण का ब्योरा दिया गया है वह बैंकिंग बहियों के एक्सपोज़र पर लागू है। वह ट्रेडिंग बही में की गयी रिपो जैसी लेनदेन और ओटीसी डेरिवेटिव के काउंटर पार्टी जोखिम प्रभार की गणना पर भी लागू होगा ।

7.1.2 ऋण जोखिम कम करने की तकनीकों के प्रयोग पर निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत लागू होंगे -

(i) जिस लेनदेन में ऋण जोखिम कम करने की (सीआरएम) तकनीकों को प्रयोग किया गया है वहाँ ऐसे समान प्रकार की लेनदेनों की तुलना में जहाँ ऐसी तकनीकों का प्रयोग नहीं किया गया है, उच्चतर पूंजी अपेक्षा नहीं लागू की जानी चाहिए।

(ii) सीआरएम के प्रभाव की दोहरी गणना नहीं की जाएगी। अतः, ऐसे दावों के लिए, जिनमें पहले से ही सीआरएम तकनीकें प्रतिबिम्बित करनेवाली निर्गम विनिर्दिष्ट रेटिंग प्रयुक्त हुई है, विनियामक पूंजी प्रयोजन के लिए अतिरिक्त पर्यवेक्षीय मान्यता नहीं मिलेगी।

(iii) सीआरएम ढाँचे के अंतर्गत प्रिन्सिपल-ओनली रेटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) सीआरएम तकनीकों के प्रयोग से ऋण जाखिम कम होता है या अंतरित होता है, लेकिन यह साथ-साथ अन्य जोखिमों (अवशिष्ट जोखिमों) को बढ़ा सकता है। अवशिष्ट जोखिमों में कानूनी, परिचालनात्मक, चलनिधि और बाजार जोखिम शामिल हैं। अतः यह आवश्यक है कि बैंक इन जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए सुदृढ़ प्रक्रिया और क्रियाविधि अपनाएँ, जिसमें रणनीति, आधारभूत ऋण पर विचार, मूल्यांकन, नीति और प्रक्रिया, प्रणाली, रोल-ऑफ जोखिमों का नियंत्रण और बैंक द्वारा सीआरएम तकनीकों के प्रयोग से और बैंक की समग्र ऋण जोखिम प्रोफाइल के साथ उसकी प्रतिक्रिया से उत्पन्न संकेन्द्रण जोखिम का प्रबंधन शामिल है। जहाँ इन जोखिमों का पर्याप्त नियंत्रण नहीं होगा, वहाँ रिज़र्व बैंक अतिरिक्त पूंजी भार लगा सकता है या अन्य पर्यवेक्षीय कदम उठा सकता है। सीआरएम तकनीकों के मामले में पूंजी में छूट प्राप्त करने के लिए बैंकों को सारणी डीएफ-6 (पैराग्राफ 10 - बाजार अनुशासन) में निर्धारित सूचना के प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं का भी पालन करना चाहिए।

7.2 कानूनी निश्चितता

सीआरएम तकनीकों के प्रयोग के लिए पूंजी की छूट प्राप्त करने के लिए बैंकों को कानूनी प्रलेखन का निम्नलिखित न्यूनतम मानक अवश्य पूरा करना चाहिए। संपार्श्वीकृत लेनदेन और गारंटियों में प्रयुक्त सभी प्रलेखन सभी पक्षों पर बाध्यकारी होना चाहिए और सभी क्षेत्रों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय होना चाहिए। इस अपेक्षा की जाँच करने के लिए बैंकों को पर्याप्त कानूनी समीक्षा करनी चाहिए, जिसके लिखित प्रमाण होने चाहिए। प्रलेखों की बाध्यता और उसकी प्रवर्तनीयता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए ऐसी जाँच में सुस्थापित कानूनी आधार होना चाहिए। बैंकों को प्रलेखों की प्रवर्तनीयता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की और समीक्षा करते रहना चाहिए।

7.3 ऋण जोखिम कम करने की तकनीकें - संपार्श्विकृत लेनदेन

7.3.1 संपार्श्विकृत लेनदेन वह लेनदेन है जिसमें :

(i) बैंक का ऋण एक्सपोज़र है तथा उक्त ऋण एक्सपोज़र की पूर्ण या आंशिक हेजिंग एक काउंटर पार्टी द्वारा अथवा उस काउंटर पार्टी की ओर से किसी थर्ड पार्टी द्वारा दिए गए संपार्श्विक द्वारा की गई है। यहाँ काउंटर पार्टी का प्रयोग ऐसी पार्टी के लिए किया गया है जिसके प्रति बैंक का तुलनपत्र अथवा तुलनपत्रेतर ऋण एक्सपोज़र है।

(ii) बैंक का संपार्श्विक प्रतिभूति पर विनिर्दिष्ट ग्रहणाधिकार है तथा कानूनी निश्चितता की अपेक्षा पूरी हो रही है।

7.3.2 <u>समग्र ढाँचा और न्यूनतम शर्तें</u>

संशोधित ढाँचे के अंतर्गत बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे या तो सरल दृष्टिकोण अपनाएँ, जिसमें 1988 समझौते के समान ही, एक्सपोज़र के संपार्श्विकृत हिस्से के लिए काउंटर पार्टी के जोखिम भार के बदले संपार्श्विक का जोखिम भार (आम तौर पर न्यूनतम 20 प्रतिशत तक) लिया जाता है, या समग्र दृष्टिकोण अपनाएँ जिसमें संपार्श्विक को प्रदत्त मूल्य को एक्सपोज़र राशि से घटाते हुए संपार्श्विक द्वारा एक्सपोज़र का बेहतर प्रतिसंतुलन किया जाता है। भारत में बैंक समग्र दृष्टिकोण अपनाएंगे, जिसमें संपार्श्विक को प्रदत्त मूल्य एक्सपोज़र राशि से घटाते हुए, संपार्श्विक द्वारा एक्सपोज़र का बेहतर प्रतिसंतुलन किया जाता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत पात्र वित्तीय संपार्श्विक (अर्थात् नकदी या प्रतिभूति, जिनकी अधिक विनिर्दिष्ट परिभाषा नीचे दी गयी है) लेने वाले बैंक पूंजी अपेक्षा की गणना करते समय संपार्श्विक के जोखिम कम करने वाले प्रभाव को काउंटर पार्टी के प्रति अपने ऋण जोखिम से घटा सकते हैं। ऋण जोखिम में कमी की खाता-दर-खाता आधार पर ही अनुमति है, यहाँ तक कि विनियामक फुटकर संविभाग में भी तथापि, पूंजी संबंधी राहत दिये जाने के पहले निम्नलिखित मानक अवश्य पूरे किये जाने चाहिए :

(i) कानूनी निश्चितता की सामान्य अपेक्षाओं के अलावा, संपार्श्विक को गिरवी रखने या उसको अंतरित करने के लिए प्रयुक्त कानूनी प्रक्रिया में यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक को काउंटर पार्टी (और, जहाँ लागू हो, संपार्श्विक रखने वाले अभिरक्षक) द्वारा चूक किये जाने या दिवालिया हो जाने (या लेनदेन प्रलेखन में वर्णित एक या अधिक अन्यथा परिभाषित ऋण घटनाओं) की स्थिति में बैंक को उपयुक्त समय पर उक्त संपार्श्विक का कानूनी कब्जा लेने या उसे बेचने का अधिकार है। इसके अलावा बैंकों को संपार्श्विक प्रतिभूति में बैंक के प्रवर्तनीय प्रतिभूति हित को प्राप्त करने और उसे बनाये रखने के लिए लागू कानून के अंतर्गत अपेक्षाएं पूरी करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना चाहिए, उदाहरण के लिए रजिस्ट्रार के पास उसे रजिस्टर कराना आदि ।

(ii) संपार्श्विक प्रतिभूति से सुरक्षा मिले इसके लिए आवश्यक है कि काउंटर पार्टी की ऋण गुणवत्ता और संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के बीच वास्तविक धनात्मक अंतर्संबंध न हो । उदाहरण के लिए काउंटर पार्टी अथवा उक्त समूह से संबद्ध संस्था द्वारा जारी प्रतिभूति से कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी और इसलिए उसे संपार्श्विक नहीं माना जा सकता ।

(iii) बैंकों के पास संपार्श्विक प्रतिभूति के सामयिक परिसमापन के लिए स्पष्ट और सुदुढ़ प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काउंटर पार्टी की चूक की घोषणा करने तथा संपार्श्विक के परिसमापन करने के लिए अपेक्षित कानूनी शर्तों का पालन किया जाता है तथा संपार्श्विक का अविलंब परिसमापन किया जाता है ।

(iv) जहां संपार्श्विक किसी अभिरक्षक के पास हो, वहां बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभिरक्षक संपार्श्विक को अपनी आस्तियों से अलग रखता है उपयुक्त कदम उठाना चाहिए ।

7.3.3 संपार्श्विक लेनदेन के दोनों चरणों पर पूंजी अपेक्षा लागू होगी। उदाहरण के लिए रिपो और रिवर्स रिपो दोनों पर पूंजी अपेक्षा लागू होगी। इसी प्रकार प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने से संबंधित दोनों तरफ के लेनदेन पर तथा डेरिवेटिव एक्सपोज़र या अन्य उधार से संबंधित प्रतिभूति की पोस्टिंग पर स्पष्ट पूंजी भार लागू होगा ।

7.3.4 **समग्र दृष्टिकोण**

i) समग्र दृष्टिकोण में संपार्श्विक प्रतिभूति लेते समय बैंकों को संपार्श्विक के प्रभाव को गणना में शामिल करने हेतु काउंटर पार्टी के प्रति पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन से समायोजित एक्सपोज़र की गणना करने की आवश्यकता होगी। बैंकों को काउंटर पार्टी के प्रति एक्सपोज़र की राशि तथा काउंटर पार्टी के समर्थन में प्राप्त संपार्श्विक के मूल्य को समायोजित करना होगा ताकि बाज़ार में घट-बढ़ के कारण दोनों के मूल्य में संभव भावी घट-बढ़ को ध्यान में रखा जाए। इन समायोजनों को `हेयरकट' कहा जाता है। `हेयरकट' लागू करने पर एक्सपोज़र और संपार्श्विक दोनों में अस्थिरता के समायोजन के बाद की राशि प्राप्त होगी। एक्सपोज़र में अस्थिरता के समायोजन के बाद जो राशि प्राप्त होगी वह एक्सपोज़र से उच्चतर होगी तथा संपार्श्विक में समायोजन के बाद जो राशि प्राप्त होगी वह संपार्श्विक से न्यूनतर होगी। यदि लेनदेन के दोनों पक्ष नकदी हो तब ऐसा नहीं होगा। दूसरे शब्दों में एक्सपोज़र के लिए हेयरकट एक प्रीमियम घटक होगा, जबकि संपार्श्विक के लिए हेयरकट डिस्काउंट

घटक होगा। यह ध्यान में रखना चाहिए कि `हेयरकट' लगाने के पीछे प्रयोजन एक्सपोज़र और पात्र वित्तीय संपार्श्विकों के मूल्य में अंतर्निहित बाजार आधारित अस्थिरता का आकलन करना है। चूंकि अपने बैंकिंग परिचालनों के दौरान बैंकों को हुए ऋण एक्सपोजर का मूल्य बाजार अस्थिरता के अधीन नहीं होगा (क्योंकि ऋण वितरण/ निवेश`नकद' लेनदेन होगा) हालांकि पात्र वित्तीय संपाश्दिवकों का मूल्य बाजार अस्थिरता के अधीन होगा, सारणी 14 में निर्धारित हेयरकट ऋण लेनदेन के मामले में केवल पात्र संपार्श्विक पर लागू होगा, बैंक के ऋण एक्सपोजर पर नहीं। दूसरी ओर, रिपो जैसे लेनदेन के कारण बैंक को होनेवाले एक्सपोजर पर अस्थिरता के लिए ऊर्ध्वमुखी समायोजन करना आवश्यक होगा, क्योंकि रिपो लेनदेन में बेची गयी/ उधार दी गयी/बंधक रखी गयी प्रतिभूति का मूल्य बाजार अस्थिरता के अधीन होगा । अतः, ऐसे एक्सपोजर पर हेयरकट लागू होगा ।

ii) इसके अलावा यदि एक्सपोज़र और संपार्श्विक अलग-अलग मुद्राओं में रखा गया हो तो अस्थिरता समायोजित संपार्श्विक राशि में एक अतिरिक्त निम्नमुखी समायोजन भी किया जाना चाहिए ताकि विनिमय दरों में संभावित भावी घट-बढ़ को गणना में शामिल किया जा सके।

iii) जहां अस्थिरता-समायोजित एक्सपोज़र राशि अस्थिरता-समायोजित संपार्श्विक राशि (जिसमें विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए अतिरिक्त समायोजन शामिल है) से अधिक हो तो बैंक अपनी जोखिम भारित आस्तियों की गणना इन दोनों के अंतर को काउंटर पार्टी के जोखिम भार से गुणा कर प्राप्त करेंगे। पूंजी अपेक्षा की गणना करने की रूपरेखा पैराग्राफ 7.3.6 में दर्शायी गयी है ।

7.3.5 <u>पात्र वित्तीय संपार्श्विक</u>

समग्र दृष्टिकोण में निम्नलिखित संपार्श्विक लिखतों को पात्र माना जाएगा -

(i) <u>नकद</u> जिस बैंक को काउंटर पार्टी एक्सपोज़र हो रहा है उसके पास जमा नकदी (तथा जमा प्रमाण पत्र या समान लिखतें, जिनमें ऋणदाता बैंक द्वारा जारी मीयादी जमा रसीदें भी शामिल हैं)

(ii) <u>स्वर्ण:</u> स्वर्ण में बुलियन और आभूषण दोनों शामिल हैं। तथापि, संपार्श्विकृत आभूषण का मूल्य उन्हें 99.99 शुद्धता में धारणात्मक आधार पर परिवर्तित कर प्राप्त किया जाना चाहिए।

(iii) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूति

(iv) किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, बशर्ते कोई लॉक-इन अवधि लागू न हो और उन्हें धारण अवधि के दौरान भुनाया जा सकता हो।

(v) बीमा क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित किसी बीमा कंपनी की जीवन बीमा पॉलिसियां, जिसमें अभ्यर्पण मूल्य घोषित किया गया हो।

(vi) ऋण प्रतिभूतियां जिनकी रेटिंग किसी चयनित ऋण रेटिंग एजेन्सी ने की हो तथा जिनके संबंध में बैंकों को पर्याप्त विश्वास हो कि उनकी बाज़ार में बिक्री कर चलनिधि[26] प्राप्त की जा सकती है, जहां उनपर या तो

क) 100% या उससे कम जोखिम भार लगता हो अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं (बैंक और प्राथमिक व्यापारी सहित) द्वारा जारी होने पर जिनकी रेटिंग कम-से-कम बीबीबी (-) हो; अथवा

ख) 100% या उससे कम जोखिम भार लगता हो अर्थात् अल्पावधि ऋण लिखतों के मामले में कम-से-कम केयर ए3/क्रिसिल ए3/इंडिया ए3/इकरा ए3/ब्रिकवर्क ए3/ स्मेरा ए3 की रेटिंग हो ।

(vii) ऋण प्रतिभूतियां जिनकी रेटिंग किसी चयनित ऋण रेटिंग एजेंसी ने नहीं की हो तथा जिनके संबंध में बैंकों को पर्याप्त विश्वास हो कि उन्हें बाज़ार में बेचकर चलनिधि प्राप्त की जा सकती है, जहां वे

क) किसी बैंक द्वारा जारी किये गये हैं; और

ख) किसी मान्यताप्राप्त एक्स्चेंज में सूचीबद्ध हैं; और

ग) जिसे वरिष्ठ ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया हो; और

घ) निर्गमकर्ता बैंक के समान वरिष्ठता वाले सभी निर्गम, जिनकी रेटिंग की गयी है, की रेटिंग चयनित ऋण रेटिंग एजेन्सी द्वारा कम-से-कम बीबीबी (-) या केयर ए3/क्रिसिल ए3/इंडिया ए3/इकरा ए3/ब्रिकवर्क ए3/स्मेरा ए3 है; और

ङ) जो बैंक उन प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में रख रहा है उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे निर्गम को बीबीबी (-) या केयर

---

[26] कोई डिबेंचर चलनिधि की कसौटी पर खरा माना जाएगा यदि उसमें पिछले 365 दिनों के दौरान कम-से-कम 90 प्रतिशत ट्रेडिंग दिवसों पर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में खरीद-बिक्री हुई है। इसके अलावा, चलनिधि का प्रमाण मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज में पिछले एक महीने की खरीद-बिक्री में मिल सकता है यदि प्रत्येक निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियों के विपणन योग्य समूह की कम-से-कम 25 बार खरीद-बिक्री हुई हो।

ए3/क्रिसिल ए3/इंडिया ए3/इकरा ए3/ब्रिकवर्क ए3/ स्मेरा ए3 (जो भी लागू हो) से कम रेटिंग दी जा सकती है; और

च) बैंकों को पर्याप्त विश्वास होना चाहिए कि प्रतिभूति को बेचकर चलनिधि प्राप्त की जा सकती है।

(viii) म्युचुअल फंड के यूनिट, जो बैंक के परिचालन के क्षेत्राधिकार के प्रतिभूति विनियामक द्वारा विनियमित हों तथा जहां

क) यूनिटों का मूल्य सार्वजनिक रूप से प्रतिदिन उद्धृत किया जाता है अर्थात् जहां सार्वजनिक रूप से दैनिक निवल आस्ति मूल्य उपलब्ध है

ख) जहां म्युचुअल फंड का निवेश इस पैराग्राफ में सूचीबद्ध लिखतों तक ही सीमित है।

7.3.6 <u>पूंजी अपेक्षा की गणना</u>

संपार्श्विकृत लेनदेन में जोखिम कम करने के बाद एक्सपोज़र की गणना निम्नानुसार की जाती है

$$E^* = \max\{0,[E \times (1+H_e)-C \times (1-H_c-H_{fx})]\}$$

जहां

E^* = जोखिम कम करने के बाद एक्सपोज़र का मूल्य

E = एक्सपोज़र का वर्तमान मूल्य जिसके लिए संपार्श्विक को जोखिम कम करनेवाला तत्व माना गया है

H_e = एक्सपोज़र के लिए उपयुक्त हेयरकट

C = प्राप्त संपार्श्विक का वर्तमान मूल्य

H_c = संपार्श्विक के लिए उपयुक्त हेयरकट

H_{fx}= संपार्श्विक और एक्सपोज़र के बीच में मुद्रा विसंगति के लिए उपयुक्त हेयरकट

जोखिम कम करने के बाद की एक्सपोज़र राशि (अर्थात् E^*) को काउंटर पार्टी के जोखिम भार से गुणा कर संपार्श्वीकृत लेनदेन के लिए जोखिम भारित परिसंपत्ति राशि प्राप्त की जा सकती है। ऋण जोखिम कम करने के प्रभाव की गणना के उदाहरण **अनुबंध 7** में दिये गये हैं।

7.3.7 <u>हेयरकट</u>

i) सिद्धांततः बैंकों के पास हेयरकट की गणना करने की दो पद्धतियां हैं : (i) बासल समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों का उपयोग करते हुए मानक पर्यवेक्षी हेयरकट, तथा (ii) बाज़ार कीमतों की अस्थिरता के बारे में बैंक के अपने आंतरिक अनुमानों का उपयोग करते हुए

स्वयं -अनुमानित हेयरकट। एक्सपोज़र तथा संपार्श्विक दोनों के लिए भारत में कार्यरत बैंक केवल मानक पर्यवेक्षी हेयरकट का प्रयोग करेंगे।

(ii) प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किये गये मानक पर्यवेक्षी हेयर कट (बाजार दर पर दैनिक मूल्यांकन, मार्जिन का दैनिक पुनर्निर्धारण तथा 10 कारोबारी दिन की धारण अवधि मानते हुए),[27] सारणी 14 के अनुसार होंगे ।

(iii) सारणी 14 में निर्दिष्ट रेटिंग देशी रेटिग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रेटिंग हैं। विदेशी केंद्र सरकारों तथा विदेशी कंपनियों द्वारा जारी की गयी ऋण प्रतिभूतियों में एक्सपोज़र के मले में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग के आधार पर सारणी 15 के अनुसार हेयरकट निर्धारित किया जाए ।

iv) सम्प्रभु में भारतीय रिज़र्व बैंक, डीआइसीजीसी तथा सीजीटीएमएसई तथा सीआरजीएफटीएलआईएच शामिल हैं, जो शून्य प्रतिशत जोखिम भार के लिए पात्र हैं ।

v) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, बीमा पालिसियों का अभ्यर्पण मूल्य तथा बैंक की अपनी जमाराशियों के रूप में पात्र संपार्श्विक के लिए बैंक शून्य हेयरकट लागू करें ।

vi) जहां एक्सपोज़र तथा संपार्श्विक अलग-अलग मुद्राओं में अंकित किए गए हैं ऐसी मुद्रा जोखिम के लिए मानकीकृत पर्यवेक्षी हेयरकट 8 प्रतिशत है (यह 10 कारोबार दिन की धारण अवधि तथा दैनंदिन बाज़ार दर पर मूल्यांकन पर भी आधारित होगा ।)

---

[27] संपार्श्विक के मूल्य की वसूली के लिए सामान्यतः बैंक को जितनी अवधि चाहिए, उसे धारण अवधि कहा जाता है।

सारणी - 14 सम्प्रभु (सोवरेन) तथा अन्य प्रतिभूतियां, जिनमें एक्सपोज़र तथा संपार्श्विक शामिल हैं, के लिए मानक पर्यवेक्षी हेयरकट

क्रम सं.		अधिकृत बाहरी ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (केयर/ क्रिसिल/ इंडिया रेटिंग/इक्रा/ब्रिकवर्क/ स्मेरा) द्वारा ऋण प्रतिभूतियों को दी गयी निर्गम रेटिंग	अवशिष्ट परिपक्वता (वर्ष में)	हेयरकट (प्रतिशत में)
क	**भारत सरकार द्वारा जारी /गारंटीकृत तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां (सम्प्रभु प्रतिभूतियां)**			
	i	रेटिंग लागू नहीं है - क्योंकि भारत में संप्रति सरकारी प्रतिभूतियों की रेटिंग नहीं की जाती है	= 1 वर्ष	0.5
			1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम	2
			5 वर्ष से अधिक	4
ख	**भारतीय राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों सहित उपर्युक्त मद सं. क में निर्देशित प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य देशी ऋण प्रतिभूतियां**			
	ii)	एएए से एए ए1	<अथवा = 1 वर्ष	1
			1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम	4
			5 वर्ष से अधिक	8
	iii)	ए से बीबीबी ए2; ए3 तथा परिपत्र के पैरा 7.3.5 (vii) में विनिर्दिष्ट रेटिंग न की गयी बैंक प्रतिभूतियां	< अथवा = 1 वर्ष	2
			1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम	6
			5 वर्ष से अधिक	12

	vi	म्युच्युअल फंड के यूनिट	उपर्युक्त में से जिस किसी भी प्रतिभूति में पात्र म्युच्युअल फंड {(देखें पैरा 7.3.5 (viii) } निवेश कर सकता है, उस पर लागू उच्चतम हेयरकट
ग	**उसी मुद्रा में नकद**		0
घ	**स्वर्ण**		15

सारणी - 15 : उन एक्सपोज़रों तथा संपार्श्विकों के लिए मानक पर्यवेक्षी हेयरकट जो विदेशी केंद्र सरकारों /विदेशी कंपनियों के दायित्व हैं

अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऋण प्रतिभूतियों को दी गयी निर्गम रेटिंग	**अवशिष्ट परिपक्वता**	**सम्प्रभु**	**अन्य निर्गम**
एएए से एए /ए - 1	1 वर्ष या उससे कम	0.5	1
	1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम	2	4
	5 वर्ष से अधिक	4	8
ए से बीबीबी / ए -2/ए-3/पी - 3 तथा रेटिंग न की गयी बैंक प्रतिभूतियां	1 वर्ष या उससे कम	1	2
	1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम	3	6
	5 वर्ष से अधिक	6	12

vii) ऐसे लेनदेन में जहां बैंकों के एक्सपोज़र की रेटिंग नहीं की गयी है अथवा बैंक अपात्र लिखत (अर्थात गैर-निवेश ग्रेड कंपनी प्रतिभूतियाँ) उधार देता है वहां एक्सपोज़र पर लागू किया जानेवाला हेयरकट 25 प्रतिशत होना चाहिए। (चूंकि वर्तमान में केवल सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में रिपो की अनुमति दी जाती है, इसलिए बैंकों के पास

ऐसा कोई एक्सपोज़र होने की संभावना नहीं है, जिस पर इस खंड के प्रावधान लागू होंगे। तथापि, यह तब प्रासंगिक होगा जब भविष्य में यदि रेट न की गयी कंपनी प्रतिभूतियों के मामले में रिपो/प्रतिभूति उधार लेनदेन की अनुमति दी जाती है।)

viii) जहां संपार्श्विक परिसंपत्तियों का समूह है, उस समूह पर हेयरकट होगा

$$H = \sum_i a_i H_i$$

जिसमें a_i समूह में परिसंपत्ति का भार (परिसंपत्ति की राशि/मूल्य की मुद्रा की यूनिटों में की गई गणना के अनुसार) है तथा H_i उस परिसंपत्ति पर लागू हेयरकट है ।

ix) <u>विभिन्न धारण अवधि के लिए समायोजन</u>

पुनर्मूल्यांकन तथा पुनः मार्जिन करने की व्यवस्था संबंधी प्रावधानों के स्वरूप तथा बारंबारता के अनुसार कुछ लेनदेन के लिए विभिन्न धारण अवधि (10 कारोबार दिन के अलावा) उपयुक्त होती है। संपार्श्विक हेयरकट के ढांचे में रिपो-प्रकार के लेनदेन (अर्थात् रिपो /रिवर्स रिपो तथा प्रतिभूति उधार देना /उधार लेना) "अन्य पूंजी-बाजार प्रेरित लेनदेन" (अर्थात् काउंटर पर डेरिवेटिव के लेनदेन तथा मार्जिन ऋण) तथा जमानती ऋण के बीच फर्क किया गया है। पूंजी बाज़ार प्रेरित लेनदेन तथा रिपो-प्रकार के लेनदेन के प्रलेखीकरण में पुनः मार्जिन करने के संबंध में शर्तें होती हैं; जमानती उधार लेनदेन में सामान्यतः ऐसी शर्तें नहीं होती हैं। इन लेनदेनों के मामले में विभिन्न धारण अवधि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम धारण अवधि निम्नानुसार मानी जाएगी :

लेनदेन का प्रकार	**न्यूनतम धारण अवधि**	**शर्त**
रिपो प्रकार के लेनदेन	पांच कारोबार दिन	दैनिक रूप से पुनः मार्जिन
अन्य पूंजी बाज़ार लेनदेन	दस कारोबार दिन	दैनिक रूप से पुनः मार्जिन
जमानती ऋण	बीस कारोबार दिन	दैनिक पुनर्मूल्यांकन

उपर्युक्त के अनुसार 10 कारोबार दिन की न्यूनतम धारण अवधि को छोड़कर अन्य धारण अवधि वाले लेनदेन के लिए हेयरकट को नीचे पैरा 7.3.7 (xi) में दिए गए

फार्मूला के अनुसार सारणी - 14 में 10 कारोबार दिन के लिए निर्दिष्ट हेयरकट को ऊपर /नीचे लाकर समायोजित करना होगा।

(X) बाजार दर पर गैर- दैनिक मूल्यांकन अथवा पुनः मार्जिन व्यवस्था के लिए समायोजन

यदि मान लिए गए दैनिक मार्जिन से किसी लनदेन की मार्जिन की बारंबारता भिन्न है तो उस लेनदेन पर लागू होनेवाले हेयरकट को भी नीचे पैराग्राफ 7.3.7 (xi) में दिए गए फार्मूला का प्रयोग करते हुए समायोजित करना आवश्यक होगा।

xi) विभिन्न धारण अवधि तथा /अथवा बाजार दर पर गैर-दैनिक मूल्यांकन अथवा पुनः मार्जिन करने के समायोजन के लिए फार्मूला

उपर्युक्त (ix) तथा (x) में निर्दिष्ट धारण अवधि तथा मार्जिन व्यवस्था /बाजार दर पर मूल्यांकन में भिन्नता के लिए निम्न फार्मूला के अनुसार समायोजन किया जाएगा :

$$H = H_{10}\sqrt{\frac{N_R + (T_M - 1)}{10}}$$

जहां :

H = हेयरकट;

H_{10} = लिखत के लिए 10 कारोबार दिन का मानक पर्यवेक्षी हेयरकट

NR = पूंजी बाज़ार लेनदेन के लिए पुनः मार्जिन करने अथवा प्रतिभूतीकृत लेनदेन के पुनर्मूल्यांकन के बीच कारोबार के दिनों की वास्तविक संख्या।

T_M = लेनदेन के प्रकार के लिए न्यूनतम धारण अवधि

7.3.8 रिपो/रिवर्स रिपो-प्रकार के लेनदेनों के लिए पूंजी पर्याप्तता ढांचा

रिपो प्रकार के लेनदेन पर ऋण जोखिम तथा बाज़ार जोखिम के अतिरिक्त प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) के लिए पूंजी भार लागू होंगे । सीसीआर की परिभाषा है, रिपो - प्रकार के लेनदेन में प्रतिपक्ष द्‌वारा चूक करने का जोखिम जिसके परिणामस्वरूप उधार/ गिरवी/बेची गई प्रतिभूति की सुपुर्दगी अथवा नकद राशि का भुगतान नहीं होगा ।

क. निधियों के उधारकर्ता की बहियों में कार्रवाई

i) जहां बैंक ने प्रतिभूतियों को बेचकर/उधार देकर/संपार्श्विक के रूप में दर्ज करके निधि उधार ली है वहां `एक्सपोज़र' उचित हेयरकट लागू करने के बाद बेची/उधार दी गई प्रतिभूतियों के बढ़ाए गए `बाजार मूल्य' के समतुल्य तुलनपत्रेतर एक्सपोजर होगा । इस प्रयोजन के लिए सारणी-14 के अनुसार हेयरकट का आधार के रूप में उपयोग किया जाएगा, जिसे पैराग्राफ 7.3.7 (xi) में दिए गए

फार्मूला का प्रयोग करते हुए लागू किया जाएगा । ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि रिपो-प्रकार के लेनदेन के लिए पांच कारोबार दिनों की न्यूनतम (निर्धारित) धारण अवधि तथा मानक पर्यवेक्षी हेयरकट के लिए मानी गयी दैनिक मार्जिन व्यवस्था की तुलना में पुनः मार्जिन व्यवस्था की बारंबारता में कोई फर्क हो तो उसका ध्यान रखा जाए । "तुलनपत्रेतर एक्सपोजर' को परिपत्र की सारणी 8 की मद सं. 5 के अनुसार 100 प्रतिशत का ऋण परिवर्तन गुणक लागू करके `तुलन पत्र' समतुल्य में परिवर्तित किया जाएगा ।

ii) प्राप्त राशि को उधार/बेची/गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों के लिए संपार्श्विक के रूप में समझा जाएगा । चूंकि संपार्श्विक नकद है, इसलिए उसके लिए शून्य हेयरकट होगा ।

iii) उपर्युक्त (i) पर प्राप्त ऋण समतुल्य राशि में से नकद संपार्श्विक की राशि को घटाकर जो राशि प्राप्त होगी उसपर प्रतिपक्ष पर लागू होने वाला जोखिम भार लागू हेगा ।

iv) चूंकि रिपो अवधि के बाद प्रतिभूतियां उधार लेनेवाले बैंक की बहियों में वापस आ जाएंगी इसलिए उक्त बैंक उन मामलों में जहां रिपो से संबद्ध प्रतिभूतियां परिपक्वता तक धारित श्रेणी में रखी जाती हैं, उन प्रतिभूतियों के ऋण जोखिम के लिए तथा बिक्री के लिए उपलब्ध/खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणियों के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों के मामले में बाजार जोखिम के लिए पूंजी रखना जारी रखेंगे । जोखिम/विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूति के जारीकर्ता की क्रेडिट रेटिंग के अनुसार पूंजी भार निर्धारित किया जाएगा । सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में ऋण/विशिष्ट जोखिम के लिए पूंजी भार `शून्य' होगा ।

ख. <u>निधि के उधारदाता की बहियों में कार्रवाई</u>

i) उधार दी गई राशि को प्रतिपक्ष पर तुलन पत्र में/निधिक एक्सपोजर समझा जाएगा जिसे रिपो के अंतर्गत स्वीकृत प्रतिभूतियों द्वारा संपार्श्विकीकृत किया गया है ।

ii) एक्सपोजर नकद होने के कारण उसपर शून्य हेयरकट लागू होगा ।

iii) संपार्श्विक को यथालागू हेयरकट के अनुसार नीचे समायोजित किया जाएगा/उसका मूल्य घटाया जाएगा ।

iv) संपार्श्विक की समायोजित राशि द्वारा घटाए गए एक्सपोजर की राशि पर प्रतिपक्ष पर यथालागू जोखिम भार लागू किया जाएगा क्योंकि यह तुलन पत्र में शामिल एक्सपोजर है ।

v) रिपो अवधि के दौरान संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूति के लिए उधारदाता बैंक कोई पूंजी भार नहीं रखेगा क्योंकि ऐसा संपार्श्विक उसके तुलनपत्र में शामिल नहीं है बल्कि उसे केवल अमानतदार के रूप में रखा जाता है ।

7.4 ऋण जोखिम कम करने की तकनीकें - तुलन पत्र के अंतर्गत निवल निपटान (नेटिंग)

तुलन पत्र के अंतर्गत निवल निपटान, ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों तक सीमित होता है जहां बैंकों के पास प्रलेखन प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार वाली कानूनी दृष्टि से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्थाएं होती हैं। वे निवल ऋण एक्सपोज़र के आधार पर पूंजी अपेक्षाओं की निम्नलिखित शर्तों के अधीन गणना कर सकते हैं :

जहां किसी बैंक

क) के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए एक सुस्थापित विधिक आधार है कि निवल निपटान अथवा ऑफसेटिंग करार, प्रत्येक संबंधित क्षेत्राधिकार में प्रवर्तनीय है, चाहे काउंटर पार्टी दिवालिया हो या न हो।

ख) किसी भी समय नेटिंग करार के अधीन उसी काउंटर पार्टी के पास ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निर्धारण कर सकता है; तथा

ग) संबंधित एक्सपोज़र की निवल आधार पर निगरानी तथा नियंत्रण करता है,

वहाँ वह बैंक ऋण/अग्रिमों तथा जमाराशियों के निवल एक्सपोज़र को पैराग्राफ 7.3.6 में दिए गए फॉर्म्यूला के अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए आधार के रूप में प्रयोग में ला सकता है। ऋण/अग्रिमों को एक्सपोज़र तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना जाता है। मुद्रा विसंगति की स्थिति को छोड़कर हेयरकट शून्य होंगे । पैराग्राफ 7.3.6 तथा 7.6 में निहित सभी अपेक्षाएं भी लागू होंगी ।

7.5 ऋण जोखिम को कम करने की तकनीकें - गारंटियां

7.5.1 जहां गारंटियां प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय तथा शर्त-रहित हैं वहां पूंजी अपेक्षाओं की गणना करते समय बैंक ऐसी ऋण सुरक्षा को गणना में ले सकते हैं ।

7.5.2 गारंटीदाताओं के वर्ग को मान्यता दी गयी है। 1988 के समझौते के अनुसार एक प्रतिस्थापन दृष्टिकोण लागू किया जाएगा। अतः केवल काउंटर पार्टी से निम्नतर जोखिम भार वाली कंपनियों द्वारा जारी की गयी गारंटियों से पूंजी भार घटेगा क्योंकि काउंटर पार्टी

एक्सपोज़र के सुरक्षित अंश पर गारंटीदाता का जोखिम भार निर्धारित किया जाता है और कवर न किए गए अंश के पास आधारभूत काउंटर पार्टी का जोखिम भार बना रहता है ।

7.5.3 सीआरएम के रूप में समझे जाने के लिए पात्र गारंटियों के लिए विस्तृत परिचालन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

7.5.4 <u>गारंटियों के लिए परिचालन अपेक्षाएं</u>

i) किसी भी गारंटी (काउंटर गारंटी) को सुरक्षादाता पर प्रत्यक्ष दावे का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और विनिर्दिष्ट एक्सपोज़र अथवा एक्सपोज़र के समूह से स्पष्टतः संदर्भित होना चाहिए ताकि कवर की सीमा स्पष्टतः परिभाषित हो तथा विवाद से परे हो। गारंटी अपरिवर्तनीय होनी चाहिए; संविदा में ऐसा कोई भी खंड नहीं होना चाहिए जिससे सुरक्षा दाता को एक पक्षीय आधार पर कवर को निरस्त करने की अथवा गारंटीकृत एक्सपोज़र में ऋण की घटती हुई गुणवत्ता के परिणामस्वरूप कवर की प्रभावी लागत में वृद्धि करने की अनुमति होगी। गारंटी बिना शर्त होनी चाहिए; गारंटी में बैंक के प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर वाला ऐसा कोई भी खंड नहीं होना चाहिए जो मूल काउंटर पार्टी द्वारा नियत भुगतान न किए जाने की स्थिति में सुरक्षा दाता को समय पर भुगतान करने की बाध्यता से रोक सकता है।

ii) सभी एक्सपोज़रों को गारंटियों के रूप में उपलब्ध जोखिम कम करने के उपायों को हिसाब में लेने के बाद जोखिम भारित किया जाएगा। जब किसी गारंटीकृत एक्सपोज़र को अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तब उक्त गारंटी को ऋण जोखिम कम करनेवाले उपाय के रूप में नहीं माना जाएगा और गारंटियों के रूप में ऋण जोखिम कम करने के कारण कोई भी समायोजन अनुमत नहीं होगा। विनिर्दिष्ट प्रावधान को घटाकर तथा पात्र संपाश्दिविकों/ऋण जोखिम कम करने वालों के प्राप्य मूल्य को घटाकर प्राप्त संपूर्ण बकाया पर उचित जोखिम भार लागू होगा ।

7.5.5 <u>गारंटियों के लिए अतिरिक्त परिचालन अपेक्षाएं</u>

गारंटी को मान्यता प्राप्त होने के लिए उपर्युक्त पैराग्राफ 7.2 में उल्लिखित विधिक निश्चितता संबंधी अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना होगा :

(i) काउंटर पार्टी द्वारा अर्हक चूक/गैर-भुगतान करने पर बैंक लेनदेन पर लागू प्रलेखन के अंतर्गत किसी बकाया राशि की वसूली के लिए गारंटीदाता से समय पर संपर्क कर सके । गारंटीदाता ऐसे प्रलेखन केध अंतर्गत सभी बकाया राशियों का बैंक को एकमुश्त भुगतान कर सकता है अथवा वह गारंटी द्वारा कवर की गयी काउंटर पार्टी

की भावी भुगतान बाध्यताओं को अपने ऊपर ले सकता है । भुगतान के लिए काउंटर पार्टी से मांग करने के लिए पहले कोई विधिक कार्रवाई किये बिना गारंटीकर्ता से इस प्रकार का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार बैंक के पास होना चाहिए ।

(ii) उक्त गारंटी गारंटीदाता द्वारा अपनायी गई स्पष्टतः प्रलोखित बाध्यता है ।

(iii) परवर्ती वाक्य में नोट किये गये अनुसार को छोड़कर, लेनदेन पर लागू प्रलेखन के अंतर्गत आधारभूत बाध्यताधारी को जितने भी प्रकार के भुगतान करने अपेक्षित हैं, जैसे नोशनल राशि, मार्जिन भुगतान आदि, उन सभी को गारंटी कवर करती है । जब कोई गारंटी केवल मूलधन केध भुगतान को कवर करती है तब ब्याज तथा अन्य कवर न किये गये भुगतानों को पैराग्राफ 7.5.8 के अनुसार अप्रतिभूतिकृत राशि समझी जाए ।

7.5.6 <u>पात्र गारंटीदाताओं (काउंटर-गारंटीदाता) का वर्ग</u>

निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा दी गयी ऋण सुरक्षा को मान्यता दी जाएगी :

(i) सम्प्रभु, सम्प्रभु संस्थाएं (जिनमें बीआइएस, आइएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक तथा यूरोपीय समूह तथा पैराग्राफ 5.5 में उल्लिखित एमडीबी, ईसीजीसी तथा सीजीटीएमएसई शामिल हैं) काउंटर पार्टी से कम जोखिम भार वाले बैंक तथा प्राथमिक व्यापारी;

(ii) अन्य संस्थाएं जिनका रेटिंग एए(-) अथवा उससे बेहतर है । इसमें बाध्यताधारी से कम जोखिम भार वाली प्रवर्तक, अनुषंगी अथवा संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर शामिल है । गारंटीदाता की रेटिंग संस्थागत रेटिंग होनी चाहिए जिसमें संस्था की सभी देयताओं तथा बाध्यताओं (गारंटियों सहित) को ध्यान में लिया गया है ।

7.5.7 <u>जोखिम भार</u>

सुरक्षित अंश को सुरक्षा देनेवाले का जोखिम भार दिया जाता है । राज्य सरकार की गारंटियों द्वारा कवर किये गये एक्सपोज़र पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा । एक्सपोज़र के अनारक्षित अंश को आधारभूत काउंटर पार्टी का जोखिम भार दिया जाएगा ।

7.5.8 <u>आनुपातिक कवर</u>

जहां गारंटीकृत राशि अथवा जिसके लिए ऋण सुरक्षा ली गयी है, उसकी राशि एक्सपोज़र की राशि से कम है तथा सुरक्षित तथा असुरक्षित अंश समान वरीयता के हैं अर्थात् बैंक तथा गारंटीदाता समानुपातिक आधार पर हानियां बांटते हैं, वहां पूंजी राहत आनुपातिक आधार पर

दी जाएगी अर्थात् एक्सपोज़र के सुरक्षित अंश पर पात्र गारंटियों पर लागू कार्रवाई की जाएगी और शेष को असुरक्षित समझा जाएगा ।

7.5.9 <u>मुद्रा विसंगति</u>

जहां एक्सपोज़र को जिस मुद्रा में अंकित किया गया है उससे भिन्न मुद्रा में ऋण सुरक्षा को अंकित किया गया है अर्थात् जहां मुद्रा विसंगति है, वहां एक्सपोज़र की जिस राशि को सुरक्षित समझा गया है उसे हेयरकट H_{FX} लागू करके घटाया जाएगा अर्थात्

$$\mathbf{G_A = G \times (1-H_{FX})}$$

जहां :

G = ऋण सुरक्षा की अनुमानित राशि

H_{FX}= ऋण सुरक्षा तथा आधारभूत दायित्व के बीच मुद्रा विसंगति के लिए उचित हेयरकट

पर्यवेक्षी हेयरकट का प्रयोग करनेवाले बैंक मुद्रा विसंगति के लिए 8 प्रतिशत का हेयरकट लागू करेंगे ।

7.5.10 <u>सम्प्रभु गारंटियां तथा काउंटर-गारंटियां</u>

कोई दावा ऐसी गारंटी से कवर हो सकता है जिसे किसी सम्प्रभु द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से काउंटर-गारंटी मिली हो । ऐसे दावे को सम्प्रभु गारंटी द्वारा कवर किया गया दावा समझा जा सकता है बशर्ते

i) सम्प्रभु काउंटर गारंटी दावे के सभी ऋण जोखिम तत्वों को कवर करती है ।

ii) मूल गारंटी तथा काउंटर-गारंटी दोनों गारंटियों की सभी परिचालन अपेक्षाओं को पूर्ण करते हों; हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि काउंटर गारंटी मूल दावे से सीधे और स्पष्ट रूप से संबंधित हो ।

iii) कवर सुदृढ़ होना चाहिए और ऐसे किसी भी ऐतिहासिक साक्ष्य से यह प्रतीत नहीं होना चाहिए कि काउंटर गारंटी की व्याप्ति प्रत्यक्ष सम्प्रभु गारंटी की व्याप्ति से किसी तरह कम प्रभावी है ।

7.6 परिपक्वता विसंगति

7.6.1 जोखिम भारित परिसंपत्तियों की गणना करने के प्रयोजन के लिए परिपक्वता विसंगति तब होती है जब किसी संपार्श्विक की अवशिष्ट परिपक्वता आधारभूत एक्सपोज़र की परिपक्वता से कम है। जहां परिपक्वता विसंगति है और सीआरएम की मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम है वहां सीआरएम को पूंजी प्रयोजनों से मान्यता नहीं दी जाती है। अन्य मामलों में जहां परिपक्वता विसंगति है, वहां नीचे पैरराग्राफ 7.6.2 से 7.6.4 में दिए गए ब्योरे के अनुसार विनियामक पूंजी प्रयोजनों के लिए सीआरएम को आंशिक मान्यता दी जाती है।उन ऋणों के मामले में जिनका संपार्श्विक बैंक की अपनी जमाराशियां ही हैं, उस स्थिति में भी जब जमाराशियों की अवधि तीन महीने से कम हो, अथवा ऋण की अवधि की तुलना में जमाराशियों की परिपक्वता में विसंगति हो, संपार्श्विक को अमान्य ठहराने से संबंधित पैरा 7.6.1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे बशर्ते जमाकर्ता (अर्थात् उधारकर्ता) से ऐसी जमाराशियों की परिपक्वता राशि को बकाया ऋण राशि के बदले समायोजित करने अथवा आधारभूत ऋण की पूर्ण चुकौती तक ऐसी जमाराशियों के नवीकरण के लिए स्पष्ट सहमति प्राप्त की गयी हो।

7.6.2 <u>परिपक्वता की परिभाषा</u>

आधारभूत एक्सपोज़र की परिपक्वता तथा संपार्श्विक की परिपक्वता दोनों को सतर्क दृष्टि से परिभाषित किया जाना चाहिए । आधारभूत एक्सपोज़र की प्रभावी परिपक्वता का निर्धारण काउंटर पार्टी द्वारा बाध्यता पूर्ण करने के लिए उपलब्ध दीर्घतम संभव अवशिष्ट समय के रूप में किया जाना चाहिए तथा इसमें यदि कोई ग्रेस अवधि लागू हो तो उसे भी शामिल करना चाहिए । संपार्श्विक के लिए ऐसे निहित विकल्पों को ध्यान में लिया जाना चाहिए जिनसे संपार्श्विक की अवधि कम हो सकती है ताकि सब से कम संभाव्य प्रभावी परिपक्वता का प्रयोग हो । यहां पर प्रासंगिक परिपक्वता अवशिष्ट परिपक्वता है ।

7.6.3 <u>परिपक्वता विसंगति के लिए जोखिम भार</u>

जैसा कि पैरा 7.6.1 में दर्शाया गया है, परिपक्वता विसंगति वाले संपार्श्विक को तब मान्यता दी जाती है जब उनकी मूल परिपक्वता एक वर्ष या अधिक हो । परिणारमस्वरूप एक वर्ष से कम अवधि की मूल परिपक्वताओं वाले एक्सपोज़र के लिए संपार्श्विक की परिपक्वता संगत होने पर ही मान्य होगा । सभी मामलों में जब तीन महीनों या उससे कम की अवशिष्ट परिपक्वता हो तो परिपक्वता विसंगति वाले संपार्श्विक मान्य नहीं होंगे ।

7.6.4 जब मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम कम करनेवाले तत्वों (संपार्श्विक, तुलन पत्र नेटिंग और गारंटियां) के साथ परिपक्वता विसंगति हो, तो निम्नलिखित समायोजन लागू किया जाएगा ।

$$P_a = P \times (t - 0.25) \div (T - 0.25)$$

जहां

Pa = परिपक्वता विसंगति को समायोजित कर ऋण संरक्षण का मूल्य है ।

P = हेयरकट को समायोजित कर ऋण संरक्षण (उदाहरणार्थ, संपार्श्विक राशि, गारंटी राशि)

t = न्यूनतम (T, ऋण संरक्षण व्यवस्था की अवशिष्ट परिपक्वता) वर्षों में अभिव्यक्त

T = न्यूनतम (5, एक्सपोज़र की अवशिष्ट परिपक्वता) वर्षों में अभिव्यक्त

7.7 सीआरएम तकनीकों के समूह के संबंध में व्यवहार

उन मामलों में जहां किसी बैंक द्वारा एकल एक्सपोज़र को कवर करने के लिए एक से अधिक सीआरएम तकनीकों का प्रयोग किया गया है (उदाहरणार्थ कोई बैंक संपार्श्विक तथा गारंटी दोनों से किसी एक्सपोज़र को आंशिक रूप से कवर करता है) उस बैंक को प्रत्येक प्रकार के सीआरएम तकनीक द्वारा कवर किये गये हिस्सों मे (अर्थात् संपार्श्विक द्वारा कवर हिस्सा, गारंटी द्वारा कवर हिस्सा) एक्सपोज़र को विभाजित करना होगा तथा प्रत्येक हिस्से की जोखिम भारित आस्तियों की अलग-अलग गणना करनी होगी । जब अकेले संरक्षणदाता द्वारा प्रदत्त ऋण संरक्षण की भिन्न-भिन्न परिपक्वताएं हैं, उन्हें भी अलग-अलग संरक्षण में विभाजित करना होगा।

8. बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भार

8.1 प्रस्तावना

बाज़ार कीमतों के उतार-चढ़ाव के कारण तुलन पत्र तथा गैर-तुलन पत्र स्थितियों (पोज़िशन) में होनेवाली हानि के जोखिम को बाज़ार जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है । निम्न बाज़ार जोखिम स्थितियों में पूंजी भार अपेक्षा लागू होगी -

(i) ट्रेडिंग बही में ब्याज दर संबंधित लिखतों तथा इक्विटी से संबंधित जोखिम

(ii) पूरे बैंक में (बैंकिंग और ट्रेडिंग बहियों दोनों ही में) विदेशी मुद्रा जोखिम (बहुमूल्य धातुओं में ओपन पोज़िशन सहित)

8.2 बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भार का दायरा

8.2.1 इन दिशानिर्देशों से ट्रेडिंग बही में ब्याज दर संबद्ध लिखतों, ट्रेडिंग बही में इक्विटी तथा ट्रेडिंग तथा बैंकिंग बही दोनों में विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण तथा अन्य बहुमूल्य धातु सहित) के लिए पूंजी भारों की गणना संबंधी मुद्दों को हल किया जाएगा । पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए ट्रेडिंग बही में निम्नलिखित शामिल होंगे :

i) व्यापार के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत शामिल प्रतिभूतियां

ii) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत शामिल प्रतिभूतियां

iii) ओपन स्वर्ण पोज़िशन सीमाएं

iv) ओपन विदेशी मुद्रा पोज़िशन की सीमाएं

v) डेरिवेटिव में ट्रेडिंग की पोज़िशन, तथा

vi) ट्रेडिंग बही एक्सपोज़र की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव

8.2.2 बैंकों को लगातार अपनी बहियों में बाजार जाखिम का प्रबंधन करना होगा तथा सुनिश्चित करना होगा कि बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं लगातार रखी जा रही हैं, अर्थात् हर दिन कारोबार बंद होने पर । बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे बाज़ार जोखिमों के प्रति एक दिन के भीतर होनेवाले एक्सपोज़र को नियंत्रित तथा निगरानी करने के लिए सख्त जोखिम प्रबंध प्रणाली कायम रखें ।

8.2.3 बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी उन प्रतिभूतियों के लिए अप्रासंगिक होगी जो कि पहले ही परिपक्व हो गई हैं और जिनका भुगतान नहीं हुआ है। ये प्रतिभूतियां सिर्फ ऋण जोखिम के लिए ही पूंजी प्राप्त करेंगी। 90 दिनों तक भुगतान नहीं होने के बाद, इन पर ऋण जोखिम के लिए समुचित जोखिम भार निश्चित करने के लिए इन्हें एनपीए के समकक्ष माना जाएगा।

8.3 ब्याज दर जोखिम के लिए पूंजी भार की माप

8.3.1 इस भाग में ट्रेडिंग बही में ऋण प्रतिभूतियों तथा अन्य ब्याज दर संबद्ध लिखतों को धारण करने अथवा उनमें पोजिशन लेने के जोखिम की माप करने की प्रणाली का वर्णन किया गया है ।

8.3.2 ब्याज दर संबद्ध लिखतों के लिए पूंजी भार बैंक की ट्रेडिंग बही में इन मदों के वर्तमान बाजार मूल्य पर लागू होगा। चूँकि बैंकों को बाजार जोखिमों के लिए निरंतर आधार पर पूंजी रखना आवश्यक है, उनसे यह अपेक्षित है कि वे दैनिक आधार पर अपनी ट्रेडिंग पोजिशन का

बाज़ार दर पर मूल्यांकन करें । वर्तमान बाजार मूल्य, निवेशों के मूल्यांकन संबंधी रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

8.3.3 न्यूनतम पूँजी अपेक्षा दो अलग-अलग आकलित किए जाने वाले प्रभारों के रूप में व्यक्त की जाती है (i) प्रत्येक प्रतिभूति के लिए **"विनिर्दिष्ट जोखिम"** प्रभार जिसे शॉर्ट पोज़िशन (भारत में डेरिवेटिव तथा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के अलावा शॉर्ट पोज़िशन की अनुमति नहीं दी जाती है) तथा लॉग पोज़िशन दोनों के लिए, एकल जारीकर्ता से संबंधित घटकों की वजह से एक ल प्रतिभूति की कीमत में प्रतिकूल गति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया है, तथा (ii) ऐसे संविभाग में ब्याज दर जोखिम के लिए **"सामान्य बाजार जोखिम"** प्रभार जिसमें विभिन्न प्रतिभूतियों या लिखतों में लाँग और शॉर्ट पोज़िशन (जिसकी भारत में डेरिवेटिव के अलावा अन्य में अनुमति नहीं दी गई है) प्रतिसंतुलित की जा सकती है।

8.3.4 बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत धारित ऋण प्रतिभूतियों के लिए संभाव्य लंबी धारण अवधि तथा उससे संबद्ध उच्चतर विनिर्दिष्ट जोखिम को ध्यान में रखते हुए बैंक बाजार जोखिम के लिए नीचे `क' अथवा `ख' में से जो भी अधिक है,उसके बराबर कुल पूंजी भार रखेंगे ।

क) खरीद बिक्री के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित मानते हुए बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों के लिए कल्पित रूप से अभिकलित विनिर्दिष्ट पूंजी भार (सारणी-16 : यथालागू भाग क/ग/ङ के अनुसार अभिकलित) तथा सामान्य बाजार जोखिम पूंजी भार का योग।

ख) बैंकिंग बही में धारित मानकर बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के लिए कल्पित आधार पर अभिकलित वैकल्पिक कुल पूंजी भार (सारणी-16 : यथालागू भाग ख/घ/च के अनुसार अभिकलित)

अ. विनिर्दिष्ट जोखिम

8.3.5 किसी एक जारीकर्ता से संबंधित घटकों की वजह से किसी एकल प्रतिभूति की कीमत में प्रतिकूल गति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम के लिए पूंजी भार निर्धारित किया गया है। विभिन्न प्रकार के एक्स्पोज़र के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम भार निम्नानुसार लागू किए जाएंगे:

क्रम सं.	**ऋण प्रतिभूतियों/जारीकर्ता का स्वरूप**	**निम्नलिखित सारणी का अनुपालन करें**
क.	<u>केंद्र, राज्य तथा विदेशी केंद्र सरकार के बॉण्ड</u>	
	(i) खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी में धारित	सारणी 16 - भाग क
	(ii) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित	सारणी 16 - भाग ख
ख.	<u>बैंक बॉण्ड</u>	
	(i) खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी में धारित	सारणी 16 - भाग ग
	(ii) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित	सारणी 16 - भाग घ
ग.	<u>कंपनी बॉण्ड तथा प्रतिभूतीकृत ऋण</u>	
	(i) खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी में धारित	सारणी 16 - भाग ङ
	(ii) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित	सारणी 16 - भाग च

सारणी 16 - भाग - क

भारतीय तथा विदेशी सम्प्रभु द्वारा जारी की गई सम्प्रभु प्रतिभूतियों के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार - बैंकों द्वारा खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित

क्र. सं.	निवेश का प्रकार	अवशिष्ट परिपक्वता	विनिर्दिष्ट जोखिम पूँजी (एक्सपोज़र के % के रूप में)
क	**भारतीय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें**		
1.	केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश	सभी	0.0
2.	केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	सभी	0.0
3.	राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	6 महीने या उससे कम	0.28
		6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक	1.13
		24 महीने से अधिक	1.80
4.	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहाँ ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत है।	सभी	0.0
5.	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहाँ ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है।	6 महीने या उससे कम	0.28
		6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक	1.13
		24 महीने से अधिक	1.80
ख	**विदेशी केंद्र सरकारें**		
1.	एएए से एए	सभी	0.00
2.	ए से बीबीबी	6 महीने या उससे कम	0.28
		6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक	1.13
		24 महीने से अधिक	1.80
3.	बीबी से बी	सभी	9.00
4.	बी से कम	सभी	13.50
5.	रेटिंग नहीं की गई	सभी	13.50

सारणी 16 - भाग ख

भारतीय और विदेशी सम्प्रभु द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी भार - बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत बैंकों द्वारा धारित प्रतिभूतियां

क्र. सं.	निवेश का स्वरूप	अवशिष्ट परिपक्वता	विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी (एक्सपोज़र के % के रूप में)
क.	**भारतीय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें**		
1.	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेश	सभी	0.00
2.	केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	सभी	0.00
3	राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	सभी	1.80
4.	ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज की अदायगी तथा मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत है	सभी	0.00
5.	ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज की अदायगी तथा मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है।	सभी	1.80
ख.	**विदेशी केंद्र सरकार**		
1.	एएए से एए	सभी	0.00
2.	ए	सभी	1.80
3.	बीबीबी	सभी	4.50
4.	बीबी से बी	सभी	9.00
5.	बी के नीचे	सभी	13.50
	रेटिंग न की गयी	सभी	13.50

सारणी 16 - भाग ग

बैंकों द्वारा जारी बांडों के लिए

<u>विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार - खरीद -बिक्री के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत बैंकों द्वारा रखे गये बांड</u>

सीआरएआर का स्तर (जहां उपलब्ध हो) (प्रतिशत में)	**अवशिष्ट परिपक्वता अवधि**	**विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार**			
		सभी अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)		**सभी गैर-अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)**	
		पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर निवेश (प्रतिशत में)	**अन्य सभी दावे (प्रतिशत में)**	**पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर निवेश (प्रतिशत में)**	**अन्य सभी दावे (प्रतिशत में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9 और उससे ऊपर	6 माह या उससे कम	1.40	0.28	1.40	1.40
	6 माह से अधिक और 24 माह तक एवं उसके सहित	5.65	1.13	5.65	5.65
	24 माह से अधिक	9.00	1.80	9.00	9.00
6 और उससे अधिक तथा 9 से कम	सभी परिपक्वता अवधि	13.50	4.50	22.50	13.50
3 और उससे अधिक तथा 6 से कम	सभी परिपक्वता अवधि	22.50	9.00	31.50	22.50
0 और उससे अधिक तथा 3 से कम	सभी परिपक्वता अवधि	31.50	13.50	56.25	31.50
ऋणात्मक	सभी परिपक्वता अवधि	56.25	56.25	पूरी कटौती	56.25

टिप्पणियां :

i) जिन बैंकों के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई पूंजी पर्याप्तता मानदंड विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, उधारकर्ता /निवेशक बैंक निवेशिती बैंक से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर तथा वाणिज्य बैंकों को यथा लागू पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का उपयोग करते हुए नोशनल रूप में संबंधित बैंक के सीआरएआर की गणना करे। यदि ऐसे नोशनल आधार पर सीआरएआर की गणना करना व्यवहार्य नहीं पाया जाता है तो निवेशक बैंक के जोखिम बोध के अनुसार, 31.50 या 56.25 प्रतिशत का विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार निवेशक बैंक के पूरे एक्सपोज़र के लिए समान रूप से लगाया जाना चाहिए।

ii) जिन बैंकों के मामले में फिलहाल पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू नहीं हैं, उनके पूंजी पात्रता वाले लिखतों में निवेश करने का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता । फिर भी, उक्त सारणी के स्तंभ 3 और 5 उनपर लागू होंगे, यदि वे भविष्य में ऐसे पूंजी लिखत जारी करते हैं जिनमें अन्य बैंक निवेश करने के लिए पात्र हैं।

भाग 16 - भाग घ

बैंकों द्‌वारा जारी बांडों के लिए
<u>वैकल्पिक कुल पूंजी भार - बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत बैंकों द्‌वारा धारित</u>

(पैरा 8.3.4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन)

सीआरएआर का स्तर (जहां उपलब्ध हो) (प्रतिशत में)	**वैकल्पिक कुल पूंजी भार**			
	सभी अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)		**सभी गैर-अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)**	
	पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर निवेश (प्रतिशत में)	**अन्य सभी दावे (प्रतिशत में)**	**पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर निवेश (प्रतिशत में)**	**अन्य सभी दावे (प्रतिशत में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
9 और उससे ऊपर	9.00	1.80	9.00	9.00
6 और उससे अधिक तथा 9 से कम	13.50	4.50	22.50	13.50
3 और उससे अधिक तथा 6 से कम	22.50	9.00	31.50	22.50
0 और उससे अधिक तथा 3 से कम	31.50	13.50	50.00	31.50
ऋणात्मक	56.25	56.25	पूरी कटौती	56.25

<u>टिप्पणियां :</u>

i) जिन बैंकों के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्‌वारा कोई पूंजी पर्याप्तता मानदंड विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, उधारकर्ता /निवेशक बैंक निवेशिती बैंक से

आवश्यक जानकारी प्राप्त कर तथा वाणिज्य बैंकों को यथा लागू पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का उपयोग करते हुए नोशनल रूप में संबंधित बैंक के सीआरएआर की गणना करे। यदि ऐसे नोशनल आधार पर सीआरएआर की गणना करना व्यवहार्य नहीं पाया जाता है तो निवेशक बैंक के जोखिम बोध के अनुसार, 31.50 या 56.25 प्रतिशत का विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार निवेशक बैंक के पूरे एक्सपोज़र के लिए समान रूप से लगाया जाना चाहिए।

ii) जिन बैंकों के मामले में फिलहाल पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू नहीं हैं, उनके पूंजी पात्रता वाले लिखतों में निवेश करने का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता । फिर भी, ऊपर दी गयी सारणी के स्तंभ 2और 4 उनपर लागू होंगे, यदि वे भविष्य में ऐसे पूंजी लिखत जारी करते हैं जिनमें अन्य बैंक निवेश करने के लिए पात्र हैं।

सारण 16 - भाग ङ (i)[28]

बैंकों द्वारा एचएफटी संवर्ग में धारित कंपनी बांडों (बैंक बांडों को छोड़कर) के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार

ईसीएआइ द्वारा रेटिंग	अवशिष्ट परिपक्वता	विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार
एएए से बीबीबी	6 महीने या उससे कम	0.28
	6 महीने से अधिक और 24 महीने तक	1.14
	24 महीने से अधिक	1.80
बीबी और उसके नीचे	सभी परिपक्वता अवधि	13.5
रेटिंग न की गई (यदि अनुमत हो)	सभी परिपक्वता अवधि	9

* ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेन्सियों /ईसीएआर अथवा विदेशी रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी रेटिंग दर्शाते हैं। विदेशी ईसीएआइ के मामले में यहां प्रयुक्त रेटिंग चिह्न स्टैंडर्ड एंड पुअर है। "+" अथवा " - " परिवर्तकों को मुख्य रेटिंग श्रेणी के साथ शामिल किया गया है।

सारणी 16 - भाग ङ (ii)

एएफएल संवर्ग में बैंकों द्वारा धारित कंपनी बांडों (बैंक बांडों को छोड़कर)के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार

ईसीएआइ द्वारा रेटिंग	कुल पूंजी प्रभार (प्रतिशत में)
एएए	1.8
एए	2.7
ए	4.5
बीबीबी	9
बीबी और उसके नीचे	13.5
रेटिंग न की गयी	9

* ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेन्सियों /ईसीएआर अथवा विदेशी रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी रेटिंग दर्शाते हैं। विदेशी ईसीएआइ के मामले में यहां प्रयुक्त रेटिंग चिह्न स्टैंडर्ड एंड पुअर है। "+" अथवा " - " परिवर्तकों को मुख्य रेटिंग श्रेणी के साथ शामिल किया गया है।

[28] 8 फरवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010

सारणी - 16 भाग - च

प्रतिभूतीकृत ऋण लिखतों (एसडीआइ) के लिए विनिर्दिष्ट
जोखिम पूंजी भार - बैंकों द्वारा एचएफटी और एएफएस संवर्ग में धारित

*ईसीएआई द्वारा रेटिंग	विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार	
	प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र (%) में	वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोज़र से संबंधित प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र (एसडीआइ)
एएए	1.8	9
एए	2.7	9
ए	4.5	9
बीबीबी	9	9
बीबी	31.5 प्रवर्तकों के मामले में कटौती	31.5 प्रवर्तकों के मामले में कटौती
बी तथा उसके नी	कटौती	कटौती

* उपर्युक्त रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेन्सियों /ईसीएआइ अथवा विदेशी रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी रेटिंग दर्शाते हैं। विदेशी ईसीएआइ के मामले में यहां प्रयुक्त रेटिंग चिह्न स्टैंडर्ड और पुअर के अनुसार है। "+" अथवा " - " जैसे परिवर्तक चिह्नों को मुख्य रेटिंग संवर्ग में ही शामिल कर लिया गया है।

सारणी - 16 भाग - छ

पुनः प्रतिभूतीकृत ऋण लिखतों (आरएसडीआइ) के लिए विनिर्दिष्ट
<u>जोखिम पूंजी भार - बैंकों द्वारा एचएफटी और एएफएस संवर्ग में धारित</u>

***ईसीएआई द्वारा रेटिंग**	**विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार**	
	पुनः प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र (%) में	**वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोज़र से संबंधित पुनः प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र (एसडीआइ)**
एएए	3.6	18
एए	5.4	18
ए	9	18
बीबीबी	18	18
बीबी	63 प्रवर्तकों के मामले में कटौती	63 प्रवर्तकों के मामले में कटौती
बी तथा उसके नीचे	कटौती	कटौती

* उपर्युक्त रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेन्सियों /ईसीएआइ अथवा विदेशी रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी रेटिंग दर्शाते हैं। विदेशी ईसीएआइ के मामले में यहां प्रयुक्त रेटिंग चिह्न स्टैंडर्ड और पुअर के अनुसार है। "+" अथवा " - " जैसे परिवर्तक चिह्नों को मुख्य रेटिंग संवर्ग में ही शामिल कर लिया गया है।

8.3.6 बैंक उक्त पैरा 5 में वर्णित मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार ऋण जोखिम के लिए पूंजी के भाग के रूप में काउंटर पर डेरिवेटिव के लिए प्रतिपक्षी ऋण जोखिम प्रभार की गणना करने के अलावा **अनुबंध 9** के अनुसार यथापेक्षित ट्रेडिंग बही में काउंटर पर डेरिवेटिव के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार की गणना करें ।

आ. <u>सामान्य बाजार जोखिम</u>

8.3.7 सामान्य बाजार जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं का निर्धारण बाजार ब्याज दरों में बदलावों से होने वाली हानि के जोखिम के लिए किया गया है । यह पूंजी भार चार घटकों का योग है :

(i) संपूर्ण ट्रेडिंग बही में निवल शॉर्ट (भारत में डेरिवेटिव के अलावा कहीं भी शॉर्ट पोजीशन (कमी) की अनुमति नहीं है) या लाँग पोज़ीशन;

(*ii*) प्रत्येक टाइम-बैण्ड में संतुलित पोज़िशन का छोटा अंश (वर्टिकल डिजएलाउएन्स");

(iii) विभिन्न टाइम-बैण्ड में संतुलित पोज़िशन का बड़ा अंश ("हॉरिजॉन्टल डिजएलाउएन्स"); तथा

(iv) जहां उपयुक्त है वहां ऑप्शन्स में पोज़िशन पर निवल प्रभार;

प्रत्येक मुद्रा के लिए अलग परिपक्वता सोपान का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक मुद्रा के लिए पूंजी भार की गणना अलग से की जानी चाहिए तथा उसके बाद उनका योग किया जाना चाहिए और विपरीत चिह्न वाले पोजीशनों के बीच कोई प्रतिसंतुलन नहीं होना चाहिए । उन मुद्राओं के मामले में, जिनमें कारोबार महत्वपूर्ण नहीं है (जहां संबंधित मुद्रा में टर्न ओवर समग्र विदेशी मुद्रा टर्न ओवर के 5 प्रतिशत से कम है), प्रत्येक मुद्रा के लिए अलग-अलग गणना आवश्यक नहीं है । बैंक इसके बदले प्रत्येक उपयुक्त टामइ-बैंड के भीतर प्रत्येक मुद्रा के लिए निवल लांग या शार्ट पोजीशन वर्गीकृत कर सकता है । तथापि, इन अलग-अलग निवल पोजीशनों को प्रत्येक टाइम-बैंड के भीतर जोड़ा जाना चाहिए, चाहे वे लांग या शार्ट पोजीशन हों, तथा एक सकल पोजीशन आंकड़ा प्राप्त किया जाना चाहिए । प्रत्येक टाइम बैंड में सकल पोजीशन पर सारणी 18 में वर्णित प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन लागू किया जाएगा और कोई और प्रतिसंतुलन नहीं किया जाएगा ।

बासल समिति ने बाजार जोखिमों के लिए पूंजी भार की गणना के लिए दो व्यापक पद्धतियों का सुझाव दिया है, एक है मानकीकृत पद्धति तथा दूसरी है बैंकों की आंतरिक जोखिम प्रबंधन मॉडेल पद्धति । चूंकि भारत में कार्यरत बैंक अब भी आंतरिक जोखिम प्रबंधन मॉडेलों को विकसित करने के प्रारंभिक स्तर पर हैं इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि शुरू में बैंक मानकीकृत पद्धति को अपनाएंगे। मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत बाजार जोखिम की गणना करने की दो मुख्य पद्धतियां हैं, एक `परिपक्वता पद्धति' तथा दूसरी `अवधि पद्धति'। चूंकि ब्याज दर जोखिम की माप के लिए `अवधि पद्धति' अधिक सही पद्धति है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि पूंजी भार प्राप्त करने के लिए मानकीकृत अवधि प्रणाली का अपनाया जाए। तदनुसार, बैंकों को प्रत्येक पोज़िशन की मूल्य संवेदनशीलता (आशोधित अवधि) की अलग से गणना करके सामान्य बाजार जोखिम प्रभार की गणना करनी है। इस पद्धति में निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है :

(i) पहले प्रत्येक लिखत की मूल्य संवेदनशीलता (आशोधित अवधि) की गणना करें;

(ii) उसके बाद लिखत की परिपक्वता के आधार पर 0.6 तथा 1.0 प्रतिशत-अंकों के बीच प्रत्येक लिखत की आशोधित अवधि पर प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन को लागू करें (**सारणी - 17** देखें)

(iii) परिणामी पूंजी भार मापों को **सारणी - 17** में दिए गए अनुसार पंद्रह टाइम बैण्ड वाली परिपक्वता सीढी में वर्गीकृत करें;

(iv) प्रत्येक टाइम बैण्ड में लॉंग तथा शार्ट पोजिशन्स डेरिवेटिव के अलावा (भारत में अन्य कहीं भी शॉर्ट पोजिशन अनुमत नहीं है) पर 5 प्रतिशत वर्टिकल डिजएलाउंस दें जिससे आधार जोखिम प्राप्त होगा ; तथा

(v) **सारणी - 18** में निर्धारित डिजएलांउसिज के अधीन प्रत्येक टाइम-बैण्ड में नेट पोजिशन्स को हॉरिजॉन्टल ऑफ सेटिंग के लिए आगे लिया जाए।

सारणी 17 - अवधि पद्धति -टाइम बैण्ड तथा प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन

टाइम बैण्ड	**प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन**		**टाइम बैण्ड**	**प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन**
क्षेत्र 1			**क्षेत्र 3**	
1 महीना अथवा कम	1.00		3.6 से 4.3 वर्ष	0.75
1 से 3 महीने	1.00		4.3 से 5.7 वर्ष	0.70
3 से 6 महीने	1.00		5.7 से 7.3 वर्ष	0.65
6 से 12 महीने	1.00		7.3 से 9.3 वर्ष	0.60
क्षेत्र 2			9.3 से 10.6 वर्ष	0.60
1.0 से 1.9 वर्ष	0.90		10.6 से 12 वर्ष	0.60
1.9 से 2.8 वर्ष	0.80		12 से 20 वर्ष	0.60
2.8 से 3.6 वर्ष	0.75		20 वर्ष से अधिक	0.60

सारणी 18

हॉरिजॉन्टल डिजएलाउंसिस

क्षेत्र	**टाइम बैण्ड**	**क्षेत्रों के भीतर**	**निकटस्थ क्षेत्रों के बीच**	**क्षेत्र 1 तथा 3 के बीच**
क्षेत्र 1	1 महीना अथवा कम	40 प्रतिशत	40 प्रतिशत	100 प्रतिशत
	1 से 3 महीने			
क्षेत्र 2	3 से 6 महीने			
	6 से 12 महीने			
	1.0 से 1.9 वर्ष	30 प्रतिशत	40 प्रतिशत	
	1.9 से 2.8 वर्ष			
	2.8 से 3.6 वर्ष			
क्षेत्र 3	3.6 से 4.3 वर्ष	30 प्रतिशत		
	4.3 से 5.7 वर्ष			
	5.7 से 7.3 वर्ष			
	7.3 से 9.3 वर्ष			
	10..6 से 12 वर्ष			
	12 से 20 वर्ष			
	20 वर्ष से अधिक			

8.3.10 <u>ब्याज दर डेरिवेटिव</u>

बाज़ार जाखिम के लिए पूंजी भार की गणना में ट्रेडिंग बही में सभी ब्याज दर डेरिवेटिव तथा तुलनपत्र से इतर लिखत तथा ट्रेडिंग बही एक्सपोजर्स की हेजिंग के लिए किए गए डेरिवेटिव जो कि ब्याज दरों में परिवर्तन से प्रभावित होंगे, को शामिल किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए वायदा दर करार, ब्याज दर पोज़िशन आदि । ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़ के लिए पूंजी भार की गणना के ब्यैरे **अनुबंध 8** में दिए गए हैं ।

8.4 ईक्विटी जोखिम के लिए पूंजी भार की माप

8.4.1 ईक्विटी पर पूंजी भार बैंक की ट्रेडिंग बही में उनके वर्तमान बाजार मूल्य पर लागू होगा । ट्रेडिंग बही में इक्विटी धारण करने अथवा उनमें पोजिशन्स लेने के जोखिम को कवर

करने के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा नीचे दी गयी है। इसे इक्विटी के समान बाज़ार प्रवृत्ति दर्शाने वाले सभी लिखतों पर लागू किया जाएगा लेकिन अपरिवर्तनीय अधिमान शेयरों (जिन्हें पूर्व में वर्णित ब्याज दर जोखिम अपेक्षाओं द्वारा कवर किया जाता है) पर नहीं। कवर किए जाने वाले लिखतों में मताधिकार वाले अथवा मताधिकार रहित इक्विटी शेयर, इक्विटी जैसी प्रवृत्ति वाली परिवर्तनीय प्रतिभूतियां, उदाहरणार्थ, म्युच्युअल फंड के यूनिट, तथा इक्विटी को खरीदने अथवा बेचने की प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी।

<u>**विनिर्दिष्ट तथा सामान्य बाज़ार जोखिम**</u>

8.4.2 बैंक के पूंजी बाजार निवेशों जिनमें सीएमई मानदंडों से छूटप्राप्त निवेश शामिल हैं के संबंध में विनिर्दिष्ट जोखिम (ऋण जोखिम के समान) के लिए पूंजी भार 11.25 प्रतिशत अथवा उससे उच्चतर (125 प्रतिशत के जोखिम भार के समतुल्य अथवा काउंटर पार्टी के बाहरी रेटिंग या उसके अभाव में लागू होनेवाला जोखिम भार, इनमें से जो भी अधिक हो) होगा तथा विनिर्दिष्ट जोखिम की गणना बैंक के सकल इक्विटी पोजिशन्स (अर्थात् सभी लाँग ईक्विटी पोजिशन्स तथा सभी शार्ट इक्विटी पोजिशन्स का योग - हालांकि भारत में बैंकों के लिए शॉर्ट इक्विटी पोजिशन की अनुमति नहीं है) पर की जाती है। सकल इक्विटी पोजिशन्स पर सामान्य बाज़ार जाखिम प्रभार भी 9 प्रतिशत होगा ।

8.4.3 प्रतिभूति प्राप्तियों में बैंकों के निवेश के लिए 13.5 प्रतिशत विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार होगा (150 प्रतिशत जोखिम भार के समकक्ष)। चूकिं प्रतिभूति प्राप्तियां जादातर नकद होने और सेकंडरी बाजार में इसकी बिक्रि न होने के कारण इनके लिए सामान्य बाजार जोखिम पूंजी प्रभार नहीं होगा (18 जनवरी 2010 का मेलबॉक्स स्पष्टिकरण)

8.4 विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए पूंजी भार की माप

प्रत्येक मुद्रा में बैंक के निवल ओपन पोजीशन की गणना निम्नलिखित के योग द्वारा की जानी चाहिए;

- निवल हाज़िर पोजीशन (अर्थात् आस्ति की सभी मदों में से सभी देयताओं की मदों, जिनमें संबंधित मुद्रा में मल्यवर्गित उपचित ब्याज भी शामिल है, को घटाकर);
- निवल वायदा पोजीशन (करेंसी फ्यूचर्स् सहित वायदा विदेशी मुद्रा लेनदेनों में प्राप्य सभी राशियों में से भुगतान की जानेवाली राशि तथा हाजिर पोजीशन में शामिल नहीं किये गये करेंसी स्वैप की मूल राशि को छोड़कर);
- गारंटी (और उसी प्रकार के लिखत) जिनका निश्चित रूप से आह्वान किया जाएगा और जिनकी वसूली की संभावना नहीं है;

- निवल भावी आय/व्यय, जो अभी उपचित नहीं हुए है, लेकिन जिनकी पूरी हेजिंग की गयी है (सूचना देनेवाले बैंक के विवेक पर);
- विभिन्न देशों की लेखांकन परंपरा के अनुसार कोई और मद जो विदेशी मुद्रा में लाभ या हानि दर्शाती हो;
- विदेशी मुद्रा ऑप्शन की पूरी बही की निवल डेल्टा आधारित समकक्ष राशि ।

विदेशी मुद्रा में ओपन पोजिशन्स तथा स्वर्ण ओपन पोजिशन्स को वर्तमान में 100 प्रतिशत जोखिम भार दिया जाता है। अतः विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण ओपन पोजिशन की बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भार 9 प्रतिशत है। इन ओपन पोजिशन्स की **उच्चतम सीमाएं अथवा वास्तविक राशि,** इनमें से जो भी उच्चतर है, पर 9 प्रतिशत पर पूंजी भार लगना जारी रहेगा। यह पूंजी भार विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण लेनदेन से संबंधित तुलनपत्र की मदों तथा तुलनपत्र से इतर मदों पर ऋण जोखिम के लिए लगनेवाले पूंजी भार के अतिरिक्त है।

8.6. व्यापार बही में क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (सीडीएस) के लिए पूंजी प्रभार की गणना

8.6.1 सामान्य बाजार जोखिम

सामान्यतः क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप के कारण सुरक्षा क्रेता अथवा सुरक्षा विक्रेता के लिए सामान्य बाजार जोखिम की कोई स्थिति नहीं पैदा होती। तथापि, देय/प्राप्य प्रीमियम का वर्तमान मूल्य ब्याज दरों में परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होता है। प्राप्य/देय प्रीमियम में ब्याज दर जोखिम की गणना करने के लिए प्रीमियम के वर्तमान मूल्य को संबंधित परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों में सांकेतिक स्थिति के रूप माना जा सकता है। इन स्थितियों पर सामान्य बाजार जोखिम के लिए समुचित पूंजी प्रभार लगाया जाएगा। सुरक्षा क्रेता/विक्रेता देय/प्राप्य प्रीमियम के वर्तमान मूल्य को संबंधित परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों में लघु/दीर्घ स्थिति के समतुल्य मानेगा ।

8.6.2 संदर्भ हस्ती के एक्सपोज़र के लिए विशेष जोखिम

सीडीएस सुरक्षा विक्रेता/सुरक्षा क्रेता के लिए संदर्भ आस्ति/दायित्व में विशेष जोखिम के लिए सांकेतिक दीर्घ/लघु स्थिति पैदा करता है । विशेष जोखिम पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए सीडीएस की सैद्धांतिक राशि तथा उसकी परिपक्वता का प्रयोग किया जाना चाहिए । सीडीएस स्थितियों के लिए विशेष जोखिम प्रभार नीचे दी गई सारणियों के अनुसार होगा ।

व्यापार बही में खरीदी एवं बेची गई सीडीएस स्थितियों के लिए विशेष जोखिम पूंजी प्रभार : वाणिज्यिक स्थावर संपदा कंपनियों / एनबीएफसी -एनडी - एसआई <u>को छोड़कर</u> अन्य संस्थाओं के प्रति एक्सपोज़र				
90 दिन			**90 दिन के बाद**	
ईसीएआई द्वारा रेटिंग *	**लिखत की अवशिष्ट परिपक्वता**	**पूंजी प्रभार**	**ईसीएआई द्वारा रेटिंग**	**पूंजी प्रभार**
एएए से बीबीबी	6 महीने या उससे कम	0.28 %	एएए	1.8 %
	6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक तथा उसे शामिल करते हुए	1.14%	एए	2.7%
	24 महीने से अधिक	1.80%	ए	4.5%
			बीबीबी	9.0%
बीबी तथा उससे कम	सभी परिपक्वताएं	13.5%	बीबी तथा उससे कम	13.5%
अनरेटेड (यदि अनुमत)	सभी परिपक्वताएं	9.0%		

*ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेंसियों/ईसीएआई या विदेशी रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रेटिंग हैं । विदेशी ईसीएआई के मामले में, यहां प्रयुक्त रेटिंग प्रतीक स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुरूप हैं । "+" या "- " जैसे मॉडिफायरों को मुख्य श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

व्यापार बही में खरीद एवं बेची गई सीडीएस स्थितियों के लिए विशेष जोखिम पूंजी प्रभार : वाणिज्यिक स्थावर संपदा कंपनियों / एनबीएफसी -एनडी-एसआई# के प्रति एक्सपोज़र		
ईसीएआई द्वारा रेटिंग *	**लिखत की अवशिष्ट परिपक्वता**	**पूंजी प्रभार**
एएए से बीबीबी	6 महीने या उससे कम	1.4%
	6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक तथा उसे शामिल करते हुए	7.7%
	24 महीने से अधिक	9.0%
बीबी तथा उससे कम	सभी परिपक्वताएं	9.0%
अनरेटेड (यदि अनुमत)	सभी परिपक्वताएं	9.0%

उपर्युक्त सारणी 90 दिन तक के एक्सपोजरों पर लागू होगी । 90 दिन के बाद वाणिज्यिक स्थावर संपदा कंपनियों/एनबीएफसी-एनडी-एसआई के प्रति एक्सपोजरों के लिए पूंजी प्रभार 9.0% की दर से लिया जाएगा भले ही संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य दायित्व की रेटिंग कुछ भी हो ।

* ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेंसियों/ईसीएआई या विदेशी रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रेटिंग हैं । विदेशी ईसीएआई के मामले में, यहां प्रयुक्त रेटिंग प्रतीक स्टैंडर्ड एंड पुअर के स्वरूप हैं । "+" या " - " जैसे मॉडिफायरों को मुख्य श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

8.6.2.1 सीडीएस द्वारा प्रतिरक्षित स्थितियों के लिए विशेष जोखिम पूंजी प्रभार

(i) जब दो चरणों (अर्थात सीडीएस स्थितियों में दीर्घ एवं अल्पकालिक चरण) के मूल्य सदैव विपरित दिशा में बढ़ते हों और व्यापक रूप से एक ही सीमा तक, तो बैंक विशेष जोखिम पूंजी प्रभारों को संपूर्ण रूप से पूरा कर सकते हैं । यह स्थिति तब होगी जब दो चरणों में **पूर्णतया एक समान सीडीएस** हों । ऐसे मामलों में सीडीएस स्थितियों के दोनों चरणों में कोई विशेष जोखिम पूंजी अपेक्षा लागू नहीं होती ।

(ii) जब दो चरणों का मूल्य (अर्थात् दीर्घ एवं अल्पकालिक) सदैव विपरित दिशा में बढ़ता हो लेकिन व्यापक रूप से एक ही सीमा तक नहीं तो बैंक 80% विशेष जोखिम पूंजी प्रभारों को पूरा कर सकते हैं । यह स्थिति तब होगी जब किसी दीर्घकालिक अवधि का बचाव सीडीएस के द्वारा किया गया हो और संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य दायित्व तथा संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य दायित्व तथा सीडीएस दोनों की परिपक्वता बिलकुल एक समान हो । इसके अतिरिक्त, सीडीएस की प्रमुख विशेषताओं (उदाहरणार्थ क्रेडिट इवेंट परिभाषाएं, निपटान प्रणालियां) के कारण सीडीएस की कीमत में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिससे कि वह नकदी स्थिति की कीमतों में परिवर्तन से प्रत्यक्ष रूप से अलग हो । लेनदेन जिस सीमा तक जोखिम स्थानांतरित करता है उस सीमा तक उच्चतर पूंजी प्रभार के साथ लेनदेन के पक्ष पर 80% विशेष जोखिम ऑफ-सेट लगाया जाएगा जबकि दूसरी तरफ विशेष जोखिम अपेक्षा शून्य होगी ।

(iii) जब दो चरणों (अर्थात् दीर्घ एवं अल्पकालिक) का मूल्य प्रायः विपरित दिशा में बढ़ता हो तो बैंक आंशिक रूप से विशेष पूंजी प्रभारों को ऑफ-सेट कर सकते हैं । यह निम्नलिखित स्थितियों में होगा :

(क) इस स्थिति का वर्णन पैराग्राफ 8.6.2.1(ii) में किया गया है लेकिन नकदी स्थिति तथा सीडीएस के बीच आस्ति असंतुलन है । तथापि, अंतर्निहित आस्ति को सीडीएस प्रलेखन में (संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य) दायित्वों के अंतर्गत शामिल किया जाता है और वह उपर्युक्त पैराग्राफ 5.17.1.3(i) की अपेक्षाओं को पूरा करती है ।

(ख) इस स्थिति का वर्णन पैराग्राफ 8.6.2.1 (ii) में किया गया है लेकिन क्रेडिट सुरक्षा तथा अंतर्निहित आस्ति के बीच परिपक्वता असंतुलन है । तथापि, अंतर्निहित आस्ति को सीडीएस प्रलेखन में (सुदर्भ/सुपुर्दगी योग्य) दायित्वों के अंतर्गत शामिल किया जाता है ।

(ग) उपर्युक्त पैराग्राफ (क) तथा (ख) में से प्रत्येक मामले में लेनदेन (अर्थात् क्रेडिट सुरक्षा तथा अंतर्निहित आस्ति) के प्रत्येक पक्ष पर विशेष जोखिम पूंजी अपेक्षाएं लागू करने की बजाय दोनों में से केवल उच्चतर पूंजी अपेक्षा लागू होगी ।

8.6.2.2 सीडीएस स्थितियों में विशेष जोखिम प्रभार जो बचाव के लिए नहीं हैं

पैराग्राफ 8.6.2.1 के अंतर्गत जिन मामलों का वर्णन किया गया है उन मामलों में स्थितियों के दोनों पक्षों के संदर्भ में विशेष जोखिम प्रभार का आकलन किया जाएगा ।

8.6.3. काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार

ट्रेडिंग बही में सीडीएस लेनदेन के कारण काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के प्रयोजन से ऋण एक्सपोज़र की गणना बासल II ढांचे के अंतर्गत वर्तमान एक्सपोज़र विधि के अनुसार की जाएगी।

8.6.3.1 सुरक्षा विक्रेता

सुरक्षा विक्रेता का सुरक्षा क्रेता के प्रति एक्सपोज़र तभी होगा जब शुल्क/प्रीमियम बकाया हो । ऐसे मामले में ट्रेडिंग बही में एकल नाम वाले सीडीएस की समस्त अधिक्रय (लॉन्ग) स्थितियों में काउंटरपार्टी ऋण जोखिम की गणना वर्तमान बाजार दर आधारित मूल्य के योग

के रूप में की जाएगी, यदि वह मूल्य धनात्मक हो (शून्य, यदि बाजार दर आधारित मूल्य ऋणात्मक हो) तथा उसमें नीचे सारणी में दिये गये संभावित भावी एक्सपोज़र अतिरिक्त गुणक को जोड़ा जाएगा । तथापि, अतिरिक्त गुणक की अधिकतम सीमा अदत्त प्रीमियम तक सीमित रहेगी ।

सुरक्षा विक्रेता के लिए अतिरिक्त गुणक	
(सीडीएस की नोशनल मूल राशि के प्रतिशत के रूप में)	
संदर्भित दायित्व का प्रकार	**अतिरिक्त गुणक**
दायित्व - बीबीबी और उससे अधिक रेटिंग वाले	10%
बीबीबी से कम और बिना रेटिंग वाले	20%

8.6.3.2 सुरक्षा क्रेता

कोई सीडीएस संविदा क्रेडिट इवेंट भुगतान के कारण सुरक्षा विक्रेता पर काउंटरपार्टी एक्सपोज़र का निर्माण करती है । ट्रेडिंग बही में सीडीएस की सभी शार्ट पोजीशनों के लिए काउंटरपार्टी ऋण जोखिम प्रभार की गणना वर्तमान बाजार दर आधारित मूल्य के योग के रूप में की जाएगी, यदि वह धनात्मक हो (शून्य, यदि बाजार दर आधारित मूल्य नकारात्मक हो) और इसमें नीचे सारणी में दिये गये संभावित भावी एक्सपोज़र के अतिरिक्त गुणक को जोड़ा जाएगा :

सुरक्षा क्रेता के लिए अतिरिक्त गुणक	
(सीडीएस की नोशनल मूल राशि के प्रतिशत के रूप में)	
संदर्भित दायित्व का प्रकार	**अतिरिक्त गुणक**
दायित्व - बीबीबी और उससे अधिक रेटिंग वाले	10%
बीबीबी से कम और बिना रेटिंग वाले	20%

8.6.3.3 सीडीएस में संपार्श्वीकृत लेनदेन के लिए काउंटरपार्टी जोखिम के लिए पूंजी प्रभार

जैसा कि 23 मई 2011 के परिपत्र आइडीएमडी. पीसीडी. सं. 5053/14.03.04/2010-11 के पैरा 3.3 में उल्लेख किया गया है, प्रत्येक बाजार प्रतिभागी संपार्श्विक प्रतिभूति और मार्जिन रखेंगे । ओटीसी बाजार में खरीद-बिक्री होने वाले सीडीएस की गणना वर्तमान एक्सपोज़र विधि के अनुसार की जाएगी । इस विधि के अंतर्गत, किसी एक संविदा के लिए काउंटरपार्टी ऋण जोखिम प्रभार की गणना, संपार्श्विक को हिसाब में लेते हुए, निम्नानुसार की जाएगी :

काउंटरपार्टीं जोखिम पूंजी प्रभार = [(आरसी + अतिरिक्त गुणक) - सीए] x आर x 9%

जहां :

आरसी = बदलने की लागत

अतिरिक्त गुणक = संभावित भावी एक्सपोज़र की राशि, जिसकी गणना उपर्युक्त 7 पैरा के अनुसार की जाएगी ।

सीए= नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर 1 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र के पैरा 7.3 "ऋण जोखिम कम करने की तकनीकें - संपार्श्वीकृत लेनदेन" में निर्धारित व्यापक विधि के अंतर्गत पात्र संपाश्दिवक की अस्थिरता आधारित राशि अथवा शून्य, यदि लेनदेन पर कोई पात्र संपाश्दिवक लागू नहीं किया गया है ।

आर = काउंटरपार्टी का जोखिम भार

8.6.3.4 भुगतान की महत्वपूर्ण सीमा के नीचे एक्सपोज़र पर कार्रवाई

भुगतान की महत्वपूर्ण सीमा जिसके नीचे हानि की स्थिति में भुगतान नहीं किया जाता है प्रतिधारित प्रथम हानि के पोजीशन के बराबर होती है और उस पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन से सुरक्षा क्रेता को 1111% का जोखिम भार लगाना चाहिए ।

8.7 बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी भार का योग

जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है योग करने से पूर्व विनिर्दिष्ट जोखिम तथा सामान्य बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भारों की अलग से गणना की जानी है। बाज़ार जोखिमों के लिए कुल पूंजी भार की गणना निम्नलिखित सारणी के अनुसार की जा सकती है :

प्रोफार्मा

(करोड़ रुपये में)

जोखिम श्रेणी	पूंजी भार
I. ब्याज दर (क + ख)	
क. सामान्य बाज़ार जोखिम	
i) निवल पोजिशन (पॅरलल शिफ्ट)	
ii) हॉरिजॉंटल डिजएलाऊंस (कर्वेचर)	
iii) वर्टिकल डिजएलाऊंस (बेसिस)	
iv) ऑप्शन्स	
ख. विनिर्दिष्ट जोखिम	
***II*. ईक्विटी (क + ख)**	
क. सामान्य बाज़ार जोखिम	
ख. विनिर्दिष्ट जोखिम	
***III*. विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण**	
IV बाज़ार जोखिमों के लिए कुल पूंजी भार (I +// +/I)	

8.8 गैर-तरल स्थितियों के लिए कार्रवाई

8.8.1 विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण के लिए मार्गदर्शन

(i) इस खंड में उन स्थितियों के विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है जिनका लेखांकन उचित मूल्य पर किया गया हो । यह मार्गदर्शन उन सभी स्थितियों पर लागू होगा जो उपर्युक्त पैरा 8.2.1 में वर्णित हैं । यह मार्गदर्शन विशेष रूप से उन स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें वास्तविक बाज़ार मूल्य अथवा मूल्य निर्धारण की माप करने योग्य निविष्टियां उपलब्ध न हों अथवा जो स्थितियां आसानी से चलनिधि में परिवर्तित नहीं होती हों और जिन से उनके विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण के संबंध में पर्यवेक्षीय चिंता उत्पन्न होती हो । नीचे वर्णित मूल्य निर्धारण संबंधी मार्गदर्शन के कारण बैंकों को वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन से अपनायी जाने वाली मूल्य निर्धारण प्रक्रिया बदलने की आवश्यकता नहीं है ।

(ii) किसी विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण पद्धति की संरचना में कम-से-कम निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

8.8.1.1 प्रणाली और नियंत्रण

बैंकों को उपयुक्त प्रणाली और नियंत्रण स्थापित करना चाहिए जो प्रबंधन और पर्यवेक्षकों को विश्वस्त कर सके कि उनका मूल्य निर्धारण संबंधी अनुमान विवेकपूर्ण और विश्वसनीय है । इन प्रणालियों को संगठन के भीतर की अन्य जोखिम प्रबंध प्रणालियों (जैसे ऋण विश्लेषण) के साथ समन्वित किया जाना चाहिए । इन प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

(i) मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से संबंधित लिखित नीति और क्रियाविधि । इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारित करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के स्पष्ट रूप से परिभाषित दायित्व, बाजार सूचना के स्रोत और उनकी उपयुक्तता की समीक्षा शामिल है । ऐसी निविष्टियों के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश जिनकी माप नहीं की जा सकती और जो बैंक की इस धारणा को प्रकट करते हैं कि बाजार प्रतिभागी स्थिति का मूल्य निर्धारण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करेंगे, स्वतंत्र मूल्य निर्धारण की बारंबारता, अंतिम मूल्य का समय निर्धारण, निर्धारित मूल्य में परिवर्तन की क्रियाविधि, माह के अंत में तथा तदर्थ सत्यापन क्रियाविधि; और

(ii) मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी विभाग के लिए स्पष्ट और स्वतंत्र रिपोर्टिंग (अर्थात् फ्रंट कार्यालय से स्वतंत्र) व्यवस्था ।

8.8.1.2 मूल्य निर्धारण क्रियाविधि

बाजार दर पर मूल्य निर्धारण

(i) बाज़ार दर पर मूल्य निर्धारण स्वतंत्र स्रोतों से प्राप्त व्यवस्थित लेनदेनों में आसानी से उपलब्ध अंतिम मूल्य पर स्थिति का दैनिक मूल्य निर्धारण है । आसानी से उपलब्ध अंतिम मूल्य के उदाहरण हैं - एक्सचेंज मूल्य, स्क्रीन मूल्य या अनेक स्वतंत्र प्रतिष्ठित दलालों से प्राप्त भाव / मूल्य ।

(ii) बैंकों को यथासंभव अधिक-से-अधिक बाजार दर पर मूल्यांकन करना चाहिए । बिड/ऑफर के अधिक विवेकपूर्ण पक्ष का प्रयोग किया जाना चाहिए बशर्ते किसी खास प्रकार के पोजीशन में संस्था महत्वपूर्ण बाजार निर्माता हो और वह मिड-मार्केट में भाव बंद कर सकती हो । बैंकों को मूल्य निर्धारण तकनीक का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य का अनुमान लगाते समय माप करने योग्य इनपुट का अधिक प्रयोग करना चाहिए तथा ऐसे इनपुट का प्रयोग कम-से-कम करना चाहिए जिन्हें मापा नहीं जा

सकता । तथापि, बाध्य होकर की गयी बिक्री या आपदाग्रस्त बिक्री की स्थिति में माप करने योग्य इनपुट या लेनदेन प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं या बाजार जब सक्रिय न हो, वैसी स्थितियों में लेनदेन प्रेक्षणीय नहीं हो सकते हैं । ऐसे मामलों में प्रेक्षणीय आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन उनके आधार पर निर्धारण नहीं भी हो सकता है ।

<u>मोडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण</u>

(*iii*) मोडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण की परिभाषा ऐसे मूल्य निर्धारण के रूप में की गयी है जो किसी बाजार इनपुट के आधार पर बेंचमार्क की जाती है अथवा उससे निकाली जाती है या गणना की जाती है । जहां बाजार दर पर मूल्य निर्धारण संभव नहीं हो वहां बैंकों को "बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड" पर1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 3/21.04.141/2009-10 में निहित निवेशों के मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों का अनुसरण करना चाहिए । जिन निवेश और डेरिवेटिव पोजीशन के संबंध में उक्त मास्टर परिपत्र में उल्लेख किया गया है, उनके संबंध में बैंक द्वारा प्रयुक्त मूल्य निर्धारण मोडेल विवेकपूर्ण सिद्ध होना चाहिए । भारतीय रिज़र्व बैंक/फिमडा दिशानिर्देशों में निर्धारित मूल्य निर्धारण मोडेल के अलावा अन्य मोडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण करते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है । मोडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण प्रणाली विवेकपूर्ण है या नहीं इसका मूल्यांकन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा :

- वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को ट्रेडिंग बही अथवा अन्य उचित मूल्य पोजीशन के उन तत्वों की जानकारी रहनी चाहिए जो मोडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण के अधीन हैं तथा इससे कारोबार के जोखिम/कार्य निष्पादन की रिपोर्टिंग में जो अनिश्चितता उत्पन्न होती है उसके महत्व को भी समझना चाहिए ।
- बाजार इनपुट का स्रोत यथासंभव बाजार मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए (जैसा कि ऊपर चर्चा की गयी है) । किसी खास पोजीशन के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयुक्त मार्केट इनपुट की उपयुक्तता की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए ।
- जहां उपलब्ध हो, विशेष उत्पादों के लिए सामान्य रूप से स्वीकृत मूल्य निर्धारण क्रियाविधि का यथासंभव उपयोग किया जाना चाहिए ।

- जहां मोडेल स्वयं संस्था द्वारा ही तैयार किया गया हो, वहां मोडेल समुचित अवधारणाओं पर आधारित होना चाहिए, जिनका मूल्यांकन मोडेल तैयार करने से असंबद्ध सुयोग्य पार्टियों द्वारा किया गया हो । मोडेल को विकसित करने या अनुमोदित करने के कार्य में फ्रंट कार्यालय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए । मोडेल का स्वतंत्र परीक्षण किया जाना चाहिए । इसमें मोडेल का गणित, अवधारणा और सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन शामिल है ।
- एक औपचारिक परिवर्तन नियंत्रण प्रक्रिया सुस्थापित होनी चाहिए तथा मोडेल की एक सुरक्षित प्रतिलिपि रखी जानी चाहिए और आवधिक रूप से मूल्य निर्धारण की जांच के लिए उसका प्रयोग किया जाना चाहिए ।
- जोखिम प्रबंध प्रणाली को प्रयुक्त मोडेलों की कमजोरी का पता होना चाहिए तथा यह भी पता होना चाहिए कि मूल्य निर्धारण के परिणाम में उन कमजोरियों को किस तरह अच्छी नीति से प्रतिबिंबित किया जाए ।
- मोडेल की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए ताकि उसके कार्य की शुद्धता निर्धारित की जा सके (उदाहरण के लिए अवधारणाओं की निरंतर उपयुक्तता का मूल्यांकन, जोखिम घटकों की तुलना में लाभ और हानि का विश्लेषण, मोडेल के परिणाम की वास्तविक अंतिम मूल्य से तुलना)
- उपयुक्त मूल्य निर्धारण समायोजन किये जाने चाहिए । उदाहरण के लिए, मोडेल के मूल्य निर्धारण की अनिश्चितता को कवर करने के लिए (कृपया पैरा 8.7.1.2 (vi) (vii) और 8.7.2.1 से 8.7.2.4 भी देखें)

<u>स्वतंत्र मूल्य सत्यापन</u>

(iv) स्व्तंत्र मूल्य सत्यापन बाजार दर पर दैनिक मूल्यांकन से अलग है । यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बाजार मूल्यों या मोडेल इनपुट की शुद्धता की नियमित जांच की जाती है । यद्यपि बाजार दर पर दैनिक मूल्य निर्धारण डीलर करते हैं, तथापि बाजार मूल्यों या मोडेल इनपुट का सत्यापन उस इकाई द्वारा किया जाना चाहिए जो डीलिंग रूम से स्वतंत्र हो । ऐसा माह में कम-से-कम एक बार किया जाना चाहिए (या, बाजार/ट्रेडिंग गतिविधि के स्वरूप के आधार पर एक से अधिक बार किया जाना चाहिए) । बाजार दर पर मूल्यांकन करने की आवधिकता के समान इसे बार-बार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोजीशन के वस्तुमूलक अर्थात् स्वतंत्र मूल्य निर्धारण में कोई त्रुटि या मूल्य निर्धारण में कोई पक्षपात दिखना चाहिए, जिससे त्रुटिपूर्ण दैनिक मूल्य निर्धारण में सुधार हो सके ।

(v) स्वतंत्र मूल्य सत्यापन में शुद्धता का उच्चतर मानक होना चाहिए, क्योंकि बाजार मूल्यों या मोडेल इनपुट का प्रयोग लाभ और हानि के आंकड़े निर्धारित करने में होता है, जबकि

दैनिक मूल्य निर्धारण का प्रयोग मुख्यतया रिपोर्टिंग तिथियों के बीच प्रबंधन रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है । ऐसे स्वतंत्र मूल्य सत्यापन के लिए जिसमें मूल्य निर्धारण के स्रोत अधिक विषयीमूलक हों, उदाहरण के लिए केवल एक उपलब्ध ब्रोकर द्वारा दिया जानेवाला भाव, तब मूल्य निर्धारण समायोजन जैसे विवेकपूर्ण उपाय उपयुक्त होंगे ।

<u>मूल्य निर्धारण समायोजन</u>

(vi) बाज़ार दर पर मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया के अंग के रूप में बैंकों को मूल्य निर्धारण समायोजन पर विचार करने की प्रक्रिया सुस्थापित करनी चाहिए । भारतीय रिज़र्व बैंक थर्ड-पार्टी मूल्य निर्धारण का प्रयोग करने वाले बैंकों से विशेष रूप से अपेक्षा रखता है कि वे इस बात पर विचार करें कि मूल्य निर्धारण समायोजन आवश्यक है या नहीं । मोडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण करते समय भी इस प्रकार का विचार करना आवश्यक है ।

vii) बैंकों को अपने डेरिवेटिव संविभाग का मूल्य निर्धारण करते समय कम-से-कम निम्नलिखित मूल्य निर्धारण समायोजन पर विचार करना चाहिए :

अनर्जित क्रेडिट स्प्रेड

- अंतिम भाव
- जल्दी मीयाद समाप्त करना, निवेश और निधीयन लागत; तथा
- भावी प्रशासनिक लागत और
- जहाँ उपयुक्त हो वहाँ मोडेल जोखिम

बैंक उपयुक्त समायोजनों की गणना करने के लिए किसी भी मान्यताप्राप्त विधि/मोडेल का प्रयोग कर सकते हैं । तथापि, अनर्जित क्रेडिट स्प्रेड समायोजन के मामले में यदि किसी बैंक के पास कोई मोडेल न हो तो निम्नलिखित मानदंड अपनाये जा सकते हैं :

आम तौर पर डेरिवेटिव डीलर गतिशील क्रेडिट समायोजन का प्रयोग करते हैं जो ओटीसी डेरिवेटिव संविभाग के उनके काउंटरपार्टियों के साख में हुए परिवर्तन को प्रतिबिम्बित करते हैं । चूक जोखिम के लिए समायोजन के दो प्रकार हैं । पहले में प्रत्याशित ऋण हानि की संभावना को शामिल किया जाता है तथा दूसरे में अप्रत्याशित ऋण हानि को कवर करने के लिए रखी गयी पूंजी की लागत शामिल की जाती है ।

अनर्जित क्रेडिट स्प्रेड समायोजन इस जोखिम को प्रतिबिम्बित करने के लिए किए जाते हैं कि काउंटरपार्टी की प्रत्याशित चूक के कारण डीलर को अदायगी नहीं मिलेगी । इन समायोजनों में सामान्यतया नेटिंग व्यवस्था और कोलेटरल को ध्यान में रखा जाता है । अतः, डीलर

क्रेडिट जोखिम के लिए जो वास्तविक समायोजन करते हैं वे उन समायोजनों से कम होते हैं जिनमें नेटिंग व्यवस्था और कोलेटरल का ध्यान नहीं रखा जाता है । भारत में बैंकों को अभी तक डेरिवेटिव लेनदेनों के लिए नेटिंग व्यवस्था करने की अनुमति नहीं दी गयी है । अतः, यदि अनर्जित क्रेडिट स्प्रेड के लिए समायोजन का अनुमान लगाने के लिए बैंकों के पास मोडेल न हों, तो वे पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए सम्भावित भावी एक्सपोज़र की गणना के लिए प्रयुक्त ऋण परिवर्तन गुणक के 20% के बराबर के गुणक का प्रयोग कर प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधान कर सकते हैं ।

प्रत्याशित ऋण हानि की लागत के अलावा कुछ डीलर अप्रत्याशित हानि का जोखिम वहन करने के लिए पूंजी प्रभार में समायोजन कर सकते हैं । इस प्रकार का प्रभार उन कीमतों में प्रतिबिम्बित होगा जिन पर बाजार प्रतिभागी डेरिवेटिव लेनदेन करने के लिए तैयार होते हैं । ये समायोजन उच्चतम प्रत्याशित स्तर से अधिक हुई ऋण हानि के जोखिम को आत्मसात करने वाली पूंजी पर अदा किये जाने वाले प्रतिफल की लागत दर्शाते हैं । अप्रत्याशित हानि की लागत के लिए समायोजन आवश्यक हैं क्योंकि किसी भी संविभाग में किसी भी मूल्य निर्धारण की तारीख को ऐसी हानि का जोखिम बना रहता है ।

टिप्पणी : ऊपर प्रयुक्त कुछ शब्दों को नीचे स्पष्ट किया गया है :

<u>अंतिम लागत</u> (क्लोज़-आउट कॉस्ट)

अंतिम लागत : संविभाग के बाजार जोखिम को समाप्त करने की लागत में समायोजन घटक

<u>निवेश और निधीयन लागत</u>

निवेश और निधीयन लागत मोडेल द्वारा सामान्यतया अपनायी गयी दरों से भिन्न दरों पर नकदी प्रवाह विसंगति के निधीयन और निवेश की लागत है ।

<u>प्रशासनिक लागत समायोजन</u>

प्रशासनिक लागत समायोजन संविभाग के प्रशासन में होनेवाली लागत है ।

8.8.2 विनियामक पूंजी प्रयोजनों से कम तरल पोजीशन के वर्तमान मूल्यांकन का समायोजन

8.8.2.1 बैंकों को विनियामक पूंजी प्रयोजनों से कम तरल पोजीशन के वर्तमान मूल्यांकन में समायोजन करने की आवश्यकता के संबंध में निर्णय लेने और समायोजन की गणना करने की प्रक्रियाएं सुस्थापित करनी चाहिए । यह समायोजन वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन से

पोजीशन के मूल्य में किये गये परिवर्तन के अतिरिक्त हो सकता है और इसकी परिकल्पना पोजीशन की कम तरलता को व्यक्त करने के लिए की जानी चाहिए । किसी पोजीशन की वर्तमान कम तरलता को व्यक्त करने के लिए उक्त पोजीशन के मूल्यांकन में समायोजन पर विचार किया जाना चाहिए, चाहे वह पोजीशन बाजार मूल्यों के आधार पर अथवा माप करने योग्य इनपुट के आधार पर, थर्ड पार्टी मूल्यांकन के आधार पर या मोडेल के आधार पर मूल्यांकित किया गया हो ।

8.8.2.2 यह देखते हुए कि बाजार जोखिम पूंजी प्रभार की तरलता के संबंध में किया गया पूर्वानुमान यथा उपयुक्त कम तरल पोजीशन की बिक्री पर हेज करने की बैंक की क्षमता के अनुरूप न हो, बैंकों को इन पोजीशनों के वर्तमान मूल्यांकन में समायोजन करना चाहिए और निरंतर उनकी उपयुक्तता की समीक्षा करनी चाहिए। कम तरलता बाजार घटनाओं से उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा, समायोजन तय करते समय संकेंद्रित पोजीशन और/अथवा स्टेल पोजीशन की क्लोन-आउट कीमतों पर भी विचार किया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कम तरल पोजीशन के कारण मूल्य निर्धारण समायोजन की राशि की गणना के लिए किसी विशिष्ट क्रियाविधि का निर्धारण नहीं किया है। बैंकों को कम तरल पोजीशन के समायोजन की उपयुक्तता निर्धारित करते समय सभी संबंधित घटकों पर विचार करना चाहिए। इन घटकों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं (हालांकि इन्हें केवल इन मदों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता) - पोजीशन या पोजीशन के भीतर जोखिमों की हेजिंग करने में लगाने वाला समय, बिड ऑफर स्प्रेड का औसत उतार-चढ़ाव, स्वतंत्र बाजार भावों की उपलब्धता (बाजार निर्माताओं की संख्या और पहचान), ट्रेडिंग परिमाण (बाजार की दबाव स्थिति के दौरान ट्रेडिंग परिमाण सहित) का औसत तथा उतार-चढ़ाव, बाजार संकेंद्रण, पोजीशन कितना पुराना है, किस हद तक मूल्य निर्धारण मोडेल के अनुसार निर्धारण पर आधारित है और पैरा 8.7.2.2 में शामिल नहीं किये गये अन्य मोडेल जोखिमों का प्रभाव। कम तरलता के कारण मूल्य निर्धारण समायोजन पर विचार किया जाना चाहिए चाहे फिमडा द्वारा जारी दिशानिर्देशों में मूल्यांकन के प्रयोजन से वाइटीएम /स्प्रेड तय करते समय कम तरलता के प्रीमियम को गणना में शामिल किया गया हो या नहीं ।

8.8.2.3 जटिल उत्पादों के लिए, जिनमें प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के अलावा अन्य उत्पाद भी शामिल हैं, बैंकों को मूल्य निर्धारण समायोजन की आवश्यकता का स्पष्ट मूल्यांकन करना चाहिए ताकि दो प्रकार के मोडेल जोखिम प्रतिबिम्बित हो सकें :

(i) संभवतः त्रुटि पूर्ण मूल्य निर्धारण क्रियाविधि के प्रयोग से जुड़ा मोडेल जोखिम; और
(ii) मूल्य निर्धारण मोडेल में अप्रेक्षणीय और संभवतः त्रुटि पूर्ण)) माप पैमाने के प्रयोग से जुड़ा जोखिम

8.8.2.4 पैरा 8.7.2.2 के अंतर्गत कम तरल पोजीशन के वर्तमान मूल्य निर्धारण में समायोजन को बैंक के सीआरएआर की गणना करते समय लाभ और हानि खाते में नामे नहीं डाला जाएगा, बल्कि टीयर 1 विनियामक पूंजी से घटाया जाएगा । यह समायोजन वित्तीय रिपोर्टिंग /लेखा मानक के अंतर्गत तथा पैरा 8.7.1.2 (vi) और (v//) के अंतर्गत मूल्य निर्धारण समायोजन से अधिक हो सकता है ।

8.8.2.5 बाज़ार जोखिम के लिए पात्र पूंजी की गणना करने के लिए यह आवश्यक होगा कि पहले ऋण और परिचालन जोखिम के लिए बैंक के न्यूनतम पूंजी अपेक्षा की गणना की जाए और उसके बाद ही उसके बाज़ार जोखिम अपेक्षा की गणना की जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितना टीयर 1 और टीयर 2 पूंजी बाज़ार जोखिम के लिए उपलबध है । पात्र पूंजी बैंकों की कुल टीयर 1 पूंजी और कुल टीयर 2 पूंजी का योग होगा बशर्ते टीयर 2 पूंजी टीयर 1 पूंजी के 100% से अधिक न हो तथा इस मास्टर परिपत्र में वर्णित टीयर 1 और टीयर 2 पूंजी से संबंधित शर्तें पूरी की जाएं ।

<u>बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी की गणना</u>

(राशि करोड़ रुपयों में)

1.	पूंजी निधि • टीयर 1 पूंजी • टीयर 2 पूंजी	 55 50	105
2.	कुल जोखिम भारित आस्तियां • ऋण और चरिचालन जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां • बाज़ार जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां	 1000 140	1140
3.	कुल सीआरएआर		9.21
4.	ऋण और परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा (1000∗9%) टीयर 1 (@ 1000 का 4.5% का) टीयर 2 (@ 1000 का 4.5%)	 45 45	90
5.	बाज़ार जोखिम के समर्थन के लिए उपलब्ध पूंजी • टीयर 1 - (55 - 45) • टीयर 2 - (50 - 45)	 10 5	15

9. <u>परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भार</u>

9.1 परिचालन जोखिम की परिभाषा

परिचालन जोखिम को अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप होनेवाली हानि के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा में विधिक जोखिम शामिल है लेकिन कार्यनीति (स्ट्रटेजिक) तथा प्रतिष्ठागत जोखिम शामिल नहीं है। विधिक जोखिम में पर्यवेक्षी कार्रवाइयों तथा निजी निपटानों के परिणामस्वरूप जुर्माना, दंड तथा दंडात्मक क्षतिपूर्ति के प्रति एक्सपाज़र शामिल है लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है।

9.2 गणन पद्धतियां

9.2.1 नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे में परिचालन जोखिम पूंजी भारों की गणना के लिए उत्तरोत्तर बढ़ती हुई परिष्कृतता तथा जोखिम संवेदनशीलता के साथ तीन पद्धतियां दी गयी हैं :

i) मूल (बेसिक) निर्देशक दृष्टिकोण (बीआइए); *ii*) मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए); तथा
iii) उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए)।

9.2.2 बैंकों को अधिक परिष्कृत परिचालन जोखिम गणना प्रणालियों तथा प्रथाओं को विकसित करते हुए उपलब्ध दृष्टिकोणों के अनुरूप उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

9.2.3 नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे में यह प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों तथा महत्वपूर्ण परिचालन जोखिम एक्सपोजर्स वाले बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसा दृष्टिकोण अपनाएं जो कि मूल निर्देशक दृष्टिकोण से अधिक परिष्कृत है तथा वह जो कि संस्था की जोखिम प्रोफाइल के लिए उपयुक्त है। तथापि प्रारंभ में भारत में कार्यरत बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं की गणना मूल निर्देशक दृष्टिकोण के अंतर्गत करेंगे। रिज़र्व बैंक मूल निर्देशक दृष्टिकोण से प्राप्त पूंजी अपेक्षा की सामान्य विश्वसनीयता, विशेषतः बैंक की समकक्ष संस्थाओं के बीच में विश्वसनीयता की समीक्षा करेगा तथा विश्वसनीयता के अभाव में स्तम्भ 2 के अंतर्गत समुचित पर्यवेक्षी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

9.3 मूल निर्देशक दृष्टिकोण

9.3.1 मूल निर्देशक दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंकों को परिचालन जोखिम के लिए पिछले तीन वर्ष की अवधि के दौरान सकारात्मक वार्षिक सकल आय के निश्चित प्रतिशत (अल्फा के रूप में अंकित) के औसत के बराबर पूंजी रखनी होगी। औसत की गणना करते समय जिस वर्ष में वार्षिक सकल आय नकारात्मक अथवा शून्य है उस वर्ष के आंकड़ों को भाज्य तथा भाजक दोनों से निकाल देना चाहिए। यदि नकारात्मक सकल आय बैंक के स्तम्भ 1 पूंजी भार को विकृत करती है तो रिज़र्व बैंक स्तम्भ 2 के अंतर्गत उचित पर्यवेक्षी कार्रवाई पर विचार करेगा। प्रभार को निम्नानुसार व्यक्त किया जाए :

$$\mathbf{KBIA = [\ \sum\ (GI_{1...n}\ x\ \alpha)]/n}$$

जहां

KBIA= मूल निर्देशक दृष्टिकोण के अंतर्गत पूंजी भार

GI = पिछले तीन वर्ष के दौरान वार्षिक सकल आय, जहां सकारात्मक है।

n = उन पिछले तीन वर्षों की संख्या जब सकल आय सकारात्मक है।

α = 15 प्रतिशत, जिसे बीसीबीएस ने निर्धारित किया है, इससे आवश्यक पूंजी के उद्योगवार स्तर को निर्देशक के उद्योगवार स्तर से जोड़ा गया है।

9.3.2 सकल आय को `निवल ब्याज आय' और `निवल ब्याजेतर आय' के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। यह उद्देश्य है कि इस माप में :

i. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों (उदा. अदत्त ब्याज के लिए) तथा बट्टे खाते डाले गए मदों का जोड़ होना चाहिए;

ii. परिचालनगत व्ययों, जिनमें आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाताओं को भुगतान किए गए शुल्क शामिल हैं, का सकल योग होना चाहिए । *आऊटसोर्स की गयी सेवाओं के लिए दिए गए शुल्क के अतिरिक्त आऊटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करनेवाले बैंकों द्वारा प्राप्त शुल्क को भी सकल आय की परिभाषा में शामिल किया जाएगा;*

iii. पिछले वर्ष (वर्षों) के दौरान किए गए प्रावधानों तथा राइट-ऑफ के संबंध में वर्ष के दौरान किए गए रिवर्सल को शामिल नहीं किया जाना चाहिए;

iv. चल तथा अचल संपत्ति की मदों को बेचने से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाना चाहिए;

v. `परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानियों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए;

vi. बैंक के पक्ष में विधिक समझौतों से प्राप्त आय को न जोड़ा जाए;

vii. आय तथा व्यय की अन्य असाधारण अथवा अनियमित मदों को शमिल न करें;

viii. बीमा कार्यकलापों (अर्थात् बीमा पॉलिसियों को राइट करने से व्युत्पन्न आय) तथा बैंक के पक्ष में `बीमा दावों से व्युत्पन्न आय को शामिल न करें।

9.3.3 बैंकों को मूल निर्देशक दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भार की गणना निम्नानुसार करना चाहिए :

क) पिछले तीन वित्तीय वर्ष, जिनमें नकारात्मक अथवा शून्य सकल आय के वर्ष शामिल नहीं हैं के प्रत्येक वर्ष के (सकल आय * आल्फा) का औसत

ख) सकल आय = निवल लाभ (+) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं (+) परिचालन व्यय (अनुसूची 16) (-) (पैरा 9.3.2 की मदें (iii) से (viii) ।

ग) आल्फा = 15 प्रतिशत

9.3.4 नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे में पूंजी गणना की शुरुआत करने की दृष्टि से मूल निर्देशक दृष्टिकोण के उपयोग के लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। फिर भी, इस दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले बैंकों को *परिचालन जोखिम के प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण के लिए स्वस्थ प्रथाएं*, फरवरी 2003 संबंधी समिति के मार्गदर्शन तथा अक्तूबर 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिचालन जोखिम के प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

भाग ख : पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी)

10. स्तंभ 2 के अंतर्गत पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया की भूमिका

10.1 27 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 90/20.06.001/2006-07 के द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति द्वारा विकसित बासल II ढांचे पर आधारित नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा भारत के लिए अपनाया गया है । उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध के पैरा 2.4 (iii) (ग) के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षा की गयी थी कि उनके पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के संबंध में बोर्ड अनुमोदित नीति होनी चाहिए तथा वे आइसीएएपी के अनुसार पूंजी अपेक्षा का मूल्यांकन करें । हम यह मानते हैं कि बैंकों ने उक्त नीति बनायी होगी तथा तदनुसार पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन किया होगा ।

10.2 बासल II ढांचे के तीन घटक या तीन स्तंभ हैं । स्तंभ I न्यूनतम पूंजी अनुपात है, जबकि स्तंभ 2 और स्तंभ 3 क्रमशः पर्यवेक्षीय समीक्षा प्रक्रिया (एसआरपी) और बाजार अनुशासन है । स्तंभ 1 और स्तंभ 3 के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त परिपत्र के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किये, जिन्हें इस मास्टर परिपत्र में क्रमशः भाग क और भाग ग के रूप में समेकित किया गया है । एसआरपी और आइसीएएपी के संबंध में दिशानिर्देश नीचे पैरा 11 में दिये गये हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले आइसीएएपी दस्तावेज के प्रारूप का एक उदाहरण **अनुबंध-14** में दिया गया है ।

10.3 एसआरपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास अपने कारोबार के सभी जोखिमों से बचाव के लिए पर्याप्त पूंजी है । इसका उद्देश्य उन्हें अपने जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीकें विकसित करने और उनका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है । इस हेतु बैंकों के भीतर एक सुपरिभाषित आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया आवश्यक होगी, जिसके माध्यम से वे भारतीय रिज़र्व बैंक को आश्वस्त करेंगे कि बैंकों के समक्ष जो विभिन्न प्रकार के जोखिम हैं उनके लिए पर्याप्त पूंजी वस्तुतः रखी जा रही है । आश्वासन की प्रक्रिया के अंतर्गत बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच सक्रिय संवाद भी शामिल है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर बैंक के जोखिम एक्सपोज़र को कम करने के लिए या उसकी पूंजी बढ़ाने/बहाल करने के लिए समुचित हस्तक्षेप किया जा सके । अतः आइसीएएपी पर्यवेक्षीय समीक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है ।

10.4 एसआरपी और इसलिए आइसीएएपी के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य पहलुओं को शामिल किया जाएगा :

(क) ऐसे जोखिम जिन्हें स्तंभ 1 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम पूंजी अनुपात में पूरी तरह समाविष्ट नहीं किया गया है;

(ख) ऐसे जोखिम जिन्हें स्तंभ 1 के अंतर्गत शामिल ही नहीं किया गया है; और

(ग) बैंक से बाहर के घटक

चूंकि इस ढांचे के स्तंभ 1 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात केवल विनियामक **न्यूनतम** स्तर पर है, तथा इसमें केवल तीन विनिर्दिष्ट जोखिमों (अर्थात् ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों) को ध्यान में रखा गया है, अतः बैंकों के लिए दो कारणों से अतिरिक्त पूंजी रखना आवश्यक हो सकता है - स्तंभ 1 के अंतर्गत जोखिमों के कुछ कम आकलन की संभावना के कारण तथा बैंक के जोखिम प्रबंधन तंत्र की गुणवत्ता की तुलना में बैंक के वास्तविक जोखिम एक्सपोज़र के कारण । **उदाहरण के लिए,** बैंकों के कुछ सामान्य जोखिम जिन्हें विनियामक सीआरएआर में समाविष्ट नहीं किया गया है या पूर्णतः समाविष्ट नहीं किया गया है, निम्नलिखित हैं -

क) बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

ख) ऋण संकेंद्रण जोखिम

ग) चलनिधि जोखिम

घ) निपटान जोखिम

ङ) प्रतिष्ठा जोखिम

च) रणनीतिगत जोखिम

छ) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत कम आकलन का जोखिम

ज) "मॉडेल जोखिम" अर्थात् आइआरबी दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के कम आकलन का जोखिम

झ) ऋण जोखिम कम करनेवाले तत्वों में कमजोरी का जोखिम

ञ) प्रतिभूतीकरण का अवशिष्ट जोखिम, आदि

अतः यह उचित होगा कि बैंक एक सुपरिभाषित आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने विभिन्न जोखिम एक्सपोज़र का स्वयं मूल्यांकन करें तथा ऐसे जोखिमों के लिए पर्याप्त पूंजी समर्थन बनाए रखें ।

10.5 यह सच है कि आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) संचालित करने के लिए कोई एक दृष्टिकोण नहीं है तथा आइसीएएपी संचालित करने की स्वतंत्र प्रथा के संबंध में बाजार में अभी तक सर्व सम्मति नहीं हो पायी है । क्रियाविधि और तकनीकें अभी भी विकसित ही हो रही हैं - खास कर ऐसे जोखिमों की माप के संबंध में जिन्हें मात्रा

के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए प्रतिष्ठा जोखिम और रणनीतिगत जोखिम। अतः, इन दिशानिर्देशों में केवल व्यापक सिद्धांत दिये गये हैं, जिनका अनुसरण बैंकों को अपने आइसीएएपी विकसित करने के लिए करना चाहिए ।

10.6 बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने बोर्ड के अनुमोदन से अपने आकार, जटिलता के स्तर, जोखिम प्रोफाइल तथा परिचालनों की व्याप्ति के अनुरूप आइसीएएपी विकसित करें तथा उसे लागू करें । आइसीएएपी स्तंभ 1 के अंतर्गत विनियामक पूंजी अपेक्षा संबंधी बैंक की गणना के अतिरिक्त होगा तथा विदेशी बैंकों और भारत से बाहर परिचालनात्मक मौजूदगी वाले भारतीय बैंक द्वारा 31 मार्च 2008 से तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अन्य सभी वाणिज्य बैंकों द्वारा 31 मार्च 2009 से आइसीएएपी का परिचालन किया जाना चाहिए ।

10.7 बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक (अर्थात् प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, सेंटर 1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई - 400 005) को 30 जून 2008 तक अथवा 31 मार्च 2009 तक, जो भी लागू हो, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आइसीएएपी दस्तावेज की एक प्रतिलिपि भेजें । इस दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन, आगामी वर्ष के लिए पूंजी अपेक्षा का अनुमान तथा पूंजी अपेक्षा की पूर्ति के लिए योजना और रणनीति के ब्यौरे होने चाहिए। बैंकों के मार्गदर्शन के लिए **अनुबंध - 14** में आइसीएएपी दस्तावेज के प्रारूप का एक उदाहरण दिया गया है, हालाँकि बैंकों के आइसीएएपी दस्तावेज़ की लम्बाई और उसका प्रारूप, बैंकों के आकार, जटिलता के स्तर, जोखिम प्रोफाइल और परिचालनों की व्याप्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है। पहला आइसीएएपी दस्तावेज़ 30 जून 2008 तक या 31 मार्च 2009 तक, जो भी लागू हो, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राप्त हो जाना चाहिए तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष मार्च के अन्त तक भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त दस्तावेज़ प्राप्त हो जाना चाहिए, जिसमें आगमी वित्तीय वर्ष के लिए पूंजी मूल्यांकन और अनुमान के ब्यौरे होने चाहिए।

11. उन्नत जोखिम प्रबंध की आवश्यकता[29]

11.1. विगत वर्षों में वित्तीय संस्थाओं की कठिनाइयों के अनेक कारण रहे हैं, लेकिन गंभीर बैंकिंग समस्याओं के निम्नलिखित मुख्य कारण बने हुए हैं : उधारकर्ताओं और काउंटरपार्टियों के लिए शिथिल ऋण मानक, खराब संविभागीय जोखिम प्रबंध तथा आर्थिक और अन्य परिस्थितियों में होनेवाले उन परिवर्तनों की ओर ध्यान न देना जो किसी बैंक की

[29] 8 फरवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010

काउंटरपार्टियों की साख में गिरावट ला सकते हैं । विकसित और विकासशील दोनों देशों में यह समान अनुभव रहा है ।

11.2. 2007-08 के वित्तीय बाज़ार संकट ने किसी बैंकिंग संगठन की दीर्घावधिक सफलता में प्रभावी ऋण जोखिम प्रबंध की महत्ता को रेखांकित किया है तथा उसे वित्तीय स्थिरता का एक महत्वपूर्ण अंग माना है । इस संकट ने हमें इस बात की ओर सख्त इशारा किया है कि बैंकों के लिए ऋण जोखिम को प्रभावी तरीके से पहचानना, उसकी माप करना, उसकी निगरानी और नियंत्रण करना तथा यह समझना कि ऋण जोखिम अन्य प्रकार के जोखिमों (बाज़ार, चलनिधि और प्रतिष्ठा जोखिम सहित) से कैसे प्रभावित होता है, कितना आवश्यक है । किसी परिपूर्ण ऋण जोखिम प्रबंध कार्यक्रम के महत्वपूर्ण तत्वों में निम्नलिखित शामिल हैं - (i) एक समुचित ऋण जोखिम वातावरण स्थापित करना; (*ii)* एक अच्छी ऋण मंजूरी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करना; (*iii*) एक समुचित ऋण प्रशासन, माप और निगरानी प्रक्रिया सुनिश्चित करना और (iv) 12 अक्तूबर 2002 को ऋण जोखिम पर जारी हमारे दिशानिर्देश नोट में दिये गये ब्यौरे के अनुसार ऋण जोखिम पर पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करना ।

11.3. हाल के संकट ने प्रभावी पूंजी आयोजन और दीर्घावधिक पूंजी रख-रखाव के महत्व को रेखांकित किया है । अनिश्चित बाजार परिस्थितियों का सामना करने की किसी बैंक की क्षमता एक ऐसी सुदृढ़ पूंजीगत स्थिति से बढ़ जाती है जो बैंक की रणनीति में संभावित परिवर्तनों और समय के साथ बाजार स्थितियों में होनेवाले उतार-चढ़ाव को आत्मसात् कर सके । बैंकों को प्रभावी और कुशल पूंजी आयोजन तथा दीर्घावधिक पूंजी रख-रखाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए । एक प्रभावी पूंजी आयोजन प्रक्रिया के अंतर्गत यह आवश्यक है कि बैंक अपने जोखिमों का आकलन करे तथा उन जोखिमों को प्रबंधित करने और उन्हें कम करने के लिए जोखिम प्रबंध प्रक्रिया स्थापित करे; जोखिमों की तुलना में अपनी पूंजी पर्याप्तता का आकलन करे तथा आर्थिक धीमेपन (मंदी) के दौरान आय और पूंजी पर संभावित प्रभाव पर विचार करे । किसी बैंक की पूंजी आयोजन प्रक्रिया में एक त्रुटिरहित भविष्यदर्शी दबाव परीक्षण प्रणाली शामिल होनी चाहिए, जैसा कि नीचे पैरा 12.9 में वर्णित किया गया है।

11.4 किसी व्यावसायिक गतिविधि में तेज वृद्धि से बैंकों के समक्ष जोखिम प्रबंध की महत्वपूर्ण चुनौती उपस्थित हो सकती है। `ओरिजिनेट-टु-डिस्ट्रीब्यूट' कारोबारी मॉडल, तुलनपत्रेतर उत्पादों, चलनिधि सुविधाओं और ऋण डेरिवेटिव के व्यापक प्रयोग से ऐसा ही हुआ । ओरिजिनेट-टु-डिस्ट्रीब्यूट मॉडल और प्रतिभूतिकरण, ऋण मध्यस्थता और बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि करता है तथा जोखिम को भी अधिक व्यापक रूप में वितरित करता है । लेकिन इनसे जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है । वस्तुतः ये गतिविधियां कारोबार क्षेत्र के भीतर, कंपनी और जोखिम घटकों के बीच ऐसे एक्सपोज़र

उत्पन्न करती हैं जिनकी पहचान, माप, प्रबंधन, नियंत्रण और शमन करना कठिन है। यह बात विशेष रूप से बाजार चलनिधि, आस्ति कीमतों और जोखिम अभिमुखता की गिरावट के दौर में सच साबित होती है। ऐसे जोखिमों की समुचित पहचान और माप करने की असमर्थता से अनजाने में ऐसे जोखिम एक्सपोज़र और जोखिम संकेंद्रण हो सकते हैं जिनसे विभिन्न कारोबारों में और जोखिम आयामों में समान कारक-समूह के कारण सहवर्ती हानि हो सकती है। स्ट्रक्चर्ड उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण बैंकों को प्रोत्साहन मिला कि वे ओरिजिनेट-टू-डिस्ट्रीब्यूट मॉडल का प्रयोग कर ऋण दें, उदाहरण के लिए असुरक्षित बेचान मानकों का प्रयोग करते हुए सबप्राइम मॉर्टगेज दिये गये। साथ ही, स्ट्रक्चर्ड ऋण उत्पादों में निवेश करने का निर्णय लेते समय अनेक निवेशक केवल ऋण रेटिंग एजेन्सियों की रेटिंग पर ही निर्भर थे। अनेक निवेशकों ने स्ट्रक्चर्ड उत्पाद खरीदते समय स्वतंत्र रूप से कोई छानबीन नहीं की। इसके अलावा अनेक बैंकों में उनके तुलनपत्र में धारित एक्सपोज़र तथा तुलनपत्रेतर उत्पादों, यथा आस्ति समर्थित वाणिज्यिक पत्र (एबीसीपी) सरणी तथा स्ट्रक्चर्ड निवेश माध्यम (एसआईवी) से जुड़े जोखिमों का प्रबंध करने के लिए अपर्याप्त जोखिम प्रबंध प्रक्रिया स्थापित थी ।

11.5 नवोन्मेष के कारण स्ट्रक्चर्ड ऋण उत्पादों की जटिलता और संभावित तरलता बढ़ गयी है । इससे इन उत्पादों का मूल्यांकन और हेजिंग अधिक कठिन हो सकती है और समग्र जोखिम में अनजाने में वृद्धि हो सकती है । इसके अलावा, जटिल निवेशक-विशिष्ट उत्पादों की वृद्धि से ऐसे विरल बाज़ार उत्पन्न हो सकते हैं जो तरल न हों तथा यदि उनसे जुड़े जोखिमों को सही-सही नहीं समझा जाता है और सामयिक रूप से प्रभावी तरीके से उनका प्रबंध नहीं किया जाता है तो दबाव के समय बैंक को बड़ी हानि हो सकती है ।

12. भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) तथा बैंकों की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) के लिए दिशानिर्देश

12.1 पृष्ठभूमि

12.1.1 बासल ढाँचा बैंकों के केवल न्यूनतम पूंजी अपेक्षा के निर्धारण तक सीमित था, परंतु बासल II ढाँचे में इस दृष्टिकोण को विस्तृत करते हुए न केवल न्यूनतम पूंजी अनुपात में कुछ अतिरिक्त जोखिमों को समाविष्ट किया गया है बल्कि पर्यवेक्षीय समीक्षा प्रक्रिया तथा बैंकों से प्रकटीकरण अपेक्षाओं में वृद्धि करने के माध्यम से बाज़ार अनुशासन नामक दो अतिरिक्त क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार बासल II ढाँचा निम्नलिखित तीन परस्पर समर्थक स्तंभों पर आधारित है :

<u>स्तंभ 1</u> : न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएँ - इसके अंतर्गत पूंजी अपेक्षाओं की जोखिम-संवेदी गणना निर्धारित की गयी है, जिसमें पहली बार स्पष्ट रूप से बाजार और ऋण जोखिम के साथ-साथ परिचालन जोखिम को भी शामिल किया गया है।

<u>स्तंभ 2</u> : पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (एसआरपी) - इसके अंतर्गत बैंकों में उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना तथा पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा उनकी समीक्षा शामिल है।

<u>स्तंभ 3</u> : बाज़ार अनुशासन - इसके अंतर्गत बैंकों के लिए व्यापक प्रकटीकरण अपेक्षाओं के माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि करने का प्रयास किया गया है।

12.1.2 बासल समिति के बासल II दस्तावेज में स्तंभ 2 के अंतर्गत परिकल्पित एसआरपी के संबंध में निम्नलिखित चार प्रमुख सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है :

सिद्धांत 1 : बैंकों के पास अपने जोखिम प्रोफाइल के संबंध में अपनी समग्र पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए तथा पूंजी स्तर बनाए रखने के लिए रणनीति होनी चाहिए।

सिद्धांत 2 : पर्यवेक्षकों को बैंकों के आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकनों और रणनीतियों की तथा विनियामक पूंजी अनुपातों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अनुपालन की निगरानी करने की उनकी योग्यता की समीक्षा और मूल्यांकन करना चाहिए।

सिद्धांत 3 : पर्यवेक्षकों को बैंकों से यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वे न्यूनतम विनियामक पूंजी अनुपात से उच्चतर स्तर पर परिचालन करें तथा पर्यवेक्षकों के पास यह क्षमता होनी चाहिए कि वे बैंकों से न्यूनतम से अधिक पूंजी रखने की अपेक्षा कर सकें।

सिद्धांत 4 : पर्यवेक्षकों को किसी बैंक के जोखिम स्वरूप का समर्थन करने के लिए अपेक्षित पूंजी को न्यूनतम स्तर से नीचे गिरने से बचाने के लिए काफी पहले हस्तक्षेप करने का प्रयास करना चाहिए। यदि पूंजी बनाए रखी नहीं जाती है अथवा पुन: अपेक्षित स्तर तक नहीं लायी जाती है तो तेजी से सुधारात्मक उपाय अपनाने की अपेक्षा की जानी चाहिए।

12.1.3 यह स्पष्ट है कि सिद्धांत 1 और 3 बैंकों से पर्यवेक्षी अपेक्षाओं से संबंधित हैं, जबकि सिद्धांत 2 और 4 स्तंभ 2 के अंतर्गत पर्यवेक्षकों की भूमिका से संबद्ध हैं । स्तंभ 2 (पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया - एसआरपी) के अंतर्गत बैंकों के जोखिम प्रोफाइल से संबद्ध पूंजी पर्याप्तता

के मूल्यांकन के लिए तथा उनके पूंजी स्तर को बनाए रखने की एक रणनीति के रूप में बैंकों से एक आंतरिक प्रक्रिया कार्यान्वित करने की अपेक्षा की गयी है, जिसे आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) कहा गया है। स्तंभ 2 के अंतर्गत यह भी अपेक्षा की गयी है कि पर्यवेक्षीय प्राधिकारी सभी बैंकों पर एक मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करे जिसे इसके बाद पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) कहा जाएगा तथा इस आधार पर ऐसे पर्यवेक्षीय कदम उठाये जिन्हें आवश्यक समझा जाता है । पूर्वोक्त सिद्धांतों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि बैंकों और पर्यवेक्षकों पर निम्नलिखित व्यापक उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं -

<u>बैंकों का उत्तरदायित्व</u>

क) बैंकों के पास अपने जोखिम प्रोफाइल की तुलना में अपनी समग्र पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रक्रिया तथा अपना पूंजी स्तर बनाये रखने के लिए एक रणनीति सुस्थपित होनी चाहिए (सिद्धांत 1)।

ख) बैंकों को न्यूनतम विनियामक पूंजी अनुपात के ऊपर परिचालन करना चाहिए (सिद्धांत 3)।

<u>पर्यवेक्षकों का उत्तरदायित्व</u>

क) पर्यवेक्षकों को बैंक के आइसीएएपी की समीक्षा और मूल्यांकन करना चाहिए । (सिद्धांत 2)

ख) यदि पर्यवेक्षक इस प्रक्रिया के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें समुचित कार्रवाई करनी चाहिए । (सिद्धांत 2)

ग) पर्यवेक्षकों को बैंक द्वारा विनियामक पूंजी अनुपातों के अनुपालन की समीक्षा और मूल्यांकन करना चाहिए (सिद्धांत 2)

घ) पर्यवेक्षकों के पास यह क्षमता होनी चाहिए कि वे बैंकों से अपेक्षा कर सकें कि वे न्यूनतम से अधिक पूंजी रखें (सिद्धांत 3)

ङ) पर्यवेक्षकों को न्यूनतम स्तर से नीचे पूंजी गिरने से रोकने के लिए काफी पहले हस्तक्षेप करने का प्रयास करना चाहिए । (सिद्धांत 4)

च) यदि पूंजी स्तर नहीं बनाए रखा जाता है तो पर्यवेक्षकों को त्वरित प्रतिकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा रखनी चाहिए (सिद्धांत 4)

12.1.4 अतः, आइसीएएपी और एसआरईपी स्तंभ 2 के दो महत्वपूर्ण घटक हैं तथा उन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है :

आइसीएएपी के अंतर्गत किसी बैंक की प्रक्रियाएं तथा निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए परिकल्पित उपाय शामिल होंगे -

क) जोखिम की समुचित पहचान और माप

ख) बैंक के जोखिम प्रोफाइल की तुलना में आंतरिक पूंजी का समुचित स्तर

ग) बैंक में उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू करना और उनका और विकास करना

एसआरईपी के अंतर्गत पर्यवेक्षक द्वारा अपनायी गयी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया आती है, जिसमें ऊपर वर्णित सिद्धांतों में परिभाषित सभी प्रक्रियाएं और उपाय शामिल हैं । वस्तुतः इसके अंतर्गत बैंक के आइसीएएपी की समीक्षा और मूल्यांकन करना, बैंक के जोखिम प्रोफाइल का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करना तथा यदि आवश्यक हो तो समुचित विवेकपूर्ण उपाय और अन्य पर्यवेक्षीय कार्रवाई करना शामिल है ।

12.1.5 इन दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक किस प्रकार एसआरईपी का संचालन करेगा, आइसीएएपी की प्रत्याशित व्याप्ति और डिज़ाइन क्या होगी तथा आइसीएएपी के कार्यान्वयन के संबंध में बैंकों से भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रत्याशाएं क्या होंगी - इनके संबंध में बैंकों को व्यापक मार्गदर्शन देने का प्रयास किया गया है ।

12.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एसआरईपी का संचालन

12.2.1 पूंजी बैंक को दिवालिया होने से बचाती है और इस प्रकार समग्र बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने में मदद करती है। स्तंभ 1 के अंतर्गत न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षा एक स्तर निर्धारित करती है जिससे नीचे किसी सुदृढ़ बैंक की पूंजी नहीं जानी चाहिए। विनियामक पूंजी अनुपातों के कारण विनियमित बैंकिंग संस्थाओं के बीच पूंजी पर्याप्तता का कुछ तुलनात्मक विश्लेषण हो सकता है क्योंकि ये अनुपात कतिपय सामान्य क्रियाविधियों/मान्यताओं पर आधारित रहते हैं। तथापि, पर्यवेक्षकों को किसी बैंक विशेष के जोखिमों पर विचार करते समय पूंजी पर्याप्तता के अधिक परिपूर्ण मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, जिसमें न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षाओं से परे विश्लेषण किया गया हो।

12.2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्यतः बैंकों से यह अपेक्षा करता है कि वे सभी प्रकार के महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए अपने-अपने जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप अपने न्यूनतम विनियामक पूंजी स्तरों से अधिक पूंजी रखें । एसआरईपी के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक एक व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से, जिसमें सभी संबद्ध उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखा

जाता है, किसी बैंक की समग्र पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करेगा । यह निश्चित करने के लिए कि किसी बैंक को न्यूनतम विनियामक पूंजी से कितनी अधिक पूंजी रखनी चाहिए, भारतीय रिज़र्व बैंक विनियामक न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं का बैंक के द्वारा अनुपालन, बैंक के आइसीएएपी की गुणवत्ता और परिणाम, बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणालियों तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल और पूंजी स्थिति से संबद्ध अन्य प्रासंगिक सूचनाओं के पर्यवेक्षीय मूल्यांकन के संयुक्त प्रभाव को ध्यान में रखेगा ।

12.2.3 अतः बैंकों के एसआरईपी का संचालन भारतीय रिज़र्व बैंक आवधिक रूप से करेगा, जो सामान्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के वार्षिक निरीक्षण (एएफआइ) के साथ होगा तथा यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों से प्राप्त होनेवाले ऑफ-साइट विवरणों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों से प्रत्येक वर्ष अपेक्षित आइसीएएसी दस्तावेज से प्राप्त सूचना के आधार पर किया जाएगा (देखें पैरा 11.3.4)। एसआरईपी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के आइसीएएपी की पर्याप्तता और प्रभावशीलता तथा उससे प्राप्त पूंजी अपेक्षा का मूल्यांकन करेगा। यद्यपि मूल्यांकन के दौरान विनियामक न्यूनतम सीआरएआर और बैंक के आइसीएएपी के परिणाम के बीच के अंतर को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा (क्योंकि इन दो प्रक्रियाओं में शामिल जोखिम अलग-अलग हैं), तथापि बैंकों से यह आशा की जाएगी कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष यह सिद्ध करें कि उन्होंने जो आइसीएएपी अपनाया है वह उनके आकार, जटिलता के स्तर, परिचालनों की व्याप्ति और परिमाण तथा उससे उत्पन्न जोखिम प्रोफाइल/एक्सपोज़र के प्रति पूर्णतः सजग है तथा उनकी पूंजी अपेक्षाओं को अच्छी तरह व्यक्त करती है। आइसीएएपी की प्रभावोत्पादकता के ऐसे मूल्यांकन से भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों द्वारा अपनायी गयी पूंजी प्रबंधन प्रक्रियाओं और रणनीतियों को समझने में मदद मिलेगी। यदि आवश्यक माना गया तो एसआरईपी के अंतर्गत समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक के उच्चतम प्रबंध तंत्र के बीच संवाद भी हो सकता है। आवधिक समीक्षा के अलावा यदि आवश्यक समझा गया तो रिज़र्व बैंक, बैंक की आइसीएएपी पाक्रिया के विशिष्ट पहलुओं पर टिप्पणी करने तथा तदर्थ समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ भी नियुक्त कर सकता है। ऐसी समीक्षा का स्वरूप और सीमा भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित करेगा ।

12.2.4 एसआरईपी के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक यह भी पता लगाने का प्रयास करेगा कि अंतर्निहित परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर बैंक की समग्र पूंजी पर्याप्तता बनी हुई है । सामान्य तौर पर जोखिम में यदि महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, जिसे किसी अन्य तरीके से कम नहीं किया जा सकता, तो उसके साथ-साथ पूंजी में भी तदनुरूप वृद्धि होनी चाहिए । इसके ठीक विपरीत, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक अपने पर्यवेक्षीय मूल्यांकन से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जोखिम में महत्वपूर्ण गिरावट आयी है या इसे समुचित रूप से कम किया गया है, तो समग्र पूंजी में कटौती (विनियामक न्यूनतम पूंजी के स्तर से फिर भी अधिक) उपयुक्त हो

सकती है। ऐसे मूल्यांकन के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी पर्यवेक्षीय चिंता का निवारण करने के लिए समुचित पर्यवेक्षीय कदम उठाने पर विचार कर सकता है। इन उपायों में बैंक की जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया में परिवर्तन या वृद्धि, जोखिम एक्सपोज़र में कटौती या संबंधित पर्यवेक्षीय चिंता के निवारण के लिए आवश्यक समझी गयी कोई भी कार्रवाई आ सकती है। इन उपायों में बैंक विशेष के लिए न्यूनतम सीआरएआर की शर्त भी हो सकती है, जो स्तंभ 1 के अंतर्गत निर्धारित विनियामक न्यूनतम पूंजी अपेक्षा की तुलना में, तथ्य और परिस्थिति के अनुरूप, उच्चतर भी हो सकती है। जिन मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक विनियामक न्यूनतम से अधिक सीआरएआर निर्धारित करेगा, वहां वह ऐसा करने के पीछे के कारणों को संबंधित बैंक को स्पष्ट करेगा । तथापि, इस प्रकार का अतिरिक्त सीआरएआर प्रावधान, एसआरईपी अभ्यास का एक संभव परिणाम हो सकता है परंतु यह अनिवार्य परिणाम हो आवश्यक नहीं है, क्योंकि एसआरईपी का मुख्य उद्देश्य बैंकों की जोखिम प्रबंध प्रणालियों में सुधार लाना है ।

12.2.5 जब भी बासल II दस्तावेज में अभिकल्पितउन्नत दृष्टिकोणों को भारत में अपनाने की अनुमति मिलेगी, एसआरईपी उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने से संबंधित पात्रता मानदंडों का बैंकों द्वारा निरंतर अनुपालन किए जाने का भी मूल्यांकन करेगी।

12.3 आइसीएएपी का संरचनात्मक पहलू

12.3.1 इस खंड में आइसीएएपी के व्यापक मापदंडों की रूपरेखा दी गयी है, जिनका अनुपालन बैंकों को अपने आइसीएएपी की परिकल्पना और कार्यान्वयन के दौरान करना चाहिए ।

12.3.2 <u>प्रत्येक बैंक के पास आइसीएएपी होनी चाहिए</u>

यह देखते हुए कि बासल II ढांचा सभी वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर एकल स्तर (वैश्विक स्थिति) तथा समेकित स्तर दोनों स्तरों पर लागू है, अतः किसी बैंकिंग समूह की प्रत्येक बैंकिंग संस्था के प्रत्येक स्तर पर एकल आधार पर तथा समेकित बैंक (अर्थात् संस्थाओं का एक समूह जहां लाइसेंस प्राप्त बैंक एक नियंत्रक संस्था है) के आधार पर भी आइसीएएपी तैयार किया जाना चाहिए । यह अपेक्षा उन विदेशी बैंकों पर भी लागू होगी जिनकी भारत में शाखा है । उनके आइसीएएपी में केवल भारतीय परिचालनों को शामिल किया जाना चाहिए ।

12.3.3 आइसीएएपी में पूरी फर्म का जोखिम प्रोफाइल शामिल होना चाहिए[30]

[30] 8 फरवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010

12.3.3.1 पूरी फर्म के जोखिम प्रबंध के सामान्य सिद्धांत

वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को बैंक के जोखिम एक्सपोज़र का एक समन्वित, संपूर्ण फर्म-वार परिदृश्य लेने का महत्व समझना चाहिए ताकि वह उभरनेवाले तथा बढ़ते जोखिमों को पहचानने तथा उनपर प्रतिक्रिया करने की अपनी क्षमता का समय पर तथा प्रभावी रूप से समर्थन कर सके। इस मार्गदर्शन का प्रयोजन है प्रतिभूतिकरण, तुलनपत्रेतर एक्सपोज़रों, स्ट्रक्चर्ड ऋण तथा जटिल खरीद-बिक्री संबंधी कार्यकलापों सहित बैंक के पूंजी बाजार संबंधी कार्यकलापों चारों ओर के फर्म-वार निरीक्षण, जोख्मा प्रबंधन तथा नियंत्रणों को बढ़ाने की आवश्यकता । एक स्वस्थ जोखिम प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखिम मुख्य तत्व होने चाहिए :

- बोर्ड तथा वरिष्ठ पबंधन का सक्रिय निरीक्षण;
- समुचित नीति, क्रियाविधि तथा सीमाएं;
- जोखिमों का व्यापक तथा समय पर निर्धारण, मापन, न्यूनीकरण नियंत्रण, निगरानी तथा रिपोर्टिंग;
- कारोबार तथा पूरी फर्म के स्तर पर समुचित प्रबंधन सूचना प्रणालियां; तथा
- व्यापक आंतरिक निंयत्रण ।

12.3.3.2 निदेशक बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधतंत्र द्वारा पर्यवेक्षण

आइसीएएपी की रचना और कार्यान्वयन का अंतिम उत्तरदायित्व बैंक के निदेशक मंडल पर होगा तथा भारत में शाखागत मौजूदगी वाले विदेशी बैंकों के मामले में यह उत्तरदायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी पर होगा। संस्था की जोखिम लेने की क्षमता तथा प्रवृत्ति को परिभाषित करने तथा यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निदेशक बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन की है कि बैंक के जोखिम प्रबंधन के ढांचे में ऐसी विस्तृत नीतियां हैं जो बैंक के कार्यकलापों पर पूरी फर्म के लिए विशिष्ट विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करती हैं जो कि बैंक की जोखिम लेने की क्षमता तथा प्रवृत्ति के अनुरूप है। बैंक की जोखिम लेने की समग्र प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए पहले बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन के पास पूरी फर्म के आधार पर जोखिम एक्सपोज़रों की समझ होनी चाहिए। यह समझ प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन के उपयुक्त सदस्यों को कारोबार तथा नियंत्रण संबंधी मुख्य कार्यों के दृष्टिकोण को साथ मिलाना चाहिए। जोखिम के संबंध में पूरी फर्म का एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को विभिन्न कारोबारों के बीच जो संगठनात्मक अलगाव है उसे पार करना होगा और बाजार गतिविधियों, जोखिम तथा जोखिम को कम करने की तकनीकों के बार में सूचनाओं /जानकारी को बांटना होगा । जैसे-जैसे बैंकिंग उद्योग बाजार आधारित मध्यस्थता की ओर अधिकाधिक बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शा रहा है, इस बात की संभाव्यता अधिक है कि किसी बैंक के कई क्षेत्रों से संबंधित उत्पाद, जोखिम तत्व अथवा काउंटरपार्टियां एक ही हो। वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को एक ऐसी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए जो

ऋण, बाजार, चलनिधि तथा परिचालनात्मक जोखिमों तक सीमित नहीं है बल्कि जिसमें सभी भौतिक/महत्वपूर्ण जोखिमों को शामिल किया गया है । इनमें प्रतिष्ठात्मक, विधि तथा कार्यनीति संबंधी जोखिमों सहित वे जोखिम भी शामिल हैं जो कि अकेले अथवा अलग से इतने महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होते लेकिन जो अन्य जोखिमों के साथ मिलकर बहुत हानि पहुंचा सकते हैं ।

निदेशक बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधतंत्र के पास सभी प्रमुख कारोबार क्षेत्रों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि समुचित नीतियां, नियंत्रण तथा जोखिम निगरानी प्रणालियां प्रभावी हैं । उनके पास बैंक जिन पूंजी बाजार कार्यकलापों में सक्रिय है - जैसे प्रतिभूतिकरण तथा तुलनपत्रेतर कार्यकलाप - उन्हें तथा उनसे संबद्ध जोखिमों को समझने के लिए अपेक्षित निपुणता होनी चाहिए। जैसे-जैसे वित्तीय बाजार, जोखिम प्रबंधन प्रथाएं तथा बैंक के कार्यकलाप विकसित होते है वैसे ही बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को निरंतर आधार पर इन जोखिमों के बारे में ज्ञान हासिल करते रहना चाहिए । इसके अलावा बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जवाबदेही तथा अधिकार के क्रम को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है । नए अथवा जटिल उत्पादों तथा कार्यकलापों के संबंध में वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को व्यवसाय मॉडेल्स, मूल्यांकन तथा जोखिम प्रबंधन प्रथाओं से संबंधित आधारभूत धारणाओं को समझना चाहिए। इसके अलावा, वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को, उन धारणाओं के असफल हो जाने की स्थिति में संभाव्य जोखिम एक्सपोज़र का मूल्यांकन करना चाहिए । नए कार्यकलाप शुरू करने अथवा जो संस्था के लिए नए हैं ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने से पहले बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को इन संभाव्य नए उत्पादों अथवा कार्यकलापों से पूरी फर्म के जोखिमों में होने वाले परिवर्तनों का निर्धारण तथा समीक्षा करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं तथा आंतरिक नियंत्रण स्थापित हैं । इस समीक्षा में बैंक को नए उत्पादों के मूल्यन में संभाव्य कठिनाईयों तथा दबावपूर्ण आर्थिक परिवेश में उनके कार्यनिष्पादन की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए । बोर्ड को सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक का वरिष्ठ प्रबंधतंत्र निम्नलिखित कार्य करता है :

i. बैंक के विभिन्न जोखिम एक्सपोज़रों के मूल्यांकन तथा समुचित प्रबंधन के लिए एक जोखिम ढांचा स्थापित करता है ;

ii. बैंक के जोखिम एक्सपोज़रों की निगरानी करने तथा बैंक की पूंजी तथा आरक्षित निधियों की तुलना में उसका विचार करने के लिए एक प्रणाली विकसित करता है;

iii. बैंक की आंतरिक नीतियों विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन के अनुपालन की निगरानी करने के लिए एक पद्धति स्थापित करता है; तथा

iv. सभी संबंधित नीतियों तथा क्रियाविधियों को पूरे बैंक में प्रभावी रूप से संप्रेषित करता है।

बैंक का जोखिम कार्य तथा उसके मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) अथवा उसके समकक्ष पद को विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों से अलग होना चाहिए और वह मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ प्रबंध निदेशक तथा संस्था के निदेशक बोर्ड के पास सीधे रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा, जोखिम कार्य में उनको वरिष्ठ प्रबंधतत्र तथा बोर्ड को जोखिम प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे जोखिम संकेंद्रीकरण तथा जोखिम प्रवृत्ति की सीमाओं के उल्लंघनों को विशिष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहिए ।

12.3.3.4 नीतियां, क्रियाविधियां, सीमाएं तथा नियंत्रण

बैंक की आइसीएएपी की रचना, स्वरूप तथा विषय-वस्तु निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आइसीएएपी बैंक की प्रबंधन प्रक्रिया तथा निर्णय लेने की संस्कृति का एक अविभाज्य भाग है। पूरी फर्म के लिए तैयार किए गए जोखिम प्रबंधन कार्यक्रमों में ऐसी विस्तृत नीतियां शामिल होनी चाहिए जिनमें बैंक के कार्यकलापों से संबंधित मुख्य जोखिमों पर पूरी फर्म के लिए विशिष्ट विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई हों। बैंक नीतियों तथा क्रियाविधियों को व्यवसाय संबंधी विस्तृत कार्यनीतियों के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए और जहां उचित हो वहां बैंक को जिन विभिन्न प्रकार के जोखिम हो सकते है उनके लिए आंतरिक सीमाएं भी स्थापित करनी चाहिए। इन सीमाओं को वित्तीय प्रणाली में बैंक की भूमिका को विचार में लेना चाहिए तथा बैंक की पूंजी, कुल आस्तियों, अर्जन अथवा जहां पर्याप्त उपाय विद्यमान हैं, वहां उसके समग्र जोखिम स्तर के अनुरूप निर्धारित की जानी चाहिए ।

बैंक की नीतियों, क्रियाविधियों तथा सीमाओं को :

- अलग-अलग व्यवसाय क्षेत्र तथा पूरी फर्म के स्तर पर बैंक के उधार देने, निवेश करने, खरीद-बिक्री, प्रतिभूतिकरण, तुलनपत्रेतर, न्यासी तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के कारण संभाव्य जोखिमों के पर्याप्त तथा सामयिक निर्धारण, मापन, निगरानी, नियंत्रण तथा न्यूनीकरण के लिए प्रावधान करना चाहिए;
- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक के जोखिम एक्सपोज़रों के आर्थिक पहलू जिसमें प्रतिष्ठात्मक जोखिम तथा मूल्यन अनिश्चितता शामिल है को पूर्णतः निर्धारित किया गया है और बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में शामिल किया गया है ;
- बैंक के कथित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों तथा उसकी समग्र वित्तीय क्षमता/शक्ति के अनुरूप होना चाहिए ;

- बैंक के विभिन्न व्यावसायिक काय्रकलापों के बीच जवाबदेही तथा प्राधिकार के क्रम को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसाय क्षेत्रों तथा जोखिम संबंधी कार्य के बीच स्पष्ट अलगाव है ।
- आंतरिक पोजीशन की सीमाओं को बढ़ाना तथा उनके उल्लंघन पर विचार करना चाहिए ;
- सभी संबंधित जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण तथा व्यवसाय क्षेत्रों को साथ लाकर नए व्यवसायों तथा उत्पादों की समीक्षा का प्रावधान करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि किसी कार्यकलाप को प्रारंभ करने से पूर्व बैंक उसके प्रबंधन तथा नियंत्रण के लिए सक्षम है; तथा
- नीतियों, क्रियाविधियों तथा सीमाओं की समीक्षा करने तथा उन्हें उचित रूप से अद्यतन करने के लिए एक कार्यक्रम तथा प्रक्रिया शामिल करनी चाहिए ।

12.3.3.5 जोखिम का निर्धारण, मापन, निगरानी तथा रिपोर्टिंग

बैंक की प्रबंधन सूचना प्रणाली को बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को अपनी संस्थाओं के जोखिम प्रोफाइल के बारे में समयोचित तथा संबंधित सूचना स्पष्ट तथा संक्षिप्त रूप से प्रदान करनी चाहिए। इस सूचना में सभी जोखिम एक्सपोजरों सहित तुलनपत्रेतर जोखिम एक्सपोजरों को भी शामिल किया जाना चाहिए। प्रबंधतंत्र को विशिष्ट जोखिम उपायों की आधारभूत धारणाएं तथा उनमें निहित सीमाओं को समझना चाहिए ।

जोखिमों के एकत्रीकरण के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व हैं एक समुचित संरचना तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली जिसमें (i) सभी व्यवसाय क्षेत्रों में अपेक्षित एक्सपोज़रों तथा जोखिम उपायों के एकत्रीकरण पर विचार किया गया है तथा ii) जो संकेंद्रीकरणों तथा उभरते जोखिमों के कस्टमाइज्ड निर्धारण का समर्थन करती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विकसित की गई प्रबंधन सूचना प्रणाली को संपूर्ण वित्तीय संस्था पर असर करने वाले विभिन्न प्रकार के आर्थिक तथा वित्तीय आघातों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की क्षमता का समर्थन करना चाहिए। इसके अलावा, विभिन्न संबंधित आधारभूत जोखिमों को ध्यान में लेते समय पूरी फर्म के आधार पर की जाने वाली हेजिंग तथा अन्य जोखिम न्यूनीकरण कार्रवाइयों को सम्मिलित करने के लिए बैंक की प्रणालियों को लचीला होना चाहिए।

जोखिम के सक्रिय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधतत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रबंधन सूचना प्रणाली में बैंक के सकल जोखिम प्रोफाइल तथा जोखिम एकत्रीकरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रमुख धारणाओं पर नियमित, सही तथा समयोचित सूचना देने की क्षमता है । प्रबंधन सूचना प्रणाली को बैंक की आधारभूत जोखिम संबंधी धारणाओं में हुए परिवर्तनों को अपनाने के प्रति अनुकूल तथा प्रतिक्रियाशील होना चाहिए तथा उसमें जोखिम मापन में अनिश्चितताओं को ध्यान में रखने के लिए जोखिम

एक्सपोज़र के विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उसे पर्याप्त रूप से लचीला होना चाहिए ताकि संस्था पूरे बैंक के लिए प्रगामी सिनॅरियो विश्लेषण कर सकती है जिसमें उभरती हुई बाजार परिस्थितियों तथा दबाव की स्थितियों से संबंधित प्रबंधतत्र की व्याख्या स्पष्टतः व्यक्त होती हो। अन्य पक्ष की निविष्टियों अथवा प्रबंधन सूचना प्रणाली में प्रयोग में लाए गए अन्य साधनों (उदा. क्रेडिट रेटिंग, जोखिम उपाय, मॉडेल्स) का प्रारंभिक तथा निरंतर वैधीकरण किया जाना चाहिए।

बैंक की प्रबंधन सूचना प्रणाली में सीमाओं के उल्लंघन को पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए और ऐसी क्रियाविधियां स्थापित होनी चाहिए जो कि ऐसे उल्लंघनों के बारे में वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को तुरंत रिपोर्ट करती हैं तथा यह सुनिश्चित भी करती हैं कि समुचित अनुवर्ती कार्रवाईयां की जाती हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों में समान एक्सपोज़रों (बैंकिंग तथा खरीद-बिक्री बहीयों सहित) को यह निर्धारित करने के लिए एकत्रित किया जाना चाहिए कि आंतरिक पोजीशन सीमा में संकेंद्रीकरण हुआ है अथवा उल्लंघन ।

12.3.3.6 आंतरिक नियंत्रण

जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की स्वतंत्र नियंत्रण क्षेत्रों तथा आंतरिक तथा बाहरी लेखा-परीक्षको द्वारा लगातार निगरानी तथा जांच की जानी चाहिए । इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि जिस सूचना के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं वह सही है ताकि प्रक्रियाओं में प्रबंधतंत्र की नीतियों को पूर्णतः दर्शाया गया है और यह कि नियमित रिपोर्टिंग जिसमें सीमाओं के उल्लंघन की रिपार्टिंग तथा अन्य अपवाद-आधारित रिपोर्टिंग, प्रभावी रूप से की जाती है। बैंकों का जोखिम प्रबंधन का कार्य व्यवसाय क्षेत्रों से अलग होना चाहिए ताकि दायित्वों का पर्याप्त पृथकीकरण सुनिश्चित हो और हितों के टकराव से बचा जा सके।

चूंकि एक स्वस्थ जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए आधार देती है कि बैंक पर्याप्त पूंजी बनाए रखता है इसलिए बैंक का निदेशक बोर्ड जोखिम सहनशीलता का स्तर निर्धारित करेगा ।

12.3.3.7 आइसीएएपी के परिणाम के संबंध में बोर्ड और रिज़र्व बैंक को सूचित करना

चूंकि आइसीएएपी एक निरंतर प्रक्रिया है, अतः आइसीएएपी के परिणाम का एक लिखित अभिलेख बैंकों द्वारा आवधिक रूप से अपने निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपनी पूंजी पर्याप्तता के आंतरिक मूल्यांकन के ऐसे लिखित अभिलेख के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, पहचान किए गए जोखिम, इन जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन का तरीका, बैंक की पूंजी स्थिति पर बैंक के बदलते जोखिम प्रोफाइल का प्रभाव, किए गए दबाव परीक्षण /परिदृश्य विश्लेषण के ब्यौरे तथा इसके परिणामस्वरूप पूंजी अपेक्षाएँ शामिल

होनी चाहिए। रिपोर्टें काफी विस्तृत होनी चाहिए ताकि निदेशक मंडल महत्वपूर्ण जोखिम एक्सपोज़र के स्तर और उसकी प्रवृत्ति का मूल्यांकन कर सके, यह देख सके कि बैंक जोखिम एक्सपोज़र के लिए पर्याप्त पूंजी बनाए रख रहा है या नहीं तथा यदि अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी वृद्धि की क्या योजना है। निदेशक मंडल से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह रणनीतिगत योजना में सामयिक फेर बदल करे।

बोर्ड को प्रस्तुत तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित आइसीएएपी के परिणाम के आधार पर, **अनुबंध 14** में दिए गए फार्मेट में आइसीएएपी दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक (अर्थात् प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व व्यापार केंद्र, सेंटर 1, कोलाबा, कफ परेड, मुंबई - 400 005) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आरंभ में बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित दस्तावेज 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए वर्ष में केवल एक बार भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा जाना चाहिए। बाद में रिपोर्ट भेजने की बारम्बारता की समीक्षा की जा सकती है। 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष से संबद्ध ऐसी पहली रिपोर्ट उन बैंकों द्वारा भेजी जानी है जिन्होंने उस तिथि से बासल II ढाँचा अपनाया है। अन्य बैंक 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए अपना पहला आइसीएएपी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि उक्त तारीख से वे बासल II ढाँचा अपनाएंगे। बैंकों के पहले समूह के मामले में उक्त दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक को 30 जून 2008 तक पहुँच जाना चाहिए तथा दूसरे समूह के मामले में 31 मार्च 2009 तक पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में ।

12.4 <u>आइसीएएपी परिणामों की समीक्षा</u>

निदेशक मंडल वर्ष में कम-से-कम एक बार इस तथ्य का मूल्यांकन करेगा और उसे लिपिबद्ध करेगा कि बैंक द्वारा कार्यान्वित आइसीएएपी प्रक्रिया बोर्ड द्वारा परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त कर रही है अथवा नहीं। वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को प्रमुख मान्यताओं/पूर्व धारणाओं की संवेदनशीलता का मूल्यांकन करने तथा बैंक की अनुमानित भावी पूंजी अपेक्षाओं की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए नियमित रूप से रिपोर्टें मंगानी चाहिए और उनकी समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे मूल्यांकन के आधार पर आइसीएएपी में समुचित परिवर्तन लाया जाना चाहिए ताकि अंतर्निहित उद्देश्य प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके ।

12.5 <u>आइसीएएपी प्रबंधन और निर्णय लेने की संस्कृति का अभिन्न अंग होगा</u>

आइसीएएपी बैंक के प्रबंधन और निर्णय लेने की संस्कृति का एक अभिन्न अंग हागा। आइसीएएपी का यह एकीकरण, विभिन्न कारोबारी इकाइयों के बीच पूंजी के आंतरिक वितरण में आइसीएएपी का उपयोग कर, अलग-अलग ऋण निर्णय प्रक्रिया में तथा उत्पादों के मूल्य निर्धारण में अथवा अधिक सामान्य कारोबारी निर्णय, यथा, विस्तार योजना और

बजट में आइसीएएपी को भूमिका देकर किया जा सकता है। एकीकरण का तात्पर्य यह भी होगा कि आइसीएएपी से बैंक का प्रबंधतंत्र निरंतर आधार पर उन जोखिमों का मूल्यांकन कर पायेगा जो उनकी गतिविधियों में अंतर्निहित हैं तथा संस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।

12.6 <u>समानुपातिकता का सिद्धांत</u>

आइसीएएपी का कार्यान्वयन समानुपातिकता के सिद्धांत से प्रेरित होना चाहिए। यद्यपि, बैंकों को यह प्रोत्साहित किया जाता है कि अपने आइसीएएपी की रचना करते समय उत्तरोत्तर रूप से अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाएँ, तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक यह आशा रखता है कि आइसीएएपी में जोखिम की माप और प्रबंधन के संबंध में अपनाए गए आधुनिकीकरण का स्तर बैंक के कारोबारी परिचालनों की जटिलता की प्रकृति, व्याप्ति, परिमाण और स्तर के अनुरूप होगा ।निम्न पैराग्राफों में उस व्यापक दृष्टिकोण के **उदाहरण** दिए गए हैं जिस पर परिचालनों की जटिलता के भिन्न-भिन्न स्तर वाले बैंकअपने आइसीएएपी की रचना करते समय विचार कर सकते हैं -

(क) जो बैंक अपनी गतिविधियों और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को `**सरल**' मानता है, वह अपने आइसीएएपी का परिचालन करते समय -

- क) पिछले 3 से 5 वर्षों के दौरान बैंक की अधिकतम हानि की पहचान कर सकता है और उस पर विचार कर सकता है कि क्या उसे पुनः घटित होने की आशंका है।
- ख) बैंक के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिमों की एक छोटी सूची तैयार कर सकता है।
- ग) इस बात पर विचार कर सकता है कि यदि पहचाने गये जोखिमों में से प्रत्येक जोखिम घटित हो जाए तो बैंक कैसे कार्रवाई करेगा तथा कितनी पूंजी समाविष्ट हो जाएगी ।
- घ) इस बात पर विचार कर सकता है कि यदि (ग) में वर्णित परिस्थति उत्पन्न हो तो बैंक की पूंजी अपेक्षा कैसे बदलेगी तथा अगले 3 से 5 वर्षों के दौरान बैंक की कारोबारी योजना के अनुसार उसकी पूंजी अपेक्षा कैसे बदलेगी; और
- ङ) ऊपर निर्दिष्ट परिदृश्य में अपेक्षित पूंजी का दायरा अंकित कर सकता है तथा उस बैंक को कितनी और किस प्रकार की पूंजी रखनी चाहिए इस बारे में एक परिपूर्ण दृष्टिकोण बना सकता है तथा ऐसा करते समय यह सुनिश्चित कर सकता है कि बैंक का वरिष्ठ प्रबंध तंत्र इस प्रक्रिया में शामिल है।

(ख) जब कोई बैंक अपनी गतिविधियों और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को **कुछ हद तक जटिल** मानता है, तब वह बैंक अपने आइसीएएपी का संचालन करते समय :

क) प्रत्येक प्रमुख कारोबार में परिचालन प्रबंधन से परामर्श कर कारोबार के प्रमुख जोखिमों की एक परिपूर्ण सूची तैयार कर सकता है।

ख) उपर्युक्त जोखिमों में से प्रत्येक में से संभावित हानि के दायरे और वितरण का अनुमान उपलब्ध ऐतिहासिक आँकड़ों के आधार पर कर सकता है तथा जोखिम अनुमान प्रदान करने के लिए आघात दबाव परीक्षण (शाक स्ट्रेस टेस्ट) करने पर विचार कर सकता है।

ग) इस बात पर विचार कर सकता है कि बैंक की पूंजी अपेक्षा किस सीमा तक ऊपर (क) और (ख) में निर्दिष्ट जोखिमों को व्यक्त करती है ।

घ) उन क्षेत्रों में जिनमें पूंजी अपेक्षा अपर्याप्त है अथवा जोखिम के अनुरूप नहीं है, जोखिम कम करने के लिए बैंक द्वारा की जाने वाली अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त बैंक और उसके ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पूंजी का अनुमान कर सकता है।

ङ) इस जोखिम पर विचार कर सकता है कि पूंजी पर्याप्तता का बैंक का अपना विश्लेषण गलत हो सकता है तथा बैंक प्रबंधन की दुर्बलता से भी ग्रस्त हो सकता है जो उसके जोखिम प्रबंधन और जोखिम कम करने की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है।

च) उस बैंक की कारोबारी गतिविधियों का एक वर्ष बाद का विस्तृत अनुमान तथा अगले 3 से 5 वर्ष में कारोबारी गतिविधियों का थोड़ा कम विस्तृत अनुमान कर सकता है तथा यह मानते हुए कि कारोबार में आशा के अनुरूप वृद्धि होगी इस तथ्य का आकलन कर सकता है कि बैंक की पूंजी और पूंजी अपेक्षा में क्या परिवर्तन होगा ।

छ) यह मानते हुए कि कारोबार में आशानुरूप वृद्धि नहीं होती है, इस बात पर विचार कर सकता है कि बैंक की पूंजी और पूंजी अपेक्षा में कया परिवर्तन होगा तथा अनेक प्रकार के प्रतिकूल आर्थिक परिदृश्यों में बैंक की प्रतिक्रिया क्या होगी।

ज) उपर्युक्त (ख) (घ) (च) और (छ) में किए गए विश्लेषणों से प्राप्त परिणामों का बैंक के शीर्ष प्रबंधतंत्र/ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट में लिपिबद्ध कर सकता है।

झ) यह सुनिश्चित कर सकता है कि कार्यनिष्पादन /वास्तविक स्थिति की तुलना में (ख) (घ) (च) और (छ) में किए गए अनुमानों की शुद्धता की समीक्षा करने के लिए प्रणाली और प्रक्रियाएँ सुस्थापित हैं।

(ग) ऐसा बैंक, जो अपनी गतिविधियों और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को **जटिल** मानता है, अपनी आइसीएएपी के संचालन में बैंक के आइसीएएपी के प्रति समानुपातिक दृष्टिकोण अपना सकता है। इसमें उपर्युक्त पैरा (**ख**) के (क) से (घ) तक उल्लिखित मुद्दों को शामिल किया जा सकता है, परंतु इसमें मॉडलों का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिनमें से अधिकांश को बैंक के दिनानुदिन प्रबंधन और परिचालन में एकीकृत किया जाएगा ।

उपर्युक्त मॉडल आपस में जुड़े हो सकते हैं ताकि बैंक अपनी कारोबारी आवश्यकताओं के लिए पूंजी की जिस राशि को उपयुक्त समझता है उसका एक समग्र अनुमान प्राप्त हो सके। कोई बैंक ऐसे मॉडलों को इसलिए भी आपस में जोड़ सकता है ताकि बैंक के लिए वांछनीय आर्थिक पूंजी के संबंध में सूचना प्राप्त हो सके। ऐसा मॉडल जिसका प्रयोग बैंक अपनी आर्थिक पूंजी की लक्ष्य राशि प्राप्त करने के लिए करता है, आर्थिक पूंजी मॉडल (इसीएम) कह लाता है। आर्थिक पूंजी, पूंजी की वह लक्ष्य राशि है जो जाखिम के वांछित स्तर पर बैंक के हितधारकों के प्रतिफल को इष्टतम बनाता है। उदाहरण के लिए कोई बैंक बाजार जोखिम के लिए जोखिम-पर-मूल्य (वीएआर) मॉडल, ऋण जोखिम के लिए उन्नत मॉडलिंग दृष्टिकोण और संभवतः परिचालन जोखिम के लिए उन्नत माप दृष्टिकोण का प्रयोग कर सकता है। कोई बैंक अपने कारोबारी भविष्यवाणी और जोखिम के स्टोकैस्टिक मॉडल तैयार करने के लिए आर्थिक परिदृश्य जेनरेटरों का भी प्रयोग कर सकता है। तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक अभी बासल II ढाँचे में परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोणों की अनुमति नहीं देता है तथा बैंकों को उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

यह भी संभावना है कि ऐसा बैंक किसी समूह का अंग हो तथा अंतरराष्ट्रीय रूप से परिचालन कर रहा हो। इस स्थिति में समूह भर में प्रयुक्त मॉडलों, उनकी पूर्वधारणाओं और उनके समग्र मापांकन पर केंद्रीकृत नियंत्रण हो सकता है।

12.7 नियमित स्वतंत्र समीक्षा और वैधीकरण

आइसीएएपी की आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से नियमित और स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित एसआरईपी से अलग होगी। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि आइसीएएपी बैंक की गतिविधियों की प्रवृत्ति, व्याप्ति, पैमाने और जटिलता के स्तर के समानुपातिक हो और परिपूर्ण हो ताकि वह बैंक के जोखिम के प्रमुख स्रोतों को सही-सही प्रतिबिम्बित कर सके। आंतरिक नीतियों

और प्रक्रियाओं के साथ बैंक के निरंतर अनुपालन की निगरानी करने के लिए बैंक समुचित ऐर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण संरचना, खासकर जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया से संबद्ध संरचना सुनिश्चित करेगा। कम से कम बैंक अपनी जोखिम प्रबंध प्रक्रियाओं की आवधिक समीक्षा करेगा, जिसमें निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाना चाहिए :

क) प्रक्रिया की अखंडता, परिशुद्धता और संगतता;

ख) बैंक की गतिविधियों की प्रवृत्ति, व्याप्ति, पैमाना और जटिलता के आधार पर बैंक की पूंजी मूल्यांकन प्रक्रिया की उपयुक्तता;

ग) यदि कोई संकेन्द्रण जोखिम हो तो उसकी सामायिक पहचान;

घ) बैंक की पूंजी मूल्यांकन प्रक्रिया में `डाटा इनपुट' की परिशुद्धता और पूर्णता;

ङ) पूंजी मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रयुक्त पूर्वधारणाओं और परिदृश्यों की तार्किकता और वैधता;

च) कि बैंक समुचित दबाव परीक्षण करता है।

12.8 **<u>आइसीएएपी एक भविष्यमुखी प्रक्रिया होगी</u>**

आइसीएएपी की प्रकृति भविष्यमुखी होनी चाहिए और इसलिए इसमें प्रत्याशित/अनुमानित भावी गतिविधियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उदाहरण के लिए रणनीतिगत योजना, समष्टि आर्थिक घटक आदि, जिसमें पूंजी की उपलब्धता और उपयोग में संभावित भावी दबाव शामिल हैं। बैंक का प्रबंधनतंत्र कम से कम एक उपयुक्त रणनीति विकसित करेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक अपने तुलनपत्र और तुलनपत्रेतर गतिविधियों की प्रकृति, व्याप्ति, पैमाना और जटिलता तथा उनमें अंतर्निहित जोखिमों के अनुरूप पर्याप्त पूंजी रखता है। प्रबंधतंत्र को यह सिद्ध करना चाहिए कि उक्त रणनीति किस प्रकार समष्टि आर्थिक घटकों के लिए उपयुक्त है।

इस प्रकार, बैंकों के पास एक स्पष्ट बोर्ड- अनुमोदित पूंजी योजना होगी जिसमें पूंजी के स्तर के संबंध में संस्था के उद्देश्य, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय-सीमा तथा मोटे तौर पर पूंजी आयोजना प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के अंतर्गत दायित्व का आबंटन होगा। इस योजना में निम्नलिखित रूपरेखा होगी -

क) बैंक की पूंजी संबंधी आवश्यकता;
ख) बैंक का प्रत्याशित पूंजी उपयोग;
ग) बैंक की पूंजी का वांछित स्तर;
घ) पूंजी से संबद्ध सीमा;

ङ) योजना में परिकल्पित स्थितियों से अलग स्थितियों और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए एक सामान्य आकस्मिक योजना।

12.9 **<u>आइसीएएपी एक जोखिम आधारित प्रक्रिया होगा</u>**

बैंक की पूंजी पर्याप्तता उसके जोखिम प्रोफाइल पर आधारित होती है । अतः बैंक अपने पूंजी लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित करेंगे ताकि वे उनके जोखिम प्रोफाइल और परिचालन संबंधी वातावरण के अनुरूप हों। कम-से-कम बैंक के पास एक सुदृढ़ आइसीएएपी होना चाहिए जिसमें बैंक के सभी महत्वपूर्ण जोखिम एक्सपोज़र शामिल होंगे। कुछ प्रकार के जोखिमों (यथा प्रतिष्ठा जोखिम और रणनीतिगत जोखिम) को आसानी से मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सकता। ऐसे जोखिमों के लिए आइसीएएपी के अंतर्गत मात्रात्मक रूप देने के बजाय उनके गुणात्मक मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन और जोखिम कम करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। बैंकों के आइसीएएपी दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए कि किन जोखिमों के लिए मात्रात्मक माप आवश्यक समझी गयी तथा किन जोखिमों के लिए गुणात्मक माप को सही माना गया है।

12.10 **<u>आइसीएएपी के अंतर्गत दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण शामिल होगा</u>**

आइसीएएपी के एक अंग के रूप में बैंक का प्रबंध तंत्र कम-से-कम संबंधित दबाव परीक्षण आवधिक रूप से संचालित करेगा, खासकर बैंक के महत्वपूर्ण जोखिम एक्सपोज़रों के संबंध में। इसका उद्देश्य बैंक पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकनेवाली किसी असंभावित परंतु विश्वसनीय घटनाओं अथवा बाजार परिस्थितियों में परिवर्तन के प्रति बैंक की संभावित संवेदनशीलता का मूल्यांकन करना है। दबाव परीक्षण ढांचे के प्रयोग से बैंक के प्रबंधन को संकट की परिस्थितियों में बैंक के संभावित एक्सपोज़र के संबंध में बेहतर समझ मिल सकती है। इस संदर्भ में दबाव परीक्षण पर 26 जून 2007 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 101/21.04.103/2006-07 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें बैंकों से कहा गया था कि वे 30 सितंबर 2007 तक परीक्षण/प्रायोगिक आधार पर विभिन्न जोखिम घटकों के लिए `संवेदनशीलता परीक्षण' और `परिदृश्य परीक्षण' शामिल करते हुए समुचित दबाव परीक्षण नीति और दबाव परीक्षण ढांचे स्थापित करें तथा 31 मार्च 2008 से औपचारिक दबाव परीक्षण ढांचा परिचालित करें। बैंकों से अनुरोध किया जाता है कि वे ऊपर निर्दिष्ट तारीख तक एक उपयुक्त औपचारिक दबाव परीक्षण ढांचे को, जो बैंकों के आइसीएएपी के अंतर्गत दबाव परीक्षण अपेक्षाओं के भी अनुरूप होगा, लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

12.11 <u>आइसीएएपी के लिए पूंजी मॉडलों का प्रयोग</u>

यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों से यह आशा नहीं करता कि बैंक अपनी पूंजी आवश्यकताओं के आंतरिक मूल्यांकन के लिए जटिल और अत्याधुनिक अर्थमिति मॉडलों का प्रयोग करें तथा ऐसे मॉडल अपनाने की कोई भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अपेक्षा नहीं है, तथापि 07 अक्तूबर 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी (एससी) बीसी. 98/21.04.03/99 के पैराग्राफ 17 के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी वाले बैंकों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वे आर्थिक पूंजी का अनुमान करने और उसे बनाये रखने के लिए 31 मार्च 2001 तक उपयुक्त कार्यविधि विकसित करें। तथापि, कुछ ऐसे बैंक जिनके अपेक्षाकृत जटिल परिचालन हैं और जो इस संबंध में पर्याप्त रूप से तैयार हैं, अपने आइसीएएपी के अंग के रूप में ऐसे मॉडलों पर निर्भर रहना चाहेंगे। हालांकि किसी बैंक द्वारा अपने पूंजी मॉडल विकसित करने का कोई एक निर्धारित तरीका नहीं है, तथापि आइसीएएपी का मॉडल आधारित दृष्टिकोण अपनानेवाले बैंक को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दर्शाना चाहिए -

क) सुप्रलेखित मॉडल विनिर्देशन, जिसमें मॉडल की क्रियाविधि, मेकेनिक्स और पूर्वधारणाएं, जो मॉडल की कार्य प्रणाली के मूल में हैं, शामिल होनी चाहिए;

ख) मॉडल में ऐतिहासिक आंकड़ें पर निर्भरता की सीमा तथा वास्तविक परिणाम की तुलना में मॉडल के परिणामों की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए `बैंक टेस्टिंग' की प्रणाली;

ग) मॉडल के इनपुट और आउटपुट की स्वतंत्र जांच के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली;

घ) मॉडल के दबाव परीक्षण की एक प्रणाली जो यह स्थापित करने के लिए है कि मॉडल कठिन स्थितियों/मान्यताओं के अंतर्गत भी वैध है ;

ड.) मॉडल के आउटपुट पर किया गया विश्वास तथा बैंक की कारोबारी रणनीति के साथ उसका संबंध;

च) मॉडल को संचालित करने, उसे बनाए रखने और विकसित करने के लिए बैंकों के भीतर अपेक्षित दक्षता और संसाधनों की पर्याप्तता ।

13 आइसीएएपी के चुनिंदा परिचालनात्मक पहलू

इस खंड में उन जोखिमों की अपेक्षाकृत विस्तृत रूपरेखा दी गयी है, जिनके संबंध में बैंकों से अपेक्षा है कि वे अपने आइसीएएपी में उन्हें शामिल करेंगें।

13.1 <u>आइसीएएपी में महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान और उनकी माप</u>

किसी आइसीएएपी का पहला उद्देश्य सभी महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान करना है। जिन जोखिमों की विश्वनीय तरीके से माप की जा सकती हो तथा जिन्हें मात्रात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, उनके संबंध में आँकड़े और विधि के आधार पर यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए। इन महत्वपूर्ण जोखिमों की माप और मात्रा के संबंधित उपयुक्त साधन और विधि भिन्न-भिन्न बैंकों में भिन्न-भिन्न होने की संभावना है।

बैंकों के समक्ष जो जोखिम हैं उनमें से कुछ हैं : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, ऋण संकेंद्रण जोखिम और चलनिधि जोखिम (जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है)। भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को आस्ति देयता प्रबंधन, देश विशेष जोखिम का प्रबंधन, ऋण जोखिम, परिचालन जोखिम आदि के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। **अतः, आइसीएएपी सहित बैंकिंग की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।** तथापि, कुछ अन्य प्रकार के जोखिम, जैसे प्रतिष्ठा जोखिम और कारोबार या रणनीतिगत जोखिम, बैंक के लिए उतने ही महत्व के हो सकते हैं। ऐसे मामलों में उन पर उसी प्रकार विचार किया जाना चाहिए जैसे अधिक औपचारिक रूप से परिभाषित जोखिमों पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई बैंक ऐसे कारोबारों में लगा हुआ हो जिनकी गतिविधियों के स्तर में समय-समय पर होने वाले उतार-चढ़ाव तथा अपेक्षाकृत उच्च अचल लागत के कारण अप्रत्याशित हानि उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है जिसके लिए पर्याप्त पूंजी का समर्थन होना चाहिए। इसके अलावा, कोई बैंक महत्वपूर्ण नीतिगत गतिविधियों (यथा कारोबार क्षेत्र को बढ़ाना या अभिग्रहण करना) में लगा हो सकता है, जो उल्लेखनीय जोखिम उत्पन्न कर सकता है और जिसके लिए अतिरिक्त पूंजी उपयुक्त होगी।

इसके अलावा, यदि बैंक जोखिम को कम करने की तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें उस जोखिम को समझना चाहिए जिसे वे कम करना चाहते हैं तथा उन तकनीकों की प्रवर्तनीयता और प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर जोखिम कम करने के संभावित प्रभाव को समझना चाहिए।

13.2 **<u>ऋण जोखिम</u>** : बैंक के पास संविभागीय स्तर पर और एक्सपोज़र या काउंटर पार्टी स्तर पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। बैंकों को ऋण जोखिम संकेंद्रण की पहचान तथा उनके प्रभाव के समुचित मूल्यांकन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । इसके अंतर्गत एक्सपोजरों के बीच परस्पर निर्भरता के विभिन्न प्रकारों पर विचार किया जाना चाहिए, जिनमें दुष्परिणामों, दबाव की परिस्थितियों के ऋण जोखिम प्रभाव तथा पोर्टफोलियो और एक्सपोज़र के उतार-चढ़ाव के संबंध में पूर्वधारणाओं पर पड़नेवाले आघातों

को शामिल करना चाहिए। बैंकों को काउंटर पार्टी ऋण एक्सपोज़र, जिसमें कम चलनिधि वाले बाज़ारों में व्यापार करने से उत्पन्न होने वाले काउंटर पार्टी ऋण जोखिम एक्सपाज़र शामिल हैं, का सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए तथा बैंक की पूंजी पर्याप्तता पर पड़नेवाले प्रभाव को निर्धारित करना चाहिए।

13.3 **<u>बाज़ार जोखिम</u> :** बैंक को बाजार मूल्यों में घटबढ़ के कारण खरीद-बिक्री संबंधी गतिविधियों में जोखिम की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। इस निर्धारण के अंतर्गत लिखतों की नकदी-अपरिवर्तनीयता, संकेंद्रित स्थितियाँ, एकतरफा बाजार, गैर-रैखिक/गहरी आउट-ऑफ -द मनी स्थितियाँ तथा अंतर्संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन की संभावना जैसे घटकों पर विचार किया जाना चाहिए। चरम परिस्थितियों की घटनाओं और आघातों को शामिल करने वाले अभ्यास इस प्रकार बनाये जाने चाहिए ताकि प्रासंगिक बाजार घटनाओं के प्रति प्रमुख पोर्टफोलियो की संवेदनशीलता व्यक्त हो सके।

13.4 **<u>परिचालन जोखिम</u>** : बैंक को अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों तथा बैंक के बाहर की घटनाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए। इस मूल्यांकन के अंतर्गत परिचालन जोखिम से संबद्ध चरम घटनाओं और आघातों का प्रभाव शामिल होना चाहिए। घटनाओं में विभिन्न करोबारी इकाइयों में असफल प्रक्रियाओं में अचानक वृद्धि या असफल आंतरिक नियंत्रण की कोई उल्लेखनीय घटना शमिल हो सकती है।

13.5 **<u>बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)</u>** : बैंक को बैंकिंग बही में अपने तुलनपत्र और तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र पर बदलती ब्याज दरों से संबद्ध जोखिम की अल्पावधिक और दीर्घावधिक दोनों दृष्टियों से पहचान करनी चाहिए। इसके अंतर्गत समांतर आघात, यील्ड कर्व ट्विस्ट, यील्ड कर्व इनवर्सन, दरों के संबंध में परिवर्तन (आधार जोखिम) और अन्य प्रासंगिक परिदृश्य शामिल हो सकते हैं। बैंक को अपनी गैर-परिपक्व जमाराशियों और अन्य आस्तियों तथा देयताओं, खासकर अंतर्निहित विकल्प वाले एक्सपोज़र के उतार-चढ़ाव के संबंध में अपनी पूर्वधारणाओं का समर्थन करने में सफल होना चाहिए। ऐसी पूर्वधारणाओं की अनिश्चितता को देखते हुए ब्याज दर जोखिमों के विश्लेषण में दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण का प्रयोग करना चाहिए। आइआरआरबीबी की माप के अनेक तरीके हो सकते हैं। तथापि आइआरआरबीबी की माप के तरीके का एक **उदाहरण अनुबंध 9** में दिया गया है। बैंक आइआरआरबीबी की गणना करने /उसे मात्रात्मक रूप देने के लिए इन तरीकों के दूसरे प्रकार या पूरी तरह से अलग कार्यविधि अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते तकनीक वस्तु मूलक, सत्यापन योग्य तथा पारदर्शी कार्यविधि और मानदंडों पर आधारित हो।

13.6 **<u>ऋण संकेंद्रण जोखिम</u> :** संकेंद्रण जोखिम तब होता है जब कोई एक एक्सपोज़र अथवा एक्सपोज़रों का एक समूह (बैंक की पूंजी, कुल आस्तियों, अथवा समग्र जोखिम स्तर की तुलना में) इतनी बड़ी हानि उत्पन्न करने की क्षमता रखता है कि बैंक की सुदृढ़ता अथवा मुख्य परिचालन बनाये रखने की क्षमता खतरे में पड़ सकती है। बैंकों की प्रमुख समस्याओं के पीछे संकेंद्रण जोखिम अकेला सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। संकेंद्रित संविभागों के कारण उत्पन्न होने वाला संकेंद्रण जोखिम अधिकांश बैंकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

बैंक यह सिद्ध करने के लिए कि ऋण संकेंद्रण जोखिम पर समुचित ध्यान दिया जारहा है, निम्नलिखित **गुणात्मक मानदंडों** का अनुसरण कर सकते हैं :

क) संकेंद्रण जोखिम के प्रति एक्सपोज़र का मूल्यांकन करते समय बैंक को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बासल II ढाँचे की गणना इस पूर्वधारणा पर आधारित है कि बैंक के कारोबार में काफी विविधता है ।

ख) यद्यपि बैंकों के एकल उधारकर्ता एक्सपोज़र, समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र और पूंजी बाजार एक्सपोज़र भारतीय रिजर्व़ बैंक द्वारा निर्धारित एक्सपोज़र मानदंडों से विनियमित होते हैं, तथापि इन संविभागों में भी संकेंद्रण हो सकता है। अतः ऋण संके न्द्रण के स्तर का मूल्यांकन करते समय बैंक न केवल पूर्वोक्त एक्सपाज़रों पर ध्यान देगा बल्कि किसी विशेष आर्थिक या भौगोलिक क्षेत्र में ऋण संकेंद्रण के स्तर पर विचार करेग। शाखा नेटवर्क के स्वरूप के कारण जिन बैंकों का परिचालन संकेंद्रण कुछ भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित है। उन्हें भी उक्त क्षेत्र में प्रतिकूल आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव पर तथा आस्ति गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

ग) विशेषज्ञता आधारित संविभागों का कार्यनिष्पादन, कुछ मामलों में, बैंक के महत्वपूर्ण व्यक्तियों/कर्मचारियों पर भी निर्भर करता है। ऐसी परिस्थिति संकेंद्रण जोखिम को बढ़ा सकती है, क्योंकि इन कर्मचारियों की दक्षता संकेंद्रित संविभाग से उत्पन्न होने वाले जोखिम को अंशतः कम करती है। संकेंद्रण जोखिम पर ऐसे महत्वपूर्ण कर्मचारियों/व्यक्तियों का प्रभाव छोटे बैंकों में अपेक्षाकृत अधिक होने की संभावना है। दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण करते समय बैंक को महत्वपूर्ण कार्मिकों के चले जाने पर बैंक के सामान्य रीति से परिचालन करने की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव तथा बैंक की आय पर पड़नेवाले प्रत्यक्ष प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

ऋण संकेंद्रण जोखिम पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त **मात्रात्मक मानदंड** का जहाँ तक संबंध है, ऋण संकेंद्रण जोखिम की गणना काउंटर पार्टी स्तर पर

(अर्थात् बड़े एक्सपोज़र), संविभागीय स्तर पर (अर्थात् क्षेत्रीय और भौगोलिक संकेंद्रण) और आस्ति श्रेणी स्तर पर (अर्थात् देयता और आस्ति संकेंद्रण) की जाएगी। इस संदर्भ में बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली से संबंधित 7 अक्तूबर 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी (एससी). बीसी. 98/21.04.03/99 के अनुबंध के पैरा 3.2.2 (ग) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें बैंकों के `महत्वपूर्ण एक्सपोज़र' के संबंध में कुछ विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की गयी हैं। एक विवेकपूर्ण प्रथा के रूप में बैंक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी `बड़े उधारकर्ताओं' के प्रति उनका सकल एक्सपोज़र (गैर-निधिक एक्सपोज़र सहित) किसी भी समय उनकी `पूंजी निधि' (भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान एक्सपोज़र मानदंडों के प्रयोजन से दी गयी परिभाषा के अनुसार) के 800 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए `बड़ा उधारकर्ता' उसे माना जा सकता है जिसके प्रति बैंक का सकल एक्सपोज़र (निधिक और गैर-निधिक) बैंक की पूंजी निधि के 10 प्रतिशत से अधिक है। यह उचित होगा कि बैंक अपने उद्योग-वार एक्सपोज़र पर विशेष ध्यान दें जहाँ किसी विशेष उद्योग के प्रति उनका एक्सपोज़र समग्र औद्योगिक क्षेत्र के प्रति उनके सकल ऋण एक्सपोज़र (निवेश एक्सपोज़र सहित) के 10 प्रतिशत से अधिक हो।

बैंकों के संविभाग में ऋण संकेंद्रण की माप के संबंध में अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण के अंतर्गत हरफिंडल हर्श मैन इंडेक्स (एचएचआइ) की गणना की जाती है। इसे ध्यान में रखा जाए कि संकेंद्रण जोखिम की माप के रूप में एचएचआइ की गणना कई संभव विधियों में से केवल एक विधि है। बैंक इस प्रयोजन के लिए कोई अन्य उपयुक्त विधि अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें ऐसी माप के लिए वस्तु मूलक और पारदर्शी मानदंड अपनाया गया हो।

जोखिम संकेंद्रण का विश्लेषण एकल और समेकित[31] दोनों आधार पर किया जाना चाहिए। जोखिम संकेंद्रण को एक या परस्पर नजदीक से जुड़े उन जोखिम कारकों के समूह के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो किसी बैंक को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। किसी बैंक के संपूर्ण जोखिम एक्सपोज़र का आकलन करते समय इन जोखिम संकेंद्रणों को समेकित किया जाना चाहिए । किसी बैंक को उन सभी संकेंद्रणों को ध्यान में रखना चाहिए जो सामान्य अथवा आपस में जुडे जोखिम कारकों पर आधारित होते हैं । ये जोखिम कारक बाजार, ऋण जोखिम तथा चलनिधि जोखिम के बीच आपसी संबंधों जैसे परंपरागत संकेंद्रणों से अधिक सूक्ष्म अथवा स्थिति विशेषी कारकों को प्रतिबिंबित करते हैं ।
बाजार आधारित मध्यस्थता में वृद्धि से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि किसी बैंक के विभिन्न क्षेत्र उत्पादों, जोखिम कारकों अथवा प्रतिपक्षकारों के एक सामान्य समूह की जद में

---

[31] 8 फरवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010

आते हैं । इससे जोखिम जमाव और संकेंद्रण प्रबंधन की नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं । अपनी जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा प्रबंध सूचना प्रणाली के माध्यम से कोई भी बैंक समूचे फर्म के साथ-साथ सभी विधिक संस्थाओं, आस्ति प्रकारों (उदाहरणार्थ ऋण, डेरिवेटिव तथा संरचित उत्पाद), जोखिम क्षेत्र (उदाहरणार्थ ट्रेडिंग बुक) तथा भौगोलिक क्षेत्रों में मौजूद इस प्रकार के जोखिम एक्सपोज़रों की पहचान कर सकता है और उन्हें एकत्र कर सकता है । उपर्युक्त पैरा 13.6 (ख) में वर्णित स्थितियों के अलावा निम्नस्थितियों में जोखिम संकेंद्रण हो सकता है ।

- एकल प्रतिपक्षकार अथवा परस्पर संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह को एक्सपोज़र;
- विनियमित तथा अविनियमित जैसे हेज फंड तथा निजी ईक्विटी फर्म दोनों प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को एक्सपाज़र;
- ट्रेडिंग एक्सपोज़र/बाजार जोखिम;
    - लेनदेन करने अथवा लेनदेन की प्रक्रिया के माध्यम से (उत्पाद अथवा सेवा) प्रतिपक्षकारों (उदाहरणार्थ हेज फंड तथा हेज प्रतिपक्षकार) को एक्सपोज़र;
    - निधीयन स्रोत;
    - बैंकिंग बही अथवा ट्रेडिंग बही में धारित आस्तियां जैसे ऋण, डेरिवेटिव तथा संरचित उत्पाद; तथा
    - तुलन पत्रेतर एक्सपोज़र जिसमें गारंटी, चलनिधि तथा अन्य प्रतिबद्धताएं शामिल हैं ।

जेखिम संकेंद्रण इन व्यापक श्रेणियों के आर-पार मौजूद एक्सपोज़रों के गठजोड़ से भी उत्पन्न हो सकते हैं। किसी बैंक को अपने तमाम व्यवसाय क्षेत्रों में होने वाले समरूपी एक्सपोज़रों के परिणामस्वरूप अपने फर्मव्यापी जोखिम संकेंद्रण की जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार के व्यवसाय क्षेत्रों के अंतर्गत उधार बहियों में सब-प्राइम एक्सपोज़र, प्रतिपक्षकार एक्सपोज़र, कनडइट एक्सपोज़र तथा एसआईवी; संविदागत तथा गैर-संविदागत एक्सपोज़र, व्यापारिक गतिविधियां और हामीदारी पाइपलाइन्स के उदाहरण शामिल हैं । हालांकि, जोखिम संकेंद्रण प्रायः उधारकर्ताओं तथा बाध्यताधारकों को प्रत्यक्ष एक्सपोज़र के कारण उत्पन्न होते हैं फिर भी किसी बैंक को इस प्रकार की आस्तियों द्वारा समर्थित निवेश (उदा. संपार्श्विकृत ऋण बाध्यता - सीडीओ) तथा विशेष आस्ति प्रकार (उदा. मोनोलाइन बीमाकर्ता) के कार्यनिष्पादन की गारंटी देनेवाले सुरक्षा प्रदाताओं के प्रति एक्सपोज़र के माध्यम से परोक्ष रूप से एक विशेष आस्ति प्रकार के प्रति संकेंद्रण हो सकता है। इस संदर्भ में यह नोट किया जाए कि भारत में वर्तमान में बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना इस तरह के ज्यादातर व्यवसाय करने /इस प्रकार के अधिकतर एक्सपोज़र लेने की अनुमति नहीं है

लेकिन उनकी विदेश स्थित शाखाएं 01 दिसंबर 2008 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 89/21.04.141/2008-09 के जारी होने से पहले इस प्रकार के एक्सपोज़र कर सकती हैं। बैंक के पास सुरक्षा प्रदाता तथा विचाराधीन एक्सपोज़रों के बाध्यताधारकों की ऋण पात्रता के बीच उच्च सह-संबंध की पहचान करने के लिए पर्याप्त, व्यवस्थित क्रियाविधियां होनी चाहिए क्योंकि सुरक्षा प्रदाताओं तथा बाध्यताधारकों के कार्यनिष्पादन प्रणालीगत जोखिम से इतर सामान्य कारकों (अर्थात् 'गलत तरीके से हुआ जोखिम') पर आश्रित होता है।

जोखिम संकेंद्रण की सूचना निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधतंत्र तक पहुंचाने की प्रणाली मौजूद होनी चाहिए। वह भी इस स्पष्टता के साथ कि उससे पता चले कि किसी जोखिम संकेंद्रण का एक-एक घटक संगठन में कहां मौजूद है। बैंकों के पास जोखिम कम करने की भरोसेमंद रणनीतियां मौजूद होनी चाहिए जिन्हें उच्च प्रबंध-तंत्र का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। ऐसी रणनीतियों में अभीष्ट जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप व्यावसायिक रणनीतियों में उलटफेर, सीमाएं कम करना अथवा पूंजी बफर में वृद्धि करना शामिल किया जाना चाहिए। बैंकों को जोखिम कम करने वाली रणनीतियां लागू करते समय ऐसे संभावित संकेंद्रणों को खयाल में रखना चाहिए जो जोखिम कम करने के तकनीक इस्तेमाल करने के चलते पैदा हो सकते हैं।

जोखिम संकेंद्रणों की नाप-जोख के लिए बैंकों द्वारा जितना आवश्यक हो उतनी तकनीकें इस्तेमाल में लायी जानी चाहिए। इन तकनीकों में विभिन्न जोखिम कारकों का आघात परीक्षण, व्यवसाय स्तर तथा फर्म व्यापी परिदृश्य का प्रयोग और एकीकृत दबाव परीक्षण तथा आर्थिक पूंजी मॉडलों का प्रयोग शामिल है। पहचान किए गए संकेंद्रणों का मापन तमाम तरीकों से किया जाना चाहिए जिनमें निवल एक्सपोज़र के मुकाबले सकल को हिसाब में लेना, सांकेतिक राशि का उपयोग तथा प्रतिपक्षकार के हेज सहित या उसके बिना एक्सपोज़रों का विश्लेषण शामिल हैं। बैंकों को ऐसे संकेंद्रणों की स्थिति के बारे में आंतरिक सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए जिनका जोखिम उन्हें उठाना पड़ सकता है। किसी बैंक को नियतकालिक दबाव परीक्षण करते समय सभी प्रमुख जोखिम संकेंद्रणों को उसमें शामिल करना चाहिए। साथ ही, उसे बाजार की परिस्थितियों में संभावित परिवर्तनों की पहचान करके उनके प्रति जवाबी रणनीति बनानी चाहिए जिनसे उसके कार्यनिष्पादन तथा पूंजी पर्याप्तता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

किसी बैंक के आईसीएएपी तथा पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे जोखिमों के मूल्यांकन को एक यांत्रिक प्रक्रिया न बनाकर एक ऐसी प्रक्रिया बनाना चाहिए जिसमें प्रत्येक अपने व्यवसाय मॉडल के आधार पर अपनी खास कमजोरियों को रेखांकित करे। किसी बैंक के जोखिम संकेंद्रणों के लिए पूंजी का एक उचित स्तर उसके आईसीएएपी तथा स्तंभ 2

मूल्यांकनों में शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक बैंक को ऐसे मुद्दों पर अपने पर्यवेक्षक के साथ चर्चा करनी चाहिए।

प्रत्येक बैंक के पास प्रभावी आंतरिक नीतियां, प्रणाली तथा नियंत्रण की व्यवस्था मौजूद होनी चाहिए ताकि वह अपने जोखिम संकेंद्रणों की समय से पहचान, उनकी निगरानी, उनका प्रबंधन, उनको नियंत्रित और कम कर सके । बैंकों को न केवल बाजार की सामान्य परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए बल्कि बाजार की संकटकालीन परिस्थितियों, आर्थिक मंदियों तथा बाजार के उस दौर को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जब सामान्यतः बाजार में नकदी की किल्लत हो जाती है। इसके अलावा, बैंकों को ऐसे परिदृश्य पर नजर रखनी चाहिए जिसमें संविदागत तथा गैर-संविदागत आकस्मिक दावों के चलते जोखिम संकेंद्रणों के उभरने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इस परिदृश्य को भावी एक्सपोज़रों के पैदा होने की संभावना से अछूता नहीं रखना चाहिए जिसमें बाजार चलनिधि की क्षति तथा आस्ति-मूल्यों में महत्वपूर्ण गिरावट को भी शामिल करना होगा ।

13.7 <u>चलनिधि जोखिम</u> : बैंक को आस्ति को चलनिधि में परिवर्तित करने में कठिनाई (बाजार चलनिधि जोखिम) या पर्याप्त निधि प्राप्त करने में कठिनाई (निधीयन चलनिधि जोखिम) के कारण समय पर दायित्व पूरा न कर पाने के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को समझना चाहिए। इस मूल्यांकन के अंतर्गत निधियों के स्रोत और उपयोग का विश्लेषण, उन निधि बाजारों की समझ जिनमें बैंक परिचालन करता है, तथा संकटकालीन स्थितियों में आकस्मिक निधीयन योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

हाल ही के वित्तीय बाजार संकट ने इस बात को रेखांकित कर दिया है कि किसी बैंक के आईसीएएपी के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता पर चलनिधि जोखिम के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करना कितना महत्वपूर्ण है[32]। उच्च प्रबंधतंत्र को चलनिधि तथा पूंजी के बीच संबंध पर विचार करना चाहिए क्योंकि चलनिधि जोखिम, पूंजी पर्याप्तता को प्रभावित कर सकता है जो घूमकर बैंक के चलनिधि प्रोफाइल को बिगाड़ कर रख सकती है।

सितंबर 2008 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति ने सक्षम चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर्यवेक्षण के लिए सिद्धांत प्रकाशित किए थे । इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे सुदृढ़ चलनिधि स्थिति बना कर रखें ताकि वे लंबे समय तक चलने वाले बाजार के दबावों तथा चलनिधि की किल्लत का सामना कर सकें । इन मानकों के अंतर्गत वर्ष 2007 के मध्य से बाजार में हुए उथल-पुथल के दौरान बैंकिग क्षेत्र द्वारा

[32] 8 फरवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010

महसूस की गई कमियों पर विचार किया गया है जिनमें दबाव परीक्षण की प्रथाएं, आकस्मिक निधीयन योजनाएं, तुलनपत्र एवं तुलनपत्रेतर कार्यकलापों का प्रबंधन और आकस्मिक प्रतिबद्धताएं शामिल हैं ।

चलनिधि संबंधी दिशानिर्देश बैंकों के चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए प्रभावी प्रथाओं की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं । इस संबंध में मूलभूत सिद्धांत यह है कि किसी बैंक को परिश्रमपूर्वक अपने चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करना चाहिए तथा पर्याप्त चलनिधि बनाए रखना चाहिए ताकि तमाम प्रकार की संकटकालीन स्थितियों का सामना किया जा सके । चलनिधि किसी दबाव के प्रति किसी बैंक के लचीलेपन का एक महत्वपूर्ण तत्व होती है इसलिए किसी भी बैंक को अमारग्रस्त, उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियाँ रखते हुए सुदृढ़ चलनिधि स्थिति बनाए रखना चाहिए ताकि चलनिधि संकट की किसी भी स्थिति से रक्षा की जा सके ।

चलनिधि जोखिम के प्रबंधन का एक मुख्य तत्व चलनिधि जोखिम के मजबूत नियंत्रण की आवश्यकता है जिसमें बोर्ड द्वारा चलनिधि जोखिम की सहनीयता का निर्धारण शामिल है । जोखिम सहनीयता की जानकारी समूचे बैंक को होनी चाहिए तथा उस रणनीति एवं नीतियों में उसे प्रतिबिंबित होना चाहिए जो उच्च प्रबंध तंत्र चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करने के लिए बनाते हैं । चलनिधि जोखिम प्रबंधन का एक अन्य पहलू यह भी है कि बैंकों को चलनिधि की लागत, लाभ तथा उसके जोखिमों का मूल्य निर्धारण समुचित रीति से आंतरिक मूल्य निर्धारण, कार्यनिष्पादन मापन तथा समस्त व्यावसायिक गतिविधियों की नये उत्पाद की अनुमोदन प्रक्रिया से जोड़कर करना चाहिए ।

किसी भी बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह चलनिधि जोखिमों की बखूबी पहचान, उसका मापन और नियंत्रण विशेष रूप से जटिल उत्पादों तथा आकस्मिक प्रतिबद्धताओं (संविदागत तथा गैर-संविदागत दोनों) के संदर्भ में कर सके । इस प्रक्रिया में बैंक की यह क्षमता भी शामिल होनी चाहिए कि वह विभिन्न समयावधियों में आस्तियों, देयताओं तथा तुलनपत्रेतर मदों से उत्पन्न नकदी प्रवाह योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सके और वह निधीयन की समयावधि तथा स्रात दोनों को बहुआयामी बना सके । किसी बैंक को समयपूर्व चेतावनी सूचकों का इस्तेमाल अपनी चलनिधि स्थिति अथवा निधीयन संबंधी आवश्यकताओं के मामले में जोखिम के बढ़ने अथवा कमजोरियों के उभार का पता लगाने में करना चाहिए । उसमें यह क्षमता होनी चाहिए कि वह अपने संगठन के ढांचे पर विचार किए बिना विधिक हस्तियों, व्यवसाय लाइनों तथा मुद्राओं के भीतर और उनके आर-पार चलनिधि जोखिम एक्सपोजर तथा निधीयन जरूरतों को चलनिधि की अंतरणीयता के लिए किसी भी

प्रकार की वैधानिक, विनियामक तथा परिचालनात्मक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित कर सके ।

आंतर दिवसीय चलनिधि के प्रभावी प्रबंधन में किसी बैंक की असफलता अपेक्षित समय पर उसके द्वारा भुगतान संबंधी दायित्वों को पूरा न कर पाने का कारण बन सकती है जिसके फलस्वरूप चलनिधि का बिखराव हो सकता है जिसका प्रभाव क्रमशः कई प्रणालियों और संस्थाओं पर पड़ सकता है । इस प्रकार, किसी बैंक द्वारा आंतर दिवसीय चलनिधि जोखिमों के प्रबंधन को चलनिधि जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाना चाहिए । बैंक को अपनी संपार्श्विक स्थितियों का भी सक्रिय रूप से प्रबंधन करना चाहिए तथा अपनी सभी संपार्श्विक स्थितियों की गणना करने में समर्थ होना चाहिए ।

हालांकि बैंक "सामान्य" परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से चलनिधि का प्रबंधन करते हैं लेकिन उन्हें "संकटकालीन" परिस्थितियों में भी चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए तैयार रहना चाहिए । किसी बैंक को संभावित चलनिधि के दबावों के प्रति अपने एक्सपोज़र की पहचान करने तथा उसका परिमाण जानने के लिए नियमित रूप से दबाव परीक्षण अथवा परिदृश्य विश्लेषण करना चाहिए जिसमें संस्थाओं के नकदी प्रवाह, चलनिधि स्थितियों, लाभप्रदता तथा शोधक्षमता पर संभावित प्रभावों का विश्लेषण किया गया हो । प्रबंध तंत्र द्वारा इन दबाव परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जानी चाहिए और उन्हें इस चर्चा के आधार पर बैंक के एक्सपोज़र को सीमित करने के लिए उपचारात्मक अथवा न्यूनकारी कार्रवाई करने के मानदंड तय करना चाहिए, चलनिधि की अतिरिक्त व्यवस्था (कूशन) करनी चाहिए और अपनी चलनिधि प्रोफाइल को अपनी जोखिम सहनशीलता के हिसाब से व्यवस्थित करना चाहिए । दबाव परीक्षणों के परिणाम बैंक की आकस्मिक निधीयन आयोजना के निर्माण में मुख्य भूमिका भी निभाते हैं जिसमें दबाव परीक्षणों की पूरी श्रृंखला का प्रबंधन करने की नीतियों की रूपरेखा होनी चाहिए तथा आपात स्थितियों में चलनिधि की कमी से निपटने की स्पष्ट रणनीति निर्धारित होनी चाहिए ।

चूंकि सार्वजनिक प्रकटीकरण से बाज़ार की निश्चितता में वृद्धि होती है, पारदर्शिता में सुधार होता है, मूल्य-निर्धारण सुविधाजनक हो जाता है और इससे बाज़ार का अनुशासन मजबूत होता है इसलिए बैंकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे नियमित रूप से सार्वजनिक तौर पर सूचना का प्रकटीकरण करें । इससे बाज़ार के सहभागियों को अपने चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे तथा चलनिधि स्थिति की सुदृढ़ता के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने में सहूलियत होगी ।

13.8 <u>तुलन पत्रेतर एक्सपोज़र तथा प्रतिभूतिकरण जोखिम</u>

पिछले कई वर्षों में बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण के प्रयोग में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। इसका इस्तेमाल निधीयन के वैकल्पिक स्रोत तथा निवेशकों को अंतरित करने वाली व्यवस्था के रूप में किया गया है । हालांकि प्रतिभूतिकरण के साथ जुड़े जोखिम बैंकों के लिए नए नहीं हैं लेकिन हाल ही के वित्तीय उथल-पुथल ने ऋण जोखिम, संकेंद्रण जोखिम, बाज़ार जोखिम, चलनिधि जोखिम, विधिक जोखिम तथा प्रतिष्ठा जोखिम के अप्रत्याशित पहलुओं को प्रमुखता से उजागार कर दिया है जिसका पर्याप्त समाधान ढूंढ़ने में बैंक नाकाम रहे । उदाहरणार्थ जिन बैंकों पर प्रायोजित प्रतिभूतिकरण ढांचों का समर्थन करने के लिए संविदागत बाध्यता थी उनमें से कई बैंक अपने प्रतिष्ठा जोखिम तथा पूंजी बाजारों में अपनी भावी पहुंच से जुड़ी चिंताओं के कारण उन ढांचों की अनुमति देने के प्रति अनिच्छुक थे । इन ढांचों के समर्थन से बैंक अतिरिक्त तथा अप्रत्याशित ऋण, बाजार तथा चलनिधि जोखिम के दायरे में आ गए क्योंकि वे इन ढांचों के साथ बैंकों के तुलन पत्रों पर ऐसी आस्तियां चली आईं जिनका काफी दबाव उनके वित्तीय प्रोफाइल और पूंजी अनुपात पर पड़ा ।

वित्तीय संकट के दौरान बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण के जोखिम प्रबंधन तथा उनके तुलन पत्रेतर एक्सपोज़रों में कमियों के कारण बड़े पैमाने पर अप्रत्याशित हानियां हुईं । इन जोखिमों को कम करने के लिए बैंकों के तुलन पत्र तथा तुलन पत्रेतर क्रियाकलापों जैसे उत्पाद अनुमोदन, जोखिम संकेंद्रण सीमाओं तथा बाजार, ऋण और परिचालनगत जोखिमों के आकलन को उनके जोखिम प्रबंधन अनुशासन में शामिल किया जाना चाहिए ।

प्रतिभूतिकरण संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ढेर सारे जोखिमों के मद्देनज़र जिनकी संख्या में प्रतिभूतिकरण तकनीकों तथा लिखतों में तीव्र नवोन्मेषीकरण के द्वारा वृद्धि हो सकती है, स्तंभ 1 के अंतर्गत न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाएं प्रायः अपर्याप्त होती हैं । प्रतिभूतिकरण से उत्पन्न होने वाले विशेष रूप से स्तंभ 1 के अंतर्गत पूरी तरह से शामिल नहीं किए गए सभी जोखिमों पर चर्चा बैंक के आईसीएएपी में की जानी चाहिए । इन जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- प्रत्येक एक्सपोज़र का ऋण, बाजार, चलनिधि तथा प्रतिष्ठा जोखिम;
- विचाराधीन प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़रों पर संभावित अदेयताएं और हानियां;
- विशेष प्रयोजन से स्थापित संस्थाओं को ऋण अथवा चलनिधि सुविधाओं से होने वाले एक्सपोज़र;
- एकाधिकार तथा अन्य तीसरे पक्षकारों द्वारा प्रदत्त गारंटियों से एक्सपोज़र ।

प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों को बैंक की प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च प्रबंध तंत्र चलनिधि, आय, जोखिम संकेंद्रण तथा पूंजी के लिए इस प्रकार के एक्सपोज़रों के निहित प्रभावों को समझता है । इससे भी महत्वपूर्ण है कि बैंकों के पास बाजार के उपलब्ध आंकड़ों सहित प्रतिभूतिकरण लेनदेन संबंधी जानकारी और प्रतिभूतिकरण न्यासी अथवा सेवाप्रदाता से अद्यतन कार्यनिष्पादन आंकड़े समय से प्राप्त करने की आवश्यक प्रणालियां मौजूद होनी चाहिए ।

13.9 <u>प्रतिष्ठा जोखिम तथा अस्पष्ट सहायता</u>

प्रतिष्ठा जोखिम को एक ऐसे जोखिम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ग्राहकों, प्रतिपक्षकारों, शेयरधारकों, निवेशकों, ऋण धारकों, बाज़ार विश्लेषकों, अन्य संबंधित पक्षकारों अथवा विनियामकों की नकारात्मक आशंका से उत्पन्न होता है और जो बैंक की मौजूदा व्यावसायिक संबंधों को बनाए रखने अथवा नए व्यावसायिक संबंध स्थापित करने तथा निधियन के स्रोतों (उदाहरण के लिए अंतर बैंक अथवा प्रतिभूतिकरण बाजारों के माध्यम से) तक अनवरत संपर्क बनाए रखने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है । इसके अलावा यह जोखिम समूचे संगठन में मौजूद होता है और प्रतिष्ठा जोखिम का एक्सपोज़र मूलतः बैंकों की आंतरिक जोखिम प्रबंधन प्रणालियों तथा बैंकिंग से जुड़े लेनदेन पर बाहरी प्रभावों से निपटने की प्रबंधतंत्र की क्षमता की पर्याप्तता से संबंधित एक कार्य है ।

प्रतिष्ठा जोखिम के कारण अव्यक्त सहायता का प्रावधान करना पड़ सकता है जिससे ऋण, चलनिधि, बाजार तथा विधिक जोखिम पैदा हो सकता है - जिनका बैंक की आय, चलनिधि तथा पूंजीगत स्थिति पर सम्मिलित रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बैंक प्रतिष्ठा जोखिम के जिन संभावित स्रोतों से रू-ब-रू हो उसे उनकी पहचान करनी चाहिए। प्रतिष्ठा जोखिम में बैंकों के कारोबारी क्षेत्र, देयताएं, संबद्ध परिचालन, तुलनपत्रेतर व्यवस्थाएं तथा वे बाजार शामिल हैं जिनमें बैंक काम करते हैं । नये जोखिमों को बैंक की जोखिम प्रबंध प्रणालियों में शामिल किया जाना चाहिए और बैंकों के आईसीएएपी तथा चलनिधि आपातकालीन योजनाओं में बाकायदा उनके समाधान पर चर्चा होनी चाहिए ।

वर्ष 2007 की आर्थिक मंदी से पहले तमाम बैंक अपनी तुलनपत्रेतर व्यवस्थाओं से जुड़े प्रतिष्ठा जोखिम को पहचान नहीं सके थे। संकटकालीन स्थितियों में कुछ कंपनियों को अपने प्रायोजित प्रतिभूतिकरणों तथा तुलनपत्रेतर व्यवस्थाओं का समर्थन करने के लिए संविदागत बाध्यताओं के दायरे से भी बाहर जाना पड़ा। बैंकों को प्रतिष्ठा जोखिम को बढ़ाने वाले एक्सपोज़रों को अपने उन मूल्यांकनों में शामिल करना चाहिए जो इस बात के लिए किए जाते हैं कि क्या प्रतिभूतिकरण ढांचे के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किया गया है

और क्या अव्यक्त सहयोग प्रदान करने के संभावित प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है ।

उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठा जोखिम एवीसीपी मार्ग तथा एसआईवी जैसी प्रतिभूतिकरण संरचनाओं के बैंकों द्वारा प्रायोजन तथा प्रतिभूतिकरण न्यासों को किए गए ऋण एक्सपोज़रों की बिक्री से उत्पन्न हो सकता है। यह जोखिम किसी बैंक के आस्ति अथवा निधि प्रबंधन से जुड़ाव के कारण विशेष रूप से जब वित्तीय लिखत स्वाधिकृत अथवा प्रायोजित संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं अथवा प्रायोजक बैंक के ग्राहकों के बीच वितरित किए जाते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब लिखतों का सही-सही मूल्य निर्धारण नहीं किया गया हो अथवा मुख्य जोखिम कारकों को पर्याप्त रूप से प्रकट न किया गया हो, प्रायोजक अपने ग्राहकों के प्रति कुछ जिम्मेदारी महसूस कर सकते हैं अथवा किसी प्रकार की हानि की भरपाई करने के लिए आर्थिक रूप से बाध्य हो सकते हैं। प्रतिष्ठा जोखिम उस समय भी उत्पन्न होता है जब कोई बैंक मुद्रा बाज़ार म्यूचुअल फंड, इन-हाउस हेज फंड तथा स्थावर संपदा निवेश न्यासों जैसे क्रियाकलापों को प्रायोजित करता है। ऐसे मामलों में बैंक निवेशकों द्वारा धारित शेयरों/यूनिटों के मूल्य को समर्थन देने का निर्णय कर सकते हैं, भले ही उनके लिए उक्त समर्थन देना संविदागत रूप से अपेक्षित न हो।

वित्तीय बाजार संकट से बैंकों द्वारा अपनी संविदागत बाध्यताओं के बाहर जाकर वित्तीय सहायता दिए जाने के कई उदाहरण सामने आए हैं । अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए कुछ बैंकों ने महसूस किया कि अपने एसआईवी को चलनिधि सहायता प्रदान करने के लिए वे बाध्य थे जो उनकी संविदागत बाध्यताओं की सीमा से बाहर था । अन्य मामलों में बैंकों ने बाजार चलनिधि बनाए रखने के लिए स्वयं अपने द्वारा प्रायोजित संस्थाओं द्वारा जारी एबीसीपी खरीदा था । इसके परिणामस्वरूप इन बैंकों को अतिरिक्त चलनिधि तथा ऋण जोखिम लेना पड़ा और उनके पूंजी अनुपातों पर भी दबाव पड़ा ।

प्रतिष्ठा जोखिम किसी बैंक की देयताओं को भी प्रभावित कर सकता है क्योंकि बाजार का भरोसा और अपने व्यवसाय को निधि प्रदान करने की बैंक की क्षमता उसकी प्रतिष्ठा के साथ घनिष्ठता से जुड़ी है। उदाहरणार्थ कोई बैंक अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान से बचाने के लिए अपनी देयताओं में कटौती कर सकता है,यद्यपि इससे उसके चलनिधि प्रोफाइल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह विशेष रूप से मिश्र/गौण ऋण जैसी देयताओं के मामले में सही है जो विनियामक पूंजी के घटक हैं। ऐसे मामलों में किसी बैंक की पूंजीगत स्थिति को हानि पहुंचने की संभावना है।

बैंक प्रबंध तंत्र के पास नए बाजारों, उत्पादों अथवा क्रियाकलापों के नए क्षेत्रों में प्रवेश करते समय प्रतिष्ठा जोखिम के स्रोतों का पता लगाने वाली समुचित नीतियां मौजूद होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंकों की दबाव परीक्षण प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठा जोखिम को ध्यान में

रखा जाना चाहिए ताकि प्रबंध तंत्र को प्रतिष्ठा जोखिम के परिणामों तथा दूसरे चरण के प्रभावों की ठोस समझ हो।

यदि एक बार कोई बैंक प्रतिष्ठा जोखिमों से पैदा होने वाले संभावित एक्सपोज़रों की पहचान कर लेता है तो उसे प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों में अपने द्वारा दी जानेवाली सहायता (प्रतिभूतिकरणों के अंतर्निहित समर्थन सहित) अथवा हानियों की नापजोख कर लेनी चाहिए। विशेष रूप से प्रतिष्ठा को क्षति से बचाने तथा बाजार का भरोसा बनाए रखने के लिए बैंकों को उन तमाम प्रकार के जोखिमों (उदाहरणार्थ, ऋण, चलनिधि बाजार अथवा परिचालनगत जोखिम), जिनसे वे रु-ब-रू हैं, के रूप में प्रतिष्ठा जोखिम के प्रभाव को यथासंभव सटीक ढंग से मापने के लिए विधियां विकसित करनी चाहिए। इसे नियमित दबाव परीक्षणों के अंतर्गत प्रतिष्ठा जोखिम परिदृश्यों को शामिल करके किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, किसी बैंक के ऋण, बाजार तथा चलनिधि जोखिम प्रोफाइलों पर प्रभाव का निर्धारण करने के लिए गैर-संविदागत तुलनपत्रेतर एक्सपोज़रों को दबाव परीक्षणों में शामिल किया जा सकता है। विधियो में तुलनपत्र में दर्शाये गये एक्सपोज़र की वास्तविक राशि बनाम तुलनपत्रेतर धारित अधिकतम एक्सपोज़र की राशि अर्थात् बैंक के एक्सपोज़र की संभावित राशि की तुलना भी शामिल हो सकती है।

बैंकों को तुलनपत्र के आस्ति पक्ष में संभावित बढ़ोतरी तथा निधीयन पर संभावित प्रतिबंधों दोनों को ध्यान में रखकर अपनी समग्र चलनिधि स्थिति पर प्रतिष्ठा जोखिम के प्रभावों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि ध प्रतिष्ठा की क्षति के परिणामस्वरूप तमाम प्रतिपक्षकारों का भरोसा न टूटे ।

गारंटियों जैसे संविदागत ऋण एक्सपोज़रों के विपरीत अव्यक्त सहायता एक सूक्ष्म प्रकार का एक्सपोज़र है । अव्यक्त सहायता किसी बैंक द्वारा किसी संविदागत दायित्व की सीमा से आगे जाकर किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन को बिक्री के बाद दी जाने वाली सहायता से उत्पन्न होती है । अव्यक्त सहायता के अंतर्गत विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) की वर्तमान अथवा भावी देयताओं के संबंध में प्रवर्तक द्वारा दिए गए किसी चुकौती आश्वासन पत्र (एलसी) को शामिल किया जा सकता है । इस प्रकार की गैर-संविदागत सहायता से किसी बैंक को हानि का जोखिम होता है जैसे प्रतिभूतिकरण की आधार आस्तियों की ऋण गुणवत्ता में गिरावट से उत्पन्न होने वाली हानि ।

अव्यक्त सहायता प्रदान करने के माध्यम से कोई बैंक बाजार को यह संकेत भेजता है कि प्रतिभूतिकृत आस्तियों में अंतर्निहित सभी जोखिम अभी भी संगठन द्वारा धारित हैं और उन्हें स्थानांतरित नहीं किया गया है । चूंकि अंतर्निहित सहायता के संभावित प्रावधान से उत्पन्न होने वाला जोखिम स्तंभ 1 के अंतर्गत शामिल नहीं होता अतः इसे स्तंभ 2

प्रक्रियाओं के एक हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त नए उत्पादों अथवा रणनीतिक पहल कदमियों के अनुमोदन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत अव्यक्त सहायता के संभावित प्रावधान पर विचार करना चाहिए और संबंधित बैंक के आईसीएएपी में उसे शािमल किया जाना चाहिए ।

13.10 <u>जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन</u>

बैंकों को (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वार अनुमत) संरचित उत्पादों में निवेश करते समय अंतर्निहित जोखिमों का विश्लेषण करना चाहिए और उन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों को दी गयी क्रेडिट रेटिंगों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए । बैंकों को इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि बाह्य रेटिंग क्रेडिट विश्लेषण के लिए एक उपयोगी प्रस्थान बिंदु हो सकती है लेकिन वह अंतर्निहित जोखिम को पूरी तरह और ठीक से समझने का विकल्प नहीं हो सकता विशेष रूप से तब जब कुछ आस्ति की रेटिंगों का छोटा इतिहास हो अथवा उनमें अस्थिरता देखी गयी हो । इसके अलावा, बैंकों को आस्तियों का अधिग्रहण करते समय और सतत आधार पर भी प्रतिभूतिकरण का क्रेडिट विश्लेषण करते रहना चाहिए । सभी संबंधित जोखिमों का विश्वसनीय मूल्यांकन करने के लिए बैंकों के पास आवश्यक मात्रात्मक उपकरण, मूल्यन के मॉडल तथा पर्याप्त रूप से उन्नत दबाव परीक्षण भी होने चाहिए ।

प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों का मूल्यांकन करते समय बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी प्रकार के जोखिम संकेंद्रणों सहित) संरचित क्रेडिट लेनदेन के अंतर्गत अंतर्निहित एक्सपोज़रों की ऋण-गुणवत्ता तथा जोखिम विशेषताओं को पूरी तरह समझते हैं । इसके अतिरिक्त, बैंकों को संभावित परिपक्वता संबंधी असंतुलन का मूल्यांकन करने के लिए बैंकों को जारी की गयी देयताओं से संबंधित ऋण लेनदेन में अंतर्निहित एक्सपोज़रों की परिपक्वता की समीक्षा करनी चाहिए ।

बैंकों द्वारा लेनदेन के स्तर पर अपने प्रतिभूतिकरण एक्सपाज़रों में निहित तथा अपने प्रत्येक व्यवसाय क्षेत्र के भीतर तथा विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों के स्तर पर ऋण जोखिम की पड़ताल की जानी चाहिए । उन्हें कुल जोखिमों के आकलन के लिए भरोसेमंद उपाय करने चाहिए । बैंकों को प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों के नाम, उत्पाद अथवा क्षेत्र जैसे सभी महत्वपूर्ण संकेंद्रणों का पता लगाना चाहिए और उसकी सूचना संपूर्ण संस्था की जोखिम संकेंद्रण प्रणालियों को देनी चाहिए जो, किसी विशेष बाध्यताधारी को होने वाले मसलन, ऋण एक्सपोज़र का पता लगाती हैं ।

बैंकों द्वारा जोखिम का स्व-मूल्यांकन प्रतिभूतिकरण लेनदेन की संरचना की व्यापक समझ पर आधारित होनी चाहिए । इसके अंतर्गत तमाम तरह के खतरे के बटनों, ऋण प्रक्रिया के

अहम चरणों तथा अन्य विधिक उपबंधों की पहचान की जानी चाहिए जो उनके तुलनपत्र तथा तुलनपत्रेतर एक्सपोज़रों के कार्य-निष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं और खतरे के इन संकेतों तथा उपबंधों को उनके निधीयन/चलनिधि, ऋण तथा तुलनपत्र प्रबंधन के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए । बैंकों की चलनिधि तथा पूंजी की स्थिति पर ऋण प्रक्रिया से जुड़े घटनाक्रम अथवा खतरे के संकेतों के प्रभाव पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

विश्व स्तर पर बैंकों ने या तो इस बात को कमतर आँका या उन्हें इसका पूर्वाभास भी नहीं था कि समूचे बाजार में फैली उथल-पुथल उनके प्रस्तावित अथवा भावी एक्सपोज़रों के प्रतिभूतिकरण को रोक सकती है और वे चलनिधि, आय तथा पूंजी पर्याप्तता पर उससे पड़ने वाले प्रभाव का भी पूर्वानुमान नहीं लगा सके ।

बैंकों को अपनी जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के एक हिस्से के रूप में एक्सपोज़रों के प्रतिभूतिकरण की संभावना पर विचार किए बिना प्रस्तावित एक्सपोज़रों तथा भावी एक्सपोज़रों को ध्यान में रखना चाहिए और जहां उचित हो, बाजार की कीमतों पर उनका मूल्य निर्धारण करना चाहिए । बैंकों को अपने दबाव परीक्षण के एक हिस्से के रूप में ऐसे परिदृश्यों पर विचार करना चाहिए जो उनकी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण को रोक सकते हैं और अपनी चलनिधि, आय तथा पूंजी पर्याप्तता पर ऐसे एक्सपोज़रो के भावी प्रभाव की पहचान करनी चाहिए ।

बैंकों को विवेकपूर्ण आकस्मिक योजनाएं विकसित करनी चाहिए जिनमें इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि वे प्रतिभूतिकरण बाजारों तक पहुँच कम हो जाने के परिणामस्वरूप पैदा होने वाले निधीयन, पूंजी तथा अन्य दबावों से किस प्रकार निपटेंगे । आकस्मिक योजनाओं में इस बात का भी जिक्र आना चाहिए कि बिक्री अथवा व्यवसाय के लिए धारित संभावित रूप से अनकदी स्थितियों के समक्ष उत्पन्न होने वाली मूल्यन संबंधी चुनौतियों का वे किस प्रकार सामना करेंगे । जोखिम के निर्धारकों, दबाव परीक्षण परिणाम तथा आकस्मिक योजनाएं बैंकों की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों तथा उनके आईसीएएपी में समाविष्ट की जानी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम अपेक्षाओं से अधिक स्तंभ 2 के अंतर्गत पूंजी का एक समुचित स्तर निर्मित होना चाहिए ।

जोखिम कम करने की तकनीकें अपनाने वाले बैंकों को कम किए जाने वाले जोखिमों, उस कमी के संभावित प्रभावों और जोखिमों में की गई कमियां पूरी तरह प्रभावी है या नहीं, की पूरी समझ होनी चाहिए । इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि बैंक पूंजी के अपने मूल्यांकन में निहित वास्तविक जोखिम को कमतर नहीं आँक रहे हैं । विशेष रूप से उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या वे एक निधीयन उपकरण के रूप में प्रतिभूतिकरण

पर निर्भरता के कारण कठिन परिदृश्यों में प्रतिभूतिकरण संरचनाओं को सहायता प्रदान कर सकेंगे ।

13.11 मूल्यन की प्रथाएं

प्रतिभूतिकरण लेनदेन सहित जटिल संरचित उत्पादों की विशेषताएं आंशिक रूप से सक्रिय और नकदी बाजारों के अभाव, भारी मात्रा में नकदी प्रवाह की जटिलता तथा अद्‌वितीयता और आंशिक रूप से मूल्यनों तथा अंतर्निहित जोखिम कारकों के बीच संबंधों के कारण उनके मूल्यन को अंतर्निहित रूप से कठिन बना देते हैं । जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, वर्तमान में भारत में बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना इस प्रकार के एक्सपोज़र स्वीकार करने की अनुमति नहीं है । तथापि, उनकी विदेश स्थित शाखाओं में इस प्रकार के एक्सपोज़र 1 दिसंबर 2008 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 89/ 21.04.141/ 2008-09 के जारी होने से पहले दर्ज किए हो सकते हैं । किसी नकदी बाजार से पारदर्शी कीमत के अभाव का अर्थ है मूल्यन को मॉडल अथवा अनुमानित मूल्य निर्धारण की विधियों तथा विशेषज्ञों के निर्णय पर आधारित होना पड़ेगा । ऐसे मॉडलों और प्रक्रियाओं के परिणाम इन्पुट्स तथा अपनाए गए मापदंडों संबंधी मान्यताओं /अभिधारणाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं जो स्वयं अनुमान त्रुटि तथा अनिश्चितता के अधीन हो सकते हैं । इसके अलावा, मूल्यन विधियों का अंशांकन प्रायः तुरंत सुलभ बेंचमार्कों के अभाव के कारण जटिल हो जाता है । इसलिए, बैंकों से यह अपेक्षित है कि जोखिम प्रबंधन तथा वित्तीय सूचना के प्रयोजनों के लिए यथोचित मूल्य-निर्धारण एक्सपोज़रों की पर्याप्त नियंत्रण संरचनाएं तथा नियंत्रण प्रक्रियाएं बैंकों के पास होनी चाहिए । मूल्यन नियंत्रण संरचनाएं तथा संबंधित प्रक्रियाएं बैंकों की संपूर्ण नियंत्रण संरचना में समाहित होनी चाहिए और उन्हें जोखिम प्रबंधन तथा सूचना दोनों प्रयोजनों के अनुरूप होना चाहिए । नियंत्रण संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं से अपेक्षित है कि उनमें बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका स्पष्ट रूप से शामिल हो । इसके अतिरिक्त, बोर्ड को मूल्यन ओवर साइट तथा मूल्य मॉडल कार्यनिष्पादन से जुड़े मुद्दों जो समाधान के लिए उनके समक्ष लाए जाते हैं, तथा मूल्यन नीतियों में सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर वरिष्ठ प्रबंधन से रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए ।

बैंक के पास वित्तीय लिखतों के मूल्य निर्धारण, उसके समनुदेशन और सत्यापन के लिए एक स्पष्ट और सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना होनी चाहिए । नीतियों द्‌वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी मूल्य निर्धारण क्रियाविधियों के अनुमोदन सुप्रलेखित हैं । इसके अलावा नीतियों और प्रक्रियाओं में आरंभिक मूल्य निर्धारण, बाज़ार दर पर/मोडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण समायोजन और आवधिक स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन के संबंध में स्वीकार्य पद्धतियों का वर्णन रहना चाहिए । नये उत्पाद की अनुमोदन प्रक्रियाओं में जोखिम

माप, जोखिम नियंत्रण और वित्तीय लिखतों के मूल्य निर्धारण के समनुदेशन और सत्यापन से जुड़े सभी आंतरित स्टेक धारक शामिल होने चाहिए।

किसी बैंक के मूल्य निर्धारणों की माप और रिपोर्टिंग संबंधी नियंत्रण प्रक्रियाएं पूरे फर्म पर समान रूप से लागू की जानी चाहिए और जोखिम माप और प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ उनका एकीकरण किया जाना चाहिए। विशेष रूप से ये मूल्य निर्धारण नियंत्रणों को समान रूप से समान लिखतों (जोखिमों) और कारोबारी क्षेत्रों (बहियों) पर लागू करना चाहिए। ये नियंत्रण आंतरिक लेखा परीक्षा के अधीन होने चाहिए। नये उत्पादों का बुकिंग स्थल कहीं भी हो, मूल्य निर्धारण क्रियाविधियों की समीक्षा और अनुमोदन के पीछे विचारों/अवधारणाओं का एक न्यूनतम समूह होना चाहिए। इसके अलावा मूल्य निर्धारण/नये उत्पाद के अनुमोदन की प्रक्रिया का समर्थन उत्पाद और कारोबार की विशिष्ट स्वीकार्य मूल्य निर्धारण क्रियाविधियों की पारदर्शी और सुप्रलेखित सूची द्वारा किया जाना चाहिए।

जिन लिखतों और लेनदेन का बैंक प्रयोग करता है उनके मूल्य निर्धारण को स्थापित और सत्यापित करने के लिए, बैंक के पास पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए - दबाव की अवधि के दौरान भी। यह क्षमता संस्था के कारोबारी प्रोफाइल के संदर्भ में इन एक्सपोजरों के महत्व, जोखिम और आकार के अनुसार होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक्सपोजर महत्वपूर्ण जोखिम वाले हों उनके संबंध में बैंक के पास यह क्षमता होनी चाहिए ताकि प्राथमिक इनपुट और विधियां बाजार के गतिरोध या कम तरलता के कारण अविश्वसनीय, अनुपलब्ध या अप्रासंगिक हो जाने पर वैकल्पिक विधियों का प्रयोग कर मूल्य निर्धारण कर सकें। बैंक को अपने मोडेलों के कार्य निष्पादन की समीक्षा और परीक्षण दबाव की परिस्थितियों में करना चाहिए ताकि बैंक दबाव की परिस्थितियों के अंतर्गत मोडेलों की सीमाएं समझ सकें।

मूल्य निर्धारण की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता इनपुट की गुणवत्ता और विश्वसनीयता से सीधे जुड़ी हुई है । बैंक से यह आशा की जाती है कि मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में प्रयोग करने के लिए समुचित इनपुट का चयन करते समय किसी लिखत के उचित मूल्य पर संभावित प्रभाव डालने वाली संबंधित बाजार सूचनाओं तथा अन्य कारकों का निर्धारण करने के लिए लेखाकरण दिशानिर्देशों का प्रयोग करेंगे । जहां किसी सक्रिय बाजार में रहने के लिए मूल्यों का निर्धारण किया जाता है वहां बैंकों को मूल्यन तकनीक का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य का निर्धारण करते समय संबंधित प्रेक्षणीय सूचनाओं का प्रयोग अधिक से अधिक तथा अप्रेक्षणीय सूचनाओं का प्रयोग कम-से-कम करना चाहिए ।

तथापि जहां बाजार निष्क्रिय हो, वहां प्रेक्षणीय इनपुट या लेनदेन प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं, जैसा कि बाध्यकारी परिसमापन या आपदा बिक्री में हो सकता है या लेनदेन प्रेक्षणीय नहीं हो सकता है, जैसा कि जब बाजार निष्क्रिय रहते हैं । ऐसे मामलों में उचित मूल्य लेखांकन दिशानिर्देश इस संबंध में सहायता प्रदान करते हैं कि किन बातों पर विचार करना चाहिए,

परंतु ये बाध्यकारी नहीं हो सकते हैं। कोई स्रोत विश्वसनीय और प्रासंगिक है या नहीं, इसका मूल्यांकन करें। बैंक को अन्य बातों के साथ निम्न पर विचार करना चाहिए :

- कीमतों/भावों की उपलब्धता और बारंबारता
- क्या ये कीमतें पर्याप्त दूरी बनाये रखने के आधार पर होने वाले वास्तविक नियमित लेनदेन का प्रतिनिधित्व करती हैं
- आंकड़ों का विस्तार और यह तथ्य कि क्या आंकड़े बाजार के संबंधित प्रतिभागियों को आम तौर पर उपलब्ध रहते हैं ।
- मूल्य निर्धारण की बारंबारता की तुलना में सूचना की सामयिकता
- स्वतंत्र स्रोतों की संख्या जो कीमत/भाव बताते हैं
- क्या भाव/कीमतें वास्तविक लेनदेन से समर्थित हैं
- बाजार की परिपक्वता; और
- लेनदेन में बेचे गये वित्तीय लिखत और संस्था में धारित लिखत की समानता

बैंक की बाह्य सूचना प्रणाली द्वारा सामयिक, प्रासंगिक, विश्वसनीय और उपयोगी सूचना प्रदान की जानी चाहिए जो पारदर्शिता को संभव बनाती हो । वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को इस बात पर विचार करना चाहिए कि मूल्य निर्धारण अनिश्चितता संबंधी प्रकटीकरण को अधिक सार्थक बनाया जा सकता है । उदाहरण के लिए बैंक मोडेलिंग तकनीकों का और उन लिखतों का वर्णन कर सकता है जिन पर वे लागू की जाती हैं अथवा बैंक मोडेलिंग इनपुट और अवधारणाओं के प्रति उचित मूल्य की संवेदनशीलता तथा मूल्य निर्धारण पर दबाव परिदृश्यों के प्रभाव का वर्णन कर सकता है । बैंक को नियमित रूप से अपनी प्रकटीकरण नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रकट की गयी सूचना उसके कारोबारी मोडेल और उत्पादों और वर्तमान बाजार स्थितियों के लिए प्रासंगिक बनी हुई है ।

13.12 <u>दबाव परीक्षण की अच्छी प्रथाएं</u>

दबाव परीक्षण एक महत्वपूर्ण साधन है जिसका प्रयोग बैंक अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में करते हैं । यह साधन बैंक प्रबंधन को अनगिनत प्रकार के जोखिमों से जुड़े अप्रत्याशित दुष्परिणामों के प्रति सचेत करता है और साथ ही बैंकों को इससे इस बात का संकेत भी प्राप्त होता है कि स्थिति में नुकसान की भरपाई करने के लिए कितनी पूंजी की जरूरत होगी । इसके अलावा, दबाव परीक्षण अन्य जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोणों तथा उपायों का संपूरक होता है । दबाव परीक्षण निम्नलिखित में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है :

- जोखिम के पूर्वगामी मूल्यांकन प्रदान करना,
- मॉडलों तथा ऐतिहासिक आंकड़ों की सीमाओं से निजात पाना,
- आंतरिक तथा बाह्य संप्रेषण को सहायता प्रदान करना,
- पूंजी तथा चलनिधि आयोजना प्रक्रियाओं को पुष्ट करना,
- बैंकों की जोखिम सहायता की स्थिति के बारे में सूचना देना,
- कंपनी के स्तर पर मौजूदा अथवा भावी संकेंद्रणों का समाधान करना, तथा
- विभिन्न प्रकार की संकटापन्न स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जोखिम में कमी अथवा आकस्मिक योजनाएं विकसित करने को सहज बनाना ।

अहानिकर जोखिम के लंबे दौरे के बाद दबाव परीक्षण का विशेष महत्व होता है जब नकारात्मक आर्थिक स्थितियों की धूमिल पड़ती स्मृति से आत्म संतुष्टि का भाव पैदा हो सकता है और जोखिम का कम मूल्यांकन हो सकता है और जब नवोन्मेष के कारण नए उत्पादों में तीव्र वृद्धि होती जिसके लिए हानि संबंधी आंकड़े सीमित हैं या फिर नहीं हैं ।

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि दबाव परीक्षण में सुधार से ही जोखिम प्रबंधन संबंधी सभी कमजोरियों का समाधान नहीं किया जा सकता लेकिन वह एक व्यापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में बैंकों के कार्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत बनाने और बैंकों तथा वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन में प्रमुख भूमिका निभाता है ।

दबाव परीक्षण को बैंकों समूचे गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बनना चाहिए। दबाव परीक्षण के उद्देश्य निश्चित करने, परिदृश्य परिभाषित करने, दबाव परीक्षण के परिणामों पर चर्चा करने, भावी कार्रवाईयों का मूल्यांकन करने तथा निर्णय लेने में बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन की सहभागिता बैंकों के जोखिम गवर्नेंस तथा पूंजी आयोजना में दबाव परीक्षण का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वरिष्ठ प्रबंधन को दबाव परीक्षण के विकास तथा परिचालन में सक्रिय रूचि लेनी चाहिए। दबाव परीक्षण के परिणामों से रणनीतिक निर्णयन में सहायता मिलनी चाहिए और इससे नयी पूंजी जुटाने या पोजिशन की हेजिंग या बिक्री करने के संबंध में उनकी लागत, जोखिम तथा गति जैसी अवधारणाओं के संबंध में आंतरिक बहस को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। दबाव परीक्षण कार्यक्रम के प्रभावी परिचालन के लिए आवश्यक है कि बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन उसके साथ जुड़े ।

बैंकों की पूंजी आयोजना प्रक्रियाओं में कष्ट साध्य; भविष्यदर्शी दबाव परीक्षण को शामिल किया जाना चाहिए जो बैंकों पर प्रभाव डालने वाली बाजार की परिस्थितियों में संभावित घटनाओं अथवा परिवर्तनों की पहचान करता है । अपने आईसीएएपी के अंतर्गत बैंकों को

विपरीत परिस्थितियों में भावी पूंजी संसाधनों तथा पूंजी अपेक्षाओं की समीक्षा करनी चाहिए । विशेष रूप से बैंकों के पूंजी बफर की पर्याप्तता का मूल्यांकन करते समय भविष्यदर्शी दबाव परीक्षण के परिणामों पर विचार किया जाना चाहिए । पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन विभिन्न प्रकार के अनुपातों जिनमें विनियामक अनुपातों के साथ-साथ पूंजी संसाधनों की बैंकों की आंतरिक परिभाषा पर आधारित अनुपात शामिल हैं, के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए । इसके अलावा, इस बात की संभावना पर भी गौर करना चाहिए कि किसी संकट से बहुत स्वरूप बैंकों की भी उचित लागत पर निधि जुटाने का क्षमता को भंग कर देता है ।

बैंकों को साख, चलनिधि, बाजार तथा अन्य जोखिमों जैसे अन्य जोखिम प्रकारों के रूप में प्रतिष्ठा जोखिम के प्रभाव का आकलन करने के लिए तरीके विकसित करना चाहिए जिनका जोखिम हो सकता है ताकि प्रतिष्ठा से जुड़े नुकसान से बचा जा सके और बाजार का आत्म विश्वास कायम रखा जा सके। नियमित दबाव परीक्षणों में प्रतिष्ठा से जुड़े जोखिम परिदृश्यों को शामिल करके ऐसा किया जा सकता है । उदाहरणार्थ बैंकों के साख, बाजार तथा चलनिधि जोखिम प्रोफाइलों पर गैर-संविदागत तुलनपत्रेतर एक्सपोज़रों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए उन्हें दबाव परीक्षणों में शामिल करना ।

बैंकों को तुलनपत्रेतर संस्थाओं तथा संरचित ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित तीसरी पक्षकार कंपनियों के प्रति प्रतिबद्धताओं से संबंधित जोखिमों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही, उन्हें इस संभावना का भी मूल्यांकन करना चाहिए कि प्रतिष्ठा संबंधी कारणों से आस्तियों को तुलन पत्र पर रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए, बैंकों को अपने दबाव परीक्षण कार्यक्रम में उन सभी परिदृश्यों को शामिल करना चाहिए जो उनकी अपनी वित्तीय चलनिधि तथा विनियामक पूंजी स्थितियों से संबंधित ऐसी संस्थाओं तथा कंपनियों के आकार और उनकी सक्षमता का मूल्यांकन करते है। इस विश्लेषण के अंतर्गत संरचनागत, ऋण शोधन क्षमता, चलनिधि तथा जोखिम के अन्य मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए जिनमें प्रसंविदा और जोखिम के कारणों के प्रभाव का समावेश हो।

13.13 <u>सुदृढ़ क्षतिपूर्ति प्रथाएं</u>

जोखिम प्रबंधन को बैंक संस्कृति में अनिवार्य रूप से समाहित किया जाना चाहिए। रणनीतिक तथा रोजमर्रा के निर्णय लेते समय उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक, मुख्य जोखिम अधिकरी (सीआरओ), वरिष्ठ प्रबंधन, व्यापार डेस्क तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रमुखों तथा कर्मचारियों की निगाह के केंद्र में होना चाहिए। एक व्यापक और सघन जोखिम प्रबंधन संस्कृति के विकसित होने तथा एक लंबे समय तक उसे कायम रखने के लिए क्षतिपूर्ति नीतियों को अनुचित रूप से अल्पकालिक लेखाकरण लाभ के अवसर पैदा करने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। क्षतिपूर्ति नीतियों को दीर्घकालिक पूंजी संरक्षण तथा कंपनी की

वित्तीय सामर्थ्य से जुड़ी होनी चाहिए और उनमें जोखिम व्यवस्थित कार्य निष्पादन संबंधी उपायों का उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को अपने स्टेकधारकों के समक्ष अपनी क्षतिपूर्ति नीतियों का पर्याप्त प्रकटीकरण करना चाहिए। बैंकों के निदेशक मंडलों तथा वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वे वेतन नीतियों के पैदा होने वाले जोखिमों को कम करें ताकि समूची कंपनी के स्तर पर जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

विशाल वित्तीय कंपनियों में क्षतिपूर्ति प्रथाएं उन तमाम कारकों में से एक कारक रही हैं जिनके कारण 2009 में वित्तीय संकट की शुरुआत हुई थी। उच्च स्तर के अल्पकालिक लाभ के फलस्वरूप कर्मचारियों को इस बात पर पर्याप्त सोच-विचार किए बिना मुक्तहस्त बोनस का भुगतान किया गया कि इससे उनकी कंपनियों को दीर्घकालिक जोखिम उठाना पड़ा। इस प्रकार के आर्थिक प्रोत्साहनों के चलते जोखिम आमंत्रण के अतिरेक में तेजी आ गई। इसी अतिरेकी जोखिम आमंत्रण ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली की चूलें हिला दी हैं और बदहाल कंपनियों के पास इतना भी संसाधन नहीं छोड़ा कि वे जोखिम उभरने पर नुकसान को सह सके । जोखिम के प्रति सजगता की कमी के कारण भी उद्योग में भारी तथा कुछ मामलों में आत्यांतिक और चरम स्तर की क्षतिपूर्ति भी हुई। इसके परिणामस्वरूप व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण कंपनियों के लिए इस क्षेत्र में क्षतिपूर्ति प्रथाओं में सुधार लाने और पर्यवेक्षण को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (पूर्व में वित्तीय स्थिरता फोरम) ने अप्रैल 2009 में सुदृढ़ क्षतिपूर्ति प्रथाओं के लिए अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए।

बैंकों के निदेशक मंडल को क्षतिपूर्ति प्रणाली के स्वरूप तथा उसके परिचालन की सक्रियतापूर्वक चौकसी करनी चाहिए जिसे मुख्य रूप से मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा प्रबंध दल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। संबंधित बोर्ड सदस्यों तथा कर्मचारियों को जोखिम प्रबंधन तथा क्षतिपूर्ति के मामले में स्वतंत्र और पारंगत होना चाहिए। इसके अलावा, निदेशक मंडील को क्षतिपूर्ति प्रणाली की निगरानी और उसकी समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रणाली में पर्याप्त नियंत्रण मौजूद हैं और वह अपेक्षा के अनुरूप काम कर रही है। नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली के व्यावहारिक परिचालन की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। प्रयोजनों की लगातार पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति के निष्कर्षों, जोखिम-मूल्यांकन तथा जोखिम परिणामों की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए।

वित्तीय तथा जोखिम नियंत्रण क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारियों को स्वतंत्र होना चाहिए और उनके पास समुचित प्राधिकार होना चाहिए और उन्हें दी जान टवाली क्षतिपूर्ति उनकी देखरेख में आने वाले व्यवसाय क्षेत्रों से मुक्त होना चाहिए और कंपनी में उनकी प्रमुख भूमिका के अनुरूप होनी चाहिए । आर्थिक क्षतिपूर्ति पर वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन के प्रभाव की

शुद्धता को बचाए रखने के लिए ऐसे कर्मचारियों की प्रभावी स्वतंत्रता तथा समुचित प्राधिकार आवश्यक है ।

क्षतिपूर्ति का समायोजन सभी प्रकार के जोखिमों के साथ किया जाना चाहिए ताकि वेतन को अर्जित लाभ तथा लाभ पैदा करने में कल्पित जोखिम की मात्रा के बीच संतुलित किया जा सके । सामान्यतः उपयुक्त जोखिम समायोजनों का निर्धारण करने में परिमाणात्मक उपायों तथा माननीय न्याय दोनों की एक भूमिका होती है । इनमें वे जोख्मि भी शामिल हैं जिनका निर्धारण करना कठिन है जैसे चलनिधि जोखिम तथा प्रतिष्ठा जोखिम ।

क्षतिपूर्ति के निष्कर्षों को जोखिम परिणामों के तदनुरूप होना चाहिए और क्षतिपूर्ति प्रणालियों को बोनस पूल के आकार को कंपनी के संपूर्ण कार्यनिष्पादन से जोड़ देना चाहिए । कर्मचारियों के आर्थिक भुगतान को प्रत्येक कर्मचारी के योगदान तथा कंपनी के संपूर्ण कार्यनिष्पादन के व्यवसाय से जोड़ देना चाहिए ।

क्षतिपूर्ति भुगतान का कार्यक्रम जोखिम के समय-चक्र के प्रति संवेदनशील होना चाहिए । किसी वित्तीय कंपनी में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लाभ और हानियों का अहसास अलग-अलग समय में होता है । गतिशील क्षतिपूर्ति भुगतानों को भी तदनुसार आस्थगित किया जाना चाहिए । जब जोखिमों का अहसास लंबे समय तक होता हो तो भुगतान को कम समय के लिए अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए । प्रबंधन को आय के लिए भुगतान पर सवाल करना चाहिए जिसकी वसूली नहीं की जा सकती अथवा भुगतान के समय वसूली की संभावना अनिश्चित बनी रहती है ।

नकदी, इक्विटी तथा अन्य प्रकार क्षतिपूर्तियों के संग्रह को जोखिम समेकन के अनुरूप होना चाहिए । यह संग्रह कर्मचारी की स्थिति तथा उसकी भूमिका के आधार पर बदलता है । कंपनी को अपने संग्रह के संबंध में उसके औचित्य का स्पष्टीकरण देना चाहिए । भारतीय रिज़र्व बैंक क्षतिपूर्ति प्रथाओं की समीक्षा कड़ाई से और लगातार करेगा और यदि कोई कमी होगी तो समुचित पर्यवेक्षी कार्रवाई के द्वारा तत्काल उसका समाधान किया जाएगा ।

13.14 ऊपर जिन जोखिम घटकों की चर्चा की गयी है उन्हें किसी बैंक को प्रभावित करने वाले जोखिमों की <u>परिपूर्ण सूची नहीं माना जाना चाहिए।</u> किसी भी सुविकसित आइसीएएपी में उन सभी प्रासंगिक घटकों को शामिल किया जाना चाहिए जो पूंजी के लिए जोखिम के महत्वपूर्ण कारण बन सकते हैं। इसके अलावा बैंकों को प्रत्येक जोखिम श्रेणी में उत्पन्न हो सकने वाले जोखिम संकेंद्रण के पूंजी पर्याप्तता पर पड़नेवाले प्रभाव के संबंध में सचेत रहना चाहिए ।

13.15 आइसीएएपी में गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोण

(क) जोखिम की सभी मापों में गुणात्मक और मात्रात्मक तत्व रहते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो बैंक की माप प्रणाली मात्रात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। कुछ मामलों में मात्रात्मक साधनों में विशाल ऐतिहासिक आँकड़ों का प्रयोग शामिल हो सकता है, लेकिन यदि आंकड़े कम हों तो बैंक दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण के प्रयोग पर अधिक निर्भर रह सकता है। बैंकों को जोखिम की माप करते समय यह समझना चाहिए कि माप में त्रुटि हमेशा होती है और कभी-कभी त्रुटि को भी मात्रात्मक रूप देना कठिन होता है। सामान्य रूप से, मॉडल बनाने और कारोबारी जटिलता से संबंधित अनिश्चितता में वृद्धि होने से पूंजी समर्थन में वृद्धि होनी चाहिए।

(ख) बजट बनाने, भविष्यवाणी करने या कार्यनिष्पादन की माप करने के लिए अधिक संभावित परिणामों पर केंद्रित मात्रात्मक दृष्टिकोण पूंजी पर्याप्तता के लिए पूरी तरह प्रयोज्य नहीं हो सकते हैं क्योंकि आइसीएएपी में कम संभव घटनाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए । दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण ऐसी घटनाओं के परिणाम का अनुमान लगाने में प्रभावी हो सकते हैं, जिनकी संभावना कम है लेकिन जिनका बैंक की सुरक्षा और सुदृढ़ता पर भारी प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) जोखिमों को जिस सीमा तक मात्रात्मक साधनों से विश्वसनीय रीति से माप नहीं जा सकता - उदाहरण के लिए, जहाँ जोखिमों की माप कम आँकड़ों अथवा असिद्ध मात्रात्मक विधियों पर आधारित हो - वहाँ, उस सीमा तक, अनुभव और निर्णय सहित गुणात्मक साधनों का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। बैंकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि गुणात्मक दृष्टिकोण के अपने पूर्वाग्रह और मान्यताएँ हैं जो जोखिम मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। अतः बैंकों को प्रयुक्त गुणात्मक दृष्टिकोण में अंतर्निहित पूर्वाग्रह और मान्यताओं की तथा इस दृष्टिकोण की सीमाओं की पहचान करनी चाहिए।

13.16 जोखिम समूहन और विविधीकरण प्रभाव

(क) एक प्रभावी आइसीएएपी को पूरे बैंक में व्याप्त जोखिमों का आकलन करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जोखिमों या कारोबार क्षेत्रों में जोखिम समूहन करने वाले बैंक को ऐसे समूहन की चुनौती समझनी चाहिए। इसके अलावा, जोखिमों का समूहन करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए एक से अधिक जोखिम आयामों में व्याप्त संभावित संकेद्रणों पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि एक ही घटना या एक ही प्रकार के घटकों से एक ही समय विभिन्न जोखिम आयामों में हानि हो सकती है । उदाहरण के लिए किसी एक स्थान पर

प्राकृतिक आपदा एक ही समय ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों से हानि उत्पन्न कर सकती है।

(ख) विविधीकरण के संभावित प्रभाव पर विचार करते समय प्रबंध तंत्र को प्रलेखीकरण संबंधी निर्णयों में तथा जोखिम समूहन के प्रत्टयक स्तर में पूर्वधारणाओं की पहचान करने में सुव्यवस्थित और सटीक होना चाहिए। विविधीकरण संबंधी पूर्वधारणाएँ विश्लेषण और प्रमाण से समर्थित होनी चाहिए। बैंक के पास ऐसी प्रणालियाँ होनी चाहिए जो बैंक की चुनिंदा पद्धति के आधार पर जोखिम समूहन कर सके। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकारों के जोखिमों के बीच अंतर्संबंध की गणना करते समय बैंक को विस्तृत अवधि में तथा कठिन बाजार परिस्थितियों में अंतर्संबंधों की अस्थिरता, आँकड़ों की गुणवत्ता और सुसंगति पर विचार करना चाहिए।

<u>भाग - ग : बाज़ार अनुशासन</u>

14. बाजार अनुशासन के लिए दिशानिर्देश

14.1 सामान्य

14.1.1 संशोधित ढांचे में बाज़ार अनुशासन (स्तम्भ 3 में वर्णित) का प्रयोजन है न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं (स्तम्भ 1 में दिए गए अनुसार) तथा पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (स्तम्भ 2 में वर्णित) को पूरा करना। उसका उद्देश्य है, प्रकटीकरण अपेक्षाओं की एक सूची विकसित कर बाज़ार अनुशासन को प्रोत्साहित करना जिससे बाज़ार सहभागी संस्था के एप्लिकेशन, पूंजी, जोखिम एक्सपोज़र, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं की व्याप्ति संबंधी मुख्य तथा महत्वपूर्ण सूचना तथा इस प्रकार संस्था की पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन कर सकेंगे।

14.1.2 सिद्धांततः, बैंक के वरिष्ठ प्रबंध तंत्र तथा निदेशक मंडल बैंक के जोखिमों का जिस प्रकार मूल्यांकन तथा प्रबंधन करते हैं, बाक का प्रकटीकरण उसी के अनुसार होना चाहिए । स्तम्भ 1 के अंतर्गत बैंक अपने विभिन्न जोखिमों तथा परिणामी पूंजी अपेक्षाओं की गणना के लिए विनिर्दिष्ट दृष्टिकोण/पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। यह माना जाता है कि समान ढांचे पर आधारित प्रकटीकरण देना, बैंक के उन जोखिमों के प्रति एक्सपोज़र के बारे में बाज़ार को सूचित करने का प्रभावी तरीका है तथा यह एक सुसंगत तथा व्यापक प्रकटीकरण ढांचा प्रदान करता है जो तुलनात्मकता को बढाता है।

14.2 उपयुक्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करना

14.2.1 बाज़ार अनुशासन सुरक्षित तथा स्वस्थ बैंकिंग परिवेश बनाने में सहायक हो सकता है। अतः, निर्धारित प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन न करने पर दंड हो सकता है, जिसमें वित्तीय दंड शामिल है। तथापि नीचे दर्शाए गए को छोड़कर, यह उद्देश्य नहीं है कि प्रकटीकरण के अभाव के प्रत्युत्तर में प्रत्यक्ष अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाएं की जाएगी।

14.2.2 सामान्य हस्तक्षेप उपायों के अतिरिक्त, संशोधित ढांचा में विनिर्दिष्ट उपायों की भी भूमिका है। जहां प्रकटीकरण, निम्नतर जोखिम भार प्राप्त करने तथा/ अथवा विनिर्दिष्ट पद्धतियों को लागू करने के लिए स्तम्भ 1 के अंतर्गत अर्हक मानदंड है वहां ऐसा नहीं करने पर प्रत्यक्ष शास्ति (सैंक्शन) (निम्नतर जोखिम भार अथवा विनिर्दिष्ट पद्धति को लागू करने की अनुमति नहीं देना) होगी।

14.3 लेखांकन प्रकटीकरण के साथ संबंध

यह माना गया है कि स्तम्भ 3 का प्रकटीकरण ढांचा अधिक व्याप्ति वाले लेखांकन मानकों की अपेक्षाओं के विरुद्ध नहीं है। बीसीबीएस ने यह सुनिश्चित करने के काफी प्रयास किए हैं कि स्तम्भ 3 का सीमित उद्देश्य, जो कि बैंक की पूंजी पर्याप्तता का प्रकटीकरण है, व्यापक लेखांकन अपेक्षाओं के विरोध में नहीं है। रिज़र्व बैंक, इस क्षेत्र की अपनी निरंतर निगरानी तथा औद्योगिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में बाज़ार अनुशासन प्रकटीकरणों में भावी संशोधनों पर विचार करेगा।

14.4 प्रकटीकरणों की व्याप्ति तथा बारंबारता

14.4.1 समेकित बैंकों सहित सभी बैंकों को सभी स्तम्भ 3 प्रकटीकरण गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों, वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में प्रदान करना चाहिए । स्तम्भ 3 में प्रकटीकरण तक पहुंच को आसान करने की दृष्टि से बैंक अपने वार्षिक प्रकटीकरण अपने वार्षिक रिपोर्टों तथा अपनी संबंधित वेबसाइट्स दोनों पर करें। रु.100 करोड़ अथवा उससे अधिक पूंजी निधि वाले बैंकों को प्रति वर्ष सितंबर के अंत में अपनी संबंधित वेबसाइट्स पर स्टैण्ड-एलोन आधार पर मात्रात्मक पहलुओं पर आंतरिम प्रकटीकरण करना चाहिए। बैंक के जोखिम प्रबंधन उद्देश्य तथा नीतियें, रिपोर्टिंग प्रणाली तथा परिभाषाओं को साधारणतः संक्षेप में प्रस्तुत करने वाले गुणात्मक प्रकटीकरण केवल वार्षिक आधार पर प्रकाशित किए जाएं।

14.4.2 संशोधित ढांचे की वर्धित जोखिम संवेदनशीलता तथा पूंजी बाज़ारों में अधिक बार रिपोर्ट करने की सामान्य प्रवृत्ति को मान्यता देते हुए रु. 500 करोड़ अथवा उससे अधिक पूंजी निधियों वाले सभी बैंकों तथा उनके महत्वपूर्ण सहायक बैंकों को अपनी टीयर 1 पूंजी, कुल पूंजी, कुल अपेक्षित पूंजी तथा टीयर 1 अनुपात तथा कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अपने संबंधित वेबसाइट्स पर तिमाही आधार पर प्रकट करना चाहिए।

14.4.3 वेबसाइट्स पर प्रकटीकरण `बासेल II प्रकटीकरण' शीर्षक वाले वेब पेज पर किया जाए तथा इस पेज तक पहुंचने का लिंक बैंक की वेबसाइट के होम पेज पर स्पष्टतः दिया जाए। किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित प्रत्येक प्रकटीकरण तीसरे अनुवर्ती वार्षिक (मार्च अंत) प्रकटीकरण[33] किए जाने तक वेबसाइट्स पर उपलब्ध होना चाहिए।

---

[33] उदाहरण : 31 मार्च 2009 (अर्थात् जून /सितंबर/दिसंबर 2008 तथा मार्च 2009 को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के प्रकटीकरण, 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार प्रकटीकरण तक उपलब्ध होनी चाहिए।

14.5 वैधीकरण

इस प्रकार के प्रकटीकरणों का पर्याप्त वैधीकरण किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, चूंकि वार्षिक वित्तीय विवरणों में दी गयी जानकारी सामान्यतः लेखा परीक्षित होती है इसलिए ऐसे विवरणों के साथ प्रकाशित अतिरिक्त सामग्री भी लेखा परीक्षित विवरणों से सुसंगत होनी चाहिए। इसके अलावा, जो अनुपूरक सामग्री (जैसे प्रबंध तत्र की चर्चा तथा विश्लेषण) प्रकाशित की गयी है उसकी भी वैधीकरण मामले के समाधान के लिए पर्याप्त संवीक्षा (उदा. आंतरिक नियंत्रण मूल्यांकन आदि) की जानी चाहिए। वैधीकरण व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई सामग्री प्रकाशित नहीं की गयी है, जैसे किसी स्टैण्ड एलोन रिपोर्ट में अथवा वेबसाइट पर किसी भाग के रूप में, तो प्रबंध तंत्र को सुनिश्चित करना चाहिए कि नीचे दिए गए सामान्य प्रकटीकरण सिद्धांत के अनुसार जानकारी का उचित सत्यापन किया जाता है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में स्तम्भ 3 के प्रकटीकरणों की बाह्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि ऐसा विनिर्दिष्ट न किया गया हो ।

14.6 महत्ता

बैंक को महत्ता की संकल्पना के आधार पर अपने लिए महत्वपूर्ण प्रकटीकरण निश्चित करने होंगे। उस जानकारी को महत्वपूर्ण समझा जाएगा, जिसके न होने अथवा जिसके संबंध में गलत वक्तव्य देने से आर्थिक निर्णय लेने के प्रयोजन के लिए उस जानकारी पर निर्भर करनेवाले उपयोगकर्ता के मूल्यांकन अथवा निर्णय में परिवर्तन हो सकता है अथवा वह प्रभावित हो सकता है। यह परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों तथा राष्ट्रीय लेखांकन ढांचे से सुसंगत है। रिज़र्व बैंक किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में वित्तीय जानकारी का उपयोगकर्ता उस मद को महत्वपूर्ण (यूजर टेस्ट) समझेगा अथवा नहीं, इसके लिए गुणात्मक निर्णयक्षमता की आवश्यकता को मानता है। रिज़र्व बैंक प्रकटीकरण के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझता है क्योंकि यूज़र टेस्ट पर्याप्त प्रकटीकरण प्राप्त करने के लिए एक उपयागी न्यूनतम मानंदड है। तथापि बैंक बृहत्तर प्रकटीकरण आसानी से कर सकें इस दृष्टि से तथा बैंक के स्तम्भ 3 प्रकटीकरणों के बीच अधिक तुलनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कुछ सीमित प्रकटीकरणों के लिए महत्वपूर्णता की आरंभिक सीमाएं निर्धारित की गई हैं। उपर्युक्त के बावजूद, बैंकों को इन विनिर्दिष्ट प्रकटीकरणों पर यूजर टेस्ट लागू करने तथा जहां आवश्यक समझा जाए वहां निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से नीचे भी प्रकटीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

14.7 स्वामित्व संबंधी (प्रोप्राइटरी) तथा गोपनीयता संबंधी सूचना

स्वामित्व संबंधी सूचना (उदा. उत्पादनों अथवा प्रणालियों के संबंध में) ऐसी सूचना/जानकारी है जिसे यदि प्रतियोगियों के साथ बांटा जाए तो इन उत्पादनों /प्रणालियों में बैंक के निवेश का मूल्य कम मूल्यवान हो जाएगा तथा इसलिए उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कमज़ोर हो

जाएगी। ग्राहकों से संबंधित जानकारी ज्यादातर गोपनीय होती क्योंकि वह विधिक करार अथवा काउंटरपार्टी संबंध की शर्त पर प्रदान की जाती है। इसका प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि बैंक अपने ग्राहकों से संबंधित जानकारी तथा अपनी आंतरिक व्यवस्था के ब्यौरे, यथा, प्रयुक्त पद्धतियां, मानदंड अनुमान, आंकड़े आदि में से क्या जानकारी दे । रिज़र्व बैंक का मानना है कि नीचे निर्धारित की गयी अपेक्षाएं अर्थपूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता तथा स्वामित्व तथा गोपनीयता संबंधी जानकारी के बीच उचित संतुलन स्थापित करती हैं ।

14.8 सामान्य प्रकटीकरण सिद्धांत

बैंकों के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित औपचारिक प्रकटीकरण नीति होनी चाहिए जिसमें बाक द्वारा किये जानेवाले प्रकटीकरण के निर्धारण के संबंध में बैंक का दृष्टिकोण तथा प्रकटीकरण प्रक्रिया पर आंतरिक नियंत्रण के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया हो । इसके अलावा, बैंकों को अपने प्रकटीकरण के औचित्य, जिसमें वैधीकरण तथा बारंबारता शामिल है, के मूल्यांकन के लिए एक प्रक्रिया लागू करनी चाहिए।

14.9 मानदंड लागू करने का दायरा

जिस बैंकिंग समूह पर ढांचा लागू होता है (जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफ 3 मानदंड लागू करने का दायरा के अंतर्गत दर्शाया गया है) उसके सर्वोच्च समेकित स्तर पर स्तम्भ 3 लागू होता है। समूहों के भीतर अलग-अलग बैंकों से संबंधित प्रकटीकरण सामान्यतः मूल बैंक द्वारा किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका अपवाद सर्वोच्च समेकित संस्था द्वारा कुल तथा टीयर 1 पूंजी अनुपातों का प्रकटीकरण है जहां समूह के भीतर निधियों अथवा पूंजी के अंतरण पर ढांचे तथा अन्य प्रयोज्य सीमाओं का इन अनुषंगी कंपनियों द्वारा अनुपालन करने की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए समूह के भीतर महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगी कंपनियों का विश्लेषण उचित होता है। स्तम्भ 3 के प्रकटीकरण अलग-अलग बैंकों द्वारा स्टैण्ड एलोन आधार पर तब किए जाएंगे जब वे बैंकिंग समूह में सर्वोच्च समेकित संस्था नहीं हैं।

14.10 प्रकटीकरण की प्रभावी तारीख

इन दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें से पहला प्रकटीकरण प्रभावी तारीख अर्थात् 31 मार्च 2008 अथवा 2009 जैसी स्थिति हो, को किया जाएगा। तथापि, बैंकों को उक्त तारीख से पहले ही स्तम्भ 3 के प्रकटीकरण प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

14.11 पिलर III में संशोधन [34]

14.11.1. सार्वजनिक प्रकटीकरण में पायी गई कमियों के कारण तथा मुख्य प्रकटीकरण प्रथाओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात् बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति ने वर्तमान पिलर 3 अपोक्षाओं को संशोधित करने का निर्णय लिया है । बैंकों को 31 मार्च 2010 तक इन संशोधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना है । ये वर्धित अपेक्षाएं अधिक मजबूत पिलर 3 अपेक्षाओं के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार में भी हैं और प्रकटीकरण प्रथाओं के संबंध में वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के दल के विश्लेषण को भी ध्यान में लेती हैं ।

14.11.2. पिलर 3 संशोधनों में उन प्रकटीकरण अपेक्षाओं को शामिल किया गया है, जो पिलर 1 के अंतर्गत पूंजीगत अपेक्षाओं की गणना करने के लिए विशिष्ट रूप से आवश्यक नहीं हैं। तथापि, इस जानकारी से बाजार के प्रतिभागियों को किसी संस्था के समग्र जोखिम प्रोफाइल को बेहतर रीति से समझने में मदद मिलेगी । इन वर्धित प्रकटीकरण अपेक्षाओं से बैंकों के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों से संबंधित तुलनपत्रों की मजबूती के बारे में बाजार अनिश्चितताओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा ।

14.11.3. यह नोट किया जाए कि नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अंतर्गत निर्धारित की गई प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अलावा बैंकों पर बाजार प्रतिभागियों को अपना वास्तविक जोखिम प्रोफाइल बता देने का दायित्व है । बैंक जो जानकारी प्रकट करेंगे वह इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए ।

14.11.4. भारत में कार्यरत बैंकों को निम्नलिखित क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रकटीकरण करना चाहिए :

(i) खरीद-बिक्री बही में प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र;
(ii) तुलन पत्रेतर एसपीवी का प्रायोजन;
(iii) प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों के संबंध में मूल्यांकन; तथा
(iv) प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के संबंध में प्रक्रियाधीन (पाइपलाइन) तथा माल गोदामी (वेयरहाउसिंग) जोखिम

14.12 प्रकटीकरण अपेक्षाएं

निम्नलिखित खंडों में सारणी के रूप में स्तम्भ 3 के अंतर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाएं दी गयी है अतिरिक्त परिभाषाएं तथा स्पष्टीकरण पाद टिप्पणियों में दिए गए हैं।

---

[34] 8 फरवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010

सारणी डीएफ - 1 : लागू किये जाने का दायरा

गुणात्मक प्रकटीकरण (क) जिस समूह पर ढांचा लागू होता है उसमें सर्वोच्च बैंक का नाम (ख) लेखांकन तथा विनियामक प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार में भिन्नताओं की रूपरेखा और समूह के भीतर उन संस्थाओं[35] का संक्षिप्त वर्णन जो कि i) पूर्णतः समेकित[36] हैं; ii) आनुपातिक आधार पर समेकित[37] हैं; iii) कटौती की गयी है; तथा iv) न ही समेकित हैं और न ही जिनके संबंध में कटौती की गई है (उदा. जहां निवेश जोखिम भारित हैं)
मात्रात्मक प्रकटीकरण (ग) समेकन में शामिल नहीं की गयी सभी सहायक कंपनियों में पूंजीगत अपूर्णता[38] की कुल राशि अर्थात् उनकी कटौती की गयी है तथा ऐसी अनुषंगी कंपनियों का /के नाम। (घ) बीमा कंपनियों में बैंक के कुल हित की कुल राशि जो कि जोखिम भारित[39] है । (उदा. वर्तमान बही मूल्य)। इन बीमा कंपनियों के नाम, उनके निगमन का अथवा निवासी देश, स्वामित्व हित का अनुपात तथा भिन्न होने की स्थिति में इन कंपनियों में मताधिकार का अनुपात भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इस पद्धति का प्रयोग करने के बदले कटौती करने से विनायमक पूंजी पर होने वाले मात्रात्मक प्रभाव को दर्शाएं।

[35] संस्था = प्रतिभूति, बीमा तथा अन्य वित्तीय सहायक कंपनियों, वाणिज्यिक सहायक कंपनियां, बीमा वित्तीय तथा वाणिज्यिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण अल्प मत इक्विटी निवेश ।

[36] अर्थात् समेकित लेखांकन में अनुषंगी कंपनियां उदा. एएस (लेखांकन मानक) 21 ।

[37] अर्थात् समेकित लेखांकन में संयुक्त उद्यम उदा. एएस 27.

[38] विनियामक पूंजीगत अपेक्षा से वास्तविक पूंजी जितनी कम है वह राशि पूंजीगत अपूर्णता है। कोई भी कमी जिन्हें ऐसी अनुषंगी कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त समूह स्तर पर घटाया गया है, को कुल पूंजीगत त्रुटि में शामिल नहीं किया जाना है।

[39] देखें पैराग्राफ 3

सारणी डीएफ - 2

पूंजी ढांचा गुणात्मक प्रकटीकरण (क) सभी पूंजीगत लिखतों विशेषतः टीयर 1 अथवा अपर टीयर II में शामिल किए जाने के लिए पात्र पूंजीगत लिखतों के मामले में उनके प्रमुख तत्वों की शर्तों से संबंधित संक्षिप्त जानकारी
मात्रात्मक प्रकटीकरण (ख) टीयर 1 पूंजी की राशि, जिसमें निम्नलिखित का अलग प्रकटीकरण है : • प्रदत्त शेयर पूंजी; • प्रारक्षित निधियां; • नवोन्मेषी लिखत;[40] • अन्य पूंजीगत लिखत; • टीयर 1 पूंजी से घटाई गयी राशियां जिनमें गुडविल तथा निवेश शामिल हैं (ग) टीयर II पूंजी की कुल राशि (टीयर II पूंजी से कटौतियों को घटाकर) (घ) अपर टीयर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत • कुल बकाया राशि • उसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाई गयी राशि • पूंजीगत निधियों के रूप में गणना करने के लिए पात्र राशि (ङ.) लोअर टीयर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र अधीनस्थ ऋण • कुल बकाया राशि • उसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाई गयी राशि • पूंजीगत निधियों के रूप में गणना करने के लिए पात्र राशि (च) पूंजी में से अन्य कटौतियां, यदि कोई हैं। (छ) कुल पात्र पूंजी

[40] नवान्मेषी निरंतर ऋण लिखत (अथवा समान कार्रवाई के लिए पात्र विदेशी बैंकों के मुख्य कार्यालय उधार) तथा लिखत के कोई अन्य प्रकारमसय-समय पर अनुमति दी जा सकती है।

सारणी डीएफ - 3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण (क) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों के समर्थन के लिए अपनी पूंजी की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षिप्त चर्चा
मात्रात्मक प्रकटीकरण (ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत अपेक्षाएं • मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभाग • प्रतिभूतिकरण एक्सपाज़र्स
(ग) बाज़ार जोखिम के लिए पूंजीगत अपेक्षाएं • मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण - ब्याज दर जोखिम - विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) - ईक्विटी जोखिम
(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत अपेक्षाएं : • मूल निर्देशक दृष्टिकोण
(ङ) कुल तथा टीयर 1 पूंजी अनुपात • सर्वोच्च समेकित समूह के लिए; तथा • महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगी कंपनियों (ढांचे को लागू किए जाने के आधार पर स्टैण्ड एलोन अथवा उप समेकित) के लिए।

14.13 जोखिम एक्सपोज़र और मूल्यांकन

बाज़ार के सहभागी किसी संस्था का मूल्यांकन करते समय बैंक के जोखिमों और उन जोखिमों का पता लगाने, उनका मापन करने, निगरानी करने तथा नियंत्रण करने के लिए बैंक द्वारा प्रयुक्त तकनीकों पर विचार करते हैं। इस खंड में कई महत्वपूर्ण बैंकिंग जोखिमों पर विचार किया गया है : ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, और बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम । इस भाग में ऋण जोखिम कम करने संबंधी तथा परिसंपत्ति के प्रतिभूतीकरण संबंधी प्रकटीकरण का भी समावेश है। ये दोनों संस्था का जोखिम प्रोफाइल परिवर्तित करते हैं। विनियामक पूंजी के मूल्यांकन के लिए विभिन्न

दृष्टिकोनों का उपयोग करने वाले बैंकों के लिए जहां लागू हो, अलग प्रकटीकरण का वर्णन किया गया है ।

14.14 सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा

प्रत्येक अलग जोखिम क्षेत्र (अर्थात् ऋण, बाज़ार, परिचालन, बैंकिंग बही ब्याज दर जोखिम) के लिए बैंकों को अपने जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों और नीतियों का वर्णन करना होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो;

(i) कार्यनीतियां और प्रक्रियाएं;

(ii) संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा और गठन;

(iii) जोखिम रिपोर्टिंग और /या मापन प्रणाली का दायरा और स्वरूप;

(iv) जोखिम बचाव और/या उसे कम करने के लिए नीतियां और बचाव/कम करने वाले कारक की निरंतर कारगरता की निगरानी करने के लिए कार्यनीतियाँ और प्रक्रिया ।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम के सामान्य प्रकटीकरण से बाज़ार के सहभागियों को समग्र ऋण एक्सपोज़र के संबंध में जानकारी मिलती है और यह आवश्यक नहीं है कि यह विनियामक प्रयोजनों के लिए तैयार की गई जानकारी पर अनिवार्यतः आधारित हो । पूंजी मूल्यांकन तकनीकों संबंधी प्रकटीकरण, एक्सपोज़र के विशिष्ट स्वरूप, पूंजी मूल्यांकन के साधन और प्रकट की गई जानकारी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने हेतु डाटा संबंधी जानकारी देते हैं।

सारणी डीएफ - 4

ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण (क) ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा (पैरा 10.13) में निम्नलिखित शामिल हैं : • विगत देय और क्षतिग्रस्त (लेखाकंन प्रयोजनों के लिए) की परिभाषाएं; • बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति की चर्चा;
मात्रातक प्रकटीकरण (ख) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपाज़र[41], निधि आधारित और निधीतर आधारित अलग से। (ग) एक्सपोज़रों का भौगोलिक वितरण[42], निधि आधारित और निधीतर आधारित अलग से • ओवरसीज • देशी (घ) एक्सपोज़रों का उद्योग[43] के प्रकार के अनुसार वितरण, निधि आधारित और निधीतर आधारित अलग से (ङ) परिसंपत्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विश्लेषण,[44] (च) अनर्जक परिसंपत्तियों की राशि (सकल) • अवमानक • संदिग्ध 1 • संदिग्ध 2 • संदिग्ध 3 • हानि

[41] अर्थात् लागू लेखांकन प्रणाली के अनुसार प्रतिसंतुलन (ऑफसेट) को हिसाब में लेने के बाद और ऋण जोखिम कम करने के तकनीकों, उदाहरणार्थ, संपार्श्विक और नेटिंग के परिणामों को हिसाब में लिए बगैर ।

[42] अर्थात् एएस 17 के अनुपालन के लिए अपनाई गई खंड रिपोर्टिंग के लिए यथा स्वीकृत आधार पर।

[43] उद्योगों का ब्यौरा डीएसबी विवरणियों के लिए यथा विनिर्दिष्ट ब्यौरे की ही तरह दिया जाए। यदि किसी विशिष्ट उद्योग का एक्सपोज़र उक्त (ख) के अंतर्गत गणना किए गए अनुसार सकल ऋण एक्सपोज़र के 5% से अधिक है तो वह अलग प्रकट किया जाए।

[44] एएलएम विवरणियों में पोज़िशन की रिपोर्टिंग के लिए उपयोग में लाए जानेवाले परिपक्वता बैंड का ही बैंक उपयोग करेंगे।

(छ) निवल अनर्जक परिसंपत्तियां

(ज) अनर्जक परिसंपत्ति अनुपात

- सकल अग्रिमों के प्रति सकल अनर्जक परिसंपत्तियां
- निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक परिसंपत्तियां

(झ) अनर्जक परिसंपत्त्यों (सकल) की घट-बढ़

- प्रारंभिक शेष
- जोड़
- कटौतियां
- इति शेष

(ञ) अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए किए गए प्रावधानों में घट-बढ़

- प्रारंभिक शेष
- संबंधित अवधि में किए गए प्रावधान
- बट्टे खाते
- अतिरिक्त प्रावधानों को निकाल देना
- इति शेष

(ट) अनर्जक निवेशों की राशि

(ठ) अनर्जक निवेशों के लिए रखे गए प्रावधानों की राशि

(ड) निवेशों पर मूल्यॅास के लिए रखे गए प्रावधानों की राशि

- प्रारंभिक शेष
- संबंधित अवधि में किए गए प्रावधान
- बट्टे खाते
- अतिरिक्त प्रावधानों को निकाल देना
- इति शेष

सारणी डीएफ - 5

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण (क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए : • प्रयुक्त ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सियों के नाम, तथा यदि कोई परिवर्तन है तो उसके कारण; • एक्सपोज़रों के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया; और • सार्वजनिक निर्गम पात्रता निर्धारणों को बैंकिंग बही में तुलनीय परिसंपत्तियों पर अंतरित करने हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया का वर्णन;
मात्रात्मक प्रकटीकरण (ख) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम कम करने के बाद एक्सपोज़र[45] की राशियों के लिए, निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों में बैंक की बकाया (पात्रता निर्धारण किए तथा पात्रता निर्धारण न किए) राशि तथा वे जिनकी कटौती की गयी है; • 100% जोखिम भार से नीचे • 100% जोखिम भार • 100% से अधिक जोखिम भार • कटौती की गई

[45] सारणी 4 में प्रकटीकरण के लिए यथा परिभाषित

सारणी डीएफ - 6

ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोणों के लिए प्रकटीकरण[46]

गुणात्मक प्रकटीकरण (क) ऋण जोखिम कम करने के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा (पैरा 10.13) में निम्नलिखित शामिल हैं : • ***बैंक किस हद तक तुलन पत्र और तुलनपत्रेतर नेटिंग का प्रयोग करते हैं उसके संबंध में नीतियां और प्रक्रियाएं*** • संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं; • बैंक द्‌वारा ली गई संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का वर्णन; • गारंटीकर्ता काउंटर पार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी विश्वसनीयता; और • जोखिम कम करने हेतु किए गए उपायों में (बाज़ार या ऋण) जोखिम संकेंद्रणों के संबंध में जानकारी
मात्रात्मक प्रकटीकरण *(ख) अलग से प्रकट किये गये प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोज़र (जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलन पत्रेतर नेटिंग के बाद) जिसे हेयरकट लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्‌वारा कवर किया गया हो ।* *(ग) अलग से प्रकट किये गये प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोज़र (जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलनपत्रेतर नेटिंग के बाद) जो गारंटी/ऋण डेरिवेटिव (जहां भारतीय रिज़र्व बैंक की विनिर्दिष्ट अनुमति हो)द्‌वारा कवर हो*

[46] कम-से-कम, बैंकों को इस ढांचे के अंतर्गत पूंजी की आवश्यकताएं कम करने के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम कम करने वाले कारकों के संबंध में इस सारणी में प्रकटीकरण देने होंगे। जहां संगत हो, बैंकों को, जोखिम कम करनेवाले उन कारकों के बारे में और जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिन्हें उस प्रयोजन के लिए अभिनिर्धारित नहीं किया गया है।

सारणी डीएफ - 7[47]

प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र : मानकीकृत विधि के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क)	प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्म्क प्रकटीकरण जिसमें निम्नलिखित की चर्चा हो : • प्रतिभूतिकरण गतिविधि के संबंध में बैंक का उद्देश्य,किस हद तक ये गतिविधियां आधारभूत प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र के ऋण जोखिम को बैंक से दूसरी संस्थाओं को अंतरित करती हैं । • प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निहित अन्य जोखिम (उदाहरण के लिए चलनिधि जोखिम) की प्रकृति • प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक की विभिन्न भूमिका (उदाहरण के लिए, प्रवर्तक, निवेशक, सेवा प्रदाता, ऋण संवर्धन प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, स्वैप प्रदाता@, सुरक्षा प्रदाता# तथा प्रत्येक भूमिका में बैंक किस हद तक शामिल है । • प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के ऋण और बाजार जोखिम में परिवर्तन की निगरानी करने के लिए स्थापित प्रणाली का वर्णन (उदाहरण के लिए, आधारभूत आस्तियों का उतार-चढ़ाव किस प्रकार प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को प्रभावित करता है, जैसा कि एनसीएएफ पर 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16.1 में परिभाषित किया गया है) • प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के माध्यम से धारित जोखिम को कम करने के लिए ऋण जोखिम कम करने वाले तत्वों के प्रयोग से संबंधित बैंक की नीति का वर्णन @ यदि विनियामक नियमों के अंतर्गत अनुमति दी गयी हो तो कोई बैंक ब्याज दर/मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वैप या मुद्रा स्वैप के रूप में प्रतिभूतिकरण संरचना को समर्थन दे सकता है । # यदि विनियामक नियमों के अंतर्गत अनुमति दी गयी हो तो कोई बैंक गारंटी, ऋण डेरिवेटिव या अन्य समान उत्पाद के माध्यम से किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन को ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है ।
(ख)	**प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए बैंक की लेखांकन नीतियों का संक्षेप, जिनमें निम्नलिखित सूचना भी हो :**

[47] 8 फरवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010

	• क्या लेनदेन बिक्री है या वित्तपोषण • धारित या खरीदी गयी स्थितियों (पोजीशन) के मूल्यांकन में प्रयुक्त विधि और मुख्य अवधारणाएं (इनपुट सहित) • पिछली अवधि की तुलना में विधियों और मुख्य अवधारणाओं में परिवर्तन और उन परिवर्तनों का प्रभाव • यदि किसी व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों को वित्तीय समर्थन देने की बैंक से अपेक्षा की जाती है तो तुलन पत्र में देयता में उसे दर्शाने संबंधी नीति
(ग)	बैंकिंग बही में प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त ईसीएआई के नाम तथा प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेंसी की सहायता ली गयी है ।
मात्रात्मक प्रकटीकरण:बैंकिंग बही	
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की कुल राशि
(ङ)	एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार (उदाहरण के लिए क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि आधारभूत प्रतिभूति के ब्यौर सहित) वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा मान्य प्रतिभूतिकृत हानि एक्सपोज़र के लिए
(च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि
(छ)	(`छ') में से प्रतिभूतिकरण के पहले एक वर्ष के भीतर ओरिजिनेट होने वाली आस्तियों की राशि
(ज)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र (एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार) की कुल राशि तथा एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार लाभ हानि जिसे नहीं दर्शाया गया है ।
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि : • धारित या खरीदा गया तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र, जो एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत हो । • एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत तुलनपत्रेतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र
(ञ)	• पूरी तरह घटाये गये धारित अथवा खरीदे गये प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र की कुल राशि तथा उससे जुड़ा पूंजी प्रभार, जिसका एक्सपोज़र के अनुसार वर्गीकरण किया गया हो और प्रत्येक

	विनियामक पूंजी विधि के लिए विभिन्न जोखिम भार बैंडों में भी वर्गीकरण किया गया हो । टीयर 1 पूंजी से एक्सपोज़र, कुल पूंजी से घटाये गये ऋण संवर्द्धक आई/ओ तथा कुल पूंजी से घटाये गये अन्य एक्सपोज़र (एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार)
मात्रात्मक प्रकटीकरण:ट्रेडिंग बही	
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की कुल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोज़र धारित किया है और जो बाजार जोखिम विधि के अधीन है -- एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार विवरण
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि : • धारित या खरीदा गया तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र, जो एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत हो । • एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत तुलनपत्रेतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र
(ड)	निम्नलिखित के लिए अलग-अलग धारित या खरीदे गये प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र की कुल राशि : • धारित या खरीदे गये प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र जो विनिर्दिष्ट जोखिम के लिए समग्र जोखिम माप के अधीन हैं; और • प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र जो विनिर्दिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हैं और जिन्हें विभिन्न जोखिम भार बैंडों में वर्गीकृत किया गया है ।
(ढ)	निम्नलिखित की कुल राशि : • उन प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के लिए पूंजी अपेक्षा, जो प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हैं और जिन्हें विभिन्न जोखिम भार बैंडों में वर्गीकृत किया गया है । • प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र जिन्हें पूरी तरह टीयर I पूंजी से घटाया गया है, कुल पूंजी से घटये गये ऋण संवर्धक आई/ओ तथा कुल पूंजी से घटाये गये अन्य एक्सपोज़र (एक्सपोज़र के प्रकार के अनुसार)

सारणी - डीएफ - 8

ट्रेडिंग बही में बाज़ार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण (क) मानकीकृत दृष्टिकोण द्वारा कवर किए गए संविभागों सहित बाज़ार जोखिम के लिए सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा (पैरा 10.13)
मात्रात्मक प्रकटीकरण (ख) निम्नलिखित के लिए पूंजी अपेक्षाएं • ब्याज दर जोखिम; • ईक्विटी पोजिशन जोखिम; और • विदेशी मुद्रा जोखिम

सारणी डीएफ - 9

परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण • सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा (पैरा 10.13) के अतिरिक्त, परिचालनगत जोखिम पूंजी मूल्यांकन दृष्टिकोण जिसके (जिनके) लिए बैंक पात्र है।

सारणी डीएफ - 10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण (क) आइआरआरबीबी के स्वरूप तथा ऋण चुकौतियों और परिपक्वता रहित जमाराशियों के व्यवहार के संबंध में धारणाओं सहित महत्वपूर्ण धारणाओं, और आइआरआरबी के मापन की बारंबारता के साथ सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा (पैरा 10.13)
मात्रात्मक प्रकटीकरण (ख) आइआरआरबी का मापन करने की प्रबंध तंत्र की पद्धति के अनुसार दरों के अत्यधिक उतार-चढ़ाव के झटकों के लिए अर्जन और आर्थिक मूल्य (या प्रबंध तंत्र द्वारा प्रयुक्त संगत मापन) में वृद्धि (गिरावट) जो मुद्रावार वर्गीकृत हो (जहां आवर्त कुल आवर्त के 5 प्रतिशत से अधिक है)।

अनुबंध - 1

[(देखें पैरा 4.2.1(iii)]

टीयर 1 पूंजी के रूप में शामिल किए जाने हेतु नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत पर लागू शर्तें

नवोन्मेषी निरंतर ऋण लिखतों (नवोन्मेषी लिखत), जो बांडों या डिबेंचरों के रूप में भारतीय बैंक जारी कर सकते हैं, को पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए टीयर 1 पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र बनने हेतु निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करना चाहिए :

1. भारतीय रुपयों में नवोन्मेषी लिखतों को जारी करने की शर्तें

i) राशि : नवोन्मेषी लिखतों द्वारा जुटाई जानेवाली राशि बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की जाए।

ii) सीमाएं : बैंक द्वारा नवोन्मेषी लिखतों के माध्यम से प्राप्त की गई कुल राशि कुल टीयर I पूंजी के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार टीयर I पूंजी की राशि के संदर्भ में पैरा 4.4 के अनुसार गुडविल, डीटीए तथा अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाकर, लेकिन निवेशों को घटाने से पहले पात्र राशि की गणना की जाएगी। उपर्युक्त सीमा से अधिक नवोन्मेषी लिखत टीयर II के अंतर्गत शामिल करने के पात्र होंगे जो टीयर II पूंजी के लिए निर्धारित सीमाओं के अधीन होंगे। तथापि, निवेशकों के अधिकार तथा दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

iii) परिपक्वता अवधि : नवोन्मेषकारी लिखत निरंतर बने रहेंगे ।

iv) ब्याज दर : निवेशकों को देय ब्याज दर नियत दर या बाज़ार द्वारा निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर से संबद्ध अस्थायी दर पर होगी ।

v) विकल्पः नवोन्मेषी लिखतों को `पुट ऑप्शन' के साथ जारी नहीं किया जाएगा । तथापि बैंक `कॉल ऑप्शन' के साथ लिखत जारी कर सकते हैं बशर्ते निम्नलिखित शर्तों में से प्रत्येक का सख्ती से अनुपालन हो :

(क) लिखत कम-से-कम दस वर्षों तक चलने के बाद ही कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया जाए; तथा

(ख) रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) की पूर्वानुमति से ही कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया जाए। कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के

लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय रिज़र्व बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते समय और कॉल ऑप्शन प्रयोग करने के बाद, बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा ।

vi) स्टेप-अप ऑप्शनः बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस)द्वारा दिसंबर 2010 में जारी किए गए 'बासेल III : अधिक सुदृढ़ बैंकों तथा बैंकिंग प्रणालियों के लिए वैश्विक विनियामक ढ़ांचा' शीर्ष के एक दस्तावेज के अनुसार विनियामक पूंजी लिखत में कोई स्टेप अप ऑप्शन या मोचन के लिए कोई अन्य प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए । तथापि, बीसीबीएस ने कुछ संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं प्रस्तावित की हैं, जिनके अनुसार ऐसे तत्वों वाले केवल वे लिखत जो 12 सितंबर 2010 के पहले जारी किए गए थे, बासेल III के अंतर्गत पात्र पूंजी लिखतों के रूप में मान्यता प्राप्त करते रहेंगे । बासेल III, 1 जनवरी 2013 के आरंभ से चरणबद्ध रूप में लागू होगा। अतः बैंकों को 'स्टेप-अप ऑप्शन' वाले टीयर I तथा टीयर II पूंजी लिखत जारी नहीं करने चाहिए ताकि ये लिखत विनियामक पूंजी की नयी परिभाषा में शामिल होने के लिए पात्र बने रह सकें ।

vii) *लॉक-इन शर्त :*

(क) नवोन्मेषी लिखत लॉक-इन शर्त पर होंगे जिसके अनुसार जारीकर्ता बैंक को ब्याज की देयता नहीं होगी, यदि

i) बैंक का सीआरएआर, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक अपेक्षाओं से कम है; अथवा

ii) ऐसे भुगतान के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर कम हो जाए या रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक अपेक्षाओं से कम हो जाए ।

(ख) तथापि, बैंक, रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से ब्याज का भुगतान कर सकते हैं, जब ऐसे भुगतान से निवल हानि हो या निवल हानि में वृद्धि हो बशर्ते सीआरएआर विनियामक मानदंड से अधिक हो ।

(ग) ब्याज संचयी नहीं होगा ।

(घ) बैंकों द्वारा लॉक-इन शर्त का प्रयोग करने के हर मौके पर जारीकर्ता बैंक को बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग और बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों को सूचित करना चाहिए ।

viii) <u>दावे की वरिष्ठता</u>: नवोन्मेषी लिखतों में निवेशकों के दावे निम्नलिखित होंगे :

क) इक्विटी शेयरों मे निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; तथा

ख) अन्य सभी ऋणकर्ताओं के दावों से अधीनस्थ

ix) <u>डिस्काउंट</u> : नवोन्मेषी लिखतों को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए उत्तरोत्तर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये निरंतर हैं ।

x) <u>*अन्य शर्तें*</u>

क) नवोन्मेषी लिखत पूर्णतः भुगतान किए गए, अप्रतिभूतित और प्रतिबंधित शर्तें रहित होना चाहिए ।

ख) भारतीय रुपयों में जारी नवोन्मेषी लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेश, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कंपनी ऋण लिखतों में निवेश के लिए तयशुदा रुपया मूल्यांकित कंपनी ऋण की बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी) सीमा (वर्तमान में 1.5 बिलियन अमेरिकी डालर) से बाहर होंगे। इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशक और अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश निर्गम के क्रमशः 49 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की समग्र सीमा में होंगे, बशर्ते प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक निर्गम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं तथा प्रत्येक अनिवासी भारतीय निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं निवेश करता है।

ग) बैंकों को इन लिखतों के संबंध में सेबी/अन्य विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना चाहिए ।

2. विदेशी मुद्रा में नवोन्मेषी लिखतों के निर्गम की शर्तें

अपनी पूंजी निधि को बढ़ाने के लिए बैंक विदेशी मुद्रा में रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना नवोन्मेषी लिखत जारी कर सकते हैं, बशर्ते निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया हो :

i) विदेशी मुद्रा में जारी नवोन्मेषी लिखतों को भारतीय रुपयों में जारी लिखतों पर लागू होनेवाली सभी शर्तों का अनुपालन करना चाहिए ।

ii) पात्रता राशि का अधिकतम 49 प्रतिशत विदेशी मुद्रा में जारी किया जा सकता है ।

iii) विदेशी मुद्रा में जारी नवोन्मेषी लिखत विदेशी मुद्रा उधारों की सीमाओं के अतिरिक्त होंगे जिन्हें नीचे दर्शाया गया है

क) विदेशी मुद्रा में जारी अपर टीयर II लिखतों की कु ल राशि अक्षत टीयर I पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह पात्र राशि पिछले वित्त वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार गुडविल और अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाने के बाद लेकिन इस मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.6 के अनुसार निवेशों के घटाने से पहले टीयर I की राशि के संदर्भ में संगणित की जाएगी ।

ख) यह, 1 जुलाई 2006 के जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक व्यवहार पर मास्टर परिपत्र सं. आरबीआइ/2006-07/24 के अनुसार प्राधिकृत विक्रेताओं (एडी) के लिए विदेशी मुद्रा उधार की वर्तमान सीमा के अतिरिक्त होगी ।

3. रिज़र्व अपेक्षाओं का अनुपालन

किसी बैंक द्वारा नवोन्मेषी लिखतों के माध्यम से अर्जित कुल राशि को रिज़र्व अपेक्षाओं के उद्देश्य के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं के आकलन के लिए देयता के रूप में गणना नहीं की जाएगी तथा इसलिए इन पर सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाएं लागू <u>नहीं</u> होंगी ।

4. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

नवोन्मेषी लिखत जारी करनेवाले बैंकों को निर्गम पूर्ण हो जाने के बाद जुटाये गये ऋण के विवरणों के साथ एक रिपोर्ट प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बाकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को प्रस्तुत करनी होगी जिसमें उपर्युक्त पैरा । में निर्दिष्ट निर्गम की शर्तों के साथ ऑफर दस्तावेज की एक प्रति भी शामिल होनी चाहिए ।

5. अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतों में निवेश

i) अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी नवोन्मेषी लिखतों में किसी बैंक के निवेश की गणना पूंजी स्थिति के लिए पात्र ऐसे अन्य लिखतों में निवेश के साथ 6 जुलाई 2004 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 3/21.01.002/2004-05 द्वारा निर्धारित बैंक/वित्तीय संस्थाओं के बीच पूंजी की क्रास होल्डिंग के लिए कुल निर्धारित सीमा 10 प्रतिशत के अनुपालन की गणना करते समय तथा क्रास होल्डिंग सीमाओं के अधीन की जाएगी ।

ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए नवोन्मेषी लिखतों में बैंक के निवेश करने पर पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए इस मास्टर परिपत्र के पैरा 5.6 में निर्धारित किए गए अनुसार जोखिम भार लगाया जाएगा ।

6. नवोन्मेषी लिखतों की प्रतिभूति पर अग्रिमों की मंजूरी

बैंकों को अपने द्वारा जारी किए गए नवोन्मेषी लिखतों की प्रतिभूति के बदले अग्रिम मंजूरी नहीं करना चाहिए ।

7. तुलनपत्र में वर्गीकरण

नवोन्मेषी लिखतों द्वारा जुटायी गयी राशि को तुलनपत्र में `अनुसूची 4- उधार' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।[48]

8. भारत में स्थित विदेशी बैंकों द्वारा टीयर I पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए नवोन्मेषी लिखत जारी करना

भारत में स्थित विदेशी बैंक विदेशी मुद्रा में टीयर I पूंजी के तौर पर शामिल करने के लिए हेड ऑफिस (एचओ) उधार जुटा सकते हैं जिनपर भारतीय बैंकों के लिए उपर्युक्त मद 1 से 5 में उल्लिखित शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी :

i) *परिपक्वता अवधः* हेड ऑफिस उधार के रूप में नवोन्मेषी टीयर I पूंजी की राशि सतत आधार पर भारत में रखी जाएगी ।

ii) *ब्याज दर :* हेड ऑफिस उधार के रूप में नवोन्मेषी टीयर I पूंजी पर ब्याज दर तत्कालीन बाज़ार दर से अधिक नहीं होनी चाहिए । ब्याज अर्ध-वार्षिक अन्तराल पर अदा किया जाना चाहिए ।

iii) *विदहोल्डिंग कर :* हेड ऑफिस को भुगतान होनेवाला ब्याज यथाप्रयोज्य विदहोल्डिंग कर के अधीन होगा ।

iv) *प्रलेखीकरण :* हेड ऑफिस उधार के रूप में नवोन्मेषी टीयर I पूंजी जुटाने वाले विदेशी बैंक को अपने मुख्य कार्यालय से एक पत्र प्राप्त करना होगा कि वह विदेशी बैंक के भारत में परिचालन के लिए पूंजी आधार के पूरक के तौर ऋण देने के लिए सहमत है। ऋण प्रलेख इस बात की पुष्टि करेगा कि मुख्य कार्यालय द्वारा दिया गया ऋण उसी स्तर की वरिष्ठता के दावे(सीनियारटी क्लेम) का पात्र है जितना कि भारतीय बैंकों द्वारा जारी नवोन्मेषी लिखत पूंजी लिखत में निवेशकों की वरिष्ठता का दावा होता है। ऋण करार की भारतीय कानून के अनुरूप व्याख्या एवं क्रियान्वयन किया जाएगा ।

v) *प्रकटीकरणः* हेड ऑफिस उधारों की कुल पात्र राशि तुलन पत्र में निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत प्रकट की जाएगी "विदेशी मुद्रा में हेड ऑफिस उधार के तौर पर जुटायी गई नवोन्मेषी टीयर 1 पूंजी " ।

---

[48] कृपया 30 मार्च 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.81/21.06.001/2009-2010 देखें।

vi) *<u>हेजिंग:</u>* हेड ऑफिस उधारों की कुल पात्र राशि पूरे समय भारतीय रुपयों में पूर्णतः बदली हुई होनी चाहिए ।

vii) *<u>रिपोर्टिंग और प्रमाणीकरण:</u>* हेड ऑफिस उधारों के तौर पर एकत्र की गई कुल नवोन्मेषी टीयर 1 पूंजी के संबंध में विस्तृत ब्योरे, इस प्रमाणीकरण के साथ कि यह उधार इन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग अनुभाग), प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक बाह्य निवेश और परिचालन विभाग तथा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग (विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग), भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को सूचित किये जाने चाहिए ।

अनुबंध -2

[देखें पैरा 4.2.1(iv)]

<u>टीयर 1 पूंजी के रूप में पात्रता के लिए बेमीयादी असंचयी अधिमान शेयरों (पी एन सी पी एस) पर लागू शर्तें</u>

1. <u>निर्गम की शर्तें</u>

i) *सीमाएं :* नवोन्मेषी टीयर I लिखतों सहित टीयर I अधिमान शेयरों की बकाया राशि किसी भी समय टीयर I की कुल पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह सीमा सुनाम तथा अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाने के बाद लेकिन, निवेशों के घटाने से पूर्व, टीयर I पूंजी की राशि पर आधारित होगी। 40 प्रतिशत की समग्र अधिकतम सीमा से अधिक टीयर I अधिमान शेयरों का निर्गम टीयर II पूंजी के लिए निर्धारित सीमाओं के अधीन, उच्चतर टीयर II पूंजी में शामिल किये जाने हेतु पात्र होगा; लेकिन निवेशकों के अधिकारों और दायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

ii) <u>*राशि :* बेमीयादी</u> असंचयी अधिमान शेयरों द्वारा जुटायी जानेवाली राशि के संबंध में निर्णय बैंकों के निदेशक बोर्ड द्वारा लिया जाएगा ।

iii) <u>*परिपक्वता अवधि*</u> *:* पीएनसीपीएस बेमीयादी होंगे ।

iv) <u>*विकल्प :*</u>

(क) पीएनसीपीएस `पुट ऑप्शन' अथवा `स्टेप अप ऑप्शन' सहित निर्गमित <u>नहीं</u> किये जाएंगे ।

(ख) लेकिन निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंक किसी तारीख विशेष को कॉल ऑप्शन के साथ लिखत जारी कर सकते हैं;

(i) लिखत पर कॉल ऑप्शन की अनुमति लिखत के कम-से-कम 10 वर्ष तक चलते रहने पर दी जाएगी; तथा

(ii) कॉल ऑप्शन का प्रयोग भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकेगा । भारतीय रिज़र्व बैंक कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते समय तथा उसके बाद बैंक की सीआरएआर स्थिति को विचार में लेगा ।

v) *<u>तुलन पत्र में वर्गीकरण</u> :* इन लिखतों को पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और तुलन पत्र में "अनुसूची I-पूंजी" के अंतर्गत दर्शाया जाएगा ।

vi) *<u>लाभांश :</u>* निवेशकों को देय लाभांश की दर या तो निश्चित दर होगी अथवा बाज़ार निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर से संबंधित अस्थिर दर होगी ।

vii) *<u>लाभांश का भुगतान :</u>*

(क) निर्गमकर्ता बैंक चालू वर्ष की आय में से वितरण योग्य अधिशेष की उपलब्धता के अधीन लाभांश अदा कर सकेगा, साथ ही वह ऐसा तभी कर सकेगा जब

(i) बैंक का सीआरएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से अधिक हो;

(ii) ऐसे भुगतान के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम न हो जाए अथवा कम न बना रहे;

(iii) लाभांश के छमाही भुगतान के मामले में पिछले वर्ष के अंत के तुलन पत्र में संचित हानि न हो, तथा

(iv) लाभांश के वार्षिक भुगतान के मामले में चालू वर्ष के तुलन पत्र में कोई संचित हानि न हो ।

(ख) लाभांश संचयी <u>नहीं</u> होगा अर्थात् किसी एक वर्ष में न दिये गये लाभांश को आगे के वर्षों में अदा नहीं किया जाएगा चाहे पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो और सीआरएआर न्यूनतम विनियामक अपेक्षा के अनुरूप हो । यदि लाभांश निर्धारित दर से कम दर पर अदा किया गया है तो अदा न की गयी राशि आगे के वर्षों में अदा नहीं की जाएगी, चाहे पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो और सीआरएआर का स्तर न्यूनतम विनियामक अपेक्षा के अनुरूप हो ।

(ग) उपर्युक्त (क) में दी गयी शर्तों के परिणामस्वरूप लाभांश की अदायगी न होने/निर्धारित दर से कम दर पर लाभांश की अदायगी होने के सभी मामले निर्गमकर्ता बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों को रिपोर्ट किये जाने चाहिए ।

viii) *<u>दावों की वरिष्ठता</u> :* पीएनसीपीएस में निवेशकों के दावे ईक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ माने जाएंगे तथा अन्य सभी लेनदारों और देनदारों के दावों से गौण होंगे ।

ix) *अन्य शर्तें :*

(क) पीएनसीपीएस पूर्णतया चुकता, गैर-जमानती तथा सभी प्रतिबंधक शर्तों से मुक्त होना चाहिए ।

(ख) विदेशी संस्थागत निवेशक और अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश क्रमशः निर्गम के 49% तथा निर्गम के 24% की समग्र सीमा के भीतर होना चाहिए बशर्ते प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक का निवेश निर्गम के 10% से अधिक न हो तथा प्रत्येक अनिवासी भारतीय द्वारा निवेश निर्गम के 5% से अधिक न हो। इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश रुपये में मूल्यवर्गित कार्पोरेट ऋण के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय की गई बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) सीमा से बाहर होगा । सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिमान शेयरों और ईक्विटी शेयरों की समग्र अनिवासी धारिता सांविधिक/विनियामक सीमा के अधीन होगी ।

(ग) बैंकों को लिखतों के निर्गम के संबंध में सेबी/अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तों का, यदि कोई हो, अनुपालन करना चाहिए ।

2. आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन

(क) आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं की गणना करने के उद्देश्य से बैंक की विभिन्न शाखाओं या अन्य बैंकों द्वारा निर्गम के लिए संगृहीत तथा टीयर I अधिमान शेयरों के आबंटन को अंतिम रूप दिये जाने तक_रखी गयी निधि को गणना में लेना होगा ।

(ख) तथापि, बैंक द्वारा पीएनसीपीएस के निर्गम द्वारा जुटायी गई कुल राशि आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के उद्देश्य के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना के लिए देयता के रूप में नहीं मानी जाएगी और इस प्रकार इन पर सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी ।

3. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

i) पीएनसीपीएस निर्गमित करनेवाले बैंकों को निर्गम पूर्ण होने के तुरंत बाद प्रस्ताव दस्तावेज़ की प्रति के साथ प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को उपर्युक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट निर्गम की शर्तों तथा जुटायी गयी पूंजी के ब्योरे सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ।

ii) बैंक द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों से टीयर I पूंजी के पात्र पीएनसीपीएस के तौर पर जुटायी गयी राशि के निर्गम-वार ब्योरे निर्गम के 30 दिनों के

भीतर इस **<u>अनुबंध</u>** के अंत में दिए गए प्रोफार्मा में मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 001 रिपोर्ट किया जाना चाहिए । स्टाक एक्सचेंज के फ्लोर पर इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों द्वारा द्वितीयक बाज़ार में की गयी बिक्री/खरीद के ब्योरे क्रमशः अभिरक्षकों तथा प्राधिकृत बैंकों द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना संख्या 20 की अनुसूची 2 और 3 में निर्धारित एलईसी रिटर्न की सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से दैनिक आधार पर रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किये जाने चाहिए ।

4. <u>अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बेमीयादी असंचयी अधिमान शेयरों में निवेश</u>

(क) 6 जुलाई 2004 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 3/21.01.002/2004-05 के द्वारा निर्धारित निवेशक बैंक की पूंजी निधि की 10 प्रतिशत की समग्र सीमा के अनुपालन की गणना करने के लिए किसी बैंक द्वारा अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी पीएनसीपीएस में किया गया निवेश पूंजी स्थिति के लिए पात्र अन्य लिखतों में उसके निवेश के साथ गिना जाएगा ।

(ख) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी पीएनसीपीएस में किसी बैंक के निवेश पर पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए इस मास्टर परिपत्र के पैरा 5.6.1 में दिए गए अनुसार जोखिम भार लागू होगा ।

(ग) अन्य बैंकों के पीएनसीपीएस में किसी बैंक के निवेश को पूंजी बाज़ार में एक्सपोज़र के तौर पर माना जाएगा तथा इस संबंध में पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा का अनुपालन किया जाना होगा ।

5. <u>टीयर 1 अधिमान शेयरों के बदले अग्रिमों की मंज़ूरी</u>

बैंकों को स्वयं उनके द्वारा जारी पीएनसीपीएस की जमानत पर अग्रिम मंजूर नहीं करना चाहिए ।

6. तुलनपत्र में वर्गीकरण

इन लिखतों को पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और इन्हें तुलनपत्र में `अनुसूची 4-उधार' के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिए।[49]

---

[49] कृपया 30 मार्च 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.81/21.06.001/2009-2010 देखें।

रिपोर्टिंग फॉर्मेट

[देखें अनुबंध - 3 का पैरा 2 (ii)]

टीयर 1 पूंजी के रूप में पात्र बेमीयादी असंचयी अधिमान शेयरों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ) द्वारा किए गए निवेशों के ब्यौरे

(क) बैंक का नाम :

(ख) निर्गम की कुल मात्रा /जुटायी गयी कुली राशि (रुपये में) :

(ग) निर्गम की तारीख :

वित्तीय संस्थागत निवेशक			अनिवासी भारतीय		
वित्तीय संस्थागत निवेशकों की संख्या	जुटाई गई राशि		अनिवासी भारतीयों की संख्या	जुटाई गई राशि	
	रुपये में	निर्गम की मात्रा के प्रतिशत के रूप में		रुपये में	निर्गम की मात्रा के प्रतिशत के रूप में

यह प्रमाणित किया जाता है कि

i) सभी वित्तीय संस्थागत निवेशकों द्वारा कुल निवेश, निर्गम की मात्रा के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं है और किसी भी एक वित्तीय संस्थागत निवेशक का निवेश, निर्गम की मात्रा के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(ii) सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा कुल निवेश, निर्गम की मात्रा के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं है और किसी एक अनिवासी भारतीय का निवेश, निर्गम की मात्रा के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

तारीख

बैंक की मोहर

अनुबंध 3

(देखें पैरा 4.3.3)

<u>अपर टीयर II पूंजी के रूप में शामिल किये जाने के लिए ऋण पूंजी लिखतों के संबंध में लागू शर्तें :</u>

भारतीय बैंकों द्वारा बांडों/डिबेंचरों के रूप में जारी किये जानेवाले ऋण पूंजी लिखतों को पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए अपर टीयर II पूंजी के रूप में शामिल किये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए :

भारतीय रुपये में अपर टीयर II पूंजी लिखत जारी करने की शर्तें

i) *<u>राशि :</u>* जुटायी जानेवाली अपर टीयर II लिखतों की राशि बैंकों के निदेशक बोर्ड द्वारा निश्चित की जाए ।

ii) सीमाएं : टीयर II पूंजी के अन्य घटकों सहित अपर टीयर II लिखत टीयर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त सीमा साख, डीटीएल तथा अन्य अगोचर आस्तियों को घटाने के बाद परंतु निवेशों को घटाने के पहले, जैसा कि पैरा 4.4 में अपेक्षित है , टीयर I की पूंजी की राशि के आधार पर होगी ।

iii) *<u>परिपक्वता अवधः</u>* अपर टीयर II लिखतों की 15 वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता होनी चाहिए।

iv) *<u>ब्याज दरः</u>* निवेशकों को अदा किया जानेवाला ब्याज नियत दर अथवा अस्थिर दर पर हो सकता है जो बाज़ार द्वारा निर्धारित रुपया ब्याज बेंच मार्क दर से संबद्ध होगी ।

v) *<u>ऑप्शनः</u>* अपर टीयर II लिखत `पुट ऑप्शन' के साथ जारी नहीं किये जाएंगे। किंतु बैंक कॉल ऑप्शन के साथ इस शर्त के अधीन लिखत जारी कर सकते हैं बशर्ते निम्नलिखित प्रत्येक शर्त का कड़ाई से पालन किया गया हो :

क) कॉल ऑप्शन का उपयोग तभी किया जाए जब लिखत कम-से-कम 10 वर्ष चल चुका हो;

ख) कॉल ऑप्शन का उपयोग केवल रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) के पूर्व अनुमोदन से किया जाए। कॉल ऑप्शन का उपयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय रिज़र्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ कॉल ऑप्शन का उपयोग करने के समय तथा कॉल ऑप्शन का उपयोग करने के बाद की बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा ।

vi) <u>स्टेप-अप ऑप्शनः</u> बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस)द्वारा दिसंबर 2010 में जारी किए गए 'बासेल *III* : अधिक सुदृढ़ बैंकों तथा बैंकिंग प्रणालियों के लिए वैश्विक विनियामक ढ़ांचा' शीर्ष के एक दस्तावेज के अनुसार विनियामक पूंजी लिखत में कोई स्टेप अप ऑप्शन या मोचन के लिए कोई अन्य प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए । तथापि, बीसीबीएस ने कुछ संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं प्रस्तावित की हैं, जिनके अनुसार ऐसे तत्वों वाले केवल वे लिखत जो 12 सितंबर 2010 के पहले जारी किए गए थे, बासेल III के अंतर्गत पात्र पूंजी लिखतों के रूप में मान्यता प्राप्त करते रहेंगे । बासेल III, 1 जनवरी 2013के आरंभ से चरणबद्ध रूप में लागू होगा। अत: बैंकों को 'स्टेप-अप ऑप्शन' वाले टीयर I तथा टीयर II पूंजी लिखत जारी नहीं करने चाहिए ताकि ये लिखत विनियामक पूंजी की नयी परिभाषा में शामिल होने के लिए पात्र बने रह सकें ।

vii) <u>अवरुद्धता शर्त</u> :

क) अपर टीयर II लिखत अवरुद्धता (लॉक-इन) खंड के अधीन होंगे जिसके अनुसार जारीकर्ता बैंक परिपक्वता पर भी ब्याज या मूल धन अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा यदि

i. बैंक का सीआरएआर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम हो **अथवा**

ii. ऐसी अदायगी के परिणामस्वरूप बैंक का जोखिम भारित आस्तियों से पूंजी अनुपात (सीआरएआर) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से नीचे गिर जाता है या नीचे बना रहता है ।

ख) तथापि बैंक उस स्थिति में रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से ब्याज अदा कर सकते हैं जब ऐसी अदायगी के परिणामस्वरूप हानि या निवल हानि में वृद्धि हो बशर्ते सीआरएआर विनियामक मानदंड के ऊपर बना रहे ।

ग) प्राप्य तथा अदत्त बनी रहने वाली ब्याज राशि को बाद के वर्षों में नकद/चेक के रूप में अदा करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते बैंक उपर्युक्त विनियामक अपेक्षा का पालन करे ।

घ) अवरुद्धता शर्त लागू करने के सभी मामलों के संबंध में जारीकर्ता बैंकों द्वारा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग तथा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को सूचित किया जाना चाहिए ।

viii) *दावे की वरिष्ठताः* अपर टीयर II लिखतों में निवेशकों के दावे

क) टीयर I पूंजी में शामिल किये जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ होंगे; तथा

ख) सभी अन्य लेनदारों के दावों से अधीनस्थ होंगे ।

ix) *बट्टाः* अपर टीयर II लिखत उनकी अवधि के अंतिम पांच वर्षों में दीर्घावधि अधीनस्थ ऋण के मामले की तरह पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए प्रगामी बट्टे के अधीन होंगे। जैसे-जैसे वे परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं ये लिखत प्रगामी बट्टे के अधीन किये जाने चाहिए, जैसा कि टीयर II पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र होने हेतु नीचे की सारणी में दर्शाया गया है ।

लिखत की शेष परिपक्वता	**बट्टा दर (%)**
एक वर्ष से कम	100
एक वर्ष और उससे अधिक परंतु दो वर्ष से कम	80
दो वर्ष और उससे अधिक परंतु तीन वर्ष से कम	60
तीन वर्ष और उससे अधिक परंतु चार वर्ष से कम	40
चार वर्ष और उससे अधिक परंतु पांच वर्ष से कम	20

x) *प्रतिदानः* अपर टीयर II लिखत धारक की पहल पर प्रतिदेय नहीं होंगे । सभी प्रतिदान केवल भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) के पूर्व अनुमोदन से किये जाएंगे ।

xi) *अन्य शर्तें :*

क) अपर टीयर II लिखत पूर्णतः चुकता, बेजमानती तथा किसी प्रतिबंधक शर्त से मुक्त होने चाहिए ।

ख) भारतीय रुपये में जुटाये जानेवाले अपर टीयर II लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश कंपनी ऋण लिखतों में निवेश की सीमा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगी । किंतु इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया जानेवाला निवेश समय-समय पर

निर्धारित की जानेवाली अलग उच्चतम सीमा के अधीन होगा । इसके अलावा, अनिवासी भारतीय भी वर्तमान नीति के अनुसार इन लिखतों में निवेश करने के पात्र होंगे ।

ग) बैंकों को चाहिए कि वे उक्त लिखतों के निर्गम के संबंध में सेवी/अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा यदि कोई शर्तें निर्दिष्ट की गई हों तो उनका पालन करें ।

2. विदेशी मुद्रा में अपर टीयर II पूंजी लिखतों के निर्गम की शर्तें

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लिये बिना नीचे उल्लिखित अपेक्षाओं का पालन करने की शर्तों पर विदेशी मुद्रा में अपर टीयर II लिखत जारी कर अपनी पूंजीगत निधियां बढ़ा सकते हैं :

i) विदेशी मुद्रा में जारी अपर टीयर II लिखत को भारतीय रुपयों में जारी लिखतों पर लागू शर्तों का पालन करना चाहिए ।

ii) विदेशी मुद्रा में जारी अपर टीयर II लिखतों की कुल राशि अक्षत (अनइम्पेयर्ड) टीयर I पूंजी के 25% से अधिक नहीं होगी। इस पात्र राशि की गणना साख तथा अन्य अगोचर आस्तियों को घटाने के बाद परंतु इस मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.6 के अनुसार निवेशों को घटाने के पहले पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार टीयर 1 पूंजी की राशि के संदर्भ में की जाएगी ।

iii) यह जोखिम प्रबंधन और अंतर बैंक लेनदेनों के संबंध में मास्टर परिपत्र के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों के विदेशी मुद्रा उधारों के लिए वर्तमान सीमा के अतिरिक्त होगी ।

3. आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं का पालन

i. बैंक या अन्य बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा निर्गम हेतु एकत्र की गयी निधियों, जिन्हें अपर टीयर II लिखतों के आबंटन को अंतिम रूप दिये जाने तक लम्बित रखा गया है, को आरक्षित अपेक्षाओं की गणना करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा ।

ii. अपर टीयर II लिखतों के माध्यम से किसी बैंक द्वारा जुटायी गयी कुल राशि को आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना के लिए देयता के रूप में गिना जाएगा तथा इस प्रकार इस पर सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाएं लागू होंगी ।

4. रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं

अपर टीयर II लिखत जारी करनेवाले बैंक निर्गम पूरा होने के तुरंत बाद प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें जुटाये गये ऋण के ब्योरे तथा प्रस्ताव दस्तावेज की प्रति सहित उपर्युक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट निर्गम की शर्तें दी गयी हों ।

5. अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी अपर टीयर II लिखतों में निवेश

i) 6 जुलाई 2004 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी.सं. 3/21.01.002/2004-05 द्वारा निर्दिष्ट बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बीच पूंजी के क्रास होल्डिंग के लिए 10 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के अनुपालन की गणना करते समय तथा क्रॉस होल्डिंग सीमाओं के अधीन अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी अपर टीयर II लिखतों में किसी बैंक के निवेश की गणना पूंजी स्थिति के लिए पात्र अन्य लिखतों में निवेश के साथ की जाएगी ।

ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी अपर टीयर II लिखतों में बैंक के निवेश पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए इस मास्टर परिपत्र के पैरा 5.6.1 में दिए गए अनुसार जोखिम भार लगेगा ।

6. अपर टीयर II लिखतों की जमानत पर अग्रिम प्रदान करना

बैंकों को उनके द्वारा जारी अपर टीयर II लिखतों की जमानत पर अग्रिम प्रदान नहीं करने चाहिए ।

7. तुलन पत्र में वर्गीकरण

अपर टियर II पूंजी लिखतों द्वारा जुटायी गयी पूंजी तुलन पत्र में `अनुसूची 4-उधार' के अन्तर्गत वर्गीकृत की जाएगी।[50]

8.भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अपर टीयर II लिखत जुटाना

भारत में विदेशी बैंक अपर टीयर II पूंजी के रूप में शामिल किये जाने के लिए विदेशी मुद्रा में प्रधान कार्यालय उधार उन्हीं शर्तों पर जुटा सकते हैं जो भारतीय बैंकों के लिए उपर्युक्त 1 से 5 तक की मदों में दी गयी हैं । इसके अलावा निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी :

---

[50] कृपया 30 मार्च 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.81/21.06.001/2009-2010 देखें।

1) *परिपक्वता अवधि :* यदि प्रधान कार्यालय उधारों के रूप में जुटायी गयी अपर टीयर II पूंजी की राशि श्रृंखलाओं में है तो प्रत्येक श्रृंखला 15 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए भारत में रखी जाएगी ।

2) *ब्याज दर :* प्रधान कार्यालय उधारों के रूप में जुटायी गयी अपर टीयर II पूंजी पर ब्याज दर चालू बाज़ार दर से अधिक नहीं होनी चाहिए । ब्याज छमाही अंतरालों पर अदा किया जाना चाहिए ।

3) *विदहोल्डिंग कर :* प्रधान कार्यालय को ब्याज की अदायगी यथाप्रयोज्य विदहोल्डिंग कर के अधीन होगी ।

4) *प्रलेखीकरण:* प्रधान कार्यालय उधारों के रूप में अपर टीयर II जुटाने वाले विदेशी बैंक को अपने प्रधान कार्यालय से एक पत्र प्राप्त करना चाहिए जिसमें विदेशी बैंक के भारतीय कार्यकलापों के लिए पूंजी आधार में सहायता देने के लिए ऋण देने की सहमति हो । ऋण प्रलेखीकरण में इस बात की पुष्टि हो कि प्रधान कार्यालय द्वारा दिया गया ऋण दावे की वरिष्ठता के उसी स्तर के लिए पात्र होगा जैसे कि भारतीय बैंकों द्वारा जारी अपर टीयर II ऋण पूंजी लिखतों में निवेशक हैं। ऋण करार भारतीय कानून द्वारा नियंत्रित होगा और उसके अनुसार उसका अर्थ निकाला जाएगा ।

5) प्रकटीकरण: प्रधान कार्यालय के उधारों की कुल पात्र राशि तुलन पत्र में `विदेशी मुद्रा में प्रधान कार्यालय उधारों के रूप में जुटायी गयी अपर टीयर II पूंजी' शीर्ष के अंतर्गत प्रकट की जाएगी ।

6) *हेजिंग:* प्रधान कार्यालय उधार की कुल पात्र राशि बैंक के पास हर समय भारतीय रुपये में पूर्णतः स्वैप रूप में बनी रहनी चाहिए ।

7) *रिपोर्टिंग और स्पष्टीकरण:* प्रधान कार्यालय उधारों के रूप में जुटायी गयी अपर टीयर II पूंजी की कुल राशि के संबंध में ब्यारे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र कि ये उधार इन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग), बाहय निवेश और परिचालन विभाग तथा विदेशीं मुद्रा विभाग (विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग), भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को दिया जाना चाहिए ।

अनुबंध -4

(देखें पैरा 4.3.3)

उच्च्तर टीयर II पूंजी के भाग के रूप में पात्रता के लिए बेमीयादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय असंचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)/ प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस) पर लागू शर्तें

1. निर्गम की शर्तें

i) *लिखतों की विशेषताएं :*

क. ये लिखत बेमीयादी (पीसीपीएस) अथवा दिनांकित (आरएनसीपीएस और आरसीपीएस) हो सकते हैं जिनकी नियत परिपक्वता अवधि न्यूनतम 15 वर्ष होगी ।

ख. बेमीयादी लिखत संचयी होंगे। दिनांकित लिखत संचयी अथवा असंचयी हो सकते हैं ।

ii) *सीमा :* टीयर II पूंजी के अन्य घटकों के साथ इन लिखतों की बकाया राशि किसी भी समय टीयर I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उक्त सीमा सुनाम तथा अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाने के बाद परंतु निवेशों को घटाने से पूर्व की टीयर I पूंजी की राशि पर आधारित होगी ।

iii) *राशि :* राशि जुटाने के संबंध में निर्णय बैंकों के निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।

iv) *विकल्पः*

(i) इन लिखतों को किसी `पुट ऑप्शन' के साथ निर्गमित नहीं किया जाएगा ।

(ii) लेकिन, निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंक किसी तारीख विशेष को कॉल ऑप्शन के साथ लिखत जारी कर सकते हैं।

(क) लिखत पर कॉल ऑप्शन की अनुमति लिखत के कम-से-कम 10 वर्ष तक चलते रहने पर दी जाएगी; तथा

(ख) कॉल ऑप्शन का प्रयोग भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते समय तथा उसके बाद बैंक की सीआरएआर स्थिति को विचार में लेगा ।

v) <u>स्टेप-अप ऑप्शन</u>: बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस)द्वारा दिसंबर 2010 में जारी किए गए 'बासेल III: अधिक सुदृढ़ बैंकों तथा बैंकिंग प्रणालियों के लिए वैश्विक विनियामक ढ़ांचा' शीर्ष के एक दस्तावेज के अनुसार विनियामक पूंजी लिखत में कोई स्टेप अप ऑप्शन या मोचन के लिए कोई अन्य प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए। तथापि, बीसीबीएस ने कुछ संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं प्रस्तावित की हैं, जिन के अनुसार ऐसे तत्वों वाले केवल वे लिखत जो 12 सितंबर 2010 के पहले जारी किए गए थे, बासेल III के अंतर्गत पात्र पूंजी लिखतों के रूप में मान्यता प्राप्त करते रहेंगे। बासेल III, 1 जनवरी 2013 के आरंभ से चरणबद्ध रूप में लागू होगा। अत: बैंकों को 'स्टेप-अप ऑप्शन' वाले टीयर 1 तथा टीयर II पूंजी लिखत जारी नहीं करने चाहिए ताकि ये लिखत विनियामक पूंजी की नयी परिभाषा में शामिल होने के लिए पात्र बने रह सकें।

vi) <u>*तुलन पत्र में वर्गीकरण*</u> : इन लिखतों को उधार राशियों के रूप में तुलन पत्र की अनुसूची 4 में मद सं. 1 अर्थात भारत में लिए गए उधार) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

vii) <u>*कूपन*</u> *:* निवेशकों को देय कूपन की दर या तो निश्चित दर होगी अथवा बाज़ार निर्धारित रुपया ब्याज बेंच मार्क दर से संबंधित अस्थिर दर होगी।

viii) <u>*कूपन का भुगतान :*</u>

क) इन लिखतों पर देय कूपन को ब्याज के रूप में माना जाएगा और तदनुसार लाभ-हानि लेखे में नामे डाला जाएगा। तथापि, यह केवल तब देय होगा जब,

i. बैंक का सीआरएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से अधिक हो;

ii. ऐसे भुगतान के प्रभाव के कारण बैंक का सीआरएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम न हो जाए अथवा कम न बना रहे;

iii. बैंक को कोई निवल हानि न हुई हो। इस प्रयोजन हेतु निवल हानि की परिभाषा (i) पिछले वित्तीय वर्ष/छमाही के अंत में, जैसी स्थिति हो, संचित हानि; अथवा (*ii*) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुई हानि के रूप में की गई है ।

iv. पीसीपीएस तथा आरसीपीएस के मामले में अदत्त/अंशतः अदत्त कूपन को देयता के रूप में माना जाएगा। ब्याज की देय तथा अदत्त रहने वाली राशि को अगले वर्षों में भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते बैंक उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

v. आरएनसीपीएस के मामले में, यदि पर्याप्त लाभ उपलब्ध भी हो और सीआरएआर का स्तर विनियामक न्यूनतम के अनुरूप हो तो भी आस्थगित कूपन का भुगतान आगामी वर्षों में नहीं किया जाएगा । तथापि बैंक निर्धारित

दर से कम दर पर कूपन अदा कर सकता है, बशर्ते पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो और सीआरएआर का स्तर न्यूनतम विनियामक अपेक्षा के अनुरूप हो ।

ख) ब्याज भुगतान न किए जाने/निर्धारित दर से कम दर पर ब्याज भुगतान किये जाने के सभी मामले निर्गमकर्ता बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों को सूचित किए जाने चाहिए ।

ix. *<u>मोचन/चुकौती:</u>*

क) आरएनसीपीएस और आरसीपीएस लिखत धारक की पहल पर प्रतिदेय नहीं होंगे।

ख) परिपक्वता पर इन लिखतों का मोचन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन केवल भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा :

i. बैंक का सीआरएआर भारिबैं द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से अधिक हो,

ii. ऐसे भुगतान के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम न हो जाए अथवा कम न बना रहे ।

1.10 *<u>दावे की वरिष्ठता</u>* : इन लिखतों में निवेश करनेवालों के दावे टीयर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेश करनेवालों के दावों से वरिष्ठ होंगे तथा सभी अन्य ऋणदाताओं, जिनमें निम्नतर टीयर II के ऋणदाता तथा जमाकर्ता शामिल हैं, के दावों से गौण होंगे। उच्चतर टीयर II में सम्मिलित विभिन्न लिखतों के निवेशकों के बीच उनके दावों की वरिष्ठता एक दूसरे के समान होगी।

1.11 *<u>सीआरएआर की गणना के प्रयोजन के लिए परिशोधन</u>* **:** नीचे दी गयी सारणी में दर्शाए गए अनुसार टीयर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र होने के लिए उनकी परिपक्वता अवधि निकट आने के समय अंतिम पांच वर्ष के दौरान पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए प्रतिदेय अधिमान शेयरों (संचयी तथा असंचयी, दोनों) पर प्रगामी बट्टा लगाया जाएगा।

लिखतों की शेष परिपक्वता अवधि	बट्टे की दर (प्रतिशत में)
एक वर्ष से कम	100
एक वर्ष तथा उससे अधिक लेकिन दो वर्ष से कम	80
दो वर्ष तथा उससे अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम	60
तीन वर्ष तथा उससे अधिक लेकिन चार वर्ष से कम	40
चार वर्ष तथा उससे अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम	20

1.12 अन्य शर्तें :

क) ये लिखत पूर्णतया चुकता, गैर-जमानती तथा सभी प्रकार की प्रतिबंधक शर्तों से मुक्त होने चाहिए।

ख) विदेशी संस्थागत निवेशक और अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश निर्गम के क्रमशः 49% तथा 24% की समग्र सीमा के भीतर होने चाहिए बशर्ते प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक का निवेश निर्गम के 10% से अधिक न हो तथा प्रत्येक अनिवासी भारतीय द्वारा निवेश निर्गम के 5% से अधिक न हो। इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश रुपये में मूल्यवर्गित कार्पोरेट ऋण के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय की गई बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) सीमा से बाहर होगा। तथापि, इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया निवेश समय-समय पर निर्धारित की गयी अलग सीमा के अधीन हागा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिमान शेयरों और ईक्विटी शेयरों की समग्र अनिवासी धारिता सांविधिक/विनियामक सीमा के अधीन होगी ।

ग) बैंकों को चाहिए कि वे लिखतों के निर्गम के संबंध में सेबी/अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा यदि कोई शर्तें निर्धारित की गई हों तो उनका अनुपालन करें।

2. आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन

क) निर्गम के लिए बैंक अथवा अन्य बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा संगृहीत की गयी तथा इन लिखतों के आबंटन को अंतिम रूप दिए जाने तक धारित निधियों को आरक्षित निधि अपेक्षाओं की गणना करने के प्रयोजन के लिए विचार में लेना होगा।

ख) इन लिखतों के निर्गम के माध्यम से बैंक द्वारा जुटाई गयी कुल राशि को आरक्षित निधि अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग तथा मीयादी देयताओं की

गणना के लिए देयता के रूप में समझा जाएगा और इसलिए उस पर सीआरआर /एसएलआर अपेक्षाएं लागू होंगी।

3. <u>रिपोर्टिंग अपेक्षाएं</u>

उक्त लिखत जारी करने वाले बैंकों को चाहिए कि वे जुटाये गये ऋण के ब्यौरे तथा प्रस्ताव दस्तावेज़ की प्रतिलिपि सहित उक्त मद 1 पर विनिर्दिष्ट निर्गम की शर्तों के ब्यौरे देते हुए, संबंधित निर्गम पूरा होने के तुरंत बाद एक रिपोर्ट प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को प्रस्तुत करें।

4. <u>अन्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी इन लिखतों में निवेश</u>

क) अन्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी इन लिखतों में किसी बैंक के निवेश को 6 जुलाई 2004 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 3/21.01.002/2004-05 द्वारा विनिर्दिष्ट, निवेशकर्ता बैंकों की पूंजी के 10 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के साथ अनुपालन की गणना करते समय पूंजी स्तर के लिए पात्र अन्य लिखतों में किये गये निवेश के साथ गिना जाएगा तथा ये परस्पर धारिता सीमाओं के भी अधीन होंगे।

ख) अन्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी इन लिखतों में किसी बैंक के निवेशों पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए इस मास्टर परिपत्र के पैरा 5.6 में दिए गए अनुसार जोखिम भार लगेगा।

5. <u>इन लिखतों की जमानत पर अग्रिमों की मंजूरी</u>

बैंकों को अपने द्वारा जारी इन लिखतों की जमानत पर अग्रिम मंजूर नहीं करने चाहिए ।

अनुबंध 5
(देखें पैरा 4.3.4)

लोअर टीयर II पूंजी के भाग के रूप में पात्रता के लिए अधीनस्थ ऋण पर लागू शर्तें

भाग 1 - भारतीय बैंकों द्वारा रुपये में मूल्यवर्गित अधीनस्थ ऋण जारी करना जो लोअर टीयर II पूंजी में शामिल किये जाने के लिए पात्र हैं

रुपया अधीनस्थ ऋण

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को भारत में टीयर II पूंजी के रूप में रुपया अधीनस्थ ऋण जुटाने की अनुमति नहीं दी गयी है। भारतीय बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन लोअर टियर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र रुपया अधीनस्थ ऋण जारी कर सकते हैं:

1. बांड जारी करने की शर्तें

टीयर II पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र होने के लिए अधीनस्थ ऋण लिखत के रूप में बांड जारी करने की शर्तें निम्निलिखित के अनुरूप होनी चाहिए :

(क) राशि : जुटायी जानेवाली अधीनस्थ ऋण की राशि बैंकों के निदेशक मंडलों द्वारा निश्चित की जानी चाहिए।

(ख) परिपक्वता अवधि :

i) ऐसे अधीनस्थ ऋण लिखतों को जिनकी प्रारभिक परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से कम है, या जिनकी एक वर्ष की शेष परिपक्वता है, टीयर - II पूंजी के भाग के रूप शामिल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, जैसे -जैसे वे परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं वैसे-वैसे वे नीचे दी गयी दरों पर प्रगामी बट्टा के अधीन होने चाहिए :

लिखत की शेष परिपक्वता	बट्टा दर (%)
एक वर्ष से कम	100
एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष से कम	80
दो वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	60
तीन वर्ष से अधिक और चार वर्ष से कम	40
चार वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से कम	20

ii) बांडों की 5 वर्ष की न्यूनतम प्रारंभिक परिपक्वता होनी चाहिए। किन्तु यदि बांड वर्ष की अंतिम तिमाही, अर्थात् 1 जनवरी से 31 मार्च, में जारी किये जाते हैं तो उनकी 63 महीनों की न्यूनतम प्रारंभिक अवधि होनी चाहिए।

ग) *ब्याज दर :*

बैंक अपने बोर्ड द्वारा निश्चित कूपर दरों पर अधीनस्थ टीयर II बांड जारी कर सकते हैं। लिखत `वेनीला' होना चाहिए जिसमें ऑप्शन आदि जैसी विशेषताएं न हों।

घ) कॉल विकल्प

अधीनस्थ ऋण लिखतों को किसी `पुट ऑप्शन' के साथ निर्गमित नहीं किया जाएगा । लेकिन, निम्नलिखित में से प्रत्येक शर्त का कड़ाई से अनुपालन किए जाने की शर्त के अधीन बैंक कॉल ऑप्शन के साथ लिखत जारी कर सकते हैं :

(i) लिखत पर कॉल ऑप्शन की अनुमति लिखत के कम-से-कम **5 वर्ष** तक चलते रहने पर दी जाएगी; तथा

(ii) कॉल ऑप्शन का प्रयोग भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा । भारतीय रिज़र्व बैंक कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते समय तथा उसके बाद बैंक की सीआरएआर स्थिति को विचार में लेगा ।

(ङ) *स्टेप-अप ऑप्शन* **:** बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस)द्वारा दिसंबर 2010 में जारी किए गए 'बासेल III: अधिक सुदृढ़ बैंकों तथा बैंकिंग प्रणालियों के लिए वैश्विक विनियामक ढ़ांचा' शीर्ष के एक दस्तावेज के अनुसार विनियामक पूंजी लिखत में कोई स्टेप अप ऑप्शन या मोचन के लिए कोई अन्य प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए । तथापि, बीसीबीएस ने कुछ संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं प्रस्तावित की हैं, जिनके अनुसार ऐसे तत्वों वाले केवल वे लिखत जो 12 सितंबर 2010 के पहले जारी किए गए थे, बासेल III के अंतर्गत पात्र पूंजी लिखतों के रूप में मान्यता प्राप्त करते रहेंगे । बासेल III, 1 जनवरी 2013 के आरंभ से चरणबद्ध रूप में लागू होगा। अत: बैंकों को 'स्टेप-अप ऑप्शन' वाले टीयर I तथा टीयर II पूंजी लिखत जारी नहीं करने चाहिए ताकि ये लिखत विनियामक पूंजी की नयी परिभाषा में शामिल होने के लिए पात्र बने रह सकें ।

(iv) अन्य शर्तें :

क) लिखत पूर्णतः चुकता, बेजमानती, अन्य लेनदारों के दावों से अधीनस्थ, प्रतिबंधात्मक शर्तों से मुक्त होना चाहिए तथा वे धारक की पहल पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होने चाहिए।

ख) अनिवासी भारतीयों/एफआइआइ को जारी किये जाने के लिए विदेशी मुद्रा विभाग से आवश्यक अनुमति ली जानी चाहिए।

ग) बैंकों को चाहिए कि अगर सेबी/अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा इन लिखतों के निर्गम के संबंध में कोई शर्तें निर्धारित की गयी हों तो वे उनका पालन करें।

घ) विदेशी बैंकों के मामले में रुपया अधीनस्थ ऋण बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा भारतीय शाखा के माध्यम से विदेशी मुद्रा विभाग का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जारी किया जाना चाहिए।

2. टीयर II पूंजी में शामिल करना

अधीनस्थ ऋण लिखत बैंक की टीयर I पूंजी के 50 प्रतिशत तक सीमित होंगे। टीयर II पूंजी के अन्य घटकों के साथ ये लिखत टीयर I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

3. बांडों की जमानत पर अग्रिम प्रदान करना

बैंकों को अपने स्वयं के बांडों की जमानत पर अग्रिम पदान नहीं करने चाहिए।

4. आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं का पालन

बैंक द्वारा जुटायी गयी अधीनस्थ ऋण की कुल राशि को आरक्षित निधि की अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं के लिए देयता के रूप में गिना जाना है और इस प्रकार उस पर सीआरआर/एसएलआर संबंधी अपेक्षाएं लागू होंगी।

5. अधीनस्थ ऋण में निवेश पर कार्रवाई

बैंकों द्वारा अन्य बैंकों के अधीनस्थ ऋण में निवेशों पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन के लिए इस मास्टर परिपत्र के पैरा 5.6.1 के अनुसार जोखिम भार दिया जायेगा। साथ ही, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी टीयर II बांडों में बैंक का कुल निवेश निवेशकर्ता बैंक की कुल पूंजी की 10 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर होगा। इस प्रयोजन के लिए पूंजी वही होगी जो पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए गिनी जाती है।

6. **खुदरा निवेशकों को अधीनस्थ ऋण** [51][52]

विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की जोखिम विशेषताओं के संबंध में निवेशकों को अधिक शिक्षित करने के लिए खुदरा निवेशकों को अधीनस्थ ऋण जारी करने वाले बैंकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए -

क) लिखत की विशेषताओं और जोखिम को समझने के प्रमाण के रूप में प्रस्तावित ऋण निर्गम के सामान्य आवेदन पत्र में निम्नलिखित अंश शामिल होना चाहिए, जिसके नीचे निवेशक का हस्ताक्षर होना चाहिए ।

"यह आवेदन पत्र देकर, मैं/हम यह स्वीकार करते हैं कि मैंने/हमने [बैंक का नाम] के [निर्गत किये जाने वाले लिखत] के निर्गम की शर्तों को समझा है, जैसा कि ड्राफ्ट शेल्फ प्रोसपेकटस, श्टाल्फ प्रोस्पेक्टस और ट्रांस दस्तावेज में वर्णित किया गया है ।"

ख) अस्थायी दर लिखतों के लिए बैंकों अपनी मीयादी जमा दर को बेंचमार्क के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए ।

ग) सभी प्रचार सामग्री, आवेदन पत्र और निवेशक को दी जाने वाली अन्य प्रकार की सूचना में मोटे अक्षरों में (फांट आकार 14) यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए कि अधीनस्थ बांड मीयादी जमा से किस तरह अलग है और इसे जमा बीमा की सुरक्षा प्राप्त नहीं है ।

7. विदेशी मुद्रा में अधीनस्थ ऋण

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से मामला-दर मामला आधार पर अनुमोदन ले सकते हैं।

8. रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं

बैंकों को चाहिए कि वे निर्गम पूरा होने के तुरंत बाद ऑफर दस्तावेज की प्रति सहित जुटायी गयी पूंजी के ब्यौरे जैसे जुटायी गयी राशि, लिखत की परिपक्वता ब्याज दर देते हुए रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।

---

[51] कृपया 13 जनवरी 2010 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं. 69/21.01.02/2009-10 देखें।

[52] कृपया **टियर II पूंजी जुटाने के लिए गौण कर्ज का खुदरा निर्गम पर** 24 जनवरी 2013 का परिपत्र बैपविवि.बीसी.बीपी.72/ 21.01.002 /2012-13 भी देखें जिसके अनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि खुदरा सहभागिता में वृद्धि के माध्यम से भारत में कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार को और गहन बनाने के लिए, बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे, टियर II पूंजी जुटाने के लिए गौण कर्ज का खुदरा निर्गम करते समय, ऐसी निधियों को खुदरा निवेशकों को सार्वजनिक निर्गम द्वारा जुटाने के विकल्प पर विचार करें। तथापि बैंको को सूचित किया जाता है कि ऐसा करते समय वे दिनांक 13 जनवरी 2010 के हमारे उपर्युक्त परिपत्र में निर्धारित शर्तों का पालन करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेशक विनियामक पूंजी लिखतों की जोखिम विशिष्टताओं से अवगत हैं।

9. <u>तुलनपत्र में वर्गीकरण</u>

जुटायी गयी पूंजी तुलनपत्र में `अनुसूची 4- उधार' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

भाग 2 - टीयर II पूंजी में शामिल करने के लिए भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा में प्रधान कार्यालय उधार जुटाना

1. <u>उधार की शर्तें :</u>

टीयर II पूंजी में अधीनस्थ ऋण के रूप में शामिल करने के लिए भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा में जुटाये जानेवाले प्रधान कार्यालय (प्रका) उधारों के लिए मानक अपेक्षाओं और शर्तों संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश नीचे दिये अनुसार होंगे : -

i) *<u>उधार की राशि :</u>* विदेशी मुद्रा में प्रधान कार्यालय उधार की कुल राशि विदेशी बैंक के विवेकानुसार होगी। किंतु टीयर II पूंजी में अधीनस्थ ऋण के रूप में शामिल किये जाने के लिए पात्र राशि भारत में रखी टीयर I पूंजी के 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तथा नीचे पैरा 5 में उल्लिखित लागू बट्टा दर की शर्त के अधीन होगी। साथ ही, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार कुल टीयर II पूंजी टीयर I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii) *परिपक्वता अवधि :* प्रधान कार्यालय उधार की 5 वर्ष की न्यूनतम प्रारंभिक परिपक्वता होनी चाहिए। यदि उधार शृंखलाओं में है, तो प्रत्येक शृंखला को भारत में पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए रखना होगा। निरंन्तर अधीनस्थ ऋण के स्वरूप में प्रधान कार्यालय उधार, जहां कोई अंतिम परिपक्वता तारीख नहीं है, की अनुमति नहीं होगी।

iii) *<u>विशेषताएं :</u>* प्रधान कार्यालय पूर्णतः चुकता होने चाहिए अर्थात् संपूर्ण उधार या उधार की प्रत्येक शृंखला भारत की शाखा में पूर्ण रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। यह बेजमानती, भारत में विदेशी बैंक के अन्य लेनदारों के दावों से अधीनस्थ, प्रतिबंधक शर्तों से मुक्त होना चाहिए तथा प्रधान कार्यालय के कहने पर प्रतिदेय नहीं होना चहिए।

iv) *<u>बट्टा दर :</u>* जैसे-जैसे प्रधान कार्यालय उधार परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं वैसे-वैसे वे नीचे दी गयी दरों पर प्रगामी बट्टे के अधीन होंगे :

उधार की शेष परिपक्वता	बट्टा दर
5 वर्ष से अधिक	लागू नहीं (संपूर्ण राशि पैरा 2 में दी गयी सीमा के अधीन टीयर II पूंजी में अधीनस्थ ऋण के रूप में शामिल की जा सकती है)
4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	20%
3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम	40%
2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम	60%
1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष से कम	80%
1 वर्ष से कम	100% (कोई राशि टीयर II पूंजी के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में नहीं मानी जा सकती)

v) *ब्याज दर :* प्रधान कार्यालय उधार पर ब्याज दर चालू बाज़ार दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ब्याज छमाही अंतरालों पर अदा किया जाना चाहिए।

vi) विदहोल्डिंग कर : प्रधान कार्यालय को ब्याज की अदायगियां यथाप्रयोज्य विदहोल्डिंग कर के अधीन होंगी।

vii) *चुकौतियां :* मूलधन की राशि की सभी चुकौतियां भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के पूर्व अनुमोदन की शर्त पर होंगी।

viii) *प्रलेखीकरण :* बैंक को विदेशी बैंक के भारतीय कार्यकलापों के लिए पूंजी आधार की अनुपूर्ति के लिए ऋण देने हेतु अपने प्रधान कार्यालय से सहमति पत्र प्राप्त करना चाहिए। ऋण के प्रलेखन में इस बात की पुष्टि होनी चाहिए कि प्रधान कार्यालय द्वारा दिया गया ऋण भारत में विदेशी बैंक के अन्य सभी लेनदारों के दावों से अधीनस्थ होगा। ऋण-करार भारतीय कानून से नियंत्रित होगा तथा उसके अनुसार उसका अर्थ लगाया जायेगा। निर्गम की मूल शर्तों में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के मामले में रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए।

2. प्रकटीकरण

प्रधान कार्यालय उधार की कुल राशि तुलनपत्र में `प्रधान कार्यालय से विदेशी मुद्रा में दीर्घावधि उधारों के स्वरूप में अधीनस्थ ऋण' शीर्ष में प्रकट की जाए।(अनुसूची 4- उधार)

3. आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं

प्रधान कार्यालय उधारें की कुल राशि को आरक्षित निधि की अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं के लिए देयता के रूप में गिना जाना है तथा इस प्रकार उस पर सीआरआर/ एसएलआर संबंधी अपेक्षाएं लागू होंगी।

4. प्रतिरक्षा (हैजिंग)

प्रधान कार्यालय उधार की पूरी राशि हर समय बैंकों के पास पूर्णतः स्वैप बनी रहनी चाहिए। स्वैप भारतीय रुपये में होना चाहिए।

5. रिपोर्टिंग तथा प्रमाणन

ऊपर दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए लिये जानेवाले ऐसे उधारों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा। किंतु इस परिपत्र के अधीन प्रधान कार्यालय से जुटायी गयी उधार की कुल राशि के संबंध में सूचना, इस आशय के प्रमाणपत्र के साथ कि उधार दिशानिर्देशों के अनुसार है, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग अनुभाग), बाह्य निवेश और परिचालन विभग तथा विदेशी मुद्रा

विभाग) विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग) के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को दी जानी चाहिए।

अनुबंध-6
(देखें पैरा 5.16.1)

1 फरवरी 2006 के परिपत्र बैंपविवि सं बीपी. बीसी.60/ 21.04.048/2005-06 द्वारा जारी
"मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में दिशानिर्देश" से उद्धरण

व्याप्ति

1. दिशानिर्देशों में दिये गये विनियामक ढांचे में बैंकों, अखिल भारतीय मीयादी ऋण देनेवाली और पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) द्वारा मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण शामिल है। दिशानिर्देशों में `बैंक' के अंतर्गत उपर्युक्त सभी संस्थाएं शामिल होंगी ।

2. प्रतिभूतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दिवालियेपन की बहुत ही कम संभावना वाली (बैंकरप्टसी रिमोट) विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) को आस्तियां बेची जाती हैं जिसके बदले में तत्काल नकदी भुगतान मिलता है । स्पेशल परपज़ वेहिकल (एसपीवी) द्वारा जारी प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के लिए आस्तियों के आधार समूह से नकदी प्राप्त होती है । इस प्रकार, प्रतिभूतिकरण में दो चरण की प्रक्रिया अपनायी जाती है । पहले चरण में एकल आस्ति या समूह की बिक्री और आस्तियों के समूह (पूल) की बिक्री ऐसे विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) को की जाती है जिसमें दिवालियेपन की बहुत ही कम संभावना रहती है, जिसके बदले में तत्काल नकदी भुगतान मिलता है तथा दूसरे चरण में पुनः पेकैजिंग की जाती है और क्रय-विक्रय योग्य ऋण प्रतिभूतियां जारी कर तीसरी पार्टी के निवेशकों को उक्त आस्ति या आस्तियों के समूह से प्राप्त होनेवाली नकदी पर दावों के प्रतिभूति लाभों की बिक्री की जाती है ।

3. प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में बैंकों के ऋणा आदि जोखिम का "प्रतिभूतिकरण जोखिम" के रूप में उल्लेख किया गया है । प्रतिभूतिकरण जोखिम में निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु वह उन तक ही सीमित नहीं है : एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के संबंध में जोखिम, ऋण वृद्धि सुविधा, चलनिधि सुविधा, हामीदारी सुविधा, ब्याज दर या मुद्रा अदला-बदली तथा नकदी संपार्श्विक खाते ।

4. इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की व्यापक परिभाषाएँ नीचे दी गई हैं। ये शब्द इन दिशानिर्देशों के विभिन्न संबंधित भागों में उपयुक्त स्थान पर पूरक रूप में दिये गये हैं ।

(i) "दिवालियेपन की बहुत ही कम संभावना वाले" का अर्थ है मूल प्रवर्तक अथवा उसके ऋणदाताओं सहित किसी के द्वारा किसी संस्था पर स्वैच्छिक अथवा अनैच्छिक तौर पर दिवालियेपन की कार्यवाही किये जाने की बहुत ही कम संभावना वाले;

(ii) "ऋण वृद्धि" किसी विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) को आस्तियों के समूह से संबद्ध हानियों से बचाव के लिए प्रदान की जाती है। एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों को किसी रेटिंग एजेन्सी द्वारा दी गई रेटिंग इस वृद्धि के स्तर को प्रतिबिंबित करेगी;

(iii) "प्रथम हानि सुविधा" एसपीवी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों को निवेश के स्तर तक लाने की प्रक्रिया के भाग के रूप में एसपीवी को दी जानेवाली वित्तीय सहायता के प्रथम स्तर की द्योतक है। इस सुविधा को प्रदान करनेवाला एसपीवी द्वारा धारित आस्तियों के साथ संबद्ध अधिकांश (अथवा सभी) जोखिमों को वहन करता है;

(iv) "द्वितीय हानि सुविधा" संभाव्य हानियों के विरुद्ध किसी एसपीवी को सुरक्षा का द्वितीय (अथवा परवर्ती) स्तर प्रदान करनेवाली ऋण वृद्धि की द्योतक है;

(v) "चलनिधि सुविधाएं" निवेशकों को समय पर भुगतान करने में एसपीवी को समर्थ बनाती हैं । इनमें समूहित आस्तियों के संबंध में ब्याज और मूलधन के भुगतान के बीच समय के अंतरालों को एवं निवेशकों को देय अदायगियों को सुविधाजनक बनाना शामिल है;

(vi) "मूल प्रवर्तक' किसी प्रतिभूतिकरण संबंधी लेनदेन के भाग के रूप में अपने तुलन-पत्र से एक आस्ति अथवा आस्तियों के समूह को किसी एसपीवी को अंतरित करनेवाले बैंक का सूचक है तथा इसमें उस समेकित समूह की अन्य संस्थाएं भी शामिल हैं जिससे बैंक संबद्ध है;

(vii) "प्रतिभूतिकरण" का आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक अर्जक आस्ति अथवा अर्जक आस्तियों के समूह की बिक्री किसी दिवालियेपन की बहुत ही कम संभावना वाले एसपीवी को की जाती है तथा तत्काल नकद भुगतान के बदले में मूल प्रवर्तक के तुलन-पत्र से इसका/इनका अंतरण एसपीवी को किया जाता है;

(viii) "सेवा प्रदाता" से आशय उस बैंक से है जो एसपीवी की ओर से (क) प्रतिभूतिकरण के अंतर्निहित ऋण आदि जोखिम अथवा जोखिमों के समूह के नकदी प्रवाहों से संबंधित प्रशासनिक कार्य; (ख) निधि प्रबंधन; तथा (ग) निवेशकों से संबंधित सेवा कार्य करता है;

(ix) "विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी)" से आशय ऐसी किसी कंपनी, न्यास, अथवा अन्य संस्था से है जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए गठित की गई हो- (क) जिसके कार्यकलाप स्थिति के अनुसार उक्त कंपनी, न्यास अथवा अन्य संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सीमित हों; तथा (ख) जिसकी संरचना इस प्रकार से की गई हो कि उसमें दिवालियेपन की बहुत ही कम संभावना वाले बनाने के लिए मूल प्रवर्तक के ऋण जोखिम से, स्थिति के अनुसार निगम, न्यास अथवा संस्था को अलग करने के उद्देश्य को पूरा किया जा सके;

(x) "हामीदारी" से आशय उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत कोई भी बैंक यदि कोई अन्य खरीदार आगे नहीं आता है तो निश्चित तारीख को निश्चित मूल्य पर नए निर्गम में प्रतिभूतियों की विशिष्ट मात्रा को खरीदने के लिए निर्गम से पहले सहमति देता है ।

<u>वास्तविक बिक्री</u>

5. प्रतिभूतिकरण के ढांचे में मूल प्रवर्तक के तुलन-पत्र से अंतरित आस्तियों को निकालने की सुगमता के लिए मूल प्रवर्तक से आस्तियों का पृथक्करण अथवा एसपीवी को 'वास्तविक बिक्री' एक अनिवार्य अपेक्षा है। यदि मूल प्रवर्तक द्वारा एसपीवी को आस्तियों का अंतरण नीचे दी गई वास्तविक बिक्री की सभी शर्तों के पूर्ण अनुपालन में किया जाता है, तो उक्त अंतरण को 'वास्तविक बिक्री' माना जाएगा तथा मूल प्रवर्तक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह ऐसे अंतरण की तारीख से इस प्रकार अंतरित की गई आस्तियों के मूल्य हेतु कोई पूंजी बनाए रखे। ऐसे अंतरण की प्रभावी तारीख विद्यमान करार में सुस्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जानी चाहिए। अंतरित आस्तियों के "वास्तविक बिक्री" के मानदंडों के अनुरूप न होने की स्थिति में आस्तियों को मूल प्रवर्तक के तुलन-पत्र में विद्यमान माना जाएगा और तदनुसार मूल प्रवर्तक से यह अपेक्षित होगा कि वह उन आस्तियों के लिए पूंजी बनाए रखे। वास्तविक बिक्री के जो मानदंड नीचे निर्धारित हैं, केवल उदाहरण स्वरूप हैं और परिपूर्ण नहीं हैं ।

6. **आस्तियों की "वास्तविक बिक्री" के लिए मानदंड**

6.1 बिक्री के परिणामस्वरूप उन आस्तियों से मूल प्रवर्तक को तुरंत कानूनी तौर पर अलग हो जाना चाहिए जिनकी बिक्री नये स्वामी अर्थात् एसपीवी को हो चुकी है । एसपीवी को अंतरण के बाद आस्तियों को मूल प्रवर्तक से पूर्णतः पृथक होना चाहिए, अर्थात् उन्हें मूल प्रवर्तक एवं उनके ऋणदाताओं की पहुँच से, मूल प्रवर्तक के दिवालियेपन की स्थिति में भी दूर रखा जाना चाहिए ।

6.2 मूल प्रवर्तक को चाहिए कि वह आस्ति से संबंधित सभी जोखिमों/प्रतिफलों तथा अधिकारों/ दायित्वों का प्रभावी रूप में अंतरण कर दे तथा एसपीवी को आस्ति की बिक्री के बाद उसमें किसी भी प्रकार का लाभकारी हित न रखे। एसपीवी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों की पूरी अवधि की समाप्ति पर प्रतिभूतिकृत आस्तियों पर किसी भी अतिरिक्त आय के लिए मूल प्रवर्तक को हकदार बनानेवाले करार को वास्तविक बिक्री के मानदंडों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। एसपीवी को चाहिए कि वह आस्तियों को किसी प्रतिबंधात्मक शर्त के बिना बंधक रखने, बेचने, अंतरित करने अथवा विनिमय करने या किसी भी अन्य प्रकार से निपटान करने का बंधनरहित अधिकार प्राप्त करे ।

6.3 बिक्री के बाद मूल प्रवर्तक का आस्तियों में कोई आर्थिक हित नहीं होगा तथा एसपीवी को इन दिशानिर्देशों में विशेष रूप से अनुमत बातों को छोड़कर किसी भी व्यय अथवा हानि के लिए मूल प्रवर्तक का किसी भी प्रकार से आश्रय नहीं लेना होगा।

6.4 मूल प्रवर्तक पर बिक्री के समय की गई वारंटियों अथवा अभ्यावेदनों के उल्लंघन से उत्पन्न होनेवाली जिम्मेदारियों को छोड़कर किसी भी समय आस्ति अथवा उसके किसी भाग की पुनः खरीद करने या पुनर्भुगतान का निधीयन करने या एसपीवी द्वारा धारित आस्तियों को प्रतिस्थापित करने या उसे अतिरिक्त आस्तियाँ उपलब्ध कराने का कोई दायित्व नहीं होगा। मूल प्रवर्तक को यह दर्शाने में समर्थ होना चाहिए कि एसपीवी को इस आशय की सूचना दी गई है और एसपीवी ने ऐसे दायित्व के न होने की स्वीकृति दी है ।

6.5 प्रतिभूतिकरण योजना की समाप्ति पर पूर्णतः अर्जक आस्तियों की पुनः खरीद करने का विकल्प मूल प्रवर्तक द्वारा रखा जा सकता है जहाँ ऐसी आस्तियों का अवशिष्ट मूल्य कुल मिलाकर एसपीवी को बेची गई मूल राशि के 10 प्रतिशत से कम हो गया हो ("क्लीन अप कॉल्स") जैसा कि पैरा 10 के अनुसार अनुमति दी गई है ।

6.6 मूल प्रवर्तक को यह दर्शाने में समर्थ होना चाहिए उसने कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित पूर्व सावधानियां बरती हैं कि वह उक्त योजना अथवा निवेशकों द्वारा उठाई गई किसी भी हानि को वहन करने के लिए बाध्य नहीं है, न ही वह ऐसी बाध्यता के लिए प्रेरित होनेवाला है ।

6.7 बिक्री केवल नकदी आधार पर ही होगी और प्रतिफल एसपीवी को आस्तियाँ अंतरित करने के समय तक प्राप्त किया जाएगा । बिक्री का प्रतिफल बाजार-आधारित होना चाहिए तथा उसकी गणना पारदर्शी तरीके से पर्याप्त दूरी के आधार पर की जानी चाहिए ।

6.8 इन दिशानिर्देशों में विशिष्ट रूप में दी गयी अनुमति के अनुसार कुछ सेवाओं (जैसे ऋण की वृद्धि, चलनिधि सुविधा, हामीदारी, आस्तियों का शोधन, आदि) तथा मूल प्रवर्तकों द्वारा परिणामी जोखिमों /दायित्वों को ग्रहण करने की व्यवस्था, लेनदेन के 'वास्तविक बिक्री' के स्वरूप से कम नहीं होगी बशर्ते सेवा संबंधी ऐसे दायित्वों के कारण प्रतिभूतिकृत आस्तियों

पर किसी भी प्रकार का अवशिष्ट ऋण जोखिम नहीं आएगा अथवा उनके लिए ऐसी सेवाओं के संबंध में संविदागत निष्पादन बाध्यताओं से अधिक कोई भी अतिरिक्त दायित्व नहीं होगा ।

6.9 मूल प्रवर्तक बैंक के विधिक परामर्शदाता की राय रिकार्ड में रखी जानी चाहिए जिसमें यह सूचित किया गया हो कि (i) आस्तियों के सभी अधिकार, स्वामित्व हित और लाभों को एसपीवी को अंतरित कर दिया गया है; (ii) ऋण वृद्धि/चलनिधि सुविधा जैसे कुछ अनुमत संविदागत दायित्वों की देयताओं को छोड़कर इन आस्तियों के संबंध में मूल प्रवर्तक का किसी भी प्रकार से निवेशकों के प्रति कोई दायित्व नहीं है, और (iii) मूल प्रवर्तक के ऋणकर्ता को संबंधित मूल प्रवर्तक के दिवालियेपन के मामले में भी इन आस्तियों के मामले में किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है ।

6.10 एसपीवी को आस्तियों के अंतरण के बाद प्रभावी हुए आधारभूत करारों की शर्तों का कोई पुनर्निर्धारण, पुनर्रचना अथवा पुनः परक्रामण एसपीवी पर बाध्य होगा, न कि मूल प्रवर्तक पर तथा वह निवेशकों, ऋण वृद्धि प्रदाताओं और अन्य सेवा प्रदाताओं की स्पष्ट सहमति से ही किया जाएगा । बिक्री लेनदेन दस्तावेज़ों में इसका स्पष्ट रूप से प्रावधान किया जाना चाहिए ।

6.11 मूल प्रवर्तक से आस्तियों के अंतरण से आस्तियों को नियंत्रित करनेवाले किसी आधारभूत करार की शर्तों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और बाध्यताधारियों (अन्य पक्षों सहित, जहां आवश्यक हो) से सभी आवश्यक सहमतियां प्राप्त की जानी चाहिए ।

6.12 यदि मूल प्रवर्तक एसपीवी के साथ किये करार के अंतर्गत, प्रतिभूतिकरण के बाद आस्तियों के क्रय-विक्रय का भी प्रावधान करता है और ऋणकर्ता से भुगतान/चुकौती उसके माध्यम से की जाती है तो वह जब तक संबंधित ऋणकर्ताओं से प्राप्त नहीं होती तब तक एसपीवी/निवेशकों को निधि प्रेषित करने के लिए बाध्य नहीं है ।

6.13 मूल प्रवर्तक पर एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियां खरीदने का कोई दायित्व नहीं होना चाहिए और उनके प्राथमिक निर्गमों में उसे अंशदान नहीं करना चाहिए। तथापि, मूल प्रवर्तक एसपीवी द्वारा जारी पुरानी प्रतिभूतियां ही निवेश प्रयोजनों के लिए बाज़ार मूल्य पर खरीद सकते हैं यदि वे कम-से-कम `निवेश ग्रेड' हों । ऐसी खरीद, हामीदारी प्रतिबद्धताओं के कारण सुपुर्द की गयी प्रतिभूतियों सहित संबंधित निर्गम की मूल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

6.14 मूल प्रवर्तक एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के मार्केट-मेकिंग या लेनदेन में रुचि नहीं लेगा।

6.15 एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के लिए कोई विक्रय विकल्प नहीं होगा। आधारभूत आस्तियों पर भुगतानपूर्व जोखिम से निपटने के लिए उक्त प्रतिभूतियों के लिए क्रय विकल्प हो सकता है।

<u>एसपीवी द्वारा पूरे किये जानेवाले मानदंड</u>

8. एसपीवी एक विशेष प्रयोजन वाली संस्था है जो ऐसी प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया के दौरान गठित की गयी जिसे प्रतिभूतिकृत आस्तियों में लाभार्थियों के हित को बिना विकल्प आधार पर बेचा/अंतरित किया जाता है। एसपीवी एक भागीदारी फर्म, न्यास या कंपनी हो सकती है। इन दिशानिर्देशों में एसपीवी के किसी संदर्भ का अर्थ प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में एसपीवी द्वारा स्थापित या घोषित न्यास भी होगा। वास्तविक बिक्री के रूप में एसपीवी को मूल प्रवर्तक द्वारा अंतरित आस्तियों पर कार्रवाई कर सकने, पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश तथा उसके द्वारा लिये गये प्रतिभूतिकरण जोखिमों से संबंधित अन्य पहलुओं को लागू करने के लिए एसपीवी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा :

8.1 मूल प्रवर्तक तथा एसपीवी के बीच लेनदेन पूरी तरह पर्याप्त दूरी के आधार पर होना चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एसपीवी के साथ कोई लेनदेन जानबूझकर भावी हानि को पूरा करने के लिए न हो।

8.2 आस्तियों के मूल प्रवर्तक के साथ एसपीवी और न्यासी के नाम में समानता नहीं होनी चाहिए या उसके शीर्षक अथवा नाम में कोई संबद्धता या संबंध नहीं होना चाहिए ।

8.3 एसपीवी मूल प्रवर्तक से पूर्णतः स्वतंत्र होनी चाहिए। प्रवर्तक का एसपीवी में कोई मालिकाना, स्वामित्व अथवा लाभकारी हित नहीं होना चाहिए । मूल प्रवर्तक को एसपीवी में कोई शेयर पूंजी धारित नहीं करनी चाहिए ।

8.4 एसपीवी के बोर्ड में मूल प्रवर्तक का केवल एक प्रतिनिधि होगा जिसे वीटो का अधिकार नहीं होगा, बशर्ते उक्त बोर्ड में कम-से-कम चार सदस्य हों और स्वतंत्र निदेशकों की अधिकता हो ।

8.5 मूल प्रवर्तक एसपीवी और न्यासियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण नहीं करेगा और न्यास विलेख का निर्णय नहीं करेंगे ।

8.6 एसपीवी दिवालियेपन की बहुत ही कम संभावना वाला होगा और विवेकाधिकार रहित होगा ।

8.7 न्यास विलेख में न्यासियों द्वारा निष्पादित किये जानेवाले कार्यों, उनके अधिकारों, दायित्वों तथा प्रतिभूतिकृत आस्तियों के संबंध में निवेशकों के अधिकारों और दायित्वों को विस्तार से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। न्यास विलेख से न्यासी को न्यास संपत्ति के

निपटान और प्रबंधन अथवा अनुप्रयोग की पद्धति में किसी प्रकार का विवेकाधिकार नहीं मिलना चाहिए। अपने हितों की रक्षा के लिए न्यास विलेख में निवेशकों को किसी भी समय न्यासी को बदलने के अधिकार दिये जाने चाहिए ।

8.8 न्यासी को एसपीवी के संबंध में केवल न्यास संबंधी कार्य करने चाहिए और एसपीवी के साथ अन्य कोई कारोबार नहीं करना चाहिए ।

8.9 इन दिशानिर्देशों में स्पष्टतः अनुमत सुविधाओं के अंतर्गत आनेवाली हानियों को छोड़कर मूल प्रवर्तक एसपीवी की हानियों को वहन नहीं करेगा और एसपीवी के आवर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए भी बाध्य नहीं होगा ।

8.10 एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों का श्रेणी निर्धारण अनिवार्यतः सेबी में पंजीकृत श्रेणी निर्धारक एजेन्सी द्वारा किया जाना चाहिए और किसी भी समय यह श्रेणी निर्धारण 6 महीने से अधिक पुराना न हो। ऋण पात्रता श्रेणी निर्धारण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। श्रेणी निर्धारण और उसके बाद के अद्यतनीकरण के लिए एसपीवी को चाहिए कि वह समय पर संबंधित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी को आवश्यक जानकारी की आपूर्ति करे । एसपीवी और श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के बीच यदि हित की समानता अथवा भिन्नता है तो उसे भी प्रकट किया जाना चाहिए ।

8.11 एसपीवी को चाहिए कि वह उसके द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों में निवेशकों को सूचित करे कि ये प्रतिभूतियां बीमाकृत नहीं हैं और वे मूल प्रवर्तक, सर्विसर या न्यासियों की जमा देयताएं नहीं है ।

8.12 एसपीवी के न्यास विलेख तथा लेखों एवं कार्यकलापों की एक प्रतिलिपि मांगे जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध करायी जाए ।

<u>खास विशेषताएं</u>

9. अभ्यावेदन और वारंटियां

एसपीवी को आस्तियां बेचनेवाले मूल प्रवर्तक को उन आस्तियों के संबंध में अभ्यावेदन तथा वारंटियां तैयार करनी होगी। जहां निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया गया हो वहां मूल प्रवर्तक के लिए ऐसे अभ्यावेदन तथा वारंटियों हेतु पूंजी धारित करना अनिवार्य नहीं होगा।

(क). किसी भी अभ्यावेदन अथवा वारंटी का प्रावधान केवल औपचारिक लिखित करार के जरिए किया गया है ।

(ख) किसी भी अभ्यावेदन या वारंटी का प्रावधान करने या उसे स्वीकृत करने से पहले मूल प्रवर्तक उचित सतर्कता बरतता है ।

(ग) अभ्यावेदन या वारंटी में तथ्यों की वर्तमान स्थिति का संदर्भ है जिसका सत्यापन आस्तियों के विक्रय के समय मूल प्रवर्तक द्वारा किया जा सकता है ।

(घ) अभ्यावेदन या वारंटी निरंतर स्वरूप की नहीं है, और विशेष रूप में आस्तियों की भविष्य में उधार पात्रता, एसपीवी क और/अथवा एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के कार्य निष्पादन से संबंधित नहीं है ।

(ङ) एसपीवी को बेची गयी आस्तियों (या उसके किसी भाग) को प्रतिस्थापित करने के लिए मूल प्रवर्तक को बाध्य करते हुए अभ्यावेदन या वारंटी का प्रयोग

* एसपीवी को आस्तियों के अंतरण से 120 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए ।
* मूल बिक्री की जैसी शर्तों पर किया जाना चाहिए ।

(च) मूल प्रवर्तक को अभ्यावेदन या वारंटी भंग के लिए हर्जाना भुगतान की अपेक्षा की जाती है तो वह ऐसा कर सकता है बशर्ते हर्जाना भुगतान करार की निम्नलिखित शर्तों का पालन किया गया हो -

* अभ्यावेदन या वारंटी भंग के लिए प्रमाण का दायित्व पूणं्दतः ऐसा आरोप करनेवाले पक्ष पर होगा;
* वारंटी भंग का आरोप करनेवाले पक्ष ने मूल प्रवर्तक को दावे के लिए आधार स्पष्ट करते हुए लिखित दावा नोटिस भेजा हो; और
* वारंटी भंग के परिणामस्वरूप हुई प्रत्यक्ष हानि तक ही हर्जाना सीमित हो ।

(छ) मूल प्रवर्तक को भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को ऐसे सभी प्रसंगों के बारे में सूचित करना चाहिए जहां वह एसपीवी को बेची गयी आस्तियों को प्रतिस्थापित करने या किसी भी अभ्यावेदन अथवा वारंटी से उत्पन्न हर्जाने का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ हो ।

10. एसपीवी से आस्तियों की पुनर्खरीद

प्रतिभूतिकरण योजना के अंत में पूर्णतः अर्जक आस्तियों की पुनर्खरीद का विकल्प, प्रवर्तक द्वारा रखा जा सकता है जहां ऐसी आस्तियों का अवशिष्ट मूल्य कुल मिलाकर, एसपीवी को बेची गयी मूल राशि के 10 प्रतिशत से नीचे गया हो (क्लीन अप कॉल) और इसे `प्रभावी नियंत्रण' के अर्थ में न लिया जाए, बशर्ते :

i) बाज़ार की शर्तों (कीमत/फीस को शामिल करते हुए) से पर्याप्त दूरी रखकर खरीद की जाती है और यह मूल प्रवर्तक की सामान्य ऋण स्वीकृति तथा समीक्षा प्रक्रिया के अधीन है; और

ii) क्लीन अप कॉल उसके विवेक पर किया जाता है ।

<u>ऋण संवर्धन सुविधाओं के प्रावधान संबंधी नीति</u>

11. विस्तृत नीति

ऋण वृद्धि सुविधाओं में एसपीवी को प्रदान की गयीं वे सभी व्यवस्थाएं शामिल हैं जिनके परिणामस्वरूप एसपीवी या उसके निवेशकों की हानि को बैंक समा ले सकता है । इस प्रकार की सुविधाएं मूल प्रवर्तक और तीसरी पार्टी दोनों द्‌वारा प्रदान की जा सकती है । जब कोई बैंक विशेष प्रयोजन संस्था अथवा उसके निवेशकों को, सुनिश्चित या अव्यक्त रूप में ऋण वृद्धि प्रदान करता है तो उसे लिये गये ऋण जोखिम हेतु पूंजी धारित करना चाहिए । ऋण वृद्धि सुविधा प्रदान करनेवाली संस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं । जहां इनमें से कोई शर्त पूरी नहीं की जाती तो ऋण वृद्धि सुविधा प्रदान करनेवाले बैंक को प्रतिभूति आस्ति के संपूर्ण मूल्य हेतु पूंजी धारित करनी होगी जैसे कि वे उसके तुलन पत्र में रखी गयी हो ।

11.1 इस सुविधा के प्रावधान का ढांचा इस तरह बनाया जाए कि अन्य सुविधाओं से इसे स्पष्ट रूप में भिन्न रखा जा सके और बैंक द्‌वारा प्रदान की जानेवाली अन्य किसी सुविधा से भिन्न रूप में उसका प्रलेख बनाया जाए । सुविधा का स्वरूप, प्रयोजन, सुविधा का विस्तार और कार्य निष्पादन के सभी आवश्यक मानक को ऐसे लिखित करार में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए जो लेनदेन के प्रारंभ में निष्पादित किया जाए और प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट किया जाए ।

11.2 यह सुविधा बाज़ार की शर्तों पर `दूरी रखने के आधार' पर प्रदान की जाती है और सुविधा प्रदाता की सामान्य ऋण स्वीकृति तथा समीक्षा प्रक्रिया के अधीन होती है ।

11.3 इस सुविधा के लिए किसी फीस का भुगतान अथवा अन्य आय अधीनस्थ नहीं है अथवा आस्थगन या छूट के अधीन नहीं है ।

11.4 यह सुविधा विशिष्ट राशि तथा अवधि तक सीमित है ।

11.5 इस सुविधा की अवधि निम्नलिखित के संदर्भ में पहले पड़ने वाली तारीख तक सीमित है :

i) आधार आस्तियों का मोचन किया गया

ii) एसपीवी द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों से संबंधित दावों का भुगतान किया गया; अथवा

iii) बैंक के दायित्वों को अन्यथा समाप्त किया गया ।

11.6 सुविधा प्रदाता को निर्धारित संविदागत दायित्वों से अधिक दायित्व नहीं लेना चाहिए। विशेष रूप से सुविधा प्रदाता को चाहिए कि वह प्रतिभूतिकरण के आवर्ती व्यय का वहन न करे ।

11.7 सुविधा प्रदाता के पास अपने विधि परामर्शदाताओं से यह लिखित राय है कि करार की शर्तें उसे प्रतिभूतिकरण में निवेशकों या एसपीवी/न्यासी के, सुविधा के प्रावधान को नियंत्रित करनेवाले करार के अनुसरण में आनेवाले उनके संविदागत दायित्वों के संबंध में होनेवाली देयताओं को छोड़कर, किसी भी देयता से बचाव करती है ।

11.8 एसपीवी और/अथवा एसपीवी द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों के निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए वैकल्पिक पक्ष को चुनने का स्पष्ट अधिकार होता है ।

11.9 ऋण वृद्धि सुविधा केवल प्रतिभूतिकरण लेनदेन के प्रारंभिक समय पर ही प्रदान की जाए ।

11.10 प्रतिभूतिकरण लेनदेन के प्रारंभ में प्रदान की गयी ऋण वृद्धि की राशि एसपीवी को एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान उपलब्ध होनी चाहिए । ऋण वृद्धि की राशि में एसपीवी या इसके निवेशकों को होनेवाली हानियों से निर्मित आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए किये जानेवाले आहरण तक ही कमी की जाएगी । एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के कार्यकाल के दौरान प्रदाता को ऋण वृद्धि का कोई भी भाग नहीं दिया जाएगा ।

11.11 ऋण वृद्धि के किसी उपयोग/आहरण को तत्काल लाभ-हानि लेखा में नामे डालकर बट्टे खाते लिख देना चाहिए ।

11.12 जब कोई पहली हानि-सुविधा ठोस पर्याप्त रक्षा प्रदान नहीं करती, तो दूसरी हानि-सुविधा शायद जोखिम का असमानुपाती भाग वहन कर सकती है । इस संभावना को सीमित करने के लिए ऋण वृद्धि सुविधा को दूसरी हानि सुविधा केवल वहीं माना जाएगा :

* जहां उसे पर्याप्त पहली हानि सुविधा द्वारा संरक्षण प्राप्त हो;
* जहां पहली हानि सुविधा पूर्णतः समाप्त हो जाने पर ही इसका आहरण किया जा सकता है;
* जहां वह पहली हानि सुविधा द्वारा रक्षा प्राप्त सीमा से आगे की हानियों को ही रक्षा प्रदान करती है, तथा

* जहां पहली हानि सुविधा का प्रदाता अपने दायित्वों को पूरा करना जारी रखता हो

यदि दूसरी हानि सुविधा उपर्युक्त मानदंडों को पूरा नहीं करती तो उसे पहली हानि सुविधा के रूप में माना जाएगा ।

11.13 पहली हानि सुविधा को वहां पर्याप्त माना जाएगा जहां वह अनुरूपण या अन्य तकनीकों द्वारा अनुमानित अनेक पारंपरिक हानियों का अथवा अत्यंत खराब मामलों से संबद्ध हानियों का बचाव करती हो। दूसरी हानि सुविधा का प्रदाता पर्याप्त दूरी बनाये रखने के आधार पर पहली हानि सुविधा की पर्याप्तता का मूल्यांकन करेगा और छह महीने में कम-से-कम एक बार इसकी आवधिक समीक्षा करेगा। मूल्यांकन तथा समीक्षा करते समय निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में लिया जाए :

i) एसपीवी द्वारा धारित आस्तियों का वर्ग और गुणवत्ता;

ii) आस्तियों के संबंध में चूक दरों का वृतांत;

iii) आस्तियों के संबंध में अपेक्षित चूक दरों के मूल्यांकन हेतु बैंकों द्वारा उपयोग किये गये किसी भी सांख्यिकीय मॉडलों के परिणाम;

iv) किस प्रकार के कार्यकलापों में एसपीवी लगी है अथवा लगने के लिए उसे अनुमति दी गयी है ;

v) पहली हानि सुविधा प्रदान करनेवाली पार्टियों की गुणवत्ता; और

vi) पहली हानि बचाव की पर्याप्तता के बारे में प्रतिष्ठित रेटिंग एजेन्सियों द्वारा प्रदान की गयी राय अथवा रेटिंग पत्र ।

12 तथा 13: इस परिपत्र के पैरा 5.16.2 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

<u>चलनिधि सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में नीति</u>

14. चलनिधि समर्थन के प्रावधान पर ब्योरे-वार नीति

एसपीवी द्वारा सामना किये जानेवाले आधार आस्तियों से प्राप्त नकदी प्रवाह और निवेशकों को किये जानेवाले भुगतान के बीच समय के अंतर को ठीक करने के लिए चलनिधि सुविधा प्रदान की जाती है। ऋण वृद्धि और/या ऋण समर्थन के रूप में इस सुविधा का उपयोग किये जाने की संभावना से बचने हेतु चलनिधि सुविधा को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए। यदि यह सुविधा इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाती तो इसे ऋण वृद्धि का आर्थिक प्रयोजन सिद्ध करनेवाला माना जाएगा और तीसरी पार्टी द्वारा प्रदान की जानेवाली चलनिधि सुविधा को पहली हानि सुविधा के रूप में माना जाएगा और मूल प्रवर्तक द्वारा प्रदान की गयी चलनिधि सुविधा को दूसरी हानि सुविधा माना जायेगा ।

14.1 उपर्युक्त पैरा 11.1 से 11.8 में निर्दिष्ट सभी शर्तें ।

14.2 प्रतिभूतिकृत आस्तियों को पर्याप्त पहली हानि वृद्धि द्वारा रक्षा प्रदान की गई हो ।

14.3 सुविधा के लिए प्रलेखीकरण में स्पष्ट तौर पर उन परिस्थितियों को परिभाषित किया जाए जिनमें इस सुविधा के अंतर्गत आहरण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता ।

14.4 इस सुविधा के अंतर्गत आहरण तभी किये जा सकने चाहिए जब आहरणों को कवर करने के लिए पर्याप्त स्तर की गैर-चूककारी आस्तियां हों या आस्तियों की कुल राशि जो कि अनर्जक बन गई हो, पर्याप्त ऋण वृद्धि से रक्षा प्राप्त हो ।

14.5 इस सुविधा से निम्नलिखित उद्देश्य के लिए आहरण न किया जाए

क) ऋण वृद्धि प्रदान करने के लिए

ख) एसपीवी की हानियों की पूर्ति के लिए

ग) स्थायी परिक्रामी निधि के तौर पर उपयोग करने; तथा

घ) आहरण के पहले निवेशों के आधार समूह में हुई हानियों को पूरा करने के लिए

14.6 चलनिधि सुविधा निम्नलिखित के लिए उपलब्ध नहीं होनी चाहिए (क) प्रतिभूतिकरण के आवर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए; (ख) एसपीवी द्वारा अतिरिक्त आस्तियों के अभिग्रहण हेतु निधियन के लिए; (ग) निवेशकों की अंतिम निर्धारित चुकौती का निधीयन करने के लिए तथा (घ) वारंटियों के भंग के निधीयन के लिए ।

14.7 एसपीवी को निधियन दिया जाना चाहिए, न कि सीधे निवेशकों को ।

14.8 जब चलनिधि सुविधा से आहरण किया गया है तब सुविधा प्रदान करनेवाले को आधार आस्तियों से होनेवाले भविष्य के नकदी प्रवाहों पर दावे की प्राथमिकता होनी चाहिए जो वरिष्ठतम निवेशक के दावों से भी वरिष्ठ होगा ।

14.9 जब मूल प्रवर्तक चलनिधि सुविधा प्रदान कर रहा है तब मूल प्रवर्तक के समूह की संस्थाओं से भिन्न स्वतंत्र तीसरी पार्टी द्वारा उस चलनिधि सुविधा का कम-से-कम 25% अंश सह-प्रदान करना चाहिए जिससे आहरण किया जाएगा तथा समानुपातिक आधार पर चुकौती की जानी चाहिए । स्वतंत्र पार्टी द्वारा प्रदान की गई चलनिधि सहायता में किसी भी कमी को पूरा करने का दायित्व मूल प्रवर्तक का नहीं होना चाहिए । प्रारंभिक चरण में किसी बैंक द्वारा चलनिधि सुविधा की पूरी राशि इस आधार पर प्रदान की जा सकती है कि वह उपर्युक्त सुविधा में भाग लेने के लिए एक स्वतंत्र पार्टी को शामिल कर लेगा । मूल प्रवर्तक को ऐसी स्वतंत्र तीसरी पार्टी ढूंढ निकालने के लिए 3 महीनों का समय मिलेगा ।

15. चलनिधि सुविधा के संबंध में कार्रवाई

15.1 आहरित न किये जाने की सीमा तक चलनिधि सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता तुलन-पत्र से बाहर की मद होगी तथा इस पर 100% ऋण परिवर्तन तत्व तथा 100% जोखिम भार लागू होगा। जिस सीमा तक प्रतिबद्धता निधिक सुविधा बन जाती है, उस सीमा तक इस पर 100% जोखिम भार लागू होगा।

15.2 चूंकि चलनिधि सुविधा, अस्थायी बेमेल नकदी प्रवाह को ठीक करने के लिए बनाई गई है, अतः यह सुविधा अल्प अवधियों के लिए ही आहरणयोग्य रहेगी। यदि इस सुविधा के अंतर्गत आहरण 90 दिनों से अधिक तक बकाया रहते हैं तो इन्हें अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत कर इसका पूरा प्रावधानीकरण किया जाए।

हामीदारी सुविधाओं के प्रावधान संबंधी नीति

16. सामान्य नीति

एक मूल प्रवर्तक या तीसरी पार्टी का सेवा प्रदाता एसपीवी द्वारा प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए हामीदार की भूमिका निभा सकता है तथा पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए इसे निम्नलिखित शर्तों पर हामीदारी सुविधा मान सकता है। यदि शर्तों में से कोई पूरी नहीं की जाती, तो यह सुविधा ऋण वृद्धि के रूप में मानी जाएगी तथा तीसरी पार्टी द्वारा प्रदान करने पर पहली हानि सुविधा मानी जाएगी और प्रवर्तक द्वारा प्रदान करने पर दूसरी हानि सुविधा मानी
जाएगी।

16.1 पैरा 11.1 से 11.8 तक में विनिर्दिष्ट सभी शर्तें

16.2 हामीदारी तभी उपयोग में लायी जा सकती है, जब एसपीवी हामीदारी करार में पूर्वनिर्धारित आधार मूल्य के बराबर या उससे अधिक मूल्य पर बाज़ार में प्रतिभूतियां जारी नहीं कर सकती ।

16.3 बैंक को किसी भुगतान को रोके रखने तथा यदि आवश्यक हुआ तो सुविधा को समाप्त करने का उस स्थिति में अधिकार है जब विशिष्ट घटनाक्रम हो (जैसे आस्तियों में निर्दिष्ट स्तर से अधिक महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन या चूक हो); तथा

16.4 हामीदारी प्रतिभूतियों के प्रकार के लिए बाज़ार उपलब्ध है ।

17. हामीदारी

17.1 मूल प्रवर्तक द्वारा हामीदारी

मूल प्रवर्तक सिर्फ एसपीवी द्वारा जारी की गई निवेश श्रेणी वरिष्ठ प्रतिभूतियों की ही हामीदारी कर सकता है । हामीदारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिभूतियों की धारिता को अभिग्रहण करने के तीन महीने की अवधि के भीतर तीसरी पार्टी को बेच देना चाहिए। निर्धारित समयावधि में प्राप्त की गयी प्रतिभूतियों की कुल बकाया राशि 100 प्रतिशत जोखिम भार के अधीन होगी। यदि द्वितीयक बाज़ार से की गयी खरीद सहित निर्गम की मूल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक किसी भी धारिता की निर्धारित समय सीमा के भीतर बिक्री नहीं की जाती तो उसे टीयर I पूंजी से 50% और टीयर II पूंजी से 50% घटा दिया जाएगा।

17.2 <u>तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं द्वारा हामीदारी</u>

एसपीवी द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों की हामीदारी तीसरी पार्टी का सेवा प्रदाता ले सकता है। हामीदारी के माध्यम से अंतरित प्राप्त प्रतिभूतियों की धारिता को अभिग्रहण करने के बाद तीन महीने के भीतर तीसरी पार्टी को बेच देना चाहिए। प्राप्त की गयी प्रतिभूतियों की कुल बकाया राशि निर्धारित समयावधि में 100 प्रतिशत जोखिम भार के अधीन होगी। यदि निर्धारित समयावधि में बिक्री नहीं की जाती तो प्राप्त की गयी प्रतिभूतियां जो कम से कम निवेश श्रेणी की हों की कुल बकाया राशि पर 100% जोखिम भार लागू होगा तथा जो निवेश श्रेणी से नीचे हैं वे पूंजी से टीयर 1 से 50% तथा टीयर II से 50% घटाई जाएंगी।

<u>सर्विसेज़ के प्रावधान संबंधी नीति</u>

18. एक सर्विसिंग बैंक, प्रतिभूतिकृत आस्तियों का प्रबंधन या शोधन (सर्विस) करता है । अतः इसे किसी एसपीवी की हानि हो जाने पर उसे मदद करने में प्रतिष्ठा संबंधी बाध्यता नहीं होनी चाहिए तथा वह अपने निवेशकों को इस बात को बताने में समर्थ होना चाहिए । किसी स्वामित्व के लिए अथवा तीसरी पार्टी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए सेवा प्रदाता की भूमिका अदा करनेवाला बैंक यह सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की गयी हों । जहां निम्नलिखित शर्तें पूरी नहीं की जातीं वहां सेवा प्रदाता को एसपीवी या निवेशकों को चलनिधि सुविधा प्रदान करनेवाला माना जाएगा तथा पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए तदनुसार माना जाएगा ।

18.1 उपर्युक्त पैरा 11.1 से 11.8 में विनिर्दिष्ट सभी शर्तें ।

18.2 जब तक आधार आस्तियों से निधि पैदा नहीं होती तब तक सेवा प्रदाता को किसी भी एसपीवी या निवेशकों को निधि विप्रेषित करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए, सिवाय उस स्थिति के जहां वह पात्र चलनिधि सुविधा का प्रदाता हो ।

18.3 सेवा प्रदाता आधार आस्ति से प्राप्त होनेवाले नकदी प्रवाह को निवेशकों की ओर से ट्रस्ट में धारित करेगा तथा उसे अपने नकदी प्रवाहों से इन नकदी प्रवाहों को आपस में मिलने से बचाना चाहिए ।

19. एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

19.1 चूंकि एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियां गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के प्रकार की होंगी, अतः बैंकों के इन प्रतिभूतियों में निवेश पर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट गैर-एसएलआर निवेशों पर लागू सभी विवेकपूर्ण मानदंड लागू होंगे ।

19.2 <u>मूल प्रवर्तक द्वारा प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी सीमाएं</u>

एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में मूल प्रवर्तक द्वारा कुल निवेश, पैरा 7.13 में दिये अनुसार होंगे।

19.3 <u>पीटीसी में निवेश के लिए निवेश संबंधी मानदंड</u>

प्रतिभूतियों में निवेशकों के लिए काउंटर पार्टी एसपीवी नहीं होगी, बल्कि आधार आस्तियां होंगी जिनके संदर्भ में देयताकारों/उधारकर्ताओं से नकदी प्रवाह अपेक्षित हैं। किसी विशेष उधारकर्ता/उधारकर्ता समूह, उद्योग या भौगोलिक क्षेत्र को जोखिम संकेन्द्रण के प्रबंध के प्रयोजन के लिए समग्र निवेशों (एक्सपोज़र) को संगठित करते समय तथा वर्तमान विवेकपूर्ण निवेश मानदंडों का अनुपालन करने के लिए जहां कहीं संबंधित समूह के कुल प्राप्यों के 5% या इससे अधिक प्राप्य अथवा 5 करोड़ रुपये, इनमें से जो भी कम हो, समूह के देयताकारों के होते हैं, तब इनको ध्यान में रखना चाहिए

19.4 <u>पीटीसी में निवेशकों के लिए आय निर्धारण और प्रावधानीकरण मानदंड</u>

चूंकि प्रतिभूतियां सीमित कालावधि के लिए अपेक्षित होती हैं, अतः ब्याज वाले ऋण लिखतों, प्रतिभूतियों पर आय को सामान्यतः उपचय आधार पर माना जाए । तथापि, यदि प्रतिभूतियों पर आय (या मोचन राशि भी) 90 दिनों से अधिक तक बकाया रहती है, तो भविष्य में कोई भी आय सिर्फ वसूली होने पर ही मानी जानी चाहिए तथा उपचय आधार पर मानी गयी वसूली के लिए बाकी आय को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए । प्रतिभूतियों पर लंबित प्राप्य राशि के मामले में ऐसे अतिदेयों के कारण प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान भी किये जाने चाहिए, जैसा कि बैंकों द्वारा निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए रिज़र्व बैंक के वर्तमान मानदंडों में पहले ही परिकल्पित है ।

20. प्रतिभूतीकरण लेनदेनों पर लेखांकन कार्रवाई

20.1 **<u>मूल प्रवर्तक की बहियों में लेखांकन</u>**

इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक सिर्फ नकद आधार पर एसपीवी को आस्तियां बेच सकते हैं तथा एसपीवी को आस्तियां अंतरित होने के पहले ही बिक्री प्रतिफल प्राप्त हो जाना चाहिए । अतः बिक्री से पैदा हुई किसी हानि को तदनुसार लेखाबद्ध किया जाना चाहिए तथा जिस अवधि में बिक्री संपन्न हुई उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाना चाहिए तथा बिक्री से पैदा हुए किसी लाभ/प्रीमियम को एसपीवी द्वारा निर्गमित या ंिनिर्गमित की जानेवाली प्रतिभूतियों के जीवनकाल तक परिशोधित कर देना चाहिए ।

i) ऐसी प्रतिभूतिकृत आस्तियों के मामले में जो मूल प्रवर्तक की बहियों में शामिल न करने योग्य हैं, उनके लेनदेन पर हुए सभी प्रकार के व्यय जैसे विधिक फीस आदि को लेनदेन के समय व्यय किया जाना चाहिए और इसे आस्थगित नहीं करना चाहिए ।

ii) जहां प्रतिभूतिकृत आस्तियां शामिल करने योग्य नहीं है, वहां प्राप्त बिक्री प्रतिफल को उधार के रूप में माना जाएगा ।

20.2 मूल प्रवर्तक, एसपीवी तथा प्रतिभूतियों के निवेशकों की बहियों में प्रतिभूतिकरण लेनदेनों का लेखांकन व्यवहार, इन दिशानिर्देशों में विशिष्ट रूप से शामिल न होने वाले पहलुओं के संदर्भ में आइसीएआइ द्वारा जारी मार्गदर्शी नोट के अनुसार किया जाएगा ।

अनुबंध 6 क

(देखें पैरा 5.16.1)

<u>7 मई 2012 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 103/21.04.177/2011-12 के माध्यम से जारी "प्रतिभूतीकरण के माध्यम से आस्तियों के अंतरण और नकदी प्रवाह के सीधे समनुदेशन के संबंध में दिशानिर्देशों में संशोधन" से उद्धरण</u>

<u>भूमिका</u>

प्रतिभूतीकरण में एक जैसी आस्तियों को समूहबद्ध किया जाता है तथा बाद में इन आस्ति समूहों से प्राप्त होने वाले नकदी प्रवाह को निवेशकों को बेच दिया जाता है। प्रतिभूतीकरण बाजार का मुख्य उद्देश्य ऋण जोखिम को प्रवर्तकों से हटाकर ऐसे निवेशकों के व्यापक वर्ग में पुनर्वितरित करना है, जो जोखिम सह सकते हैं। इससे वित्तीय स्थिरता को सहायता मिलती है और निधीयन का अतिरिक्त स्रोत भी उपलब्ध होता है। ऋण बाजारों में हाल के संकट से प्रतिभूतीकरण गतिविधि के कतिपय पहलुओं तथा`ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट' व्यवसाय मोडेल के अनेक तत्वों की वांछनीयता पर प्रश्न उठा है। इसका कारण प्रवर्तकों की प्रोत्साहन प्रणाली पर संभावित प्रभाव तथा प्रवर्तकों और निवेशकों के हितों में संभावित टकराव है। यद्यपि भारत में प्रतिभूतीकरण ढांचा काफी कुछ विवेकपूर्ण रहा है, तथापि कुछ अवांछनीय प्रथाएं विकसित होने की सूचना मिली है, यथा तुरंत प्रतिभूतीकरण के उद्देश्य से ऋण देना और पूर्ण वितरण के पहले ही परियोजना ऋणों की श्रृंखलाओं का प्रतिभूतीकरण करना और इस प्रकार परियोजना कार्यान्वयन का जोखिम निवेशकों पर डाल देना ।

एक सुव्यवस्थित और स्वस्थ प्रतिभूतीकरण बाजार को विकसित करने, प्रवर्तकों और निवेशकों के हितों में अधिक संगति सुनिश्चित करने तथा उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुरूप प्रतिभूतीकरण गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए संकट के बाद सुधार के कई प्रस्तावों पर अंतरराष्ट्रीय रूप से विचार हो रहा है। इसके केंद्र में यह विचार है कि प्रत्येक प्रवर्तित प्रतिभूतीकरण में प्रवर्तक के पास एक अंश रहना चाहिए ताकि प्रोत्साहनों में बेहतर संगति हो और ऋणों की अधिक प्रभावी जांच हो। इसके अलावा प्रतिभूतीकरण के पहले ऋणों की न्यूनतम धारण अवधि भी वांछनीय मानी जा रही है ताकि निवेशक प्रवर्तकों द्वारा बरती गयी समुचित सावधानी के संबंध में आश्वस्त हो सकें। उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय कार्य को देखते हुए, न्यूनतम धारण अवधि और न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं।

खंड 'क'

<u>मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण के लिए दिशानिर्देश</u>

1. <u>ओरिजिनेटिंग बैंकों द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं</u>

1.1 <u>प्रतिभूतीकरण के लिए पात्र आस्तियां</u>

किसी एकल प्रतिभूतीकरण लेनदेन में अंतर्निहित आस्तियों को बाध्यताधारियों के किसी समरूप समूह[53] की ऋण बाध्यता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए । इस शर्त के अधीन <u>निम्नलिखित को छोड़कर</u> तुलन पत्र में शामिल सभी मानक आस्तियां[54] प्रतिभूतीकरण की पात्र होंगी :

(i) चक्रीय ऋण सुविधा (उदाहरण के लिए नकदी ऋण खाते, क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियां आदि(

(ii) अन्य संस्थाओं से खरीदी गयी आस्तियां

(iii) प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर (उदाहरण के लिए बंधक समर्थित/आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियां(

(iv) मूलधन और ब्याज की बुलेट चुकौती वाले ऋण[55]

1.2 **न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी)**

1.2.1 ओरिजिनेटिंग बैंक ऋणों का प्रतिभूतीकरण तभी कर सकते हैं जब उनकी बहियों में वे न्यूनतम अवधि तक हों । आस्तियों की न्यूनतम धारण अवधि को निर्धारित करने वाले मानदंड, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि -

- परियोजना कार्यान्वयन जोखिम निवेशकों को अंतरित नहीं किया जाता है और ;
- प्रतिभूतीकरण के पहले न्यूनतम सुधार कार्य निष्पादन दर्शाया जाता है ।

---

[53] एकल आस्ति प्रतिभूतीकरण में ऋण को श्रृंखलाओं में विभाजित नहीं किया जाता है और न जोखिम का पुनर्वितरण होता है। अतः, उसे प्रतिभूतीकरण के आर्थिक उद्देश्य के अनुरूप नहीं माना जाता है।

[54] इन दिशानिर्देशों में ऋण/आस्ति शब्द का अभिप्राय ऋण, अग्रिम और बांडों से है, जो 1 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र -बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन -के पैरा 2.1(viii) में परिभाषित अग्रिम की प्रकृति के हैं ।

[55] व्यक्तियों को कृषि संबंधी गतिविधियों) भारतीय रिज़र्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी मास्टर परिपत्र में दी गयी परिभाषा के अनुसार (के लिए 24 महीने तक की अवधि के लिए दिया गया ऋण जहां ब्याज और मूलधन परिपक्वता पर ही देय होते हैं तथा 12 महीने की अवधि तक की व्यापार प्राप्य राशियाँ जिन्हें बैंकों ने अपने उधारकर्ताओं से डिस्काउंट किया/खरीदा है, प्रतिभूतीकरण की पात्र होंगी । तथापि, केवल वही ऋण/प्राप्य राशियां प्रतिभूतीकरण की पात्र होंगी जहां उधारकर्ता) कृषि ऋण के मामले में/(बिल के अदाकर्ता) व्यापार प्राप्य राशियों के मामले में (ने पिछले दो ऋणों/प्राप्य राशियों) एक वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि वाले कृषि ऋण के मामले में, एक ऋण (को नियत दिन के 90 दिन के भीतर पूरी रकम चुका दी है ।

1.2.2 बैंक ऋणों का प्रतिभूतीकरण न्यूनतम धारण अवधि के बाद ही कर सकते हैं, जिसकी गिनती किसी गतिविधि/प्रयोजन के लिए दिये गये ऋण के पूर्ण संवितरण की तारीख, उधारकर्ता द्वारा आस्ति (अर्थात् कार, आवासीय भवन आदि (के अभिग्रहण अथवा परियोजना पूर्ण होने की तारीख, जो भी लागू हो, से की जाएगी। न्यूनतम धारण अवधि की परिभाषा प्रतिभूतीकरण के पूर्व चुकाये गये किस्तों की संख्या के संदर्भ में की जाएगी। अवधि और चुकौती की बारंबारता के आधार पर विभिन्न ऋणों पर लागू न्यूनतम धारण अवधि नीचे सारणी में दी जा रही है [56]

न्यूनतम धारण अवधि

	प्रतिभूतीकरण के पहले अदा किये गये किस्तों की न्यूनतम संख्या			
	चुकौती की बारंबारता - साप्ताहिक	**चुकौती की बारंबारता - पाक्षिक**	**चुकौती की बारंबारता - मासिक**	**चुकौती की बारंबारता - तिमाही**
2 वर्षों तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	बारह	छह	तीन	दो
2 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	अठारह	नौ	छह	तीन
5 वर्ष से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	-	-	बारह	चार

1.2.3 प्रतिभूतीकृत ऋणों के समूह में अलग-अलग ऋणों पर न्यूनतम धारण अवधि लागू होगी। पैरा 1.1 के फुटनोट 3 में उल्लिखित ऋणों पर न्यूनतम धारण अवधि नहीं लागू होगी।

1.3 <u>न्यूनतम धारण अपेक्षा (एम आर आर)</u>

1.3.1 एमआरआर की परिकल्पना इसलिए की गयी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओरिजिनेटिंग बैंकों का प्रतिभूतीकृत आस्तियों के कार्य निष्पादन में निरंतर रुचि बनी रहे ताकि वे प्रतिभूतीकृत किये जाने वाले ऋण के संबंध में समुचित सावधानी बरतें। दीर्घावधिक ऋणों के मामले

[56] जहां चुकौती तिमाही से अधिक अंतराल पर हो, वहां कम-से-कम दो किस्तों की चुकौती के बाद ऋणों का प्रतिभूतीकरण किया जा सकता है।

में एमआरआर में ईक्विटी/अधीनस्थ अंश के अलावा प्रतिकृत पेपर का वर्टिकल अंश भी होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिभूतीकरण प्रक्रिया की पूरी अवधि के दौरान प्रतिभूतीकृत आस्तियों के कार्य निष्पादन में ओरिजिनेटिंग बैंक की रुचि /हित हो। ओरिजिनेटिंग बैंकों को ऋण का प्रतिभूतीकरण करते समय नीचे दी गयी सारणी में वर्णित एमआरआर का पालन करना चाहिए। ऋणों का प्रतिभूतीकरण करते समय प्रवर्तक बैंक को निम्न सारणी में दिए गए ब्योरेवार एमआरआर का पालन करना चाहिए:

प्रतिभूतीकरण के समय न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकताएं

ऋण का प्रकार	एमआरआर	एमआरआर का ब्योरा		
24 माह या कम अवधि की मूल परिपक्वता के लिए ऋण	प्रतिभूतीकृत किये जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का **5%**	i)	जहाँ प्रवर्तक द्वारा प्रतिभूतीकरण में **न ऋण ट्रेंचिंग शामिल है और न ही प्रथम हानि साख संवर्धन ।**	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य के 5% के बराबर विशेष प्रयोजन साधन (एसवीपी) प्रतिभूतियों में निवेश द्वारा जारी ।
		ii)	जहां प्रतिभूतीकरण में कोई ऋण श्रृंखला शामिल नहीं है, किंतु **ओरिजिनेटर ने प्रथम हानि साख संवर्धन उपलब्ध कराया है** जैसे तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि.	आवश्यक साख संवर्धन प्रवर्तक उपलब्ध करेगा। यदि प्रथम ऋण साख संवर्धन 5% से कम आवश्यक है तो शेष एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में होगा।
		iii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में **ऋण श्रृंखला शामिल है किंतु प्रवर्तक से प्रथम हानि साख संवर्धन नहीं हैं।**	शेयर श्रृंखला में 5% यदि शेयर श्रृंखला में 5% से कम है तो शेष अन्य श्रृंखला में सममात्रा पर होगी।
		iv)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में **ऋण श्रृंखला शामिल है और प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन** (तुलनपत्रेतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि) **शामिल है ।**	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 5% से कम हो तो शेष शेयर श्रृंखला में । यदि प्रथम हानि साख संवर्धन और शेयर श्रंत्रखला में 5% से कम हो, तो शेष अन्य श्रृंखला

				में सममात्रा पर ।
24 माह से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का **10%**	i)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में **न ऋण श्रृंखला शामिल न कोई प्रथम हानि साख संवर्धन** ।	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य के 10% के बराबर एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश
		ii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में **ऋण श्रृंखला** शामिल नहीं है, किंतु **प्रवर्तक से प्रथम हानि साख संवर्धन** शामिल है उदा. तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि.	आवश्यक साख संवर्धन प्रवर्तक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । यदि वह 10% से कम हो तो, शेष एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में।
		iii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में **ऋण श्रृंखला शामिल है किंतु प्रवर्तक से प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल नहीं हैं।**	5% शेयर श्रृंखला में या कम यदि शेयर श्रृंखला 5% से कम हो। शेष (10% में से शेयर श्रृंखला में निवेश घटाकर) एसपीवी द्वारा जारी अन्य श्रृंखला के सममात्रा में ।
		iv)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में **ऋण श्रृंखला शामिल है और साथ साथ प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन** (तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि.) **शामिल है** ।	i) यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 5% से अधिक हो किंतु 10% से कम हो तब शेष, एसपीवी द्वारा जारी शेयर श्रृंखला सहित प्रतिभूतियों में सममात्रा पर ।
				ii) यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 5% से कम हो तब शेयर श्रृंखला में ताकि प्रथम हानि और शेयर श्रृंखला 5% के बराबर होगी। एसपीवी द्वारा जारी अन्य

				श्रृंखलाओं में शेष प्रतिधारण सममात्रा में होगा (शेयर श्रृंखला छोडकर) ताकि कुल प्रतिधारण 10% हो।
पैरा 1.1 की पाद टिपण्णी 3 में उल्लेख किए गए एक बारगी चुकौती ऋण/ प्राप्य	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का **10%**.	i)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में **न ऋण श्रृंखला शामिल न** प्रवर्तक द्वारा **कोई प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल हो ।**	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 10% के बराबर. एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश ।
		ii)	प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल नहीं है, किंतु **प्रवर्तक द्वारा उपलब्ध होने वाला प्रथम हानि साख संवर्धन** उदा. तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि **शामिल है**।	प्रवर्तक द्वारा आवश्यक साख संवर्धन उपलब्ध कराई जाए । यदि प्रथम हानि साख संवर्धन की आवश्यकता 10% से कम हो तब शेष, एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में होगा ।
		iii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में **ऋण श्रृंखला शामिल हो किंतु प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल न हो ।**	10%शेयर श्रृंखला में । यदि शेयर श्रृंखला 10% से कम हो, तब शेष बची हुई श्रृंखला में सममात्रा में होगा ।
		iv)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में **ऋण श्रृंखला और प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन** (तुलनपत्र से इतर आधार, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि) **शामिल हैं ।**	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 10% से कम है, तब शेष शेयर श्रृंखला में। यदि शेष शेयर श्रृंखला से बडा है, तब अन्य श्रृंखलाओं में बचा हुआ सममात्रा पर होगा ।

1.3.2 ऋण का प्रतिभूतीकरण करने वाली संस्था को एमआरआर बनाए रखना होगा। दूसरे शब्दों में, मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर दिशानिर्देशों वाले 01 फरवरी 2006 के

परिपत्र के <u>पैरा 5(vi)</u> के अनुसार अन्य संस्थाएं जिन्हें 'प्रवर्तक' माना गया है उनके द्वारा नहीं रखा जा सकता।

1.3.3 एमआरआर को प्रमुख नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अतः अतिरिक्त ब्याज स्प्रेड/फ्युचर भावी आय का प्रतिनिधित्व करने वाले 'इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप' में बैंक का निवेश, वह अधीनस्थ हो या नहीं, एमआरआर के लिए गिना नहीं जाएगा।

1.3.4 प्रवर्तक द्वारा प्रतिबद्धता का स्तर अर्थात् , एमआरआर ऋण जोखिम की बचाव व्यवस्था या प्रतिधारित ब्याज की बिक्री के कारण घटना नहीं चाहिए। हानि आत्मसात् करने के माध्यम से या अनुपाती चुकौती के कारण प्रतिधारित एक्सपोज़र घटने के मामलों को छोडकर अपरिशोधित मूल धन के प्रतिशत के रूप में एमआरआर अविरत आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए। प्रतिभूतीकरण की सक्रियता के दौरान एमआरआर के रूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

1.3.5 इन दिशानिर्देशों के तहत एमआरआर के अनुपालन के लिए बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून के अनुसार समुचित कागज़ात तैयार किये गये हैं।

1.4 कुल प्रतिधारित एक्सपोजर की सीमा

1.4.1 वर्तमान में, हामीदारी के माध्यम से या अन्य प्रवर्तक द्वारा एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश माध्यमों से कुल निवेश की सीमा कुल प्रतिभूतीकृत जारी लिखतों का 20% हैं । साख संवर्धन, चलनिधि समर्थन तथा या एसपीवी के साथ ब्याज दर स्वैप/मुद्रा स्वैप के मामले में काउारटरपार्टी एक्सपोज़र इस सीमा से बाहर हैं । तथापि, बासल II अपेक्षाओं के अंतर्गत जोखिम अंतरण तभी माना जाएगा जब प्रतिभूतीकृत एक्सपोज़रों से जुड़ा महत्वपूर्ण ऋण जोखिम तृतीय पक्ष को अंतरित हुआ हो । इसे ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार के प्रतिभूतीकृत ऋणों में बाक का कुल एक्सपोजर कुल प्रतिभूतिकृत लिखतों से 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।

- एसपीवी द्वारा जारी शेयर /प्रतिभूतियों की अधीनस्थ /वरिष्ठ श्रृंखला में हामीदारी प्रतिबद्धता के माध्यम सहित निवेश ।
- नकदी और अन्य प्रकार की संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण सहित, साख संवर्धन, किंतु साख संवर्धन करने वाले इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप को छोड़कर ।
- चलनिधि समर्थन ।

1.4.2 यदि बैंक उल्लिखित सीमा का उल्लंघन करता है, तो अतिरिक्त राशि पर 1111%[57] जोखिम भारित होगा ।

1.4.3 एसपीवी के साथ किये गये ब्याज दर स्वैप/मुद्रा स्वैप के कारण हुए ऋण एक्सपोजर को इस सीमा से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि वह बैंक के नियंत्रण में नहीं होगा।

1.4.4 यदि जारी किए गए प्रतिभूतीकरण लिखतों के ऋण परिशोधन के कारण सीमा का उल्लंघन होता है तो एक्सपोज़र पर 20% की सीमा का उल्लंधन नहीं माना जाएगा।

1.5 प्रारंभिक लाभ बुक करना

1.5.1 01 फरवरी 2006 के हमारे परिपत्र सं.बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.60/21.04.048/2005-06 के पैरा 20.1 के अनुसार, एसपीवी द्वारा जारी की गई या की जाने वाली प्रतिभूतियों पर ऋणों के प्रतिभूतीकरण के कारण कोई लाभ /प्रीमियम का उदय होता है तो उसे एसपीवी द्वारा जारी की जानेवाली या जारी की गई प्रतिभूतियों के जीवन काल पर परिशोधित किया जाना चाहिए। यह दिशानेर्देश, अन्य बातों के साथ, 'ओरिजनेट टू डिस्ट्रीब्यूट' मोडेल को रोकने के उद्देश्य से किए गए थे। अब कुछ हद तक इन चिंताओं का निवारण इन दिशानिदेशों में प्रस्तावित एमआरआर, एमएचपी और अन्य उपायों द्वारा किये जाने की अपेक्षा है । अतः, यह निर्णय लिया गया है कि मूल धन के परिशोधन और घटित हानि के साथ साथ प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरर्स पर आवश्यक विशिष्ट प्रावधान के आधार पर वर्ष के दौरान उच्चतर नकदी लाभ की अनुमति दी जाय।

नकद में प्राप्त लाभ की राशि "लंबित पहचान वाले ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" के लेखा खातों में धारण की जा सकती है ।प्रतिभूतीकरण सौदों के कारण उत्पन्न होने वाले नकदी लाभ का परिशोधन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा और निम्नानुसार उसकी गणना होगीः

परिशोधन किया जाने वाला लाभ = मैक्स {एल, [(एक्स∗(वाई/जेड))], [(एक्स/एन)]}

एक्स= वर्ष के प्रारंभ में "लंबित पहचान वाले ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" खाते में शेष अपरिशोधित नकदी लाभ की राशि

---

[57] बासेल III के अनुसार न्यूनतम 8 प्रतिशत पूंजी अपेक्षा के अनुरूप प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों पर अधिकतम जोखिम भार 1250 प्रतिशत है। चूँकि भारत में न्यूनतम पूंजी अपेक्षा 9 प्रतिशत है , अत: जोखिम भार की सीमा 1111 प्रतिशत (100/9) रखी गयी है ताकि पूंजी भार एक्सपोज़र मूल्य से अधिक न हो।

वाई = वर्ष के दौरान परिशोधित मूल धन की राशि

ज़ेड = वर्ष के प्रारंभ में अपरिशोधित मूल धन

एल = हानि[58] (मार्क टू मार्केट मूल्य में अंकित करके निवेश खाते पर हुई हानि + विशिष्ट प्रतिभूतीकरण लेन देन के एक्सपोजर के लिए किया गया, विशिष्ट प्रावधान, यदि कोई हो + सीधे बट्टे खाते डाले गए) साख संवर्धक 'इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप'[59] पर हुई हानि को छोडकर।

एन = प्रतिभूतीकरण लेन देन की अवशिष्ट परिपक्वता

1.5.2 उपर्युक्त लाभ की परिशोधन पद्धति बकाया प्रतिभूतीकरण लेनदेनों पर भी लागू की जा सकती है। तथापि, इस परिपत्र को जारी करने की तारीख को केवल अपरिशोधित बकाया मूल धन और बकाया परिशोधन योग्य लाभ के संबंध में ही यह पद्धति लागू की जा सकती है।

1.5.3 कभी-कभी, प्रवर्तक बैंक अंतरित आस्तियों पर प्राप्य ब्याज की कुछ राशि प्राप्त करने के लिए संविदागत अधिकार रख लेते हैं । यह प्रवर्तक बैंक द्वारा प्राप्य ब्याज एसपीवी की देनदारी हैं और उसके वर्तमान मूल्य का पूंजीकरण प्रवर्तक बैंक द्वारा इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप (आई/ओ स्ट्रिप) के रूप में किया जाता है, जो तुलन पत्र की आस्ति हैं। सामान्यतः बैंक अप्राप्त लाभ को अपने लाभ हानि खाते में भविष्य में प्राप्य ब्याज के पूंजीकरण के रूप में आई/ओ स्ट्रिप के माध्यम से निर्धारित करते हैं। तथापि, उपर्युक्त 01 फरवरी 2006 के परिपत्र में निहित निदेशों के संदर्भ में, बैंक को लाभ हानि खाते में अप्राप्य लाभों को स्थान नहीं देना चाहिए, उसके बदले उन्हें अप्राप्य लाभ को ठऋण अंतरण लेनदेनों के अप्राप्य लाभ" लेखा शीर्ष के तहत धारण करना चाहिए। इस खाते के शेष को प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के लिए साख संवर्धन के रूप में प्रयुक्त होने के कारण आई/ओ स्ट्रिप पर होने वाली संभावित हानि के लिए प्रावधान के रूप में माना जाएगा।[60] जब इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप को नकद में

---

[58] हानि, जिसमें बाजार दर पर मूल्यांकन के कारण बैंक को हुई हानि शामिल है, विनिर्दिष्ट प्रावधान, यदि कोई हो, एमआरआर में किया जाने वाला कोई सीधा राइट ऑफ या प्रतिभूतीकरण लेनदेन के प्रति कोई अन्य एक्सपोजर (साख संवर्धन आईओ/ स्ट्रिप को छोड़कर(लाभ और हानि खाते में नामे किया जाना चाहिए । तथापि परिशोधन फार्मूला यह सुनिश्चित करेगा कि लाभ और हानि खाते में किया गया नामे उस सीमा तक ऑफसेट- किया जाता है जिस सीमा तक "ऋण अंतरण लेनदेनों की पहचान तक लंबित नकद लाभ खाता में शेष राशि है । बैंकों को इस खाते की शेष राशि को हिसाब में लिये बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार भी प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के लिए पूंजी रखनी चाहिए ।

[59] साख संवर्धक आईओ/ स्ट्रिप के संबंध में हानि के लेखांकन के लिए कृपया पैरा 1.5.3 देखें ।

[60] आईओ/ स्ट्रिप परिशोधन करने वाली या परिशोधन न करने वाली हो सकती है । परिशोधन करने वाली आईओ/ स्ट्रिप के मामले में बैंक आईओ/ स्ट्रिप द्वारा हानि आत्मसात करने के बाद बची राशि को नकद के रूप में प्राप्त करेगा । यह राशि प्राप्त होने पर उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाएगा और देय परिशोधन के बराबर की राशि "ऋण अंतरण लेनदेन पर अप्राप्त लाभ" खाते में राइटऑफ- किया जा सकता है, जिससे बैंक की बहियों में आईओ/ स्ट्रिप का बही मूल्य घट जाएगा । परिशोधन नहीं करने वाली आईओ/ स्ट्रिप के मामले में, जब बैंक को यह सूचना मिलती है कि एलपीवी ने आईओ/ स्ट्रिप से हानि नामे किया है तो वह

पुनःप्राप्त किया जाएगा तब ही लाभ को लाभ और हानि खाते में लिया जाएगा। बैंक आई/ओ स्ट्रिप के रूप में होने वाली बिक्री पर लाभ को सुरक्षित (बुक) नहीं करेगा, उससे टीयर-I पूंजी से घटाने की भी आवश्यकता नहीं है । इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप लेखा पद्धति प्रतिभूतीकरण के बकाया लेनदेनों पर भी लागू की जा सकती है ।

1.6 ऋण उत्पत्ति मानक

प्रवर्तक बैंक को प्रतिभूतिकृत किये जाने वाले एक्स्पोजर की ऋण हामीदारी पर उन्हीं ठोस और स्पष्ट परिभाषित मानदण्डों को लागू करना चाहिए जैसा कि वे अपनी बहियों में धारण किये जाने वाली एक्सपोज़रों पर करते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रवर्तकों द्वारा ऋणों के अनुमोदन की तथा जहां लागू हो वहां संशोधन, समीक्षा और निगरानी की वही प्रक्रिया लागू की जानी जाहिए।

1.7 ऊपर निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा न करने वाली प्रतिभूतीकृत आस्तियों के संबंध में ट्रीटमेंट

जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो इस पैरा में निहित सभी दिशानिर्देश केवल नए लेन देन पर लागू होंगे। यदि प्रवर्तक बैंक ऊपर उल्लिखित पैरा 1.1 से 1.7 में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने में चूक करते हैं, तो प्रतिभूतिकृत आस्तियों को प्रतिभूतिकृत किया ही नहीं था यह मानकर उनके लिए पूंजी बनाई रखनी होगी। यह पूंजी बैंक द्वारा अपने अन्य प्रतिभूतीकरण लेनदेन के प्रति वर्तमान एक्सपोज़र के लिए आवश्यक पूंजी के अतिरिक्त होगी ।

2. प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र वाले प्रवर्तक बैंकों को छोड़कर अन्य बैंक द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

2.1 <u>पर्याप्त सावधानी के लिए मानक</u>

2.1.1 बैंक केवल उस स्थिति में किसी प्रतिभूतीकरण पोजीशन में निवेश कर सकता है या एक्सपोजर ले सकता है जब प्रवर्तक (अन्य बैंक /एफआए/एनबीएफसी) ने स्पष्टतया ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रकटीकरण किया हो कि उसने इन दिशानिर्देशों में निहित एमआरआर और एमएचपी का पालन और अविरत आधार पर एमआरआर दिशानिदेशों का पालन करते रहेगा ।

'ऋण अंतरण लेनदेन पर अप्राप्त लाभ' खाते में से बराबर राशि राइटऑफ- करेगा और बैंक की बहियों में आईओ/ स्ट्रिप का मूल्य कम करेगा । आईओ/ स्ट्रिप के अंतिम मोचन के रूप में प्राप्त नकद राशि लाभ और हानि खाते में ली जाए ।

2.1.2 निवेश करने के पूर्व और उसके बाद बैंकों को अपने प्रत्येक प्रतिभूतीकरण पोजीशन के लिए यह सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए कि प्रतिभूतीकृत पोजीशनों में उनके प्रस्तावित/मौजूदा निवेशों की उन्हें पूरी समझ है । बैंकों को यह भी सिद्ध करना होगा कि इस प्रकार का मूल्यांकन करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित का विश्लेषण और अभिलेखबद्ध करने के लिए बैंकिंग बही और ट्रेडिंग बही के अनुरूप आधिकारिक नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू किया है :

क) प्रवर्तकों द्वारा प्रतिभूतीकरण के एमआरआर के संबंध में प्रकट की गयी सूचना, कम-से-कम अर्धवार्षिक आधार पर ।

ख) निवेशकर्ता बैंक की प्रतिभूतीकरण स्थिति के कार्य निष्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकने वाली, अलग-अलग प्रतिभूतीकरण स्थिति की जोखिम संबंधी विशेषताएं जिनमें प्रतिभूतीकरण की समस्त संरचनात्मक विशेषताएं शामिल हैं (अर्थात् श्रृंखला की वरिष्ठता, अधीनस्थ श्रृंखलाओं का परिमाण, समय पूर्व भुगतान जोखिम और साख संवर्धन पुनर्निर्धारण के प्रति उसकी संवेदनशीलता, चुकौती 'वाटर-फाल' की संरचना, 'वाटर-फाल' संबंधी प्रेरक तत्व, श्रृंखलाओं की समयबद्ध चुकौती में श्रृंखला की स्थिति (समय-श्रृंखला), चलनिधि संवर्धन, चलनिधि सुविधाओं के मामले में साख संवर्धन की उपलब्धता, चूक की डी-स्पेसिफिक परिभाषा, आदि) ।

ग) प्रतिभूतीकरण पोजीशन में अंतर्निहित एक्सपोजर की जोखिम विशेषताएं (अर्थात् ऋण की गुणवत्ता, ऋण समूह में विविधीकरण और एकरूपता का स्तर, अलग-अलग उधारकर्ताओं के चुकौती व्यवहार की उनकी आय के स्रोत के अलावा अन्य घटकों के प्रति संवेदनशीलता, ऋण का समर्थन करने वाले संपार्श्विकों के बाजार मूल्य की अस्थिरता, अंतर्निहित उधारकर्ता जिन आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं उनकी चक्रीयता आदि ।)

घ) ऋण मूल्यांकन और ऋण निगरानी मानक, पूर्व के प्रतिभूतीकरण में एमआरआर और एमएचपी मानकों का अनुपालन तथा प्रतिभूतीकरण के लिए एक्सपोज़र के चुनाव में औचित्य के संबंध में प्रवर्तकों की प्रतिष्ठा ।

च) प्रतिभूतीकरण पोजीशन में अन्तर्निहित एक्सपोजर श्रेणी में प्रवर्तकों का पूर्व प्रतिभूतीकरण में हानि का अनुभव, अन्तर्निहित उधारकर्ताओं द्वारा की गयी धोखाधड़ी घटना, प्रवर्तकों के कथन और वारंटी की सच्चाई ;

छ) प्रतिभूतीकृत एक्सपोजर तथा जहां लागू हो प्रतिभूतीकृत एक्सपोजर का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के संबंध में बरती गयी समुचित सावधानी के संबंध में प्रवर्तक अथवा उनके एजेंट या परामर्शदाताओं के वक्तव्य और प्रकटीकरण;

ङ) प्रतिभूतीकृत एक्सपोजर का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के मूल्यांकन में प्रयुक्त क्रियाविधि और अवधारणाएं तथा मूल्यांकनकर्ता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तक द्वारा अपनायी गयी नीति;

2.1.3 जब बाद में प्रतिभूतीकृत लिखत द्वितीयक बाजार में किसी बैंक द्वारा खरीद लिये जाते हैं तो उस समय बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवर्तक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह ऐसी स्थिति रखेगा जिससे एमआरआर की पूर्ति होगी ।

2.2 दबाव परीक्षण

बैंकों को अपने प्रतिभूतीकरण पोजीशन के अनुकूल नियमित रूप से दबाव परीक्षण करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विभिन्न घटकों पर विचार किया जा सकता है, जैसे आर्थिक मंदी की स्थिति में अंतर्निहित पोर्टफोलियो की चूक दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में गिरावट के कारण अवधि पूर्व चुकौती की दरों में वृद्धि अथवा उधारकर्ताओं के आम स्तर में वृद्धि के कारण एक्सपोजर का समयपूर्व भुगतान, साख संवर्धकों की रेटिंग में गिरावट के कारण प्रतिभूतियों (आस्ति समर्थित/बंधक समर्थित प्रतिभूति) के बाजार मूल्य में गिरावट तथा प्रतिभूतियों की तरलता के अभाव के कारण उच्चतर विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन। ये घटक यहीं तक सीमित नहीं हैं। दबाव परीक्षण के परिणाम बासल II ढांचे के अंतर्गत पिलर II अभ्यास में शामिल किये जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उच्चतर जोखिम का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त पूंजी रखी जानी चाहिए ।

2.3 ऋण निगरानी

यह आवश्यक है कि बैंक अपने प्रतिभूतीकरण पोजीशन में अंतर्निहित एक्सपोजर के कार्य निष्पादन संबंधी सूचना पर निरंतर आधार पर नजर रखें और यदि जरूरी हो तो समुचित कार्रवाई करें । इस कार्रवाई में प्रतिभूतीकरण लेनदेन के अंतर्निहित आस्ति श्रेणी के किसी प्रकार के प्रति एक्सपोजर सीमा में परिरवर्तन, प्रवर्तकों पर लागू सीमा में परिवर्तन आदि शामिल हो सकता है । इस प्रयोजन के लिए बैंकों को अपनी बैंकिंग बही और ट्रेडिंग बही के अनुरूप आधिकारिक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए, जो पैरा 2.1.2 में निर्दिष्ट प्रतिभूतीकृत पोजीशन में उनके एक्सपोजर की जोखिम प्रोफाइल के अनुकूल हो । जहां प्रासंगिक हो, वहां इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए - एक्सपोजर का प्रकार, 30, 60 और 90 दिवस से अधिक विगत देय होने वाले ऋणों का प्रतिशत, फोरक्लोजर में ऋण, ऋण स्कोर का बारंबारता वितरण, संपार्श्विक प्रकार और कब्जा तथा अंतर्निहित एक्सपोजरों की ऋण पात्रता मके अन्य माप, औद्योगिक और भौगोलिक विविधता, मूल्य अनुपात के अनुरूप ऋण का बारंबारता वितरण जिसमें इतना बैंडविड्थ हो कि पर्याप्त संवेदनशीलता विश्लेषण हो सके ।

बैंक अन्य बातों के साथ-साथ अनुबंध I में प्रवर्तक द्वारा किये गये प्रकटीकरण का प्रयोग प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की निगरानी के लिए कर सकते हैं ।

2.4 ऊपर निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करने वाले एक्सपोजर का ट्रीटमेंट

ऊपर पैरा 2.1 से 2.3 तक दी गयी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करने वाले प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों को निवेशक बैंक 1111% का जोखिम भार देंगे। बैंकों को पैरा 2.1 से2.3 तक निहित दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए गंभीर प्रयास करना चाहिए। 1111% का उच्चतर जोखिम् भार 1 अक्तूबर 2012 से लागू होगा । बैंकों को 30 सितंबर 2012 से पहले पैरा 2.1 से 2.3 की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए ।

भाग - ख

सीधे सौंपे गये नकदी प्रवाह और अंतर्निहित प्रतिभूतियों के माध्यम से आस्तियों के अंतरण वाले लेनदेन पर दिशानिर्देश

1. प्रवर्तक बैंक द्वारा पूरी की जाने वाले अपेक्षाएं

1.1 अंतरण के लिए पात्र आस्तियां[61]

1.1.1 इन दिशानिर्देशों के तहत, बैंक एकल मानक आस्तियों [62] का या ऐसी आस्तियों के भाग का या ऐसी आस्तियों के पोर्टफोलियो का वित्तीय संस्थाओं को, निम्न अपवादों के साथ समुदेशन (असाइनमेंट) विलेख के माध्यम से, अंतरण कर सकती है ।

- i) परिक्रामी उधार सुविधाएं (अर्थात् नकदी ऋण खाते, क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियां आदि)
- ii) अन्य सस्थाओं से खरीदी गई आस्तियां
- iii) मूलधन और ब्याज की एकबारगी चुकौती वाली आस्तियां [63]

1.1.2 तथापि, यह दिशानिर्देश इन पर लागू नहीं होंगे :

- i) उधारकर्ता के ऋण खातों को उधारकर्ता के अनुरोध/पहल पर किसी बैंक तथा अन्य बैंक/एफआई/ एनबीएफसी के बीच अंतरण
- ii) अंतर-बैंक प्रतिभागिता
- iii) बांड में लेनदेन
- iv) पोर्टफालियो की बिक्री व्यवसाय से पूरी तरह बाहर निकालने के निर्णय के फलस्वरूप ऐसे निर्णय को बैंक के निदेशक मंडल की अनुमति होनी चाहिए ।
- v) सहायता संघ और समूहन व्यवस्थाएं
- vi) अन्य कोई व्यवस्था/लेनदेन, विशेषकर जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने छूट प्रदान की हो ।

---

[61] इन दिशानिर्देशों में अंतरण का अर्थ सीधा बिक्री, समनुदेशन और किस और प्रकार से आस्तियों का अंतरण है । अंतरणों के लिए सामान्य शब्द खरीद और बिक्री है ।

[62] इन दिशानिर्देशों में ऋण/आस्ति शब्द का अभिप्राय ऋण, अग्रिम और बांडों से है, जो 1 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र -बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन -के पैरा 2.1(viii) में परिभाषित अग्रिम की प्रकृति के हैं ।

[63] व्यक्तियों को कृषि संबंधी गतिविधियों) भारतीय रिज़र्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी मास्टर परिपत्र में दी गयी परिभाषा के अनुसार (के लिए 24 महीने तक की अवधि के लिए दिया गया ऋण जहां ब्याज और मूलधन परिपक्वता पर ही देय होते हैं तथा 12 महीने की अवधि तक की व्यापार प्राप्य राशियाँ जिन्हें बैंकों ने अपने उधारकर्ताओं से डिस्काउंट किया/खरीदा है, प्रतिभूतीकरण की पात्र होंगी । तथापि, केवल वही ऋण/प्राप्य राशियां प्रतिभूतीकरण की पात्र होंगी जहां उधारकर्ता) कृषि ऋण के मामले में/(बिल के अदाकर्ता) व्यापार प्राप्य राशियों के मामले में (ने पिछले दो ऋणों/प्राप्य राशियों) एक वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि वाले कृषि ऋण के मामले में, एक ऋण (को नियत दिन के 90 दिन के भीतर पूरी रकम चुका दी है ।

1.2 न्यूनतम धारिता अवधि (एमएचपी)

खंड क के पैरा 1.2 की तरह

1.3 न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा (एमआरआर)

1.3.1 प्रवर्तक बैंक को अन्य वित्तीय संस्थाओं को आस्तियों का अंतरण करते समय निम्न सारणी में दिए गए एमआरआर का पालन करना चाहिए:

<table>
<tr><th colspan="2">आस्ति का प्रकार</th><th>एमआरआर</th></tr>
<tr><td colspan="2">24 माह से या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली आस्तियां</td><td>सममात्रा आधार पर अंतरित आस्तियों से नकदी प्रवाह से 5% प्राप्त करने के अधिकार का प्रतिधारण ।</td></tr>
<tr><td>i)</td><td>24 माह से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाली आस्तियां; और</td><td rowspan="2">सममात्रा आधार पर अंतरित आस्तियों से नकदी प्रवाह से 10% प्राप्त करने के अधिकार का प्रतिधारण ।</td></tr>
<tr><td>ii)</td><td>खंड ख के पैरा 1.1 की पाद टिपण्णी 11 में उल्लिखित ऋण ।</td></tr>
</table>

1.3.2 आस्तियों की आंशिक बिक्री के मामले में, यदि उपर्युक्त पैरा 1.3.1 के अनुसार अपेक्षित एमआरआर से अधिक हिस्सा बिक्रेता ने प्रतिधारित किया हो, तब बिक्रेता द्वारा धारित हिस्से से, बेचे गए हिस्से के 5% समान हिस्सा या बेचे गए हिस्से के 10% हिस्सा, जो भी मामला हो, एमआरआर माना जाएगा । तथापि, बिक्रेता बैंक द्वारा एमआरआर सहित धारित सभी एक्सपोजर बेची गई आस्तियों के हिस्से के समानस्थ होना चाहिए।

1.3.3 बैंक को ऋण अंतरण के मामले में किसी भी प्रकार का साख संवर्धन का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए और नकद प्रवाह के सीधे समनुदेशन द्वारा चलनिधि सुविधाएं नहीं देनी चाहिए क्योंकि, ऐसे मामलों में निवेशक सामान्यतः संस्थागत निवेशक होते है जो आवश्यक पर्याप्त सावधानी के बाद एक्सपोजर को समझने और उसे धारण करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता रखते है। बैंक को आई/ओस्टिप में निवेश के माध्यम से भी कोई एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए जो ऋण स्थानांतरण से एक्सेस इंटरेस्ट स्प्रेड/फ्युचर मार्जिन आय का प्रतिनिधित्व करता है । तथापि, प्रवर्तक बैंक को ऊपर उल्लिखित पैरा 1.3.1 में निहित एमआरआर आवश्यकताओं को पूरा करना ही होगा । पैरा 1.3.1 में उल्लेख किए गए एमआरआर के अनुपालन के लिए अंतरित ऋण में बैंक द्वारा आंशिक ब्याज के प्रतिधारण

को विधिक रूप से वैध कागजातों का समर्थन होना चाहिए। कम से कम, प्रवर्तक द्वारा निम्न के संबंध में कानूनी मत अभिलेख में रखना होगीः

क) प्रवर्तक द्वारा धारित ब्याज राशि की विधिक वैधता

ख) ऐसी व्यवस्था जो समनुदेशित के अधिकारों और प्रतिफल में उस सीमा तक हस्तक्षेप नहीं करती हैं जिस सीमा तक उसे अंतरित किया गया है ;

ग) समनुदेशिती को अंतरित ऋणों की सीमा तक ऋण से संबद्ध पुरस्कार या कोई जोखिम न रखने वाला प्रवर्तक

1.3.4 ऋण बेचने वाली संस्था को एमआरआर बनाए रखना होगा । दूसरे शब्दों में, मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर निहित दिशानिर्देशों वाले 01 फरवरी 2006 के परिपत्र के पैरा 5(vi) के अनुसार अन्य संस्थाएं जिन्हें 'प्रवर्तक' माना गया है उनके द्वारा एमआर्र नहीं रखा जा सकता।

1.3.5 प्रवर्तक द्वारा प्रतिबद्धता का स्तर अर्थात्, एमआरआर ऋण जोखिम की बचाव व्यवस्था या प्रतिधारित ब्याज की बिक्री के कारण घटना नहीं चाहिए। हानि आत्मसात् करने के माध्यम से या अनुपाती चुकौती के कारण प्रतिधारित एक्सपोज़र घटने के मामलों को छोडकर अपरिशोधित मूल धन के प्रतिशत के रूप में एमआरआर अविरत आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए। प्रतिभूतीकरण की सक्रियता के दौरान एमआरआर के रूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

1.3.6 इन दिशानिर्देशों के तहत एमआरआर के अनुपालन के लिए बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून के अनुसार समुचित कागज़ात तैयार किये गये हैं।

1.4 प्रारंभिक लाभ बुक करना

1.4.1 नकद में प्राप्त लाभ की राशि "लंबित पहचान के ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" के लेखा खातों में धारण की जा सकती है । प्रतिभूतीकरण सौदों के कारण उत्पन्न होने वाले नकदी लाभ का परिशोधन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा और निम्नानुसार उसकी गणना होगीः

परिशोधन किया जाने वाला लाभ = मैक्स {एल, [(एक्स*(वाई/जेड))], [(एक्स/एन)]}

एक्स= वर्ष के प्रारंभ में "लंबित पहचान वाले ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" खाते में शेष अपरिशोधित नकदी लाभ की राशि

वाई = वर्ष के दौरान परिशोधित मूल धन की राशि

ज़ेड = वर्ष के प्रारंभ में अपरिशोधित मूल धन

एल = पोर्टफोलियो पर हुई हानि (ऋण हानि के लिए प्रतिधारित एक्सपोज़र के लिए विशिष्ट प्रावधान + सीधे बट्टे खाते डाले गए+ यदि कोई और हानि[64] हो, तो) ।
एन = प्रतिभूतीकरण लेनदेन की अवशिष्ट परिपक्वता

1.4.2 लेखाकंन , आस्तियों का वर्गीकरण और एमआरआर के लिए प्रावधान हेतु नियम

एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाले एक्सपोजरों की आस्तियों का वर्गीकरण और प्रावधानीकरण नियम निम्नानुसार होंगेः

क) यदि अंतरित ऋण खुदरा ऋण है तो एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि का समेकित खाता प्रवर्तक बैंक द्वारा रखा जाएगा । ऐसे मामलों में, एमआरआर के परिशोधन में प्राप्य समेकित राशि और उसकी आवधिकता स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होनी चाहिए और एमआरआर की अतिदेयता की स्थिति ऐसी राशि के पुनर्भुगतान के संदर्भ में निश्चित होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, प्रवर्तक बैंक उन खातों के लिए धारित अनुपातिक राशियों के लिए उधारकर्तावार खाता रखना जारी रख सकता है। ऐसे मामले में, वैयक्तिक ऋण खातों की अतिदेय स्थिति हर एक खाते में प्राप्त पुनर्भुगतान के संदर्भ में निश्चित की जानी चाहिए।

ख) खुदरा ऋणों को छोड़कर अन्य ऋण समूह के अंतरण के मामले में, प्रवर्तक को प्रत्येक ऋण के संबंध में प्रतिधारित आनुपातिक राशियों के लिए उधारकर्तावार खातों को बनाए रखना चाहिए। ऐसे मामले में, निजी ऋण खातों की अतिदेय स्थिति प्रत्येक खाते से प्राप्त चुकौती के संदर्भ में निश्चित करनी चाहिए।

ग) यदि प्रवर्तक बैंक अंतरित ऋण के लिए समनुदेशीत /बैंक के सर्विसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो वह अंतरित ऋणों के अतिदेय स्थिति से अवगत होगा, जो प्रवर्तक बैंक की बहियों में पूरे एमआरआर/एनपीए के रूप में एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग-अलग ऋणों के वर्गीकरण का आधार होगा और जो ऊपर उल्लिखित पैरा (क) और (ख) में स्पष्ट की गई लेखा पद्धति पर निर्भर होगा ।

1.3 ऋण प्रवर्तक मानक

[64] प्रतिधारित एक्सपोज़र पर किये जाने वाले विनिर्दिष्ट प्रावधान तथा प्रत्यक्ष राइटऑफ- और अन्य हानि, यदि कोई हो, लाभ और हानि खाते में नामे किये जाने चाहिए। इसके अलावा बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित एमआरआर के अंग के रूप में प्रतिधारित एक्सपोज़र के लिए "अनिर्धारित ऋण अंतरण लेनदेनों पर नकदी लाभ खाते" में शेष राशि को ध्यान में लिये बिना पूंजी रखनी चाहिए। बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वे वर्तमान अनुदेशों के अनुसार एमआरआर पर अलग से 'मानक आस्ति' प्रावधान रखें किसे 'अनिर्धारण ऋण अंतरण लेनदेनों पर नकदी लाभ खाते' में नामे नहीं किया जाना चाहिए ।

खंड क में दिये गए पैरा **1.6** के समान

1.6 ऊपर उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा न करने वाली बेची गई आस्तियों का ट्रीटमेंट

इस पैरा में निहित सभी अनुदेश, पैरा 1.4.2 को छोड़कर , इस परिपत्र की तारीख को या उसके बाद प्रारंभ किए गए लेन देन पर लागू होंगे। पैरा 1.4.2 में निहित अनुदेश वर्तमान और नई लेन देन[65] दोनों पर लागू होंगे । 56 यदि प्रवर्तक बैंक ऊपर उल्लिखित पैरा 1.1 से 1.6 में निहित अपेक्षाओं के पालन में चूक करता है, तो उसे बेची गई आस्तियों के लिए इस प्रकार पूंजी बनाए रखना होगा माने वे अभी भी बैंक (प्रवर्तक बैंक) की बहियों में हैं।

2. खरीदार बैंक द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

2.1 ऋण की खरीद पर प्रतिबंध

यदि विक्रेता ने खरीद करने वाले बैंक को पैरा 1.3 में विनिर्दिष्ट एमआरआर का निरंतर आधार पर अनुपालन करने का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण किया है, तो ही बैंक अन्य बैंक/एफआई/एनबीएफसी से भारत में ऋण खरीद सकते हैं । इसके अतिरिक्त, घरेलू लेनदेनों के लिए, खरीदार बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवर्तक संस्था ने उनके द्वारा खरीदे गए ऋणों के संबंध में एमएचपी मानदण्डों के लिए निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया है ।

2.2 पर्याप्त सावधानी के लिए मानक

2.2.1 बैंक के पास ऋण/ऋण के पोर्टफोलियो की खरीद के पहले उनके लिए पर्याप्त सावधानी हेतु कुशल कर्मचारियों के रूप में आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता और प्रणाली होनी चाहिए। इस संबंध में खरीदार बैंक को निम्न दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए:

क) बैंक को अपने निदेशक मंडल की अनुमति से, समुचित सावधानी की क्रियाविधि के संबंध में नीतियां तैयार करनी चाहिए और बैंक के अपने अधिकारियों द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) के संबंध में अपेक्षाओं और अंतर्निहित आस्तियों के ऋण गुणवत्ता के संबंध में लागू करना चाहिए। अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी नीतियों को अंतर्निहित ऋण गुणवत्ता के मूल्यांकन की पद्धति भी निर्धारित करनी चाहिए।

ख) खरीदे गए ऋणों के संबंध में समुचित सावधानी बैंक द्वारा बाह्य स्रोत से नहीं की जा सकती और उसे अपने अधिकारियों द्वारा उसी कड़ाई से पूरी की जानी चाहिए जैसा कि बैंक द्वारा नये ऋण मंजूर करते समय की जाती है ।

---

[65] वर्तमान लेनदेनों के लिए पैरा 1.4.2 ऋण संवर्धकों या किसी अन्य प्रकार के प्रतिधारित एक्सपोज़र पर लागू होगा ।

ग) बैंक यदि अपने कुछ गतिविधियों जैसे जानकारी और कागज़ात जुटाना आदि, बाह्य स्रोत से करना चाहता है तो यह बैंकों द्वारा केंद्रीय गतिविधियों से इतर गतिविधियों की आउट सोर्सिंग के सबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अधीन होगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि बैंक खरीदे जाने वाले ऋण के चयन और अपने ग्राहक को जानिए की आवश्यकताओं के संबंध में पूरी जिम्मेदारी लेना जारी रखेगा ।

2.2.2 अलग-अलग ऋण या ऋण पोर्टफोलियो खरीदने के पूर्व , और उसके पश्चात जैसा उचित हो, बैंक यह सिद्ध करने में सक्षम होना चाहिए कि खरीदे गए ऋण के जोखिम के प्रोफाइल के अनुरूप व्यापक और संपूर्ण समझ है और उससे संबंधित औपचारिक नीतियां और पूर्ण पद्धतियां भी लागू की है । उसे निम्नलिखित का विश्लेषण और अभिलेखबद्ध करना चाहिए :

क) एमआरआर के संबंध में प्रवर्तक द्वारा किया गया प्रकटीकरण, निरंतर आधार पर ;

ख) खरीदे गये पोर्टफोलियो के एक्सपोजर की जोखिम विशेषताएं (अर्थात् ऋण की गुणवत्ता, ऋण समूह में विविधीकरण और एकरूपता का स्तर, अलग-अलग उधारकर्ताओं के चुकौती व्यवहार की उनकी आय के स्रोत के अलावा अन्य घटकों के प्रति संवेदनशीलता, ऋण का समर्थन करने वाले संपार्श्विकों के बाजार मूल्य की अस्थिरता, अंतर्निहित उधारकर्ता जिन आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं उनकी चक्रीयता आदि।

ग) ऋण मूल्यांकन और ऋण निगरानी मानक, पूर्व के पोर्टफोलियो अन्तरण में एमआरआर और एमएचपी मानकों का अनुपालन तथा अन्तरण के लिए एक्सपोज़र के चुनाव में औचित्य के संबंध में प्रवर्तकों की प्रतिष्ठा।

घ) संबंधित अन्तर्निहित एक्सपोजर श्रेणी में ऋणों/पोर्टफोलियो के पूर्व अन्तरण में प्रवर्तकों का हानि संबंधी अनुभव, अन्तर्निहित उधारकर्ताओं द्वारा की गयी धोखाधड़ी घटना, प्रवर्तकों के कथन और वारंटी की सच्चाई ;

ङ) अन्तरित एक्सपोजर तथा जहां लागू हो अन्तरित ऋणोंर का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के संबंध में बरती गयी समुचित सावधानी के संबंध में प्रवर्तक अथवा उनके एजेंट या परामर्शदाताओं के वक्तव्य और प्रकटीकरण;

च) अन्तरित ऋणों के मूल्यांकन में प्रयुक्त क्रियाविधि और अवधारणाएं तथा मूल्यांकनकर्ता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तक द्वारा अपनायी गयी नीति;

2.3 दबाव परीक्षण

बैंकों को अपने खरीदे गये ऋण पोर्टफोलियो के अनुकूल नियमित रूप से दबाव परीक्षण करना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए विभिन्न घटकों पर विचार किया जा सकता है, जैसे आर्थिक मंदी की स्थिति में अंतर्निहित पोर्टफोलियो की चूक दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में गिरावट के कारण अवधि पूर्व

चुकौती की दरों में वृद्धि अथवा उधारकर्ताओं के आय स्तर में वृद्धि के कारण एक्सपोजर का समय पूर्व भुगतान । दबाव परीक्षण के परिणाम बासल II ढांचे के अंतर्गत पिलर II अभ्यास में शामिल किये जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उच्चतर जोखिम का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त पूंजी रखी जानी चाहिए ।

2.4 ऋण निगरानी

2.4.1 यह आवश्यक है कि क्रेता बैंक खरीदे गये ऋण की कार्य निष्पादन संबंधी सूचना पर निरंतर आधार पर नजर रखें और यदि जरूरी हो तो समुचित कार्रवाई करें। इस कार्रवाई में अंतर्निहित आस्ति श्रेणी के किसी प्रकार के प्रति एक्सपोजर सीमा में परिवर्तन, प्रवर्तकों पर लागू सीमा में परिवर्तन आदि शामिल हो सकता है। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को खरीदे गये ऋण की जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप आधिकारिक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए । यह प्रक्रिया उतनी ही कड़ी होनी चाहिए जितनी उन ऋणों के पोर्टफोलियो के संबंध में होती है जिन्हें बैंक ने सीधे ओरिजिनेट किया हो। विशेष रूप से ऐसी प्रक्रियाओं से अलग-अलग खातों में समय पर कमजोरी के लक्षण पकड़ने तथा देय होने के बाद 90 दिन बीतते ही भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार अनर्जक उधारकर्ताओं की पहचान करने में आसानी होनी चाहिए। एकत्रित सूचना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए - एक्सपोजर का प्रकार, 30, 60 और 90 दिवस से अधिक विगत देय होने वाले ऋणों का प्रतिशत,चूक दरें, अवधिपूर्व भुगतान दरें, फोरक्लोजर में ऋण, ऋण स्कोर का बारंबारता वितरण, संपार्श्विक प्रकार और कब्जा तथा अंतर्निहित एक्सपोजरों की ऋण पात्रता के अन्य माप, औद्योगिक और भौगोलिक विविधता, मूल्य अनुपात के अनुरूप ऋण का बारंबारता वितरण जिसमें इतना बैंडविड्थ हो कि पर्याप्त संवेदनशीलता विश्लेषण हो सके। यदि इस प्रकार की सूचना सीधे बैंक से नहीं ली जाती है और सर्विस एजेंट से ली जाती है, तो वह सर्विसिंग एजेंट के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। बैंक अन्य बातों के साथ-साथ **परिशिष्ट I** में प्रवर्तक द्वारा किये गये प्रकटीकरण का प्रयोग एक्सपोजर की निगरानी के लिए कर सकते हैं ।

2.4.2 ऋण निगरानी पद्धतियां जिसमें बैंक/ बैंक के समवर्ती और आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का सत्यापन शामिल होगा, जो पोर्टफोलियो के आकार पर निर्भर होगा। खरीद करने वाले बैंक के लेखा परीक्षकों द्वारा ऐसे सत्यापनों का सर्विसिंग करार में प्रावधान होना चाहिए। सभी संबंधित जानकारी और लेखा रिपोर्ट खरीदार बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान भारिबैं के अधिकारियों को सत्यापन के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

2.5 सच्ची बिक्री मानदण्ड [66]

2.5.1 बिक्री (इस शब्द में इसके आगे आस्ति की सीधी बिक्री, समनुदेशन और अंतरण का अन्य कोई प्रकार शामिल होगा, किंतु अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र के माध्यम से ऋण प्रतिभागिता, पुनर्भुनाए गए बिल, ऋण खातों का उधारकर्ता के प्रस्ताव पर अन्य वित्तीय संस्थाओं को एकमुश्त

---

[66] प्रतिभूतीकरण लेनदेन के सच्ची बिक्री मानदंड के लिए कृपया 1 जुलाई 2011 के हमारे मास्टर परिपत्र - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा - का अनुबंध 7 देखें ।

अंतरण और बांडों की बिक्री जो अग्रिम के स्वरूप के नहीं हैं शामिल नहीं होंगे।) के फलस्वरूप 'बिक्री करने वाला बैंक'[67] (इसके आगे इस शब्द में सीधी बिक्री करने वाला बैंक, समनुदेशन करने वाला बैंक और अन्य प्रणाली के माध्यम से अंतरण करने वाला बैंक शामिल होगा) का बेची गई आस्तियों [68] से तत्काल कानूनी अलगाव होना चाहिए। खरीदार को अंतरित करने के बाद बिक्री करने वाले बैंक से आस्तियां पूर्ण रूप से अलग होनी चाहिए अर्थात्, बिक्री करने वाले बैंक और साथ साथ उसके ऋणदाता की पहुंच से बाहरहोनी चाहिए, यहाँ तक कि बिक्री करने वाले/ समनुदेशित करनेवाले/ अंतरित करने वाले बैंक के दिवालियापन की स्थिति में भी ।

2.5.2 बिक्री करने वाले बैंक को असरदार तरिके से आस्तियों से संबंधित सभी जोखिम/प्रतिफल और अधिकार/दायित्वों का अंतरण करना चाहिए और इन दिशानिर्देशों के तहत जिन्हें विशेष अनुमति दी गई है, उन्हें छोडकर, बिक्री के बाद आस्तियों में किसी प्रकार के लाभप्रद हितों को धारण नहीं करना चाहिए। खरीदार को गिरवी रखने, बिक्री, अंतरण या अदला बदली या अवरुद्ध करने वाली शर्तों से मुक्त अन्य माध्यमों से आस्तियों का निपटारा करने का निरंकुश अधिकार होना चाहिए। बिक्री करने वाले बैंक को बिक्री के बाद आस्तियों में कोई आर्थिक हित नहीं रखना चाहिए और खरीदार को, इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमति प्रदत्त कारणों को छोडकर, बिक्री करने वाले बैंक से व्यय या हानि की पूर्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए।

2.5.3 बिक्री करने वाले बैंक पर किसी भी समय आस्तियों या उसके किसी अंश या खरीदार द्वारा धारण की हुई स्थानापन्न आस्तियों की पुनः खरीद या निधीयन या अतिरिक्त आस्तियां उपलब्ध कराने का कोई दायित्व नहीं होगा, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जो आश्वासनों के भंग होने के कारण या बिक्री के समय किए गए अभिवेदनों के कारण उत्पन्न हुई हों । बिक्री करने वाले बैंक को यह सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए कि खरीदार को इस आशय की नोटिस दी गई थी और खरीदार ने ऐसे दायित्वों की अनुपस्थिति की प्राप्ति सूचना दी थी।

2.5.4 बिक्री करने वाले बैंक ने खरीदार को हुई हानि की भरपाई करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं ली और न ही वह बाध्य है । यह सुनिश्चित करने के लिए उसने सभी तर्कसंगत सावधानियां ली थीं, उसे यह सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए।

2.5.5 केवल नकदी के आधार पर ही बिक्री होगी और प्रतिफल आस्तियों के अंतरण के समय तक प्राप्त होना चाहिए। बिक्री प्रतिफल बाजार-आधारित होना चाहिए और मूल्यांकन समुचित दूरी के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।

---

[67] इस पैरा में 'बिक्री करने वाले बैंक' शब्द में बैंकों को ऋण बेचने वाली अन्य वित्तीय संस्थाएं भी शामिल होंगी।

[68] किसी आस्ति के एक अंश की 20 बिक्री के मामले में आस्ति के बेचे गये अंश पर सच्ची बिक्री की मानदंड लागू होगा ।

2.5.6 ऋण बिक्रेता यदि ऋण की सर्विसिंग करने वाले एजेंट की तरह काम करता है, तो इससे लेनदेन की 'सच्ची बिक्री' का स्वरूप समाप्त नहीं होता , बशर्ते ऐसी सेवा प्रतिबद्धताओं के कारण बिक्री की गई आस्तियों पर अवशिष्ट ऋण जोखिम या ऐसी सेवाओं के संबंध में संविदात्मक कार्य-निष्पादन जिम्मेदारियों के अलावा कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं आती ।

2.5.7 बिक्री करने वाले बैंक के कानूनी परामर्शदाता से राय लेकर अभिलेख में रखना चाहिए जिसमें यह कहा गया हो कि (i) आस्तियों में सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ खरीदार को अंतरित किए गए हैं। (ii) बिक्री करने वाला बैंक खरीदार के प्रति ऊपर उल्लिखित पैरा 2.5.6 में दिए गए अनुसार इन आस्तियों के संबंध में सर्विसिंग जिम्मेदारियों के अलावा किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है (iii) बिक्री करने वाले बैंक के ऋणदाताओं को इन आस्तियों के संबंध में, यहाँ तक कि बिक्री करने वाले बैंक के दिवालियापन की स्थिति में भी, कोई अधिकार नहीं होगा ।

2.5.8 खरीदार को आस्तियाँ अंतरण करने के बाद अंतर्निहित संविदा/संविदाओं की शर्तों पर कोई पुनर्निर्धारण, पुनर्रचना या पुन; समझौता हुआ हो तो वह खरीदार पर बाध्यकारी होगा और एमआरआर की सीमा को छोडकर , बिक्री करने वाले बैंक पर बाध्यकारी नहीं होगा ।

2.5.9 बिक्री करने वाले बैंक से आस्तियों के अंतरण के कारण अंतर्निहित संविदा का संचालन करने वाले किसी नियम और शर्तों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और सभी आवश्यक अनुमतियां बाध्यताधारी से (तृतीय पक्ष सहित, जहाँ आवश्यक हो) प्राप्त करनी चाहिए।

2.5.10 यदि बिक्री करने वाला बैंक बिक्री के बाद अलग सेवा संविदा के तहत शुल्क लेकर सेवाएं उपलब्ध कराता है, और उधारकर्ता के भुगतान/ चुकौतियां उसके माध्यम से कराए गए हैं, तो उधारकर्ता से जबतक ये भुगतान प्राप्त न हों तब तक खरीदार को निधि के प्रेषण के लिए बिक्री करने वाला जिम्मेदार नहीं है।

2.6 वारंटी और अभिवेदन

अन्य वित्तीय संस्थाओं को, आस्तियां बिक्री करने वाले प्रवर्तक उन आस्तियों के संबंध में अभिवेदन और वारंटी दे सकता है । जहाँ निम्न शर्तों को पूरा किया गया हो वहां विक्रेता को ऐसे अभिवेदन और आश्वासनों के लिए पूंजी धारण करने की आवश्यकता नहीं है ।

क) कोई भी अभिवेदन या वारंटी केवल औपचारिक लिखित करार के तहत दिया जाता है ।

ख) विक्रेता कोई भी अभिवेदन या वारंटी देने के या लेने के पहले पर्याप्त उचित सावधानी बरतता है ।

ग) अभिवेदन या वारंटी का संबंध वर्तमान परिस्थिति से है, जिसका आस्तियों की बिक्री के समय विक्रेता द्वारा सत्यापन किया जा सकता है।

घ) अभिवेदन या वारंटी निरंतर स्वरूप की नहीं हो सकती और, खासकर, ऋण/अंतर्निहित उधारकर्ता के भावी साख से संबद्ध नहीं है।

च) अभिवेदन और वारंटी का प्रयोग, जिसमें प्रवर्तक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिक्री की गई आस्तियों के बदले में (या उसके किसी भाग के लिए) अभिवेदन और आश्वासन में दिए गए आधार पर दूसरी आस्ति रखे, निम्नानुसार किया जाना चाहिए :

* आस्तियों के अंतरण से 120 दिनों के भीतर : और
* मूल बिक्री के नियमों और शर्तों पर ही संचालित ।

छ) जिस विक्रेता को अभिवेदन और वारंटी के भंग के लिए क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है वह ऐसा तभी करेगा जब क्षतिपूर्ति देने की संविदा निम्न शर्तों को पूरा करती है :

* अभिवेदन और वारंटी का भंग होना सिद्ध करने की जिम्मेदारी हर समय आरोप लगाने वाले पक्ष पर है
* विक्रेता पर भंग का आरोप करनेवाले पक्ष ने लिखित नोटिस जारी किया हो, जिसमें दावे के आधारों को स्पष्ट किया गया हो; और
* भंग के फलस्वरूप हुई सीधी हानि तक ही क्षतिपूर्ति सीमित होती है।

ज) विक्रेता को किसी अन्य वित्तीय संस्था को बेची गई आस्तियों के बदले में आस्ति देने की या अभिवेदन और वारंटी के भंग के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की घटनाओं के संबंध में भारिबैं (गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को सूचित करना चाहिए।

2.7 आस्तियों की पुनःखरीद

सीधे समनुदेशन लेनदेन में बिक्रेता द्वारा अंतरित आस्तियों पर प्रभावी नियंत्रण को सीमित करने के उद्देश्य से, बैंक के पास अंतरित आस्तियों पर "क्लिन अप-कॉल" के माध्यम सहित कोई पुनःखरीद की संविदा नहीं होनी चाहिए।

2.8 पूंजी पर्याप्तता और अन्य विवेक पूर्ण मानदण्ड की प्रयोज्यता

2.8.1 कार्पोरेट ऋणों की सीधी खरीद के लिए पूंजी पर्याप्तता ट्रीटमेंट बैंक द्वारा सीधे प्रवर्तित किए गए ऋणों पर जिस तरह से लागू होता है उसी तरह लागू होगा । इसी प्रकार खुदरा ऋणों की सीधी खरीद का पूंजी पर्याप्तता ट्रीटमेंट बैंक के प्रत्यक्ष प्रवर्तित खुदरा पोर्टफोलियो खाते पर लागू नियमों के अनुसार होगा, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जहां खुदरा एनपीए पर लागू सामान्य पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू होंगे । खरीदे गये खुदरा ऋणों को रेटिंग के आधार पर कम जोखिम भार का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ऋण जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत विधि में इसकी परिकल्पना नहीं की गयी है।[69] बैंक, यदि चाहे तो, खरीदने के पहले ऋणों के समूह की रेटिंग करा सकता है ताकि बैंक अपनी समुचित सावधानी के अलावा ऋण समूह की गुणवत्ता के संबंध में तृतीय पक्ष के दृष्टीकोण को समझ सके। तथापि, इस प्रकार की

[69] प्रतिभूतीकृत ऋणों की श्रृंखलाओं में निवेश पर पूंजी पर्याप्तता और अन्य विवेकपूर्ण मानदंड लागू होंगे, जो प्रतिभूतीकृत लेनदेनों पर लागू होते हैं ।

रेटिंग समुचित सावधानी का विकल्प नहीं बन सकती जिसे खरीदार बैंक को इस खंड के पैरा 2.2 की शर्तों के तहत पालन करना आवश्यक है ।

2.8.2 खरीदार बैंक के लिए खुदरा और गैर-खुदरा ऋणों के समूह की खरीद में, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और एक्सपोजर मानदण्ड अलग-अलग बाध्यताधारी के आधार पर लागू होंगें और पोर्टफोलियो के आधार पर नहीं। बैंक को आस्तियों के वर्गीकरण, आय पहचान और प्रावधानीकरण मानदण्डों को पोर्टफोलियो स्तर पर लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट समय बद्ध तरीके से अलग-अलग खातों में कमजोरी पता लगाने और उन्हें दूर करने की क्षमता न रखने के कारण ऋण पर्यवेक्षण को कमजोर करने की संभावना रखती है। यदि खरीदार बैंक खरीदे गए ऋण के पोर्टफोलियो में अलग-अलग बाध्यताधारी वार खातों को नहीं रख रहे हैं, तो उनके पास अलग-अलग बाध्यताधारी आधार पर विवेक पूर्ण मानदण्ड लागू करने की वैकल्पिक प्रणाली होनी चाहिए, विशेष रूप से बाध्यताधारियों की उन राशियों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, जिन्हें वर्तमान विवेक पूर्ण मानदण्ड के अनुसार एनपीए समझा जाना आवश्यक है । ऐसी प्रणाली सर्विसिंग एजेंटों से खातावार ब्योरा प्राप्त करने की हो सकती है, जो पोर्टफोलियो को विभिन्न आस्ति श्रेणियों में वर्गीकरण करने के लिए सहायक सिद्ध होती है। ऐसे विवरण सेवा एजेंट के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने चाहिए। बैंक के समवर्ती लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक को सर्विसिंग एजंटो द्वारा रखे गए रिकार्ड के आधार पर इन पार्टफोलियो की जांच करनी चाहिए। सर्विसिंग संविदा में खरीदार बैंक के लेखापरीक्षकों द्वारा इस प्रकार की जांच का प्रावधान होना चाहिए। सभी संबद्ध जानकारी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों को खरीदार बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध किए जाने चाहिए।

2.8.3 खरीदे गए ऋण अधिग्रहण लागत पर माने जाएंगे बशर्ते वे अंकित मूल्य से अधिक नहीं हों। अंकित मूल्य से अधिक होने पर भुगतान किया गया प्रीमियम सीधी रेखा पद्धति से या प्रभावी ब्याज दर पद्धति से, जो बैंक द्वारा उचित समझा जाए, परिशोधित होना चाहिए। बकाया/अपरिशोधित प्रीमियम को पूंजी से घटाने की आवश्यता नहीं है। खरीदे गए ऋणों पर छूट /प्रीमियम को पोर्टफोलियो के आधार पर हिसाब में लेना चाहिए या अनुपातिक दर पर वैयक्तिक एक्सपोजरों में विभाजित करना चाहिए।

2.9 उक्त निर्धारित अपेक्षाओं का पालन न करने वाले एक्सपोजरों का ट्रीटमेंट

ऊपर उल्लिखित पैरा 2.1 से 2.8 में निहित अपेक्षाओं को जहाँ पूरा नहीं किया गया है वहां निवेशकर्ता बैंक 1111% का जोखिम भार असाइनमेंट एक्सपोजर पर लगायेगा । यद्यपि, बैंक को गंभीरता से पैरा 2.1 से 2.4 में निहित दिशानिर्देशों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, इन पैराग्राफों के अनुपालन न करने की स्थिति में 1111% का उच्च जोखिम भार 1 अक्तूबर 2012 से लागू हो जाएगा। बैंकों को 30 सितंबर 2012 के पहले पैरा 2.1 से 2.4 में निहित अपेक्षाओं को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणाली और पद्धतियां लागू करनी चाहिए।

भाग ग

प्रतिभूतीकरण गतिविधियां/ एक्सपोजर जिनकी अनुमति नहीं दी गयी है

1. वर्तमान में, विदेश स्थित अपनी शाखाओं सहित भारत में बैंक को निम्नलिखित प्रतिभूतीकरण गतिविधियां या प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर्स करने की अनुमति नहीं है।

1.1 आस्तियों का पुनर्प्रतिभूतिकरण

पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र एक ऐसा प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है जिसमें अंतर्निहित एक्सपोजर समूह से संबद्ध जोखिम श्रृंखलाबद्ध है और कम से कम एक अंतर्निहित एक्सपोजर प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है। इसके अलावा, एक या अधिक पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों के प्रति एक्सपोजर पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है। पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों की यह परिभाषा आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों के संपार्श्विकृत ऋण दायित्वों (सीडीओ) पर लागू होगी, उदाहरण के लिए आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित सीडीओ (आरएमबीएस)।

1.2 संश्लिष्ट प्रतिभूतीकरण

संश्लिष्ट प्रतिभूतीकरण ऐसी संरचना है जिसके साथ जोखिम के कम से कम दो भिन्न स्तरीय पोजीशन होते हैं या ऐसी श्रृंखलाएं होती हैं जो ऋण जोखिम की भिन्न दशाएं प्रतिबिंबित करती हैं, जहाँ अंतर्निहित एक्सपोजर का समूह पूर्ण या अंशतः, (अर्थात् क्रेडिट-लिंक्ड नोटस) या अनिधिक (अर्थात् ऋण चूक स्वैप) क्रेडिट डेरिवेटिव या गारंटियों के माध्यम से अंतरित की जाती हैं जो पोर्टफोलियो के ऋण जोखिम के बचाव का कार्य करती है। तदनुसार, निवेशकों की संभावित हानि अंतर्निहित समूह के कार्यनिष्पादन पर निर्भर है।

1.3 **परिक्रामी संरचना के साथ प्रतिभूतीकरण (प्रारंभिक परिशोधन विशेषताओं सहित या उसके अतिरिक्त)**

इनमें ऐसे एक्सपोजर आते हैं जहाँ उधारकर्ता किसी ऋण व्यवस्था (अर्थात् क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशि और नकदी ऋण सुविधाएं) के अंतर्गत तयशुदा समय सीमा के भीतर आहरित राशि और चुकौती राशि में घट-बढ़ कर सकते हैं। विशिष्ट रूप से रिवाल्विंग संरचना में परिशोधित आस्तियां होंगी जैसे क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशि, व्यापार में प्राप्य राशि, बिक्रेता फ्लोअरप्लान ऋण और कुछ पट्टे जो अपरिशोधन संरचना को समर्थन देती हैं, बशर्ते उनको समयपूर्व परिशोधन विशेषताओं के साथ न बनाया गया हो । समयपूर्व परिशोधन का अर्थ प्रतिभूतियों की उनकी सामान्य संविदात्मक परिपक्वता के पहले चुकौती है। समयपूर्व परिशोधन के समय तीन संभावित परिशोधन प्रक्रियाएं हैं ; (i) सीमित परिशोधन (ii) तीव्र या अनियंत्रित परिशोधन (iii) नियंत्रित परिशोधन के बाद अनियंत्रित परिशोधन (नियंत्रित अवधि समाप्त होने के पश्चात)

2. ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों में प्रतिबंधित लेनदेनों की उपयुक्तता और औचित्य की यथा समय पुनः समीक्षा की जाएगी।

अनुबंध - 7
(देखें पैरा 7.3.6)

भाग - क

ऋण जोखिम कम करने के संबंध में उदाहरण
(ऋण एक्सपोजर)

संपार्श्विकीकृत लेनदेनों के लिए एक्सपोजर राशि की गणना

$E^* = \max\{0, [E \times (1+H_e) - C \times (1-H_c - H_{FX})]\}$

जहां

E^* = जोखिम कम करने के बाद एक्सपोज़र का मूल्य

E= एक्सपोज़र का वर्तमान मूल्य

H_e= एक्सपोज़र के लिए उपयुक्त हेयरकट

C = प्राप्त संपार्श्विक का वर्तमान मूल्य

H_c= संपार्श्विक के लिए उपयुक्त हेयरकट

H_{FX} = संपार्श्विक और एक्सपोज़र के बीच में मुद्रा विसंगति के लिए उपयुक्त हेयरकट

क्र.सं.	विवरण	मामला 1	मामला 2	मामला 3	मामला 4	मामला 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**एक्सपोजर**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2	एक्सपोजर की परिपक्वता अवधि	2	3	6	3	3
3	एक्सपोजर का स्वरूप	कंपनी ऋण	कंपनी ऋण	कंपनी ऋण	कंपनी ऋण	कंपनी ऋण
4	मुद्रा	भारतीय रुपये	भारतीय रुपये	अमेरिकी डालर	भारतीय रुपये	भारतीय रुपये
5	रुपये में एक्सपोजर	100	100	4000 (पंक्ति 1 x विनिमय	100	100

				दर ##)		
6	एक्सपोजर की रेटिंग	बीबी	ए	बीबीबी -	एए	बी-
	लागू जोखिम भार	150	50	100@	30	150
7	एक्सपोजर* के लिए हेयरकट	0	0	0	0	0
8	**संपार्श्विक**	100	100	4000	2	100
9	मुद्रा	भारतीय रुपये	भारतीय रुपये	अमेरिकी डालर	भारतीय रुपये	भारतीय रुपये
10	**रुपये में संपार्श्विक**	**100**	**100**	**4000**	**80** (पंक्ति 1 x विनिमय दर)	**100**
11	संपार्श्विक की अवशिष्ट परिपक्वता (वर्ष)	2	3	6	3	5
12	संपार्श्विक का स्वरूप	सरकारी (भारत सरकार) प्रतिभूति	बैंक बांड	कंपनी बांड	विदेशी कंपनी बांड	म्युच्युअल फंड के यूनिट
13	संपार्श्विक की रेटिंग	लागू नहीं	रेटिंग नहीं की गयी	बीबीबी	एएए (एस एंड पी)	एए
14	संपार्श्विक के लिए हेयरकट (%)	0.02	0.06	0.12	0.04	0.08
15	मुद्रा विसंगति के लिए हेयरकट (%) [देखें परिपत्र का पैरा 7.3.7 (vi)]	0	0	0.08	0.08	0
16	संपार्श्विक पर कुल हेयरकट [10वीं पंक्ति x (14वीं + 15वीं पंक्ति)]	2	6	800	9.6	8
17	हेयरकट के बाद संपार्श्विक(10वीं पंक्ति - 16वीं पंक्ति)	98	94	3200	70.4	92
18	**निवल एक्सपोजर (पंक्ति**	**2**	**6**	**800**	**29.6**	**8**

	5 - पंक्ति 17)					
19	जोखिम भार (%)	150	50	100@	30	150
20	**जोखिम भारित परिसंपत्ति (पंक्ति 18 x 19)**	**3**	**3**	**800**	**8.88**	**12**

1 अमरीकी डॉलर = 40 रु. विनिमय दर माना गया है ।

लागू नहीं

@ परिपत्र के पैरा 6.4.2 के अनुसार दीर्घावधि रेटिंग के मामले में जहां रेटिंग के साथ "+" अथवा "-" नोटेशन है वहां तदनुरूपी मुख्य रेटिंग श्रेणी के जोखिम भार का प्रयोग किया जाना है । अतः जोखिम भार 100% है ।

(*) एक्सपोजर के लिए हेयरकट शून्य लिया गया है क्योंकि ऋण बाजार मूल्य पर अंकित नहीं किये जाते हैं और अतः वे अस्थिर नहीं हैं ।

मामला 4 : हेयरकट सारणी-14 के अनुसार लागू

मामला 5 : यह मान लिया गया है कि म्युच्युअल फंड पैरा 7.3.5 (viii) में विनिर्दिष्ट मानदंडों की पूर्ति करते हैं और उनके ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश हैं जिनकी 5 वर्ष से अधिक परिपक्वता शेष है और जो एए अथवा उससे अधिक रेटिंग वाले हैं जिन पर परिपत्र की सारणी 14 के अनुसार 8 प्रतिशत का हेयरकट लागू किया जाएगा ।

भाग - ख

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) के लिए पूंजी भार की गणना संबंधी उदाहरण - रिपो लेनदेन

बासल II के अधीन आधारभूत प्रतिभूति के लिए ऋण/बाजार जोखिम तथा प्रतिपक्षी ऋण जोखिम के लिए पूंजी भार सहित रिपो लेनदेन के लिए कुल पूंजी भार की गणना दर्शानेवाला एक उदाहरण नीचे दिया गया है :

क. रिपो लेनदेन के

यह मान लिया जाए कि एक परिकल्पित रिपो लेनदेन के निम्नलिखित परिमाप हैं :

प्रतिभूति का प्रकार	भारत सरकार की प्रतिभूति
अवशिष्ट परिपक्वता	5 वर्ष
कूपन	6%
वर्तमान बाजार मूल्य	1050 रु.
उधार ली गयी नकदी	1000 रु.
प्रतिभूति की आशोधित अवधि	4.5 वर्ष
मार्जिन करने की परिकल्पित बारंबारता	दैनिक
प्रतिभूति के लिए हेयरकट	2% (देखें परिपत्र की सारणी 14 मद क (i))
नकदी पर हेयरकट्	शून्य (देखें परिपत्र की सारणी 14 की मद ग)
न्यूनतम धारण अवधि	5 कारोबारी दिन (देखें परिपत्र का पैरा 7.3.7 (ix))
सामान्य बाजार जोखिम के लिए पूंजी भार की गणना के लिए प्रतिफल में परिवर्तन	0.7% वार्षिक (देखें परिपत्र की सारणी 17 का क्षेत्र 3)

ख. आधारभूत प्रतिभूति के लिए प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) और ऋण/बाजार जोखिम के लिए पूंजी भार सहित कुल पूंजी भार की गणना

ख 1. निधि उधार लेनेवाले की बहियों में (रिपो के अधीन प्रतिभूति को उधार दिए जाने के कारण तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के लिए)

(इस मामले में उधार दी गई प्रतिभूति उधार देनेवाले का एक्सपोजर है, जबकि उधार ली गयी नकदी संपार्श्विक है ।)

क्रम सं.	मद	विवरण	राशि (रु. में)
क.	**सीसीआर के लिए पूंजी भार**		
1.	एक्सपोजर	प्रतिभूति का बाजार मूल्य	1050
2.	एक्सपोजर के लिए सीसीएफ	100%	
3.	तुलनपत्र में ऋण समतुल्य	1050* 100%	1050
4.	हेयरकट	**1.4%@**	
5.	परिपत्र की सारणी 14 के अनुसार हेयरकट समायोजित करने के बाद एक्सपोजर	1050* 1.014	1064.70
6.	उधार दी गई प्रतिभूति के लिए संपार्श्विक	नकदी	1000
7.	एक्सपोजर के लिए हेयरकट	0%	
8.	हेयरकट समायोजित करने के बाद संपार्श्विक	1000* 1.00	1000
9.	निवल एक्सपोजर (5-8)	1064.70 - 1000	64.70
10.	जोखिम भार (अनुसूचित सीआरएआर - अनुपालक बैंक के लिए)	20%	
11.	सीसीआर के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियां	**64.70* 20%**	**12.94**
12.	सीसीआर के लिए पूंजी भार (11 X 9%)	12.94* 0.09	1.16
ख.	**प्रतिभूति के ऋण/बाजार जोखिम के लिए पूंजी**		
1.	ऋण जोखिम के लिए पूंजी (यदि प्रतिभूति परिपक्व होने तक रखी जाती है ।)	ऋण जोखिम	शून्य (सरकारी प्रतिभूति होने के कारण)

2.	बाजार जोखिम के लिए पूंजी (यदि प्रतिभूति `बिक्री के लिए उपलब्ध'/`व्यापार के लिए रखी गयी' के तहत रखी जाती है)	विनिर्दिष्ट जोखिम	शून्य (सरकारी प्रतिभूति होने के कारण)
		सामान्य बाजार जोखिम (4.5* 0.7%* 1050) ज़आशोधित अवधि* परिकल्पित प्रतिफल परिवर्तन (%)* प्रतिभूति का बाजार मूल्य़	33.07
कुल अपेक्षित पूंजी (सीसीआर + ऋण जोखिम + विनिर्दिष्ट जोखिम + सामान्य बाजार जोखिम)			34.23

@ परिपत्र के पैरा 7.3.7 में दर्शाये गये फार्मूले का उपयोग करते हुए 2% का पर्यवेक्षी हेयरकट कम किया गया है ।

<u>ख. 2</u> निधि उधार देनेवाले की बहियों में (रिपो के अधीन निधि उधार दिये जाने के कारण तुलन पत्र में शामिल एक्सपोज़र के लिए)

(इस मामले में उधार दी गई नकदी एक्सपोज़र है और उधार ली गयी प्रतिभूति संपार्श्विक है)

क्र. सं.	**मद**	**विवरण**	**राशि (रुपयों में)**
क.	**सीसीआर के लिए पूंजी भार**		
1.	एक्सपोज़र	नकदी	1000
2.	एक्सपोज़र के हेयरकट	0%	
3.	*परिपत्र की सारणी 14 के अनुसार हेयरकट के लिए समायोजित एक्सपोज़र*	1000 * 1.00	1000
4.	उधार दी गई नकदी के लिए संपार्श्विक	प्रतिभूति का बाज़ार मूल्य	1050
5.	संपार्श्विक के लिए हेयरकट	1.4 % @	
6.	*हेयरकट के लिए समायोजित संपार्श्विक*	1050 * 0.986	1035.30
7.	निवल एक्सपाज़र (3 - 6)	अधिकतम {1000 - 1035.30}	0
8.	जोखिम भार (अनुसूचित सीआरएआर -		

	अनुपालक बैंक के लिए)	20%	
9.	सीसीआर के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियां (7 x 8)	**0* 20 %**	**0**
10.	सीसीआर के लिए पूंजी भार	0	**0**
ख.	**प्रतिभूति के ऋण /बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी**		
1.	ऋण जोखिम के लिए पूंजी (यदि प्रतिभूति परिपक्वता तक रखी जाती है)	ऋण जोखिम	निधि उधार लेने वाले द्‌वारा रखी जाती है, अतः लागू नहीं
2.	बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी (यदि प्रतिभूति `बिक्री के लिए उपलब्ध'/`व्यापार के लिए रखी गयी' के अधीन रखी जाती है)	विनिर्दिष्ट जोखिम	निधि उधार लेने वाले द्‌वारा रखी जाती है, अतः लागू नहीं
		सामान्य बाज़ार जोखिम	निधि उधार लेने वाले द्‌वारा रखी जाती है, अतः लागू नहीं

@ परिपत्र के पैरा 7.3.7 में दर्शाये गये फार्मूले का उपयोग करते हुए पर्यवेक्षी हेयरकट 2% कम किया गया है।

अनुबंध -8

(देखें पैरा 8.3.10)

ब्याज दर डेरिवेटिव और ऑप्शन के संबंध में बाज़ार जोखिमों के लिए <u>पूंज़ी भार की माप</u>

अ. <u>ब्याज दर डेरिवेटिव</u>

माप पद्धति में व्यापार बही में सभी ब्याज दर डेरिवेटिव और तुलनपत्रेतर लिखतों का समावेश होना चाहिए, जो ब्याज दरों के परिवर्तनों के अनुरूप बदलती है (उदाहरण के लिए, वायदा दर करार (एफआरए), अन्य वायदा संविदा, बांड फ्यूचर्स, ब्याज दर स्वैप और दो मुद्राओं में स्वैप तथा वायदा विदेशी मुद्रा पोजिशन)। ऑप्शन्स को निम्न आ- 1 में वर्णन किए गए अनुसार विभिन्न तरीकों से माना जा सकता है। ब्याज दर डेरिवेटिव पर विचार करने के लिए इस भाग के अंत में दी गई सारणी में नियमों का सारांश दिया गया है।

1. पोजिशन की गणना

डेरिवेटिव को संगत आधारभूत में पोजिशन में परिवर्तित किया जाना चाहिए तथा उन पर दिशानिर्देशों में यथावर्णित, निर्दिष्ट और सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभारों को लागू करना चाहिए। पूंजी भार की गणना के लिए रिपोर्ट की गई राशि आधारभूत की अथवा कल्पित आधारभूत की मूल राशि का बाज़ार मूल्य होनी चाहिए। जिन लिखतों के संबंध में कल्पित राशि प्रभावी कल्पित राशि से भिन्न दिखाई देती है वहाँ <u>बैंकों को प्रभावी कल्पित राशि का उपयोग करना होगा।</u>

(क) वायदा दर करारों सहित फ्यूचर्स और वायदा संविदा

ये लिखत किसी नोशनल सरकारी प्रतिभूति में दीर्घ अथवा अल्प पोजिशन के संयोग के रूप में समझे जाएंगे। फ्यूचर अथवा वायदा दर संविदा की परिपक्वता, सुपुर्दगी या उक्त संविदा के प्रयोग तक की अवधि, तथा जहां लागू हो वहां, आधारभूत लिखत की अवधि सहित अवधि होगी। उदाहरण के लिए, जून तीन-माह ब्याज दर फ्यूचर (अप्रैल में लिया हुआ) में दीर्घ पोजिशन को पांच माह की परिपक्वतावाली किसी सरकारी प्रतिभूति में दीर्घ पोजिशन तथा दो माह की परिपक्वतावाली किसी सरकारी प्रतिभूति में अल्प पोजिशन के रूप में सूचित किया जाएगा । जहां सुपुर्दगी योग्य लिखतों को संबंधित संविदा की पूर्ति के लिए सुपुर्द किया जा सकता है, वहां संबंधित बैंक को यह चुनने का लचीलापन प्राप्त है कि कौनसी सुपुर्दगी योग्य तिभूति अवधि क्रम (ड्यूरेशन लैडर) में जाती है। परंतु यदि शेयर बाजार ने किसी परिवर्तन गुणक की परिभाषा की है तो बैंक को उसे ध्यान में लेना होगा।

(ख) स्वैप

स्वैप को संगत परिपक्वतावाली सरकारी प्रतिभूतियों में दो परिकल्पित (नोशनल) पोजिशन के रूप में माना जाएगा। उदाहरण के लिए, जिस ब्याज दर स्वैप के तहत बैंक अस्थिर दर ब्याज प्राप्त कर रहा है और नियत दर अदा कर रहा है, उसे आगामी ब्याज निर्धारण तक की अवधि के बराबर परिपक्वता वाले अस्थिर दर लिखत में दीर्घ पोजिशन के रूप में और संबंधित स्वैप की अवशिष्ट अवधि के बराबर परिपक्वता वाले नियत-दर लिखत में अल्प पोजिशन के रूप में समझा जाएगा। किसी अन्य संदर्भ मूल्य उदाहरण के लिए स्टॉक इंडेक्स के संदर्भ में नियत या अस्थिर ब्याज दर अदा करने या प्राप्त करनेवाले स्वैप के लिए, ब्याज दर घटक ईक्विटी ढांचे में शामिल किए जा रहे ईक्विटी घटक के साथ समुचित पुनर्मूल्यन परिपक्वता श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

भिन्न मुद्रा स्वैप के अलग चरणों को संबंधित मुद्राओं के लिए संगत परिपक्वता क्रम में रिपोर्ट किया जाना है।

2. मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत डेरिवेटिव के लिए पूंजी भारों की गणना

(क) संतुलित पोजिशन का अनुमत प्रतिसंतुलन

बैंक ब्याज दर परिपक्वता ढांचे से निम्नलिखित को पूर्णतः बाहर रख सकते हैं (विनिर्दिष्ट और सामान्य बाजार जोखिम दोनों के लिए);

- एक ही जारीकर्ता, कूपन, मुद्रा और परिपक्वता वाले एक जैसे लिखतों में दीर्घ और अल्प पोजिशन (वास्तविक और परिकल्पित दोनों)।
- फ्यूचर अथवा वायदा और उसके तदनुरूपी आधारभूत में संतुलित पोजिशन को भी पूर्णतः प्रतिसंतुलित किया जाए, (तथापि, फ्यूचर की समाप्ति के समय का प्रतिनिधित्व करनेवाले चरण की रिपोर्ट की जानी चाहिए) और इस प्रकार गणना से बाहर रखा जाए।

जब फ्यूचर अथवा वायदा में अनेक सुपुर्दगी योग्य लिखत हों, फ्यूचर अथवा वायदा संविदा और उसके आधारभूत में पोजिशन का प्रतिसंतुलन केवल उन मामलों में लागू होगा जहां तत्काल पहचानी जाने योग्य ऐसी आधारभूत प्रतिभूति है जो सुपुर्दगी के लिए अल्प पोजिशन का व्यापार करनेवाले के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है । इस प्रतिभूति के मूल्य को कभी-कभी `सुपुर्दगी के लिए सबसे सस्ता' कहा जाता है, और फ्यूचर अथवा वायदा संविदा का मूल्य ऐसे मामलों में इसके निकट होना चाहिए।

दो भिन्न मुद्राओं की पोजिशन में प्रतिसंतुलन अनुमत नहीं होगा। दो भिन्न मुद्राओं के स्वैप या वायदा विदेशी मुद्रा लेनदेन के अलग-अलग चरणों को भी संबद्ध लिखतों में परिकल्पित पोजिशन के रूप में समझा जाए और प्रत्येक मुद्रा के लिए समुचित गणना में शामिल किया जाए।

इसके अलावा, एक ही श्रेणी के लिखतों के विपरीत पोजिशन विशिष्ट परिस्थितियों में संतुलित समझे जा सकते हैं और उनको पूर्णतः प्रतिसंतुलित करने की अनुमति दी जा सकती है। इस व्यवहार के लिए पात्र होने हेतु संबंधित पोजिशन एक ही आधारभूत लिखतों से संबद्ध होनी ही चाहिए तथा उनका एक ही अंकित मूल्य होना चाहिए और एक ही मुद्रा में मूल्यवर्गित होनी चाहिए। साथ ही :

- <u>फ्यूचर के लिए</u> : परिकल्पित या आधारभूत लिखतों जिनसे फ्यूचर संविदाएं संबद्ध हैं, में पोजिशन को प्रतिसंतुलित करना समान उत्पादों के लिए ही हो और एक दूसरे के 7 दिन के भीतर परिपक्व हो;
- <u>स्वैप और एफआरए के लिए</u> : संदर्भ दर (अस्थायी दर पोजिशन के लिए) एक जैसी हो और कूपन अधिकतर मिलते-जुलते हो (अर्थात् 15 आधार बिंदुओं के भीतर); और
- <u>स्वैप, एफआरए और वायदा के लिए</u> : अगली ब्याज निर्धारण तीरख या नियत कूपन पोजिशन अथवा वायदा के लिए अवशिष्ट परिपक्वता निम्नलिखित सीमाओं में तदनुरूप हो :

    0 अब से एक महीने से कम अतः : उसी दिन;

    0 एक माह और एक वर्ष के बीच अतः : सात दिन के भीतर

    0 एक वर्ष से अधिक अतः तीस दिन के भीतर

बड़ी स्वैप बहियोंवाले बैंक, अवधि क्रम में शामिल किए जानेवाले पोजिशन की गणना हेतु इन स्वैप के लिए वैकल्पिक फॉर्म्यूले का इस्तेमाल कर सकते हैं । इसकी विधि यह होगी कि उक्त अवधि पद्धति में प्रयुक्त आय में परिवर्तन में निहित निवल वर्तमान मूल्य की संवेदनशीलता की गणना की जाए तथा इन संवेदनशीलताओं को इस मास्टर परिपत्र के पैरा 8.3 की सारणी 17 में वर्णित टाइम-बैंड में आबंटित किया जाए ।

(ख) विशिष्ट जोखिम

ब्याज दर और मुद्रा स्वैप, एफआरए, वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं और ब्याज दर फ्यूचर किसी विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार के अधीन नहीं होंगे। यह छूट ब्याज दर सूचकांक (उदाहरणार्थ

लाइबोर) से संबंधित फ्यूचर पर भी लागू होगी। तथापि, फ्यूचर संविदाओं के मामले में, जहां कोई ऋण प्रतिभूति आधारभूत है, या ऋण प्रतिभूतियों के किसी समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सूचकांक आधारभूत है है तो विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार जारीकर्ता के ऋण जोखिम के अनुसार लागू होगा जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफों में दिया गया है।

(ग) सामान्य बाज़ार जोखिम

सामान्य बाज़ार जोखिम सभी डेरिवेटिव उत्पादों में पोज़ीशन्स पर उसी तरह लागू होता है जैसे कि नकदी पोज़ीशन्स पर, केवल ऊपर के पैराग्राफों मे यथा परिभाषित समान लिखतों में पूर्णतः या काफी हदतक मैच होनेवाली पोज़ीशनों के लिए छूट की शर्त है। लिखतों की विभिन्न श्रेणियों को परिपक्वता सोपान (लेडर) में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और पहले निर्दिष्ट किये गये नियमों के अनुसार उनके संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए।

सारणी - ब्याज दर डेरिवेटिव के व्यवहार का सारांश

लिखत	विनिर्दिष्ट जोखिम भार	सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभार
एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किये जानेवाले फ्यूचर		
-सरकारी ऋण प्रतिभूति	नहीं	हां, दो पोज़ीशनों के रूप में
-कंपनी ऋण प्रतिभूति	हां	हां, दो पोज़ीशनों के रूप में
-ब्याज दर संबंधी सूचकांक (जैसे माइबोर)	नहीं	हां, दो पोज़ीशनों के रूप में
ओटीसी फॉरवर्ड		
-सरकारी ऋण प्रतिभूति	नहीं	हां, दो पोज़ीशनों के रूप में
-कंपनी ऋण प्रतिभूति	हां	हां, दो पोज़ीशनों के रूप में
-ब्याज दर संबंधी सूचकांक (जैसे माइबोर)	नहीं	हां, दो पोज़ीशनों के रूप में
एफआरए, स्वैप	नहीं	हां, दो पोज़ीशनों के रूप में
वायदा विदेशी मुद्रा	नहीं	हां, प्रत्येक मुद्रा में एक पोज़िशन के रूप में
ऑपशन्स		
-सरकारी ऋण प्रतिभूति	नहीं	
-कंपनी ऋण प्रतिभूति	हां	
-ब्याज दर संबंधी सूचकांक (जैसे माइबोर)	नहीं	
-एफआरए, स्वैप	नहीं	

आ. ऑपशन्स का ट्रीटमेंट

1.ऑपशन में बैंकों की गतिविधियों की व्यापक विविधता तथा ऑपशन के लिए मूल्य जोखिम मापने की कठिनाइयों को देखते हुए, निम्नानुसार वैकल्पिक दृष्टिकोण की अनुमति है:

- जो बैंक सिर्फ क्रय किये गये ऑपशन[70] का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें नीचे खंड 1 में बताये गये सरलीकृत दृष्टिकोण का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता होगी;
- जो बैंक ऑपशन लिखते भी हैं, उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे नीचे खंड II में दिये गये मध्यवर्ती दृष्टिकोणों में से एक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करेंगे।

2. ***सरलीकृत दृष्टिकोण में***, ऑपशन के लिए पोजीशन तथा उनसे संबद्ध अंडरलाइंग, चाहे वह नकद हो या वायदा, मानकीकृत पद्धति के अधीन नहीं होंगे बल्कि उन पर अलग से परिगणित ऐसे प्रभार लागू होंगे जिसमें सामान्य बाज़ार जोखिम और निर्दिष्ट जोखिम दोनों शामिल हैं। इस प्रकार प्राप्त जोखिम आंकड़ों को संबंधित श्रेणी अर्थात् ब्याज दर संबद्ध लिखतों, इक्विटी तथा विदेशी मुद्रा के पूंजी भारों में जोड़ा जाता है जैसा कि इस मास्टर परिपत्र के पैरा 8.3 से 8.5 में बताया गया है। डेल्टा-प्लस पद्धति में संवदेनशीलता पेरामीटरों या ऑपशन्स से संबद्ध "ग्रीक लेटर्स" का उपयोग उनके बाज़ार जोखिम तथा पूंजीगत आवश्यकताओं को मापने के लिए किया जता है। इस पद्धति के अधीन प्रत्येक ऑपशन की डेल्टा-समतुल्य स्थिति इस मास्टर परिपत्र के पैरा 8.3 से 8.5 में में दी गयी मानकीकृत पद्धति का भाग बन जाती हैं तथा डेल्टा समतुल्य राशि लागू सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभारों के अधीन है। उसके बाद ऑपशन पोज़िशनों के गामा और वेगा जोखिमों पर पृथक पूंजी भार लागू किये जाते हैं। सिनेरियो दृष्टाकेण में ऑपशन पोर्टफोलियों से संबद्ध अंडरलाइंग के स्तर और अस्थिरता में बदलाव के लिए पोर्टफोलियो के मूल्य में परिवर्तन की गणना के लिए सिमुलेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभार `ग्रिड` परिदृश्य (अर्थात् अंडरलाइंग तथा स्थिरता परिवर्तनों के उनके निर्दिष्ट संयोग) द्वारा निर्धारित होता है जो सर्वाधिक हानि उत्पन्न करता है। डेल्टा-प्लस पद्धति तथा सिनेरियो दृष्टिकोण के लिए निर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार इस मास्टर परिपत्र के पैरा 8.3 से 8.4 में में दिये गये विनिर्दिष्ट जोखिम भार द्वारा प्रत्येक ऑपशन के डेल्टा-समतुल्य राशि को गुणा कर अलग से निश्चित किया जाता है।

[70] यदि उनकी सभी लिखित ऑप्शन पोज़िशन की प्रतिरक्षा पूरी तरह उन्ही ऑप्शन्स में पूर्णतया संतुलित लॉंग पोज़िशनों द्वारा की जाती है तो उस स्थिति में बाज़ार जोखिम के लिए कोई पूंजी प्रभार अपेक्षित नहीं है।

1. सरलीकृत दृष्टिकोण

3. जो बैंक सिर्फ क्रय किए गए ऑप्शन का सीमित इस्तेमाल करते हैं नीचे सारणी क में वर्णित सरलीकृत दृष्टिकोण का खरीद-बिक्री के लिए प्रयोग कर सकते हैं । गणना के एक उदाहरण के रूप में, यदि कोई धारक के पास 100 शेयर हैं जिनका वर्तमान मूल्य 10 रुपया प्रति शेयर है तथा यदि उसके पास 11 रुपये के स्ट्राइक प्राइस का समान पुट ऑप्शन है तो पूंजी भार =1000 रुपये X 18 प्रतिशत (अर्थात् 9 प्रतिशत विनिर्दिष्ट जोखिम तथा 9 प्रतिशत सामान्य बाज़ार जोखिम) = 180 तथा उसमें वह राशि घटायी जाएगी जितने से ऑप्शन 'इन द मनी है अर्थात् (11 रुपये - 10 रुपये) x 100=100 रुपये । अर्थात् पूंजी भार 80 रुपये होगा । जिन ऑप्शनों का अंडरलाइंग विदेशी मुद्रा पर ब्याज दर आधारित लिखत है उनपर भी वही विधि लागू होगी ।

सारणी क - *सरलीकृत दृष्टिकोण : पूंजी भार*

पोज़िशन	ट्रीटमेंट
लोंग कैश और लोंग पुट अथवा शार्ट कैश और लोंग कॉल	पूंजी भार आधारभूत प्रतिभूति[71] के बाज़ार मूल्य को आधारभूत प्रतिभूति के विनिर्दिष्ट और सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभारों[72] के योग से गुणा कर तथा उसमें से ऑप्शन की इन-द-मनी राशि (यदि कोई हो) को घटाकर प्राप्त की जाएगी । इन-द-मनी की सीमा शून्य होगी[73]।
लोंग कॉल या लोंग पुट	पूंजी भार इनमें से न्यूनतर होगा : (i) आधारभूत प्रतिभूति के बाज़ार मूल्य को आधारभूत प्रतिभूति के विनिर्दिष्ट और सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभारों के योग से गुणा कर प्राप्त राशि (*ii*) ऑप्शन का बाज़ार मूल्य[74]

[71] कुछ मामलों में, उदाहरण के लिए विदेशी मुद्रा के मामले में यह अस्पष्ट हो सकता है कि 'आधारभूत प्रतिभूति' कौन सा पक्ष है । ऐसी स्थिति में उस अस्ति को आधारभूत माना जाना चहिए जो ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद प्राप्त हो। इसके अलावा इन मदों के लिए सांकेतिक मूल्य लिया जाना चहिए जहां आधारभूत लिखत का मूल्य शून्य हो सकता है, उदाहरण के लिए कैप्स और प्लोर्स, स्वैप्शंस अदि।

[72] कुछ ऑप्शन (उदाहरण के लिए जहां आधारभूत प्रतिभूति ब्याज दर या मुद्रा हो) में कोई विनिर्दिष्ट जोखिम नहीं रहता है, परंतु बयाज दर से जुड़ी कुछ लिखतों से संबंधित ऑप्शन में विनिर्दिष्ट जोखिम रहेगा (उदाहरण के लिए कंपनी ऋण प्रतिभूति या कंपनी बांड सूचकांक संबंधी ऑप्शन : संबंधित पूंजी प्रभार के लिए खंड ख देखें) तथा इक्विटी और स्टॉक सूचकांकों से संबंधित ऑप्शन (खंड ग देखें)। मुद्रा विकल्पों के लिए इस माप के अंतर्गत प्रभार 9% होगा ।

[73] ऐसे ऑप्शन के लिए जिनकी बची हुई परिपक्वता अवधि छह महीने से अधिक है, स्ट्राइक मूल्य की तुलना वर्तमान मूल्य से नहीं अपितु वायदा मूल्य से की जानी चाहिए । जो बैंक ऐसा न कर सके उसे, `इन-द-मनी' राशि शून्य लेना चाहिए ।

[74] जब पोज़िशन ट्रेडिंग बही के अंतर्गत नहीं आये (अर्थात् ट्रेडिंग बही के अंतर्गत नहीं आनेवाले विदेशी मुद्रा या पण्य पोज़िशन से संबंधित ऑप्शन), तब बही मूल्य का प्रयोग स्वीकार्य हो सकता है ।

II. मध्यवर्ती दृष्टिकोण

(क) डेल्टा प्लस विधि

4. ऑप्शन लिखनेवाले बैंकों को यह अनुमति होगी कि वे इस मास्टर परिपत्र के पैरा 8.3 से 8.5 में वर्णित मानकीकृत क्रियाविधि के अंतर्गत डेल्टा भारित ऑप्शन पोजिशन शामिल कर सकते हैं । ऐसे ऑप्शन को आधारभूत प्रतिभूति के बाज़ार मूल्य को डेल्टा से गुणाकर प्राप्त राशि के बराबर पोजिशन के रूप में सूचित किया जाना चाहिए ।

तथापि, चूंकि ऑप्शन पोज़िशन से जुड़े जोखिमों को डेल्टा पर्याप्त रूप से कवर नहीं करता है, अतः बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वे कुल पूंजी भार की गणना करने के लिए गामा (जो डेल्टा में परिवर्तन की दर मापता है) और वेगा (जो अस्थिरता में परिवर्तन के प्रति ऑप्शन के मूल्य की संवेदनशीलता मापता है) संवेदनशीलताओं की भी माप करें । इन संवेदनशीलताओं की गणना अनुमोदित एक्सचेंज मॉडल अथवा बैंक की प्रोपराइटरी ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के अनुसार की जाएगी तथा यह भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण के अधीन होगा[75]।

5. ऋण प्रतिभूतियो अथवा ब्याज दरों के रूप में आधारभूत प्रतिभूति से संबंधित डेल्टा-भारित पोज़िशन को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार ब्याज दर अवधि-बैंड में विभाजित किया जाएगा, जैसा कि इस मास्टर परिपत्र के पैरा 8.3 की **सारणी 17** में दर्शाया गया है। अन्य डेरिवेटिव की तरह ही इसमें दोतरफा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिसमें आधारभूत संविदा प्रभावी होने के समय एक प्रविष्टि तथा आधारभूत संविदा की परिपक्वता के समय दूसरी प्रविष्टि होगी। उदाहरण के लिए, जून त्रिमासिक ब्याज दर फ्यूचर से संबंधित खरीदा गया कॉल ऑप्शन अप्रैल में, उसके डेल्टा-सममूल्य के आधार पर, 5 महीने की परिपक्वता अवधि के साथ लोंग पोज़िशन तथा 2 महीने की परिपक्वता अवधि के साथ शार्ट पोज़िशन माना जाएगा[76]। इसी प्रकार लिखित ऑप्शन का वर्गीकरण दो महीने की परिपक्वता के साथ लोंग पोज्ज़िशन के रूप में तथा पांच महीनों की परिपक्वता के साथ शॉर्ट पोज़िशन के रूप में किया जाएगा। कैप्स या फ्लोर्स के साथ फ्लोटिंग रेट लिखतों को फ्लोटिंग रेट प्रतिभूति और यूरोपीय शैली के ऑप्शन की शृंखला के मिले-जुले रूप में माना

[75] भारतीय रिज़र्व बैंक एक्सोटिक ऑप्शन की कुछ श्रेणियों (उदाहरणार्थ, बैरियर्स, डिजिटल्स) अथवा `एट-द-मनी' ऑप्शन, जो समाप्ति के निकट हैं, में कारोबार करने वाले बैंकों से यह अपेक्षा कर सकता है कि वे या तो परिदृश्य दृष्टिकोण अथवा आंतरिक मॉडल विकल्प का प्रयोग करें। इन दोनों पद्धतियों में अधिक विस्तृत पुनर्मूल्यांकन दृष्टिकोण शमिल हो सकते हैं।

[76] बांड फ्यूचर में कोई दो-माह का कॉल ऑप्शन, जहां बांड की सुपुर्दगी सितंबर में हो तो, अप्रैल में बांड में लाँग और पांच - माह जमा में शार्ट माना जाएगा। दोनों पोज़िशन डेल्टा भारित हैं।

जाएगा। उदाहरण के लिए 15% कैप के साथ छह महीने के लाइबोर के आधार पर सूचकांकित त्रिवर्षीय फ्लोटिंग रेट बांड के धारक उसे निम्नानुसार मानेंगे -

(i) एक ऋण प्रतिभूति जिसका छह महीने में पुनर्मूल्यन होता है; और

(ii) एफआरए पर पांच लिखित कॉल ऑप्शन की एक शृंखला जिसकी संदर्भ दर 15% होगी तथा प्रत्येक ऑप्शन में आधारभूत एफआरए लागू होते समय नकारात्मक चिह्न तथा आधारभूत प्रतिभूति परिपक्व होते समय सकारात्मक चिह्न होगा[77]।

6. ईक्विटी के रूप में आधारभूत प्रतिभूति वाले ऑप्शन पर पूंजी भार की गणना भी डेल्टा-भारित पोज़िशनों पर आधारित होगी, जिसे इस मास्टर परिपत्र के पैरा 8.4 में वर्णित बाज़ार जोखिम की माप में शामिल किया जाएगा । इस गणना के प्रयोजन से प्रत्येक राष्ट्रीय बाज़ार को पृथक आधारभूत माना जाएगा । विदेशी मुद्रा पर ऑप्शन तथा गोल्ड पोज़िशन के लिए पूंजी भार खंड घ में वर्णित क्रियाविधि पर आधारित होगा । डेल्टा जोखिम के लिए संबंधित मुद्रा (अथवा स्वर्ण पोज़िशन) के एक्सपोज़र की माप में विदेशी मुद्रा और स्वर्ण पोज़िशन का निवल डेल्टा-आधारित समतुल्य शामिल किया जाएगा ।

7. डेल्टा जोखिम के लिए उपर्युक्त पूंजी भार के अलावा गामा और वेगा जोखिम के लिए और पूंजी भार होंगे । जो बैंक डेल्टा प्लस विधि का प्रयोग करेंगे उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे प्रत्येक ऑप्शन पोज़िशन (हेज पोज़िशन सहित) के लिए गामा और वेगा की भी अलग से गणना करें । पूंजी भारों की गणना निम्नलिखित रूप में की जानी चाहिए -

(i) **प्रत्येक ऑप्शन** के `गामा प्रभाव' की गणना टेलर सिरीज़ एक्सपेंशन के अनुसार निम्नवत् की जानी चाहिए

गामा प्रभाव = ½ X गामा X VU^2

जहां VU = ऑप्शन के आधारभूत में अंतर

(ii) VUकी गणना निम्नानुसार की जाएगी -

- ब्याज दर ऑप्शन में यदि आधारभूत प्रतिभूति बांड है तो पहले वर्णित विधि के अनुसार मूल्य संवेदनशीलता की गणना की जानी चाहिए । जहां आधारभूत ब्याज दर हो वहां समतुल्य गणना की जानी चाहिए ।

---

[77] इस अनुबंध के पैरा 2(क) में वर्णित क्लोजली-मैच्ड पोज़िशन पर लागू नियम इस संबंध में भी लागू होंगे ।

- इक्विटी और इक्विटी सूचकांकों पर आधारित ऑप्शनों, जिनकी अभी अनुमति नहीं है, की गणना के लिए आधारभूत प्रतिभूति के बाज़ार मूल्य को 9% से गुणा किया जाना चाहिए[78]।
- विदेशी मुद्रा और स्वर्ण पोज़िशन के लिए आधारभूत प्रतिभूति के बाज़ार मूल्य को 9% से गुणा किया जाना चाहिए ।

(iii) इस गणना के प्रयोजन से निम्नलिखित पोज़िशनों में **एक ही आधारभूत** माना जाना चाहिए

- ब्याज दरों के लिए[79] दिशानिर्देशों की सारणी 17 में दिया गया प्रत्येक अवधि बैंड[80]
- इक्विटी और स्टॉक सूचकांकों के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय बाज़ार
- विदेशी मुद्रा और स्वर्ण के लिए प्रत्येक मुद्रा द्वय और स्वर्ण

(iv) एक ही आधारभूत वाले प्रत्येक ऑप्शन का गामा प्रभाव होगा जो या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक। इन गामा प्रभावों को जोड़ा जाएगा जिससे प्रत्येक आधारभूत के लिए निवल गामा प्रभाव प्राप्त होगा जो या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक। केवल वही निवल गामा प्रभाव जो नकारात्मक हैं पूंजी की गणना में शामिल किया जाएगा।

(v) कुल गामा पूंजी भार उपर्युक्त रीति से की गयी गणना से प्राप्त निवल नकारात्मक गामा प्रभाव के निरपेक्ष मूल्य का योग होगा ।

(vi) **अस्थिरता जोखिम** के लिए बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे पूंजी भार की गणना ऊपर दी गयी परिभाषा के अनुसार एक ही आधारभूत पर सभी ऑप्शन के लिए वेगा के योग को अस्थिरता में ज़ 25% के अनुपातिक अंतर से गुणा कर करें ।

(vii) वेगा जोखिम के लिए **कुल पूंजी भार** वेगा जोखिम के लिए गणना किये गये सभी पूंजी भारों के निरपेक्ष मूल्य का योग होगा ।

ख) परिदृश्य दृष्टिकोण

8. अत्याधुनिक बैंकों को यह भी अधिकार होगा कि वे ऑप्शन पोर्टफोलियो तथा संबद्ध हेजिंग पोज़िशन के लिए बाज़ार जोखिम पूंजी भार परिदृश्य मैट्रिक्स विश्लेषण पर आधारित

---

[78] ब्याज दरों और इक्विटी ऑप्शन के लिए यहां वर्णित बुनियादी नियमों में, गामा पूंजी प्रभार की गणना के समय विनिर्दिष्ट जोखिम को शमिल करने का प्रयास नहीं किया गया है। तथपि रिज़र्व बैंक विनिर्दिष्ट बैंकों को ऐसा करने के लिए कह सकता है ।

[79] पोज़िशन की मुद्रा के अनुसार अलग परिपक्वता सोपानों में वर्गीकृत किया जाना चहिए ।

[80] अवधि पद्धति का प्रयोग करनेवाले बैंकों को दिशनिर्देश की सारणी 18 में वर्णित अवधि बैंडों का प्रयोग करना चहिए ।

करें। ऐसा ऑप्शन पोर्टफोलियो के जोखिम घटकों में परिवर्तनों के नियत दायरे को विनिर्दिष्ट कर तथा इस "ग्रिड" के विभिन्न बिन्दुओं पर ऑप्शन पोर्टफोलियो के मूल्य में परिवर्तन की गणना कर किया जाएगा। पूंजी भार की गणना के प्रयोजन से बैंक ऑप्शन की आधारभूत दर अथवा मूल्य और उक्त दर अथवा मूल्य की अस्थिरता में साथ-साथ होने वाले परिवर्तनों के लिए मैट्रिक्स का प्रयोग करते हुए ऑप्शन पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यन करेगा। जैसा कि ऊपर पैरा 7 में परिभाषित किया गया है प्रत्येक आधारभूत के लिए अलग मैट्रिक्स स्थापित किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से प्रत्येक राष्ट्रीय प्राधिकार के विवेकाधिकार के अनुसार ब्याज दर ऑप्शन में महत्वपूर्ण ऑप्शन व्यापार करनेवाले बैंकों को यह अनुमति दी जाएगी कि वे अवधि बैंडों के न्यूनतम छह समूहों के आधार पर गणना करें। इस अवधि का प्रयोग करते समय इस मास्टर परिपत्र के पैरा 8.3 में परिभाषित अधिक से अधिक तीन अवधि बैंडों को एक समूह में शामिल किया जाना चाहिए ।

9. ऑप्शन और संबद्ध हेजिंग पोज़िशन का मूल्यांकन आधारभूत के वर्तमान मूल्य से ऊपर और नीचे एक विनिर्दिष्ट दायरे में किया जाएगा । ब्याज दरों के लिए दायरा इस मास्टर परिपत्र के पैरा 8.3 में सारणी 17 में प्रतिफल के लिए परिकल्पित परिवर्तनों के अनुरूप है । जो बैंक ऊपर पैरा 8 में वर्णित ब्याज दर ऑप्शन के लिए वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे, उन्हें प्रत्येक अवधि बैंड के समूह के लिए, संबंधित समूह पर लागू प्रतिफल में परिकल्पित उच्चतम परिवर्तन का प्रयोग करना चाहिए[81]। अन्य दायरे हैं - इक्विटी के लिए ±9% और विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण के लिए ±9% । सभी जोखिम संवर्गों के लिए दायरे को समान अंतरालों में विभाजित करने के लिए कम-से-कम सात प्रेक्षण (वर्तमान प्रेक्षण सहित) का प्रयोग करना चाहिए ।

10. मैट्रिक्स के दूसरे आयाम के कारण आधारभूत दर या मूल्य की अस्थिरता में परिवर्तन होगा । अधिकांश मामलों में आधारभूत दर या मूल्य की अस्थिरता में + 25% और - 25% का परिवर्तन पर्याप्त होने की आशा है । परिस्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक यह अपेक्षा कर सकता है कि अस्थिरता में अलग परिवर्तन का प्रयोग किया जाए और/अथवा ग्रिड में मध्यवर्ती बिन्दुओं की गणना की जाए ।

11. मैट्रिक्स की गणना करने के बाद प्रत्येक सेल में ऑप्शन तथा आधारभूत हेज लिखत का निवल लाभ या हानि होगी । इसके बाद प्रत्येक आधारभूत के पूंजी भार की गणना मैट्रिक्स में निहित अधिकतम हानि के रूप में की जाएगी ।

12. इन मध्यवर्ती दृष्टिकोणों की रचना करते समय यह प्रयास किया गया है कि ऑप्शन से जुड़े प्रमुख जोखिमों को कवर किया जाए । ऐसा करते समय यह तथ्य ध्यान में है कि जहां

---

[81] उदाहरण के लिए, यदि 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष और 5 से 7 वर्षों के अवधि बैंडों को मिलाया जाए तो इन तीन बैंडों की आय का उच्चतम परिकल्पित परिवर्तन 0.75 होगा ।

तक विनिर्दिष्ट जोखिम का संबंध है केवल डेल्टा-संबद्ध तत्वों को शामिल किया गया है । अन्य जोखिमों को शामिल करने के लिए अधिक जटिल प्रणाली की आवश्यकता होगी । दूसरी ओर, अन्य क्षेत्रों में सरलीकृत परिकल्पना का प्रयोग करने के फलस्वरूप कुछ ऑप्शन पोज़िशन का अपेक्षाकृत पारंपरिक ट्रीटमेंट हुआ है ।

13. उपर्युक्त ऑप्शन जोखिम के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ऑप्शन से जुड़े अन्य जोखिमों के संबंध में सचेत है । उदाहरण के लिए रो (ब्याज दर की तुलना में ऑप्शन के मूल्य में परिवर्तन की दर) और थेटा (समय की तुलना में ऑप्शन के मूल्य में परिवर्तन की दर) । अभी उन जोखिमों की माप प्रणाली के संबंध में प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है, तथापि ऐसी आशा की जाती है कि ऑप्शन कारोबार करने वाले बैंक ऐसे जोखिमों की कम-से-कम निरंतर निगरानी करेंगे । इसके अलावा यदि बैंक चाहें तो उन्हें ब्याज दर जोखिम के लिए अपनी पूंजी की गणना में `रो' को शामिल करने की अनुमति दी जाएगी ।

अनुबंध - 9

(देखें पैरा 13.5)

स्तंभ II के अंतर्गत बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)
<u>की माप की विधि का एक उदाहरण</u>

बासल II ढांचे (पैरा 739 और 762) में यह अपेक्षा की गयी है कि बैंक बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबी) की माप करेंगे तथा उसके अनुरूप पूंजी रखेंगे । यदि पर्यवेक्षक यह पाते हैं कि बैंक ब्याज दर जोखिम के स्तर के अनुरूप पूंजी नहीं रख रहे हैं तो उन्हें बैंक से यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वे अपना जोखिम कम करें, पूंजी की विनिर्दिष्ट अतिरिक्त राशि रखें अथवा दोनों का मिला-जुला रूप रखें । आइआरआरबीबी से संबंधित स्तंभ II की अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए अनेक विनियामकों द्वारा स्तंभ II के संबंध में जारी दिशानिर्देशों में ऐसे निश्चित प्रावधान हैं जिनमें बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा अपनायी गयी विधि और यदि ब्याज दर जोखिम का स्तर उल्लेखनीय है तो की जानेवाली कार्रवाई निर्दिष्ट की गयी है ।

बासल II ढांचे के पैरा 764 के अनुसार बैंक आइआरआरबीबी के लिए पूंजी की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए बीसीबीएस द्वारा जारी "ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के सिद्धांत" नामक समर्थक दस्तावेज में निर्धारित निदर्शात्मक विधि का अनुसरण कर सकते हैं ।

2. "ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के सिद्धांत" नामक
<u>बीसीबीएस के पर्चे में निर्धारित विधि</u>

उपर्युक्त समर्थक दस्तावेज में उल्लिखित विधि के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं :

क) मूल्यांकन में ब्याज दर जोखिम का आय दृष्टिकोण और आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण दोनों को ध्यान में रखना चाहिए ।

ख) आय अथवा ईक्विटी के आर्थिक मूल्य के प्रभाव की गणना 200 आधार अंकों का एक कल्पित (नोशनल) ब्याज दर आघात लागू करके की जानी चाहिए ।

ग) ब्याज दर जोखिम की माप करने की सामान्य विधियां इस प्रकार हैं :

क) आय दृष्टिकोण

अंतराल (गेप) विश्लेषण, अनुरूपण (सिमुलेशन) तकनीकें और जोखिम पर मूल्य के आधार पर आंतरिक मॉडल

ख) इकॉनॉमिक दृष्टिकोण

अवधि अंतराल विश्लेषण, अनुरूपण तकनीकें और जोखिम मूल्य के आधार पर आंतरिक मॉडल सहित अंतराल (गेप) विश्लेषण

3. <u>आइआरआरबीबी की माप की विधियां</u>

3.1 <u>आय पर प्रभाव</u>

आय पर प्रभाव की गणना करने की प्रमुख विधियां अंतराल विश्लेषण, अनुरूपपण और जोखिम पर मूल्य आधारित तकनीकें हैं । भारत में बैंक अंतराल विधि के माध्यम से आय पर ब्याज दर की प्रतिकूल घट-बढ़ के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अंतराल रिपोर्ट का प्रयोग करते आ रहे हैं । बैंक इसे जारी रख सकते हैं । तथापि, बैंक अनुरूपण का भी प्रयोग कर सकते हैं । बैंक एक वर्ष में प्रतिफल में 200 आधार अंकों का परिवर्तन मानते हुए अंतराल विश्लेषण या किसी अन्य विधि से आय पर प्रभाव की गणना कर सकते हैं । तथापि, आय पर प्रभाव के लिए कोई पूंजी आबंटित करने की आवश्यकता नहीं है ।

3.2 <u>ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर आइआरआरबीबी का प्रभाव</u>

बैंक एमवीई पर ब्याज दर आघात के प्रभाव की गणना के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति के पर्चे "ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के सिद्धांत" (जुलाई 2004) में निर्दिष्ट विधि का प्रयोग कर सकते हैं ।

3.2.1 <u>*"ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के सिद्धांत" नामक बीसीबीएस के पर्चे में निर्दिष्ट विधि*</u>

इस विधि में निम्नलिखित चरण हैं :

क) आस्ति/देयता की प्रत्येक मद (आस्ति/देयता की प्रत्येक श्रेणी) के लिए परिपक्वता/पुनर्मूल्यन की तारीख, कूपन दर, बारंबारता और मूल धन जैसे आंकड़े प्राप्त किये जाते हैं ।

ख) हर एक टाइम-बैंड में `लांग' और `शार्ट' को प्रतिसंतुलित किया जाता है ।

ग) इसके परिणामस्वरूप जो `शार्ट' और `लांग' पोजीशन उत्पन्न होती हैं उन्हें एक ऐसे घटक द्वारा भारांकित किया जाता है जिसे ब्याज दर में माने गये परिवर्तन के प्रति विभिन्न टाइम बैंड में पोजिशन की संवेदनशीलता दर्शाने के लिए बनाया गया है। ये घटक पूरे समय परिदृश्य के दौरान 200 आधार अंकों के कल्पित समांतर परिवर्तन तथा प्रत्येक टाइम बैंड के मध्यमें स्थित पोजीशनों के परिवर्तित ड्यूरेशन की प्रोक्सी और 5 प्रतिशत प्रतिफल पर आधारित हैं ।

घ) इसके परिणामस्वरूप भारित पोजीशनों को जोड़ा जाता है, लांग और शार्ट को प्रतिसंतुलित किया जाता है जिससे निवल शार्ट - या लांग - भारित स्थितियां प्राप्त होती हैं ।

ङ) भारित पोजीशन की तुलना पूंजी से की जाती है।

ब्योरे के लिए बैंक बीसीबीएल द्वारा जारी उपर्युक्त पर्चा देखें। सुविधा के लिए पर्चे का **अनुबंध 3 और 4**, जिसमें फ्रेमवर्क तथा मानकीकृत ढांचे का उदाहरण दिया गया है, **अनुबंध 10 और अनुबंध 11** में पुनः प्रस्तुत किया जाता है ।

3.2.2 ब्याज दर जोखिम माप की अन्य तकनीकें

बैंक आइआरआरबीबी की माप करने के लिए उपर्युक्त के अलग प्रकार/रूप अपना सकते हैं या पूरी तरह से अलग तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं बशर्ते वे उन्हें धारणात्मक दृष्टि से त्रुटिहीन पायें । बीसीबीएस के पर्चे के उपर्युक्त **अनुबंध 1 और 2** में ब्याज दर जोखिम माप की तकनीकों के सामान्य ब्योरे दिये गये हैं तथा ब्याज दर जोखिम के प्रति किसी बैंक के एक्सपोज़र के संबंध में सूचना प्राप्त करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए जिन कुछ घटकों पर पर्यवेक्षीय प्राधिकारी विचार कर सकते हैं उनका एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है । इन अनुबंधों को क्रमशः **अनुबंध 12 और अनुबंध 14** में प्रस्तुत किया गया है ।

4. पूंजी पर आइआरआरबीबी के प्रभाव की माप के लिए सुझायी गयी विधि

4.1 बासल II ढांचे के अनुसार, यदि पर्यवेक्षक यह महसूस करता है कि बैंक आइआरआरबीबी के स्तर के अनुरूप पूंजी नहीं रख रहा है तो बैंक को जोखिम कम करने या अतिरिक्त पूंजी आबंटित करने या इन दोनों की मिली-जुली अपेक्षा का पालन करने के लिए कहा जा सकता है ।

4.2 बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के उस समुचित स्तर के संबंध में निर्णय ले सकते हैं, जिसे वे अपने पूंजी स्तर, ब्याज दर प्रबंधन दक्षता और ब्याज दरों में प्रतिकूल घट-बढ़ के मामले में बैंकिंग बही संविभाग को पुनः संतुलित करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए रखना चाहते हैं । किसी भी हालत में, ब्याज दर जोखिम का वह स्तर उच्च माना जाएगा जिसमें 200 आधार अंकों के ब्याज दर आघात से एमवीई में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ जाए । सामान्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे बैंकों से यह अपेक्षा करेगा कि आइआरआरबीबी के लिए अतिरिक्त पूंजी रखे, जिसे एसआरईपी के दौरान निर्धारित किया गया हो । जिन बैंकों का आइआरआरबीबी एक्सपोजर एमवीई में 20 प्रतिशत गिरावट से कम के बराबर हो उनसे भी अतिरिक्त पूंजी रखने के लिए कहा जा सकता है यदि भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार में बैंक के पूंजी स्तर अथवा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन ढांचे की गुणवत्ता की तुलना में ब्याज दर जोखिम का स्तर उच्चतर है ।

यद्यपि बैंक अपने एमवीई में संभावित गिरावट, ब्याज दर जोखिम प्रबंधन दक्षता और ब्याज दरों में प्रतिकूल घट-बढ़ के मामले में संविभागों को शीघ्र पुनः संतुलित करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए आइआरआरबीबी के लिए अतिरिक्त पूंजी रखने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं, तथापि अतिरिक्त पूंजी, यदि आवश्यक समझी गयी, की वास्तविक राशि का निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के साथ विचार-विमर्श करते हुए एसआरईपी के एक अंग के रूप में किया जाएगा ।

5. सीमा निर्धारण

यह उचित होगा कि बैंक अपने आइआरआरबीबी को नियंत्रित करने के लिए आंतरिक सीमाएं निर्धारित करे। सीमा निर्धारित करने के कुछ संकेतात्मक तरीके नीचे दिये गये हैं -

क) आंतरिक सीमाएं 200 या 300 आधार अंकों के ब्याज दर आघात के परिणामस्वरूप आय में अधिकतम गिरावट (आधारभूत आय परिदृश्य के प्रतिशत के रूप में) अथवा पूंजी में अधिकतम गिरावट(आधारभूत पूंजी स्थिति परिदृश्य के प्रतिशत के रूप में) के रूप में निर्धारित की जा सकती है ।

ख) सीमाएं बैंक की निवल मालियत/पूंजी के प्रतिशत के रूप में बैंक की निवल स्थिति के PV01 मूल्य (एक आधार अंक का वर्तमान मूल्य) के रूप में निर्धारित की जा सकती है ।

अनुबंध 10

(देखें अनुबंध 11 का पैरा 3.2.1)

ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के सिद्धांत संबंधी बीसीबीएस के जुलाई 2004 के पर्चे का अनुबंध 3

मानकीकृत ब्याज दर आघात

1. संस्थाओं के ब्याज दर जोखिम एक्सपाज़र की पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली निगरानी को सुसाध्य बनाने के लिए बैंकों को अपनी आंतरिक माप प्रणालियों के परिणाम उपलब्ध कराने होंगे, जिन्हें मानकीकृत ब्याज दर आघात का प्रयोग करते हुए पूंजी की तुलना में आर्थिक मूल्य में परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया गया हो। इस अनुबंध में मानकीकृत दर आघात के चयन की तकनीकी पृष्ठभूमि दी गयी है। आघात का चयन करते समय निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण किया गया :

- दर आघात को काफी असामान्य और दबावपूर्ण दर वातावरण को व्यक्त करना चाहिए;
- दर आघात की मात्रा उल्लेखनीय होनी चाहिए ताकि वह अंतर्निहित ऑप्शन तथा बैंक की आस्तियों और देयताओं के भीतर कन्वेक्सिटी को व्यक्त कर सके ताकि अंतर्निहित जोखिम प्रकट हो सके;
- दर आघात कार्यान्वयन में सरल और व्यावहारिक होना चाहिए तथा बैंकिंग बही पोजीशन के लिए एक-दर-पथ अनुरूपण मॉडल और सांख्यिकीय आधारित जोखिम-दर-मूल्य मॉडलों में अंतर्निहित अलग-अलग दृष्टिकोणों को समायोजित करने में सफल होना चाहिए।
- अंतर्निहित क्रियाविधि में जी-10 मुद्रा और महत्वपूर्ण गैर- जी-10 मुद्रा एक्सपोज़र, दोनों के लिए आघात होना चाहिए;
- अंतर्निहित क्रियाविधि उन गैर-जी-10 पर्यवेक्षकों के लिए स्वीकार्य होनी चाहिए जो अपने देशों में इस दृष्टिकोण को कार्यान्वित करना चाहते हैं।

2. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित दर आघात बैंकों द्वारा सिद्धांततः निम्नलिखित के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए :

- जी-10 देशों की मुद्राओं में एक्सपोज़र के लिए

क) एक ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी 200 आधार अंक का समांतर दर आघात; अथवा

ख) एक-वर्ष (240 कार्य दिवस) धारण अवधि का और कम-से-कम 5 वर्षों के प्रेक्षण पर आधारित ब्याज दर परिवर्तनों का पहला और 99वाँ पर्सेन्टाइल

- गैर -जी-10 देशों की मुद्राओं में एक्सपाज़र के लिए

  क) एक समांतर दर आघात जो एक -वर्ष (240 कार्य दिवस) धारण अवधि और गैर-जी-10 के मुद्रा विशेष के लिए कम-से-कम 5 वर्षों के प्रेक्षण पर आधारित ब्याज दर परिवर्तनों का पहले और 99वें पर्सेटाइल के साथ सुसंगत हो; अथवा

  ख) एक वर्ष (240 कार्य दिवस) धारण अवधि और कम-से-कम 5 वर्षों के प्रेक्षण पर आधारित ब्याज दर परिवर्तनों का पहला और 99वाँ पर्सेटाइल।

3. संभावित दर आघातों पर विचार करते समय अनेक जी-10 देशों में ऐतिहासिक दर परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया। एक वर्ष धारण अवधि (240 कारोबार दिवस) का चयन व्यावहारिक प्रयोजनों से तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि अधिकांश संस्थाओं के पास यह क्षमता होती है कि वे अत्यधिक अस्थिर दरों की स्थिति में आर्थिक मूल्य में और अधिक हानि रोकने के लिए अपने पोजीशन की पुनर्रचना कर सकते हैं या उनकी बचाव-व्यवस्था(हेजिंग) कर सकते हैं। पाँच वर्ष के दर परिवर्तन प्रेक्षणों के लिए कम-से-कम छह वर्षों के ऐतिहासिक आँकड़े चाहिए ताकि चक्रीय आधार पर एक वर्ष धारण अवधि के दर अंतर की गणना की जा सके। उदाहरण के लिए, पाँच वर्ष पहले के पहले प्रेक्षण के लिए हमें छह वर्ष पहले के दर वातावरण को देखना होगा ताकि हम पहले दर परिवर्तन की गणना कर सकें।

4. निकट अतीत के प्रासंगिक ब्याज दर चक्रों को व्यक्त करने के लिए पंचवर्षीय ऐतिहासिक प्रेक्षण अवधि (आँकड़ों के छह वर्ष)पर्याप्त रूप से दीर्घ मानी गयी है। उक्त समयावधि उन संस्थाओं को भी समुचित आँकड़े प्रदान कर सकेगी, जो सांख्यिकी आधारित जोखिम-पर-मूल्य मॉडल या गैर-जी-10 मुद्राओं के लिए उपयुक्त समांतर दर आघात के संबंध में अपने मूल्यांकन में उन आँकड़ों का प्रयोग करना चाहते हैं। असामान्य और दबावपूर्ण परिदृश्यों को परिभाषित करते समय उस परिमाण के दर आघात को पर्याप्त माना गया जो 99 प्रतिशत कौन्फ़िडेंस इन्टरवल के साथ और अधिक होने की आशा नहीं है।

5. जी 10 आघातों के आंकड़ों का मूल्यांकन करते समय यह पाया गया कि पहले और 99 पर्सेटाइल में दर की घट-बढ़ अधिकांश मुद्राओं में खासकर दीर्घतर अवधि के मामले में आपस में सामान्यतः तुलनीय थे। 200 आधार अंकों का ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी दर आघात जी 10 मुद्राओं की अस्थिरता को पर्याप्त रूप से व्यक्त करता प्रतीत होता है। प्रस्तावित आघात की उपयुक्तता की जांच निरंतर आधार पर की जानी चाहिए तथा यदि दर वातावरण

में भारी परिवर्तन होता है तो उसका पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि समांतर आघात का निर्धारण इस प्रकार किया गया है ताकि वह उन आघातों के साथ मोटे तौर पर सुसंगत हो जिन्हें अधिक परिष्कृत दृष्टिकोण (99 प्रतिशत कन्फिडेंस इंटरवल, एक वर्षीय धारण अवधि, पंचवर्षीय प्रेक्षण) का प्रयोग करते हुए सांख्यिकी आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से लागू किया जाएगा। अतः इस अवधि के प्रयोग से अधिक नवोन्मेषी जोखिम माप प्रणालियों के प्रयोग का मार्ग अवरुद्ध नहीं होता है। इससे संस्थाएं जी-10 देशों के बाहर के महत्वपूर्ण एक्सपोज़र के मामले में उपयुक्त आघात की स्वयं गणना करने के लिए इन मानदंडों का प्रयोग कर सकती हैं तथा उभरते बाजार और अन्य गैर-जी 10 देशों के पर्यवेक्षक अपने देशों के लिए सरल आघात की गणना कर सकते हैं।

6. अब तक के विश्लेषण में यह बात मान ली गयी है कि बैंक केवल अपने देश की मुद्रा में ब्याज दर जोखिम वहन करते हैं। तथापि अनेक बैंकों के समक्ष एक से अधिक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम होगा। ऐसे मामलों में बैंकों को अपनी बैंकिंग बही आस्तियों या देयताओं के 5 प्रतिशत या उससे अधिक भाग वाली प्रत्येक मुद्रा के लिए ऊपर वर्णित किसी एक अवधि के अनुसार ब्याज दर आघात का प्रयोग करते हुए समान प्रकार का विश्लेषण करना चाहिए। बैंकिंग बही को पूरी तरह कवर करने के लिए बाकी एक्सपोज़रों को जोड़कर उस पर 200 आधार अंक का आघात लागू करना चाहिए।

7. 200 आधार अंक समांतर दर आघात की सापेक्षिक सरलता का एक दोष यह है कि इसमें उन एक्सपोज़रों की उपेक्षा की गयी है जिन्हें यील्ड, कर्व ट्विस्ट, इनवर्सन या अन्य परिदृश्यों के माध्यम से प्रकट किया जा सकता था। जैसा कि इस पर्चे में अन्यत्र उल्लेख किया गया है इस प्रकार के वैकल्पिक परिदृश्य ब्याज दर जोखिम के समग्र प्रबंधन के आवश्यक घटक हैं। पर्यवेक्षक संस्थाओं से यह अपेक्षा रखेंगे कि वे अपने जोखिम के स्तर और स्वरूप के अनुरूप अपने ब्याज दर जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बहुविध परिदृश्यों का प्रयोग करते रहेंगे।

8. यद्यपि अधिक सूक्ष्म विश्लेषण वाले दर परिदृश्य कतिपय अंतर्निहित जोखिम विशेषताओं को प्रकट कर सकते हैं, तथापि, पर्यवेक्षकों के लिए ब्याज दर जोखिम के महत्वपूर्ण स्तरों वाली संस्थाओं का पता लगाने के अधिक सामान्य प्रयोजन के लिए सरल समांतर आघात पर्याप्त है। इस प्रकार के दृष्टिकोण में नकली परिशुद्धता की संभावना को भी ध्यान में रखा जाता है जो अक्सर तब उत्पन्न होती है जब माप प्रणाली के किसी एक पहलू के सूक्ष्म ब्यौरे पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया जाता है , बिना इस बात को ध्यान में रखे कि कुछ आस्ति और देयता के संवर्गों के लिए, उदाहरण के लिए कोर जमाराशियों के लिए, जो पूर्व धारणाएं स्वीकार की जाती हैं वे आवश्यक रूप से निर्णय पर आधारित होती हैं। ब्याज दर जोखिम मॉडल के इस प्रकार के निर्णयात्मक पहलू अक्सर जोखिम की माप और निष्कर्षों को प्रभावित करते हैं, भले ही जोखिम माप के अन्य पहलुओं पर विस्तृत ध्यान दिया गया हो।

अनुबंध - 11
(देखें अनुबंध 11 का पैरा 3.2.1)

ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के सिद्धांत
<u>संबंधी बीसीबीएस के जुलाई 2004 के पर्चे का अनुबंध 4</u>

<u>मानकीकृत ढांचे का एक उदाहरण</u>

1. इस अनुबंध में मानकीकृत ढांचे के एक रूप की कार्यविधि और गणना प्रक्रिया दर्शाते हुए एक उदाहरण दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में संबंधित बैंक की परिस्थितियों के आधार पर अन्य कार्यविधियां और गणना प्रक्रियाएं भी समान रूप से प्रयोज्य हो सकती हैं। इस प्रकार का ढांचा केवल पर्यवेक्षीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन से बनाया गया है तथा यह आंतरिक जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त ढांचे का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

अ. कार्यविधि

2. बैंक के तुलन पत्र के पोजीशन निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार परिपक्वता दृष्टिकोण में वर्गीकृत किये जाएंगे :

(क) बैंकिंग बही की सभी आस्तियों और देयताओं को तथा बैंकिंग बही की सभी तुलन पत्र की मदों को, जो ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील हों (ब्याज दर डेरिवेटिव सहित), परिपक्वता सोपान में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें कई टाइम बैंड होंगे और जो इतने बड़े होंगे कि राष्ट्रीय बैंकिंग बाजार में ब्याज दर जोखिम की प्रकृति को व्यक्त कर सकेंगे। अनुबंध 2 में उपयुक्त टाइम बैंड के चयन से संबंधित मुद्दों की चर्चा की गयी है। बैंकिंग बही की आस्तियों या देयताओं के 5 प्रतिशत से अधिक अंश वाली प्रत्येक मुद्रा के लिए अलग परिपक्वता सोपान का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(ख) तुलन पत्र की मदों के संबंध में बही मूल्य पर कार्रवाई की जाती है ।

(ग) नियत दर लिखतों को परिपक्वता की शेष अवधि के अनुसार तथा अस्थायी दर लिखतों को पुनर्मूल्यन की अगली तारीख तक बची अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है ।

(घ) ऐसे एक्सपोज़र, जिनकी बड़ी संख्या और अपेक्षाकृत छोटी अलग-अलग राशियों (उदाहरण के लिए बंधक ऋण की किस्तें) के कारण प्रसंस्करण की व्यावहारिक समस्या हो सकती है, सांख्यिकीय रूप से समर्थित मूल्यांकन विधियों के आधार पर वर्गीकृत किये जा सकते हैं ।

(ङ) मुख्य (कोर) जमाराशियों को अधिकतम पांच वर्षों की मानी गयी परिपक्वता अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है ।

(च) राष्ट्रीय पर्यवेक्षक इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे कि किस प्रकार ऐसी परिपक्वता या पुनर्मूल्यन वाली मदों को टाइम बैंड संरचना में वर्गीकृत किया जाए जो संविदागत परिपक्वता या पुनर्मूल्यन से अलग हैं ।

(छ) डेरिवेटिव को संबंधित अंडरलाइंग में पोजीशन के रूप में परिवर्तित किया जाता है । जिस राशि को लिया जाता है वह अंडरलाइंग अथवा नोशनल अंडरलाइंग की मूल राशि होती है ।

(ज) फ्यूचर्स और वायदा संविदाओं को, जिनमें वायदा दर करार भी शामिल हैं, लांग और शॉर्ट पोजीशन के मिले-जुले रूप में माना जाता है । किसी फ्यूचर या वायदा दर करार की परिपक्वता उसकी सुपुर्दगी अथवा संविदा लागू करने तक की अवधि होगी तथा जहां लागू होगा, वहां अंतर्निहित लिखत की अवधि भी जोड़ी जाएगी । उदाहरण के लिए किसी जून त्रैमासिक ब्याज दर फ्यूचर में (अप्रैल में) लिये गये लांग पोजीशन की रिपोर्टिंग पांच महीने की परिपक्वता के साथ लांग पोजीशन के रूप में तथा दो महीनों की परिपक्वता के साथ शॉर्ट पोजीशन के रूप में की जानी चाहिए ।

(झ) स्वैप को संबंधित परिपक्वताओं के दो नोशनल पोजीशन के रूप में माना जाता है । उदाहरण के लिए, यदि किसी ब्याज दर स्वैप के अंतर्गत बैंक अस्थायी-दर पर ब्याज लेता है और नियत-दर पर ब्याज अदा करता है, तो उसे लांग अस्थायी दर पोजीशन माना जाएगा, जिसकी परिपक्वता अवधि अगले ब्याज निर्धारण तक की अवधि होगी तथा उसे शॉर्ट नियत दर पोजीशन भी माना जाएगा जिसकी परिपक्वता स्वैप की शेष अवधि के बराबर होगी । क्रॉस करेंसी स्वैप के अलग-अलग पक्षों को संबंधित मुद्राओं के संबंधित परिपक्वता सोपानों में वर्गीकृत किया जाएगा ।

(ञ) ऑप्शन के संबंध में अंतर्निहित लिखत या कल्पित अंतर्निहित लिखत की डेल्टा समकक्ष राशि के अनुसार विचार किया जाएगा ।

आ. गणना प्रक्रिया

3. गणना प्रक्रिया के पांच चरण हैं -

(क) पहला चरण है प्रत्येक टाइम बैंड में लांग और शॉर्ट को प्रतिसंतुलित करना, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक टाइम बैंड में एक शॉर्ट या लांग पोजीशन होगा ।

(ख) दूसरा चरण है इस प्रकार प्राप्त शॉर्ट और लांग पोजीशन को ऐसे गुणक से भारांकित किया जाए जिसे ब्याज दर में माने गये परिवर्तन के प्रति विभिन्न टाइम बैंडों में पोजीशन की संवेदनशीलता दर्शाने के लिए बनाया गया हो । प्रत्येक टामइ बैंड के लिए भारांकन गुणकों का समूह नीचे सारणी 1 में दिया गया है । ये गुणक पूरे टाइम स्पेक्ट्रम में 200 आधार अंकों के माने गये समांतर अंतर पर तथा प्रत्येक टाइम बैंक के मध्य में स्थित पोजीशनों की परिवर्तित ड्यूरेशन की प्रोक्सी और 5 प्रतिशत प्रतिफल पर आधारित हैं ।

(ग) तीसरा चरण इन भारित पोजीशन को जोड़ना तथा लांग और शॉर्ट को प्रतिसंतुलित करना है, जिससे संबंधित मुद्रा की बैंकिंग बही में निवल शॉर्ट और लांग-भारित पोजीशन प्राप्त होते हैं ।

(घ) चौथा चरण है विभिन्न मुद्राओं के लिए निवल शॉर्ट और लांग भारित पोजीशन की गणना कर जोड़ते हुए पूरे बैंकिंग बही के भारित पोजीशन की गणना करना ।

(ङ) पांचवां चरण है पूरे बैंकिंग बही के भारित पोजीशन की तुलना पूंजी से करना ।

सारणी 1

टाइम बैंड के अनुसार भारांकन गुणक (गणना प्रक्रिया में दूसरा चरण)

टाइम बैंड	**टाइम बैंड का मध्य**	**संशोधित अवधि की प्रॉक्सी**	**प्रतिफल में माना गया परिवर्तन**	**भारांकन गुणक**
1 महीने तक	0.5 महीने	0.04 वर्ष	200 बीपी	0.08%
1 से तीन महीने तक	2महीने	0.16 वर्ष	200 बीपी	0.32%
3 से 6 महीने तक	4.5 महीने	0.36 वर्ष	200 बीपी	0.72%
6 से 12 महीने तक	9 महीने	0.71वर्ष	200 बीपी	1..43%
1 से 2 वर्ष तक	1.5 वर्ष	1.38 वर्ष	200 बीपी	2.77%
2 से 3 वर्ष तक	2.5 वर्ष	2.25 वर्ष	200 बीपी	4.49%
3 से 4 वर्ष तक	3.5 वर्ष	3.07 वर्ष	200 बीपी	6.14%
4 से 5 वर्ष तक	4.5 वर्ष	3.85 वर्ष	200 बीपी	7.71%
5 से 7 वर्ष तक	6वर्ष	5.08 वर्ष	200 बीपी	10.15%
7 से 10 वर्ष तक	8.5 वर्ष	6.63 वर्ष	200 बीपी	13.26%
10 से 15 वर्ष तक	12.5 वर्ष	8.92वर्ष	200 बीपी	17.84%
15 से 20 वर्ष तक	17.5 वर्ष	11.21 वर्ष	200 बीपी	22.43%
20 वर्ष तक	22.5 वर्ष	13.01वर्ष	200 बीपी	26.03%

अनुबंध - 12
(देखें अनुबंध **9** का पैरा 3.2.2)

ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के सिद्धांत संबंधी बीसीबीएल के जुलाई 2004 के पर्चे का अनुबंध ।

ब्याज दर जोखिम माप तकनीकें

1. इस अनुबंध में ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति आय और आर्थिक मूल्य के एक्सपोज़र की माप के संबंध में बैंकों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों का एक संक्षिप्त विहगावलोकन दिया गया है । इन विविध तकनीकों में सरल परिपक्वता और पुनर्मूल्यन सारणियों पर आधारित गणना, चालू तुलन पत्र और तुलनपत्रेतर पोजीशन के आधार पर स्टैटिक सिमुलेशन से लेकर अत्यधिक परिष्कृत गतिशील मॉडलिंग तकनीकें भी हैं जिनमें ब्याज दर वातावरण में परिवर्तनों के प्रति बैंक और उनके ग्राहकों की प्रतिक्रिया के बारे में पूर्व धारणाओं को शामिल किया जाता है । इनमें से कुछ सामान्य विधियों का प्रयोग आय और आर्थिक मूल्य दोनों दृष्टिकोणों से किया जा सकता है, जबकि अन्य विधियां इन दो में से केवल एक दृष्टिकोण से जुड़ी हैं । इसके अलावा, ब्याज दर एक्सपोज़र के विभिन्न रूपों को व्यक्त करने की इन विधियों की क्षमता अलग-अलग है । सरलतम विधियों का उद्देश्य मुख्यतः परिपक्वता और पुनर्मूल्यन विसंगतियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को व्यक्त करना है, जबकि अधिक परिष्कृत विधियां आसानी से जोखिम एक्सपोज़र के पूरे दायरे को व्यक्त कर सकती हैं ।

2. जैसा कि इस चर्चा से स्पष्ट है कि ब्याज दर जोखिम एक्सपोज़र की शुद्ध और तर्कसंगत माप की दृष्टि से नीचे वर्णित विभिन्न माप विधियों के अपने गुण और दोष हैं । आदर्श स्थिति में किसी बैंक की ब्याज दर जोखिम माप प्रणाली में प्रत्येक ब्याज दर संवेदी स्थिति की खास विशेषता को ध्यान में रखा जाएगा तथा ब्याज दरों की संभावित घट-बढ़ के पूरे दायरे को विस्तार से व्यक्त किया जाएगा । तथापि, व्यवहार में माप प्रणालियों में सरलीकृत रूप अपनाये जाते हैं जो आदर्श स्थिति से अलग होते हैं । उदाहरण के लिए, कुछ विधियों में पोजीशनों को व्यापक संवर्गों में एकत्रित रूप में दर्शाया जा सकता है न कि अलग-अलग मॉडल के रूप में । इससे उनकी ब्याज दर संवेदनशीलता के आकलन में कुछ हद तक माप संबंधी त्रुटि आ जाती है । इसी प्रकार प्रत्येक विधि में ब्याज दर घट-बढ़ का जो स्वरूप शामिल किया जा सकता है वह सीमित हो सकता है, कुछ मामलों में प्रतिफल वक्र (यील्ड कर्व) के केवल समांतर अंतर को माना जा सकता है या ब्याज दरों के बीच पूर्ण संबंध से कमतर स्थिति को हिसाब में नहीं लिया जा सकता है । अंत में, विभिन्न पोजीशनों और लिखतों में अंतर्निहित विकल्प-सुविधा को व्यक्त करने की क्षमता विभिन्न विधियों में

अलग-अलग हो सकती है । निम्नलिखित खंडों में प्रस्तुत चर्चा में सरलीकरण के उन क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है, जो प्रमुख ब्याज दर जोखिम माप तकनीकों में से प्रत्येक की प्रमुख विशेषता है ।

क. पुनर्मूल्यन अनुसूची

3. बैंक के ब्याज दर जोखिम एक्सपोज़र मापने की सबसे सरल तकनीकें परिपक्वता/ पुनर्मूल्यन अनुसूची के साथ आरंभ होती हैं, जो ब्याज-संवेदी आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्रेतर स्थितियों को उनकी परिपक्वता (यदि नियत-दर हो) या अगले पुनर्मूल्यन तक की शेष अवधि (यदि अस्थायी दर हो) के अनुसार कुछ पूर्वनिर्धारित टाइम बैंडों में वितरित करती है। ऐसी आस्तियां और देयताएं जिनमें कोई निश्चित पुनर्मूल्यन अंतराल न हो (उदाहरण के लिए साइट डिपोज़िट या बचत खाते) अथवा जिनकी वास्तविक परिपक्वता अवधि संविदागत परिपक्वता से अलग हो (उदाहरण के लिए, जल्दी चुकौती के विकल्प वाले बंधक) बैंक के निर्णय और पिछले अनुभव के आधार पर पुनर्मूल्यन बैंड में वर्गीकृत की जाती है ।

1. अंतराल विश्लेषण

4. बदलती ब्याज दरों के प्रति आय और आर्थिक मूल्य दोनों की ब्याज दर जोखिम संवेदनशीलता के सरल संकेतक प्राप्त करने के लिए सरल परिपक्वता/पुनर्मूल्यन अनुसूचियों का प्रयोग किया जा सकता है। जब इस विधि का प्रयोग वर्तमान आय के ब्याज दर जोखिम के आकलन के लिए किया जाता है, तब उसे अंतराल विश्लेषण कहा जाता है। किसी बैंक के ब्याज दर जोखिम एक्सपोज़र की माप करने के लिए विकसित की गयी विधि में अंतराल विश्लेषण पहली विधियों में से एक है और आज भी बैंकों द्वारा उसका व्यापक प्रयोग हो रहा है। आय एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक टाइम बैंड में ब्याज दर संवेदी देयताओं को तदनुरूप ब्याज दर संवेदी आस्तियों से घटाया जाता है जिससे उस टाइम बैंड का पुनर्मूल्यन `अंतराल' प्राप्त होता है। इस अंतराल को प्रतिफल की तुलना में ब्याज दर में माने गये परिवर्तन से, जो ब्याज दर की ऐसी घट-बढ़ से निवल ब्याज में होनेवाले परिवर्तन के लगभग बराबर होगा, गुणा किया जा सकता है। इस विश्लेषण में ब्याज दर घट-बढ़ का जो परिमाण प्रयुक्त होता है वह विविध घटकों पर निर्भर करता है जिनमें ऐतिहासिक अनुभव, संभावित भावी ब्याज दर घट-बढ़ का अनुरूपण और बैंक प्रबंधन का निर्णय शामिल हैं।

5. किसी टाइम -बैंड में नकारात्मक या देयता-संवेदी अंतराल तब होता है जब देयताएँ आस्तियों से अधिक हो (तुलनपत्रेतर स्थितियों सहित)। इसका अर्थ यह है कि बाज़ार ब्याज दरों में वृद्धि से निवल ब्याज आय में गिरावट आ सकती है। इसके विपरीत एक सकारात्मक

या आस्ति-संवेदी अंतराल का अर्थ यह है कि ब्याज दरों के स्तर में गिरावट के कारण बैंक की निवल ब्याज आय में गिरावट आ सकती है।

6. प्रत्येक टाइम बैंड में आस्तियों और देयताओं पर औसत कूपन से संबंधित सूचना द्वारा इन सरल अंतराल गणनाओं का संवर्धन किया जा सकता है। इस सूचना की सहायता से अंतराल गणनाओं के परिणाम को संदर्भ दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए औसत कूपन दर संबंधी सूचना का प्रयोग किसी टाइम बैंड में स्थितियों के परिपक्व होने पर पुनर्मूल्यन के कारण निवल ब्याज आय के स्तर के अनुमान की गणना में किया जा सकता है, जो अंतराल विश्लेषण द्वारा व्यक्त आय में परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए एक "पैमाना" प्रदान करेगा।

7. यद्यपि, ब्याज दर जोखिम एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए अंतराल विश्लेषण विधि का सामान्यतया अधिक प्रयाग किया जाता है, तथापि इसके कई दोष हैं। पहला, अंतराल विश्लेषण किसी एक टाइम बैंड के भीतर विभिन्न स्थितियों की विशेषताओं के बीच के फर्क को ध्यान में नहीं रखता। विशेष रूप से किसी एक टाइम बैंड के भीतर सभी स्थितियों के संबंध में यह मान लिया जाता है कि वे एक साथ परिपक्व होंगी या उनका एक साथ पुनर्मूल्यन होगा। यह एक ऐसा सरलीकरण है जिनका अनुमान की शुद्धता पर बृहत्तर प्रभाव पड़ेगा, यदि टाइम बैंड के भीतर एग्रीगेशन का स्तर बढ़ता जाता है। इसके अलावा, अंतराल विश्लेषण बाज़ार ब्याज दर के स्तर में परिवर्तन होने (आधार जोखिम) से ब्याज दरों के बीच स्प्रेड में होने वाले अंतर की उपेक्षा करता है। इसके अलावा, ब्याज दर वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप अदायगी के समय में होने वाले परिवर्तन को भी इसमें ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस प्रकार, विकल्प से जुड़ी स्थितियों से उत्पन्न होने वाली आय संवेदनशीलता के भेद को इसमें शामिल नहीं किया जता है। इन कारणों से अंतराल विश्लेषण ब्याज दरों के स्वरूप में चयनित परिवर्तन से निवल ब्याज आय में होने वाले वास्तविक परिवर्तन का एक मोटा अनुमान ही प्रस्तुत करता है। अंत में, अधिकांश अंतराल विश्लेषण ब्याजेतर आय और व्यय की परिवर्तनशीलता को व्यक्त नहीं कर पाता है, जो चालू आय के जोखिम का एक संभावित महत्वपूर्ण स्रोत है।

II. अवधि (ड्यूरेशन)

8. प्रत्येक टाइम बैंड को संवेदनशीलता भारांकन देते हुए परिपक्वता /पुनर्मूल्यन अनुसूची का प्रयोग बैंक के आर्थिक मूल्य पर बदलती ब्याज दरों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है। आम तौर पर ऐसे भार प्रत्येक टाइम बैंक के भीतर आस्तियों और देयताओं की अवधि के अनुमान पर आधारित होते है। अवधि (ड्यूरेशन) किसी स्थिति के आर्थिक मूल्य में होने वाले उस प्रतिशत परिवर्तन की माप है, जो ब्याज दरों के स्तर में छोटे

परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है[82]। यह लिखत की संविदागत परिपक्वता के पहले होने वाले नकदी प्रवाह के समय और परिमाण को प्रतिबिम्बित करता है। आम तौर पर लिखत की परिपक्वता अवधि या अगली पुनर्मूल्यन की तारीख जितनी देर से हो तथा परिपक्वता के पहले होने वाला भुगतान जितना कम हो (उदाहरण के लिए कूपन भुगतान), उतना ही ड्यूरेशन (निरपेक्ष मूल्य के रूप में) उच्चतर होगा। उच्चतर ड्यूरेशन का अर्थ यह है कि ब्याज दरों के स्तर में किसी प्रदत्त परिवर्तन का आर्थिक मूल्य पर उच्चतर प्रभाव पड़ेगा।

9. परिपक्वता /पुनर्मूल्यन अनुसूची के साथ ड्यूरेशन आधारित भार का प्रयोग बाजार ब्याज दरों के स्तर में किसी खास परिवर्तन से बैंक के आर्थिक मूल्य में होने वाले परिवर्तन का एक मोटा अनुमान प्राप्त करके किया जा सकता है। विशेष रूप से प्रत्येक टाइम बैंड में आनेवाले पोजीशनों के लिए `औसत' ड्यूरेशन मान लिया जाता है। इसके बाद, औसत ड्यूरेशनों को ब्याज दरों के कल्पित परिवर्तन से गुणा किया जाता है, जिससे प्रत्येक टाइम बैंड का भार प्राप्त किया जाता है। कुछ मामलों में एक टाइम बैंड के भीतर अलग पोजीशनों के लिए अलग भारों का प्रयोग किया जाता है, जो कूपन दरों और परिपक्वता अवधियों के व्यापक अंतर को दर्शाता है (उदाहरण के लिए आस्तियों के लिए एक भार तथा देयताओं के लिए दूसरा भार)। इसके अलावा, विभिन्न टाइम बैंडों के लिए कभी-कभी अलग-अलग ब्याज दर परिवर्तन प्रयुक्त किये जाते हैं, जिसका आम तौर पर यह प्रयोजन रहता है कि यील्ड कर्व के अनुरूप ब्याज दर की अस्थिरता के अंतर को दर्शाया जाए। विभिन्न टाइम बैंडों के भारित अंतरालों को जोड़कर बैंक के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन का अनुमान प्राप्त किया जाता है, जो ब्याज दरों में कल्पित परिवर्तन से उत्पन्न होगा।

10. एक वैकल्पिक विधि के रूप में कोई संस्था किसी टाइम बैंड के सभी पोजीशनों पर एक अनुमानित औसत ड्यूरेशन लागू करने के बजाय प्रत्येक आस्ति, देयता और तुलनपत्रेतर स्थिति के सही-सही ड्यूरेशन की गणना कर बदलती बाज़ार दरों के प्रभाव का अनुमान कर सकती है और इन अधिक सही मापों के आधार पर बैंक की निवल स्थिति प्राप्त कर सकती है। इससे पोजीशनों/नकदी प्रवाहों को जोड़ते समय हो सकनेवाली त्रुटियों को दूर किया जा सकता है । इसका एक दूसरा रूप हो सकता है जिसमें बदलती बाजार दरों के विनिर्दिष्ट परिदृश्य के परिणामस्वरूप काल्पनिक लिखतों के बाजार मूल्य में वास्तविक प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक टाइम बैंड के लिए जोखिम भार दिया जा सकता है । इस विधि को कभी-कभी प्रभावी ड्यूरेशन कहा जाता है । इसमें बाजार ब्याज दरों में महत्वपूर्ण

---

[82] फ्ररवर्न्नत्र ड्यूरेशन एक 'इलास्स्टस्सटी' है ञ्जसे मानक ड्यूरेशन को 1+r से ž ााग देकर प्राप्त्र ञ्कया जान्रा है, ञ्जसमें r ाााज़ार ञ्याज दर का स्न्रर है । अन्रः यह 1+न्र में प्रञ्न्रशन्र फ्ररवर्न्रन के ञ्लए ञ्लखन्र के आर्थक मूल्य में प्रञ्न्रशन्र फ्ररवत्रन दर्शान्रा है । सरल ड्यूरेशन की न्ररह ही यह मूल्य में प्रञ्न्रशन्र फ्ररवत्रन और ञ्याज दरों में प्रञ्न्रशन्र फ्ररवर्न्रन के ाीच सीधा संांध मानन्रा है । ड्यूरेशन के दूसरे प€ ार्म में इस मान्यन्रा में न्रथा ž ुगन्रान का समय ञ्नयन्र होने से संांञ्धन्र मान्यन्रा में ढील दी जान्री है । प्रž ाावी ड्यूरेशन प्रञ्न्रप€ ल में एक आधार अंक फ्ररवर्न्रन से संांञ्धन्र ञ्लखन्र के मूल्य में होनेवाला प्रञ्न्रशन्र फ्ररवर्न्रन है ।

परिवर्तन से होनेवाली मूल्य घट-बढ़ की गैर-समानुपातिकता भी बेहतर ढंग से व्यक्त होती है और इस प्रकार ड्यूरेशन विधि की एक महत्वपूर्ण कमी से बचा जा सकेगा

11. मानक ड्यूरेशन विधि के आधार पर प्राप्त अनुमान अपेक्षाकृत कम जटिल बैंकों के लिए आर्थिक मूल्य के परिवर्तनों के प्रति बैंक के एक्सपोज़र के संबंध में स्वीकार्य अनुमान दे सकते हैं । तथापि, ऐसे अनुमान आम तौर पर केवल एक प्रकार के ब्याज दर एक्सपोज़र-पुनर्मूल्यन जोखिम पर केंद्रित रहते हैं । इसके फलस्वरूप, वे ऐसे ब्याज दर जोखिम को नहीं दर्शाते, जो, उदाहरण के लिए, एक टाइम बैंड के भीतर ब्याज दरों के बीच के संबंध में परिवर्तन (आधार जोखिम) के कारण उत्पन्न होते हैं । इसके अलावा, चूंकि ऐसी विधियों में प्रत्येक टाइम बैंड के लिए आम तौर पर औसत ड्यूरेशन का उपयोग किया जाता है, अतः ये अनुपात कूपन दरों और भुगतान के समय के अंतर के कारण पोजीशनों की वास्तविक संवेदनशीलता के अंतरों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं । अंत में, मानक ड्यूरेशन की गणना में जो सरलीकृत पूर्वानुमान निहित है, उसका अर्थ यह है कि ऑप्शन के जोखिम सही-सही व्यक्त नहीं भी हो सकते हैं ।

आ. अनुरूपण (सिमुलेशन) विधियां

12. अनेक बैंक (खास कर जटिल वित्तीय लिखतों का प्रयोग करनेवाले अथवा अन्य प्रकार से जटिल जोखिम प्रोफाइल वाले बैंक) सरल परिपक्वता/पुनर्मूल्यन अनुसूचियों पर आधारित प्रणालियों के बजाय अधिक उन्नत ब्याज दर जोखिम माप प्रणालियों का प्रयोग करते हैं । इन अनुरूपण तकनीकों में ब्याज दरों की भावी दिशा और नकदी प्रवाह पर उनके प्रभाव का अनुरूपण करते हुए ब्याज दरों में परिवर्तन का अर्जन और आर्थिक मूल्य पर पड़नेवाले संभावित प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है ।

13. कुछ अर्थों में अनुरूपण तकनीकों को परिपक्वता/पुनर्मूल्यन अनुसूचियों पर आधारित सरल विश्लेषण का विस्तृत और परिष्कृत रूप माना जा सकता है, परंतु अनुरूपण विधियों में तुलन पत्र और तुलनपत्रेतर स्थितियों की विभिन्न श्रेणियों का अधिक विस्तृत विश्लेषण होता है, ताकि प्रत्येक प्रकार की स्थिति से उत्पन्न ब्याज और मूल धन भुगतान और ब्याजेतर आय और व्यय से संबंधित विशिष्ट पूर्वधारणाओं को शामिल किया जा सके । इसके अलावा अनुरूपण तकनीकों में ब्याज दर वातावरण के अधिक विविध और परिष्कृत परिवर्तनों को शामिल किया जा सकता है - जिनमें प्रतिफल वक्र की ढलान और आकार में परिवर्तन से लेकर मोंटे कार्लो अनुरूपणों से प्राप्त ब्याज दर परिदृश्य शामिल हैं ।

I. स्थैतिक अनुरूपण

14. स्थैतिक अनुरूपणों में बैंकों के केवल वर्तमान तुलनपत्र व तुलन पत्रेतर स्थितियों से उत्पन्न नकदी प्रवाहों का मूल्यांकन किया जाता है । अर्जन के जोखिम का मूल्यांकन करने

के लिए एक या एक से अधिक कल्पित ब्याज दर परिदृश्यों के आधार पर एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान नकदी प्रवाह और उनसे प्राप्त आय प्रवाह का अनुमान करते हुए अनुरूपण संचालन किया जाता है । सामान्यतया, यद्यपि हमेशा नहीं, इन अनुरूपणों में प्रतिफल वक्र में अपेक्षाकृत सीधा परिवर्तन या विभिन्न ब्याज दरों के बीच स्प्रेड का अंतर होता है । जब बैंक की धारिता की पूरी प्रत्याशित अवधि के संबंध में नकदी प्रवाह का अनुरूपण किया जाता है तथा उन्हें उनके वर्तमान मूल्य तक डिस्काउंट किया जाता है, तब बैंक के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन का अनुमान लगाया जा सकता है[83]।

II. गत्यात्मक अनुरूपण

15. गत्यात्मक अनुरूपण विधि में ब्याज दरों की भावी दिशा तथा बैंक की कारोबारी गतिविधि में उस अवधि के दौरान होनेवाले प्रत्याशित परिवर्तन के बारे में अधिक विस्तृत पूर्व धारणाओं के आधार पर अनुरूपण किया जाता है । उदाहरण के लिए अनुरूपण में प्रशासित ब्याज दर (उदाहरण के लिए बचत जमाराशि पर) बदलने की बैंक की रणनीति, बैंकों के ग्राहकों के आचरण (उदाहरण के लिए दर्शनी और बचत जमाराशियों से आहरण) तथा/अथवा बैंक के समक्ष उपस्थित होनेवाली भावी कारोबारी स्थिति (नये ऋण अथवा अन्य लेनदेन) के संबंध में पूर्व धारणाएं शामिल हो सकती हैं । ऐसे अनुरूपणों में भावी गतिविधियों और पुनर्निवेश रण नीतियों के संबंध में इन पूर्व धारणाओं का प्रयोग कर प्रत्याशित नकदी प्रवाह तथा गत्यात्मक अर्जन और आर्थिक मूल्य परिणामों के संबंध में अनुमान लगाया जाता है । इन अधिक परिष्कृत तकनीकों में भुगतान सरणी और ब्याज दरों के बीच अधिक गतिशील क्रिया-प्रतिक्रिया होती है और ये अन्तर्निहित या स्पष्ट ऑप्शनों के प्रभाव को बेहतर व्यक्त करते हैं ।

16. अन्य विधियों की तरह ही अनुरूपण आधारित ब्याज दर जोखिम माप तकनीकों की उपयोगिता अंतर्निहित अनुमानों की वैधता और मूल कार्यविधि की शुद्धता पर निर्भर करती है। परिष्कृत अनुरूपणों के परिणाम का मूल्यांकन मुख्यतया भावी ब्याज दर और बैंक तथा उसके ग्राहकों के आचरण के संबंध में अनुरूपण की पूर्वधारणाओं की वैधता के आधार पर करना चाहिए। इस संबंध में प्रमुख चिंता यह है कि ऐसे अनुरूपण `ब्लैक बॉक्स' न बन जाएं जिनसे अनुमानों की शुद्धता के संबंध में गलत आत्मविश्वास न हो जाए ।

ग. अन्य मुद्दे

17. ब्याज दर जोखिम की माप करते समय एक बड़ी कठिनाई यह है कि उन स्थितियों के संबंध में क्या किया जाए जब संविदागत परिपक्वता अवधि से व्यावहारिक परिपक्वता अवधि अलग हो (अथवा जहां कोई स्पष्ट संविदागत परिपक्वता न हो) । तुलन पत्र के

---

[83] ऋपŽ ले खंड में कर्णन्न ड्यूरेशन ऋवश्लेषण एक सरल स्टैय्टक प€ ॉर्म में देखा जा सकन्ना है ।

आस्ति पक्ष में ऐसे पोजीशनों में बंधक और बंधक-संबद्ध प्रतिभूतियां हो सकती हैं, जिनका समयपूर्व भुगतान हो सकता है । कुछ देशों में उधारकर्ताओं के पास यह विवेकाधिकार होता है कि वे अपने बंधक का थोड़े जुर्माने के साथ या बिना किसी जुर्माने के समयपूर्व भुगतान कर सकते हैं । इससे इन लिखतों से जुड़े नकदी प्रवाह के समय के संबंध में अनिश्चितता उत्पन्न होती है । हालांकि जनसंख्या संबंधी घटकों (यथा मृत्यु, तलाक या नौकरी में स्थानांतरण) के कारण तथा समष्टि आर्थिक परिस्थितियों के कारण समयपूर्व भुगतान में कुछ अनिश्चितता हमेशा रहती है, तथापि इस संबंध में अधिकांश अनिश्चितता ब्याज दरों में घट-बढ़ के प्रति उधारकर्ता की प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है । आम तौर पर ब्याज दरों में गिरावट होने पर समय पूर्व भुगतान बढ़ते हैं क्योंकि उधारकर्ता अपने ऋणों का निम्नतर प्रतिफल पर पुनर्वित्त करते हैं । इसके विपरीत जब अचानक ब्याज दरें बढ़ती हैं तब समय पूर्व भुगतान की दरें घट जाती हैं और बैंक के पास चालू बाजार दरों से कम भुगतान करनेवाले बंधकों की संख्या आशा से अधिक हो जाती है ।

18. देयता पक्ष में ऐसे पोजीशनों में तथाकथित गैर-परिपक्वता जमाराशियां, जैसे, दर्शनी जमाराशियां और बचत जमाराशियां आती हैं, जिन्हें जमाकर्ता अपने विवेक से अक्सर बिना किसी दंड के, आहरण कर सकता है।ऐसी जमाराशियों पर कार्रवाई इस कारण भी जटिल हो जाती है, क्योंकि इन पर जमाकर्ता जो दरें पाते हैं वे बाज़ार ब्याज दरों के सामान्य स्तर में आए परिवर्तनों के साथ-साथ घटती-बढ़ती नहीं हैं। वस्तुतः बैंक धारित जमाराशियों की मात्रा को नियंत्रित करने के विशिष्ट उद्देश्य से खातों की दरों को नियंत्रित कर सकते हैं और करते हैं ।

19. ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति चालू अर्जन और आर्थिक मूल्य, दोनों के एक्सपोज़र की माप करते समय अंतर्निहित ऑप्शन वाले पोजीशनों के संबंध में कार्रवाई एक विशेष चिंता का विषय है । इसके अलावा यह मुद्दा ब्याज दर माप की विधियों के पूरे परिदृश्य में - सरल अंतराल विश्लेषण से सर्वाधिक परिष्कृत अनुरूपण तकनीकों तक - उभरता है । परिपक्वता/पुनर्मूल्यन अनुसूची विधि में बैंक आम तौर पर इन पोजीशनों की अदायगी और आहरण के संभावित समय के संबंध में अनुमान लगाते हैं और तदनुसार टाइम बैंडों में शेष राशियों को वितरित करते हैं । उदाहरण के लिए यह माना जा सकता है कि 30 वर्षीय बंधकों के एक समूह के एक निश्चित प्रतिशत का समयपूर्व भुगतान बंधक के चालू रहने के दौरान निश्चित वर्षों में हो जाएगा । इसके फलस्वरूप बंधक शेष का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे 30 वर्षीय लिखतों वाले टाइम बैंड में डाला जाना था अपेक्षाकृत अल्पावधिक टाइम बैंड में वितरित किया जाएगा । अनुरूपण विधि में अधिक परिष्कृत पूर्वधारणाओं का प्रयोग किया जा सकता है । उदाहरण के लिए विभिन्न ब्याज दर वातावरणों में नकदी प्रवाह की मात्रा और समय के संबंध में बेहतर आकलन के लिए ऑप्शन-समायोजित मूल्य निर्धारण मॉडलों का प्रयोग किया जा सकता है । इसके अलावा, अनुरूपण में गैर-परिपक्वता जमाराशियों पर

प्रशासित ब्याज दर की संभावित भावी कार्रवाई के संबंध में बैंक की पूर्व धारणाओं को शामिल किया जा सकता है ।

20. ब्याज दर जोखिम माप के अन्य घटकों की तरह ब्याज दर एक्सपोज़र के अनुमान की गुणवत्ता अनिश्चित परिपक्वता वाले पोजीशन में भावी नकदी प्रवाह संबंधी पूर्व धारणाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आम तौर पर बैंक इन पूर्व धारणाओं के संबंध में मार्गदर्शन पाने के लिए ऐसे पोजीशनों के अतीत में प्रदर्शन को ध्यान में रखते हैं। उदाहरण के लिए, अतीत में ब्याज दर घट-बढ़ के प्रति बैंक की धारिता के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए अर्थमितिक अथवा सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सकता है। इस प्रकार का विश्लेषण विशेष रूप से गैर-परिपक्वता वाली जमाराशियों के संभावित प्रदर्शन का आकलन करने में उपयोगी हो सकता है। गैर-परिपक्वता जमाराशियां बैंक विशेष के घटकों से प्रभावित हो सकती हैं, उदाहरण के लिए बैंक के ग्राहकों की प्रवृति और स्थानीय या क्षेत्रीय बाजार स्थितियां । इसी प्रकार बैंक बंधक आधारित नकदी प्रवाह का अनुमान प्राप्त करने के लिए सांख्यिकीय समय पूर्व भुगतान मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें बैंक आंतरिक रूप से विकसित कर सकता है या बाहरी डेवलपर से खरीद सकता है। अंत में, बैंक के भीतर प्रबंधकीय और कारोबारी इकाइयों से प्राप्त इनपुट का महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र कारोबारी या पुनर्मूल्यन कार्य नीतियों में उन योजनाबद्ध परिवर्तनों के संबंध में सेचत हो सकते हैं, जो अनिश्चित परिपक्वता वाले पोजीशनों के भावी नकदी प्रवाह प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं ।

अनुबंध - 13
(देखें अनुबंध 9 का पैरा 3.2.2)

ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के संबंध में
<u>बीसीबीएस के जुलाई 2004 के पर्चे का अनुबंध 2</u>

<u>पर्यवेक्षीय प्राधिकारियों द्वारा ब्याज दर जोखिम की निगरानी</u>

1. इस अनुबंध में ब्याज दर जोखिम के प्रति अलग-अलग बैंकों के एक्सपोज़र के संबंध में सूचना प्राप्त करने और उनका विश्लेषण करने में पर्यवेक्षीय प्राधिकारी जिन घटकों पर विचार कर सकते हैं उनमें से कुछ घटकों का संक्षिप्त विहगावलोकन प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि खंड VII में चर्चा की गयी है, पर्यवेक्षीय प्राधिकारियों को सामयिक रूप से ब्याज दर जोखिम के प्रति बैंकों के एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त सूचना प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार की सूचना प्रत्यक्ष परीक्षणों के माध्यम से, नियमित आधार पर बैंकों द्वारा भेजी जानेवाली रिपोर्टों के माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है ।

2. यद्यपि भिन्न-भिन्न पर्यवेक्षीय प्राधिकारियों द्वारा मांगी गयी सूचना अलग-अलग होगी, तथापि कुछ लोग एक यह विधि अपना सकते हैं जिसमें एक रिपोर्टिंग प्रे€मवर्क होगा जो शेष बची परिपक्वता अवधि या अगले पुनर्मूल्यन के लिए शेष बची अवधि के आधार पर बैंक के पोजीशनों के संबंध में सूचना एकत्रित करेगा । इस प्रकार की विधि में बैंक अपनी ब्याज संबंधी आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्रेतर स्थितियों को पुनर्मूल्यन टाइम बैंडों की श्रृंखला या परिपक्वता संवर्गों में वर्गीकृत करेगा । नीचे दो खंडों में यह चर्चा की गयी है कि टाइम बैंडों की संख्या विनिर्दिष्ट करते हुए तथा रिपोर्टिंग प्रे€मवर्क में पोजीशनों को समूहबद्ध करते समय पर्यवेक्षक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए । इस अनुबंध के अंतिम खंड में उन सामान्य दृष्टिकोणों की चर्चा की गयी है, जिन्हें इस प्रकार के रिपोर्टिंग प्रे€मवर्क के माध्यम से प्राप्त सूचना का विश्लेषण करते समय पर्यवेक्षीय प्राधिकारी अपना सकते हैं ।

क. टाइम बैंड

3. यदि ऐसे रिपोर्टिंग प्रे€मवर्क का प्रयोग किया जाता है जिसमें अगले पुनर्मूल्यन तक बचे समय के आधार पर सूचना एकत्रित की जाती है, तो टाइम बैंडों की संख्या और विनिर्दिष्ट संवर्ग इतने पर्याप्त होने चाहिए ताकि पर्यवेक्षकों को उल्लेखनीय पुनर्मूल्यन विसंगतियों की पहचान करने के लिए एक तर्क संगत आधार मिल सके । तथापि विभिन्न देशों में संख्या और दायरा दोनों दृष्टियों से टाइम बैंड अलग-अलग हो सकते हैं । यह अलग-अलग बाजारों में ऋण और निवेश प्रथाओं और बैंकों के अनुभव पर निर्भर करेगा ।

4. पर्यवेक्षीय विश्लेषण की उपयोगिता मुख्यतया इस बात पर निर्भर करती है कि पोजीशनों की परिपक्वता और नकदी प्रवाह को प्रणाली में कितनी शुद्धता के साथ रिकार्ड किया गया है। ब्याज दर संवेदनशीलता का विश्लेषण करते समय केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि कोई लिखत कब परिपक्व होता है। इसके बजाय महत्वपूर्ण घटक यह है कि लिखत का पुनर्मूल्यन कब होता है। अतः इस खंड में परिपक्वता के बजाय पुनर्मूल्यन पर जोर दिया गया है। जिन नकदी प्रवाहों के पुनर्मूल्यन के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं है, वहां सही विधि यह होगी कि पुनर्मूल्यन की सही तारीख का प्रयोग किया जाए । टाइम बैंडों या टाइम ज़ोन में पोजीशनों/नकदी प्रवाहों का समूहन करने से सूचना की क्षति हो सकती है तथा शुद्धता का स्तर न्यूनतर हो सकता है। इस कारण किसी पुनर्मूल्यन सोपान फ्रेमवर्क में टाइम बैंडों की संख्या में हमेशा शुद्धता के आवश्यक स्तर तथा और अधिक शुद्धता की खोज की लागत के संबंध में निर्णय झलकता है। पर्यवेक्षीय प्राधिकारी अपनी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाले रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को विकसित करते समय एक आरंभिक बिन्दु के रूप में बाजार जोखिम संशोधन की मानकीकृत विधि में पुनर्मूल्यन सोपान का प्रयोग कर सकते हैं। उन बैंकों के लिए, जिनकी कारोबारी गतिविधियों की प्रकृति के कारण अलग रिपोर्टिंग फार्म आवश्यक है, पर्यवेक्षक सामान्य रूप से या विनिर्दिष्ट रूप से सूचना के परिवर्तित /संशोधित ब्यौरे मांग सकते हैं।

ख. मदें

5. टाइम बैंडों की तरह ही आस्तियों और देयताओं के ब्यौरे अलग-अलग पर्यवेक्षकों में अलग-अलग हो सकते हैं। किसी रिपोर्टिंग प्रणाली में सभी दर-संवेदी आस्तियों, देयताओं तथा तुलनपत्रेतर स्थितियों के संबंध में सूचना होनी चाहिए तथा जिन लिखतों की नकदी प्रवाह संबंधी विशेषताएँ महत्वपूर्ण रूप से अलग हों उनके संबंध में लिखतों के विनिर्दिष्ट प्रकार के अनुसार शेष राशियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। उन मदों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिनका व्यावहारिक पुनर्मूल्यन संविदाकृत परिपक्वता अवधि से अलग है, जैसे बचत जमाराशियाँ तथा, कुछ देशों में, बंधक आधारित लिखत । इन मुद्दों पर और जानकारी 4 दिसंबर 2008 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी 92/21.06.01/2008-09 में दी गयी है। यदि इन पोजीशनों की मात्रा काफी है, तो इनकी सूचना अलग से दी जानी चाहिए ताकि बैंक की तुलनपत्र संरचना में अंतर्निहित ऑप्शन जोखिम का मूल्यांकन आसान हो सके।

6. यदि बैंक ट्रेडिंग गतिविधि में लगा हो तो ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण अधिक कठिन हो सकता है। एक सामान्य नियम यह है कि किसी भी माप प्रणाली में बैंक की संपूर्ण गतिवधियों से उत्पन्न होने वाले ब्याज दर एक्सपोज़रों को शामिल किया जाना चाहिए जिसमें ट्रेडिंग और गैर-ट्रेडिंग दोनों स्रोत शामिल हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न माप प्रणालियाँ और जोखिम प्रबंधन विधियाँ नहीं अपनायी

जाएँ; तथापि विभिन्न उत्पादों और कारोबारी क्षेत्रों के ब्याज दर जोखिम के संबंध में प्रबंधतंत्र को एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो बैंक अपने ब्याज दर जोखिम एक्सपोज़रों का प्रबंधन समन्वित आधार पर करते हैं, उन्हें पर्यवेक्षक समग्र रिपोर्टिंग प्रे€मवर्क के अंतर्गत ट्रेडिंग और गैर-ट्रेडिंग पोजीशनों को एकत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं। तथापि इसे ध्यान में रखना आवश्यक है कि अनेक देशों में ट्रेडिंग बही और पारस्परिक बैंकिंग बही पर भिन्न लेखांकन नियम लागू हो सकते हैं। इन लेखांकन नियमों के अंतर्गत ट्रेडिंग बही में हुई हानि बैंकिंग बही में हुए लाभ से प्रतिसंतुलित नहीं भी हो सकती है, यदि वे लाभ अभी प्राप्त नहीं हुए हों। इसके अलावा, बैंकिंग बही के विपरीत ट्रेडिंग संविभाग के गठन में साप्ताहिक आधार पर, यहाँ तक कि दैनिक आधार पर महत्वपूर्ण बदलाव आता है, क्योंकि उसका प्रबंधन अलग किया जाता है तथा बैंकिंग बही की अपेक्षा अलग (अल्पावधिक) जोखिम दृष्टिकोण के अनुसार किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी दिन हेज मौजूद है तो वह कुछ दिनों बाद गायब हो सकता है। अतः पर्यवेक्षकों को उन बैंकों की जोखिम प्रबंध प्रथाओं और सूचना प्रणालियों के समीक्षा करनी चाहिए जो महत्वपूर्ण ट्रेडिंग गतिविधियां करते हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रेडिंग और गैर-ट्रेडिंग दोनों गतिविधियों में ब्याज दर जोखिम का समुचित प्रबंधन और नियंत्रण हो रहा है, उनसे आवश्यक सूचना प्राप्त की जानी चाहिए।

ग. पर्यवेक्षीय विश्लेषण

7. उपर्युक्त आधार पर निर्मित रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से पर्यवेक्षकों को ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण करने के लिए एक लचीला साधन प्राप्त हो सकता है। पर्यवेक्षक इस बुनियादी सूचना का उपयोग बैंक के एक्सपाज़र और जोखिम प्रोफाइल के अपने मूल्यांकन में कर सकते हैं।

8. ऐसे मूल्यांकन या तो सांख्यिकीय संभाव्यता के आधार पर या बदतरीन हालात विश्लेषण के आधार पर विभिन्न मात्रा के दर परिवर्तनों के साथ यील्ड कर्व में समांतर परिवर्तन या यील्उ कर्व के चपटा, ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी होने के प्रति संस्था के एक्सपोज़र के संबंध में निष्कर्ष प्रदान कर सकते हैं। विदेशी मुद्राओं में महत्वपूर्ण एक्सपोज़रों वाले बैंकों के लिए विभिन्न मुद्राओं में ब्याज दरों के बीच अंतर्संबंधों के संबंध में विभिन्न पूर्वधारणाओं का शोध करने वाला विश्लेषण उपयोगी हो सकता है। व्यावहारिक परिपक्वता वाले लिखतों के संबंध में पर्यवेक्षक संस्था द्वारा प्रयुक्त पूर्वधारणाओं से अलग पूर्वधारणाओं के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं।

9. पर्यवेक्षकों के मात्रात्मक विश्लेषण का केंद्र बिंदु चालू अर्जन पर अथवा बैंक के संविभाग के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तनों का प्रभाव हो सकता है। विश्लेषण करते समय प्रत्येक टाइम बैंड में आस्तियों और देयताओं पर औसत प्रतिफल के संबंध में सूचना

उपयोगी हो सकती है तथा पर्यवेक्षक केवल पोजीशन संबंधी आँकड़ों के अलावा ऐसी सूचना एकत्रित करना चाहेंगे।

10. अपने समग्र दृष्टिकोण के आधार पर पर्यवेक्षक ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण मामला-दर-मामला आधार पर सकते हैं अथवा एक ऐसी व्यापक प्रणाली के अंग के रूप में कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य अत्यधिक जोखिम उठानेवालों की पहचान करना है।

11. प्रस्तावित फ्रेमवर्क का प्रयोग करते हुए ब्याज दर जोखिम का मूल्यांकन करने से पर्यवेक्षक संस्था के जोखिम प्रोफाइल को बेहतर समझ सकते हैं बजाय इसके कि वे ऐसी रिपोर्टिंग प्रणाली का सहारा लें जो ब्याज दर जोखिम की जटिलता को एक एकल संख्या में बदल देती है। ऐसा करते समय पर्यवेक्षक अंतर्निहित पूर्वधारणाओं में परिवर्तन के प्रति जोखिम माप की संवदेनशीलता से अधिक परिचित हो सकते हैं तथा मूल्यांकन प्रक्रिया से उतनी अंतर्दृष्टि मिल सकती है जितनी मात्रात्मक परिणाम से मिलती है।

12. पर्यवेक्षक के अपने स्वतंत्र मात्रात्मक विश्लेषण का विस्तार कुछ भी हो, बैंक की अपनी ब्याज दर जोखिम माप का पर्यवेक्षीय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे उसकी रिपोर्ट बुनियादी पर्यवेक्षीय सूचना प्रणाली के अंग के रूप में की गयी हो या उसकी समीक्षा बैंक के जोखिम प्रबंधन के वैयक्तिक मूल्यांकन के रूप में की गयी हो। बैंक के आंतरिक मॉडल के परिणामों की समीक्षा अत्यंत सूचनाप्रद हो सकती है, लेकिन यह एक कठिन प्रक्रिया भी हो सकती है क्योंकि इसमें अनेक महत्वपूर्ण पूर्वधारणाएँ और मॉडलिंग तकनीकें होती हैं जिन्हें पर्यवेक्षकों के लिए पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। प्राप्त सूचना को अधिक उपयागी बनाने के लिए उसमें ब्याज दर परिवर्तनों और बाजार प्रतिक्रिया के संबंध में विभिन्न पूर्वधारणाओं के अंतर्गत जोखिम प्रोफाइल में बैंक के संविभाग के मुख्य तत्वों का योगदान बताया जाना चाहिए। अंत में, किसी भी मात्रात्मक विश्लेषण को आंतरिक प्रबंधन रिपोर्टों की समीक्षा से परिपुष्ट किया जाना चाहिए ताकि प्रबंध तंत्र द्वारा जोखिम के आकलन और प्रबंधन, एक्सपोज़र मापने की उनकी विधियों तथा पर्यवेक्षकों को भेजी जानी वाली सीमित सूचना प्रणाली में उपलब्ध सूचनाओं में जो घटक प्रतिबिम्बित नहीं होते, उनके संबंध में अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सके ।

अनुबंध - 14

(देखें पैरा 12.3.3.7)

आइसीएएपी दस्तावेज की निदर्शी रूपरेखा

1. आइसीएएपी दस्तावेज क्या है ?

आइसीएएपी दस्तावेज एक व्यापक पेपर होगा जिसमें बैंक के जोखिमों के संपूर्ण परिदृश्य के निरंतर मूल्यांकन, बैंक उन जोखिमों को किस प्रकार से कम करनेवाला है और अन्य प्रशमन तत्वों की गणना करते हुए उस बैंक के लिए कितनी वर्तमान तथा भावी पूंजी आवश्यक होगी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी होगी । आइसीएएपी दस्तावेज का प्रयोजन है बैंक के बोर्ड को इन पहलूओं से अवगत कराना तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंक की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया तथा पूंजी प्रबंधन के प्रति बैंक का दृष्टिकोण स्पष्ट करना । आइसीएएपी बैंक के मौजूदा आंतरिक दस्तावेजों के आधार पर भी तैयार किया जा सकता है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए गए आइसीएएपी दस्तावेज के लिए बैंक के बोर्ड का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए । यह अपेक्षा की जाती है कि यह दस्तावेज एक ऐसे फॉर्मेट में तैयार किया जाएगा जिसे प्रबंध तंत्र के वरिष्ठ स्तरों पर आसानी से समझा जा सकेगा और उसमें वह सभी संबंधित जानकारी होगी जो बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंक के उचित पूंजी स्तर तथा उसके जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण के बारे में सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए आवश्यक होगी । जहां उचित है वहां यदि जोखिम मापन पद्धतियों, पूंजी मॉडेल्स को प्रयोग में लाया गया हो तो उनसे संबंधित तकनीकी जानकारी तथा उक्त दृष्टिकोण को विधिमान्य बनाने के लिए किए गए समस्त कार्य (उदाहरण बोर्ड पेपर तथा कार्यवृत्त, आंतरिक अथवा बाहरी समीक्षाएं) को आइसीएएपी दस्तावेज के परिशिष्टों के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

2. विषयवस्तु

आइसीएएपी दस्तावेज में निम्नलिखित भाग होने चाहिए :

II. कार्यपालक सारांश

III. पृष्ठभूमि

IV. वर्तमान तथा अनुमानित वित्तीय तथा पूंजीगत स्थितियों का सारांश

V. पूंजी पर्याप्तता

VI. प्रमुख संवेदनशीलताएं तथा भावी अनुमान

VII. एकत्रीकरण तथा विविधिकरण

VIII. आइसीएएपी का परीक्षण तथा उसे अपनाना

IX. बैंक में आइसीएएपी का प्रयोग

1. कार्यपालक सारांश

कार्यपालक सारांश का प्रयोजन है आइसीएएपी पद्धतियों तथा निष्कर्षों का विहंगावलोकन प्रस्तुत करना । इस विहंगावलोकन में सामान्यतः निम्नलिखित शामिल होगा :

क) रिपोर्ट का प्रयोजन तथा बैंकिंग समूह के भीतर ऐसी विनियमित संस्थाएं जो कि आइसीएएपी के दायरे के अंतर्गत आती हैं;

ख) आइसीएएपी विश्लेषण के मुख्य निष्कर्ष:

  i. `पिलर 1' अभिकलन के अंतर्गत न्यूनतम सीआरएआर अपेक्षा की तुलना में बैंक कितनी और किस विन्यास में आंतरिक पूंजी धारण करना आवश्यक समझता है, तथा

  ii. बैंक की जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं की पर्याप्तता;

ग) बैंक की कार्यनीतिगत स्थिति, उसके तुलन पत्र की मजबूती तथा भावी लाभप्रदता सहित बैंक की वित्तीय स्थिति का सारांश;

घ) पूंजी जुटाने तथा लाभांश योजना का संक्षिप्त वर्णन जिसमें बैंक आगे के दिनों में अपनी पूंजी का कैसे और किन प्रयोजनों से प्रबंध करेगा भी शामिल हो;

ङ) बैंक के प्रति अत्यंत महतवपूर्ण जोखिमों, दिया गया जोखिम का स्तर क्यों स्वीकार्य पाया गया है अथवा स्वीकार्य नहीं है तो उसे कम करने के लिए क्या कार्रवाई आयोजित की गई है पर टिप्पणी;

च) उन मुख्य मामलों पर टिप्पणियां जहां और अधिक विश्लेषण तथा निर्णय अपेक्षित हैं; तथा

छ) मूल्यांकन किसने किया है, उस संबंध में क्या आपत्तियां उठाई गई/उसका विधिकरण/दबाव परीक्षण कैसे किया गया है तथा उसका अनुमोदन किसने किया है ।

II. पृष्ठभूमि

इस भाग में बैंक के संबंधित संगठनात्मक तथा ऐतिहासिक वित्तीय आंकड़े/जानकारी दी जाएगी । उदाहरण के लिए समूह रचना (विधिक तथा परिचालनागत), परिचालनगत लाभ, कर पूर्व लाभ, करोत्तर लाभ, लाभांश, शेयरधारक निधियां, विनियामक अपेक्षाओं की तुलना में धारित पूंजीगत निधियां, ग्राहक जमाराशियां, बैंकों द्वारा की गई जमा, कुल आस्तियां तथा उस जानकारी में पायी जानेवाली प्रवृत्तियों से निकाले जानेवाले ऐसे कोई निष्कर्ष जिनका बैंक के भविष्य पर प्रभाव पड़ सकता है ।

III. <u>वर्तमान तथा अनुमानित वित्तीय तथा पूंजीगत स्थितियों का सारांश</u>

इस भाग में बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति तथा व्यवसाय की वर्तमान रूपरेखा में अपेक्षित परिवर्तन, वह जिस परिवेश में कार्य करने की अपेक्षा करते हैं, उसकी व्यवसाय संबंधी अनुमानित योजनाएं (व्यवसाय के उचित नियमों के अनुसार), अनुमानित वित्तीय स्थिति तथा पूंजी के आयोजित भावी स्रोत को स्पष्ट किया जाएगा ।

संदर्भ के रूप में प्रयोग में लाए गए प्रारंभिक तुलन पत्र और जिस तारीख की स्थिति के अनुसार मूल्यांकन किया गया है, को दर्शाया जाए ।

अनुमानित वित्तीय स्थिति में परिकल्पित व्यवसाय योजनाओं के आधार पर उपलब्ध अनुमानित पूंजी तथा अनुमानित पूंजीगत अपेक्षाओं, दोनों की गणना की जा सकती है । इसके बाद में एक आधार मिलेगा जिसके समक्ष प्रतिकूल परिस्थितियों की तुलना की जा सकेगी ।

IV. <u>पूंजी पर्याप्तता</u>

इस भाग की शुरुआत बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिए गए अनुसार तथा आइसीएएपी में प्रयोग में लाई गई मात्रात्मक रूप में बैंक की जोखिम लेने की अभिलाषा के वर्णन से होगी। इस दस्तावेज में यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट करना आवश्यक है कि जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें न्यूनतम **विनियामक आवश्यकताओं** को पूरा करने के लिए आवश्यक पूंजी की राशि के संबंध में बैंक के अभिमत का प्रतिनिधित्व किया गया है अथवा यह कि उसमें पूंजी की वह राशि दर्शाई गई है जिसे बैंक **अपनी व्यवसाय संबंधी योजनाओं को पूरा करने के लिए** आवश्यक समझता है। उदाहरण के लिए यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाना चाहिए कि अपेक्षित पूंजी बैंक द्वारा वांछित किसी विशिष्ट क्रेडिट रेटिंग पर आधारित है अथवा उसमें कार्यनीतिगत प्रयोजनों के लिए कोई सुरक्षा निधि शामिल है अथवा उसका विनियामक अपेक्षाओं के उल्लंघन की संभावना को कम करने का उद्देश्य है। जहां आंतरिक पूंजी मूल्यांकन के लिए आर्थिक पूंजी मॉडेल्स का प्रयोग किया जाता है वहां विश्वास का स्तर, समय सीमा तथा विश्वास जिस घटना से संबंधित है उसका वर्णन भी दिया जाना चाहिए। जहां पूंजी मूल्यांकन के लिए सिनॅरियो विश्लेषण अथवा अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाता है वहां प्रयोग में लाए गए सिनॅरियोज़ की चुनी हुई गंभीरता के चयन का आधार/तर्क भी शामिल किया जाए।

समय

- आइसीएएपी अभिकलनों की प्रभावी तारीख सहित इस तारीख तथा बोर्ड/भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुति की तारीख के बीच होनेवाली कोई भी ऐसी घटनाओं के ब्योरे जिनका आइसीएएपी अभिकलनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और उनके परिणाम; तथा

- पूंजी अपेक्षाओं के मूल्यांकन के लिए चयनित समयावधि के ब्योरे तथा उसका मूलाधार ।

विश्लेषित जोखिम

- निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रेणी में बैंक द्वारा उठाए गए प्रमुख जोखिमों का निर्धारण:

    क) ऋण जोखिम

    ख) बाज़ार जोखिम

    ग) परिचालनगत जोखिम

    घ) चलनिधि जोखिम

    ङ) केंद्रीकरण जोखिम

    च) बैंकिंग की बही में ब्याज दर जोखिम

    छ) प्रतिभूतिकरण का अवशिष्ट जोखिम

    ज) कार्यनीतिगत जोखिम

    झ) व्यवसाय जोखिम

    ञ) प्रतिष्ठागत जोखिम

    त) पेंशन प्रतिबद्धता जोखिम

    थ) अन्य अवशिष्ट जोखिम; तथा

    द) निर्धारित किए गए अन्य कोई जोखिम

- इन जोखिमों में से प्रत्येक के संबंध में उसका मूल्यांकन कैसे किया गया है संबंधी स्पष्टीकरण तथा जहां तक संभव हो उस मूल्यांकन के **मात्रात्मक परिणाम**;
- जहां इन में से कोई जोखिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के ऑन-साइट निरीक्षण की रिपोर्ट में विशिष्ट रूप से दर्शाया गया है वहां बैंक ने इन्हें कैसे कम किया है संबंधी स्पष्टीकरण;
- जहां आवश्यक है वहां ऑन-साइट निरीक्षण के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित सीआरएआर की आइसीएएपी के अंतर्गत बैंक के सीआरएआर के अभिकलनों के परिणामों के साथ तुलना;
- जोखिम श्रेणी के अनुसार मात्रात्मक आधार पर बैंक की जोखिम लेने की अभिलाषा तथा बैंक के विभिन्न जोखिमों के समग्र मूल्यांकन के साथ उसकी सुसंगतता (उसकी अनुरूपता) की सीमा को स्पष्टतः प्रकट किया जाए; तथा

- जहां संगत हो वहां जोखिमों को कम करने के लिए बैंक द्वारा पूंजी के अलावा अपनाई गई कोई अन्य पद्धतियां

पद्धतियां तथा धारणाएं

मुख्य जोखिमों में से प्रत्येक का मूल्यांकन कैसे किया गया है तथा की गई मुख्य धारणाओं का वर्णन।

उदाहरण के लिए बैंक अपने आइसीएएपी को सीआरएआर अभिकलनों, जिनमें अतिरिक्त जोखिमों (उदाहरण केंद्रीकरण जोखिम, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, आदि) के लिए पूंजी का अलग से मूल्यांकन किया गया है और पिलर 1 अभिकलनों में जोड़ा गया है के निष्कर्षों पर आधारित कर सकते हैं । इसके विकल्प के रूप में बैंक अपने आइसीएएपी को सीआरएआर के अंतर्गत शामिल जोखिमों (अर्थात् ऋण, बाज़ार तथा परिचालनगत जोखिम) सहित सभी जोखिमों के लिए आंतरिक मॉडलों पर भी आधारित कर सकते हैं ।

यहां दिए गए वर्णनों से यह स्पष्ट होगा कि किन जोखिमों को किस मॉडेलिंग अथवा अभिकलन दृष्टिकोण द्वारा कवर किया गया है । इसमें प्रत्येक निर्धारित श्रेणी में जोखिमों की गणना करने के लिए प्रयोग में लाई गई पद्धति तथा प्रक्रिया के ब्योरे तथा प्रत्येक मामले में प्रयोग में लाई गई पद्धति को चुनने का कारण शामिल होगा ।

जहां बैंक अपने जोखिमों को मात्रात्मक रूप देने के लिए कोई आंतरिक मॉडेल का उपयोग करता है वहां इस भाग में उन मॉडेलों में से प्रत्येक के संबंध में निम्नलिखित को स्पष्ट करेगा :

- प्रमुख मॉडेलिंग कार्य के भीतर मुख्य धारणाएं तथा मानदंड तथा किसी भी मुख्य धारणाओं की व्युत्पत्ति की पृष्ठभूमि;
- मानदंडों को चुनने का तरीका तथा उसके लिए प्रयोग में लाई गई ऐतिहासिक अवधि तथा मापन प्रक्रिया;
- मॉडेल की सीमाएं;
- चुनी हुई मुख्य धारणाओं अथवा मानदंडों में हुए परिवर्तनों के प्रति मॉडेल की संवेदनशीलता; तथा
- मॉडेल की निरंतर पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए किए जानेवाला वैधीकरण कार्य

जहां मॉडेलिंग के अन्य दृष्टिकोणों के निष्कर्षों को विधिमान्य, संपूरक अथवा परीक्षण करने के लिए दबाव परीक्षण अथवा सिनॅरियो विश्लेषणों का उपयोग किया गया है वहां इस अनुभाग में निम्नलिखित दिया जाए :

- बैंक के आंतरिक पूंजी मॉडेल द्वारा योग्य रूप से अनुमानित न किए गए जोखिमों (उदाहरण नॉन-लिनियर उत्पाद, केंद्रीकरण, अनकदी तथा संकट की अवधि में सहसंबंधों में परिवर्तन) को रोकने के अनुरूपण के ब्योरे;
- बैंक द्वारा किए गए दबाव परीक्षण तथा सिनॅरियो विश्लेषणों के मात्रात्मक परिणाम तथा उन विश्लेषणों के आधार माने गए विश्वास स्तर तथा मुख्य धारणाएं तथा अलग-अलग मुख्य जोखिम तत्वों के लिए प्राप्त परिणामों के वितरण के ब्योरे
- लागू किए गए संयुक्त प्रतिकूल सिनॅरियों के दायरे, इन्हें कैसे व्युत्पन्न किया गया तथा परिणामी पूंजीगत अपेक्षाओं के ब्योरे; तथा
- जहां लागू हो वहां, कोई भी अतिरिक्त व्यवसाय यूनिट विशेष अथवा व्यवसाय योजना विशेष के अनुसार चयनित दबाव परीक्षणों के ब्योरे ।

पूंजी अंतरणीयता

बड़े समूह वाली संरचना के बैंकों के मामले में लागू होनेवाले संविदागत, वाणिज्यिक, विनियामक अथवा सांविधिक जैसे प्रतिबंधों के कारण बैंकिंग व्यवसाय (व्यवसायों) में अथवा उससे बाहर पूंजी को अंतरित करने की प्रबंध तंत्र की क्षमता पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों के ब्योरे प्रस्तुत किए जाने चाहिए । समूह की संस्थाओं द्वारा लाभांश के वितरण पर लागू प्रतिबंध तथा उस संबंध में उपलब्ध लचीलेपन को भी दिया जाए । बैंकों की विदेश स्थित बैंकिंग सहायक कंपनियों के मामले में विनियामक प्रतिबंधों में लाभांश की घोषणा के बाद सहायक कंपनी के विनियामक मेजबान देश को स्वीकार्य विनियामक पूंजी का न्यूनतम स्तर शामिल
होगा ।

V. पूरी फर्म का जोखिम पर्यवेक्षण तथा जोखिम प्रबंध के विशिष्ट पहलू[84]

V.1 <u>बैंक में जोखिम प्रबंध प्रणाली</u>

इस खंड में बैंक के भीतर जोखिम प्रबंध संरचना का निम्न रूपों में वर्णन किया जाएगा :

- बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन का पर्यवेक्षण
- नीतियां, प्रक्रियाएं और सीमाएं
- जोखिमों की पहचान, माप, उसे कम करना, उसका नियंत्रण और रिपोर्टिंग
- पूरी फर्म के स्तर पर एकआइएस
- आंतरिक नियंत्रण

---

[84] कृपया 8 फरवरी 2010 का मास्टर फ्ररपत्र नैंफ्क्ख.नीपी.नीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010 देखें।

V.2 <u>तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र - विशेषतया प्रतिभूतिकरण</u>

इस खंड में तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र विशेष रूप से स्ट्रक्चर्ड उत्पादों में बैंक के निवेश में अंतर्निहित जोखिम मी समग्र चर्चा और विश्लेषण किया जाएगा। प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र का मूल्यांकन करते समय बैंक को आधारभूत एक्सपोज़र की ऋण गुणवत्ता और जोखिम विशेषता का पूरा विश्लेषण करना चाहिए। इस खंड में प्रतिभूतिकरण लेनदेन के आधारभूत एक्सपोज़र की परिपक्वता की तुलना निर्गत देयताओं से की जानी चाहिए ताकि संभावित परिपक्वता विसंगतियों का आकलन किया जा सके।

V.3 <u>प्रतिष्ठज्ञ जोखिम और अव्यक्त समर्थन का मूल्यांकन</u>

इस खंड में प्रतिष्ठा जोखिम की संभावनाओं की चर्चा की जानी चाहिए जिसके कारण अव्यक्त समर्थन करना पड़ सकता है और जिससे ऋण, बाज़ार और कानूनी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। इस खंड में बैंक के प्रतिष्ठा जोखिम के संभावित स्रोतों की पूरी चर्चा की जानी चाहिए।

V.4 <u>मूल्य और चलनिधि जोखिम का मूल्यांकन</u>

इस खंड में जोखिम प्रबंध और वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन से एक्सपोज़र का मूल्यन करने के लिए गवर्नेंस संरचना और नियंत्रण प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाएगा, जिसमें गैर-तरल स्थितियों के मूल्यन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । इस खंड में संबंधित ब्यौरे दिये जाएंगे ताकि बैंक के लिखतों और लेनदेन के मूल्यन और उसका सत्यापन हो सके।

V.5 <u>दबाव परीक्षण प्रथाएं</u>

इस खंड में दबाव परीक्षण के उद्देश्य, परिदृश्य की परिभाषा, दबाव परीक्षण के परिणाम की चर्चा, संभावित कार्रवाई का आकलन और दबाव परीक्षण के परिणामों के आधार पर निर्णय लेने में बांड और वरिष्ठ प्रबंध की भूमिका स्पष्ट की जाएगी । इस खंड में त्रुटिहीन भविष्यमुखी दबाव परीक्षक का वर्णन किया जाएगा जो बाजार परिस्थितियों की ऐसी संभव घटनाओं या परिवर्तनों की पहचान करेगा जो बैंक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक संबंधित संवेदनशीलता की पहचान करने में बैंकों के बदाव परीक्षण कार्यक्रम की प्रभावशालिता का मूल्यांकन करेगा।

V.6 <u>सुदृढ पारिश्रमिक प्रथाएं</u>

इस खंड में बैंक की पारिश्रमिक प्रथाओं का वर्णन किया जाएगा तथा यह स्पष्ट किया जाएगा कि पारिश्रमिक प्रथाएं फर्म के दीर्घकालिक पूंजी संरक्षण और वित्तीय सुदृढ़ता से किस प्रकार संबद्ध हैं । इस खंड में कर्मचारियों के जोखिम समायोजित कार्य निष्पादन माप की गणना और पारिश्रमिक के साथ उसके संबंध को स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाना चाहिए ।

VI. <u>प्रमुख संवेदनशीलताएं तथा भावी परिस्थितियां</u>

इस भाग में आर्थिक मंदी अथवा व्यवसाय चक्र अथवा उसके कार्यों से संबंधित बाजारों में गिरावट का बैंक पर जो असर पड़ेगा उसे स्पष्ट किया जाएगा । भारतीय रिज़र्व बैंक यह जानना चाहेगा कि कोई बैंक अपना व्यवसाय तथा पूंजी का प्रबंध कैसे करेगा ताकि न्यूनतम विनियामक मानको को पूर्ण करते हुए वह मंदी का सामना कर सकेगा। विश्लेषण में व्यवसाय योजनाओं तथा शोध क्षमता अभिकलनों के आधार पर तीन से पांच वर्ष के लिए भावी वित्तीय पूर्वानुमान शामिल होंगे।

इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए जिस मंदी की गणना की गई है उसकी गंभीरता सामान्यतः 25 वर्ष की अवधि में केवल एक बार होने वाली हो। समय अवधि होगी आइसीएएपी अभिकलन की तारीख से कम-से-कम परिकल्पित मंदी की सबसे अधिक तीव्रता के समय तक।

सामान्यतः इन परिदृश्यों में निम्नलिखित शामिल होगा :

- किसी आर्थिक गिरावट से निम्नलिखित पर क्या असर होगा :
- बैंक की पूंजीगत निधियां तथा भावी उपार्जन; तथा
- बैंक के अनुमानित तुलन पत्र में भावी परिवर्तनों को ध्यान में लेते हुए बैंक का सीआरएआर
- दोनों मामलों में बेहतर होगा यदि इन अनुमानों में बैंक की व्यावसायिक कार्यनीति को बदलने की प्रबंध तंत्र की कार्रवाईयों तथा आकस्मिकता योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रभावों को अलग से दर्शाया जाए।
- भावी सीआरएआर के अनुमानों में बैंक की ऋण जोखिम काउंटरपार्टियों की ऋण गुणवत्ता में (जिसमें मंदी के दौरान उनकी रेटिंग में अंतरण शामिल है) तथा बैंक की पूंजी तथा उसकी ऋण जोखिम पूंजी अपेक्षा में हुए परिवर्तनों के परिणाम शामिल होंगे ।
- बैंक द्वारा अपनी संबंधित कंपनियों अथवा नए शेयर निर्गमों से पूंजी वृद्धि करने जैसे कोई अन्य पूंजी आयोजन कार्रवाईयों का मूल्यांकन ताकि वह मंदी की संपूर्ण अवधि के दौरान अपनी विनियामक पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करना जारी रख सके ।

- इस भाग में यह स्पष्ट किया जाएगा कि कौनसे मुख्य समष्टि आर्थिक तत्वों पर जोर दिया जा रहा है और बैंक के उपार्जनों के प्रमुख द्योतकों के रूप में उनका निर्धारण कैसे किया गया है। बैंक दोनों के बीच के संबंध कों किस तरह स्थापित किया गया है उसे सिद्ध करके यह भी स्पष्ट करेगा कि समष्टि आर्थिक तत्वों का आंतरिक मॉडेल के मुख्य मानदंडों पर क्या असर होगा।

प्रबंध तंत्र की कार्रवाईयां

इसमें आइसीएएपी की व्युत्पत्ति में परिकल्पित प्रबंधतंत्र की कार्रवाईयों को विशेष रूप से निम्नलिखित को विस्तारपूर्वक दिया जाएगा :

- प्रबंधतंत्र की कार्रवाईयों का मात्रात्मक प्रभाव - इसमें प्रबंधतंत्र की प्रमुख कार्रवाईयों के संवेदनशीलता परीक्षण तथा प्रबंधतंत्र की कार्रवाईयों के साथ संशोधित आइसीएएपी आंकड़े शामिल नहीं किए जाएंगे।
- समान प्रकार के आर्थिक दबाव की अवधियों के दौरान पूर्व में कार्यान्वित की गई प्रबंधतत्र की कार्रवाईयों की साक्ष्य।

VII. <u>एकत्रीकरण तथा विविधिकरण</u>

इस भाग में यह बताया जाएगा कि विभिन्न जोखिम मूल्यांकनों के परिणामों को कैसे एकत्रित किया जाता है और पूंजी पर्याप्तता पर समग्र निर्णय लिया जाता है। अतः तकनीकी स्तर पर इसके लिए कुछ उचित मात्रात्मक तकनीकों का प्रयोग करते हुए विभिन्न जोखिमों को संयोजित करने के लिए कुछ पद्धति आवश्यक होगी। व्यापक स्तर पर, मात्रात्मक रूप देने के विस्तृत दृष्टिकोणों के समग्र औचित्य की पूंजी आयोजना के विश्लेषण के निष्कर्षों के साथ तुलना की जा सकती है और वरिष्ठ प्रबंधतंत्र उचित समझे गए पूंजी के समग्र स्तर के संबंध में निर्णय ले सकता है।

- तकनीकी एकत्रीकरण की प्रक्रिया देते समय निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाए :

i) विविधीकरण के लिए रखी गई कोई अतिरिक्त छूट जिसमें जोखिमों के भीतर तथा जाखिमों के बीच कल्पित सहसंबंध तथा ऐसे सहसंबंधों का मूल्यांकन तथा दबाव की स्थितियों में भी वह मूल्यांकन कैसे किया गया है , शामिल होगा।

ii) विधिक संस्थाओं के बीच विविधीकरण लाभों के लिए लिए गए ऋण का औचित्य तथा वित्तीय दबाव की स्थिति में उनके बीच पूंजी की निर्बाध आवाजादी, यदि कोई कल्पित हो, का औचित्य;

iii) विविधीकरण लाभों का प्रभाव जिसमें प्रबंधतंत्र की कार्रवाईयों को शामिल नहीं किया गया है। आइसीएएपी के संशोधित आंकड़ों की गणना करते समय यह सहायक होगा कि सभी सहसंबंधों को `1' अर्थात् विविधीकरण रहित, माना जाए तथा वही आंकड़ों की गणना में सभी सहसंबंध `0' अर्थात् यह कल्पना करते हुए कि सभी जोखिम स्वतंत्र हैं अर्थात् पूर्ण विविधिकरण माना जाए।

- समग्र मूल्यांकन के संबंध में, उसमें यह दिया जाए कि बैंक को आवश्यक पूंजी के समग्र मूल्यांकन की बैंक ने गणना कैसे की है और उसके लिए निम्नलिखित मामलों को ध्यान में लिया जाए :

i) किसी भी मॉडेलिंग दृष्टिकोण में अंतरनिहित अनिश्चितता;

ii) बैंक के जोखिम प्रबंधन क्रियाविधियों, प्रणालियों अथवा नियंत्रणों में खामियां;

iii) विनियमक पूंजी तथा आंतरिक पूंजी के बीच की भिन्नताएं; तथा

iv) पूंजी के विभिन्न प्रयोजन; शेयरधारक चुकौतियां, संपूर्ण बैंक के लिए अथवा बैंक द्वारा जारी कुछ लिखतों के लिए रेटिंग संबंधी उद्देश्य, विनियामक हस्तक्षेप से बचना, अनिश्चित घटनाओं से सुरक्षा, जमाकर्ता सुरक्षा, कार्यकारी पूंजी, कार्यनीति अर्जनों के लिए धारित पूंजी आदि।

VIII. <u>आइसीएएपी का परीक्षण तथा उसे अपनाना</u>

इस भाग में आइसीएएपी के प्रति प्रकट आपत्तियों तथा परीक्षण की सीमा को व्यक्त किया जाएगा। अतः उसमें आइसीएएपी मॉडेलों तथा अभिकलनों पर लागू की गयी परीक्षण तथा नियंत्रण प्रक्रियाओं को शामिल किया जाएगा। उसमें बोर्ड अथवा वरिष्ठ प्रबंधतंत्र द्वारा परीक्षण के परिणामों की समीक्षा की प्रक्रिया तथा उनके अनुमोदन को भी दिया जाएगा। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे गए आइसीएएपी दस्तावेज से बैंक के बोर्ड अथवा वरिष्ठ प्रबंधतंत्र के समक्ष रखी कोई भी संबंधित रिपोर्ट की प्रति, उस पर उनकी प्रतिक्रिया सहित संलग्न की जा सकती है।

परीक्षण प्रक्रिया के दौरान , उदाहरण के लिए आर्थिक परिदृश्यों को तैयार करने के लिए, किसी बाहरी सेवा प्रदाताओं अथवा परामर्शदाताओं पर बैंक की निर्भरता को भी यहां बताया जाए।

इसके अलावा, किसी बाहरी समीक्षक अथवा आंतरिक लेखापरीक्षा से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई हो तो उसकी प्रति भी भारिबैं को भेज दें।

IX. <u>बैंक में आइसीएएपी का प्रयोग</u>

इसमें पूंजी प्रबंधन की संकल्पना बैंक में कितनी रच-बस गई है -इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। साथ ही, बैंक की पूंजी प्रबंधन नीति में पूंजी मॉडेलिंग अथवा सिनॅरियो विश्लेषणों तथा दबाव परीक्षण के प्रयोग तथा सीमा संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। उदाहरण के लिए कीमतों तथा प्रभारों तथा भावी व्यवसाय के स्तर तथा स्वरूप को निर्धारित करने में आइसीएएपी का प्रयोग इसका संकेतक हो सकता है।

इस भाग में इसमें पूंजी प्रबंधन पर बैंक का वास्तविक परिचालनगत तत्व तथा प्रस्तुत आइसीएएपी दस्तावेज के साथ उसकी अनुरूपता संबंधी विवरण भी शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आइसीएएपी दस्तावेज को तैयार करने में प्रयोग में लाई गई जोखिम लेने की अभिलाषा की तुलना में व्यवसायिक निर्णयों के लिए प्रयोग में लाई गयी जोखिम लेने की अभिलाषा के बीच के अंतरों पर चर्चा की जा सकती है।

अंत में, बैंक द्वारा आइसीएएपी दस्तावेज की समीक्षा करने में भारतीय रिज़र्व बैंक को सहायक समझी गई कोई अन्य जानकारी के अलावा बैंक आइसीएएपी में परिकल्पित प्रत्याशित भावी परिशुद्धताओं के ब्यौरे (जो कार्य चल रहें है उन पहलुओं को विशिष्ट रूप से व्यक्त किया जाए) भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुबंध 15

शब्दावली

1.	**परिसंपत्ति/आस्ति**	किसी व्यक्ति अथवा कारोबार के स्वामित्व वाली कोई भी ऐसी वस्तु जिसका मूल्य है, परिसंपत्ति अथवा आस्ति कहलाती है।
	बिक्री के लिए उपलब्ध	बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियां वे प्रतिभूतियां हैं जहां बैंक का उद्देश्य न तो व्यापार का है न ही परिपक्वता तक धारण करने का। इन प्रतिभूतियों को उचित मूल्य पर मूल्यन किया जाता है। यह उचित मूल्य चालू बाज़ार भाव अथवा चालू मूल्य से संबंधित अन्य आंकड़ों के उपलब्ध सर्वोत्तम स्रोत के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
	तुलन पत्र	तुलन पत्र किसी विशिष्ट समय पर अभिलेखबद्ध किसी व्यापारी संस्था की आस्तियों तथा देयताओं का वित्तीय विवरण है।
	बैंकिंग बही	बैंकिंग बही में ऐसी आस्तियां तथा देयताएं होती हैं जिन्हें मूलतः संबंधों के कारण अथवा नियमित आय तथा सांविधिक बाध्यताओं के लिए संविदाकृत किया जाता है और सामान्यतः परिपक्वता तक रखा जाता है ।
	बासल पूंजी समझौता	बासल पूंजी समझौता विभिन्न देशों में कार्यरत बैंकों के लिए मानकीकृत जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं को विकसित करने के लिए 1988 में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के बीच किया गया एक करार है। इस समझौते के स्थान पर जून 2004 में प्रकाशित नया पूंजी पर्याप्ता ढांचा (बासल II) लाया गया। बासल II आपस में एक दूसरे को सुदृढ़ करने वाले ऐसे तीन स्तंभों पर आधारित है जो बैंकों तथा पर्यवेक्षकों को बैंकों के समक्ष विभिन्न जोखिमों का सही मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं। ये तीन स्तंभ निम्नानुसार हैं : • न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं, जो वर्तमान मापन ढांचे को और परिष्कृत करने का प्रयास करती हैं। • किसी संस्था की पूंजी पर्याप्तता तथा आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया की पर्यवेक्षी समीक्षा ;

		• सुरक्षित तथा सुदृढ़ बैंकिंग प्रथाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रभावी प्रकटीकरण के माध्यम से बाजार अनुशासन
	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति	बासल समिति, बैंक पर्यवेक्षकों की ऐसी समिति है जिसमें जी-10 देशों में से प्रत्येक देश के सदस्य शामिल हैं। यह समिति विशिष्ट पर्यवेक्षी समस्याओं के निपटान पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच है। यह समिति बैंकों के विश्व व्यापी गतिविधियों का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों के विदेशी प्रतिष्ठानों के संबंध में राष्ट्रीय प्राधिकरणों के बीच पर्यवेक्षी जिम्मेदारियों को आपस में बांटने के लिए समन्वय करती है।
	मूल संकेतक दृष्टिकोण	बासेल II के अंतर्गत अनुमत परिचालनगत जोखिम की माप की तकनीक है। यह दृष्टिकोण एकल संकेतक के सुनिश्चित प्रतिशत (अल्फा फैक्टर) के रूप में परिचालनगत जोखिम के लिए भार निर्धारित करता है। यह संकेतक बैंक के जोखिम एक्सपाज़र के लिए परोक्षी (प्रोक्सि) का कार्य करता है।
	आधार जोखिम	विभिन्न आस्तियों, देयताओं तथा तुलन पत्र से इतर मदों की ब्याज दर अलग-अलग परिमाण में परिवर्तित हो सकने के जोखिम को आधार जोखिम कहते हैं।
	पूंजी	कारोबार चलाने, निवेश करने तथा भावी आय निर्माण करने के लिए उपलब्ध निधियों (उदा. मुद्रा, ऋण तथा ईक्विटी) को पूंजी कहते हैं। पूंजी उन भौतिक आस्तियों को भी कहते हैं जिनका उपयोग भावी आय निर्माण करने के लिए किया जाता है।
	पूंजी पर्याप्तता	किसी संस्था की वर्तमान देयताओं की तुलना में तथा उसकी आस्तियां से संबद्ध जोखिमों की तुलना में उसके पूंजीगत संसाधनों की पर्याप्तता की माप। पूंजी पर्याप्तता का उचित स्तर यह सुनिश्चित करता है कि किसी संस्था के पास उसकी गतिविधियों के समर्थन के लिए पर्याप्त पूंजी है तथा उसकी निवल मालियत उसकी आस्तियों के मूल्य में होनेवाले प्रतिकूल परिवर्तनों को दिवालिया न होते हुए आत्मसात करने के लिए पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, बीआइएस (बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट्स) के नियमों के अंतर्गत

		बैंकों को अपने जोखिम समायोजित आस्तियों के लिए पूंजी का एक निर्धारित स्तर बनाए रखना अपेक्षित है।
	पूंजी आरक्षित निधियां	कंपनी के लाभों का वह हिस्सा जिसका शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान नहीं किया गया है। उन्हें अवितरणीय आरक्षित निधि भी कहा जाता है।
	परिवर्तनीय बॉण्ड	ऐसा बॉण्ड जो निवेशक को निश्चित परिवर्तन कीमत पर अथवा पूर्व-निर्धारित कीमत निर्धारण फॉर्म्यूला के अनुसार बॉण्ड को ईक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प देता है।
	स्थायी पूंजी	टीयर 1 पूंजी को सामान्यतः स्थायी पूंजी कहा जाता है।
	ऋण जोखिम	यह जोखिम कि संविदात्मक करार अथवा लेनदेन करनेवाली कोई पार्टी, अपनी बाध्यताएं पूर्ण नहीं कर सकेगी अथवा बाध्यताएं पूर्ण करने में चूक करेगी। ऋण जोखिम लगभग किसी भी लेनदेन अथवा लिखत, यथा स्वैप्स, रिपो, सीडी, विदेशी मुद्रा लेनदेन आदि से संबद्ध हो सकता है। विशिष्ट प्रकार के ऋण जोखिमों में सम्प्रभु (सोवरिन) जाखिम, देश जोखिम, विधिक अथवा नियंत्रण से बाहर वाला जोखिम, सीमांत (मार्जिनल) जोखिम तथा निपटान जोखिम शामिल हैं।
	डिबेंचर	कंपनी द्वारा जारी किए गए ऐसे बांड जिनपर समान्यतः विनिर्दिष्ट तारीखों को छमाही आधार पर नियत ब्याज दर देय होता है तथा जिनकी मूल राशि की डिबेंचर के मोचन पर किसी विनिर्दिष्ट तारीख को चुकौती की जाती है ।
	आस्थगित कर आस्तियां	अनवशोषित मूल्यहास तथा अगले लाभ से घाटे की पूर्ति, जिसे भावी कर योग्य आय के प्रति प्रतिसंतुलित किया जा सकता है और जिसे समय निर्धारण में अंतर माना जाता है, आस्थगित कर आस्तियां माना जाता है। आस्थगित कर आस्तियों का लेखांकन मानक 22 के अनुसार लेखांकन किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों से भावी आय कर भुगतान कम हो जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे पूर्वदत्त आय कर हैं और आस्तियों की परिभाषा पूर्ण करते हैं। इसके विपरीत आस्थगित कर देयताओं

		से भावी वर्ष के आय कर भुगतान में वृद्धि होती है, जिसका अर्थ है कि वे उपचित आय कर हैं और देयताओं की परिभाषा पूर्ण करते हैं।
	डेल्टा (Δ)	किसी ऑप्शन या ऑप्शनों के पोर्टफोलियो का डेल्टा ऑप्शन (ऑप्शनों) की अंतनिर्हित आस्ति (आस्तियों) के मूल्य में परिवर्तन की तुलना में ऑप्शन/पोर्टफोलियो के मूल्य में परिवर्तन की दर है ।
	डेरिवेटिव	कोई भी डेरिवेटिव लिखत अपना ज्यादातर मूल्य किसी आधारभूत उत्पाद से प्राप्त करता है। डेरिवेटिव के उदाहरणों में फ्यूचर्स, ऑप्शन्स, फॉर्वर्डस् तथा स्वैप्स शामिल होते है। उदाहरण के लिए एक वायदा संविदा हाज़िर मुद्रा बाज़ार तथा उधार लेने तथा देने के लिए हाज़िर बाज़ारों से व्युत्पन्न की जा सकती है। पूर्व में डेरिवेटिव लिखत ज्यादातर केवल उन उत्पादों तक सीमित थे, जिन्हें हाज़िर बाज़ारों से व्युत्पन्न किया जा सकता था। तथापि, आज यह शब्द किसी भी ऐसे उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिसे किसी अन्य उत्पाद से व्युत्पन्न किया जा सकता है।
	अवधि (ड्यूरेशन)	अवधि (मैकॅले अवधि) नियत आय प्रतिभूतियों की मूल्य अस्थिरता की माप करती है। यह अक्सर विभिन्न कूपनों तथा विभिन्न परिपक्वताओं वाली प्रतिभूतियों के बीच ब्याज दर जोखिम की तुलना में प्रयोग में लाया जता है। यह किसी नियत आय प्रतिभूति से संबद्ध सभी नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य का भारित औसत है। इसे वर्षों में अभिव्यक्त किया जाता है। नियत आय प्रतिभूति की अवधि हमेशा उसकी परिपक्वता की अवधि से कम होती है।केवल शून्य प्रतिभूतियों के मामले में अवधि और परिपक्वता अवधि समान होती है।
	विदेशी संस्थागत निवेशक	भारत के बाहर स्थापित अथवा निगमित कोई संस्था जिसका भारत में प्रतिभूतियों में निवेश करने का प्रस्ताव हैं, बशर्ते कोई देशी आस्ति प्रबंधन कंपनी अथवा देशी संविभाग प्रबंधक जो किसी उप-खाते की ओर से, भारत में निवेश के लिए भारत के बाहर से जुटाई अथवा एकत्रित अथवा लाई गयी निधियों का प्रबंधन करता है, को विदेशी संस्थागत निवेशक समझा जाएगा।

	वायदा संविदा	एक वायदा संविदा दो पार्टियों के बीच सहमत भावी तारीख को सुपुर्दगी के लिए किसी सहमत मूल्य पर किसी वस्तु अथवा वित्तीय लिखत की सहमत मात्रा को खरीदने अथवा बेचने का करार है। फ्युचर्स संविदा के विपरीत, एक वायदा संविदा हस्तांतरणीय नहीं है अथवा उसकी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद-बिक्री नहीं हो सकती, उसकी शर्तें मानक नहीं हैं और किसी भी मार्जिन का लेनदेन नहीं होता है। वायदा संविदा के खरीदार को लॉंग द कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और बेचने वाले को शार्ट द कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं।
	गामा (Γ)	किसी ऑप्शन/ऑप्शनों के पोर्टफोलियो का गामा ऑप्शन (ऑप्शनों) की अंतर्निहित आस्ति (आस्तियों) के मूल्य में परिवर्तन की तुलना में ऑप्शन/पोर्टफोलियो के डेल्टा में परिवर्तन की दर है।
	सामान्य प्रावधान तथा हानि आरक्षित निधि	ऐसी निधियां जो किसी विशिष्ट आस्ति के मूल्य में वास्तविक गिरावट अथवा इंगित करने योग्य संभाव्य हानि के लिए न हो और अप्रत्याशित हानि को पूरा करने के लिए उपलब्ध हो तो उन्हें टीयर II पूंजी में शामिल किया जा सकता है।
	सामान्य बाज़ार जोखिम	वह जोखिम जो समग्र बाज़ार परिस्थितियों से संबंधित है, जबकि विशिष्ट जोखिम वह जोखिम है जो किसी विशिष्ट प्रतिभूति के जारीकर्ता से संबंधित है।
	प्रतिरक्षा या बचाव (हेजिंग)	जोखिम के प्रति एक्सपाज़र को हटाने अथवा कम करने के लिए कोई कदम उठाना।
	खरीद-बिक्री के लिए धारित	ऐसी प्रतिभूतियां जहाँ मूल्य/ब्याज दर में अल्पावधि उतार-चढ़ावों का लाभ उठाते हुए खरीद-बिक्री करने का उद्देश्य है।
	क्षैतिज अस्वीकृति (हॉरिज़ॉंटल डिजएलाउंस)	अपेक्षित पूंजी में प्रतिसंतुलन करने की अस्वीकृति जिसका उपयोग विनियामक पूंजी के लिए बाज़ार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बीआइएस पद्धति में किया जाता है। ट्रेडिंग संविभाग पर ब्याज दर जोखिम के लिए अपेक्षित पूंजी के अभिकलन के लिए बीआइएस पद्धति में लॉंग तथा शार्ट पोज़िशन्स का प्रतिसंतुलन अनुमत है। फिर भी प्रतिफल वक्र के विभिन्न क्षैतिज बिंदुओं पर लिखतों के ब्याज दरों का जोखिम पूर्णतः सहसंबंधित नहीं है। इसलिए,

		बीआइएस पद्धति में इन प्रतिसंतुलनों के कुछ हिस्से को अस्वीकृत किया जाता है ।
	सम्मिश्र ऋण पूंजी लिखत	इस संवर्ग में ऐसे कई पूंजी लिखत है जिनमें ईक्विटी तथा ऋण के कुछ वैशिष्ट्यों का संयोग होता है। प्रत्येक की एक खास विशेषता होती है जिसका पूंजी के रूप में उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। जहां इन लिखतों में ईक्विटी के जैसी समानताएं है, विशेषतः जब वे परिसमापन को रोककर निरंतर आधार पर हानियों का समर्थन कर सकते हों तो उन्हें टीयर II पूंजी में शामिल किया जा सकता है।
	ब्याज दर जोखिम	यह जोखिम कि ब्याज दरों में उतार-चढ़ावों के कारण आस्तियों अथवा देयताओं (अथवा आगमनों /बहिर्गमनों) के वित्तीय मूल्य में परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए यह जोखिम कि भावी निवेश निम्नतर दरों पर करने होंगे अथवा भावी उधार उच्चतर दरों पर लेने होंगे।
	लॉंग पोज़िशन	लॉंग पोज़िशन उस स्थिति (पोज़िशन) को कहते हैं जहां आधारभूत प्रतिभूति के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण लाभों में वृद्धि होती है।
	बाज़ार जोखिम	किसी लेनदेन अथवा समझौते में निर्धारित दरों अथवा कीमतों की अपेक्षा बाज़ार कीमतों अथवा दरों में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि का जोखिम।
	आशोधित अवधि	आशोधित अवधि अथवा किसी ब्याज वाहक प्रतिभ्झाति की अस्थिरता उसकी मैकॉल अवधि को प्रतिभूति की कूपन दर जोड़ एक से भाग देकर प्राप्त की जाती है। यह प्रतिफल में हुए 100 आधार अंकों के परिवर्तन के लिए प्रतिभूति की कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है। यह सामान्यतः केबल प्रतिफल में अल्प परिवर्तनों के मामले में सही होती है। $MD = -\frac{dP}{dY}.\frac{1}{P}$ जहां

		एमडी = आशोधित अवधि पी = सकल कीमत (अर्थात् स्पष्ट कीमत जोड़ उपचित ब्याज) डीपी = कीमत में तदनुरूप अल्प परिवर्तन डीवाई = प्रतिफल में अल्प परिवर्तन के साथ कूपन भुगतान की बारंबारता।
	बंधक-समर्थित प्रतिभूति	एक बॉण्ड जैसी प्रतिभूति जिसमें बंधकों के समूह द्वारा संपार्श्विक प्रदान किया जाता है। आधारभूत बंधकों से प्राप्त आय का ब्याज तथा मूलधन की चुकौतियों के लिए उपयोग किया जाता है।
	म्युच्युअल फंड	म्युच्युअल फंड, निवेशकों को यूनिट जारी करके संसाधनों को एकत्रित करने तथा प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट किए गए उद्देश्यों के अनुसार प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करने का एक तंत्र है। यह मुद्रा बाज़ार लिखतों सहित प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए एक अथवा उससे अधिक योजनाओं के अंतर्गत आम लोगों अथवा उनके एक वर्ग को यूनिटों की बिक्री के माध्यम से धन राशि जुटाने के लिए न्यास के रूप में स्थापित निधि है ।
	निवल ब्याज मार्जिन	निवल ब्याज मार्जिन है औसत ब्याज अर्जक आस्तियों द्वारा विभाजित निवल ब्याज आय।
	निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए)	निवल एनपीए = सकल एनपीए - (ब्याज उचंत खाते में शेष + समायोजन होने तक प्राप्त तथा धारित डीआइसीजीसी/ ईसीजीसी दावे + उचंत खाते में रखा गया प्राप्त आंशिक भुगतान + धारित कुल प्रावधान)
	नॉस्ट्रो खाते	विदेशी मुद्रा निपटान खाते जो एक बैंक अपने विदेशी प्रतिनिधि बैंकों के पास रखते हैं। ये खाते देशी बैंक की आस्तियां हैं।
	तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र	तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र बैंक की उन व्यवसायिक गतिविधियों को कहा जाता है जिनमें सामान्यतः आस्तियों (ऋण) को दर्ज करना तथा जमाराशियां स्वीकार करना शामिल नहीं होता। तुलन-पत्रेतर गतिविधियों से सामान्यतः शुल्क मिलता है लेकिन उनसे आस्थगित अथवा आकस्मिक देयताएं अथवा आस्तियां निर्माण होती है और इसलिए वे वास्तविक आस्तियां अथवा देयताएं बनने तक संस्था के

		तुलन पत्र में प्रकट नहीं होती हैं।
	ओपन पोज़िशन	किसी लिखत अथवा पण्य में देय तथा प्राप्य राशियों के बीच का निवल अंतर ओपन पोजिशन है । यह अंतर किसी लिखत अथवा पण्य में निवल लाँग अथवा निवल शॉर्ट पोज़िशन के आस्तित्व के कारण निर्माण होता है।
	ऑप्शन	ऑप्शन एक ऐसी संविदा है जो खरीदार को सहमत तारीख (समाप्ति अथवा निपटान की तारीख) को अथवा उससे पूर्व सहमत दर (निष्पादन दर) पर किसी आस्ति, पण्य, मुद्रा अथवा वित्तीय लिखत को खरीदने (कॉल ऑप्शन) अथवा बेचने (पुट ऑप्शन) का अधिकार प्रदान करता है लेकिन उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता है। खरीदार बिक्रीकर्ता को इस अधिकार के बदले में एक रकम जिसे प्रीमियम कहा जाता है, अदा करता है। यह प्रीमियम ऑप्शन का मूल्य है।
	आरएचओ (p)	किसी ऑप्शन/ऑप्शनों के पोर्टफोलियो का आरएचओ ब्याज दरों के स्तर में परिवर्तन की तुलना में ऑप्शन/पोर्टफोलियो के मूल्य में परिवर्तन की दर है ।
	जोखिम	अपेक्षित परिणाम घटित न होने की संभावना । जोखिम की माप की जा सकती और वह अनिश्चितता के समान नहीं है जिसकी माप नहीं की जा सकती है। वित्तीय संदर्भ में जोखिम का अर्थ होता है वित्तीय हानि की संभावना। इसे ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
	जोखिम आस्ति/ परिसंपत्ति अनुपात	बैंक का जोखिम आस्ति अनुपात बैंक की जोखिम आस्तियों का उसकी पूंजीगत निधियों के प्रति अनुपात होता है । जोखिम आस्तियों में उच्च श्रेणी निर्धारित सरकारी आस्तियों तथा सरकारी एजेंसियों की बाध्यताओं तथा नकद राशि से इतर आस्तियां शामिल की जाती हैं - उदाहरण के लिए कंपनी बांड तथा ऋण। पूंजीगत निधियों में पूंजी तथा अवितरित आरक्षित निधियां शामिल होती हैं । जोखिम आस्ति अनुपात जितना कम होता है उतना ही बैंक का `पूंजी समर्थन' बेहतर होता है ।

	जोखिम भार	बासल II में बाध्यताधारियों के ऋण जोखिम की माप के लिए जोखिम भारांकन अनुसूची निर्धारित की गयी है । सम्प्रभुओं, वित्तीय संस्थाओं तथा निगमों को बाहरी श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा दिए गए रेटिंग से यह जोखिम भार जुड़ा होता है।
	प्रतिभूतीकरण	प्रतिभूतीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समान ऋण लिखत/ आस्तियों को एकत्रित किया जाता है और उन्हें बाजार में बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जाता है ताकि बेचा जा सके । ऋण प्रतिभूतीकरण की प्रक्रिया बैंकों द्वारा अपने पूंजी आस्ति अनुपातों को सुधारने के लिए अपनी आस्तियों को तुलन पत्र से हटाने के लिए प्रयोग में लायी जाती है ।
	शॉर्ट पोज़िशन	शॉर्ट पोज़िशन उस स्थिति (पोजिशन) को कहा जाता है जहां आधारभूत प्रतिभूति अथवा उत्पाद के मूल्य में हुई गिरावट से लाभ होता है। बिक्रीकर्ता के पास लॉंग पोजिशन न होते हुए भी प्रतिभूति की बिक्री करने को भी शॉर्ट पोजिशन कहते हैं।
	विशिष्ट जोखिम	बाज़ार जोखिमों पर बीआइएस के प्रस्तावों के ढांचे के भीतर, किसी बाज़ार अथवा बाज़ार क्षेत्र (सामान्य जोखिम) से संबद्ध जोखिम के विपरीत किसी खास प्रतिभूति, जारीकर्ता अथवा कंपनी से संबद्ध जोखिम को विशिष्ट जोखिम कहा जाता है ।
	गौण ऋण	गौण ऋण, ऋण की स्थिति दर्शाता है । ऋणकर्ता के दिवालिया होने अथवा परिसमापन की स्थिति में गौण ऋण की चुकौती अन्य ऋणों की चुकौती के बाद ही की जा सकती है । चुकौती के लिए उसका दावा गौण होता है ।
	थीटा (θ)	किसी ऑप्शन/ऑप्शनों के पोर्टफोलियो का थीटा सभी अन्य घटकों के पूर्ववत बने रहने पर समय बीतने के साथ ऑप्शन/ऑप्शनों के मूल्य में परिवर्तन की दर है । इसे ऑप्शन का "काल क्षरण" भी कहा जाता है ।
	टीयर वन (अथवा टीयर I) पूंजी	विनियामक पूंजी के एक घटक को टीयर I पूंजी कहते है। उसमें मुख्यतः शेयर पूंजी तथा प्रकट आरक्षित निधि (साख (गुडविल) यदि हो को घटाकर) शामिल होती है। टीयर I की मदें उच्चतम गुणवत्ता

		की समझी जाती हैं क्योंकि वे हानियों के समर्थन के लिए पूर्णतः उपलब्ध होती हैं। बासल II में परिभाषित पूंजी की अन्य श्रेणियां हैं टीयर II (अथवा अनुपूरक) पूंजी तथा टीयर II (अथवा अतिरिक्त अनुपूरक) पूंजी ।
	टीयर टू (अथवा टीयर II) पूंजी	यह विनियामक पूंजी का एक घटक है। इसे अनुपूरक पूंजी भी कहा जाता है और इसमें कुछ आरक्षित निधियां तथा गौण ऋण के कुछ प्रकार शामिल होते हैं। बैंक की गतिविधियों से होने वाली हानियों को आत्मसात करने में जहां तक टीयर II मदों का प्रयोग किया जा सकता है उस हद तक वे विनियामक पूंजी होती हैं। टीयर II पूंजी की हानि आत्मसात करने की क्षमता टीयर I पूंजी से कम होती है।
	खरीद-बिक्री (ट्रेडिंग) बही	दीर्घावधि निवेश के लिए रखी जाने वाली प्रतिभूतियों के विपरीत अल्पावधि खरीद-बिक्री के प्रयोजन के लिए धारित वित्तीय लिख्तों की बही को खरीद-बिक्री बही अथवा संविभाग कहा जाता है। खरीद-बिक्री बही का संबंध उन आस्तियों से है, जिन्हें मुख्यतः कीमतों /प्रतिफलों में अल्पावधि अंतरों पर लाभ कमाने के लिए धारित किया जाता है। खरीद-बिक्री बही में बैंकों के लिए कीमत जोखिम मुख्य चिन्ता है।
	हामीदारी	सामान्यतः, हामीदारी देने का अर्थ है कुछ शुल्क के बदले में जोखिम का दायित्व लेना। उसके दो सबसे समान्य संदर्भ हैं: क) प्रतिभूतियां : कोई व्यापारी अथवा निवेश बैंक, जारीकर्ता से प्रतिभूतियों का नया निर्गम खरीदने और निवेशकों को इन प्रतिभूतियों को वितरित करने के लिए तैयार होता है। हामीदार एक व्यक्ति अथवा किसी हामीदारी समूह का एक भाग हो सकता है। अतः जारीकर्ता के पास अनबिकी प्रतिभूतियां रहने का कोई जोखिम नहीं रहता है। ख) बीमा: कोई व्यक्ति अथवा कंपनी प्रीमियम कहे जानेवाले शुल्क के लिए आग, चोरी, मृत्यु, असमर्थता आदि के जोखिम के समक्ष वित्तीय मुआवजा देने के लिए सहमत हो जाती है।
	जोखिम मूल्य	यह बाजार जोखिम के प्रति एक्सपोज़र के अभिकलन तथा नियंत्रण

	(वीएआर)	की पद्धति है। वीएआर एकल अंक (मुद्रा की राशि) है जो निर्धारित समयावधि (धारण अवधि) के दौरान तथा निर्धारित आत्म विश्वास के स्तर पर किसी संविभाग की अधिकतम अपेक्षित हानि का अनुमान लगाता है।
	वेगा (v)	किसी ऑप्शन/ऑप्शनों के पोर्टफोलियो का वेगा ऑप्शन (ऑप्शनों) की अंतर्निहित आस्ति (आस्तियों) की अस्थिरता की तुलना में ऑप्शन/पोर्टफोलियो के मूल्य में परिवर्तन की दर है ।
	जोखिम पूंजी निधि	ऐसे नये कारोबारों में निवेश करने के प्रयोजन वाली निधि, जिनकी संवृद्धि की उत्तम संभावनाएं है लेकिन जिनकी पूंजी बाज़ारों में पहुंच नहीं है।
	वर्टिकल डिसॅलाउऍन्स	बाज़ार जोखिम के लिए आवश्यक विनियामक पूंजी निर्धारित करने के लिए बीआइएस पद्धति में अलग-अलग ऋण जोखिम वाली प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल वक्र में एक ही टाइम बैंड में दो या अधिक प्रतिभूतियों में शॉर्ट पोजिशन द्वारा किसी लांग पोजिशन के सामान्य जोखिम प्रभार को प्रति-संतुलित किये जाने की अस्वीकृति को वर्टिकल डिसॅलाउऍन्स कहा जाता है ।

अनुबंध - 16

(देखें आवरक परिपत्र का पैरा 3)

इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

(मूल परिपत्र 27 अप्रैल 2007 का बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 90/20.06.001/2006-07)

क्रम सं.	परिपत्र सं.	समेकित परिपत्र का पैरा/ प्रावधान	विषय	मास्टर परिपत्र का पैरा सं.
1	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 42/21.01.002/2007-08 दिनांक 29 अक्तूबर 2007	अनुबंध पैरा 1.1	विनियामक पूंजी के भाग के रूप में अधिमान शेयर जारी करने से संबंधित दिशानिर्देश	4.2.5 (II) और (III)
2	-वही-	पैरा 1	- वही-	4.3.3
3	बैंपविवि.सं. 67/20.06.001/ 2007-08 दिनांक 31 मार्च 2008	क्रमांक सं 1 अनुबंध	पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन - संशोधन	4.3.5
4	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 88/21.06.001/2007-08 दिनांक 30 मई 2008	2.2	पूंजी पर्याप्तता मानदंड - बैंकों का सहायक/सहयोगी कंपनियों में निवेश तथा मूल बैंक में सहायक/सहयोगी कंपनियों के निवेश पर कार्रवाई	4.4.10
5	बैंपविवि.सं. 67/20.06.001/ 2007-08 दिनांक 31 मार्च 2008	क्रमांक सं 3 अनुबंध	पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन - संशोधन	5.2.2
6	- वही-	क्रमांक सं 4 अनुबंध	पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन - संशोधन	5.4.2, 5.8.1 सारणियां
7	- वही-	क्रमांक सं 5 अनुबंध	पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन - संशोधन	5.6.1

8	दिनांक 21 मई 2008 का मेल बॉक्स स्पष्टीकरण		बैंकों पर दावे - प्रधान कार्यालयों/विदेशी शाखाओं द्‌वारा गारंटी/काउंटर गारंटी प्राप्त विदेशी बैंकों की भारतीय श्ंाखाओं के एक्सपोज़र	5.6.2
9	दिनांक 21 मई 2008 का मेल बॉक्स स्पष्टीकरण		जोखिम भार और प्रावधानन मानदंड - आस्ति वित्त कंपनियां	5.8.1
10	बैंपविवि.सं. 67/20.06.001/2007-08 दिनांक 31 मार्च 2008	क्रमांक सं 6 अनुबंध	पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन - संशोधन	5.8.1 सारणी 6: भाग-ख
11	दिनांक 21 मई 2008 का मेल बॉक्स स्पष्टीकरण		पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन	7.3.7 (//) सारणी 14 (डी)
12	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 83/21.06.001/2007-08 दिनांक 14 मई 2008	पैरा 2	आवासीय संपत्ति द्‌वारा सुरक्षित दावे - जोखिम भार के लिए सीमा में परिवर्तन	5.10
13	बैंपविवि.सं. 67/20.06.001/2007-08 दिनांक 31 मार्च 2008	क्रमांक सं 7 अनुबंध	पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन	5.13.3
14	दिनांक 21 मई 2008 का मेल बॉक्स स्पष्टीकरण		पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन	5.13.5
15	बैंपविवि.सं. 67/20.06.001/2007-08 दिनांक 31 मार्च 2008	क्रमांक सं 8 अनुबंध	पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन	5.15.2 (v)
16	- वही-	क्रमांक सं 9 अनुबंध	- वही -	7.3.4 (i)
17	- वही-	क्रमांक सं 11 अनुबंध	- वही -	\`ईक्विटी' इंडेक्स से संबंधित मौज़ूदा पैरा 7.3.5(vii)

				हटाया गया
18	- वही-	क्रमांक सं 12 अनुबंध	- वही -	7.3.7
19	- वही-	क्रमांक सं 13 अनुबंध	- वही -	7.3.8
20	- वही-	क्रमांक सं 14 अनुबंध	- वही -	7.6.1
21	- वही-	क्रमांक सं 15 अनुबंध	- वही -	विद्यमान पैरा 8.2.2 हटाया गया
22	- वही-	क्रमांक सं 16 अनुबंध	- वही -	8.3
23	- वही-	क्रमांक सं 17 अनुबंध	- वही -	8.4.1
24	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 66/21.06.001/2007-08 दिनांक 31 मार्च 2008	संपूर्ण परिपत्र	नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अंतर्गत पर्यवेक्षीय समीक्षा प्रक्रिया - स्तंभ 2 के लिए दिशानिर्देश	10.0, 11 और अनुबंध 10 से 15
25	बैंपविवि.सं. 67/20.06.001/ 2007-08 दिनांक 31 मार्च 2008	क्रमांक सं 18 अनुबंध	पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन	अनुबंध - 8
26	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 31/ 21.04.157/2008-09 दिनांक 8 अगस्त 2008	अनुबंध II	बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र से संबंधित मानदंड	विद्यमान पैरा 5.15.4 बदला गया
27	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 76/ 21.04.132/2008-09 दिनांक 3 नवंबर 2008	पैरा 4	बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	5.10.4
28	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 83/ 21.01.002/2008-09	पैरा 2(क) (ख) और	विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा - मानक आस्तियों के लिए	5.8.1, 5.11.2

	दिनांक 15 नवंबर 2008	(ग)	प्रावधानीकरण तथा कंपनियों, वाणिज्यिक स्थावर संपदा और एनबीएफसी एनडी-एसआइ के प्रति एक्सपोज़र के लिए जोखिम भार	और 5.13.5
29	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 92/ 21.06.001/2008-09 दिनांक 4 दिसंबर 2008	3	नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन - समांतर प्रयोग का रिपोर्टिंग फार्मेट	2.4
30	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 118/ 21.01.002/2008-09 दिनांक 25 मार्च 2009	पैरा (*ii*) और (*iii*)	ऋण संविभाग के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधानों पर विवेकपूर्ण कार्रवाई	4.3.2
31	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 120/ 21.01.002/2008-09 दिनांक 2 अप्रैल 2009	अनुबंध 1 और अनुबंध 2	विनियामक पूंजी के अंग के रूप में अधिमान शेयर जारी करने के लिए दिशानिर्देश	अनुबंध 4 पैरा (vii) और अनुबंध 6 पैरा (vii)
32	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 134/ 21.06.001/2008-09 दिनांक 26 मई 2009	पैरा 3	केंद्रीय काउंटर पार्टियों के प्रति बैंकों के एक्सपोज़र के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड	पैरा 5.14.3 और 5.15.3(vi)
33	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 23/ 21.06.001/2009-10 दिनांक 7 जुलाई 2009	पैरा 2,3,4,5	भारत में बासल II की उन्नत विधियां आरंभ करना	पैरा 2.5 और 2.5.1 से 2.5.3
34	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 29/ 21.06.001/2009-10 दिनांक 12 अगस्त 2009	पैरा 3	पूंजी पर्यापतता और बाजार अनुशासन के सबंध में विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)	पैरा 10.7 और पैरा 12.3.3.7
35	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण दिनांक 24 अगस्त 2009	समस्त मेल बॉक्स स्पष्टीकरण	प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र (ऋण संवर्धन) के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड	अनुबंध 8 का पैरा 12 और 13
36	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 33/ 21.04.048/2009-10 दिनांक 27 अगस्त 2009	पैरा 3	अस्थायी प्रावधानों के संबंध में विवेकपूर्ण कार्रवाई	पैरा 4.3.4 का फुट नोट 7
37	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 38/ 21.01.002/2009-10 दिनांक 7 सितंबर 2009	परिपत्र के अनुबंध के भाग I में	टीयर II पूंजी जुटाने के लिए गौण ऋण जारी करना	अनुबंध 7

		क्रम. सं. 1 से 6		
38	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 69/ 21.01.002/2009-10 दिनांक 13 जनवरी 2010	परिपत्र के क्रम सं. 2	टीयर II पूंजी जुटाने के लिए गौण ऋण का खुदरा निर्गम	अनुबंध 7
39	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण दिनांक 18 जनवरी 2010		सुरक्षा रसीदों पर विशेष जोखिम पूंजी भार	पैरा 8.4.3
40	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण दिनांक 25 जनवरी 2010		बैंकों के पूंजी लिखतों पर प्रतिफल की गारंटी देना	पैरा 4.2.4 (v)
41	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण दिनांक 28 जनवरी 2010		पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए तिमाही अ-लेखापरीक्षित लाभ का समावेश	पैरा 4.4.11
42	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.74/ 21.06.001 /2009 -10 दिनांक 12 फरवरी 2010 पैरा.2		इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों के रूप में वर्गीकृत गैर बैंकिंग कंपनियों को बैंक एक्सपोज़र के संबंध में जोखिम भार और एक्सपोज़र मानदंड	पैरा 5.8.1
43	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.87 / 21.06.001 / 2009-10 दिनांक 7अप्रैल 2010 पैरा.2		पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन -समांतर प्रयोग और न्यूनतम विवेकपूर्ण सीमा	पैरा 4.1.2
44	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.81/21.01.002/ 2009-10 दिनांक 30 मार्च 2010		तुलन पत्र में पूंजी लिखतों का वर्गीकरण	अनुबंध सं 4,6 और 8
45	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 48 / 21.06.001 / 2010-11 दिनांक 1 अक्तूबर 2010		बैंकों के तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़रों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - काउंटरपार्टी ऋण एक्सपोज़रों की द्विपक्षीय नेटिंग	पैरा 5.15.4 (viii)
46	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 69 / 08.12.001 / 2010-11 दिनांक 23 दिसंबर 2010		वाणिज्य बैंकों द्वारा आवास ऋण - एलटीवी अनुपात, जोखिम भार तथा प्रावधानीकरण	पैरा 5.10.1, 5.10.2 तथा 5.10.3

47	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.71/ 21.06.001 / 2010-11 दिनांक 31 दिसंबर 2010	पूंजी पर्याप्तता तथा बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - समानांतर प्रयोग तथा विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा	पैरा 4.1.2
48	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.75/ 21.06.001 / 2010-11 दिनांक 20 जनवरी 2011	विनियामक पूंजी लिखत -स्टेप-अप ऑप्शन	अनुबंध-1 अनुबंध-3 अनुबंध-4 अनुबंध-5 अनुबंध-6
49	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.3/ 21.01.002 / 2004-05 दिनांक 6 जुलाई 2004	पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के बीच पूंजी की परस्पर धारिता	पैरा 4.4.8 तथा 4.4.10
50.	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.80/ 21.04.018 / 2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प पुनः खोलना तथा उपदान (ग्रेच्युटी) सीमाओं मे वृद्धि - विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार	पैरा 4.4.13
51	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण दिनांक 19 नवंबर 2010	पूंजी बाजार में बैंक का एक्स्पोजर- अविकल्पी भुगतान प्रतिबद्धताओ का निर्गम (आईपीसी)	पैरा 5.15.2(vi)
52.	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.39/ 21.06.007 / 2011-12 दिनांक 13 अक्तूबर 2011	रेटिंग एजेंसियों की पूंजी पर्याप्तता एवं बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नवीन पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - रेटिंग प्रतीकों तथा क्रेडिट परिभाषाओं का परिशोधन	पैरा 6.4.1 पैरा 6.5.4 पैरा 6.5.5 पैरा 7.3.5
53.	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.61/ 21.06.203 / 2011-12 दिनांक 30 नवंबर 2011	क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (सीडीएस) पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	पैरा 5.17 पैरा 8.6
54.	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.69/ 21.06.001 / 2011-12 दिनांक 27 दिसंबर 2011	पूंजी बाजार एक्सपोज़र से छूट प्राप्त वित्तीय संगठनों (एंटिटी) में बैंकों के निवेश के लिए पूंजी अपेक्षा	पैरा 5.13.7 पैरा 8.4.2

55.	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.92/ 21.06.007 / 2011-12 दिनांक 13 अप्रैल 2012	पूंजी पर्याप्तता एवं बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा - पात्र साख निर्धारक एजेंसियां - ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लि. (ब्रिकवर्क)	पैरा 6.1.2
56.	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.103/ 21.04.177 / 2011-12 दिनांक 7 मई 2012	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में दिशानिर्देशों में संशोधन	पैरा 5.16.1 (i) & (iii) पैरा 5.16.2 (iii) पैरा 5.16.5 (v)-(viii) पैरा 5.16.9 तथा अनुबंध 6ए
57.	बैंपविवि मेल बॉक्स स्पष्टीकरण दिनांक 17 अप्रैल 2012	विदेशी कंपनी निकाय (ओसीबी) इस शब्द को निकालना	अनुबंध 5 का पैरा 1(च)(ii)
58.	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.28/ 21.06.001 / 2012-13 दिनांक 9 जुलाई 2012	पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - प्रधान कार्यालय नामे शेष पर की जाने वाली कार्रवाई - विदेशी बैंक	पैरा 4.2.3) (iv)
59.	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.41/ 21.06.009 / 2012-13 दिनांक 13 सितंबर 2012	पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां - एसएमई रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया लिमिटेड (एसएमईआररए)	सारणी 6 भाग ख पैरा 6.1.2 सारणी 13 पैरा 7.3.5
60.	बैंपविवि .सं .बीपी .बीसी . 54/21.06.007/2012-13 दिनांक 5 नवंबर 2012	पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एनसीएएफ) -इंडिया रेटिंग्स एंड	सारणी 6 भाग ख पैरा 6.1.2 सारणी 13

		रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स) के रूप में फिच रेटिंग का नाम परिवर्तन	पैरा 7.3.5
61.	बैपविवि.बीसी.बीपी.72/ 21.01.002 /2012-13 दिनांक 24 जनवरी 2013	टियर II पूंजी जुटाने के लिए गौण कर्ज का खुदरा निर्गम	अनुबंध 5 के पैरा 6 के फूटनोट
62.	बैपविवि.बीसी.बीपी.89/ 21.04.009 /2012-13 दिनांक 2 अप्रैल 2013	नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा - गैर-बाजार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदें - बैंक गारंटी	पैरा 5.15.2
63.	बैपविवि.बीसी.बीपी.90/ 21.04.048 /2012-13 दिनांक 16 अप्रैल 2013	निम्न आय आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) द्वारा गारंटीक अग्रिम- जोखिम भारिता और प्रावधान	पैरा 5.2.3 पैरा 7.3.7
64.	बैंपविवि .बीसी .बीपी . .सं95/21.06.001/2012-13	पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - पूंजी पर्याप्तता का नया ढांचा)एनसीएएफ (-समानांतर प्रयोग तथा विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा	पैरा 2.4
65.	बैंपविवि .सं .बीसी .बीपी . 103/21.06.001/2012-13	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों को पूरा करने में हुई कमी के बदले में नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गयी जमाराशियों पर जोखिम भार	पैरा 6.8.2
66.	बैंपविवि .सं .बीसी .बीपी . 104/08.12.015/2012-13	आवास क्षेत्र : सीआरई के अंतर्गत नया उप-क्षेत्र सीआरई (रिहाइशी आवास) और प्रावधान, जोखिम भार तथा एलटीवी अनुपातों को युक्तिसंगत बनाना	पैरा 5.10.1 पैरा 5.11.03 पैरा 5.11.4